

Circular No – 025/2026

Date: 11.05.2026

To
All Members of The Association

**CENTRAL GOVERNMENT ISSUES RULES
UNDER ALL THE FOUR LABOUR CODES**

As per the Gazette notification dated 08.05.2026, the Central Govt. has notified the Rules under all the Four Labour Codes viz., the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (referred to as the "Labour Codes"). As members are aware, the Labour Codes consolidate and replace the earlier 29 Central Labour Laws.

Although the principal enactments have been subsumed and repealed, the schemes and provisions under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (EPF Act) and the Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act) continue to operate in their existing form until the corresponding schemes are framed and notified under the Code on Social Security, 2020 to ensure continuity of social security benefits without disruption. The schemes are primary instruments for implementation of certain provisions of PF and ESI Chapters of the Code are yet to be finalised and notified. Till then the existing schemes under ESI & PF Act should be followed.



+91 9449183208



Bengaluru, Karnataka



kea@kea.co.in

Rules are important from the point of view of implementation of the Codes. The Central Rules will apply to establishments where the Central Govt. is the appropriate Govt., such as Banking and Insurance, Telecom, oil fields, mines, Air Transports and Central Govt. establishments and their Contractors.

State Governments are yet to notify the final Rules. Once the same is done, the establishments in respective States will be governed by those Rules. Karnataka Govt. has published the preliminary notification regarding Rules under all the four Codes and the final Rules are yet to be issued.

For KARNATAKA EMPLOYERS' ASSOCIATION
Sd/
[B C Prabhakar]
President



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272365
CG-DL-E-08052026-272365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 309]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 343(अ) – मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2025 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि संख्यांक 936 (अ), दिनांक 30 दिसंबर, 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस दिनांक जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को दिनांक 30 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित के अधिकांत में -

- (i) मजदूरी संदाय (कार्यविधि) नियम, 1937;
- (ii) मजदूरी संदाय (रेलवे) नियम, 1938;

- (iii) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950;
- (iv) मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956;
- (v) मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजनों को लागू करने के लिए नियत, 1962;
- (vi) मजदूरी संदाय (अतिरिक्त कटौतियों की वसूली का तरीका) नियम, 1966;
- (vii) मजदूरी संदाय (हवाई परिवहन सेवाएँ) नियम, 1968;
- (viii) मजदूरी संदाय (राष्ट्रीय रक्षा कोष और रक्षा बचत योजना के लिए कटौतियों) नियम, 1972;
- (ix) बोनस संदाय नियम, 1975;
- (x) समान पारिश्रमिक नियम, 1976;
- (xi) अवितरित मजदूरी भुगतान (हवाई परिवहन सेवाएँ) नियम, 1988;
- (xii) अवितरित मजदूरी (खान) नियम, 1989;
- (xiii) समान पारिश्रमिक नियम संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति 1991:
- (xiv) मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009;
- (xv) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011;
- (xvi) मजदूरी संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021; और
- (xvii) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन रजिस्टर रखने के सहज अनुपालन।

उन बातों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिकांश से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क. "अपील" से संहिता की धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है।

ख. "अपीलीय प्राधिकारी" से संहिता की धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

ग. "परिशिष्ट" से इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;

घ. 'प्राधिकारी' से संहिता की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है।

ड. "बोर्ड" से वह केंद्रीय सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है, जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा संहिता की धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन किया गया है;

च. "अध्यक्ष" से बोर्ड अध्यक्ष अभिप्रेत है;

- छ. "संहिता" से मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) अभिप्रेत है;
- ज. "समिति" से धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति अभिप्रेत है;
- झ. "दिन" से मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाले 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
- ञ. "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" संहिता के प्रयोजनों के लिए, ईमेल द्वारा प्रस्तुत की गई, या निर्दिष्ट पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट पर रखी गई या प्रदर्शित की गई, या किसी भी माध्यम से किया गया डिजिटल भुगतान संबंधी कोई भी जानकारी अभिप्रेत है;
- ट. "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- ठ. "भौगोलिक क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।
- ड. "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में सम्मिलित अपने मत या निर्णय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करें;
- ढ. "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता से संहिता की धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन, अधिसूचना के द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- ण. "सदस्य" से बोर्ड सदस्य से अभिप्रेत है;
- त. "मजदूरी की सामान्य दर" संहिता की धारा 2(म) के अधीन यथा-परिभाषित मजदूरी अभिप्रेत है;
- थ. "पंजीकृत ट्रेड यूनियन से वह ट्रेड यूनियन अभिप्रेत है जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन पंजीकृत है;
- द. "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;
- ध. "अर्ध कुशल व्यवसाय से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है;
- न. "कुशल व्यवसाय" वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव के द्वारा या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता की जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;
- प. "अकुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल सम्मिलित नहीं होता है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके संहिता में हैं।

अध्याय 2

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति – (1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनों के लिए, न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अलग से निर्दिष्ट करेगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस संहिता के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी और भत्ते निर्धारित नहीं करेगी।

(2) जहाँ एक दिन की मजदूरी की दर तय होती है, वहाँ प्रति घंटे की मजदूरी की दर तय करने के लिए उस राशि को आठ से भाग दिया जाएगा और प्रति माह की मजदूरी की दर तय करने के लिए उसे छब्बीस से गुणा किया जाएगा; और ऐसे भाग और गुणा में, आधे या आधे से ज़्यादा के अंशों को अगली पूरी संख्या के रूप में माना जाएगा, और आधे से कम के अंशों को छोड़ दिया जाएगा।

(3) यदि कार्य-सप्ताह छह दिनों से कम का हो, तो इस प्रकार गणना की गई न्यूनतम मजदूरी की प्रति घंटा दर का उपयोग, उस दिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

4. परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते में संशोधन के लिए समय-अंतराल - निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार 1 अप्रैल से पहले और फिर 1 अक्टूबर से पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए प्रकाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए की जाएगी।

5. एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घंटों की संख्या - (1) ऐसे कर्मचारी के लिए, जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार पर है, सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे का होगा और विश्राम का अंतराल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन इस संबंध में जारी अधिसूचना में बताए अनुसार होगा।

(2) ऐसे कर्मचारी के लिए, जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार के अतिरिक्त है, सामान्य कार्य दिवस के घंटों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि प्रति सप्ताह कार्य के कुल घंटे अड़तालीस घंटे से अधिक न हों।

6. विश्राम का साप्ताहिक दिन— (1) इस नियम के उपबंधों के अधीन, किसी कर्मचारी को हर हफ्ते एक दिन का आराम दिया जाएगा (जिसे इसके पश्चात् “आराम का दिन” कहा जाएगा)। अगर हफ्ते में छह दिन काम होता है, तो आम तौर पर रविवार को आराम का दिन होगा; और अगर हफ्ते में छह दिन से कम काम होता है, तो आराम के दिनों में शनिवार और रविवार सम्मिलित होंगे। हालाँकि, नियोक्ता किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए हफ्ते का कोई भी दूसरा दिन आराम के दिन के तौर पर तय कर सकता है:

परंतु कि छह दिन के कार्य सप्ताह में या छह दिनों से कम के कार्य सप्ताह जैसा भी मामला हो, ऐसे कर्मचारियों के लिए सप्ताह के शेष दिनों का भुगतान किया जाएगा।

परंतु यह कि, कोई कर्मचारी इस उप-नियम के अधीन विश्राम के दिनों का हकदार तब होगा, यदि उसने उसी नियोक्ता के अधीन काम किया हो—छह-दिवसीय कार्य सप्ताह के मामले में लगातार कम से कम छह दिनों तक; और छह-दिवसीय कार्य सप्ताह से कम वाले मामले में, निर्धारित कार्य दिवसों की लगातार अवधि तक (जैसा भी मामला हो):

परंतु यह भी कि कर्मचारी को आराम के दिनों के रूप में तय किए गए दिनों के बारे में, और आराम के दिनों में किसी भी पश्चात् के बदलाव के बारे में—बदलाव लागू होने से पहले ही—सूचित किया जाएगा; यह सूचना कार्यस्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस लगाकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट सप्ताह में कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि या कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए,

(क) कोई भी दिन जिस पर एक कर्मचारी को काम के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे केवल उपस्थिति के लिए भत्ता दिया जाता है और उसे काम प्रदान नहीं किया जाता है,

- (ख) ऐसा कोई भी दिन जिस दिन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन मुआवजे के भुगतान पर किसी कर्मचारी का ले-ऑफ किया गया हो, और;
- (ग) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को छह दिनों की अवधि में या सप्ताह के कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या के दौरान, जैसा भी मामला हो, विश्राम दिनों से ठीक पहले मजदूरी के साथ या बिना मजदूरी के दी गई कोई भी छुट्टी या अवकाश,

(2) किसी भी कर्मचारी से उसके विश्राम दिवस पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, और न ही उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी; सिवाय इसके कि उसे उस विश्राम दिवस से ठीक पहले या पश्चात् के सप्ताह के किसी एक कार्य दिवस पर, उसके बदले में कोई अन्य विश्राम दिवस प्रदान किया गया हो।

परंतु कि कोई भी ऐसा प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को बिना किसी विश्राम दिवस के लगातार दस दिनों से अधिक काम करना पड़े।

(3) जहाँ कोई कर्मचारी किसी विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे उस विश्राम दिवस से पहले या उसके पश्चात् किसी कार्य दिवस पर एक प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तो साप्ताहिक कार्य घंटों की गणना के प्रयोजनों के लिए, उस विश्राम दिवस को उस सप्ताह में सम्मिलित किया जाएगा जिसमें वह प्रतिस्थापित विश्राम दिवस आता है।

(4) किसी कर्मचारी को विश्राम के दिवस के लिए पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर लागू दर के आधार पर गणना की गई मजदूरी प्रदान की जाएगी; जहाँ वह विश्राम दिवस पर कार्य करता है और उसे एक वैकल्पिक विश्राम दिवस दिया गया है, तो उसे उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर उसने कार्य किया था, ओवरटाइम की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और वैकल्पिक विश्राम दिवस के लिए पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर लागू दर से मजदूरी दी जाएगी:

परंतु कि छह दिन के सप्ताह के मामले में जहां-

- (i) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई; या
- (ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी, तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और
- (iii) यदि कर्मचारी अपने विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे उसके बदले कोई अन्य विश्राम दिवस दिया गया है, तो कर्मचारी को केवल उस विश्राम दिवस के लिए, जिस पर उसने काम किया है, ओवरटाइम दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा; यह राशि मजदूरी की सामान्य दर के दोगुने से कम नहीं होगी।

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस प्रावधानों के उपबंधों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले मुख्य श्रम आयुक्त(केंद्रीय) या उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय), इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात् उसका निर्णय करेंगे।

परंतु यह कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से संचालित होता है, तब उस विश्राम दिन के लिए जिसके लिए वह कार्य करता है, मजदूरी समयोपरि दर से प्राप्त करेगा और प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए मजदूरी पूर्ववर्ती कार्य दिवस की दर से प्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम में 'पूर्ववर्ती कार्य दिवस' से वह अंतिम दिन अभिप्रेत है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले, जैसी भी स्थिति हो, आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब पूर्ववर्ती कार्य दिवस से वह अंतिम दिन अभिप्रेत होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के उपबंध अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई है तो, नहीं डालेंगे, जिसमें कर्मचारी किसी अन्य पद्धति के अधीन या किसी पंचाट, अनुबंध या सेवा की संविदा की शर्त के अधीन हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी केवल पूर्वकथित अनुकूल शर्तों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से शनिवार रात्रि की अर्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि अभिप्रेत है।

7. रात्रि पाली— जहां पर कर्मचारी रोजगार में पाली में काम करता है जो अर्ध रात्रि के पश्चात् भी चलती है, तब,

- (i) नियम 6 के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन से इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार चौबीस घंटे की अवधि अभिप्रेत है; और
- (ii) ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के पश्चात् के घंटों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

8. कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कार्य समय और कार्य अवधि के फैलाव की सीमा और शर्तें - धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए कार्य के घंटों की संख्या, नियम 5 में विनिर्दिष्ट सामान्य कार्य घंटों से अधिक हो सकती है।

परंतु यह कि कर्मचारियों की इन निश्चित श्रेणियों का ओवरटाइम संहिता की धारा 14 के अनुसार होगा।

9. लम्बी मजदूरी अवधि - धारा 14 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

अध्याय 3

निम्नतम मजदूरी

10. निम्नतम मजदूरी करने की पद्धति - (1) निम्नतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य किसी भी कारक सहित, भोजन, वस्त्र, आवास और न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड से परामर्श कर सकती है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किया गया परामर्श, आगे के परामर्श और उनकी टिप्पणियों के लिए, सभी राज्य सरकारों को प्रसारित किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट बोर्ड के परामर्श और प्राप्त राज्य सरकारों के विचारों पर, उप-नियम (1) के अधीन निम्नतम मजदूरी निर्धारित करने से पूर्व विचार किया जा सकता है।

(4) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित निम्नतम मजदूरी का, सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक न होने वाले अंतराल पर पुनरीक्षण कर सकती है और जीवन-यापन की लागत में भिन्नताओं के लिए, बोर्ड और राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर समायोजन कर सकती है।

अध्याय 4

मजदूरी का भुगतान

11. संविदात्मक कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान - जहाँ किसी स्थापन में कर्मचारी किसी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं, वहाँ उस स्थापन का नियोक्ता चाहे वह कंपनी, फर्म, संघ या कोई अन्य व्यक्ति हो, संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों के मजदूरी के संबंध में देय राशि ठेकेदार को संदत्त करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए 'फर्म' शब्द का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में निर्दिष्ट किया गया है।

12. सामान्य कार्य-दिवस से कम के लिए मजदूरी का भुगतान - कोई कर्मचारी, धारा 10 के अधीन पूर्ण सामान्य कार्य-दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, यदि वह नियोजन की शर्तों के अनुसार अंशकालिक आधार पर कार्य करने के लिए सहमत हुआ हो या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य श्रम पद्धति के अधीन ऐसी मजदूरी प्राप्त करने का हकदार न हो।

13. कटौतियों की वसूली - धारा 18 की उप-धारा (4) के अनुसार, जहाँ धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकृत कुल कटौतियाँ किसी कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक हो जाती हैं, वहाँ अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया जाएगा और आगामी मजदूरी अवधि की मजदूरी से किश्तों में वसूल किया जाएगा, इस प्रकार कि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

14. जुर्माना अधिरोपित करने के लिए कृत्यों और उपेक्षाओं के अनुमोदन के लिए प्राधिकारी - संबंधित कर्मचारी के कार्यस्थल के स्थान पर अधिकारिता रखने वाला उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी होगा।

15. कृत्यों और उपेक्षाओं को निर्धारित करने वाली सूचना के प्रदर्शित करने की पद्धति - धारा 19 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सूचना, भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, हिंदी, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा में, उस कार्यस्थल परिसर के दृष्टिगोचर स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें नियोजन संचालित किया जाता है और उक्त सूचना की एक प्रति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को भेजी जाएगी।

16. जुर्माना अधिरोपित करने की प्रक्रिया - (1) धारा 19 की उप-धारा (3) के अनुसार, नियोक्ता संबंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या लिखित रूप में सूचना देगा, जिसमें कर्मचारी द्वारा किए गए कृत्यों और उपेक्षाओं का विवरण निर्दिष्ट होगा, जो जुर्माना अधिरोपित किए जाने का औचित्य सिद्ध करते हैं, और कारण दर्शाने के लिए सात दिनों के भीतर का अवसर दिया जाएगा।

(2) आरोप स्थापित होने पर, दोषी कर्मचारी पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

(3) जहाँ निर्धारित अवधि के भीतर कर्मचारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, वहाँ जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा और ऐसे जुर्माना अधिरोपण की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

17. कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती की सूचना - (1) जब कोई नियोक्ता, धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबंध के अनुसरण में, कोई कटौती करने का आशय रखता है, तब वह संबंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या लिखित रूप में ऐसी कटौती करने के अपने आशय के संबंध में सूचित करेगा और सात दिनों की अवधि के भीतर उत्तर देने का अवसर देगा, और आरोप स्थापित होने पर, धारा 18 की उप-धारा (3) के अनुसार कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जाएगी।

(2) यदि संबंधित कर्मचारी से सात दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियोक्ता ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

18. क्षति या हानि के लिए कटौती की प्रक्रिया - (1) कोई नियोक्ता, जो धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की मजदूरी से क्षति या हानि के लिए कटौती करने का आशय रखता है, कर्मचारी को सात दिनों की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिसमें कर्मचारी को सौंपे गए माल की क्षति या हानि के मूल्य के संबंध में कारण दर्शाना होगा।

(2) आरोप स्थापित होने पर, धारा 18 की उप-धारा (3) के अनुसार कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जाएगी।

(3) यदि संबंधित कर्मचारी से सात दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियोक्ता संबंधित कर्मचारी की मजदूरी से ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

19. अग्रिम की वसूली के संबंध में शर्तें:- वसूली -

(i) धारा 23 के खंड (ख) के अधीन, नियोजन प्रारंभ होने के पश्चात किसी कर्मचारी को दी गई धनराशि के अग्रिम; या

(ii) धारा 23 के खंड (ग) के अधीन, किसी कर्मचारी को अभी अर्जित न किए गए मजदूरी के अग्रिम,

जैसा भी मामला हो, नियोक्ता द्वारा संबंधित कर्मचारी की मजदूरी से, नियोक्ता द्वारा निर्धारित किशतों में इस प्रकार वसूले जाएँगे कि किसी मजदूरी अवधि में कोई एक या सभी किशतें मिलाकर, कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक न हों, परन्तु कि उस मजदूरी अवधि में नियम 13 में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन हों, और ऐसी वसूली का विवरण प्ररूप-4 में संधारित रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

20. ऋण की वसूली के लिए कटौती:- धारा 24 के अनुसार, दिए गए ऋणों की वसूली तथा उस पर देय ब्याज के संबंध में कटौतियाँ, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रचलित निर्देशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होंगी, जो इस बात को विनियमित करते हैं कि ऐसे ऋण किस सीमा तक दिए जा सकते हैं और उन पर देय ब्याज की दर क्या होगी।

अध्याय 5**बोनस का भुगतान**

21. संविदात्मक कर्मचारियों को बोनस का भुगतान- जहां किसी स्थापन में कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है और ठेकेदार धारा 26 के अधीन देय बोनस का भुगतान करने में विफल रहता है, वहां धारा 43 के परंतुक में उल्लिखित कंपनी, फर्म, संघ या अन्य व्यक्ति, कर्मचारियों या उनके किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या संघों द्वारा दी गई लिखित सूचना पर तथा उक्त विफलता की पुष्टि होने पर, कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

22. छठे लेखा वर्ष के लिए गणना:- छठे लेखा वर्ष के लिए, जैसा भी मामला हो, सेट-ऑन या सेट-ऑफ, धारा 26 की उप-धारा (7) के खंड (i) के अधीन, परिशिष्ट क में दर्शाए गए रीति से किया जाएगा, जिसमें पाँचवें और छठे लेखा वर्षों के संबंध में सेट-ऑन या सेट-ऑफ किए गए आवंटनीय अधिशेष के, जैसा भी मामला हो, अधिकता या कमी को ध्यान में रखा जाएगा।

23. सातवें लेखा वर्ष के लिए गणना:- सातवें लेखा वर्ष के लिए, जैसा भी मामला हो, सेट-ऑन या सेट-ऑफ, धारा 26 की उप-धारा (7) के खंड (ii) के अधीन, परिशिष्ट क में दर्शाए गए रीति से किया जाएगा, जिसमें पाँचवें, छठे और सातवें लेखा वर्षों के संबंध में सेट-ऑन या सेट-ऑफ किए गए आवंटनीय अधिशेष के, जैसा भी मामला हो, अधिकता या कमी को ध्यान में रखा जाएगा।

24. बैंकिंग कंपनी के लिए सकल लाभ की गणना:- लेखा वर्ष के संबंध में किसी प्रतिष्ठान से नियोक्ता द्वारा अर्जित सकल लाभ, बैंकिंग कंपनी के मामले में, धारा 32 के खंड (क) के अधीन, परिशिष्ट ख में निर्धारित रीति से गणना किया जाएगा।

25. बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त अन्य के लिए सकल लाभ की गणना:- लेखा वर्ष के संबंध में किसी प्रतिष्ठान से नियोक्ता द्वारा अर्जित सकल लाभ, बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त अन्य मामलों में, धारा 32 के खंड (ख) के अधीन, परिशिष्ट ग में निर्धारित रीति से गणना किया जाएगा।

26. सकल लाभ से अतिरिक्त राशियों की कटौती:- परिशिष्ट घ में नियोक्ता के संबंध में निर्धारित अतिरिक्त राशियाँ, धारा 34 के खंड (ग) के अधीन पूर्व प्रभारों के रूप में, सकल लाभ से घटाई जाएँगी।

27. जब आवंटनीय अधिशेष अधिकतम देय बोनस से अधिक हो तो अग्रेषण की रीति:- धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन, जहाँ किसी लेखा वर्ष के लिए, आवंटनीय अधिशेष, धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को देय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक होता है, तब ऐसी अधिकता, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल मजदूरी या मजदूरी के बीस प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए, आगामी लेखा वर्ष में सेट-ऑन के लिए अग्रेषित की जाएगी और इसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक जारी रहेगी, जिससे बोनस के भुगतान के प्रयोजन के लिए परिशिष्ट क में दर्शायी गई रीति से उपयोग किया जा सके।

28. जब न्यूनतम बोनस के भुगतान के लिए कोई आवंटनीय अधिशेष उपलब्ध न हो, तब अग्रेषण की रीति:- धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन, जहाँ किसी लेखा वर्ष के लिए कोई उपलब्ध अधिशेष नहीं है या उस वर्ष के संबंध में आवंटनीय अधिशेष, धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को देय न्यूनतम बोनस की राशि से कम है, और नियम 27 के अधीन अग्रेषित और सेट-ऑन की गई कोई राशि या पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है, जिसे न्यूनतम बोनस के भुगतान के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सके, तब यथास्थिति ऐसी न्यूनतम राशि या कमी, आगामी लेखा

वर्ष में सेट-ऑफ के लिए अग्रेषित की जाएगी और इसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक जारी रहेगी, जैसा कि परिशिष्ट क में दर्शाया गया है।

अध्याय 6

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड

क. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया

29. बोर्ड का गठन:- बोर्ड का गठन धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनेगा।

30. बोर्ड की बैठक:- अध्यक्ष, नियम 32 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी समय, जब वह उपयुक्त समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकेगा :

परन्तु यह कि सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा लिखित मांग पर अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा।

31. बैठकों की सूचना:- अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की दिनांक, समय और स्थान निर्धारित करेगा और उक्त विवरणों सहित तथा बैठक में किए जाने वाले कार्यों की सूची सहित लिखित सूचना, त्वरित डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक की नियत दिनांक से कम-से-कम पंद्रह दिन पूर्व भेजी जाएगी:

परन्तु यह कि आपात बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्य को केवल सात दिन पूर्व सूचना दी जा सकेगी।

32. अध्यक्ष के कार्य:- अध्यक्ष —

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने मध्य से बहुमत से एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे, जो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(ii) प्रत्येक बैठक की कार्यसूची निर्धारित करेगा;

(iii) जहाँ बोर्ड की बैठक में किसी विषय का निर्णय मतदान द्वारा किया जाना हो, वहाँ मतदान का संचालन करेगा और बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा या करवाएगा;

(iv) ऐसे अन्य कार्य करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।

33. गणपूर्ति:- किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि कम-से-कम एक-तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों में से प्रत्येक का कम-से-कम एक-एक प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित न हो:

परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में एक-तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हों, तो अध्यक्ष बैठक को मूल बैठक की दिनांक से सात दिनों के भीतर की किसी दिनांक तक स्थगित कर सकेगी और तत्पश्चात ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या की परवाह किए बिना कार्य का निपटान करना पद्धति सम्मत होगा:

परन्तु यह भी कि ऐसी स्थगित बैठक की दिनांक, समय और स्थान की सूचना सदस्यों को दी जाएगी।

34. बोर्ड के कार्यों का निपटान:- बोर्ड के सभी कार्य, बोर्ड की बैठक में विचारित किए जाएंगे और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा:

परंतु यह कि अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, निर्देश दे सकेगा कि किसी विषय का निर्णय आवश्यक कागजातों को परिचारित करके और सदस्यों की लिखित राय प्राप्त करके किया जाए:

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती उपबंध के अधीन किसी विषय पर कोई निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित न हो।

35. मतदान की पद्धति :- बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा, परंतु यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मतदान की मांग करता है या अध्यक्ष ऐसा निर्णय करता है, तो मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा और अध्यक्ष द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा।

36. बैठकों की कार्यवाही:- (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही, जिसमें अन्य बातों के साथ उपस्थित सदस्यों के नाम भी होंगे, प्रत्येक सदस्य तथा केन्द्रीय सरकार को, यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में अगली बैठक से कम-से-कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही, अगली बैठक में, आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों सहित, पुष्टि की जाएगी।

37. साक्षियों को बुलाना और दस्तावेज प्रस्तुत करना:- (1) अध्यक्ष, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आवश्यक होने पर, किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए समन कर सकेगा और किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे समन किया गया है और जो बोर्ड के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होता है, वह उस समय के लिए प्रवृत्त दरों के अनुसार, जो सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्षियों को देय हैं, व्यय भत्ते का हकदार होगा।

ख. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि

38. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि :- (1) अध्यक्ष और सदस्यों का पदावधि, नियुक्ति या नामनिर्दिष्ट करने की दिनांक से तीन वर्ष की होगी:

परंतु यह कि उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी, अध्यक्ष या सदस्य तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक उनके उत्तरवर्ती की नियुक्ति या नामांकन नहीं हो जाता।

(2) बोर्ड का कोई स्वतंत्र सदस्य, जिसे आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित किया गया है, उस सदस्य के शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है, या जब तक नियमित पदाधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक, जो भी पहले हो।

(3) बोर्ड के किसी शासकीय सदस्य, तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि उन्हें उनके स्थान पर अन्य किसी शासकीय सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।

39. यात्रा भत्ता:- (1) बोर्ड के किसी शासकीय सदस्य का यात्रा भत्ता, उनके लिए आधिकारिक कर्तव्यों पर की गई यात्रा के लिए लागू नियमों द्वारा विनियमित होगा और उनका वेतन देने वाला प्राधिकारी ही उसका भुगतान करेगा।

(2) बोर्ड के गैर-किसी शासकीय सदस्यों को, बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए शासकीय सदस्य से नियमित सरकारी अधिकारी जो बोर्ड के सदस्यों के रूप में उस हैसियत से स्थानापन्न है, अभिप्रेत हैं और "गैर-शासकीय सदस्य" वे होंगे जो "शासकीय सदस्य" नहीं हैं।

40. अधिकारी और कर्मचारी:- केंद्र सरकार बोर्ड के सुचारू कामकाज के लिए ऐसा आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे।

41. पुनः नामांकन की पात्रता:- कोई निवर्तमान सदस्य, बोर्ड की सदस्यता के लिए अधिकतम दो कार्यकालों तक पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा।

42. अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्यों का त्यागपत्र:- (1) अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा है और अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) त्यागपत्र की स्वीकृति की सूचना की दिनांक से या त्यागपत्र की दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, से त्यागपत्र प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होती है या होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष तत्काल केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और केन्द्रीय सरकार, तब, संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए कदम उठाएगी।

43 सदस्यता की समाप्ति:- यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो वह उसका सदस्य नहीं रहेगा।

44. निर्हरता:- (1) किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य रूप में नामित होने और सदस्य होने के लिए निर्हरित घोषित किया जाएगा

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया जाता है; या

(ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) यदि संहिता के प्रारंभ से पहले या पश्चात् में, वह नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का दोषी ठहराया गया है।

यदि कोई प्रश्न उठता है कि उप-नियम (1) के अधीन निर्हरता हुई है या नहीं, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय 7

बकाया का भुगतान, दावे, आदि।

45. कर्मचारी की मृत्यु होने पर नामनिर्देशिती को असंवितरित देय राशि का भुगतान:- (1) (क) धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में, प्रत्येक कर्मचारी प्ररूप 7 में भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा करेगा, जिसमें उस व्यक्ति को नामित किया जाएगा जो उस राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है जो मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा है, जहां ऐसे कर्मचारी की जमा राशि भुगतान किए जाने से पहले देय हो गई है।

(ख) यदि नामित करते समय कर्मचारी का अपना परिवार है तो यह नामांकन उसके पति पत्नी या उसके पति/पत्नी को अधिमान देते हुए उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगा;

परन्तु कि अपने परिवार के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परिवार रखने वाले कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन अमान्य होगा;

परन्तु यह और कि कर्मचारी द्वारा विवाह के पश्चात् अपने पति/पत्नी के लिए नया नामांकन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किए गए किसी नामांकन को अमान्य समझा जाएगा।

(ग) जिस मामले में नामांकन किसी अवयस्क के पक्ष में पूर्णतः या अंशतः किया जाता है उसमें कर्मचारी अपने परिवार के किसी प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो उस अवयस्क नामिति का अभिभावक होगा या जहां परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है तो वह अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामिति का अभिभावक नियुक्त कर सकेगा।

(घ) यदि कर्मचारी एक से अधिक सदस्य को नामित करता है तो वह नामांकन में अपने विवेकानुसार प्रत्येक नामित व्यक्तियों को देय राशि या हिस्से का उल्लेख करेगा ताकि उसकी संपूर्ण जमापूंजी की राशि का भुगतान किया जा सके।

(2) जब संहिता के अधीन कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु या कर्मचारी का ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाएगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की दिनांक के दो मास के अंदर कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

46. कर्मचारी की मृत्यु होने पर असंवितरित बकाया जमा करना:- (1) जहाँ धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण या अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की दिनांक से छह मास की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छह मास की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पहले उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाएगी।

(2) उप-खंड (1) के अधीन जमा की जाने वाली रकम नियोक्ता द्वारा ऐसे उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास बैंक अंतरण या भारत में किसी अनुसूचित बैंक से उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

47. असंवितरित जमा राशि के निपटान की रीति:- (1) नियम 46 के उप-नियम (1) में असंवितरित रकम (जिसे इस नियम में इसके पश्चात रकम कहा गया है) संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा रकम उसी के पास रहेगी तथा वह उसे केन्द्रीय या राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित या किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।

(2) उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) यथा संभव शीघ्र रकम से संबंधित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) प्रयास समझे, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस प्रकाशित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित मजदूरी अर्जित किए गए थे, उसमें सामान्यतः समझी जाने वाली भाषाओं में परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचारपत्रों में और कर्मचारी के स्थायी निवास क्षेत्र में स्थानीय भाषा के दो स्थानीय समाचार पत्रों में भी इस नोटिस को प्रकाशित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंधों के अधीन, संबंधित उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) नामिति या उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, तथा जिसके पक्ष में उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।

- (4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष में लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-निर्देशित किया जाएगा।

अध्याय 8

प्ररूप, रजिस्टर और मजदूरी पर्ची

48. विवरणियां- विवरणियां, किसी स्थापन जिसे यह संहिता लागू होती है, के प्रत्येक नियोक्ता द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन प्ररूपों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारण की जाएगी।

49. दावे दाखिल करने के लिए प्ररूप और प्रक्रिया:- (1) एक ही स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों की किसी भी संख्या या समूह की ओर से या उनके संबंध में एक एकल आवेदन, जिसमें उनके दावे एक ही मजदूरी अवधि या भेदभाव की एक ही घटना से संबंधित हैं, संहिता के उपबंधों के अधीन उत्पन्न होने वाले दावों को सुनने और निर्धारित करने के लिए धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के समक्ष उक्त प्ररूप में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, प्ररूप 2 में, मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन दायर किया जा सकेगा।

(2) जहां उपनियम (i) के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जाता है वहां प्राधिकारी नियोक्ता को प्ररूप 8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह इस नोटिस में निर्धारित तारीख को सभी संबंधित दस्तावेजों और साक्षियों यदि कोई हों, के साथ उसके समक्ष उपस्थित हो और निर्धारित की गई तारीख की सूचना आवेदक को देगा।

(3) नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं होने की दशा में प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई कर सकेगा और उस पर एक पक्षीय निर्णय दे सकेगा।

(4) उस मामले में जहाँ आवेदक या उनका प्रतिनिधि पहले से कोई उचित कारण बताए बिना विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है।

50. अपील दायर करने की प्रक्रिया: - (1) धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप 3 में अपीलार्थी द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ इस प्ररूप में संबंधित अधिकारिता वाले अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा अपील कर सकेगा।

परंतु किसी नियोक्ता द्वारा की गई कोई किसी अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक अपील करते समय अपीलार्थी अपीलीय प्राधिकारी के पास दावा की गई राशि जमा नहीं करता है।

(2) जहां धारा 49 की उप धारा (1) के अधीन किसी अपील पर विचार किया जाता है वहां अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा प्ररूप 8 में नोटिस देगा कि वह उनके समक्ष नोटिस में निर्धारित तारीख को उपस्थित हो और इस प्रकार निर्धारित तारीख के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करेगा।

(3) जहां आवेदक या उसका प्रतिनिधि निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो वहां प्राधिकारी एकपक्षीय सुनवाई और आवेदन पर निर्णय ले सकेगा।

(4) जहां आवेदक या उसका प्रतिनिधि निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो वहां प्राधिकारी अपील को निरस्त कर सकेगा।

51. रजिस्टर आदि का प्ररूप—(1) सभी निर्धारित स्थापनों का नियोक्ता, जिन पर संहिता लागू होती है, धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप में इन नियमों में संलग्न प्ररूपों में निम्नलिखित रजिस्टर बनाए रखेगा:

- i) प्ररूप 1 में कर्मचारी रजिस्टर,
- ii) प्ररूप 4 में क्षति और हानि के लिए मजदूरी, ओवरटाइम, अग्रिम, जुर्माना और कटौती का रजिस्टर, तथा
- iii) प्ररूप 9 में उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल।

(2) धारा 19 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट सभी जुर्माने और उनकी सभी प्राप्तियां नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या प्ररूप 4 में भौतिक रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी, और उप-धारा (8) में निर्दिष्ट प्राधिकरण, संदर्भित अधिकारिता वाला उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) होगा।

(3) धारा 21 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी कटौतियों और सभी प्राप्तिओं को नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या प्ररूप 4 में भौतिक रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(4) इन नियमों के अधीन बनाए रजिस्ट्रों को उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

52. मजदूरी पर्ची - प्रत्येक नियोक्ता मजदूरी के भुगतान के समय या उससे पहले धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्ररूप 5 में अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या भौतिक रूप से मजदूरी पर्ची जारी करेगा।

53. जांच कराने की रीति—(1) जहां कोई शिकायत धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष (जिसे इस नियम में इसके पश्चात अधिकारी कहा गया है) उक्त उप-धारा में संदर्भित अपराधों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी या व्यथित कर्मचारी या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन पंजीकृत किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा दायर की जाती है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात अधिकारी का मत है कि अपराध कारित किया गया है, तो यह अपराधी को उपस्थित होने के लिए तारीख नियत करते हुए शिकायत में निर्धारित पते पर समन जारी करेगा।

(2) यदि अपराधी जिसे उप-नियम (1) के अधीन समन जारी किया गया है, उपस्थित होता है या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिकारी उसे उसके विरुद्ध शिकायत किए गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबंधों के अनुसार उस पर शास्ति लगाएगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा इस तरह लाए गए साक्ष्यों से प्रति परीक्षा का अवसर उपलब्ध कराएगा।

(3) यह अधिकारी साक्ष्यों के शपथ पर लिखित में कथन और प्रतिपरीक्षा को दर्ज करेगा और दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेख में लेगा।

(4) अधिकारी, शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात, अभियुक्त को प्रतिरक्षा का अवसर देगा और दोषी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर बयान लेने के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाएगी तथा अधिकारी द्वारा बचाव में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेख में लिया जाएगा।

(5) अधिकारी, पक्षकारों को सुनने और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करके संहिता के उपबंधों के अनुसार शिकायत पर निर्णय लेगा।

- 54. अपराधों के प्रशमन की रीति – (1)** कोई अभियुक्त व्यक्ति यदि धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का प्रशमन चाहता है, तो वह उक्त उप-धारा के अधीन अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्ररूप 6 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप से आवेदन पर कर सकेगा।
- (2) उप-नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि यह अपराध संहिता के अधीन शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमन योग्य है तथा अभियुक्त व्यक्ति शमन के लिए सहमत हो जाता है, संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध का शमन कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी प्रशमन आदेश के 30 दिनों के भीतर अभियुक्त व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।
- (3) शमन अधिकारी प्ररूप 6 के भाग-ख में प्रशमन राशि की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्रशमन प्रमाण पत्र जारी करेगा, कि प्रशमन नोटिस की अनुपालना में ऐसी राशि प्राप्त की गई है।
- (4) यदि इस प्रकार अधिसूचित कोई व्यक्ति शमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रशमन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन, सक्षम न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उन अपराधों के संबंध में आरम्भ किया जाएगा जिनके संबंध में शमन नोटिस जारी किया गया था।
- (5) जहां अभियोजन चलाने के पश्चात उप-नियम (2) के अधीन अपराध शमन हो गया है वहां, वह अधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश की प्रति धारा 56 की उप-धारा (6) के अधीन कार्रवाई हेतु धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को भेजेगा।

प्ररूप I	
(नियम 51 के उप-नियम (1) का खंड (i) देखें)	
कर्मचारी रजिस्टर	
स्थापन का नाम	
नियोक्ता का नाम	
स्वामी का नाम	
नियोक्ता का पैन/टैन	
स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या (श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) ही स्थापन की रजिस्ट्रीकरण संख्या होगी)	
1. कर्मचारी कोड	
2. नाम	
3. उपनाम	
4. लिंग	
5. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम	
6. जन्म तिथि	
7. जन्म स्थान	

8.	राष्ट्रीयता	
9.	शिक्षा का स्तर	
10.	पदभार ग्रहण करने की तारीख	
11.	पदनाम	
12.	श्रेणी (एचएस/एस/एसएस/यूएस)*	
13.	रोजगार का प्रकार (पी/टी/एफटी/बी)**	
14.	तैनाती का विवरण	
15.	मजदूरी	
16.	पदोन्नति	
17.	मोबाइल नंबर	
18.	यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन)	
19.	पैन	
20.	नामित व्यक्ति (नामांकन प्ररूप के आधार पर भरा जाना है)	
21.	परिवार का विवरण	
22.	ईपीएस/एनपीएस	
23.	ईएसआईसी आईपी संख्या	
24.	आधार संख्या	
25.	बैंक खाता संख्या	
26.	बैंक	
27.	शाखा (आईएफएससी)	
28.	वर्तमान पता	
29.	स्थायी पता	
30.	सेवा पुस्तिका संख्या	
31.	सेवा छोड़ने की तारीख	
32.	सेवा छोड़ने का कारण	
33.	पहचान चिह्न	
34.	फोटो	
35.	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	

36.	टिप्पणियां

* (अत्यधिक कुशल/कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल)

** (स्थायी/अस्थायी/निश्चित अवधि/प्रशिक्षु/बदली)

प्ररूप -2

[नियम 49 के उप-नियम (1) देखें]

[धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन एकल आवेदन]

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उपधारा (1)

के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

.....के लिए क्षेत्र

आवेदन संख्या..... का 20

एबीसी और (संख्या).....अन्य आवेदक के
बीच

(संबंधित कर्मचारियों या पंजीकृत व्यवसाय संघ या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के
माध्यम से) पता.....

और
एक्स वाई

जेड.....

पता.....

आवेदन में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं:

(1) जिन आवेदक (आवेदकों) के नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, वे _____ से _____ तक
_____ (श्रेणी) के रूप में मैमर्स _____ (स्थापना) श्री/श्रीमती _____ में कार्यरत थे/हैं, जो
_____ (कार्य का प्रकार) में संलग्न है, और जो मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन आता है।

(2) विरोधकर्ता मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2(I) के अर्थ में नियोक्ता है/हैं।

(3) (क) आवेदक (आवेदकों) को संहिता के अधीन उनके रोजगार की श्रेणी (श्रेणियों) के लिए निर्धारित न्यूनतम
मजदूरी दरों से कम मजदूरी दिया गया है, जो की रूपए _____ प्रतिदिन की दर से _____ से
_____ अवधि के लिए दिया गया है।

(ख) आवेदक (आवेदकों) को साप्ताहिक अवकाश के दिनों के लिए रूपए _____ प्रति दिन की दर से
_____ से _____ तक मजदूरी नहीं दिया गया है।

(ग) आवेदक (आवेदकों) को _____ से _____ तक की अवधि के लिए अतिकालिक दर (दरों) पर मजदूरी नहीं दिया गया है।

(घ) आवेदक (आवेदकों) को से..... की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) इस आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नक में दिए गए विवरण के अनुसार, आवेदक(आवेदकों) के मजदूरी से ऐसी कठौतियाँ की गई हैं जो संहिता के विरुद्ध है।

(च) आवेदकों को लेखा वर्ष _____ के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक द्वारा मांगा गया अनुतोष की प्रत्येक रकम के संबंध में निम्नानुसार का अनुमानित की गई हैं

(क)रुपए _____

(ख)रुपए _____

(ग) रुपए _____

कुल रुपए _____

(5) अतः आवेदक प्रार्थना करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45(2) के अधीन निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए:

(क) संहिता के अधीन देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान किए गए मजदूरी के बीच के अंतर का भुगतान,

(ख) विश्राम के दिनों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान

(ग) अतिकालिक की दरों पर मजदूरी का भुगतान

(घ) _____ रुपए का प्रतिकर

(6) आवेदक एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित तथ्य उनके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य हैं।

तारीख : _____

नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) या सम्यक प्राधिकृत पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी या
निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता
के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पण : आवेदक, यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन के साथ विवरण युक्त अनुलग्नक संलग्न कर सकते हैं।

प्ररूप 3

(नियम 50 के उपनियम (1) देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49(1) के अधीन अपील,
मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

ए.बी.सी.

पता.....

..... अपीलकर्ता

बनाम

सी.डी.ई.

पता.....

..... प्रतिवादी

अपील का विवरण:

1. उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है:

संख्या और तारीख : _____

वह प्राधिकारी जिसके द्वारा आक्षेपित आदेश किया गया है _____

अधिनिर्णीत रकम : _____

यदि कोई मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया हो : _____

2. मामले के तथ्य:

(यहां तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण कालानुक्रमिक क्रम में दें, जिसमें प्रत्येक पैरा में यथासंभव एक अलग मुद्दा या तथ्य सम्मिलित हो)।

3. अपील के आधार:

4. वे मामले जो पहले किसी अन्य न्यायालय या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल या लंबित नहीं हैं: अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस अपील से संबंधित मामले के संबंध में पहले किसी न्यायालय, अन्य किसी अधिकारी प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा फाइल नहीं किया है और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा इनमें से किसी के समक्ष लंबित है।

5. मांगा गया अनुतोष:

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना करता है:—
[मांगी गई राहत स्पष्ट रूप से लिखें]

6. संलग्नकों की सूची:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

.....

तारीख: _____

स्थान: _____

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु:

फाइल करने की तारीख

या

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख: _____

रजिस्ट्रीकरण संख्या: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्ररूप-4	
(नियम 51 के उप नियम-(i) के खंड (ii) को देखें)	
मजदूरी, अतिकालिक, अग्रिम, जुर्माना तथा नुकसानी और हानि हेतु कटौती का रजिस्टर	
स्थापन का नाम	
नियोक्ता का नाम	
मालिक का नाम	
नियोक्ता का पैर/टैन	

स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या (श्रम पहचान संख्या (एल आई एन) स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या होगी)											
क्रम. सं.	कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या / कर्मचारी कोड	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग	मजदूरी भुगतान की अवधि मसिकी / पाक्षिक/ साप्ताहिक /दैनिक /कार्य अवधि के आधार पर	मजदूरी अवधि (से- तक)	मजदूरी अवधि में कार्य किए गए कुल दिन	कुल अतिकालिक घंटे या (पीस कर्मचारों के मामले में) अतिकालिक उत्पादन	मजदूरी दर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	मूल मजदूरी	महंगाई भत्ता	भत्ते

अर्जित मजदूरी की रकम					कटौतियां										शुद्ध भुगतान
मूल मजदूरी	महंगाई भत्ता	भत्ते	अतिकालिक	कुल अर्जित मजदूरी	ईपीए फ	ईएसआई सी	सोसायटी	आयकर	बी मा	अग्रिम रकम	जुर्माने की वसूली	क्षति/हानि की वसूली	कुल कटौतियाँ	अन्य	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

भुगतान की तारीख	कर्मचारी द्वारा रसीद/बैंक संव्यवहार आईडी	जिन कृत्यों और चूकों के लिए जुर्माना लगाया गया है, उनका प्रकृति और तारीख का उल्लेख करें।	लगाए गए जुर्माने की रकम	कर्मचारी की उपेक्षा या चूक के कारण नियोजित को हुई क्षति या हानि	नियोक्ता/नियोक्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर *
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)

*टिप्पण: यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखरखाव किया जाना आवश्यक है।

प्ररूप 5 (नियम 52 देखें)	
मजदूरी पर्ची	
जारी करने की तारीख	
स्थापना का नाम	
पता	

अवधि		
1.	कर्मचारी का नाम	
2.	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम	
3.	पदनाम	
4.	यूएएन	
5.	बैंक खाता संख्या	
6.	मजदूरी अवधि	
7.	देय मजदूरी दर	
	क. मूल मजदूरी	
	ख. महंगाई भत्ता	
	ग. भत्ते	
8.	कुल उपस्थिति/किए गए कार्य की मात्रा	
9.	अतिकालिक मजदूरी	
10.	देय सकल मजदूरी	
	क. पीएफ	
	ख. ईएसआई	
	ग. अन्य	
12.	शुद्ध मजदूरी का भुगतान	
*नियोक्ता / भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर		

*टिप्पण : रजिस्टर को भौतिक रूप से रखने के मामले में यह आवश्यक है।

प्ररूप 6

भाग – क

[नियम 54 के उपनियम (1) देखें]

अपराध के शमन के लिए धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम:

2. पिता/पति/पत्नी का नाम:

3. आवेदक का पता:

4. अपराध का विवरण:

.....

5. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है:

.....

6. संहिता के अधीन अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना:

.....

7. क्या आवेदक के विरुद्ध अभियोग लंबित है या नहीं?

.....

8. क्या यह पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया है? यदि हां, तो पूर्व अपराध का पूरा विवरण दें।

.....

9. आवेदक द्वारा दी जाने वाली कोई अन्य जानकारी

.....

आवेदक
(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

भाग - ख [नियम 54 (3) देखें]

शमन प्रमाणपत्र

संदर्भ: सूचना संख्या.....

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 54 की उपधारा के अधीन वह अपराध जिसके संबंध में श्री..... (आवेदक), ... (संस्थान का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या) के नियोक्ता को तारीख _____ को नोटिस संख्या जारी की गई थी, उक्त नोटिस के संतोषजनक अनुपालन में अपराधों के निपटारे के लिए रु. (रुपए) _____ की पूरी रकम जमा करने के कारण शमित कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)
अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

स्थान:

प्रति:

.....(नियोक्ता/स्थापना)

.....(नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या)

.....(पता)

प्ररूप-7

(नियम 45 के उपनियम (1) का खंड (क) देखें)

नामांकन प्ररूप

1. नामांकन करने वाले व्यक्ति का नाम:

(बड़े अक्षरों में):

2. पिता/पति/पत्नी का नाम:

3. जन्म की तारीख:

4. लिंग:

5. वैवाहिक स्थिति:

6. पता:

स्थायी :

अस्थायी:

मैं एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामांकित करता/करती हूँ/मेरे द्वारा पहले किए गए नामांकन को रद्द करता/करती हूँ और नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामांकित करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता से मुझे देय कोई भी रकम उन्हें प्राप्त हो:-

नामनिर्देशिती व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	पता	नामनिर्देशिती व्यक्ति का कर्मचारी के साथ संबंध	जन्म की तारीख	प्रत्येक नामनिर्देशिती व्यक्ति को देय संचित रकम का कुल हिस्सा	यदि नामनिर्देशिती व्यक्ति नाबालिग है, तो अभिभावक का नाम, संबंध और पता, जो नामनिर्देशिती व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान रकम प्राप्त कर सकता है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं है और यदि भविष्य में मेरा परिवार बनता है, तो उपर्युक्त नामांकन रद्द माना जाएगा।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पिता/माता मुझ पर आश्रित हैं।

3. जो लागू न हो उसे काट दें।

कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त घोषणा और नामांकन पर मेरे समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया गया है, जो मेरे स्थापन में कार्यरत हैं। यह हस्ताक्षर उनके द्वारा प्रविष्टि/प्रविष्टियों को पढ़ने के पश्चात् या मेरे द्वारा उन्हें पढ़कर सुनाए जाने और उनके द्वारा पुष्टि किए जाने के पश्चात् किया गया है।

स्थान:

तारीख :

कारखाने/स्थापन का नाम और पता तथा उस पर लगी मुद्रा

कर्मचारी द्वारा पावती

मुझे मेरे द्वारा भरे गए और नियोक्ता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्ररूप-8 में नामांकन की प्रतिलिपि प्राप्त हुई।

तारीख :

कर्मचारी के हस्ताक्षर:

प्ररूप-8

(नियम 46 का उप नियम (2) देखें)

(क) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को जारी की जाने वाली सूचना का प्ररूप
(आवेदन का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

----- (आवेदक का नाम) ने मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन मुझे उपर्युक्त आवेदन किया है, अतः आपको एतद्वारा मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से या पूर्णतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए समन किया जाता है, तथा आवेदन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा या आपके द्वारा पूर्ण रूप से प्राधिकृत साथ आए किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने अपेक्षित हैं जो ----- 20 ---- के दिन -----

पूर्वाहन/अपराहन को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो या आवेदन में दावे का उत्तर देने में सक्षम होंगे क्योंकि उपस्थिति के लिए विनिर्दिष्ट दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत है, अतः आपको उस दिन अपने बचाव में सभी साक्षी जिनके साक्ष्य तथा सभी दस्तावेज जिन पर आप आश्रित हैं, को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऊपर उल्लिखित दिन को आपकी अनुपस्थित व्यतिक्रम होने पर, आवेदन पर सुनवाई की जाएगी तथा आपकी अनुपस्थिति में ही निपटा दिया जाएगा।

तारीख -----

प्राधिकारी के मुद्रा के साथ हस्ताक्षर

(ख) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को जारी की जाने वाली सूचना का प्ररूप (अपील का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

इस बात का संज्ञान लें कि मजदूरी संहिता 2019 की धारा 49 के अधीन एक अपील (जिसकी प्रति संलग्न है) यह अपील प्राधिकारी के समक्ष - ----- (अपील करने वाले का नाम) द्वारा प्रस्तुत की गई है, तथा अपील प्राधिकारी द्वारा इस अपील की सुनवाई के लिए - ----- 20 के ----- का ----- दिन --- ----- नियत किया गया है।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं या इस अपील में आपकी तरफ से कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो आपकी अनुपस्थिति में इस अपील पर सुनवाई की जाएगी तथा विनिश्चय किया जाएगा।

तारीख -----

प्राधिकारी के मुद्रा के साथ हस्ताक्षर

प्ररूप 9					
(नियम 51 का उपनियम (1) का खंड-III देखें)					
उपस्थिति रजिस्टर सह-हाजिरी सूची					
स्थापन का नाम					
नियोक्ता का नाम					
स्वामी का नाम					
स्थापन की रजिस्ट्रीकरण संख्या (श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) स्थापन की रजिस्ट्रीकरण संख्या)					
क्र. सं.	कर्मचारी कोड	नाम	पद	बदलाव	कार्यस्थल/अनुभाग/विभाग का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपस्थिति की तारीख और समय					
(7)					

तारीख	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समय	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना
हस्ताक्षर											

तारीख	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समय	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना
हस्ताक्षर										

तारीख	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
समय	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना	आ ना	जा ना
हस्ताक्षर										

कुल कार्य दिन की संख्या	कुल ओवरटाइम घंटों की संख्या	यदि कार्यस्थल से बाहर कोई दौरा या कार्य सौंपा गया हो, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरे।	रजिस्टर धारक के हस्ताक्षर*
(8)	(9)	(10)	(11)

*टिप्पण: यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखा जाता है तो यह अपेक्षित है।

परिशिष्ट क
[नियम 22, 23, 27 और 28 देखें]

इस परिशिष्ट में सभी कर्मचारियों को देय वार्षिक मजदूरी या मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल रकम 1,04,167 मानी गई है। तदनुसार अधिकतम बोनस जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के हकदार (सभी कर्मचारियों के वार्षिक मजदूरी या मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की रकम 2,50,000 रुपये होगी।

वर्ष	बोनस के रूप में आबंटित किए जाने योग्य उपलब्ध अतिरिक्त रकम के, यथास्थिति, 60 प्रतिशत या 67 प्रतिशत के बराबर रकम	बोनस के रूप में देय रकम	वर्ष का अग्रणीत सैट-ऑन या सैट ऑफ	कुल अग्रणीत सैट-ऑन या सैट ऑफ	
1	2	3	4	5	6
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	वर्ष (का)
1.	1,04,167	1,04,167**	शून्य	शून्य	
2.	6,35,000	2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 30,000 को सम्मिलित करते हुए)	शून्य	सैटऑन 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	सैट ऑन 1,25,000	सैट ऑन 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 1,10,000 को सम्मिलित करते हुए))	शून्य	सैट ऑन 1,10,000 1,25,000	(2) (4)
6.	3,10,000	2,50,000*	सैट ऑन 60,000	सैट ऑन शून्य + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (वर्ष-4 से 1,25,000 तथा वर्ष-6 से 25,000 को सम्मिलित करते हुए)	शून्य	सैट ऑन 35,000	(6)
8.	शून्य (हानि के कारण)	1,04,167**(वर्ष 6 से 35,000 को सम्मिलित करते हुए)	सैट ऑफ 69,167	सैट ऑफ 69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	सैट ऑफ 94,167	सैट ऑफ 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167** (वर्ष-8 से 69,167 तथा वर्ष-9 से 41,666 के सैट-ऑफ के पश्चात्)	शून्य	सैट ऑफ 52,501	(9)

* अधिकतम.

+ वर्ष 2 के व्यपगत से 1,10,000 रुपये के सैट ऑन से से अतिशेष

** न्यूनतम

**परिशिष्ट ख
सकल लाभ की संगणना**

[नियम 24 देखें]

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद सं.	विशिष्टियां	उप मदों की रकम	मुख्य मदों की रकम	टिप्पणियां
		रुपए	रुपए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*1.	प्रायिक तथा आवश्यक उपबंध करने के पश्चात् लाभ और हानि लेखा में यथा प्रदर्शित निवल लाभ।			
2.	निम्नलिखित के लिए उपबंधित रकम पीछे जोड़ दे: (क) कर्मचारियों को बोनस (ख) अवक्षयण (ग) विकास रिबेट आरक्षिति (घ) कोई अन्य आरक्षिति मद संख्या 2 का योग	रुपए.....		पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1) देखें
3.	निम्नलिखित को भी पीछे जोड़ दें: (क) कर्मचारियों को पूर्व लेखा वर्ष के लिए संदत्त बोनस। (ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के योग के आधिक्य में संदत्त या संदेय उपदान के लिए विकलित रकम- (i) किसी अनुमोदित उपदान निधि के लिए संदत्त किए जाने के लिए उपबंधित रकम, यदि कोई है; और (ii) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या किसी कारणवश उनका नियोजन समाप्त कर दि जाने पर उन्हें संदत्त वास्तविक रकम। (ग) आय कर के लिए अनुज्ञेय रकम के आधिक्य में संदाय। (घ) (वैज्ञानिक अनुसंधान पर उस पूंजीगत व्यय से भिन्न जिसकी जिसकी कटौती प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञात है) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न हैं, जिन पर आय कर हेतु अवक्षयण अनुज्ञात किया गया है। (ड.) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 34क की उपधारा (2)			पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1) देखें

	क अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित कोई रकम। (च) भारत के बाहर स्थित किसी कारबार की हानियां या तत्संबंधी व्यय। मद संख्या 3 का व्यय			
		रुपए.....		
4.	निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अभिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षिति में प्रत्यक्ष रूप से जमा किए गए हैं - (i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत अस्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर के लिए अवक्षयण को अनुज्ञात नहीं किया गया है); (ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां; (iii) भारत के बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय। मद संख्या 4 का सकल योग	रुपए.....		
5.	मद संख्या 1, 2, 3 और 4 का योग.....	रुपए.....		
6.	कटौती:- (क) पूंजीगत प्राप्तियों और लाभ (जो उन आस्तियों के विक्रय से हुए लाभों में भिन्न हैं, जिनपर अवक्षयण, आय-कर के लिए अनुज्ञात किया गया है)। (ख) भारत से बाहर स्थित किसी कारबार के लाभ तथा तत्संबंधी प्राप्तियां। (ग) भारत से बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय। (घ) निम्नलिखित से भिन्न वे व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षिति में से प्रत्यक्ष रूप से विकलित की गई हैं- (i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो उन पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न है, जिन पर अवक्षयण, आय-कर के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है); (ii) भारत से बाहर स्थित किसी कारबार की हानियां। (ड.) विदेशी बैंककारी कंपनियों की दशा में, प्रधान कार्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय कारबार के हिस्से में आना चाहिए। (च) पूर्व लेखा वर्ष के लिए संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर के किसी आधिक्य का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्ष के लेखे बोनस, अवक्षयण या विकास रिबेट संबंधी यदि कोई उपबंध अधिक्य यदि वह लेखा में पुनः प्रविष्ट किया गया है।			पाद टिप्पण (2) देखें पाद टिप्पण (2) देखें पाद टिप्पण (2) देखें पाद टिप्पण (3) देखें

	(छ) बजट संबंधी अनुदानों के माध्यम से किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित किसी निगमित निकाय द्वारा या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संदत्त नकद सहायिकी, यदि कोई हो। मद संख्या 6 का योग -----	रुपए.....		पाद टिप्पण (2) देखें
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद सं. 5-मद संख्या 6)		रुपए.....	पाद टिप्पण (2) देखें

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (ख) में, “अनुमोदित उपदान निधि” का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

* जहां लाभ को कराधान के अध्यक्षीन लाभ और हानि लेखा में रखा गया है और आय पर करों के लिए उपबंध को दर्शाया गया है, वहां आय पर करों के लिए वास्तविक उपबंध को लाभ से काट लिया जाएगा।

पाद – टिप्पण

(1) यदि वे और जिस विस्तार तक, वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(2) यदि वे और जिस विस्तार तक, वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।]

परिशिष्ट ग सकल लाभों की संगणना

[(नियम 25 देखें)]

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद सं	विवरण	उप-मदों के लिए रकम	मुख्य मदों के लिए रकम	टिप्पणी
		रु.	रु.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लाभ और हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ			
2.	निम्नलिखित के लिए उपबंधित रकम पीछे जोड़ दें: (क) कर्मचारियों को बोनस (ख) अवक्षयण। (ग) प्रत्यक्ष कर, जिसमें पिछले लेखा वर्षों के लिए उपबंध (यदि कोई हो) सम्मिलित है। (घ) विकास रिबेट/निवेश भत्ता/विकास भत्ता आरक्षिति। (ङ) कोई अन्य आरक्षिति मद संख्या 2 का कुल योग.....	रुपये.....		पादटिप्पण (1)देखें पादटिप्पण (1) देखें

3.	निम्नलिखित को भी पीछे जोड़ दें: (क) कर्मचारियों को पूर्व लेखा वर्ष के लिए संदत्त बोनस। (ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के योग के आधिक्य में संदत्त या संदेय उपदान के लिए विकलित रकम- (i) किसी अनुमोदित उपदान निधि के लिए संदत्त किए जाने के लिए उपबंधित रकम, यदि कोई है; और (ii) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या किसी कारणवश उनका नियोजन समाप्त कर दि जाने पर उन्हें संदत्त वास्तविक रकम। (ग) आय कर के लिए अनुज्ञेय रकम के आधिक्य में संदाय। (घ) लेखाधीन वर्ष के दौरान, आयकर अधिनियम की धारा 280घ के उपबंधों के अधीन देय कोई या देय किसी वार्षिकी का सांराशीकृत मूल्य। (ङ.) (वैज्ञानिक अनुसंधान पर उस पूंजीगत व्यय से भिन्न जिसकी जिसकी कटौती प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञात है) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न हैं, जिन पर आय कर हेतु अवक्षयण अनुज्ञात किया गया है। (च) भारत के बाहर स्थित किसी कारबार की हानियां या तत्संबंधी व्यय। मद संख्या 3 का व्यय	रूपये.....		पादटिप्पण (1) देखें पादटिप्पण (1) देखें

4	निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अभिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षिति में प्रत्यक्ष रूप से जमा किए गए हैं - (i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत अस्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर के लिए अवक्षयण को अनुज्ञात नहीं किया गया है; (ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां; (iii) भारत के बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय। मद संख्या 4 का सकल योग	रुपये..... ..		
5.	मद संख्या. 1,2,3 और 4... का सकल योग.....	रुपये..... ..		

6.	कटौती:- (क) पूंजीगत प्राप्तिओं और लाभ (जो उन आस्तियों के विक्रय से हुए लाभों में भिन्न हैं, जिनपर अवक्षयण, आय-कर के लिए अनुज्ञात किया गया है)। (ख) भारत से बाहर स्थित किसी कारबार के लाभ तथा तत्संबंधी प्राप्तियां। (ग) भारत से बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय। (घ) निम्नलिखित से भिन्न वे व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षिति में से प्रत्यक्ष रूप से विकलित की गई हैं- (i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो उन पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न है, जिन पर अवक्षयण, आय-कर के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है); (ii) भारत से बाहर स्थित किसी कारबार की हानियां। (ङ.) विदेशी बैंककारी कंपनियों की दशा में, प्रधान कार्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय कारबार के हिस्से में आना चाहिए। (च) पूर्व लेखा वर्ष के लिए संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर के किसी आधिक्य का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्ष के लेखे बोनस, अवक्षयण या विकास रिबेट संबंधी यदि कोई उपबंध अधिक्य यदि वह लेखा में पुनः प्रविष्ट किया गया है। (छ) बजट संबंधी अनुदानों के माध्यम से किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित किसी निगमित निकाय द्वारा या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संदत्त नकद सहायिकी, यदि कोई हो। मद संख्या 6 का योग -----			पादटिप्पण (2) देखें पादटिप्पण (2) देखें पादटिप्पण (2) देखें पादटिप्पण (3) देखें पादटिप्पण (2) देखें
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद सं. 5- मद संख्या 6)	रुपये..... ...		

स्पष्टीकरण।- मद 3 की उप-मद (कक) में, "अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड" का वही अर्थ है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में दिया गया है।

पाद टिप्पण:-

1. यदि, और उस सीमा तक, लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया।
2. यदि, और उस सीमा तक, लाभ और हानि खाते में क्रेडिट किया गया।
3. उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का) (7 मद संख्या) उस समेकित लाभ हानि खाते के अनुसार जो केवल-संकलित विश्व सकल लाभ से है। (में हो यथा समायोजित रूप में है 2 उपर्युक्त मद संख्या

परिशिष्ट घ
[नियम 24 देखें]

मद संख्या	नियोजक की श्रेणी	कटौती की जाने वाली अतिरिक्त रकम
(1)	(2)	(3)
1.	बैंकिंग कंपनी से भिन्न कंपनी	(i) उसके अधिमान प्राप्त शेयर पूंजी के संबंध में लेखा वर्ष के लिए संदेय लभांश जो ऐसी वास्तविक दर पर संशोधित हो, जिस पर ऐसे लभांश संदेय है; (ii) लेखा वर्ष के प्रारंभ पर जैसा कि संदत्त साम्य शेयर पूंजी का 8.5 प्रतिशत; (iii) लेखा वर्ष के प्रारंभ पर जैसा तुलन पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का 6 प्रतिशत जिसके अधीन पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ सम्मिलित है; परन्तु जहां नियोजक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कुल रूपये जिसकी कटौती की जानी है, वे उस संकलित मूल्य पर 8.5 प्रतिशत होंगी, जो भारत में उस कंपनी की शुद्ध विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों के संदर्भ में उसके चालू देयताओं की रूपये की (जो उस किसी रूपये से भिन्न है, जो चाहे तो उसके प्रधान कार्यालय द्वारा दिए गए किसी आदिदाय रकमयां अन्यथा या कंपनी द्वारा अपने प्रधान कार्यालय को दिए किसी ब्याज की रूपये कंपनी द्वारा प्रधान कार्यालय को देय दर्शाई गई है) कटौती करने के पश्चात है।
2.	बैंकिंग कंपनी	(i) उसकी अधिमान प्राप्त अंशपूंजी की बचत लेखा वर्ष के लिए संदेय लाभांश के ऐसी दर पर संबंधित है, जिस पर ये लाभांश संदेय है। (ii) लेखा वर्ष के आरंभ पर यथाविद्यमान उसकी प्रदत्त इक्यूटी शेयर पूंजी का 7.5 प्रतिशत; (iii) उसके तुलना पत्र में लेखा वर्ष के प्रारंभ पर यथादर्शित उसकी आरक्षित (रिजर्व) का 5 प्रतिशत, जिसके अधीन पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ भी सम्मिलित है। (iv) लेखा वर्ष की बाबत कोई रकम, जो उसके द्वारा – (क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन किसी आरक्षिती निधि को अंतरित की गई है; या (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या सूचना के अनुसार भारत में किन्हीं आरक्षितियों को अंतरित की गई है, उक्त दोनों में से जो भी अधिक हैं: परन्तु जहां बैंकिंग कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कटौती की जाने वाली रकम निम्नलिखित का योग होगी- (i) उसके अधिमान प्राप्त अंशधारियों को लेखा वर्ष के लिए ऐसी रकम पर जिसका उसकी कुल अधिमान प्राप्त अंश पूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसके कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है, उसकी दर से संदेय लाभांश जिस पर ऐसे लाभांश संदेय हैं;

		(ii) इस रूपयेका 7.5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल समादत्त साधारण अंशपूँजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसकी कुल कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है; (iii) उस रकम का 5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल प्रकटित आरक्षितियों से वही अनुपात है जो भारत में उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है; (iv) कोई रूपये जो लेखा वर्ष के संबंध में उसके द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाती है और जो पूर्वोक्त उपबंध के अधीन इस प्रकार जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से अधिक नहीं हैं।
3.	निगम	(i) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसकी समादत्त पूँजी का 8.5 प्रतिशत; (ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके कुल तुलन-पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का, यदि कोई हों, 6 प्रतिशत जिसके अधीन पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेनीत कोई लाभ भी है।
4.	सहकारी सोसायटी	(i) लेखा सोसायटी द्वारा अपने स्थापन में निहित उस पूँजी का 8.5 प्रतिशत, जो लेखा वर्ष प्रारंभ पर उसकी लेखा-बहियों से साक्ष्यित है; (ii) ऐसे रूपये जो लेखा वर्ष के संबंध में सहकारी सोसायटियों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरक्षित निधि में अग्रेनीत की गई हो।
5.	कोई अन्य नियोजक जो पूर्वोक्त श्रेणियों में से किसी में नहीं आता	उसके द्वारा अपने स्थापन में निवेश की गई पूँजी का 8.5 प्रतिशत जो लेखा वर्ष के प्रारंभ पर उसकी लेखा बहियों से यथा साक्ष्यित है: परन्तु जहां ऐसा नियोजक वह व्यक्ति है जिसपर आय-कर अधिनियम का अध्याय 22 लागू होता है, वहां उस अध्याय के उपबंधों के अधीन लेखा वर्ष के दौरान संदेय वार्षिक जमा रकम की भी कटौती की जाएगी: परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक कोई फर्म है, वहां उस लेखा वर्ष के संबंध में उस स्थापन से धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती के उपरान्त उसे व्युत्पन्न सकल लाभों के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की भी कटौती उस स्थापन के संचालन में भाग लेने वाले सब भागीदारों के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी किन्तु जहां भागीदारी करार, मौखिक या लिखित, ऐसे किसी भागीदार को पारिश्रमिक के संदाय के लिए उपबंध कराता है, तथा- (i) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से अनाधिक है, वहां ऐसी रकम 5 लाख रुपये से अनाधिक हो, जो ऐसे प्रत्येक भागीदार को संदेय है, या (ii) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से अधिक है वहां उतने प्रतिशत रुपये या ऐसे प्रत्येक भागीदार को 5 लाख रुपये की दर से परिकलित रुपये में से, जो भी कम हो, उस रुपये की, परन्तु के अधीन कटौती की जाएगी:या परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है, वहां- (i) लेखा-वर्ष के संबंध में उस स्थापन से ऐसे नियोजक को धारा-34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती करने के पश्चात् व्युत्पन्न सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की; या

		(ii) 5 लाख रुपये की, उक्त दोनों में से जो भी कम हो, कटौती ऐसे नियोजक के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी।

स्पष्टीकरण: स्तंभ 3 की मद संख्या 1(iii), 2(iii) और 3(ii) में दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अधीन कोई ऐसी रकम निम्न प्रयोजनों के लिए सम्मिलित नहीं हैं जो-

- (i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर के संदाय के, जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगा;
- (ii) धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किसी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए;
- (iii) ऐसे लाभांशों के संदाय, जो घोषित किए गए हैं, लेकिन जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में निर्दिष्ट रुपये से अतिरिक्त ऐसी रकम जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हैं, और

(ख) कोई ऐसी रकम, जो धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार इस रकम से अधिक रकम, जो किसी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए पृथक रखी गई है।

[फा. सं. पी-11023/03/2025-डब्ल्यूसी]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 343(E).—Whereas the draft of the Code on Wages (Central) Rules, 2025 were published as required under sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 936 (E), dated the 30th December, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the notification was made available to the public on the 30th December, 2025;

And whereas, suggestions and objections received from persons and stakeholders have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and in supersession of –

- (i) the Payment of Wages (Procedure) Rules, 1937;
- (ii) the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938;
- (iii) the Minimum Wages (Central) Rules, 1950;
- (iv) the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956;

- (v) the Payment of Wages (Procedure) Application to Scheduled employments Rules, 1962;
- (vi) the Payment of Wages (Manner of Recovery of excess Deductions) Rules, 1966;
- (vii) the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968;
- (viii) the Payment of Wages (Deductions for National Defence Fund and Defence Savings Scheme) Rules, 1972;
- (ix) the Payment of Bonus Rules, 1975;
- (x) the Equal Remuneration Rules, 1976; and
- (xi) the Payment of Undisbursed Wages (Air Transport Services) Rules, 1988;
- (xii) the Payment of Undisbursed Wages (Mines) Rules, 1989;
- (xiii) the Central Advisory Committee on Equal Remuneration Rules, 1991;
- (xiv) the Payment of Wages (Nomination) Rules, 2009;
- (xv) the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 2011;
- (xvi) the Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021;
- (xvii) the Ease of Compliance to Maintain Register under Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936),

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Code on Wages (Central) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires. —

- (a) “appeal” means an appeal under sub-section (1) of section 49;
- (b) “appellate authority” means the appellate authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 49;
- (c) “appendix” means Appendix annexed to these rules;
- (d) “authority” means the authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 45;
- (e) “Board” means the Central Advisory Board constituted by the Central Government under sub-

section (1) of section 42;

- (f) “Chairperson” means the Chairperson of the Board;
- (g) “Code” means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);
- (h) “Committee” means a committee appointed by the Central Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;
- (i) “day” means a period of twenty-four hours beginning at mid-night;
- (j) “electronically” means any information submitted by email or maintained or displayed on the designated portal or mobile application or website or digital payment in any mode for the purposes of the Code;
- (k) “form” means the forms appended to these rules;
- (l) “geographical area” means the areas notified by the Central Government from time to time.
- (m) “highly skilled occupation” means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for judgment or decision involved in the execution of such occupation;
- (n) “Inspector-cum-Facilitator” means a person appointed by the Central Government, under sub-section (1) of section 51;
- (o) “member” means a member of the Board;
- (p) “normal rate of wage” means wage as defined under clause (y) of section 2;
- (q) “registered trade union” means a trade union registered under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);
- (r) “section” means a section of the Code;
- (s) “semi-skilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;
- (t) “skilled occupation” means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;
- (u) “unskilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein, shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II

MINIMUM WAGES

3. Manner of calculating minimum rate of wages.—(1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed by the day basis keeping in view the criteria which shall be separately specified by the Central Government by special or general order:

Provided that the Central Government shall not fix the minimum wages of the Central Government employees under this Code.

(2) Where the rate of wages for a day is fixed, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such

division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

(3) In case there is less than six days working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for the day.

4. Interval for revision of variable dearness allowance.- The cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

5. Hours of work for normal working day. - (1) The number of hours of work which shall constitute normal working day for an employee whose wage period is on a daily basis shall be eight hours and interval for rest shall be in accordance with notification issued in this regard under Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(2) The number of hours of work which shall constitute a normal working day for an employee whose wage period is other than on a daily basis shall be so fixed that the total number of weekly working hours shall not exceed forty-eight hours.

6. Weekly day of rest.— (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed rest for one day in every week (hereinafter referred to as “the rest day”), in case of six-day working week which shall ordinarily be a Sunday and in case of less than six-days working week, the rest day shall include Saturday and Sunday, however, the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that in a six-days working week or less than six days working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees:

Provided further that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule, if he has worked under the same employer in case of six-days working week for a continuous period of not less than six days and in case of less than six-days working week for a continuous period of the stipulated number of working days, as the case may be:

Provided also that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment or electronically.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of days worked in a week specified in the second proviso to this sub-rule,

- (a) any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work;
- (b) any day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), and;
- (c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week, as the case may

be, immediately preceding the rest days.

(2) An employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he is allowed a substituted rest day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made, which shall result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day.

(3) Where any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any working days before or after the rest day, the rest day shall, for the purposes of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted for rest day, wages calculated at the rate applicable to the previous working day; where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the previous working day:

Provided that in case of six-days working week where—

(i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or

(ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and

(iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, the employee shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable at the overtime rate, which shall not be less than twice the normal rate of wages,

and, in case any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Chief Labour Commissioner (Central) or the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction may, on application made in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the employee shall be paid wages for the rest day on which he works, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the previous working day.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the words ‘previous working day’ means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the previous working day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression ‘week’ shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

7. Night shifts.—Where an employee works on a shift which extends beyond midnight, then, ——

- (i) a rest day for the whole day for the purposes of rule 6 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and
- (ii) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

8. Extent and conditions of working hours for certain categories of employees.- The number of working hours for certain categories of employees under sub-section (2) of section 13 may exceed the normal working hours, specified in rule 5:

Provided that the overtime of these categories of employees shall be as per section 14.

9. Longer wage period. - The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER III

FLOOR WAGES

10. Manner of fixing floor wage.- (1) For fixing the floor wage, the Central Government may consult the Board, taking into account the minimum living standard including the food, clothing, housing and any other factors considered appropriate by the Central Government from time to time.

(2) The consultation under sub-rule (1) may be circulated to all the State Governments for further consultation and their comments.

(3) The consultation of the Board and the views of the State Governments received may be considered before fixing the floor wage under sub-rule (1).

(4) The Central Government may revise the floor wage fixed under sub-rule (1) ordinarily at an interval not exceeding five years and undertake adjustment for variations in the cost of living periodically in consultation with the Board and the State Governments.

CHAPTER IV

PAYMENT OF WAGES

11. Payment of wages to contractual employee.- Where the employees are employed in an establishment through a contractor, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor, the amount payable in respect of the wages of employees in accordance with the provisions of the Code.

Explanation: -For the purpose of this rule, the expression “firm” shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

12. Payment of wages for less than normal working day.— An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, in case the employee had agreed to work on part time basis, as per the terms of the employment or not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

13. Recovery of deductions.— As per sub-section (4) of section 18, where the total deductions authorised under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent. of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period, in instalments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent. of the wages of the employee in that month.

14. Authority for approving acts and omissions.— The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for approving acts and omissions for the purposes of sub-section (1) of section 19.

15. Manner of exhibiting notice specifying acts and omissions.— A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed in physical form or electronically in Hindi, English and local language at the conspicuous place in the premises of the work place in which the employment is carried on and a copy of the notice shall be sent electronically or by speed post to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

16. Procedure for imposing fines.— (1) As per sub-section (3) of section 19, the employer shall give intimation electronically or in writing to the employee concerned specifying therein the particulars of acts and omissions done by the employee, warranting the imposition of fine, for showing cause within seven days.

(2) On establishment of charges, fine shall be imposed on the delinquent employee.

(3) Wherein no reply is received from the employee within the scheduled period, fine shall be imposed and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the imposition of such fine.

17. Intimation of deduction for absence from duty.—(1) When an employer intends to make any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, the employer shall intimate electronically or in writing to the employee concerned regarding their intention of making such deduction seeking their reply within a period of seven days and on establishment of charges, deduction shall be made from the wages of the employee in accordance with sub- section (3) of section 18.

(2) If no reply is received from the employee concerned within seven days, the employer shall make such deduction from the wages and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.

18. Procedure for deduction for damage or loss.—(1) Any employer intending to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee, shall give the employee an opportunity to submit explanation within a period of seven days, showing cause, the value of the damage caused or loss of goods expressly entrusted to the employee.

(2) On establishment of the charges, deductions shall be made from the wages of the employee in accordance with sub-section (3) of section 18.

(3) In case no reply is received from the employee concerned within seven days, the employer shall make such deduction from the wage of the employee concerned and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.

19. Conditions regarding recovery of advance:— The recovery of,—

(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23,

as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in instalments determined by the employer, so as any or all instalments in a wage period, shall not exceed fifty per cent of the wages of the employee subject to the ceiling specified in rule 13 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-IV.

20. Deduction for recovery of loans:— As per section 24, deductions for recovery of loans granted and the interest due in respect thereof shall be as per extant instructions or guidelines of the Central Government regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest that shall be payable thereon.

CHAPTER V

PAYMENT OF BONUS

21. Payment of bonus to contractual employee.- Where in an establishment, the employees are employed through a contractor and the contractor fails to pay the bonus under section 26, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay minimum bonus to the employees.

22. Calculation for sixth accounting year:— For the sixth accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (i) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Appendix A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off, in respect of the fifth and sixth accounting years.

23. Calculation for seventh accounting year:— For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Appendix A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh accounting years.

24. Computation of gross profits for banking company:— The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company under clause (a) of section 32, be calculated in the manner specified in Appendix B.

25. Computation of gross profits for other than banking company:— The gross profits derived

by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall, in a case other than banking company under clause (b) of section 32, be calculated in the manner specified in Appendix C.

26. Deduction of further sums from gross profit:— The further sums specified in respect of the employer in Appendix D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.

27. Manner of carrying forward when allocable surplus exceeds maximum bonus payable:— Under sub-section (1) of section 36, where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent. of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on upto and inclusive of the fourth accounting year to be utilised for the purpose of payment of bonus in the manner as illustrated in Appendix A.

28. Manner of carrying forward when there is no allocable surplus for payment of minimum bonus:— Under sub-section (2) of section 36, where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26 and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 27 which shall be utilised for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on upto and inclusive of the fourth accounting year in the manner as illustrated in Appendix A.

CHAPTER VI

CENTRAL ADVISORY BOARD

A. Procedure of Central Advisory Board

29. Constitution of the Board.- The Board shall be constituted under sub-section (1) of section 42 by the Central Government consisting of persons to be nominated by the Central Government.

30. Meeting of the Board. - The Chairperson of the Board may, subject to the provisions of rule 32, call a meeting of the Board at any time as deemed fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

31. Notice of meetings. - The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by speed post or electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days may be given to every member.

32. Functions of Chairperson. – The Chairperson shall-

(i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting; and

(iv) such other functions that the Central Government may assign from time to time.

33. Quorum:—No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and the employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to the members.

34. Disposal of business of Board.- All business of the Board shall be considered at the meeting of the Board and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

35. Method of voting.- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and held in the manner as the Chairperson may decide.

36. Proceedings of meetings.- (1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the Central Government as soon after the meeting *as possible* and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

37. Summoning of witnesses and production of documents:— (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses incurred in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

B. TERMS OF OFFICE OF MEMBERS OF BOARD

38. Term of office of members of Board.- (1) The term of office of the Chairperson and members, shall be three years commencing from the date of appointment or nomination, as the case may be:

Provided that the Chairperson or a member shall after the expiry of the said period of three years, continue to hold office until their successor is appointed or nominated.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place that independent member is nominated or till the time a regular incumbent joins.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the members of the Board shall hold office during the pleasure of the Central Government.

39. Travelling allowance. - (1) The travelling allowance of an official member of the Board shall be governed by the rules applicable to them for the journey performed on official duties and shall be paid by the authority paying the salary.

(2) The non-official members of the Board shall be paid travelling allowance for attending the meeting of the Board as per the instructions issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India from time to time.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression “official member” shall mean regular government officers, officiating as members of the Board in that capacity and “non-official member” shall be who are not “official members”.

40. Officers and staff of Board. - The Central Government may provide the necessary infrastructure, as it may think necessary for the proper functioning of the Board.

41. Eligibility for re-nomination of members of Board. - An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

42. Resignation of Chairperson and members of Board. - (1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign from the membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the Central Government.

(2) The resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the Board, the Chairperson shall submit a report to the Central Government immediately and the Central Government shall, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

43. Cessation of membership. - If a member of the Board fails to attend three consecutive meetings without prior intimation to the Chairperson, he shall cease to be a member thereof.

44. Disqualification. - (1) A person shall be disqualified for being nominated as and for being a member of the Board—

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

- (ii) if he is an un-discharged insolvent; or
- (iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a person has been subject to disqualification under sub-rule (1), the decision of the Central Government thereon shall be final.

CHAPTER VII

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, ETC.

45. Payment of undisbursed dues to nominees in case of death of employee :— (1) (a) In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 44, every employee shall make a declaration in Form-VII in physical form or electronically, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in the credit of the employee on the event of death, before that amount standing to the credit of such employee has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of the family:

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of the family shall be invalid:

Provided further that a fresh nomination towards the spouse of the employee shall be made by the employee on marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of the family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, the employee may by discretion, appoint any other person to be the guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, the nomination shall specify the amount or share payable to each of the nominees at employee's own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to the credit of the employee.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after the death or on account of whereabouts not being known of the employee and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining the identity of the employee within two months of the date on which the amount was so deposited.

46. Deposit of undisbursed dues in case of death of employee:— (1) Where any amount payable to an employee under clause (b) of sub-section (1) of section 44 remains undisbursed since no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee, all such amounts shall be deposited by the employer after the expiry of six-months from the date the amount become payable, with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount to be deposited under sub-clause (1) shall be through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Deputy Chief Labour Commissioner (Central).

47. Manner of dealing with deposit of undisbursed dues:— The undisbursed amount in sub rule (1) of rule 46 (hereinafter in this rule referred to as “the amount”) shall remain with the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) shall exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars as the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two local newspapers of vernacular language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned and also in two local newspapers in vernacular language in the area of permanent residence of the employee.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Deputy Chief Labour Commissioner (Central) has decided, after giving the opportunity of being heard.

(4) In case the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt as directed by the Central Government from time to time in this behalf.

CHAPTER VIII

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

48. Returns. - The returns shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the Forms under the Occupational, Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

49. Form and procedure for filing claims:— (1) A single application on behalf of or in respect of any number of or group of employees employed in the same establishment wherein their claims relate to the same wage period or any incident of discrimination, may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-II, manually or electronically along with documents specified in the said Form, before the authority notified by Central Government under sub-section (1) of section 45 to hear and determine claims which arise under the provisions of the Code.

(2) Where an application under sub-rule (1) is filed, the authority shall serve upon the employer electronically or by speed post, a notice in Form VIII to appear before them on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(3) In case where the employer or their representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application *ex-parte*.

(4) In case where the applicant or their representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause shown in advance, the authority may dismiss the application.

50. Procedure for filing appeal:— (1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III electronically or by speed post, along with documents mentioned by the appellant in the said Form, to the appellate authority having jurisdiction:

Provided that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal, the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

(2) Where an appeal under sub-section (1) of section 49 is entertained, the appellate Authority shall serve upon the respondent electronically or by speed post, a notice in Form VIII to appear before them on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) In case where the employer or their representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(4) In case where the applicant or their representative fails to appear on the specified date, the authority may dismiss the appeal.

51. Form of register, etc.- (1) The employer of all establishments to which the Code applies shall maintain under sub-section (1) of section 50, electronically or in physical form in the formats appended to these rules, the following registers:—

- (i) Employee Register in Form I;
- (ii) Register of Wages, Overtime, Advances, Fines and Deductions for Damage and Loss in Form IV; and
- (iii) Attendance Register-cum-Muster Roll in Form IX.

(2) All fines and all realisations referred to in sub-section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form - IV and the authority referred to in sub-section (8) shall be the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction.

(3) All deductions and realisations referred to in sub section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form IV.

(4) The registers maintained under these rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

52. Wage slip. -Every employer shall issue wage slips, electronically or in physical form to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

53. Manner of holding enquiry:— (1) Where a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as “the officer”) in respect of the offences referred to in said sub-section, either by an officer authorised for such purpose by the Central Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) or an Inspector-cum-Facilitator, the officer after considering such evidence as produced by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons

to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance.

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub-rule (1) appears or is produced before the officer, the officer shall explain the offence complained against and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty in accordance with the provisions of the Code and if the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced.

(3) The officer shall record in writing the statement of the witnesses on oath and in cross examination and take the documentary evidence on record.

(4) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide an opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.

(5) The officer shall after hearing the parties and considering the evidence both oral and documentary, decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

54. Manner of composition of offences:—(1) An accused person desirous of composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or manually to the Gazetted Officer notified under said sub-section.

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1) shall on receipt of such application, satisfy as to whether the offence is compoundable or not under the Code and, if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compound the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within thirty days of the order of composition issued by such officer.

(3) The compounding officer shall issue a composition certificate in Part-B of Form-VI within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in compliance of the composition notice.

(4) In case where a person so noticed fails to deposit the composition amount within the time specified by the compounding officer, prosecution shall be instituted before the competent court against such person for such offence in respect of which the compounding notice was issued.

(5) Where the offence has been compounded under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, the officer shall send a copy of such order for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for action under sub-section (6) of section 56.

FORM I (See clause (i) of sub-rule (1) of rule 51)	
EMPLOYEE REGISTER	
Name of the Establishment	
Name of the Employer	
Name of the Owner	
PAN/TAN of the Employer	
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)	
1. Employee Code	
2. Name	
3. Surname	
4. Gender	
5. Father's/Mother's/Spouse Name	
6. Date of Birth	
7. Place of Birth	
8. Nationality	
9. Education Level	
10. Date of Joining	
11. Designation	
12. Category (HS/S/SS/US)*	
13. Type of Employment (P/T/FT/T/B)**	
14. Details of Posting	
15. Pay	
16. Promotion	
17. Mobile Number	
18. Universal Account Number (UAN)	
19. PAN	
20. Nominee (To be filled on the basis of Nomination form)	
21. Details of Family	
22. EPS/NPS	
23. ESIC IP No.	
24. AADHAAR NO.	
25. Bank A/c Number	
26. Bank	
27. Branch (IFSC)	
28. Present Address	
29. Permanent Address	
30. Service Book No.	
31. Date of Exit	
32. Reason for Exit	
33. Mark of Identification	
34. Photo	
35. Specimen Signature/Thumb Impression	
36. Remarks	

* (Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

** (Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli)

FORM-II

[See sub rule (1) of rule 49]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]
BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON
WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR..... AREA..... Application No

..... of 20.....

Between ABC and (State the number).....other.....Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator

Address.....

And XYZ.....

Address..... The

application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from to..... as.....(category) in.....(establishment) Shri/M/s.....engaged in(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs.... Per day for the period(s) from.....to.....

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs Per day for the weekly days of rest from.....to...

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from.....to....

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from to..... (e)Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/ them on each amount as under:

(a) Rs.....

(b) Rs.....

(c) Rs..... Total

Rs.....

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest

(c) payment of wages at the overtime rates,

(d) compensation amounting to Rs.....

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated

Signature of thumb-impression of the
Employed person(s) of official of a
registered trade union duly authorized or
inspector-cum-Faciliator

Note:The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See sub rule (1) of rule 50)

APPEAL UNDER SECTION 49(1) OF THE CODE ON WAGES, 2019 BEFORE THE
APPELLATE AUTHORITY UNDER THE CODE ON WAGES, 2019

A.B.C

Address.....
.....APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address.....
RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:**1. Particulars of the order against which the appeal is made : Number**

and date :

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :**4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:**

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :—[Specify below

the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

..... Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use

Date of filing or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory

(See clause (ii) of sub rule (1) of rule 51)

[illegible][illegible]

Date of Payment	Receipt by employee/Bank transaction ID	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Signature of Employer/Employer Representative*
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)

*Note: Required in case register is maintained physically.

FORM V (See rule 52)	
WAGE SLIP	
Date of issue	
Name of the Establishment	
Address	
Period	
1. Name of employee	
2. Father's/Mother's/Spouse Name	
3. Designation	
4. UAN	
5. Bank Account Number	
6. Wage period	
7. Rate of wages payable	
a. Basic	
b. DA	
c. Allowances	
8. Total attendance/unit of work done	
9. Overtime wages	
10. Gross wages payable	
11. Total deductions	
a. PF	
b. ESI	
c. Others	
12. Net wages paid	
*Employer / Pay-in-charge signature	

Note: Required in case register is maintained physically

**FORM VI
Part - A**

[See sub rule (1) of rule 54]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant

:

2. Father's / Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Particulars of the offence:.....
.....
5. Section of the Code under which the offence is committed :
.....
6. Maximum fine provided for the offence under the Code :
.....
7. Whether prosecution against the applicant is pending or not
.....
8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.
.....
9. Any other information which the applicant desires to provide
.....

Dated:

Applicant (Name and signature)

PART – B
[See rule 54 (3)]

Composition Certificate

Ref: Notice No.....

Date:

This is to certify that the offence under sub-section of section 54 in respect of which Notice No. Dated: ____ was issued to Sh..... (Applicant), the employer of (name and registration number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs (Rupees _____) towards the composition of offences to the satisfaction of the said notice.

(Signature)
Name and Designation of the Officer

Date:

Place:

To:

.....(Employer/Establishment)

.....(Name and registration number)

.....(Address)

FORM-VII

(See clause (a) of sub rule (1) of rule 45) NOMINATION

FORM

1. Name of person making nomination:
(In block letters):
2. Father's/Spouse's Name:
3. Date of Birth:
4. Sex:

5. Marital Status:

6. Address:

Permanent:

Temporary:

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer in the event of my death:-

Name of nominee/nominees	Address	Nominee's relationship with the employee	Date of Birth	Total amount of share of accumulations in credit to be paid to each nominee	If the nominee is minor, name, relationship, and address of the guardian who may receive the amount during the minority of nominee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Certified that I have no family and if I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled.

2. Certified that my father/mother is/are dependent upon me.

3. Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt/Ku employed in my establishment after he/she has read the entry/entries or have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her in either of the cases. Signature of the employer or other authorised officer of the establishment and Designation Place:

Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof

ACKNOWLEDGEMENT BY THE EMPLOYEE

Received the duplicate copy of nomination in Form-VIII filed by me and duly certified by the employer. Date: _

Signature of the Employee

FORM VIII

(See sub rule (2) of Rule 49)

(A). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45

(Title of the application)

To

Name Address

Whereas (name of the applicant) has made the above said application tome under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question on the.....Day of.....20.....at.....AM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Date.....

Signature of the authority with seal

(B). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 49

(Title of the appeal)

To

Name Address

Take notice that an appeal (copy of which is enclosed) under section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by _____ (name of appellant) before this appellate authority, and that the _____ day of _____ 20_ has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by you in person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Date.....

Signature of the Appellate authority with seal

Form IX (See clause (iii) of sub rule (1) of Rule 51)					
ATTENDANCE REGISTER CUM MUSTER ROLL					
Name of the Establishment					
Name of the Employer					
Name of the Owner					
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)					
For the Month of					
Sl. No.	Employee Code	Name	Designation	Shift	Place of work/Section/Department
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date and Time of attendance (7)																						
Date	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																						

Date	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	
Signature																	
Date	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	
Signature																	
Total number of days worked		Total number of overtime hours worked				Brief details of tour or assignment outside the work place, if any										Signature of Register keeper*	
(8)		(9)				(10)										(11)	

*Note: Required in case register is maintained physically.

Appendix A

[See rules 22, 23, 27 and 28]

In this Appendix, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all the employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would be Rs. 2,50,000.

Year	Amount equal to sixty per cent. or sixty-seven per cent., as the case may be, of available surplus allocable as bonus	Amount payable as bonus	Set on or Set off of the year or carried forward	Total set on or set off carried forward	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Of (year)
1.	1,04,167	1,04,167**	Nil	Nil	
2.	6,35,000	2,50,000*	Set on 2,50,000*	Set on 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (inclusive of 30,000 from year-2)	Nil	Set on 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	Set on 1,25,000	Set on 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (inclusive of 1,10,000 from year-2)	Nil	Set on 1,10,000 1,25,000	(2) (4)

6.	3,10,000	2,50,000*	Set on 60,000	Set on Nil + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (inclusive of 1,25,000 from year-4 and 25,000 from year-6)	Nil	Set on 35,000	(6)
8.	Nil (due to loss)	1,04,167** (inclusive of 35,000 from year-6)	Set off 69,167	Set off 69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	Set off 94,167	Set off 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167** (after setting off 69,167 from year-8 and 41,666 from year-9)	Nil	Set off 52,501	(9)

* Maximum.

+ The balance of Rs. 1,10,000 set on from year-2 lapses.

** Minimum

Appendix B

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[See rule 24] Accounting year ending

Item No.	Particulars	Amount of sub-Items	Amount of main Items	Remarks
		Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*1.	Net Profit as shown in the Profit and Loss Account after making usual and necessary provisions.			
2.	Add back provision for:			
	(a) Bonus to employees			
	(b) Depreciation			
	(c) Development Rebate Reserve			See foot-note(1)
	(d) Any other reserves			
	Total of Item No. 2.....	Rs.....		See foot-note(1)

3.	Add back also: (a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years. (b) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of - (i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and (ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason. (c) Donations in excess of the amount admissible for income-tax . (d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax). (e) Any amount certified by the Reserve Bank of India in terms of sub-section (2) of section 34A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949). (f) Losses of, or expenditure relating to, any business situated outside India. Total of Item No.3.....	Rs.....		See foot-note(1) See foot-note(1)
4.	Add also income, profits or gains (if any) credited directly to published or disclosed reserves, other than- (i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on such depreciation has not been allowed for income-tax); (ii) profits of, and receipts relating to , any business situated outside India; (iii) income of foreign banking companies from investment outside India. Net total of Item No.4.....	Rs.....		
5.	Total of Item Nos.1, 2, 3 and 4..	Rs.....		

6.	Deduct : (a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax). (b) Profits of, and receipts relating to any business situated outside India. (c) Income of foreign banking companies from investments outside India . (d) Expenditure or losses (if any) debited directly to published or disclosed reserves, other than - (i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax); (ii) losses of any business situated outside India.			See foot-note (2)
				See foot-note (2)
				See foot-note (2)
				See foot-note (3)
	(e) In the case of foreign banking companies proportionate administrative (overhead) expenses of head-office allocable to Indian business. (f) Refund of any excess direct tax paid for previous accounting years and excess provision if any of previous accounting years, relating to bonus, depreciation or development rebate, if written back. (g) Cash subsidy, if any, given by the government or by anybody corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes . Total of Item No. 6	Rs.....		See foot-note (2)
				See foot-note (2)
7.	Gross profits for purposes of bonus (Item No. 5 minus Item No. 6)		Rs.....	

Explanation.— In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

* Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.

Foot-note:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

(3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)]

Appendix C

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[(See rule 25)] Accounting year ending.....

Item No.	Particulars	Amount. Of sub-Items	Amount. Of main Items	Remarks
		Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Net profit as per profit and loss account			
2.	Add back provision for : (a) Bonus to employees (b) Depreciation. (c) Direct taxes, including the provision (if any), for previous accounting years (d) Development rebate / investment allowance / development allowance reserve. (e) Any other reserves Total of Item No.2.....			See foot-note (1) See foot-note (1)
		Rs.....		
3.	Add back also : (a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years. (aa) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of- (i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and (ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason. (b) Donations in excess of the amount admissible for income-tax . (c) Any annuity due, or commuted value of any annuity paid, under the provisions of section 280D of the Income Tax Act during the accounting year.			See foot-note (1)

	(d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax or agricultural income-tax.). (e) Losses of , or expenditure relating to, any business situated outside India. Total of Item No.3.....	Rs.....		See foot-note (1)
4.	Add also income, profits or gains (if any) credited directly to reserves, other than- (i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax or agricultural income-tax); (ii) profits of, and receipts relating to, any business situated outside India; (iii) income of foreign concerns from investments outside India. Net total of Item No.4.....	Rs.....		
5.	Total of Item Nos. 1,2,3 and 4...	Rs.....		
6.	Deduct : (a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax or agricultural income-tax). (b) Profits of, and receipts relating to, any business situated outside India. (c) Income of foreign concerns from investment outside India. (d) Expenditure or losses (if any) debited directly to reserves, other than- (i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax ; or agricultural income-tax; (ii) losses of any business situated outside India. (e) In the case of foreign concerns proportionate administrative (overhead) expenses of head office allocable to Indian business.			See foot-note (2) See foot-note (2) See foot-note (2)

	(f) Refund of any direct tax paid for previous accounting years and excess provision, if any, of previous accounting years relating to bonus, depreciation, taxation or development rebate or development allowance, if written back. (g) Cash subsidy, if any, given by the government or by any body corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes. Total of Item No.6			See foot-note (3) See-foot-note (2)
7.	Gross Profits for purposes of bonus (Item No.5 minus Item No.6)	Rs.....		

Explanation.— In sub-item (aa) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

Foot-note:-

- (1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.
- (2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only)

Appendix D

[See rule 26]

Item No.	Category of employer	Further sums to be deducted
(1)	(2)	(3)
1.	Company, other than a banking company.	(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the actual rate at which such dividends are payable; (ii) 8.5 percent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year; (iii) 6 percent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year : Provided that where the employer is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act ,2013 (18 of 2013) , the total amount to be deducted under this item shall be 8.5 percent on the aggregate of the value of the net fixed assets and the current assets of the company in India after deducting the amount of its current liabilities (other than any amount shown as payable by the company to its Head Office whether towards any advance made by the Head Office or otherwise or any interest paid by the company to its Head Office) in India.

2.	Banking company	(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the rate at which such dividends are payable ; (ii) 7.5 per cent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year ; (iii) 5 percent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year; (iv) any sum which, in respect of the accounting year, is transferred by it- (a) to a reserve fund under sub-section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) ; or (b) to any reserves in India in pursuance of any direction or advice given by the Reserve Bank of India, whichever is higher: Provided that where the banking company is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act , 2013 (18 of 2013) , the amount to be deducted under this item shall be the aggregate of- (i) the dividends payable to its preference shareholders for the accounting year at the rate at which such dividends are payable on such amount as bears the same proportion to its total preference share capital as its total working funds in India bear to its total world working funds; (ii) 7.5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total paid up equity share capital as its total working funds in India bear to its total working funds. (iii) 5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total disclosed reserves as its total working funds in India bear to its total world working funds; (iv) any sum which, in respect of the accounting year, is deposited by it with the Reserve Bank of India under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , not exceeding the amount required under the aforesaid provision to be so deposited.]
3.	Corporation	(i) 8.5 per cent of its paid up capital as at the commencement of the accounting year; (ii) 6 per cent of its reserves, if any, shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year.
4.	Co-operative society	(i) 8.5 per cent of the capital invested by such society in its establishment as evidenced from its books of accounts at the commencement of the accounting year; (ii) such sums as has been carried forward in respect of the accounting year to a reserve fund under any law relating to co-operative societies for the time being in force.

5.	Any other employer not falling under any of the aforesaid categories	8.5 per cent of the capital invested in the establishment as evidenced from his books of accounts at the commencement of the accounting year: Provided that where such employer is a person to whom Chapter XXII-A of the income Tax Act applies, the annuity deposit payable under the provisions of that Chapter during the accounting year shall also be deducted: Provided further that where such employer is a firm, an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by it from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 34 by way of remuneration to all the partners taking part in the conduct of business of the establishment shall also be deducted, but where the partnership agreement, whether oral or written, provides for the payment of remuneration to any such partner, and - (i) the total remuneration payable to all such partners is less than the said 25 per cent the amount payable, subject to a maximum of five lakh rupees to each such partner; or (ii) the total remuneration payable to all such partners is higher than the said 25 percent, such percentage, or a sum calculated at the rate of five lakh rupees to each such partner, whichever is less, shall be deducted under this proviso: Provided also that where such employer is an individual or a Hindu Undivided Family - (i) an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by such employer from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 34; or (ii) five lakh rupees, whichever is less by way of remuneration to such employer, shall also be deducted.

Explanation.— The expression "reserves" occurring in column (3) against Item Nos. 1(iii), 2(iii) and 3(ii) shall not include any amount set apart for the purpose of-

- (i) payment of any direct tax which, according to the balance-sheet, would be payable;
- (ii) meeting any depreciation admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34;
- (iii) payment of dividends which have been declared, but shall include,-
 - (a) any amount, over and above the amount referred to in clause-(i) of this Explanation, set apart as specific reserve for the purpose of payment of any direct tax; and
 - (b) any amount set apart for meeting any depreciation in excess of the amount admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34.

[F. No. P-11023/03/2025-WC]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272336
CG-DL-E-08052026-272336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 308]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 342(अ).— औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2025 का प्रारूप, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना को समाविष्ट करने वाले इस राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 930 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2025 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना तारीख 30 दिसम्बर, 2025 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई थीं;

और, व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक विचार किया गया है;

अतः अब, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957, जहाँ तक वे भाग 2 तथा भाग 5 से 8 तक संबंधित हैं; और

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियम, 1946, जहाँ तक वे इन नियमों से संबंधित हैं का अधिक्रमण करते हुए

उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "संहिता" से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" से संहिता के प्रयोजनार्थ ई-मेल द्वारा प्रस्तुत अथवा नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड सूचना या किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों के लिए अनुसूची में उल्लिखित प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संहिता में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो इस संहिता में हैं।

3. संहिता के अधीन औद्योगिक स्थापनों के कतिपय प्राधिकारियों और अधिकारियों के संदर्भ- (1) विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में औद्योगिक विवाद के संबंध में केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के संदर्भ को ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है; और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के संदर्भ को उस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा उस निमित्त नियुक्त संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, संहिता की धारा 2 के खंड (ड) के संदर्भ में, यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि-

(क) किसी ऐसे उद्योग के संबंध में, जो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट उद्योग नहीं है, जो केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन चलाया जाता है, औद्योगिक स्थापन का प्रभारी अधिकारी उस स्थापन के संबंध में नियोक्ता होगा; और

(ख) केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए जाने वाले रेलवे से संबंधित उद्योग के संबंध में-

(i) किसी आंचलिक रेलवे के किसी स्थापन के मामले में आकस्मिक श्रमिक को छोड़कर, नियमित रेलवे कर्मचारियों के संबंध में, महाप्रबंधक उसका नियोक्ता होगा;

(ii) आंचलिक रेलवे से स्वतंत्र स्थापन के मामले में स्थापन का प्रभारी अधिकारी आकस्मिक श्रमिकों को छोड़कर नियमित रेलवे कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता होगा; और

(iii) किसी आंचलिक रेलवे या किसी आंचलिक रेलवे के किसी अन्य स्वतंत्र रेलवे स्थापन में नियोजित आकस्मिक श्रमिक के संबंध में प्रभारी जिला अधिकारी या प्रभाग कार्मिक अधिकारी या कार्मिक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता होगा।

4. समझौता ज्ञापन- (1) सुलह कार्यवाही के दौरान समझौता या नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सुलह कार्रवाई के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से किया गया लिखित समझौता प्ररूप-I में होगा।

(2) समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, -

(क) नियोक्ता द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, या जहां नियोक्ता एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय है, ऐसी कंपनी के अभिकर्ता, प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी या ऐसे अन्य निगमित निकाय द्वारा; और

(ख) श्रमिकों की ओर से, व्यवसाय संघ के निम्नलिखित किसी पदाधिकारियों द्वारा, अर्थात्:-

- (i) अध्यक्ष; या
- (ii) उपाध्यक्ष; या
- (iii) सचिव (महासचिव सहित); या
- (iv) संयुक्त सचिव; या
- (v) संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यवसाय संघ का कोई अन्य पदाधिकारी; या
- (vi) इस प्रयोजनार्थ आयोजित श्रमिकों की बैठक में इस संबंध में सम्यक रूप से अधिकृत कर्मचारों के पांच प्रतिनिधि।

(3) वैयक्तिक कर्मकार और नियोक्ता के बीच औद्योगिक विवाद के मामले में, नियोक्ता और संबंधित कर्मचारी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां सुलह की कार्यवाही के दौरान समझौता हो जाता है, सुलह अधिकारी विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ केंद्रीय सरकार को उसकी एक रिपोर्ट भेजेगा।

(5) जहां नियोक्ता और उसके कर्मचारी के बीच सुलह की कार्यवाही की प्रक्रिया के किसी अन्य रीति से समझौता हो जाता है, वहां समझौते के पक्षकार संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सुलह अधिकारी को उसकी एक प्रति भेजेंगे।

(6) सुलह अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले औद्योगिक विवादों के संबंध में नियम के अधीन किए गए सभी समझौतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट रजिस्टर में क्रम संख्या, उद्योग का नाम, समझौते के पक्षकार, समझौते की तारीख, टिप्पणियां और क्या सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद या आपसी बातचीत द्वारा समझौता किया गया था, सहित विवरण शामिल होंगे:

परन्तु समझौते पर सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगे जहां समझौते के लिए करार सुलह के बाहर किया गया हो।

परन्तु यह और कि इस नियम में कोई भी बात किसी कर्मकार या कर्मकारों या व्यवसाय संघ और किसी नियोक्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते को प्रतिबंधित नहीं करेगी और ऐसा समझौता प्ररूप-1 के अतिरिक्त किसी अन्य रूपविधान में हो सकता है।

अध्याय 2

द्वि-पक्षीय मंच

5. कार्य समिति और इसका गठन – (1) प्रत्येक नियोक्ता, जो संहिता की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए आदेश से संबंधित है वह नियोक्ता और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उपाय करने और इस उद्देश्य से, इस अध्याय में विनिर्दिष्ट, सामान्य हित या सरोकार के मामलों पर टिप्पणी करने के लिए, तत्काल एक कार्य समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में “समिति” कहा गया है) का गठन करेगा।

(2) (i) समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि औद्योगिक स्थापन में और उसके अनुभागों, दुकानों या विभागों में लगे कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों, समूहों और वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

(ii) समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी।

(iii) समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या, उसमें नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।

परन्तु जिस औद्योगिक स्थापन में महिला कर्मकार नियोजित हैं, वहां समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(3) समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधि, नियोक्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जहां तक संभव हो, वे औद्योगिक स्थापन के कार्यकरण से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी होंगे।

(4) जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के सदस्य हैं, वहां नियोक्ता ऐसे पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों से लिखित रूप में उसे निम्नलिखित सूचित करने के लिए अनुरोध करेगा कि -

(क) ऐसे कर्मकारों की संख्या जो पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के सदस्य हैं; और

(ख) यदि नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों द्वारा उसे दी गई सूचना झूठी है, तो वह ऐसे पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों को सूचित करने के पश्चात् मामले को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेज सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्नलिखित तरीके से समिति के कर्मकार के प्रतिनिधि को चुनने का उपबन्ध करेगा, अर्थात्: -

(क) संहिता की धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन वार्ताकारी संघ के मामले में, ऐसी वार्ताकारी संघ समिति के लिए कर्मकार प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेगी;

(ख) संहिता की धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, वार्ताकार परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ का समिति में नामांकन उस औद्योगिक स्थापन के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन के कर्मकार आपस में से समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे:

परन्तु नियोक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म पर निर्वाचन प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस खंड के अधीन समिति के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराने में सक्षम किया जा सके:

परन्तु यह और कि जहां कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ उप-नियम (4) के अधीन सूचना, मांगे जाने की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यवसाय संघ को इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे माना जाएगा मानो वह अस्तित्व में ही न हो:

परन्तु यह और कि जहां नियोक्ता द्वारा उप-नियम (4) के अधीन कोई संदर्भ दिया गया है, वहां उससे संबंधित कर्मकार के प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया, संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का निर्णय प्राप्त होने पर की जाएगी।

(6) यदि नियोक्ता उचित समझे तो वह निदेश दे सकता है कि कर्मकार, समूहों, अनुभागों, दुकानों या विभागों के माध्यम से मतदान करेंगे।

(7) कोई भी कर्मकार, जिसकी आयु उन्नीस वर्ष से कम न हो और जिसने औद्योगिक स्थापन में कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो, यदि नियम में यथाउपबंधित, नामनिर्दिष्ट किया गया हो, तो वह समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो सकता है:

परन्तु ऐसी सेवा अर्हता किसी औद्योगिक स्थापन के प्रथम निर्वाचन पर लागू नहीं होगी, जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोक्ता के दो या अधिक औद्योगिक स्थापनों में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है।

(8) सभी कर्मकार जिनकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं है और जिन्होंने औद्योगिक स्थापन में कम से कम छह महीने की निरन्तर सेवा की है, समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोक्ता के दो या अधिक औद्योगिक स्थापनों में कम से कम छह माह की निरन्तर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है।

(9) (i) नियोक्ता, समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के रूप में तारीख निर्धारित करते समय अन्य अपेक्षित विवरणों के साथ नामांकन फाइल करने के लिए तीन कार्य दिवसों की न्यूनतम समय अवधि प्रदान करेगा।

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट निर्वाचन कराने के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित तारीख नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिन के बाद नहीं होगी।

(iii) खंड (i) के अधीन निर्धारित की गई निर्वाचन की तारीख सात दिन पहले अधिसूचित की जाएगी और ऐसी सूचना, जिसमें निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी और औद्योगिक स्थापन के नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी और कर्मकारों के बीच पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

(10) (i) समिति में कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए प्रत्येक नामांकन, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नामांकन पत्र पर किया जाएगा तथा नियोक्ता द्वारा उसकी प्रतियां, कर्मकारों को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट प्रत्येक नामांकन पत्र उस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, जिससे वह संबंधित है और उस समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व निर्वाचन चाहने वाला अभ्यर्थी करता है, और उसे नियोक्ता को दिया जाएगा।

(11) (i) नामांकन पत्र फाइल करने के लिए निर्धारित अंतिम दिन के अगले दिन, नियोक्ता द्वारा उम्मीदवारों और सत्यापन करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो नामांकन वैध नहीं होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ii) किसी नामांकन पत्र को खंड (i) के अधीन वैध नहीं माना जाएगा, यदि-

(क) नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार उप-नियम (7) के अधीन उम्मीदवार होने के लिए अपात्र है; या

(ख) उप-नियम (10) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है:

परन्तु जहां कोई उम्मीदवार या सत्यापनकर्ता व्यक्ति, जांच के समय उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो उम्मीदवार इस प्रयोजन के लिए विधिवत् प्राधिकृत नामनिर्देशिनी को भेज सकेगा।

(12) कोई भी उम्मीदवार जिसका निर्वाचन के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर अपना नाम वापस ले सकता है।

(13) (i) किसी कारणवश यदि समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए वैध रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ii) जहां किसी औद्योगिक स्थापन में समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए वैध रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या, उसे आवंटित सीटों की संख्या से अधिक है, वहां मतदान निर्वाचन के लिए नियत दिन पर होगा।

(14) (i) समिति के अधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव होगा।

(ii) नियोक्ता द्वारा समिति का अध्यक्ष समिति के नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह, जहां तक संभव हो, औद्योगिक स्थापन का प्रमुख होगा।

(iii) उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाएगा:

परन्तु उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत बराबर होने की स्थिति में मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(iv) समिति के सचिव और संयुक्त सचिव का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।

(v) समिति सचिव और संयुक्त सचिव का निर्वाचन करेगी, जहां सचिव का निर्वाचन नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से किया जाता है, वहीं संयुक्त सचिव का निर्वाचन कर्मकारों के प्रतिनिधियों में से किया जाएगा और इसके विपर्ययनः

परन्तु सचिव या संयुक्त सचिव का पद, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता या कर्मकारों के किसी प्रतिनिधि द्वारा लगातार तीन वर्षों तक धारण नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव, जैसा मामला हो, के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे और कर्मकारों के प्रतिनिधि ही सचिव या संयुक्त सचिव के पद के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे:

परन्तु यह भी कि इस उप-नियम के अधीन निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में, मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(15) (i) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य को छोड़कर समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(ii) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया प्रत्येक सदस्य अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(iii) किसी कारण वश यदि कोई सदस्य समिति से अनुमति प्राप्त किए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता जब्त कर ली जाएगी।

(16) यदि कामगार का प्रतिनिधि, उप-नियम 15 के उप-खंड (iii) के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है या औद्योगिक स्थापन में नियोजित नहीं रहता है या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में, समिति की शेष अवधि के लिए इस नियम के उपबंधों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी का चयन उसी समूह से किया जाएगा जिससे पद खाली करने वाला सदस्य संबंधित था।

(17) समिति को परामर्शी क्षमता में चर्चा के अधीन किसी मामले का विशेष या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले औद्योगिक स्थापन में नियोजित व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा और ऐसा सहयोजित सदस्य वोट देने का हकदार नहीं होगा और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित रहेगा, जिसके दौरान विशेष प्रश्न समिति के समक्ष हो।

(18) (i) समिति आवश्यकता अनुसार कितनी भी बैठक कर सकती है लेकिन तीन महीने में एक बैठक अनिवार्य है।

(ii) समिति अपनी पहली बैठक में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(19) (i) नियोक्ता समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा तथा समिति का कार्य संचालित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।

(ii) समिति की बैठक, सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक स्थापन के कार्य समय के दौरान होगी तथा बैठक में उपस्थित होने पर कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।

(iii) समिति का सचिव, अध्यक्ष की पूर्व अनुमोदन से, औद्योगिक स्थापन के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के संबंध में सूचना लगाएगा।

(20) नियोक्ता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन इस संबंध में बनाए गए नियमों में प्रदान की गई एकीकृत वार्षिक रिटर्न के एक भाग के रूप में समिति के गठन और कामकाज का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(21) केन्द्रीय सरकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, किसी भी समिति को किसी भी समय, लिखित रूप में कारण अधिलिखित करके एक आदेश द्वारा, यह समाधान हो जाने पर भंग कर सकेगा कि समिति का गठन इस नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है या कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्य बिना किसी उचित औचित्य के समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहे हैं या समिति ने किसी अन्य कारण से कार्य करना बंद कर दिया है:

परन्तु जहां समिति इस उप-नियम के अधीन विघटित कर दी जाती है, वहां नियोक्ता और यदि ऐसा अपेक्षित हो, केन्द्रीय सरकार यथास्थिति ऐसे अधिकारी द्वारा इस नियमों के अनुसार समिति का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठा सकेगी।

6. शिकायत निवारण समिति - (1) बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक स्थापन में शिकायत निवारण समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में शिकायत समिति कहा गया है) नियोक्ता और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या से मिलकर बनेगी, जो दस सदस्यों से अधिक नहीं होगी।

(2) शिकायत समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधि नियोक्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जहां तक संभव हो, वे औद्योगिक स्थापन के कार्यकरण से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी, अधिमानतः औद्योगिक स्थापन के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे।

(3) शिकायत समिति में कर्मकार प्रतिनिधि का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) जहां संहिता के धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन कोई वार्ताकारी संघ है, वहां, ऐसी वार्ताकारी संघ शिकायत समिति में कर्मकार के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेगी;

(ख) संहिता की धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ का नामनिर्देशन, शिकायत समिति में औद्योगिक स्थापन के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन के कर्मकार आपस में से शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चयन करेंगे:

परन्तु नियोक्ता इस खंड के अधीन कर्मकार प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नियोजित कर सकता है:

परन्तु शिकायत समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(4) शिकायत समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(5) जहां कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है और यदि शिकायत समिति में कर्मकार के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेजा जा सकता है, जो पक्षों को सुनने के पश्चात् मामले का निर्णय करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

7. शिकायत समिति को आवेदन के लिए - (1) कोई भी पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायत का उल्लेख करते हुए शिकायत समिति के समक्ष आवेदन फाइल कर सकता है, जिसमें उसका नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड या टोकन नंबर, विभाग जहां वह

तैनात है, वर्षों में उसकी सेवा की अवधि, कर्मचारी की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क नंबर, शिकायतों का व्यौरा और उसके लिए मांगी गई राहत का विवरण दिया गया हो।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या किसी और तरीके से भेजा जा सकता है।

(3) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, मामले के घटित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर फाइल किया जाएगा।

8. सुलह अधिकारी के लिए आवेदन- कोई भी कर्मचारी जो शिकायत समिति के निर्णय से व्यथित है या जिसकी शिकायत का समाधान आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया गया है, वह श्रम और रोजगार मंत्रालय के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर या त्वरित डाक द्वारा, या व्यक्तिगत रूप से, शिकायत समिति के निर्णय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर या तारीख से जिससे संहिता की धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है जैसा भी मामला हो, व्यवसाय संघ के माध्यम से सुलह अधिकारी को जिसका वह सदस्य है ऑनलाइन आवेदन फाइल कर सकता है।

परन्तु त्वरित डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से इस तरह के आवेदन की मैन्युअल प्राप्ति के मामले में, सुलह अधिकारी उसी को डिजिटाइज करेगा और व्यवसाय संघ और कार्यकर्ता को सूचित करते हुए ऑनलाइन तंत्र में आवेदन का विवरण फाइल करेगा।

अध्याय 3

व्यवसाय संघ

9. वार्ताकारी संघ अथवा संघ परिषद को मान्यता देने की रीति:-

(1) वार्ता संबंधी मामले.- श्रमिकों से संबंधित मामले, जो वार्ताकारी संघ या वार्ता परिषद, जैसा भी मामला हो, संहिता की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता के साथ वार्ता करेंगे, नीचे विनिर्दिष्ट हैं:-

- (i) कर्मकारों के ग्रेडों और वर्गों का श्रेणीकरण;
- (ii) औद्योगिक स्थापन में लागू स्थायी आदेशों के अधीन नियोक्ता द्वारा पारित आदेश,
- (iii) वेतन अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि, परम्परागत छूट या विशेषाधिकार, प्रतिपूरक तथा अन्य भत्तों सहित कर्मकारों का वेतन,
- (iv) कर्मकारों के कार्य घंटे, उनके विराम दिवस, सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विराम अंतराल, पालियों की कार्यशीलता:
- (v) वेतन सहित छुट्टी और अवकाश,
- (vi) प्रोन्नति एवं स्थानांतरण नीति और अनुशासनिक कार्य विधि:
- (vii) कर्मकारों के लिए क्वार्टर आवंटन नीति:
- (viii) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं और इससे संबंधित मानक:
- (ix) सेवा की शर्तों और रोजगार के निबंधन से संबंधित अन्य विषय जो पूर्वोक्त खंडों में शामिल नहीं हैं; और
- (x) औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता तथा वार्ताकारी संघ व परिषद के बीच सहमत अन्य कोई विषय।

(2) संहिता की धारा 14 की उप-धारा 2 के अधीन एकमात्र पंजीकृत वार्ताकारी संघ को मान्यता देने का मापदंड - जहां पर किसी औद्योगिक स्थापन में केवल एक पंजीकृत संघ काम कर रही है जिसके औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों के

कम से कम तीस प्रतिशत सदस्य हैं तब ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता ऐसी व्यवसाय संघ को कर्मकारों की एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा।

(3). संहिता की धारा 14 की उप-धारा (3) और (4) के अधीन व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की रीति- (क) (i) केंद्रीय सरकार औद्योगिक स्थापन में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के उद्देश्य के लिए एक सत्यापन अधिकारी (इसमें इस अध्याय के पश्चात् सत्यापन अधिकारी कहा गया है) नियुक्त करेगी जिसका औद्योगिक स्थापन में किसी भी व्यवसाय संघ में कोई हित नहीं होगा जिसकी सदस्यता का सत्यापन उसके द्वारा किया जाना है।

परन्तु वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, को मान्यता देने की प्रक्रिया संहिता के अधीन नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, की विद्यमान मान्यता अवधि की पदावधि समाप्ति होने के तीन महीने से पहले आरंभ की जाएगी।

(ii) सत्यापन अधिकारी सदस्यता सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सत्यापन अधिकारियों की सेवा का उपयोग कर सकता है।

(iii) सत्यापन अधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में औद्योगिक स्थापन में सदस्यता सत्यापन का कार्य करेगा।

(ख) औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता सभी खर्चों को वहन करेगा और खंड (क) के अधीन व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के संबंध में व्यवस्था करेगा।

(ग) व्यवसाय संघ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर औद्योगिक स्थापन के नियोक्ताओं को कर्मकारों की वार्ताकार संघ अथवा वार्ताकारी परिषद के प्रतिनिधियों, जैसा मामला हो, का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन करेंगी:-

(i) ऐसे संघ के पास व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020) का 35) जैसी भी स्थिति हो, के अधीन, वैध पंजीकरण होना चाहिए, और

(ii) व्यवसाय संघ में मान्यता के आवेदन के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, सदस्यों की सूची की प्रति, सदस्यता अभिदान विवरण और व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार के पास जमा कराई गई व्यवसाय संघ की नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति संलग्न हो।

(घ) (i) यदि संहिता के अधीन वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद गठित की गई है तो औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता, वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पर्याप्त समय से पहले लेकिन वह अवधि तीन महीने में अधिक न हो, वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पहले कार्रवाई आरंभ करेगा:

(ii) व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजनार्थ तारीख की गणना औद्योगिक स्थापन के सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी;

(iii) स्थापना का नियोक्ता व्यवसाय संघों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और अभिलेखों को सत्यापन अधिकारी के पास भेजेगा;

(iv) दस्तावेजों और अभिलेखों के प्राप्त होने पर सत्यापन अधिकारी व्यवसाय संघ के पंजीकरण की प्रास्थिति और संबंधित मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए व्यवसाय संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों या प्रलेखों की जांच करेगा;

(v) सत्यापन अधिकारी औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता और सभी प्रतिभागी संघों के प्रतिनिधियों के साथ गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया में निर्णय करने के लिए बैठक आयोजित करेगा,

(vi) नियोक्ता सत्यापन अधिकारी के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफार्म या इसी प्रकार के प्लेटफार्म पर निर्वाचन प्रक्रिया कराने के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है।

(4) गुप्त मतदान के माध्यम से सदस्यता का सत्यापन- (क) सत्यापन अधिकारी वास्तविक मतदान की तारीख से 60 दिन पहले निम्नलिखित पर निर्णय करने के लिए औद्योगिक स्थापन में कार्यरत सभी पंजीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करेगा -

- (i) मतदाता सूची का प्रकाशन;
- (ii) मतदान की तारीख, समय, विधि, मतदान का स्थान;
- (iii) मतगणना की तारीख, समय और गणना स्थान; और
- (iv) गुप्त मत से संबंधित अन्य कार्य रीतियां

(ख) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त को तैयार कराएगा और सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों से हस्ताक्षर कराएगा।

(ग) सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों को इसी बैठक में निर्वाचन चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

(घ) यदि किसी कारणवश तारीख, समय, मतदान की विधि, मतदान के स्थान, निशान के आवंटन, गणना की तारीख, समय और स्थान तथा इसी प्रकार के विषयों पर बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब सत्यापन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और वह ऐसे गुप्त मतदान की समय सूची, कार्यक्रम तथा कार्य विधि को प्रकाशित करेगा।

(ङ) सभी कर्मकार, जिनके नाम गणना की तारीख में औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल पर लिखे गए हैं, अपना मत देने के लिए पात्र होंगे।

(च) मतदाता सूची औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता द्वारा खंड (ङ) में उल्लिखित मस्टर रोल पर लिखे गए श्रमिकों के नाम के आधार पर तैयार की जाएगी और मतदाता सूची में नाम, पिता का नाम, पदनाम, नियोक्ता द्वारा जारी कर्मकार संख्या/पहचान पत्र संख्या और कर्मकार की तैनाती का स्थान का उल्लेख होगा।

(छ) अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नियोक्ता द्वारा सत्यापन अधिकारी का अनुमोदन लेने के पश्चात किया जाएगा और उसे औद्योगिक स्थापन के प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस मतदाता सूची के अंतिम रूप दिए जाने के दो दिनों के भीतर इसकी एक प्रति प्रतिभागी व्यवसाय संघों को दस्ती रूप में या त्वरित डाक द्वारा अथवा इलैक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा भेजी जाएगी।

(ज) सत्यापन अधिकारी सूची को अंतिम रूप देने के दो दिनों के भीतर औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड पर और वेबसाइट, यदि कोई हो, उन्हें आवंटित चिह्न के साथ भाग लेने वाली व्यवसाय संघों के नाम की सूची प्रदर्शित करेगा।

(झ) मतदान और वोटों की गिनती सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर की जाएगी और गिनती के दौरान सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों के अभिकर्ताओं को उपस्थित रहने की अनुमति होगी;

(ञ) वोटों की अंतिम गिनती होने के बाद सत्यापन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें निर्वाचन में भाग लेने वाली सभी व्यवसाय संघों के नामों, डाले गए मतों की कुल संख्या और प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसने निर्वाचन में भाग लिया है, के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या का उल्लेख होगा।

(5) सत्यापन रिपोर्ट - सत्यापन अधिकारी, औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता को परिणामशीट के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक के रूप में व्यवसाय संघ को मान्यता – (क) सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता, किसी व्यवसाय संघ को वार्ताकार संघ अथवा वार्ता परिषद के घटक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन प्रदान की गई मान्यता चाहे व वार्ताकारी संघ के रूप में हो या वार्ताकार परिषद के रूप में हो। मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्षों तक वैध होगी अथवा ऐसी आगामी किसी अवधि तक, कुल 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जैसाकि नियोक्ता और वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद मान्यता, जैसा भी मामला हो, पारस्परिक सहमति से निर्धारित किया जाए।

(7) औद्योगिक स्थापन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ - (क) ऐसे औद्योगिक स्थापन में, जहां वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद हो, वहां का नियोक्ता निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे, अर्थात:-

- (i) वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद की गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ नोटिस बोर्ड,
- (ii) अनुसूची के अनुसार वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद द्वारा चर्चा करने हेतु आयोजन स्थल और अपेक्षित सुविधाएं एवं औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता तथा वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद जैसा भी मामला हो, के बीच निपटान किए जाने हेतु कार्यसूची;
- (iii) वार्ताकार संघ के सदस्यों या वार्ताकार परिषद के घटकों के बीच चर्चा के लिए आयोजन स्थल और आवश्यक सुविधाएं;
- (iv) कर्मकारों की कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक स्थापन में वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा,
- (v) तीन सौ या अधिक श्रमिकों वाले औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद को आवश्यक सुविधाओं के साथ उपयुक्त कार्यालय आवास प्रदान करेंगे।

(ख) औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता कर्मकार की लिखित सहमति के आधार पर व्यवसाय संघके सदस्यों की सदस्यता में कटौती करेगा।

(ग) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के पदाधिकारियों को सहमत कार्यक्रम के अनुसार नियोक्ता के साथ बैठकें करते समय झूटी पर माना जाएगा

(8) प्राधिकरण के समक्ष विवाद के अधिनिर्णयन के लिए आवेदन - जहां निम्नलिखित के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है—

- (i) किसी एक व्यवसाय संघ या अन्य के बीच, अथवा
- (ii) किसी एक या एक से अधिक कर्मकारों के बीच, जो व्यवसाय संघों के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के बीच पंजीकरण, प्रशासन अथवा प्रबंधन अथवा व्यवसाय संघके पद धारकों के निर्वाचन के संबंध में, अथवा
- (iii) एक या अधिक कर्मकार जो व्यवसाय संघ के सदस्य के रूप में नामांकन में वंचित हैं, अथवा
- (iv) जहां विवाद व्यवसाय संघके संबंध में है, जो व्यवसाय संघों का संघ है और व्यवसाय संघ द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी पद धारक को प्राधिकृत किया गया हो,

तब प्रभावित कर्मकार अथवा वार्ताकार संघ, जैसी भी स्थिति हो, विवाद उत्पन्न होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक से प्ररूप-2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4 स्थायी आदेश

10. मॉडल स्थायी आदेश - खान क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में औद्योगिक स्थापनों के संबंध में संहिता के प्रयोजनों के लिए मॉडल स्थायी आदेश वे होंगे जो मॉडल स्थायी आदेश, 2026 के अधीन किए गए हैं।

प्रमाणन अधिकारी को सूचना अग्रेषित करना (1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित मामलों के संबंध में संहिता की धारा 29 में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाता है, तो वह संबंधित प्रमाणन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या त्वरित डाक द्वारा, उस विशिष्ट तारीख को सूचित करेगा जिससे मॉडल स्थायी आदेशों के उपबंधों को अपनाया गया है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अपनाया गया मॉडल स्थायी आदेश औद्योगिक स्थापन और इसकी सभी इकाइयों पर लागू होगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, प्रमाणन अधिकारी उस औद्योगिक स्थापन का विवरण दर्ज करेगा जिसने नियम 17 में निर्दिष्ट रजिस्टर में मॉडल स्थायी आदेश को अपनाया है।

(4) जहां प्रमाणन अधिकारी यह पाता है कि औद्योगिक स्थापन, जिसने मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाने की सूचना दी है, वह मॉडल स्थायी आदेशों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसके लिए मॉडल स्थायी आदेश अपनाए गए हैं, वह इस प्रकार अपनाए गए मॉडल स्थायी आदेशों की सूचना प्राप्त होने से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे निर्देश दे सकता है कि नियोक्ता कुछ उपबंधों को शामिल करेगा या अपनाएगा जो उसके औद्योगिक स्थापन के लिए सुसंगत हैं और ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इसका अनुपालन करने के लिए उन सुसंगत उपबंधों को इंगित करेगा और केवल उन उपबंधों के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा जिन्हें प्रमाणन अधिकारी ने शामिल करने का निर्देश दिया है।

(5) यदि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणन अधिकारी द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया जाता है, तो मॉडल स्थायी आदेश को प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया माना जाएगा।

(6) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंध उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होंगे।

(7) प्रमाणन अधिकारी कोई टिप्पणी नहीं करेगा, यदि औद्योगिक स्थापन उन गतिविधियों में लगा हुआ है जो उनके द्वारा पूरी तरह से कवर हैं, उन पर स्थायी आदेश लागू होते हैं।

11. जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम में कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करना –

(1) जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां प्रमाणकर्ता अधिकारी या उसकी ओर से कोई प्राधिकृत अधिकारी, उनके प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कर्मकारों की बैठक बुलाएगा, जिनके चुने जाने पर वह स्थायी आदेश या संशोधन, जैसी भी स्थिति हो, की एक प्रति, कर्मकारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नोटिस जारी करेगा, जिसमें टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई

हों, अपेक्षित होंगे, जिन्हें कर्मकार स्थायी आदेश के प्ररूप पर देना चाहें, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने हैं।

(2) व्यवसाय संघ या वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक को, यथास्थिति, प्रारूप स्थायी आदेश या संशोधन की एक प्रति उस भाषा में दिया जाएगा जिसे अधिकांश कर्मकार जानते हैं, ताकि इस नियम में सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उनसे उनकी टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई हों, मांगे जा सकें।

12. प्रमाणित स्थायी आदेश का अधिप्रमाणन - प्रमाणित स्थायी आदेश या स्थायी आदेशों में किए गए संशोधनों को प्रमाणन अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और उसे ऐसे अधिप्रमाणन की तारीख से सात दिन के भीतर नियोक्ता और सभी पंजीकृत व्यवसाय संघों या कर्मकारों के चुने हुए प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और उसकी हार्ड कॉपी त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी:

परंतु धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन समझे गए प्रमाणन के मामलों में तथा ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों को अंगीकार किए जाने को प्रमाणित कर दिया है, इस नियम के अधीन प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

13. प्रारूप स्थायी आदेश के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण- (1) प्रारूप स्थायी आदेश के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में, संबंधित औद्योगिक स्थापन या उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क संख्या और उसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या और व्यौरा, जिसमें व्यवसाय संघों, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होगा, जिससे ऐसे कर्मकार संबंधित हैं।

(2) किसी विद्यमान स्थायी आदेश में प्रारूप संशोधन के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में ऐसे स्थायी आदेश का विवरण होगा जिसे संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण होगा जिसमें प्रवृत्त उस स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध और उसमें प्रस्तावित संशोधन तथा उसके कारणों का विवरण होगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण पर औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) आदर्श स्थायी आदेश, यदि संशोधित किए जाते हैं, तो देश में औद्योगिक स्थापन या उपक्रम की सभी इकाइयों पर भी लागू होंगे।

14. समान स्थापन में प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें - समान औद्योगिक स्थापनों में लगे नियोक्ताओं के समूह के मामले में, वे संबंधित व्यवसाय संघ के परामर्श के बाद धारा 30 के अधीन स्थायी आदेश का एक संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा इन नियमों के उपबंध लागू होंगे।

परन्तु समान औद्योगिक स्थापनों में लगे नियोक्ताओं के समूह के मामले में, स्थायी आदेशों का संयुक्त प्रारूप तैयार किया जाएगा और अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित प्रमाणकर्ता अधिकारियों के परामर्श से, इसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों को प्रमाणित करेगा:

परन्तु यह भी कि प्रमाणकर्ता अधिकारी सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देगा तथा स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करेगा।

15. अपील का निपटान - (1) कोई नियोक्ता या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ता परिषद, या जहां किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां कोई संघ या औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों का ऐसा प्रतिनिधि निकाय, धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन किए गए प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सारणीबद्ध रूप में अपील का ज्ञापन

तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों का, जिन्हें परिवर्तित या संशोधित या हटाया या जोड़ा जाना अपेक्षित है, कारण सहित उल्लेख होगा और उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से फाइल करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और उसकी सूचना देने का निदेश देगा, -

- (क) जहां अपील नियोक्ता द्वारा फाइल की जाती है, वहां यथास्थिति, व्यवसाय संघ या वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद् को, या जहां औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कोई वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद् नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को;
- (ख) जहां अपील किसी व्यवसाय संघ या वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद् द्वारा फाइल की जाती है, वहां यथास्थिति, नियोक्ता और वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद् या कर्मकारों के अन्य सभी व्यवसाय संघों को, या जहां किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को; और
- (ग) जहां अपील कर्मकारों के प्रतिनिधि निकाय द्वारा फाइल की जाती है, वहां नियोक्ता और औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों के अन्य ट्रेड संघों, या जहां किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कर्मकारों का कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां किसी अन्य कर्मकार को जो अपील में पक्षकार के रूप में शामिल होता है।

(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रत्यर्थी को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट, अपील ज्ञापन की एक प्रति देगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी भी चरण में कोई साक्ष्य मांग सकेगा, यदि वह अपील के निपटान के लिए इसे आवश्यक समझे।

(5) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अधीन नियत तारीख पर, ऐसा साक्ष्य लेगा जिसे उसने मांगा हो या जिसे वह प्रस्तुत किए जाने पर सुसंगत समझे, और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील का निपटान करेगा।

16. आदेश और स्थायी आदेशों के पाठ का प्रेषण - (1) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश अपील के निपटान के तीन दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नियोक्ता या व्यवसाय संघ या वार्ता संघ या वार्ता परिषद् या कर्मकारों का कोई संघ या प्रतिनिधि निकाय, जैसा भी मामला हो, जिसके द्वारा अपील फाइल की गई है, को भेजा जाएगा।

(2) इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का पाठ नियोक्ता द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में रखा जाएगा।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश नियोक्ता द्वारा सुपाठ्य स्थिति में प्रदर्शित किए जाएंगे। औद्योगिक स्थापन के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट इस प्रयोजन के लिए लगाए जाने वाले विशेष बोर्ड पर, जहां से अधिकांश कर्मकार प्रवेश करते हैं, सूचना अंकित की जाएगी तथा इसे ऐसे औद्योगिक स्थापन के निर्दिष्ट पोर्टल/वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

17. स्थायी आदेशों के लिए रजिस्टर - (1) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक स्थापनों के अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित माने गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, प्ररूप-3 में एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित का ब्यौरा होगा -

- (क) प्रत्येक स्थायी आदेश को समुद्देशित विशिष्ट संख्या;
- (ख) औद्योगिक स्थापन का नाम;
- (ग) औद्योगिक स्थापन की प्रकृति;

(घ) प्रत्येक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या मानित प्रमाणन की तारीख या मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाने की तारीख;

(ङ) औद्योगिक स्थापन के संचालन के क्षेत्र; और

(च) ऐसे अन्य विवरण जो स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने में सुसंगत और सहायक हो सकते हैं और ऐसे सभी स्थायी आदेशों का एक डेटाबेस तैयार करना।

(2) प्रमाणन अधिकारी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित स्थायी आदेशों की एक प्रति, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित स्थायी आदेशों, यथास्थिति, को प्रति पृष्ठ दो रुपये के भुगतान पर उपलब्ध कराएगा।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश प्राप्त करने के लिए फीस का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है।

18. स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन. – (1) किसी विद्यमान स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या त्वरित डाक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण होंगे जिन्हें संशोधित करने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण भी होगा जिसमें लागू स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध का विवरण, और उनमें प्रस्तावित संशोधन, उनके कारण और उनमें कार्यरत पंजीकृत व्यवसाय संघों के विवरण होंगे।

(3) उप-नियम (2) में उल्लिखित विवरण पर औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या कर्मकारों या व्यवसाय संघ या कर्मकारों के अन्य प्रतिनिधि निकाय द्वारा, जैसा भी मामला हो, के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसने संशोधन के लिए ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है।

अध्याय 5 परिवर्तन का नोटिस

19 परिवर्तन के लिए नोटिस - (1) कोई भी नियोक्ता जो किसी कामगार पर लागू सेवा की शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है, जो संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित हो, उन्हें ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने वाले कामगारों को प्रपत्र-4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से या त्वरित डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना होगा और औद्योगिक स्थापन के नामनिर्दिष्ट पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी इस नोटिस को अपलोड करना होगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड पर या औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु जब कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ या पंजीकृत अनेक व्यवसाय संघ या संबंधित कोई वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद है, तो ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव या ऐसे व्यवसाय संघों के प्रत्येक सचिव को या वार्ता संघ के सचिव या वार्ता परिषद के घटक, जैसा भी मामला हो, को उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सूचना की एक प्रति भी दी जाएगी।

अध्याय-6 माध्यस्थम हेतु विवादों का स्वैच्छिक संदर्भ

20. माध्यस्थम समझौते का प्ररूप और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की रीति — (1) नियोक्ता और कर्मकार, दिए गए प्ररूप-5 के अनुसार माध्यस्थम समझौता करके किसी औद्योगिक विवाद को माध्यस्थम के लिए भेजने पर सहमत हो सकते हैं।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थम करार पर उक्त करार के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके साथ मध्यस्थ या मध्यस्थों की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति होगी।

(3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट माध्यस्थम समझौता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे

- (i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा, अथवा जहां नियोक्ता निगमित कंपनी है अथवा अन्य निकाय कारपोरेट है, वहाँ ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कारपोरेशन के अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा;
- (ii) कर्मकारों के मामले में, इस संबंध में प्राधिकृत पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कर्मकारों की बैठक में इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधियों द्वारा; और
- (iii) किसी एक कर्मकार के मामले में, स्वयं ऐसे कर्मकार द्वारा अथवा पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है, या उसी स्थापन में उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य कर्मकार द्वारा।

स्पष्टीकरण -- इस नियम में “अधिकारी” शब्द, से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

- (क) नियोक्ताओं के किसी संघ के मामले में, इसका तात्पर्य ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नियोक्ताओं के ऐसे संघ के किसी अधिकारी से है; और
- (ख) पंजीकरण व्यवसाय संघ के मामले में, इसका तात्पर्य ऐसे उद्देश्य के लिए प्राधिकृत ऐसे व्यवसाय संघ के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अधिकारी से है, अर्थात्:-

- (i) अध्यक्ष; या
- (ii) उपाध्यक्ष; या
- (iii) सचिव (महासचिव सहित); या
- (iv) संयुक्त सचिव; या
- (v) ऐसे व्यवसाय संघ का कोई अन्य अधिकारी, जो ऐसे व्यवसाय संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया गया हो।

21. अधिसूचना जारी करना - जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम के लिए संदर्भित किया गया है तथा केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मामले को भेजने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी और इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उन नियोक्ताओं और कर्मकारों की जानकारी के लिए अपलोड करेगी जो माध्यस्थम के लिए समझौते के पक्षकार नहीं हैं, लेकिन विवाद से संबंधित हैं ताकि वे इस तरह के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकें।

22. जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है वहां कर्मकारों के प्रतिनिधियों के चयन की रीति - जहां कोई व्यवसाय संघ मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने हेतु नहीं है, वहां अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधि का चयन संबंधित कर्मकारों के बहुमत द्वारा प्ररूप-6 में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा तथा ऐसे कर्मकार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे, जिन्हें मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय 7

औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु तंत्र

23. सुलह की कार्यवाही- (1) जहां सुलह अधिकारी को निम्नलिखित की प्राप्ति होती है -

- (क) नियम 25 या नियम 26 के अधीन दी गई हड़ताल या तालाबंदी की सूचना; या
- (ख) विद्यमान औद्योगिक विवाद के संबंध में आवेदन; या
- (ग) औद्योगिक विवाद की संभावना के संबंध में जानकारी,

वह अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा-

- (i) खंड (क) के मामले में, निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और सुलह की कार्यवाही करेगा और संबंधित पक्षों को ऐसे उद्देश्य के लिए बैठने की तारीख सूचित करेगा;
 - (ii) खंड (ख) के मामले में, निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और आवेदन की जांच करेगा और यदि वह पाता है कि ऐसा विवाद राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, तो आवेदन को संबंधित प्राधिकारी को अंतरित करेगा या अन्यथा आवेदन के संबंध में आगे की कार्रवाई करेगा और उसके संबंध में सुलह करेगा; और
 - (iii) खंड (ग) के मामले में, नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और संबंधित पक्षों को एक नया नोटिस जारी करेगा जिसमें सुलह की कार्यवाही आरंभ करने का उनका आशय घोषित किया गया हो।
- (2) नियुक्ता के प्रतिनिधि और कर्मकार के प्रतिनिधि, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस प्राप्त होने पर, सुलह कार्यवाही की पहली बैठक में उक्त विवाद के संबंध में अपने संबंधित बयान प्रस्तुत करेंगे।
- (3) सुलह अधिकारी, बिना किसी देरी के, विवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाएगा और उसके गुण-दोष और सही निपटान को प्रभावित करने वाले सभी मामलों की जांच करेगा और विवाद के पक्षकारों के बीच सुलह की कार्यवाही करेगा और ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो वह पक्षों को विवाद के निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उचित समझता है।
- (4) यदि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सुलह कार्यवाहियों में कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी, उस तारीख से सात दिनों के भीतर, जिस पर सुलह की कार्यवाही समाप्त हो जाती है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर एक रिपोर्ट अपलोड करेगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से विवाद के पक्षकारों और केंद्रीय सरकार को उसकी एक प्रति अग्रेषित करेगा।
- (5) रिपोर्ट को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उक्त नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर संबंधित पक्षों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।

(6) यदि सुलह कार्यवाही के दौरान विवाद या विवाद के किसी भी मामले का निपटान हो जाता है, तो सुलह अधिकारी, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत एक अधिकारी को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, साथ ही ऐसी रिपोर्ट और समझौता ज्ञापन श्रम और रोजगार मंत्रालय के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर भी अपलोड करेगा।

(7) सुलह अधिकारी के समक्ष सभी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर, शपथपत्र के रूप में फाइल किए जाएंगे और विवाद के पक्ष भी आवेदन फाइल करेंगे या, जैसा भी मामला हो, एक शपथपत्र के रूप में उसका उत्तर या प्रत्युत्तर देंगे।

(8) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, विवाद में शामिल नियोक्ता, कर्मकार या व्यवसाय संघ, जैसा भी मामला हो, की प्रस्तुतियाँ शामिल होंगी और इसमें पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समझौते पर लाने के लिए सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद को हल करने के लिए पक्षकारों द्वारा इनकार करने के कारण और सुलह अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी शामिल होंगे।

(9) जहां सुलह कार्यवाही के दौरान किसी विवाद का निपटारा नहीं किया जाता है, वहां कोई भी संबंधित पक्ष उप-नियम (5) के अधीन रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा या मूल्य वर्धित सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण अथवा परिदान के सबूत द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष प्ररूप-II में आवेदन कर सकता है।

24. बकाया राशि की वसूली के लिए आवेदन – (1) जहां किसी नियोक्ता से किसी कर्मचारी या कर्मकारों के समूह को निपटान या पंचाट के अधीन या संहिता के अध्याय 9 या अध्याय 10 के उपबंधों के अधीन कोई राशि देय है, तो कर्मकारों या कर्मकारों का समूह, जैसा भी मामला हो, देय राशि की वसूली के लिए प्ररूप-7 में आवेदन कर सकता है:

परन्तु कर्मकार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति के मामले में, या कर्मकार की मृत्यु के मामले में, मृतक कार्यकर्ता का समनुदेशिनी या उत्तराधिकारी प्ररूप-8 में आवेदन करेगा।

(2) जहां कोई कर्मकार या कर्मकार का समूह नियोक्ता से कोई धन या कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जो धन के संदर्भ में गणना करने में सक्षम है, कर्मकार या कर्मकार का समूह, जैसा भी मामला हो, देय राशि के निर्धारण के लिए प्ररूप-9 में अधिकार क्षेत्र वाले अधिकरण में आवेदन कर सकता है या, जैसा भी मामला हो, जिस राशि पर इस तरह के लाभ की गणना की जानी चाहिए, और ऐसा न्यायाधिकरण आवेदन फाइल करने की तारीख से तीन महीने से अधिक की अवधि के भीतर आवेदन का फैसला करेगा:

परन्तु इस उप-नियम में निर्दिष्ट कर्मकार की मृत्यु के मामले में, आवेदन प्ररूप-10 में मृतक कर्मकार के समनुदेशिनी या उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अध्याय 8 हड़तालें और तालाबंदी

25. हड़ताल का नोटिस नोटिस दिए जाने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की संख्या, और नोटिस दिए जाने की विधि —

(1) धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की नोटिस किसी औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता को प्ररूप-11 में दिया जाएगा, जिस पर संबंधित पंजीकृत व्यवसाय संघ के सचिव या जहां कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ नहीं है, वहां संबंधित औद्योगिक स्थापन से संबंधित नोटिस देने वाले कर्मकारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे, तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित सुलह अधिकारी, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(2) संहिता की धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति की तारीख उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए नोटिस प्राप्त करने की तारीख होगी।

(3) यदि किसी औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से हड़ताल का कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो वह ऐसा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी और मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा।

26. तालाबंदी का नोटिस और प्राधिकार - (1) धारा 62 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी का नोटिस औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता द्वारा प्ररूप-12 में ऐसे औद्योगिक स्थापन से संबंधित प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ के सचिव को त्वरित डाक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा, तथा उसकी एक प्रति संबंधित सुलह अधिकारी, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस-बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और उक्त नोटिस की एक प्रति ऐसे औद्योगिक स्थापन के निर्दिष्ट पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी पोस्ट की जा सकेगी और सुलह अधिकारी द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख नियम 23 के उपनियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए नोटिस प्राप्त करने की तारीख होगी।

(3) यदि नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह ऐसे नोटिस की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी और मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा।

अध्याय 9

कामबंदी, छंटनी, बंदी

27. कर्मकार की छंटनी से पूर्व नोटिस देना-यदि कोई नियोक्ता अपने औद्योगिक स्थापन में नियोजित किसी ऐसे कर्मकार की छंटनी करना चाहता है, जो उसके अधीन कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा में रहा हो, तो ऐसा नियोक्ता ऐसी छंटनी की पूर्व सूचना प्ररूप-13 में केन्द्रीय सरकार को और संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को ई-मेल के माध्यम से त्वरित डाक द्वारा निम्नलिखित रीति से देगा, अर्थात:-

(क) जहां संहिता की धारा 70 के खंड (क) के अधीन किसी कर्मकार को पूर्व नोटिस दिया जाता है, वहां छंटनी का नोटिस कर्मकार को नोटिस दिए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर भेजा जाएगा;

(ख) जहां संहिता की धारा 70 के खंड (क) के अधीन कर्मचारी को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है और उसे इसके बदले में एक महीने का वेतन दिया जाता है, वहां छंटनी का नोटिस ऐसे वेतन के भुगतान की तारीख से तीन दिन के भीतर भेजा जाएगा; और

(ग) जहां छंटनी किसी ऐसे समझौते के अधीन की जाती है, जिसमें सेवा समाप्ति की तारीख निर्दिष्ट होती है, वहां छंटनी का नोटिस इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार तक पहुंच जाए और उसकी एक प्रति उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को ऐसी तारीख से कम से कम एक महीने पहले भेजी जाए:

परन्तु यदि सेवा समाप्ति की सहमत तारीख समझौते के तीस दिन के भीतर है, तो छंटनी की सूचना समझौते के तीन दिन के भीतर संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को उसकी एक प्रति के साथ केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी।

28. छंटनी किए गए कर्मचारों को पुनः नियोजन का अवसर देने की रीति - (1) नियोक्ता उस विशेष श्रेणी के सभी कर्मचारों की सूची तैयार करेगा, जिसमें से छंटनी अपेक्षित है, तथा उन्हें उस श्रेणी में उनकी सेवा की वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित करेगा और उसकी एक प्रति छंटनी की वास्तविक तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व औद्योगिक स्थापन के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर चिपकाएगा।

(2) जब किसी औद्योगिक स्थापन में कोई रिक्ति होती है और ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव से एक वर्ष पूर्व ऐसे औद्योगिक स्थापन के कर्मचारियों की छंटनी की गई हो, तो ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता, यदि ऐसे कर्मचारी भारत के नागरिक हैं और उन्होंने नियोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो उनकी सेवा वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अन्य पर वरीयता देगा।

(3) नियोक्ता, औद्योगिक स्थापन के परिसर में किसी सुस्पष्ट स्थान पर सूचना पट्ट पर रिक्तियों का ब्यौरा, रिक्तियों को भरे जाने की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा तथा उन रिक्तियों की सूचना त्वरित डाक या ई-मेल के माध्यम से उन सभी छंटनीकृत कर्मचारियों को देगा, जो उसके लिए विचार किए जाने के पात्र हैं, तथा छंटनी के समय या उसके बाद किसी भी समय उनमें से प्रत्येक द्वारा दिए गए अंतिम पते या ई-मेल पर देगा:

परन्तु जब ऐसी रिक्तियों की संख्या छंटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या से कम हो, तो यह पर्याप्त होगा कि नियोक्ता द्वारा उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में सबसे वरिष्ठ छंटनी किए गए कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाए और ऐसे वरिष्ठतम कर्मचारियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की संख्या से दोगुनी हो:

परन्तु यह और भी कि जहाँ रिक्ति एक महीने से कम अवधि की हो, वहाँ नियोक्ता पर ऐसी रिक्ति की सूचना देने का कोई दायित्व नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि यदि कोई छंटनी किया गया कर्मचारी, नियोक्ता को लिखित रूप में पर्याप्त कारण बताए बिना, इस उप-नियम के अधीन नियोक्ता द्वारा उसे भेजी गई सूचना में निर्दिष्ट तारीख या तारीखों पर पुनर्नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करता है, तो नियोक्ता उसे किसी भी बाद के अवसर पर भरी जा सकने वाली रिक्तियों की सूचना नहीं दे सकता है।

(4) उप-नियम (3) के उपबंधों का अनुपालन करने के तुरंत बाद, नियोक्ता, औद्योगिक स्थापन से संबद्ध वार्ताकार संघ या वार्ता परिषद के घटक या व्यवसाय संघों को, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और उन छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के नामों की भी सूचना देगा, जिन्हें उस उप-नियम के अधीन सूचना भेजी गई है:

परन्तु नियोक्ता द्वारा इस उप-नियम के उपबंधों का अनुपालन किसी भी स्थिति में आवश्यक नहीं है, जहाँ उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में उल्लिखित प्रत्येक कर्मचारिणी को सूचना भेजी जाती है।

29. जाशयित बंदी के लिए नोटिस देना - (1) यदि कोई नियोक्ता किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने का आशय रखता है, तो वह उक्त जाशयित बंदी से 60 दिन के भीतर प्ररूप-13 में केन्द्रीय सरकार को ऐसे समापन का नोटिस देगा और उसकी एक प्रति संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को ई-मेल या त्वरित डाक द्वारा भेजेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस की एक प्रति औद्योगिक स्थापनों में कार्यरत पंजीकृत व्यवसाय संघों या कर्मचारों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी भेजी जाएगी।

अध्याय 10

कुछ स्थापनों में कामबंदी, छंटनी, बंदी करने से संबंधित विशेष उपबंध

30. नियोक्ता द्वारा आशयित कामबंदी के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को देने की विधि - (1) नियोक्ता द्वारा प्ररूप-14 में आवेदन किया जाएगा, जिसमें अपेक्षित छंटनी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कर्मकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या त्वरित डाक द्वारा उसी समय भेजी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

31. कामबंदी जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति का आवेदन - किसी औद्योगिक स्थापन के खदान होने की स्थिति में, जहां कर्मकारों (बदली कर्मकारों या आकस्मिक कर्मकारों को छोड़कर) को आग, बाढ़ या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट के कारण कामबंदी कर दी गई है, ऐसी छंटनी के प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, छंटनी जारी रखने की अनुमति के लिए केन्द्र सरकार को प्ररूप-14 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा आवेदन करेगा, जिसकी एक प्रति संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेजी जाएगी -

(क) दिनों की संख्या निर्दिष्ट करना;

(ख) कामबंदी किए जाने वाले कर्मकारों की संख्या सूचित करते हुए;

(ग) औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या;

(घ) कामबंदी की तारीख; और

(ङ) ऐसी कामबंदी जारी रखने के कारण।

32. आदेश की समीक्षा - (1) केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर अनुमति प्रदान करने या देने से इनकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कर्मकार, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, आदेश की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, आवेदन जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उसका निपटारा करेगी।

(3) जहाँ केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा से उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहाँ वह आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

33. आशयित छंटनी के लिए आवेदन करने और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को देने की विधि - (1) नियोक्ता द्वारा प्ररूप-14 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन किया जाएगा, जिसमें आशयित छंटनी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कर्मकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

34. आदेश की समीक्षा - (1) केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर अनुमति प्रदान करने या देने से इनकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कर्मकार, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आदेश की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, ऐसे आवेदन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आवेदन का निपटारा करेगी।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

35. किसी औद्योगिक स्थापन में अभिप्रेत बंदी हेतु आवेदन और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भेजने की रीति - कोई नियोक्ता जो किसी औद्योगिक स्थापन में तालाबंदी करने का आशय रखता है, जिस पर संहिता के अध्याय-10 के उपबंध लागू होते हैं, वह प्ररूप-14 में पूर्व अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार को, आशयित बंदी की तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले आवेदन करेगा, जिसमें औद्योगिक स्थापन के ऐसे बंद होने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा और साथ ही ऐसे आवेदन की एक प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, या त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी।

36. आदेश की समीक्षा — (1) केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर अनुमति प्रदान करने या देने से इनकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कर्मकार उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, ऐसा आदेश दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आदेश की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, ऐसा आवेदन किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस आवेदन का निपटारा करेगी।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा से उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह आदेश दिए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

अध्याय 11 कर्मकार पुनः कौशल निधि

37. कर्मकार पुनः कौशल निधि— (1) प्रत्येक नियोक्ता जिसने संहिता के अधीन अपने औद्योगिक स्थापन में किसी कर्मकार की छंटनी की है, ऐसी छंटनी की तारीख से दस दिनों के भीतर, ऐसे छंटनी किए गए कर्मकार या कर्मकारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से यथास्थिति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) / उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय / क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय / सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार खातों में हस्तांतरित करेगा [खाते का नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय और मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा]।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त निधि को मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय द्वारा छंटनी के पैंतालीस दिनों के

भीतर प्रत्येक छंटनीकृत कर्मकार के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित कर दिया जाएगा ताकि वह उस रकम का उपयोग अपने पुनः कौशलीकरण के लिए कर सके।

(3) नियोक्ता प्रत्येक छंटनीकृत कर्मकार के नाम, ऐसे छंटनीकृत कर्मकार द्वारा अंतिम बार प्राप्त पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि और उसके बैंक खाते के विवरण सहित सूची मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 12 अपराध और शास्ति

38. अपराध के शमन की रीति – (1) अपराधों के शमन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 89 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात शमन अधिकारी कहा गया है), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से अभियुक्त को प्ररूप-15 में एक नोटिस भेजेगा।

(2) वह अभियुक्त, जिसे उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस तामील किया गया है, नोटिस के भाग 3 में विधिवत भरा हुआ आवेदन, नोटिस प्ररूप-15 में शमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकता है और शमन रकम इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर जमा कर सकता है।

(3) जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, वहाँ अभियुक्त अपने विरुद्ध अपराध के शमन की अनुमति देने के लिए ऐसे न्यायालय में आवेदन कर सकता है और वह न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के पश्चात, धारा 89 के उपबंधों और इस नियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार शमन अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) के अधीन विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करता है, तो शमन अधिकारी अपराध का शमन करेगा और—

(क) यदि अभियोजन संस्थित होने से पहले अपराध का शमन कर दिया जाता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के लिए कोई शिकायत संस्थित नहीं की जाएगी;

(ख) यदि अपराध का शमन धारा 85 के अधीन लंबित कार्यवाही के दौरान किया जाता है, तो शमन अधिकारी उस धारा में संदर्भित अधिकारी को शमन के बारे में सूचित करेगा, जो सूचना प्राप्त होने के पश्चात, ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही बंद कर देगा; और

(ग) न्यायालय की अनुमति से अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात यदि अपराध का शमन किया जाता है, तो शमन अधिकारी मामले को बंद मान लेगा और अपराध के शमन की सूचना उस सक्षम न्यायालय को देगा जिसके द्वारा ऐसे शमन की अनुमति दी गई थी, और ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात, न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित कर देगा।

अध्याय 13

विविध

39. संरक्षित कर्मकार - (1) किसी औद्योगिक स्थापन से संबद्ध प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ, जिस पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पूर्व नियोक्ता को उस व्यवसाय संघ के उन पदाधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगी

जो उस स्थापन में नियोजित हैं और जिन्हें, उस व्यवसाय संघ की राय में, संरक्षित कर्मकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ के किसी भी अधिकारी के पद में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे व्यवसाय संघ द्वारा ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर नियोक्ता को दी जाएगी।

(3) नियोक्ता, उप-नियम (1) के अधीन व्यवसाय संघ से नाम और पते प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर और संहिता की धारा 90 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन, ऐसे कर्मकारों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कर्मकार के रूप में मान्यता देगा और ऐसी व्यवसाय संघ को, पत्र-व्यवहार की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता प्राप्त कर्मकारों की सूची लिखित रूप में संसूचित करेगा।

(4) जहां उप-नियम (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या धारा 90 की उप-धारा (4) के अधीन औद्योगिक स्थापन के लिए स्वीकार्य संरक्षित कर्मकारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, नियोक्ता केवल ऐसी अधिकतम संख्या में कर्मकारों को संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता देगा:

परंतु यह कि जहाँ औद्योगिक स्थापन में एक से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ हैं, वहाँ नियोक्ता द्वारा अधिकतम संख्या का वितरण उन व्यवसाय संघों के बीच इस प्रकार किया जाएगा कि व्यक्तिगत व्यवसाय संघों में मान्यता प्राप्त 'संरक्षित कर्मकारों' की संख्या का परस्पर अनुपात व्यावहारिक रूप से वही रहे जो उन व्यवसाय संघों की सदस्यता के आंकड़ों का है; और उस स्थिति में नियोक्ता प्रत्येक संबंधित व्यवसाय संघके अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में उसे आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या की सूचना देगा:

परंतु यह और कि जहाँ इस उप-नियम के अधीन किसी व्यवसाय संघ को आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या, संरक्षण चाहने वाले उस व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की संख्या से कम हो जाती है, तो वह व्यवसाय संघ 'संरक्षित कर्मकारों' के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु पदाधिकारियों का चयन करने के लिए हकदार होगी; और ऐसा चयन उस व्यवसाय संघ द्वारा किया जाएगा तथा नियोक्ता से लिखित सूचना प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर उसे सूचित किया जाएगा।

(5) जहां इस नियम के अधीन संरक्षित कर्मकारों की मान्यता से संबंधित किसी भी मामले में नियोक्ता और किसी भी पंजीकृत व्यवसाय संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, ऐसे विवाद को किसी भी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

40. व्यथित कर्मचारी द्वारा शिकायत — (1) संहिता की धारा 91 के अधीन पी व्यथित कर्मचारी की प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या रजिस्ट्रीकृत या त्वरित डाक द्वारा प्रपत्र-16 में की जाएगी और उसके साथ ऐसी शिकायत में उल्लिखित प्रत्येक विरोधी पक्षकारों के लिए उसकी उतनी ही प्रतियां संलग्न होंगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत, शिकायत करने वाले कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, द्वारा यथा स्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समाधान हेतु, सत्यापित की जाएगी।

41. कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकृत करना -- जहाँ कर्मकार किसी भी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहाँ उस उद्योग में, जिसमें कर्मकार नियोजित है, किसी व्यवसाय संघ से जुड़े किसी कार्यकारी सदस्य या अन्य पदाधिकारी को या उसी उद्योग में नियोजित किसी अन्य कामगार को, ऐसे कामगार द्वारा प्ररूप-6 में किसी विवाद, जिसमें वह कर्मकार एक पक्षकार है, से संबंधित किसी भी कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा।

42. किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोक्ता को प्राधिकृत करना - जहां कोई नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी संघ का सदस्य नहीं है, वहां, ऐसा नियोक्ता प्ररूप-6 में नियोक्ताओं के किसी संघ के किसी अधिकारी को, जो उस उद्योग से संबंधित है या उसके द्वारा संबद्ध है, जिसमें नियोक्ता नियोजित है, किसी विवाद, जिसमें वह नियोक्ता एक पक्ष है, से संबंधित किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

43. प्रतिनिधि के कार्यों से पक्षकार का आबद्ध होना— किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित कोई पक्षकार उस प्रतिनिधि के कार्यों से आबद्ध होगा।

44. जांच -- (1) धारा 86 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10), उपधारा (11) और उपधारा (20) तथा धारा 89 की उपधारा (7) के अधीन किए गए अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी जांच भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून पंक्ति के अधिकारी जिसे धारा 85 (जिसे इसमें इसके पश्चात “जांच अधिकारी” कहा गया है) की उपधारा (1) के अधीन ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, द्वारा की जाएगी।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या त्वरित डाक द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को बुलाएगा और उसकी एक प्रति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिससे वे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और साक्ष्यों, यदि कोई हों, के साथ किसी विनिर्दिष्ट तारीख पर उसके समक्ष उपस्थित हों, और वह शिकायतकर्ता को इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख की सूचना देगा।

(3) जहां कोई पक्षकार ऐसा चाहता है, वह जांच अधिकारी से लिखित में केवल डाक द्वारा जांच का नोटिस जारी करने का अनुरोध कर सकेगा और उन मामलों में भी जहां जांच अधिकारी को लगता है कि संबंधित पक्षकारों के पास संचार के कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध नहीं हैं, वह ऐसा नोटिस त्वरित डाक द्वारा भेज सकेगा।

(4) कोई व्यक्ति जिसे उप-नियम (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, यदि वह व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी, शिकायत की आगे सुनवाई और अवधारण एकपक्षीय रूप से कर सकेगा।

(5) यदि शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी को कोई सूचना दिए बिना, लगातार दो तारीखों पर विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी, शिकायत को खारिज कर सकेगा:

परंतु शिकायतकर्ता और विरोधी पक्षकार द्वारा संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जा सकेंगे:

परंतु यह और कि जांच अधिकारी, अपने विवेक से, यथा स्थिति किसी पक्षकार या पक्षकारों को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुज्ञा देगा।

(6) संहिता की धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने का प्राधिकार, यथास्थिति, प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र द्वारा दिया जाएगा, जिसे शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का आशय रखता है, उसे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(8) जांच अधिकारी, उप-नियम (7) में निर्दिष्ट विवरण पर एक आदेश दर्ज करेगा, जिसमें उस उप-नियम में निर्दिष्ट व्यक्ति को शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, और ऐसी अनुमति देने से इंकार करने की स्थिति में, जांच अधिकारी इसके कारणों को सम्मिलित करेगा और उसे अभिलेख में अन्तर्विष्ट करेगा।

(9) शिकायत या शिकायत से संबंधित अन्य दस्तावेज, जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय, व्यक्तिगत रूप से जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे, या उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या त्वरित डाकद्वारा भेजा जा सकेगा और विरोधी पक्षकार को शिकायत और ऐसे अन्य दस्तावेजों का उत्तर देने का अधिकार होगा।

(10) जांच अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर, यथास्थिति, उसकी प्रस्तुति या प्राप्ति की तारीख अंकित करेगा या अंकित करवाएगा, और यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसा कोई भी पृष्ठांकन आवश्यक नहीं होगा।

(11) यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत अधूरी है, तो वह शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकेगा और शिकायतकर्ता से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए अनुरोध कर सकेगा:

परंतु यदि जांच अधिकारी पाता/अवलोकन करता है कि शिकायत में त्रुटियों को दूर करना संभव नहीं है, तो वह त्रुटियों का उल्लेख करते हुए ऐसी शिकायत को तुरंत वापस कर सकेगा।

(12) जहाँ त्रुटियों के सुधार के पश्चात् शिकायत प्रस्तुत की जाती है, वहाँ ऐसी पुनः प्रस्तुति की तारीख को संहिता की धारा 85 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु प्रस्तुति की तारीख माना जाएगा।

(13) जांच अधिकारी, शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकेगा, यदि वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो जाता है कि—

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या

(ख) शिकायतकर्ता ने, शिकायत किए गए अपराध के किए जाने की तारीख से, छह मास के पश्चात् शिकायत दर्ज की है;

(ग) शिकायतकर्ता संहिता की धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

(14) जांच अधिकारी, सभी मामलों में, आदेश पारित करते समय, ब्यौरे जैसे, शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विरोधी पक्षकार या विरोधी पक्षकारों का नाम और पता, किए गए अपराध के धारा-वार ब्यौरे, विरोधी पक्षकार का अभिवचन, निष्कर्ष और लिए गए साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण, जिसमें प्रति परीक्षा, कारण और अधिरोपित शास्ति सम्मिलित है, हस्ताक्षर, तारीख और स्थान सहित उल्लिखित करेगा।

(15) जांच अधिकारी, प्रक्रिया के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें जांच अधिकारी ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो वह उचित समझे और उनके मूल सार को प्रभावित न करते हों, उन्हें अपने समक्ष मामले के अनुकूल बनाने के लिए अपना सकेगा, सिवाय वहां के जहां वे इस संहिता या इन नियमों के स्पष्ट उपबंधों के विपरीत हों।

(16) जांच अधिकारी, मामले की सुनवाई के पश्चात् उसी दिन या इस प्रयोजन के लिए नियत की जाने वाली किसी भावी तारीख पर आदेश पारित करेगा या निर्देश देगा।

(17) कोई भी व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता है या विरोधी पक्षकार या उप-नियम (8) के अधीन अनुमति प्राप्त कोई भी व्यक्ति, जांच अधिकारी के समक्ष फाइल किसी भी शिकायत या किसी अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने का हकदार होगा।

45. साक्षी का व्यय — प्रत्येक व्यक्ति, जो समन प्राप्त होने पर उपस्थित होता है या अन्यथा उपस्थित होता है, उसी दर पर व्यय भत्ते का हकदार होगा जो उस राज्य यथा स्थिति, जहाँ ऐसी जांच, न्यायनिर्णयन या मध्यस्थता संचालित की जा रही है, के सिविल न्यायालय में साक्षियों पर लागू होती है।

46. संसूचना हेतु प्रकाशन — इन नियमों के अधीन संदेशों और दस्तावेजों की तामील को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए संसूचना हेतु, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, औद्योगिक अधिकरण, प्रत्येक नियोक्ता, जिसके लिए केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है, प्रत्येक व्यवसाय संघ, वार्ता संघ या वार्ता परिषद के घटक और इन नियमों में संदर्भित प्रत्येक प्राधिकारी, अपने संबंधित शीर्षनामा पर अपनी यथा स्थिति, ई-मेल आईडी या वेबसाइट या पोर्टल या उनमें से किसी एक या सभी को, विनिर्दिष्ट करेंगे।

47. अभिलेख, रजिस्टर, प्ररूप, सूचना और प्रदर्शन बोर्ड का रख-रखाव — (1) सभी अभिलेख, रजिस्टर, प्ररूप, नोटिस, प्रदर्शन बोर्ड और अन्य दस्तावेज, जो इन नियमों के अधीन अनुरक्षित किए जाने अपेक्षित हैं, को अपेक्षित प्ररूप में या यथा अपेक्षित जानकारी अन्तर्विष्ट करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक रीति में अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख और अन्य दस्तावेज अभिलेखों के रख-रखाव की अपेक्षा का अनुपालन करेंगे और संहिता के अधीन इस संबंध में निर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे या दिखाए जाएंगे।

48. आयुक्त की नियुक्ति.- जहाँ संहिता की धारा 59 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी लाभ के मुद्रा मूल्य की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, अधिकरण निम्नलिखित में से किसी की नियुक्ति कर सकेगा —

(क) वह व्यक्ति जिसे उस विशिष्ट उद्योग, व्यवसाय, व्यवसाय या क्षेत्र का अनुभव हो, जिसमें उक्त धारा की उप-धारा (2) में संदर्भित प्रश्न समाहित है; या

(ख) वह व्यक्ति जो किसी सिविल न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; या

(ग) वैतनिक मजिस्ट्रेट; या

(घ) किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन गठित किसी अधिकरण का, या संहिता के अधीन गठित अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का रजिस्ट्रार या सचिव।

49. आयुक्त, के लिए फीस आदि— (1) अधिकरण, पक्षकारों के साथ परामर्श के पश्चात, नियम 48 में निर्दिष्ट आयुक्त द्वारा की जाने वाली जांच की संभावित अवधि का प्राक्कलन करेगा और उसके फीस की रकम तथा उसके द्वारा उपगत अन्य आनुषंगिक व्ययों को निर्धारित करेगा।

(2) अधिकरण, आयुक्त की फीस और अन्य आनुषंगिक व्ययों के संदाय के लिए, ऐसे पक्षकार या पक्षकारों को और ऐसे अनुपात में, जैसा वह उचित समझे, एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर में जमा करने का निर्देश देगा।

(3) आयुक्त अपनी रिपोर्ट तब तक प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक कि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट रकम के जमा होने की रसीद अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी जाती:

परंतु अधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यह निर्देश दे सकेगा कि कोई भी अतिरिक्त राशि या राशियाँ ऐसे समय के भीतर या ऐसी राशि को जमा करने की समय-सीमा को बढ़ा सकेगा और ऐसे पक्षकारों द्वारा जमा की जाएँ, जो वह उचित समझे।

(4) अधिकरण किसी भी समय, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, पक्षकारों के परामर्श से फीस की रकम में परिवर्तन कर सकेगा।

(5) अधिकरण यह निर्देश दे सकेगा कि आयुक्त को फीस ऐसी किश्तों में और ऐसी तारीख को संवितरित की जाएगी, जो वह उचित समझे।

(6) इस नियम के अधीन जमा की गई राशि का अवितरित शेष, यदि कोई हो, संबंधित पक्षकार या पक्षकारों को उसी अनुपात में वापस कर दिया जाएगा, जिस अनुपात में उसे जमा किया गया था।

50. रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय- (1) आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रत्येक आदेश में आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए कोई तारीख उपदर्शित की जाएगी।

(2) यदि किसी कारणवश आयुक्त को यह पूर्वानुमान होता है कि उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से अधिक समय लगने की संभावना है, तो वह उक्त तारीख की समाप्ति से पूर्व, उसके आधारों का उल्लेख करते हुए समय बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा और अधिकरण, विचार करने के पश्चात्, ऐसे आवेदन पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा:

परंतु यह कि अधिकरण, यदि पर्याप्त कारण होने पर उचित समझे, तो समय-सीमा बढ़ा सकेगा, भले ही आयुक्त से अनुज्ञेय समय-सीमा के भीतर ऐसा विस्तार करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हुआ हो।

अनुसूची

प्ररूप-1

[नियम 4 देखें]

(सुलह कार्यवाही के दौरान या अन्यथा हुए समझौते का ज्ञापन)

पक्षकार का नाम:

..... नियोक्ता(नियोक्ताओं) का/के प्रतिनिधि

..... कर्मकार(कर्मकारों) का प्रतिनिधि

मामले के संक्षिप्त विवरण

.....

समझौते की निबंधन

.....

पक्षकारों के हस्ताक्षर

साक्षी:

(1)

(2)

सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि नियोक्ता और उसके कर्मकारों के बीच सुलह कार्यवाही के दौरान के अतिरिक्त समझौता हो जाता है, तो ज्ञापन की प्रति संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को प्रेषित की जाएगी।

प्ररूप - 2

**[नियम 9 का उप-नियम (8) देखें / नियम 23 का उप-नियम (9) देखें]*
(अधिकरण को आवेदन)**

केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के समक्ष ----- (उस
औद्योगिक अधिकरण का स्थान जिसकी अधिकारिता में विवाद उत्पन्न होता है)

(क) आवेदक (आवेदकों) का नाम और पता

बनाम

(ख) विरोधी पक्षकार का नाम और पता

विवाद के संक्षिप्त तथ्य (विवाद के विशिष्ट मामलों के संबंध में विवरण का उल्लेख किया जा सकता है) जो औद्योगिक संबंध
संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 22 की उप-धारा (1) / धारा 53 की उप-धारा (6) के अधीन विवाद से संबद्ध और
सुसंगत हैं।"

प्रार्थना:

आवेदक (आवेदक) प्रार्थना करता/करते हैं कि तत्काल आवेदन को न्यायनिर्णयन हेतु ग्रहण किया जाए तथा मामले में उचित
पंचाट पारित करने का अनुरोध करते हैं।

कर्मकार (कर्मकारों) का नाम और हस्ताक्षर या
विवाद उठाने वाले व्यवसाय संघ के अधिकारी/ विवाद के पक्षकार

(* जो लागू न हो उसे काट दें)

प्ररूप - 3
(नियम 17 देखें)

(प्रमाणित स्थायी आदेशों के लिए रजिस्टर)

भाग I

औद्योगिक स्थापन

अनन्य और निरंतर संख्या	औद्योगिक स्थापन का नाम	औद्योगिक स्थापन की प्रकृति	औद्योगिक स्थापन के संचालन के क्षेत्र	क्या स्थायी आदेश (क) आदर्श स्थायी आदेश है, या (ख) माना गया/प्रकल्पित स्थायी आदेश है या (ग) प्रमाणित स्थायी आदेश है	स्वीकृति की तारीख अथवा प्रकल्पित सत्यापन अथवा मान्य प्रमाणीकरण / स्थायी आदेश के सत्यापन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अपील दायर करने की तारीख	निर्णय की तारीख और प्रकृति	अपील पर संशोधन किया गया, यदि कोई	अपील पर निपटाए गए स्थायी आदेशों की प्रति भेजने की तारीख	कोई अन्य जुसंगत विवरण
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

भाग-2

स्थायी आदेशों की प्रमाणित प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्न करें।

प्ररूप -4
(नियम 19 देखें)

(सेवा शर्तों में परिवर्तन की सूचना)

नियोक्ता का

नाम.....
.....

पता.....

तारीख.....20..... दिन.....

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40 की उप-धारा (1) (2020 का 35) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को यह सूचित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम उक्त संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों पर सेवा शर्तों में से प्रभावी अनुबंध में परिवर्तन /परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूँ/चाहते हैं।

हस्ताक्षर.....

पद.....

अनुबंध

(यहाँ उन परिवर्तन/परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट करें जिन्हें प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है।)

प्रति अग्रेषित:

1. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सचिव, यदि कोई हो / सचिव, वार्ता संघ / वार्ता परिषद के घटक
2. संबद्ध उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)

प्ररूप -5
(नियम 20 देखें)

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए करार)

.....नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम

और

..... कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को [यहाँ मध्यस्थ (मध्यस्थों) के नाम और पते विनिर्दिष्ट करें] की मध्यस्थता हेतु भेजने के लिए सहमति हुई है।

- (i) विवाद के विविनिर्दिष्ट मामले
- (ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्लित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता सम्मिलित है।
- (iii) उस कामगार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में सम्मिलित है, या उस यूनियन का नाम, यदि कोई हो, जो संबद्ध कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व कर रही है।
- (iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कामगारों की कुल संख्या
- (v) विवाद से प्रभावित होने वाले या प्रभावित होने की संभावना वाले कामगारों की अनुमानित संख्या।

*हम सहमत हैं कि मध्यस्थों के अधिकांश निर्णय हम पर बाध्यकर हैं यदि मध्यस्थ अपने विवाचन में बराबर विभाजित होते हैं तो वह मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति नियुक्त करेंगे जिसके निर्णय हम पर बाध्यकर होंगे।

मध्यस्थ (मध्यस्थों) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस करार के प्रकाशन की तारीख से (पक्षकारों द्वारा सहमत अवधि विनिर्दिष्ट करें) की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जिसे हमारे बीच लिखित रूप में आपसी करार द्वारा बढ़ाया गया हो, अपना पंचाट देंगे। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है, तो मध्यस्थता हेतु निर्दिष्ट मामला स्वतः ही रद्द माना जाएगा और नए मध्यस्थ के लिए बातचीत करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

नियोक्ता का प्रतिनिधित्व / व्यवसाय संघ के किसी अधिकारी / कामगार/कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के हस्ताक्षर

साक्षी:

1.

2.

प्रति: (i) सुलह अधिकारी [संबद्ध क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी के कार्यालय का पता प्रविष्ट करें]
(ii) सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोज़गार मंत्रालय।

प्ररूप-6

(नियम 22, नियम 41 और नियम 42 देखें)

(प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किए जाने हेतु किसी कामगार, कामगारों के समूह, नियोक्ता या नियोक्ताओं के समूह द्वारा प्राधिकरण)

प्राधिकारी के समक्ष
(संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें)

इस संबंध में :

(करें उल्लिखित कार्रवाई का नाम)

.....कामगार

बनाम

.....

.....नियोक्ता

मैं / हम श्री/श्रीमती/कुमारी को उपर्युक्त मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं।

तारीख.....20 मास.....दिन.....

प्रतिनिधि(यों) को नामनिर्दिष्ट करने वाले व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर
पता

स्वीकृत।

प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर
पता

प्ररूप-7
(नियम 24 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59(1) के अधीन धन की वसूली के लिए आवेदन)

सेवा में,

(1) सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

(2) उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) (यहाँ क्षेत्र का नाम लिखें)

महोदय,

मैं/हम यह कथन करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम मैसर्स से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अध्याय 9 और 10 के उपबंधों के अधीन / द्वारा दिए गए तारीख के पंचाट की शर्तों के अनुसार / उक्त मैसर्स और उनके कर्मकारों के बीच विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हुए तारीख के समझौते की निबंधनों के अनुसार के मद में रुपये (शब्दों में) की राशि प्राप्त करने का हकदार हूँ/हकदार हैं।

मैं/हम यह और कथन करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उक्त राशि के लिए प्रबंधन को तारीख को स्पीड पोस्ट द्वारा मांग पत्र तामील किया था, जिसे प्रबंधन ने पखवाड़ा (15 दिन) बीत जाने के बावजूद न तो मुझे/हमें भुगतान किया है और न ही भुगतान करने की पेशकश की है। राशि का विवरण इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि कृपया उक्त राशि को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन प्रबंधन से वसूल किया जाए और मुझे/हमें यथाशीघ्र संदाय किया जाए।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

पता (पते)

स्थान:

दिनांक:

उपाबंध
(दावा की गई रकम/रकमों के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)

प्ररूप -8
(नियम 24 देखें)

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 (1) के अधीन कामगार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या मृत कामगार के समनुदेशिनी या उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन]

सेवा में,

(1) भारत सरकार के सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।

(2) उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)..... (यहां क्षेत्र का नाम डालें)।

महोदय,

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी यह कथन करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अध्याय 9 और 10 के उपबंधों के अधीन / द्वारा दिए गए तारीख के पंचाट (अवार्ड) की शर्तों के अनुसार / उक्त मैसर्स और उनके कामगारों के बीच विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हुए तारीख के समझौते की निबंधनों के अनुसार के मद्दे रुपये (शब्दों में) की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं/थीं।

मैं यह और कथन करता/करती हूँ कि मैंने उक्त रकम के लिए तारीख को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रबंधन को मांग पत्र (डिमांड नोटिस) तामील किया था, जिसे प्रबंधन ने पखवाड़ा (15 दिन) बीत जाने के बावजूद न तो मुझे संदाय किया है और न ही संदाय करने का प्रस्ताव है। रकम के ब्यौरे इसके साथ संलग्न विवरण (स्टेटमेंट) में दिया गया है।

मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया उक्त रकम को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन प्रबंधन से वसूल किया जाए और मुझे यथाशीघ्र संदाय किया जाए।

मुझे इस आवेदन को करने और उन्हें देय उपरोक्त रकम का संदाय प्राप्त करने के लिए (यहाँ कामगार का नाम लिखें) द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया है।

मैं मृत कामगार का समनुदेशिनी / उत्तराधिकारी हूँ और उन्हें देय उपरोक्त रकम का संदाय प्राप्त करने का/की हकदार हूँ।

प्राधिकृत व्यक्ति/समनुदेशिनी/वा उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख:.....

पता:.....

उपबंध

(दावा की गई रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)

प्ररूप -9
(नियम 24 देखें)

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59(2) के अधीन अधिकरण को कामगार द्वारा आवेदन]

.....पर केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के समक्ष

..... और

..... के बीच

(1) आवेदक (ओं) के नाम.....

(2) नियोजक का नाम

याची (यों) मैसर्स के के एक कामगार हैं। अधोहस्ताक्षरी याची (याचियों), जो के कामगार हैं/हैं, उक्त मैसर्स से इसके साथ संलग्न विवरण में उल्लिखित रकम / लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं/ हैं।

यह प्रार्थना की जाती है कि अधिकरण याची (याचियों) को देय रकम/रकमों का अवधारण करने की कृपा करे।

याची (याचियों) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

पता (पते)

स्थान.....

तारीख.....

उपाबंध

(देय धनराशि या प्रोद्भूत लाभों का ब्यौरा और उनकी स्वीकार्यता सहित मामला विनिर्दिष्ट करें।)

प्ररूप - 10
(नियम 24 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59(2) के अधीन मृत कामगार के समनुदेशिनी/उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन)

.....पर केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के समक्ष

..... और

..... के बीच

(1) आवेदक (ओं) के नाम.....

(2) नियोजक का नाम

मैं/हम मृत कामगार का/के समनुदेशिनी हूँ/हैं और उसकी ओर से आवेदन करने के लिए हकदार हूँ/हकदार हैं।

श्री/श्रीमती, जो मैसर्स के पूर्व कामगार थे/थीं, उक्त मैसर्स
से इसके साथ संलग्न विवरण में उल्लिखित रकम/लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं;

कामगार का नाम एवं पता.....

समनुदेशिनी/उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर

पता (पते)

स्थान.....

तारीख.....

उपाबंध

(देय धनराशि या प्रोद्भूत लाभों के ब्यौरे और उनकी स्वीकार्यता संहिता नामविनिर्दिष्ट करें)

प्ररूप -11
(नियम 25 देखें)

[संघ (संघ का नाम)/कामगारों के समूह द्वारा हड़ताल की सूचना]

संघ का नाम...../

कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम.....

तारीख मास 20.....

सेवा में,

(नियोजक का नाम)

महोदय/महोदया,

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 62 की उप-धारा (1) में निहित उपबंधों के अनुसार मैं/हम आपको सूचना देते हैं कि अनुबंध में बताए गए कारणों के लिए, हम तारीख 20..... को हड़ताल का आह्वान करते हैं।

भवदीय,

(संघ का सचिव)

..... (तारीख)

को आयोजित बैठक में निर्वाचित
कामगारों के पांच प्रतिनिधि
संलग्न संकल्प के अधीन]

उपबंध
मामले का विवरण

प्रति:

- 1) सुलह अधिकारी [संबद्ध क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय का पता प्रविष्ट करें]
- 2) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) नई दिल्ली
- 3) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

प्ररूप - 12

(नियम 26 देखें)

(औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा दी गई तालाबंदी की सूचना)

नियोजक का

नाम.....

.....

पता.....

.....

तारीख.....का

दिन.....20.....

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 62 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि अनुबंध में बताए गए कारणों के लिए से मेरे/हमारे द्वारा स्थापन के विभाग (ओं) में तालाबंदी करने का आशय है।

हस्ताक्षर.....

पद.....

अनुबंध

.1	कारणों का विवरण

प्रति अग्रेषित :

- (1) रजिस्ट्रीकृत संघ के सचिव, यदि कोई हों
- (2) सुलह अधिकारी [संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय का पता दर्ज करें।]
- (3) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) नई दिल्ली
- (4) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

प्ररूप – 13

(नियम 27, 29 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 9 के अधीन केंद्रीय सरकार को छंटनी/बंदी की सूचना)

(ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। अत्यावश्यकता मामले में, नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

औद्योगिक स्थापन/उपक्रम/नियोजक का नाम-----

कर्मकार पहचान संख्या-----

तारीख-----

(टिप्पण: समुचित सरकार को बंदी/छंटनी के लिए सूचना क्रमशः साठ दिन और बंदी/छंटनी के आरंभ होने से तीस दिन पहले दी जानी चाहिए)

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
नई दिल्ली

1. *(छंटनी) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70 (ग) के अधीन मैं/हम* आपको सूचित करते हैं कि मैंने/हमने* कुल कर्मचारियों** में से कर्मचारियों** की छंटनी करने का निर्णय लिया है, जो कि (दिन/माह/वर्ष) से प्रभावी होगी।

या

(बंदी/समाप्ति) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (35 of 2020) की धारा 74(1) के अधीन, मैं / हम आपको सूचित करते हैं कि मैंने/हमने* यह निर्णय लिया है कि मैंने / हमने*(उद्योगिक स्थापन या उद्यम का नाम) को(दिन/माह/वर्ष) से बंद करने का निर्णय लिया है। उन कर्मकारों की संख्या, जिनकी सेवाएं औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त हो जाएगी----- (कर्मकारों की संख्या) है।

2. छंटनी / बंदी का कारण है -----

3. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70 (क)*/ धारा 75 (1)* के अधीन संबंधित कर्मकारों को ---
----- (दिन/माह/वर्ष) से एक मास का आवश्यक नोटिस लिखित में दिया गया है।

या

संबंधित कामगारों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70 (क)/धारा 75 (1)* के अधीन आवश्यक नोटिस के एवज में----- (दिन/माह/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया

4. *मैं / हम* इस बात की घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मकारों को नोटिस अवधि समाप्ति पर या पहले औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70* / धारा 75* के अधीन उनको दिए जाने वाले बकाया प्रतिकर सहित उनके सभी देय का सदाय कर दिया गया है/करेंगे।

या

मैं / हम यहां उल्लेख करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान /उपक्रम /नियोक्ता के संबंध में दिवालियापन की कार्यवाही जारी है, तथा यह कि *मैं / हम* संबंधित विधियों के अधीन प्रतिकर के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

5. (छंटनी) मैं / हम इस बात की घोषणा करते हैं कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कर्मकारों की छंटनी की गई है/की जाएगी।
6. मैं* / हम* इस बात की घोषणा करते हैं कि इस विषय में कोई कोर्ट केस किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा संलग्न है।
7. मैं* / हम* इस बात की घोषणा करते हैं कि इस नोटिस और संलग्नक में मेरे* / हमारे* द्वारा उपरोक्त सूचना सही है, मैं* / हम* इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस विषय में किसी तथ्य / प्रमाण को छुपाया नहीं गया है।

भवदीय

(नियोजक /***अधिकृत प्रतिनिधि का नाम मोहर सहित)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(*** नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

प्रतिलिपि:

- (1) संबंधित क्षेत्र के उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)। संबंधित क्षेत्र के उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)
- (2) स्थापनों या उपक्रमों में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत संघों/कर्मकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों को।

प्ररूप -14

(नियम 30, 31, 33, और 35 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 10 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी नियोक्ता / औद्योगिक स्थापन/ उपक्रम द्वारा केंद्रीय सरकार को दी जाने वाली ले-ऑफ (कामबंदी) / ले-ऑफ को जारी रखने / छंटनी / बंदी की अनुमति हेतु आवेदन)(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 10 के अधीन केंद्रीय सरकार को कामबंदी/ कामबंदी को जारी रखने/छंटनी/तालाबंदी के लिए अनुमति हेतु आवेदन)

(ऑन लाइन जमा किया जाना है। अनिवार्यता के मामले में निम्न निर्धारित प्रारूप में लिखित में)

औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या नियोक्ता का

नाम.....

कर्मकार पहचान

संख्या.....

.....

तारीख:.....

(टिप्पण: निम्न दर्शाए गए रूप में केंद्रीय सरकार को आवेदन देना होगा:

कामबंदी: प्रस्तावित ले-ऑफ से कम से कम 15 दिन पहले

कामबंदी को जारी रखने हेतु – पूर्ववर्ती ले-ऑफ की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले

छंटनी – छंटनी की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 60 दिन पहले

तालाबंदी– तालाबंदी की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले)

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
नई दिल्ली।

1. *(ले-ऑफ/कामबंदी) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78(2) के अधीन, मैं/हम अपने स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में से कर्मकारों ** के 'ले-ऑफ (कामबंदी) की अनुमति' के लिए तारीख (दिन/माह/वर्ष) से आवेदन करता हूँ/करते हैं (ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया जाना है), जिसके कारण उपाबंध-1 में स्पष्ट किए गए हैं।"

या

*(ले-ऑफ/कामबंदी को जारी रखना) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78(3) के अधीन, मैं/हम अपनी स्थापना में कुल ले-ऑफ (कामबंदी) किए गए कर्मकारों में से कर्मकारों** के

'ले-ऑफ (कामबंदी) को जारी रखने की अनुमति' के लिए तारीख (दिन/माह/वर्ष) से आवेदन करता हूँ/करते हैं (ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया जाना है), जिसके कारण उपाबंध-1 में स्पष्ट किए गए हैं।***

या

*(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 79(2) के अधीन, मैं/हम अपने स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में से कर्मकारों** की 'प्रस्तावित छंटनी की अनुमति' के लिए तारीख (दिन/माह/वर्ष) से आवेदन करता हूँ/करते हैं (ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया जाना है), जिसके कारण उपाबंध-1 में स्पष्ट किए गए हैं।

या

*(बंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 80(1) के अधीन, मैं/हम आपको सूचित करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा उपक्रम (औद्योगिक स्थापनया उपक्रम या नियोक्ता का नाम) को तारीख (दिन/माह/वर्ष) से बंद करने का प्रस्ताव है (ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया जाना है), जिसके कारण उपाबंध-1 में स्पष्ट किए गए हैं। उपक्रम की बंदी के कारण जिन कर्मकारों की सेवाएँ समाप्त की जाएंगी, उनकी संख्या (कर्मकारों की संख्या) है।

(ले-ऑफ/ ले-ऑफ की निरंतरता) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78 (2)/ धारा 78(3) के(दिन /माह/वर्ष) के अधीन कर्मकार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या

(छंटनी/बंदी) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 79/धारा 80 के अधीन कर्मकार संबंधित दी गई(दिन /माह/वर्ष) की सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 79*/ धारा 80* के अधीन अपेक्षित सूचना के बदले, कर्मकार(कर्मकारों) को तारीख..... (दिन /माह/वर्ष) को तीन महीने का वेतन दे दिया गया है (छंटनी/बंदी के मामले में)।

2. उपाबंध 2 में प्रभावित कर्मकारों का ब्यौरा है।
3. (छंटनी) मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कर्मकार छांट दिए जाएंगे।
4. मैं/हम यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि संबंधित कर्मकार(कारों) को नोटिस की अवधि की समाप्ति से पहले या उस दिन, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78(10)/ धारा 79/ धारा 80* के साथ पठित धारा 67 के अधीन देय सभी बकाये और मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है*/कर दिया जाएगा*।

या

मैं/हम यह कथन करता हूँ/करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापना/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवाला कार्यवाही (Insolvency proceedings) चल रही है, और मैं/हम संबंधित विधियों के अधीन उन्हें देय मुआवजे के साथ सभी बकाये का भुगतान करूंगा/करेंगे।

5. मैं/हम यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई न्यायालय मामला लंबित नहीं है, और यदि है, तो उसका विवरण इसके साथ संलग्न कर दिया गया है।

6. मैं/हम यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस नोटिस और उपाबंधों में दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ/हैं और इस मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गई है।

कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय

(मोहर सहित नियोक्ता /***अधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(*** नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

उपाबंध 1

(कृपया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)

1.	पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लैंड लाइन सहित उपक्रम का नाम	
2.	उपक्रम की स्थिति --- (i) क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/ इत्यादि (ii) क्या एक निजी लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/साझेदारी फर्म (iii) क्या उपक्रम के पास लाइसेंस है। पंजीकरण है और यदि हां तो, लाइसेंस देने / रजिस्ट्रीकरण करने वाली प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस / रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या	
3.	(क) कॉर्पोरेट आईडेंटिफिकेशन संख्या (ख) गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईडेंटिफिकेशन संख्या (जीएसटीआईएन)	
4.	(i) पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन - (ii) पिछले 12 मास के लिए उत्पादन संबंधी माहवार ब्यौरे	
5.	पिछले तीन वर्षों के लिए तुलना पत्र, लाभ और हानि संबंधी ब्यौरे सहित उस कानूनी इकाई की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो स्थापन / उपक्रम के वासी है।	संलग्न करना है
6.	एक ही प्रबंधन के अधीन अंतः संबद्ध कंपनियों या कंपनियों के नाम	

7.	प्रस्तावित ले-ऑफ (कामबंदी)/ले-ऑफ (कामबंदी) को जारी रखने/छंटनी/बंदी (क्लोजर) के कारण	
8.	प्रत्येक ऐसी छंटनी/सेवा समाप्ति/ छंटनी की निरंतरता में शामिल ऐसी छंटनी/सेवा-समाप्ति की कर्मकारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों में की गई छंटनी / सेवा समाप्ति का ब्यौरा	
9.	किसी भी अन्य सुसंगत विवरण, जिसका असर छंटनी / छंटनी की निरंतरता / सेवा समाप्ति / बंद होने पर है।	

उपाबंध 2

(प्रभावित कर्मकारों का ब्यौरा)

क्र.सं.	यूएन/सीएमपीएफओ	कर्मकार का नाम	श्रेणी (अतिकुशल/ कुशल/अर्ध कुशल/ अकुशल)	संबंधित स्थापन /उपक्रम/नियोक्ता के साथ सेवा की तारीख	आवेदन की तारीख के अनुसार वेतन	टिप्पणियां
1						
2						
3						

प्ररूप-15

[नियम 38 देखें]

(नियोक्ता/व्यक्ति को नोटिस जिसने पहली बार अपराध किया है)

कंपाउंडिंग ऑफिसर, आपको सूचित करता है कि निम्नलिखित ब्यौरा के अनुसार इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए आपके विरुद्ध आरोप लगाया गया है:—

भाग -1

1. अपराधी नियोक्ता/व्यक्ति का नाम और पता-
2. स्थापन का पता
4. अपराध का विवरण

5. संहिता की वह धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है

.....

6. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली शमन

रकम.....

भाग -2

आपको परामर्श दी जाती है कि इस नोटिस के भाग - 3 में विधिवत भरे गए आवेदन के साथ, नियम 38 के साथ पठित अपराध के शमन के लिए इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करें।

यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त रकम जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा और संहिता की धारा 87 के अधीन अभियोजन फाइल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

भाग - 3

1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (2020 का 35) के अधीन अपराध करने वाले नियोक्ता/व्यक्ति का नाम का उल्लेख किया जाना है.....

2. आवेदन का पता.....

3. अपराध का विवरण

.....

.....

..

4. संहिता की वह धारा जिसके अधीन अपराध किया गया हो

.....

5. जमा की गई शमन रकम का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न रसीद संलग्न की जानी है).....

6. अभियोजन का विवरण दिया जाए यदि उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए फाइल किया जाता है,

.....

7. क्या अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया गया है, तो अपराध का पूरा विवरण

.....

.....

.....

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है

.....

.....

.....

आवेदक
(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

प्ररूप - 16
(नियम 40 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन शिकायत)

सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ----,

.....के मामले में संदर्भ संख्या.....

क.....

शिकायतकर्ता;

बनाम

ख.....

प्रतिपक्षी

पता:

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) ने शिकायत की है कि प्रतिपक्ष औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी रहा है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(कथित उल्लंघन किस रीति से हुआ है और किन आधारों पर प्रबंधन के आदेश या कृत्य को चुनौती दी गई है, उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रदान करें)

तदनुसार, शिकायतकर्ता /प्रार्थना करते हैं कि सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ऊपर निर्धारित शिकायत पर निर्णय लेने और उस पर ऐसे आदेश या आदेश पारित करने की कृपा करे, जो वह उचित और उचित समझे।

नियम 40 के अधीन अपेक्षित शिकायत की प्रतियों की संख्या और उसके अनुलग्नक इसके साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

दिनांक _____ 20 _____ शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर पैरा.....में जो कहा गया है मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और ऊपर पैरा में जो कहा गया है..... प्राप्त जानकारी पर कहा गया है और मेरे द्वारा सत्य है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा दिनांक _____ 20 _____ हस्ताक्षर किए गए हैं।

हस्ताक्षर

या सत्यापन करने वाले _____ व्यक्ति के अंगूठे का निशान

[फा. सं. एस-11025/01/2026-आई.आर.(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 342(E).—Whereas, the draft of the Industrial Relations (Central) Rules, 2025, as required under sub-section (1) of section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 930(E), dated the 30th December, 2025 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said draft notification were made available to the public on the 30th December, 2025;

And whereas, objections and suggestions received from persons and stakeholders have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) and in supersession of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, in so far as they relate to Part II and Parts V to VIII; and the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946, in so far as they relate to these rules except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Industrial Relations (Central) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Code” means the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);
- (b) “electronically” means any information submitted by email or uploading on the official portal or digital payment in any mode for the purposes of the Code;
- (c) “Form” means the forms set forth in the Schedule to these rules;
- (d) “section” means a section of the Code.

(2) Words and expressions used in these rules which are not defined, but are defined in the Code, shall have their respective meanings assigned to them in the Code.

3. References of certain authorities and officers of industrial establishments under the Code.— (1) The reference to the Central Government or the Government of India, in relation to an industrial dispute in respect of a Union territory without legislature, shall be construed as a reference to the Administrator of such Union territory, for which the appropriate Government is the Central Government; and the reference to the Chief Labour Commissioner (Central), Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Regional Labour Commissioner (Central) and the Assistant Labour Commissioner (Central) shall be construed as reference to the respective appropriate authority, appointed in that behalf by the Administrator of that Union territory.

(2) For the purposes of these rules, with reference to clause (m) of section 2 of the Code, it is hereby specified that—

(a) in relation to an industry, not being an industry referred to in sub clause (ii) thereof, carried on by or under the authority of a Ministry or Department of the Central Government or a State Government, the officer-in-charge of the industrial establishment shall be the employer in respect of that establishment; and

(b) in relation to an industry concerning railways, carried on by or under the authority of a Ministry or Department of the Central Government,—

- (i) the General Manager thereof shall be the employer in respect of regular railway servants other than casual labour in the case of an establishment of a Zonal Railway;
- (ii) the Officer-in-charge of the establishment shall be the employer in respect of regular railway servants other than casual labour in the case of an establishment independent of a Zonal Railway; and
- (iii) the District Officer-in-charge or the Divisional Personnel Officer or the Personnel Officer, as the case may be, shall be the employer in respect of casual labour employed on Zonal Railway or any other railway establishment independent of a Zonal Railway.

4. Memorandum of settlement.— (1) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or a written agreement between the employer and worker arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be in Form I.

(2) The settlement shall be signed, —

(a) by the employer or by his authorised agent, or where the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other principal officer of such company or such other body corporate; and

(b) on behalf of workers, by any of the following office bearers of Trade Union, namely: —

- (i) the President; or
- (ii) the Vice-President; or
- (iii) the Secretary (including the General Secretary); or
- (iv) the Joint Secretary; or
- (v) any other office bearer of the Trade Union authorised in this behalf by the President and Secretary of the Union; or
- (vi) five representatives of workers duly authorised in this behalf at the meeting of the workers held for the purpose.

(3) In case of an industrial dispute between individual worker and employer, the settlement shall be signed by the employer and the worker concerned.

(4) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings, the conciliation officer shall send a report thereof to the Central Government together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute.

(5) Where a settlement is arrived at between an employer and his worker otherwise than in the course of conciliation proceedings, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or by speed post to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) and to the conciliation officer.

(6) The conciliation officer shall file all settlements effected under this rule in respect of industrial disputes in the area within his jurisdiction in the register maintained electronically or otherwise.

(7) The register referred to in sub-rule (6), shall contain the details including serial number, name of the industry, parties to the settlement, date of settlement, remarks and whether settlement was arrived at after the intervention of conciliation officer or by mutual negotiation:

Provided that signature of the conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation:

Provided further that nothing in this rule shall prohibit a settlement between a worker or workers or Trade Union and an employer on mutually agreed terms and such settlement may be in a format other than in Form I.

CHAPTER II

BI-PARTITE FORUMS

5. Works Committee and its constitution.— (1) Every employer to whom an order made by the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Code relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee (hereinafter in this chapter referred to as the “Committee”) to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workers and, to that end, to comment upon matters of common interest or concern, as specified in these rules.

(2) (i) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the industrial establishment.

(ii) The total number of members of the Committee shall not exceed twenty.

(iii) The number of representatives of the workers in the Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein:

Provided that the industrial establishment in which women workers are employed shall have adequate representation of women workers in the Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.

(3) The representatives of the employer in the Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with the working of the industrial establishment.

(4) Where the workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union or Trade Unions, the employer shall request such registered Trade Union or Trade Unions to inform him in writing as to—

(a) number of the workers who are members of such registered Trade Union or Trade Unions; and

(b) if the employer has reason to believe that the information furnished to him by the registered Trade Union or Trade Unions is false, he may, after informing such registered Trade Union or Trade Unions, refer the matter to the Regional Labour Commissioner (Central), who shall, after hearing the parties, decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information under sub-rule (4), the employer shall provide for the choosing of the worker’s representative of the Committee in the following manner, namely:—

(a) in the case of a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 of the Code, such negotiating union shall nominate the worker’s representatives of the Committee;

(b) in the case of the negotiating council under sub-section (4) of section 14 of the Code, every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be nominated in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(c) where there is no recognised negotiating union or negotiating council referred to in clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker’s representatives of the Committee:

Provided that the employer may, deploy an electronic platform for conducting the election process over an information technology application, online platform or such other platform to enable the election of the representatives of workers to the Committee under this clause:

Provided further that where a registered Trade Union fails to furnish the information under sub-rule (4) within one month of the date on which it is so called for, then, such Trade Union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist:

Provided also that where any reference has been made by the employer under sub-rule (4), the process of choosing the worker's representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the concerned Regional Labour Commissioner (Central).

(6) The employer may, if he thinks fit, direct that the workers shall vote either by groups, sections, shops or departments.

(7) Any worker, of not less than nineteen years of age and with a service of not less than one year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule, be a candidate for election as a worker's representative of the Committee:

Provided that such service qualification shall not apply to the first election in an industrial establishment which has been in existence for less than a year.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, a worker who has put in continuous service for not less than one year in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein.

(8) All workers who are not less than eighteen years of age and who have put in not less than six months' continuous service in the industrial establishment shall be entitled to vote in the election of worker's representative of the Committee.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, a worker who has put in continuous service of not less than six months in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein.

(9) (i) The employer shall give a minimum time period of three working days for filing of nomination along with other requisite details while fixing a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker's representatives of the Committee.

(ii) The date fixed by the employer for holding the election referred to in clause (i) shall not be earlier than three days and not later than fifteen days after the closing date for receiving nominations.

(iii) The date of election fixed under clause (i) shall be notified seven days in advance and such notice shall specify the number of seats to be elected and shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishment and given adequate publicity amongst the workers.

(10) (i) Every nomination for election as worker's representative of the Committee shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them.

(ii) Each nomination paper referred to in clause (i) shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section, shop or department, which the candidate seeking election shall represent, and shall be delivered to the employer.

(11) (i) On the day following the last day fixed for filing nomination papers, the nomination papers shall be scrutinised by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those nominations which are not valid shall be rejected.

(ii) A nomination paper shall be held to be not valid under clause (i), if—

(a) the candidate nominated is ineligible for being a candidate under sub-rule (7); or

(b) the requirements of sub-rule (10) have not been complied with:

Provided that where a candidate or an attesting person is not able to be present at the time of scrutiny, the candidate may send a duly authorised nominee for this purpose.

(12) Any candidate whose nomination for election has been accepted may withdraw his candidature within forty-eight hours of the completion of scrutiny of the nomination papers.

(13) (i) In case the number of candidates who have been validly nominated for election as worker's representative of the Committee is equal to the number of seats, the candidates as such shall be forthwith declared as duly elected.

(ii) Where, in any industrial establishment, the number of candidates validly nominated for election as worker's representative of the Committee is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election.

(14) (i) The Committee shall have among its office-bearers, a Chair person, Vice-Chairperson, Secretary and Joint-Secretary.

(ii) The Chairperson of the Committee shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives of the Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment.

(iii) The Vice-Chairperson shall be elected by the members of the Committee representing the workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice-Chairperson, the matter shall be decided by a draw of lot.

(iv) The Secretary and Joint-Secretary of the Committee shall be elected every year.

(v) The Committee shall elect the Secretary and Joint Secretary and where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and *vice versa*:

Provided that the post of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of either the employer or the workers for three consecutive years:

Provided further that the employer's representatives shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, and the representatives of the workers shall be entitled to vote in elections for the post of Secretary or Joint Secretary:

Provided also that in the event of equality of votes in an election under this sub-rule, the matter shall be decided by a draw of lot.

(15) (i) The term of office of the members of the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy, shall be three years.

(ii) Every member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of his predecessor.

(iii) In case any member fails to attend three consecutive meetings of the Committee without obtaining leave from the Committee, his membership shall be forfeited.

(16) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (iii) of sub-rule (15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule for the remaining period of the Committee from the same group to which the member vacating the seat belonged.

(17) The Committee shall have the right to co-opt persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion in a consultative capacity and such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee.

(18) (i) The Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.

(ii) The Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(19) (i) The employer shall provide a place for holding meetings of the Committee and provide all necessary facilities for carrying out the work of the Committee.

(ii) The Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representatives of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting.

(iii) The Secretary of the Committee may with the prior approval of the Chairperson, put up notice regarding the functions of the Committee on the notice board of the industrial establishment.

(20) The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided in the rules made in this behalf under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020 (37 of 2020).

(21) The Central Government, or the officer authorised in its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem fit, dissolve any Committee at any time, by an order for reasons to be recorded in writing, on being satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with the provisions of these rules or that not less than two-thirds of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason, ceased to function:

Provided that where the Committee is dissolved under this sub-rule, the employer may, and if so required by the Central Government or, as the case may be, by such officer, shall take steps to re-constitute the Committee in accordance with these rules.

6. Grievance Redressal Committee.— (1) The Grievance Redressal Committee (hereinafter in this Chapter referred to as the “Grievance Committee”) in an industrial establishment employing twenty or more workers, shall consist of equal number of members representing the employer and workers, which shall not exceed ten members.

(2) The representatives of the employer in the Grievance Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representative of workers of the Grievance Committee shall be chosen in the following manner, namely: —

(a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 of the Code, such negotiating union shall nominate the worker’s representatives of the Grievance Committee;

(b) in the case of a negotiating council under sub-section (4) of section 14 of the Code, every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be nominated in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(c) where there is no recognised negotiating union or negotiating council referred to in the clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker’s representatives of the Grievance Committee:

Provided that the employer may, deploy an electronic platform for choosing worker’s representatives under this clause, over an information technology application, online platform or such other like platform:

Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.

(4) The term of the members of the Grievance Committee shall be three years.

(5) Where there is no recognised negotiating union or negotiating council and if any dispute arises regarding choosing of the worker’s representative to the Grievance Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Labour Commissioner (Central), who shall, after hearing the parties, decide the matter, whose decision shall be final.

7. Application to Grievance Committee.— (1) Any aggrieved worker may file an application stating his grievance before the Grievance Committee, along with name, designation, worker code or token number, department where he is posted, length of his service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievance and the relief sought therefor.

(2) The application referred to in sub-rule (1) may be sent electronically or otherwise.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be filed within one year from the date on which the cause of action arose.

8. Application to conciliation officer.— Any worker aggrieved by the decision of the Grievance Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application online on designated portal of the Ministry of Labour and Employment, or by speed post, or in person, within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 of the Code expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member:

Provided that in case of manual receipt of such application through speed post or in person, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the Trade Union and worker.

CHAPTER III

TRADE UNIONS

9. Manner of recognition of negotiating union or negotiating council.-

(1) Matters for negotiation.— The matters pertaining to workers which the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) of section 14 of the Code are specified, below: -

- (i) the classification of grades and categories of workers;
- (ii) order passed by an employer under the standing orders applicable in the industrial establishment;
- (iii) the wages of the workers including their wage period, dearness allowance, bonus, increment, customary concession or privileges, compensatory and other allowances;
- (iv) hours of work of the workers, rest days, number of working days in a week, rest intervals, working of shifts;
- (v) leave with wages and holidays;
- (vi) promotion and transfer policy and disciplinary procedures;
- (vii) quarter allotment policy for workers;
- (viii) safety, health and working conditions and related standards;
- (ix) the matters pertaining to conditions of service and terms of employment of the workers which are not covered in the foregoing clauses; and
- (x) any other matter which is agreed between employer of the industrial establishment and negotiating union or negotiating council, as the case may be.

(2) Criteria for recognising single registered Trade Union.— under sub-section (2) of section 14 of the Code.— Where there is only one registered Trade Union operating in an industrial establishment having its membership not less than thirty per cent. of the total workers employed in the industrial establishment, the employer of such industrial establishment shall recognise such Trade Union as the sole negotiating union of the workers.

(3) Manner of verification of membership of Trade Unions under sub-sections (3) and (4) of section 14 of the Code.— (a) (i) The Central Government shall appoint a verification officer (hereinafter in this chapter, referred to as the verification officer) for the purpose of verification of membership of the Trade Unions in the industrial establishment who shall not have any interest with any of the Trade Unions in the industrial establishment, whose membership verification is to be carried out by him:

Provided that the process for recognition of the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall commence three months before the expiry of the term of the existing recognition period of the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, recognised by the employer under the Code.

(ii) The verification officer may utilise the services of other officers to assist him depending upon the quantum of work of membership verification.

(iii) The verification officer shall carry out the work of membership verification in the industrial establishment within the time as determined by the Central Government.

(b) The employer of the industrial establishment shall bear all the expenses and make arrangements in connection with the verification of membership of Trade Unions under clause (a).

(c) The Trade Unions may submit an application to the employer of the industrial establishment to accord status of negotiating union or the representatives of negotiating council of the workers, as the case may be, on fulfillment of the following conditions namely,-

(i) such Trade Union has a valid registration under the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926) and continuing as such or has the registration under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), as the case may be; and

(ii) the application for recognition by the Trade Union is accompanied with a copy of the registration certificate, a copy of list of members, details of the membership subscription and a copy of latest annual return of the Trade Union submitted to the Registrar of Trade Unions.

(d) (i) In case the negotiating union or negotiating council, is constituted under the Code, the employer of the industrial establishment shall initiate action before expiry of the tenure of negotiating union or negotiating council, sufficiently in advance but not later than three months before the expiry of the tenure of negotiating union or negotiating council, as the case may be.

(ii) The date of reckoning of verification of membership of the Trade Unions shall be fixed by the verification officer for the industrial establishment.

(iii) The employer of the establishment shall forward the documents and records submitted by Trade Unions, to the verification officer.

(iv) On receipt of the documents and records, the verification officer shall scrutinise the records and documents submitted by the Trade Union to ascertain the status of registration of Trade Unions and related matters.

(v) The verification officer shall hold meeting with representatives of employer of industrial establishment and all participating Trade Unions to decide the process of verification of the membership of Trade Unions through secret ballot.

(vi) The employer may, in consultation with the verification officer deploy an electronic process for conducting the election over an information technology application, online platform or like other platform.

(4) Verification of membership through secret ballot.- (a) The verification officer shall convene meeting of representatives of all registered Trade Unions functioning in the industrial establishment sixty days before the date of actual voting to decide -

- (i) the publication of voters list;
- (ii) the date, time, mode of voting, place of voting;
- (iii) the date, time and place of counting; and
- (iv) other modalities relating to secret ballot.

(b) The verification officer shall cause the minutes of the meeting to be prepared and signed by all participating Trade Unions.

(c) All participating Trade Unions shall be allotted symbols in the same meeting.

(d) In case no decision could be taken regarding date, time, mode of voting, place of voting, allotment of symbols, date, time and place of counting and like other matters in the meeting, the decision of the verification officer shall be final and he shall publish the schedule, programme and procedure of such secret ballot election.

(e) All workers whose names are borne on the muster roll of the industrial establishment on the date of reckoning shall be eligible to cast their vote.

(f) The voters list shall be prepared by the employer of the industrial establishment on the basis of names of the workers borne on the muster roll referred to in clause (e) and the voters list shall contain the name, father's name, designation, worker number or identity card number issued by the employer and place of posting of the worker.

(g) The final voter list shall be published by the employer after obtaining the approval of verification officer and be displayed at notice board at the main entrance and also on website, if any, of the industrial establishment within two days of finalisation of the list and a copy of such voters list shall also be sent to the participating Trade Unions by hand or by speed post or through electronic mode.

(h) The verification officer shall display the list of the name of the participating Trade Unions with the symbol allotted to them on the notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment within two days of finalisation of the list.

(i) The voting and counting of votes shall be held on the date, time and place fixed by the verification officer under the supervision of the verification officer and during the counting, agents of all participating Trade Unions shall be allowed to remain present.

(j) After final counting of votes, the result shall be declared by the verification officer which shall contain the name of all Trade Unions who participated in election, total number of votes polled and the number of votes cast in favour of each of the trade unions which participated in the election.

(5) Verification report.- The verification officer shall submit verification report along with the result sheet to the employer of industrial establishment.

(6) Recognition of Trade Union as negotiating union or constituents of negotiating council.- (a) On the basis of verification report submitted by verification officer, the employer of the industrial establishment shall grant recognition to the Trade Union as a negotiating union or a constituent of negotiating council.

(b) The recognition granted under clause (a), either as negotiating union or the negotiating council shall be valid for three years from the date of recognition or constitution or such further period not exceeding five years, in total, as may be mutually agreed by the employer and the Trade Union, as the case may be.

(7) Facilities provided by industrial establishment.- (a) In an industrial establishment, where there is a negotiating union or negotiating council, as the case may be, the employer of such industrial establishment shall provide the following facilities namely: -

- (i) notice board for the purpose of displaying information relating to activities of the negotiating union or negotiating council;
- (ii) venue and necessary facilities for holding discussions by the negotiating union or negotiating council, as per the schedule and agenda to be settled between employer of the industrial establishment and the negotiating union or negotiating council;
- (iii) venue and necessary facilities for holding discussions amongst the members of the negotiating union or constituents of negotiating council;
- (iv) entrance of the office bearers of the negotiating union or negotiating council, in the industrial establishment for the purposes of ascertaining the matters relating to working conditions of the workers;
- (v) employer of an industrial establishment, having three hundred or more workers, shall provide suitable office accommodation with necessary facilities to the negotiating union or negotiating council.

(b) The employer of the industrial establishment shall deduct subscription of the members of the Trade Union on the basis of the written consent of the worker.

(c) The office bearers of the negotiating union or negotiating council shall be treated on duty while holding meetings with the employer.

(8) Application for adjudication of dispute before Tribunal.- Where any dispute arises between –

- (i) one Trade Union and another; or
- (ii) one or more workers who are members of Trade Union and the Trade Union regarding registration, administration or management or election of office bearers of the Trade Union; or
- (iii) one or more workers who are refused admission as members and the Trade Union; or
- (iv) where the dispute is in respect of a Trade Union which is a federation of Trade Unions and office bearer authorised in this behalf by the Trade Union,

the aggrieved worker or the Trade Union, as the case maybe, may make an application in Form-II to the Tribunal having jurisdiction within a period of one year from the date on which the dispute arises, electronically or by speed post or in person.

CHAPTER IV**STANDING ORDERS**

10. Model Standing Orders. - The Model Standing Orders for the purposes of the Code in respect of industrial establishments in mine sector, manufacturing sector and service sector shall be those set out under the Model Standing Orders, 2026.

Forwarding of information to certifying officer.— (1) In case the employer adopts the Model Standing Orders of the Central Government referred to in section 29 of the Code with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, the employer shall inform the concerned certifying officer electronically or in person or by speed post, the specific date from which the provisions of the Model Standing Orders have been adopted.

(2) The Model Standing Order adopted under sub-rule (1) shall apply to the industrial establishment and to all its units.

(3) On receipt of information under sub-rule (1), the certifying officer shall enter the details of the industrial establishment which has adopted the Model Standing Order in the register specified in rule 17.

(4) Where the certifying officer observes that the industrial establishment, which has informed adoption of Model Standing Orders is engaged in activities other than for which Model Standing Orders have been adopted, he may, within a period of thirty days from such receipt of information of Model Standing Orders so adopted, direct such employer to include or adopt certain provisions which are relevant to his industrial establishment and indicate those relevant provisions to comply the same within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and send a compliance report in respect of those provisions only which the certifying officer has so directed to get included.

(5) If no observation is made by the certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information specified in sub-rule (1), the Model Standing Order shall be deemed to have been certified by the certifying officer.

(6) The provisions of the Model Standing Orders adopted in accordance with the provisions of these rules shall come in force with effect from the date specified in sub-rule (1).

(7) The certifying officer shall not raise any observation, if the industrial establishment is engaged in activities which are wholly covered by the activities of the industrial establishment to which the standing orders apply.

11. Choosing of representatives of workers for issuing notice where there is no Trade Union.— (1) Where there is no Trade Union in the industrial establishment or undertaking, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose their representatives, to whom shall, upon their being chosen, issue notice along with a copy of the standing order or modification, as the case may be, in the language spoken and understood by the majority of the workers, requiring comments or suggestions, if any, which the workers may desire to make to the draft standing orders to be submitted within fifteen days from the date of receipt of such notice.

(2) The Trade Union or negotiating union or constituent of negotiating council shall be given a copy of the draft standing orders or modification, as the case may be, in the language spoken and understood by the majority of the workers, for seeking their comments or suggestions, if any, within fifteen days from the date of the receipt of the notice in this rule.

12. Authentication of certified standing order.— The certified standing orders or the modifications in the standing orders shall be authenticated by the certifying officer and shall be sent electronically and a hard copy thereof by speed post, within seven days from the date of such authentication to the employer and all the registered Trade Unions or chosen representative of workers:

Provided that there shall not be any requirement of authentication under this rule in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 of the Code and in cases where the employer has certified adoption of Model Standing Orders.

13. Statement to accompany draft standing orders.— (1) The draft standing order shall be accompanied with a statement containing, the name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address,

contact number and the strength and details of workers employed therein including particulars of Trade Unions, if any, to which such workers belong.

(2) The draft modification in an existing standing order shall be accompanied with a statement containing the particulars of such standing order which is proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the provision of that standing order in force and the proposed modification therein and reasons therefor.

(3) The statement referred to in sub-rules (1) and (2) shall be signed by a person authorised by the industrial establishment or undertaking.

(4) The Model Standing Orders, if modified, shall also apply to all the units of the industrial establishment or undertaking.

14. Conditions for submission of draft standing orders in similar establishment.— In case of group of employers engaged in similar industrial establishments, they may, after consultation with the concerned Trade Union, submit a joint draft of standing order under section 30 of the Code and the provisions of these rules shall apply:

Provided that the joint draft of standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, shall be drafted and submitted to the Additional Chief Labour Commissioner (Central), who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify such joint draft standing orders, after recording reasons therefor:

Provided further that the certifying officer shall give notice to the concerned parties and provide reasonable opportunity of being heard before certifying the standing orders.

15. Disposal of appeal.— (1) An employer or Trade Union or the negotiating union or negotiating council, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking, may prefer an appeal against the order of the certifying officer made under sub-section (5) of section 30 of the Code within sixty days of the receipt of such order, and for that purpose draw up a memorandum of appeal in a tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added along with the reasons therefor, and file it electronically or in person with the appellate authority.

(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given, —

(a) where the appeal is filed by the employer, to Trade Union or the negotiating union or negotiating council, as the case may be, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking;

(b) where the appeal is filed by a Trade Union or the negotiating union or negotiating council, to the employer and the negotiating union or the negotiating council or all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment, as the case may be, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking; and

(c) where the appeal is filed by a representative body of the workers, to the employer and other Trade Unions of the workers of the industrial establishment, or where there is no trade union of the workers in an industrial establishment or undertaking, any other worker who joins as a party to the appeal.

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal referred to in sub-rule (1).

(4) The appellate authority may, at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.

(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it considers relevant, if produced, and after hearing the parties, dispose of the appeal.

16. Serving of order and text of standing orders. - (1) The order of the appellate authority shall be served electronically or otherwise within three days of the disposal of appeal to the employer or Trade Union or the negotiating

union or negotiating council or any union or representative body of the workers, as the case may be, by whom the appeal has been filed.

(2) The text of the standing orders as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders under this Chapter, shall be maintained by the employer in Hindi, English and local language.

(3) The certified standing orders shall be displayed in legible manner by the employer on the special board to be maintained for the purpose at the entrance or near the entrance of the industrial establishment through which majority of workers enter and may also be posted on the designated portal/website, if any, of such industrial establishment.

17. Register of standing orders.— (1) The certifying officer shall maintain electronically, a register in Form-III of all finally certified standing orders or deemed to have been certified or adopted Model Standing Orders, of all the concerned industrial establishments, which shall contain details of –

- (a) the unique number assigned to each standing order;
- (b) the name of industrial establishment;
- (c) the nature of industrial establishment;
- (d) the date of certification or deemed certification or date of adoption of Model Standing Orders by each establishment or undertaking;
- (e) the areas of operation of the industrial establishment; and
- (f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certified standing orders referred to in sub-rule (1) to any person applying therefor, on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be.

(3) The payment of fee for getting certified standing orders may also be made electronically.

18. Application for modification of standing orders.— (1) The application for modification of existing standing orders shall be submitted electronically or in person or by speed post.

(2) The application specified in sub-rule (1) shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade Unions operating therein.

(3) The statement mentioned in sub-rule (2) shall be signed by a person authorised by the industrial establishment or undertaking or workers or a Trade Union or other representative body of the workers, as the case may be, who has submitted such application for modification.

CHAPTER V

NOTICE OF CHANGE

19. Notice for change.— (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form- IV electronically or by speed post or in person, to such workers likely to be affected by such change and shall also upload such notice on the designated portal, if any, of the industrial establishment.

(2) The notice mentioned in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on the electronic notice board at the main entrance of the industrial establishment:

Provided that when there is a registered Trade Union or registered Trade Unions or a negotiating union or negotiating council relating to the concerned industrial establishment, a copy of such notice shall also be served in the

manner specified in sub-rule (1) on the secretary of such Trade Union or each of the secretaries of such Trade Unions, or secretary of the negotiating union or constituent of negotiating council, as the case may be.

CHAPTER VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

20. Form of arbitration agreement and manner of signing by parties — (1) The employer and workers may agree to refer any industrial dispute to arbitration by entering into an arbitration agreement in Form- V.

(2) The arbitration agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed by the parties to the said agreement and it shall be accompanied by the consent, either in writing or electronically, of arbitrator or arbitrators.

(3) The arbitration agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed, -

- (i) in case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the company or corporation authorised for such purpose;
- (ii) in the case of workers, by the officer of the registered Trade Union authorised in this behalf or by five representatives of the workers duly authorised in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose; and
- (iii) in the case of an individual worker, by such worker himself or by an officer of the registered Trade Union, of which the worker is a member, or by another worker in the same establishment duly authorised by him in this behalf.

Explanation.— For the purposes of this rule, the term “officer”,—

- (a) in case of an association of the employers, means any officer of such association of the employers authorised for such purpose; and
- (b) in case of a registered Trade Union, means any of the following officers of such Trade Union authorised for such purpose, namely:—
 - (i) the President; or
 - (ii) the Vice-President; or
 - (iii) the Secretary (including the General Secretary); or
 - (iv) a Joint Secretary; or
 - (v) any other officer of such Trade Union authorised in this behalf by the President and Secretary of such Trade Union.

21. Issuing of notification.— Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the Central Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall issue a notification in this behalf and upload it on the website of the Ministry of Labour and Employment for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute so that they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

22. Choosing of representatives of workers where there is no Trade Union.— Where there is no Trade Union to present the case before the arbitrator or arbitrators, the representative of workers shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form- VI authorising to represent the case and the workers shall be bound by the acts of their representatives who have been so chosen to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

CHAPTER VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

23. Conciliation proceedings— (1) Where the conciliation officer receives any—

- (a) notice of a strike or lockout given under rule 25 or rule 26; or
- (b) application in respect of an existing industrial dispute; or
- (c) information regarding apprehension of an industrial dispute,

such officer shall—

- (i) in case of clause (a), enter the details on the designated portal and hold conciliation proceedings and inform the concerned parties the date of sitting for such purpose;
- (ii) in case of clause (b), enter the details on the designated portal and examine the application and if such dispute pertains to the jurisdiction of State Government, transfer the application to the concerned authority or otherwise proceed with the application and hold the conciliation in respect thereof; and
- (iii) in case of clause (c), enter the details on the designated portal and issue fresh notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings.

(2) The employer's representative and the worker's representative shall, on receipt of the notice referred to in sub-rule (1), submit their respective statements in respect of the said dispute in the first meeting of the conciliation proceedings.

(3) The conciliation officer shall, without delay, ascertain the facts and circumstances relating to the dispute and enquire into all matters affecting the merits and right settlement thereof and hold conciliation proceedings between the parties to the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement of the dispute.

(4) If no settlement is arrived at in the conciliation proceedings referred to in sub-rule (3), the conciliation officer shall, within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded, upload a report on designated portal of the Ministry of Labour and Employment and forward a copy thereof electronically or by speed post or in person to the parties to the dispute and to the Central Government.

(5) The report shall be made accessible to the parties concerned on the said designated portal by the Ministry of Labour and Employment.

(6) If settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings, the conciliation officer shall, apart from submitting a report to the Central Government or an officer duly authorised in this behalf by that Government along with a memorandum of the settlements signed by the parties to the dispute, also upload such report and memorandum of settlement on the designated portal of the Ministry of Labour and Employment.

(7) All evidences before the conciliation officer, except the documentary evidence, shall be filed in the form of an affidavit and the parties to the dispute shall also file the application or, as the case may be, file reply or rejoinder thereof in the form of an affidavit.

(8) The report referred to in sub-rule (4) shall, *inter alia*, contain the submissions of the employer, worker or Trade Union, as the case may be, involved in the dispute and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to an amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion arrived at by the conciliation officer.

(9) Where any dispute is not settled during the conciliation proceeding, the concerned party may make an application in Form II before the Tribunal electronically or by speed post or by speed post with value added services-Registration or POD (Proof of Delivery), within ninety days from the date of the report under sub-rule (5).

24. Application for recovery of dues.— (1) Where any money is due from an employer to a worker or a group of workers under a settlement or an award or under the provisions of Chapter IX or Chapter X of the Code, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply in Form -VII for the recovery of such money due:

Provided that in the case of a person authorised in writing by the worker, or in the case of the death of the worker, the assignee or heir of the deceased worker shall make the application in Form VIII.

(2) Where any worker or a group of workers is entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply to the Tribunal having jurisdiction in Form IX for the determination of the amount due or, as the case may be, the amount at which such benefit should be computed and such Tribunal shall decide the application within a period not exceeding three months from the date on which the application is filed:

Provided that in the case of the death of a worker referred to in this sub-rule, the application shall be made in Form X by the assignee or heir of the deceased worker.

CHAPTER VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

25. Notice of strike, person or persons to whom notice be given and manner of giving such notice.— (1) The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 of the Code shall be given in Form-XI, to the employer of an industrial establishment, which shall be duly signed by the Secretary of the concerned registered Trade Union or where there is no registered Trade Union, by five elected representatives of the workers giving the notice relating to the concerned industrial establishment, endorsing the copy thereof electronically or by speed post to the concerned conciliation officer, Chief Labour Commissioner (Central) and the Secretary, Ministry of Labour and Employment.

(2) The date of receipt of the notice referred to in sub-rule (1) shall be the date of receiving the notice for the purposes of clause (a) of sub-section (1) of section 62 of the Code.

(3) If the employer of an industrial establishment receives any notice of strike from any person employed, then the employer shall, within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer and Chief Labour Commissioner (Central).

26. Notice of lock-out and authority.— (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given in Form-XII by the employer of an industrial establishment to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment by speed post or electronically, endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Chief Labour Commissioner (Central) and the Secretary, Ministry of Labour and Employment electronically.

(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment and a copy of the said notice may also be posted on the designated portal, if any, of such industrial establishment and the date of receipt of such notice by the conciliation officer shall be the date of receiving the notice for the purposes of clause (a) of sub-rule (1) of rule 23.

(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, he shall, within five days from the date of such notice, inform electronically the same to the concerned conciliation officer and the Chief Labour Commissioner (Central).

CHAPTER IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

27. Service of notice before retrenchment.— If an employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year, such employer shall serve prior notice of retrenchment in Form-XIII to the Central Government and to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) through e-mail or speed post, in the following manner, namely, —

- (a) where prior notice is given to a worker under clause (a) of section 70 of the Code, notice of such retrenchment shall be served within three days from the date on which such notice is served on the worker;
- (b) where no prior notice is given to the worker under clause (a) of section 70 of the Code, and he is paid one month's wages in lieu thereof, notice of such retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid; and

- (c) where retrenchment is carried out under an agreement, which specifies a date for the termination of service, notice of such retrenchment shall be sent so as to reach the Central Government and a copy thereof to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), at least one month before such date:

Provided that if the date of termination of service agreed upon is within thirty days of the agreement, the notice of retrenchment shall be sent to Central Government along with a copy thereof to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) concerned within three days of the agreement.

28. Re-employment to retrenched workers.— (1) The employer shall prepare a list of all workers in the particular category from which retrenchment is contemplated, arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment, at least seven days before the actual date of retrenchment.

(2) When any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling such vacancies, the employer of such industrial establishment shall, if such workers are citizens of India and have given their willingness for employment, give them preference over other on the basis of their seniority.

(3) The employer shall arrange for the display on the notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment the details of vacancies, at least fifteen days before the date on which such vacancies are to be filled and shall also give information of those vacancies by speed post or through e-mail to all the retrenched workers eligible to be considered, on the latest address or e-mail given by each of them at the time of retrenchment or at any time thereafter:

Provided that when the number of such vacancies is less than the number of retrenched workers, it shall be sufficient, if the information is given by the employer individually to the senior most retrenched workers in the list referred to in sub-rule (1) and the number of such senior-most workers being double the number of such vacancies:

Provided further that where duration of the vacancy is of less than one month there shall be no obligation on the employer to inform of such vacancy:

Provided also, that if a retrenched worker without sufficient cause being shown in writing to the employer, does not offer himself for re-employment on the date or dates specified in the information sent to him under this sub-rule, the employer shall not inform such worker of the vacancies that may be filled on any subsequent occasion.

(4) As soon as the provisions of sub-rule (3) are complied, the employer shall also inform the negotiating union or the constituent of negotiating council or Trade Unions connected with the industrial establishment, of the number of vacancies to be filled and names of the retrenched workers to whom information has been sent under that sub-rule:

Provided that the provisions of this sub-rule shall not be complied with by the employer in any case where information is sent to every worker mentioned in the list prepared under sub-rule (1).

29. Service of notice for intended closure.— (1) If an employer intends to close down an industrial establishment, the employer shall give notice in Form-XIII at least sixty days before the date of intended closure to the Central Government and a copy thereof to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) by e-mail or speed post.

(2) A copy of the notice referred to in sub-rule (1) shall also be sent to the registered Trade Unions or authorised representatives of workers, as the case may be, operating in the Industrial establishments.

CHAPTER X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

30. Application for intended lay-off and manner of serving copy of such application to workers.— (1) An application shall be made by the employer in Form-XIV to the Central Government seeking permission for lay-off of a worker stating clearly therein the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned, electronically or in person or by speed post.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall also be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

31. Application to continue lay-off.— The employer shall, in case of an industrial establishment being a mine, where the workers other than *badli* workers or casual workers have been laid-off for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, make an application in Form-XIV to the Central Government electronically and by speed post with a copy to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) for permission to continue the lay-off—

- (a) specifying the number of days;
- (b) specifying the number of workers to be laid off;
- (c) the total number of workers employed in the industrial establishment;
- (d) the date of lay-off; and
- (e) the reasons for continuation of such lay-off.

32. Review of order.— (1) The Central Government may, either on its own motion or on an application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission for the lay-off.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application within thirty days from the date on which the order is made to the Central Government for reviewing the order and that Government shall, within two months from the date on which the application is made, dispose of the same after providing the concerned parties, an opportunity of being heard.

(3) Where the Central Government decides to review the order referred to in sub-rule (1) on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken.

33. Application for intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers.— (1) An application shall be made in Form- XIV by the employer to the Central Government electronically, stating clearly the reasons for the intended retrenchment therein and a copy of such application shall be sent to the concerned workers electronically, or in person, or by speed post.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

34. Review of order.— (1) The Central Government may, either on its own motion or on an application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission for the retrenchment.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application within thirty days from the date on which such order is made, to the Central Government for reviewing that order and that Government shall within a period of two months from the date on which such application is made, dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the Central Government decides to review the order referred to in sub-rule (1), on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which such order is made and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken.

35. Application for intended closing of industrial establishment and manner of serving copy of application to representatives of workers.— An employer who intends to close down an industrial establishment, to which the provisions of Chapter X of the Code apply, shall apply in Form XIV to the Central Government electronically for prior permission, at least ninety days before the date on which the intended closure is to become effective, stating clearly therein the reasons for such intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and in person, or by speed post.

36. Review of order.— (1) The Central Government may, either on its own motion or on an application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission for the closing down of an industrial establishment.

(2) The employer or any worker concerned may make an application along with the order referred to in sub-rule (1), within thirty days from the date on which such order is made, to the Central Government for reviewing that order and that Government shall, within two months from the date on which such application is made, dispose of that application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the Central Government decides to review the order referred to in sub-rule (1) on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made, and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken.

CHAPTER XI

WORKER RE-SKILLING FUND

37. Worker re-skilling fund.— (1) Every employer who has retrenched a worker in industrial establishment, shall, within ten days from the date of such retrenchment, electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the fund (name of the account) shall be displayed on the website of the Ministry of Labour and Employment and Chief Labour Commissioner (Central) to be maintained by the Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Regional Labour Commissioner (Central) or the office of the Assistant Labour Commissioner (Central), as the case may be.

(2) The fund so received under sub-rule (1) shall be transferred by the office of the Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Regional Labour Commissioner (Central) or the office of the Assistant Labour Commissioner (Central), electronically to each of the retrenched worker account within forty-five days of retrenchment to enable them to utilise that amount for his re-skilling.

(3) The employer shall also submit the list containing the name of the retrenched worker, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn by such retrenched worker along with his bank account details, to the office of the Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Regional Labour Commissioner (Central) or the office of the Assistant Labour Commissioner (Central), as the case may be.

CHAPTER XII

OFFENCES AND PENALTIES

38. Manner of composition of offence.— (1) The officer notified by the Central Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the “compounding officer”) shall, send a notice to the accused in Form XV through the designated portal of the Ministry of Labour and Employment.

(2) The accused to whom the notice is served under sub-rule (1), may send the duly filled up application in Part III of Form XV to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the court of competent jurisdiction, the accused may make an application to such court to allow composition of the offence against him and that court may, after considering the application, allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with the provisions of section 89 and procedure specified in this rule.

(4) In case the accused is willing to compound by submitting the application under sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence and—

- (a) in case the offence is compounded before the institution of prosecution, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused;
- (b) in case the offence is compounded pending proceeding under section 85 of the Code, the compounding officer shall inform the composition to the officer referred to in that section, who shall, after such information, close the proceeding in respect of such offence against the accused; and
- (c) in case the offence is compounded after the institution of prosecution with the permission of the court, the compounding officer shall treat the case as closed and inform the compounding of the offence to the competent court by which such composition was allowed and after receiving such information, the court shall discharge the accused.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

39. Protected workers.— (1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the provisions of the Code apply, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of such Trade Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of such Trade Union shall be recognised as protected workers.

(2) Any change in the incumbency of any officer of the Trade Union referred to in sub-rule (1), shall be communicated to the employer by such Trade Union within fifteen days of such change.

(3) The employer shall, within fifteen days of the receipt of the names and addresses from the Trade Union under sub-rule (1) and subject to the provisions of sub-section (3) and (4) of section 90 of the Code recognise such workers as protected workers for the purposes of the said section and communicate to such Trade Union in writing, the list of workers recognised as protected workers for a period of twelve months from the date of such communication.

(4) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1), exceeds the maximum number of protected workers admissible for the industrial establishment under sub-section (4) of section 90, the employer shall recognise such maximum number of workers as protected workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Trade Unions that the numbers of recognised protected workers in individual Trade Unions bear practicably the same proportion to one another as the membership figures of the Trade Unions; and the employer shall in that case inform in writing to the President or the Secretary of each of the concerned Trade Union, the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to such a Trade Union under this sub-rule falls short of the number of officers of such Trade Union seeking protection, then that Trade Union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers and such selection shall be made by that Trade Union and communicated to the employer within five days of the receipt of written intimation of the employer in this regard.

(5) Where a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of protected workers under this rule, such dispute shall be referred to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Regional Labour Commissioner (Central) or Assistant Labour Commissioner (Central) concerned, whose decision thereon shall be final.

40. Complaint by aggrieved employee.— (1) Every complaint of an aggrieved employee under section 91 of the Code shall be made in Form-XVI electronically, or by speed post and shall be accompanied by as many copies thereof for each of the opposite parties mentioned in such complaint.

(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the aggrieved employee making the complaint or by the authorised representative of such employee to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, Tribunal or the National Industrial Tribunal, as the case may be, acquainted with the facts of the case.

41. Authorisation of worker for representing in proceeding.— Where the worker is not a member of any Trade Union, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed, may be authorised in Form-VI by such worker to represent him in any proceeding relating to a dispute in which that worker is a party.

42. Authorisation of employer for representing in proceeding.— Where an employer is not a member of any association of employers, an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged, may be authorised in Form-VI to represent him in any proceeding relating to a dispute in which that employer is a party.

43. Parties bound by acts of representative.— A party appearing through a representative shall be bound by the acts of that representative.

44. Enquiry.— (1) On receipt of a complaint of an offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the complaint shall be enquired into by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India, appointed by the Central Government for such purpose under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the “enquiry officer”).

(2) On receipt of the complaint, the enquiry officer shall call upon the person or persons through notice to be sent electronically, or by speed post and upload a copy of the same on the designated portal of the Ministry of Labour and Employment, to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(3) Where a party so desires, he may request in writing to the enquiry officer to issue notice in the enquiry only by post and also in cases where the enquiry officer feels that no electronic means of communication are available to the parties concerned, he may send such notice by speed post.

(4) In case the person to whom notice has been issued under sub-rule (2), the person or his representative fails to appear on the specified date, the enquiry officer may proceed to hear and determine the complaint *ex-parte*.

(5) In case the complainant fails to appear on the specified date without any information to the enquiry officer on two consecutive dates, the enquiry officer may dismiss the complaint:

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application by the complainant and the opposite party:

Provided further that the enquiry officer shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(6) The authorisation to appear on behalf of any person under sub-section (2) of section 85 of the Code shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the enquiry officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(7) Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of the complainant shall present before the enquiry officer and submit a brief statement in writing explaining the reason for his appearance.

(8) The enquiry officer shall record an order on the statement referred to in sub-rule (7) permitting the person referred to in that sub-rule to appear in the proceeding on behalf of the complainant, and in the case of refusing such permission, the enquiry officer shall include reasons for the same and incorporate it in the record.

(9) The complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the enquiry officer at any time during hours fixed by the enquiry officer or may be sent to him electronically or by speed post and the opposite party shall have the right to reply to the complaint and such other documents.

(10) The enquiry officer shall endorse or cause to be endorsed on each document, the date of its presentation or receipt, as the case may be, and if the documents are submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

(11) The enquiry officer may refuse to entertain a complaint, if considers that the complaint is incomplete and may request the complainant to rectify the defects within the time specified for such purpose:

Provided that if the enquiry officer observes that it is not possible to rectify the defects in the complaint, he may at once return such complaint indicating the defects.

(12) Where the complaint is presented after rectification of the defects, the date of such re-presentation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85 of the code.

(13) The enquiry officer may, after giving the complainant an opportunity of being heard, refuse to entertain a complaint, if satisfied for reasons to be recorded in writing, that—

- (a) the complainant is not entitled to present the complaint; or
- (b) the complainant has filed the complaint beyond six months from the date on which the offence complained is committed;
- (c) the complainant fails to comply with the directions given by the enquiry officer under sub-section (2) of section 85 of the Code.

(14) The enquiry officer shall, in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, such as, the date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or opposite parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the evidence taken including cross examination, reasons and penalty imposed with his signature, date and place.

(15) The enquiry officer shall, in respect of the procedure be guided by the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), with such alterations as the enquiry officer may deem fit, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him except where they are in conflict with the express provisions of the Code or these rules.

(16) The enquiry officer shall, after the case has been heard, pass an order or give directions on the same day or on a future date to be fixed for this purpose.

(17) Any person, who is either a complainant or an opposite party or any person permitted under sub-rule (8) shall be entitled to inspect any complaint or any other document filed with the enquiry officer.

45. Expenses of witness.— Every person who attends or otherwise appears on receipt of a summon as a witness before any proceeding, shall be entitled to an allowance for the expenses on the same rates as applicable to witnesses in a civil court in the State where such enquiry, adjudication or arbitration, as the case may be, is being conducted.

46. Publication for communication.— For the purposes of communication to effect service of messages and documents under these rules, the Central Government, the National Industrial Tribunal, the Industrial Tribunal, every employer for which the Central Government is the appropriate Government, every Trade Union, negotiating union or the constituents of negotiating council and every authority referred to in these rules, shall specify their e-mail id or website or portal or any or all of them, as the case may be, in their respective letter-heads.

47. Maintenance of records, registers, forms, notice and display board.— (1) All records, registers, forms, notices, display boards and other documents which are required to be maintained under these rules shall be maintained in electronic manner in the required format or containing the information as is required.

(2) The records and other documents referred to in sub-rule (1) shall comply with the requirement of retention of records and shall be produced or shown as and when required by the concerned authority specified in this behalf under the Code.

48. Appointment of Commissioner.— For the purposes of computing the money value of a benefit referred to in sub-section (2) of section 59 of the Code, the Tribunal may appoint —

- (a) person with experience in the particular industry, trade, business or field encompassing the question referred to in sub-section (2) of the said section; or
- (b) person who had been a judge of a civil court; or
- (c) stipendiary magistrate; or

(d) Registrar or Secretary of a Tribunal constituted under any Central Act or a Tribunal or a National Industrial Tribunal constituted under the Code.

49. Fee for Commissioner, etc.- (1) The Tribunal shall, after consultation with the parties, estimate the probable duration of enquiry by the Commissioner referred to in rule 48 and fix the fee and other incidental expenses incurred.

(2) The Tribunal shall direct the payment of fee and other incidental expenses to the Commissioner, within specified time, by such party or parties and in such proportion, as it may deem fit.

(3) The Commissioner shall not submit his report until the receipt of deposit of fee referred to in sub-rule (2) is filed before the Tribunal:

Provided that the Tribunal may, for reasons to be recorded in writing, direct that any further sum or sums be deposited within such time or extend the time for depositing and by such parties as it may deem fit.

(4) The Tribunal may, at any time, for reasons to be recorded in writing, vary the amount of the fee.

(5) The Tribunal may direct that the fee shall be disbursed to the Commissioner in such instalments and on such date as it may deem fit.

(6) The undisbursed balance, if any, of the sum deposited under this rule shall be refunded to the respective party or parties who deposited the sum in the same proportion as that in which it was deposited.

50. Time for submission of report.- (1) Every order for the appointment of Commissioner shall indicate a date, allowing sufficient time for the Commissioner to submit the report.

(2) If, for any reason the Commissioner anticipates that the date fixed for the submission of his report is likely to be exceeded, the commissioner shall apply, before the expiry of the said date, for extension of time setting forth grounds thereof and the Tribunal shall, after consideration, pass suitable orders on such application:

Provided that the Tribunal may, if it deems fit for sufficient cause, grant extension of time where no application for such extension has been received from the Commissioner.

SCHEDULE**FORM-I**

[See rule 4]

(MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT IN THE COURSE OF CONCILIATION PROCEEDINGS
OR OTHERWISE)

Names of parties:

..... Representing employer(s);

..... Representing worker(s);

Short recital of the case

.....

Terms of settlement

.....

Signature of the parties

Witnesses:

(1)

(2)

*Signature of conciliation officer

In case the settlement is arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central).

FORM - II**[See sub-rule (8) of rule 9/ sub-rule (9) of rule 23]****(APPLICATION TO TRIBUNAL)**

Before the Central Government Industrial Tribunal -----(place of the Industrial Tribunal having jurisdiction where dispute arises)

(A) Name and address of applicant(s)

Versus

(B) Name and address of opposite party(ies)

Brief facts of the dispute (statement regarding specific issues of dispute may be mentioned) which are connected with and relevant to the dispute under sub-section (1) of section 22/sub-section (6) of section 53* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

Prayer:

The applicant(s) pray(s) that instant application may be admitted for adjudication and request(s) to pass appropriate award in the matter.

Name and signature of the worker(s) or
Officer of Trade union raising the dispute/Party in dispute*

(* strike off which is not applicable)

FORM III

(See rule 17)

(REGISTER FOR CERTIFIED STANDING ORDERS)**PART- I****Industrial Establishment**

Unique and continuous number	Name of the industrial establishment	Nature of the industrial establishment	The areas of operation of the industrial establishment	Whether standing order is (a) model standing order, or (b) deemed standing order or (c) certified standing order	Date of adoption or date of deemed authentication or date of certification / authentication of standing order
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date of filing appeal	Date and nature of decision	Amendment made on appeal, if any	Date of the dispatch of the copy of standing orders as settled on appeal	Any other relevant detail
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

PART-II

Enclose the certified copy of the standing orders electronically.

FORM- IV

(See rule 19)

(NOTICE OF CHANGE OF SERVICE CONDITIONS)

Name of employer.....

Address.....

Dated the day of 20.....

In accordance with sub-section (1) of section 40 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to the said Code.

Signature.....

Designation

ANNEXURE

(Specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union, if any/Secretary, negotiating union/constituent of negotiating council.
2. Concerned Deputy Chief Labour commissioner(Central).

FORM-V
(See rule 20)
(AGREEMENT FOR VOLUNTARY ARBITRATION)

Between

.....Name of the parties representing employer (s)

And

..... Name of the parties representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of [here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

- (i) Specific matters in dispute.
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
- (iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the worker or workers in question.
- (iv) Total number of workers employed in the undertaking affected.
- (v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

*We further agree that the majority decision of the arbitrators shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of (specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the Central Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties representing employer/ any officer of the Trade Union / Representing worker / workers.

Witnesses:

1.

2.

Copy to: (i) The conciliation officer [Enter office address of the conciliation officer for the area concerned].

(ii) The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment.

FORM- VI

(See rules 22, 41 and 42)

(AUTHORISATION BY WORKER, GROUP OF WORKERS, EMPLOYER OR GROUP OF EMPLOYERS TO BE REPRESENTED IN PROCEEDING BEFORE THE AUTHORITY)

Before the authority
(Mention the authority concerned)

In the matter of: (mention the name of the proceeding)

.....workers

Versus employer

I/we hereby authorise Shri / Shrimati/Kumari to represent me/us in the above matter.

Dated this.....day of.....20.....

Signature of person(s) nominating the representative(s)

Address

Accepted.

Signature of representative(s)

Address

FORM- VII

(See rule 24)

(APPLICATION UNDER SECTION 59(1) OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020) FOR RECOVERY OF MONEY

To,

- (1) The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi.
- (2) The Deputy Chief Labour Commissioner (Central)..... (here insert the name of the region).

Sir,

I/We have to state that I am/we are entitled to receive from M/s a sum of Rs.(in words) on account of under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) /in terms of the award dated the..... given by..... /in terms of the settlement dated the arrived at between the said M/s and their worker through..... the duly elected representatives.

I/We further state that I/we served the management with a demand notice by speed post on for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me/us even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I/We request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) and paid to me/us as early as possible.

Signature of the applicant(s)

Address(es)

Station:

Date:.

ANNEXURE

(Specify the details of the amount(s) claimed.)

FORM- VIII

(See rule 24)

[APPLICATION BY A PERSON AUTHORISED BY A WORKER OR BY THE ASSIGNEE OR HEIR OF A
DECEASED WORKER UNDER SECTION 59(1) OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020]

To

- (1) The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi.
(2) The Deputy Chief Labour Commissioner (Central).....(here insert the name of the region).

Sir,

I Shri/Shrimati/Kumari..... state that Shri/Shrimati/ Kumari..... is/was entitled to receive from M/s..... a sum of Rs.(in words) on account of..... under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) /in terms of the award dated the..... given by/in terms of the settlement, dated the..... arrived at between the said M/s..... and their worker through..... the duly elected representatives.

I further state that I served the management with a demand notice by speed post on.....for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), and paid to me as early as possible.

I have been duly authorised in writing by.....(here insert the name of the worker) to make this application and to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

I am the assignee/heir of the deceased worker and entitled to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

Station.....

Signature of the authorised person/assignee/heirs

Date.....

Address.....

ANNEXURE

(Specify the details of the amount claimed.)

FORM - IX

(See rule 24)

[(APPLICATION TO TRIBUNAL UNDER SECTION 59(2) OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020
BY WORKER)]

Before the Central Government Industrial Tribunal at.

..... between..... and.

(1) Name of the applicant(s)

(2) Name of the employer

The petitioner(s) a worker of M/s. of
.....The petitioner(s) undersigned, worker/workers of is/are entitled to receive
from the said M/s. the money /benefits mentioned in the statement hereto annexed.

It is prayed that the Tribunal may be pleased to determine the amount /amounts due to the petitioner (s).

Signature or thumb impression (s) of the applicant(s)

Address (es)

Place.....

Date.....

ANNEXURE

(Specify the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility.)

FORM- X

[See rule 24]

(APPLICATION UNDER SECTION 59(2) OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020 BY ASSIGNEE/
HEIR OF DECEASED WORKER)

Before the Central Government Industrial Tribunal at Between

(i) Name of the applicant/applicants

(ii) Name of the employer

I am/We are the assignee(s) of the deceased worker and am/are entitled to make an application on his behalf.

Shri/Smt..... former worker of M/s of.....is entitled to receive from the
said M/s..... the money/benefits mentioned in the statement hereto annexed;

It is prayed that the Tribunal be pleased to determine the amount/amounts due to the deceased worker.

Name and Address of worker.....

Signature of the assignee/heirs

Address (es)

Place.....

Date.....

ANNEXURE

(Specify the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility).

FORM-XI
(See rule 25)

[NOTICE OF STRIKE BY UNION (NAME OF UNION)/ GROUP OF WORKERS]

Name of Union

Name of five elected representatives of workers.....

Dated the.....day of.....20.....

To

(The name of the employer).

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on 20....., for the reasons explained in the Annexure.

Yours faithfully,

(Secretary of the Union)

Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on (date), vide resolution attached.]

ANNEXURE

Statement of the Case.

Copy to:

- (1) Conciliation officer [Enter the office address of the Assistant Labour Commissioner (Central) / Regional Labour Commissioner (Central)/ Deputy Chief Labour Commissioner (Central) of the concerned area.]
- (2) Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi
- (3) Secretary, Ministry of Labour and Employment, New Delhi

FORM -XII

(See rule 26)

(NOTICE OF LOCK-OUT GIVEN BY EMPLOYER OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENT)

Name of employer

Address.....

Dated the.....day of.....20.....

In accordance with the provisions of sub-section (2) of section 62 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) , I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in.....department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.....for the reasons explained in the Annexure.

Signature.....

Designation.....

ANNEXURE

1.	Statement of reasons

Copy forwarded to:

- (1) The Secretary of the Registered Union, if any
- (2) Conciliation officer [Enter the office address of the Assistant Labour Commissioner (Central) / Regional Labour Commissioner (Central)/ Deputy Chief Labour Commissioner (Central) of the concerned area.]
- (3) Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi
- (4) Secretary, Ministry of Labour and Employment, New Delhi

FORM -XIII
(See rules 27 and 29)

(NOTICE OF RETRENCHMENT/CLOSURE TO CENTRAL GOVERNMENT UNDER CHAPTER IX OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)

(To be submitted online. In case of exigencies to be submitted on paper in the prescribed format)

Name of industrial establishment /undertaking/ employer.....

Labour Identification Number

Dated.....

(Note: The intimation for closure/retrenchment to the appropriate government shall be served sixty days and thirty days before commencement of closure/retrenchment respectively)

To,

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour and Employment
New Delhi

1. *(Retrenchment) (a) Under section 70(C) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench..... workers** out of a total of Workers** with effect from..... (DD/MM/YYYY)

or

(Closure) (b) Under section 74(1) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I / we hereby intimate you that I*/we* have decided to close down.....(name of the industrial establishment or undertaking) with effect from..... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is..... (number of workers)

2. The reason for retrenchment / closure is

3. * The worker(s)* concerned were given on the..... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)* / section 75(1)* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

or

* The worker(s) concerned have been given on the..... (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70(a)* / section 75(1)* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) .

4. * I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) before or on the expiry of the notice period.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.
7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures enclosed herewith true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yours faithfully,

(Name of employer/ ***authorised representative
with seal)

(* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and words both)

(***Copy of authorisation letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to :

(1)Deputy Chief Labour Commissioner (Central) of the concerned area.

(2) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

FORM- XIV

(See rules 30, 31, 33 and 35)

(APPLICATION FOR PERMISSION TO LAY-OFF/CONTINUATION OF LAY-OFF/ RETRENCHMENT/ CLOSURE TO THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER CHAPTER X OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the specified format below)

Name of industrial establishment or undertaking or employer.....

Labour Identification Number.....

Dated.....

(Note: The application to the Central Government shall be served as indicated below:

Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-off

Continuation of Lay-off – at least 15 days before the expiry of earlier lay-off

Retrenchment – at least 60 days before the intended date of retrenchment

Closure – at least 90 days before the intended date of closure)

To,

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour and Employment
New Delhi

1. *(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I*/we* hereby apply for “permission to lay-off workers** out of total of workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in Annexure-I..

or

(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I/we* hereby apply for permission to continue the Lay-off workers** out of total of laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in Annexure-I.

or

(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of..... workers out of total of workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in Annexure-I.

or

(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I / we hereby inform you that I*/we* intended to close down the undertaking..... (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annexure-I) with effect from..... (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in Annexure-I.. The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is..... (number of workers).

* (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/ section 78(3)* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

or

(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on..... (DD/MM/YYYY) three month's notice in writing as required under section 79/ section 80* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

or

(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on..... (DD/MM/YYYY) three month's pay in lieu of notice as required under section 79/ section 80* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

2. The details of affected worker(s) is at Annexure II.
3. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).
4. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)*/ section 79* / section 80* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) before or on the expiry of the notice period.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

5. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been annexed herewith.
6. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully,

(Name of employer/ ***authorised representative
with seal)

(* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and word both)

(***Copy of authorisation letter issued by the employer shall be enclosed)

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

1.	Name of the undertaking with complete postal address, email, mobile and land line.	
2.	Status of undertaking— (i) Whether Central public sector/State public sector/ like other, (ii) Whether a private limited company/ partnership firm/ partnership firm (ii) Whether the undertaking is licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers.	
3.	(a) Corporate Identification Number	
	(b) Goods and Service Tax Identification Number (GSTIN)	

4.	(i) Annual production, item wise for preceding three years- (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months,	
5.	Audit report of the legal entity that own the establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years.	To be annexed
6.	Names of the inter-connected companies or companies under the same management.	
7.	Reasons for the intended lay-off/continuation of lay-off/ retrenchment/closure	
8.	Details of lay-off/ retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay-offs/ retrenchment the number of workers involved in each such lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off	
9.	Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/ closure.	

ANNEXURE II
(Details of affected workers)

Sl. No	UAN/ CMPFO	Name of worker	Category (highly skilled / skilled/ semi-skilled / unskilled)	Date from which in service in/with the said establishment /undertaking/ employer	Wage as on date of application	Remark
1						
2						
3						

FORM-XV

[See rule 38]

(NOTICE TO THE EMPLOYER/PERSON WHO COMMITTED AN OFFENCE FOR THE FIRST TIME)

The Compounding Officer, hereby informs you that the allegation has been made against you for violation of various provisions of this Code as per the details given below:—

PART - I

1. Name and address of the offender employer/person-
2. Address of the establishment
4. Particulars of the offence
5. Section of the Code under which the offence is committed
.....
6. Compounding amount to be paid towards composition of the
offence.....

PART – II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of receipt of this notice for compounding of the offence read with rule 38, along with an application duly filled in Part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the time so specified, no further opportunity shall be given to you and necessary steps shall be taken for filing of prosecution under section 87 of the Code.

(Signature of the compounding officer)

Date:

Place:

PART – III

1. Name of applicant (name of the employer/person who committed the offence under the Industrial Relations Code 2020 (35 of 2020) to be mentioned.....
2. Address of the applicant
3. Particulars of the offence
.....
.....
4. Section of the Code under which the offence has been committed
.....
5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached).....

6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given

.....

7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence

.....
.....
.....

8. Any other information which the applicant desires to provide

.....
.....
.....

Applicant

(Name and signature)

Dated:

Place:

Form- XVI

(See rule 40)

(COMPLAINT UNDER SECTION 91 OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)

Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Industrial Tribunal ----,

In the matter of:.....Reference No.....

A..... Complainant(s);

Versus

B..... Opposite Party(ies).

Address:

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relations Code, 2020 as shown below:

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)

The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or National Industrial Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 40 are submitted herewith.

Dated this.....day of.....20..... Signature of the complainant(s)

Verification

I do solemnly declare that what is stated in paragraph..... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs..... above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at..... on day of.....20.....

Signature
or thumb impression of the person verifying_____.

[F. No. S-11025/01/2026-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272366
CG-DL-E-08052026-272366

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]
No. 310]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 344(अ).— सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154, 155, 158 और 159 के अधीन अपेक्षानुसार सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2025 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. संख्यांक 935(अ), दिनांक 30 दिसंबर, 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस दिनांक जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को दिनांक 30 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1), धारा 155 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1), धारा 158 तथा धारा 159 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) तथा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-

- (i) कर्मचारी प्रतिकर नियम, 1924;
- (ii) कर्मचारी प्रतिकर (धन का अंतरण) नियम, 1935;
- (iii) कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950;
- (iv) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960;
- (v) प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963;
- (vi) उपदान संदाय (केंद्रीय) नियम, 1972;
- (vii) सिने-कामगार कल्याण निधि नियम, 1984;
- (viii) कर्मचारी प्रतिकर (कार्यवाही का स्थान) नियम, 1996;
- (ix) अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1997;
- (x) कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 1997;
- (xi) भवन या अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर नियम, 1998; और
- (xii) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009;

को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "एजेंसी" से कोई निगम, निकाय या संस्था अभिप्रेत है, जिसे संसद के अधिनियम के अधीन या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष प्रयोजन साधन के रूप में स्थापित किया गया है;

(ख) "अपील" से संहिता के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है;

(ग) केंद्रीय क्षेत्र में "अपील प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या धारा 56 की उप-धारा (8) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या धारा 105 के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन अधिकारी के रैंक में वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत है;

(घ) "निर्धारण अधिकारी" से राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष पद धारण करता है, जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा संहिता के अध्याय VIII के अधीन उपकर के निर्धारण के लिए नियुक्त किया जाता है;

(ङ) "कर्मचारी प्रतिकर हेतु" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार इन नियमों द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को करने के प्रयोजनार्थ सामान्य रूप से अथवा किसी भी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की श्रेणी के लिए नामोद्दिष्ट किया गया हो;

(च) "प्राधिकरण" से केंद्र सरकार या धारा 72 की उप-धारा (3) के उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) किसी कर्मचारी के संबंध में संहिता के अध्याय IV के अधीन "किसी अंशदान अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" से उस अवधि के दौरान उसे देय मजदूरी की कुल राशि को उन दिनों की संख्या से विभाजित किया जाना अभिप्रेत है, जिनके लिए ऐसी मजदूरी देय थी;

(ज) संहिता के अध्याय IV के अधीन "मजदूरी अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(i) किसी कर्मचारी के संबंध में, जो समय-दर के आधार पर नियोजित है, मजदूरी की वह राशि जो उसे पूरी मजदूरी अवधि के लिए देय होती यदि उसने उस वेतन अवधि में सभी कार्य दिवसों पर काम किया होता, तो 26 से विभाजित होता यदि उसे मासिक दर दी गई है, 13 अगर उसे पाक्षिक दर दी गई है, 6 अगर उसे साप्ताहिक दर दी गई है और 1 अगर उसे दैनिक दर दी गई है;

(ii) किसी अन्य आधार पर नियोजित कर्मचारी के संबंध में, अंशदान अवधि में पूर्ण वेतन अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी की राशि को पूर्ण या आंशिक दिनों की संख्या से विभाजित किया जाता है जिसके लिए उसने उस वेतन अवधि में मजदूरी के लिए काम किया है:

परंतु कि जहां कोई कर्मचारी ऐसी मजदूरी अवधि के दौरान किसी भी दिन काम किए बिना मजदूरी प्राप्त करता है, तो उसे 26, 13, 6 या 1 दिन या दिनों के लिए काम किया हुआ माना जाएगा यदि मजदूरी अवधि क्रमशः एक महीने, एक पखवाड़े, एक सप्ताह या एक दिन हो।

स्पष्टीकरण - जहां कोई रात की पाली आधी रात के बाद भी जारी रहती है, वहां आधी रात के बाद रात की पाली की अवधि को दिन से पहले के दिन के हिस्से के रूप में काम करने के लिए गिना जाएगा;

(झ) "हितलाभ अवधि" से धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट अंशदान अवधि के अनुरूप लगातार छह महीने से अनधिक की अवधि अभिप्रेत है;

(ञ) "कैरियर केंद्र (केंद्रीय)" से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कैरियर केंद्र अभिप्रेत है;

(ट) "कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय)", से पूरे भारत में, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के सिवाय, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन द्वारा अधिसूचित कैरियर केंद्र अभिप्रेत है, जिसका क्षेत्राधिकार है-

(i) उस क्षेत्र पर जहां संबंधित स्थापन स्थित हैं; या

(ii) विनिर्दिष्ट वर्गों या संबंधित स्थापनों की श्रेणियों या रिक्तियों पर;

(ठ) "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय)" से संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित विशिष्ट वर्गों या स्थापनों या रिक्तियों की श्रेणियों पर अधिकार क्षेत्र के रूप में चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पंजाब या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा स्थापित कैरियर केंद्र, जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत है:

परंतु कि पंजाब या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा स्थापित कैरियर केंद्रों का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा-

(i) संबंधित राज्यों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यालय या स्थापन; और

(ii) निजी क्षेत्र का स्थापन;

(ड) "उपकर क्लेक्टर" से राज्य सरकार द्वारा संहिता अध्याय - viii के अधीन उपकर के संग्रह के लिए नियुक्त एक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) "अध्यक्ष" से निगम, केंद्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, स्थायी समिति, चिकित्सा हितलाभ समिति या कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो अभिप्रेत है;

(ण) "चार्टर्ड इंजीनियर" से इंजीनियरिंग डिग्री और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की कॉर्पोरेट सदस्यता रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(त) "संहिता" से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 की 36) अभिप्रेत है;

- (थ) "अंशदान अवधि"से लगातार छह महीने से अनधिक की अवधि, जैसा कि धारा के 157अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;
- (द) "इलेक्ट्रॉनिक रूप" से संहिता के उद्देश्य के लिए ईमेल द्वारा प्रस्तुत सूचना या नामित पोर्टल पर अपलोड करना या किसी भी तरीके से डिजिटल भुगतान अभिप्रेत है;
- (ध) "अपवर्जित रिक्तियों" से ऐसी रिक्तियां अभिप्रेत है जिन्हें धारा 140 की उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों के अधीन धारा 139 के दायरे से बाहर रखा गया है;
- (न) "प्ररूप" से इन नियमों से जुड़ा कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (प) "निधि" से धारा 25 में विनिर्दिष्ट कर्मचारी राज्य बीमा निधि, भविष्य निधि, पेंशन निधि और धारा 16 में विनिर्दिष्ट कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा निधि या धारा 141 में संदर्भित सामाजिक सुरक्षा निधि, जैसा भी मामला हो अभिप्रेत है;
- (फ) "सरकारी प्रतिभूतियों" से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;
- (ब) "अचल संपत्ति" में भूमि, भूमि से होने वाले लाभ, धरतीसे संबंध वस्तुएँ, या स्थायी रूप से धरती से संबंध किसी भी वस्तु से जुड़ी चीजें सम्मिलित हैं;
- (भ) "चल संपत्ति" से अचल संपत्ति के सिवाय हर प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है;
- (म) "नोडल अधिकारी" से भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा पंजीकरण, नवीनीकरण और अद्यतन की सुविधा प्रदान करता है या निजी क्षेत्र, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय प्राधिकरण से श्रमिकों के निर्माण से संबंधित कोई अन्य कार्य करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा नामित लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यों की निगरानी और निगरानी करता है;
- (य) "नामांकन" से धारा 55 के अधीन किया गया नामांकन अभिप्रेत है;
- (यक) "महिला कर्मचारियों का रजिस्टर" से नियम 53 के अधीन बनाए गए महिला कर्मचारियों का एक रजिस्टर अभिप्रेत है;
- (यख) "अनुसूची" से संहिता की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (यग) "धारा" से संहिता की एक धारा अभिप्रेत है;
- (यघ) "श्रम सुविधा पोर्टल" से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का इस नाम वाला पोर्टल अभिप्रेत है।
- (यड.) "विनिर्दिष्ट" से केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट से अथवा ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी विनिर्दिष्ट अधिकारी का आदेश अभिप्रेत है;
- (यच) "मानक हितलाभ दर" से अंशदान अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल मजदूरी को उन दिनों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त औसत दैनिक मजदूरी अभिप्रेत है, जिसके लिए उक्त मजदूरी का भुगतान किया गया था;
- (यछ) "अंतरणकर्ता प्राधिकारी" से किसी भी देश में किसी भी प्राधिकारी से अभिप्रेत है जो उस देश में कर्मचारियों से संबंधित कानून के अन्तर्गत कोई भी प्रदत्त एकमुश्त धनराशि को अंतरित करता है या अंतरण कारित करता है और वह भारत में निवास कर रहे अथवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के हितलाभ के लिए लागू है।
- (यज) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले मार्च के 31वें दिन को समाप्त वर्ष अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके संहिता में हैं।

3. अध्याय 3 या अध्याय 4 के प्रावधानों को एक स्थापना के लिए अनुप्रयोज्य बनाने की रीति और शर्तें—(1) किसी ऐसे स्थापन का नियोक्ता, जिस पर अध्याय 3 या अध्याय 4 के प्रावधानों को संहिता की धारा 1 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के तहत लागू किया गया है, ऐसे प्रावधानों को स्थापनों पर लागू नहीं करने के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, को इस शर्त के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है, कि नियोक्ता और उस स्थापन के अधिकांश कर्मचारी इस तरह के अनुरोध पर लिखित रूप में सहमत हों।

(2) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर संहिता की धारा 1 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अधीन आवेदन पर निर्णय लेंगे:

परंतु कि यदि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, आवेदन देने की दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो धारा संहिता की 1 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अधीन अनुमति दे दी गई, जैसा भी मामला हो, मान ली जाएगी जो 60 दिनों के पूरा होने की दिनांक से लागू मानी जाएगी:

परंतु यह है कि यदि अध्याय 3 या अध्याय 4 के प्रावधान, धारा संहिता की 1 की उप-धारा (4) के संबंध में किसी स्थापना को संहिता की धारा-1 की उप धारा (5) अथवा उप धारा (7), जो भी मामला हो, के अधीन अधिसूचना के बाद लागू किए जा चुके हों तो इस प्रकार के किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी है कि अध्याय 3 या अध्याय 4, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अधीन इस तरह की व्याप्ति के पांच साल के अंदर स्थापना के नियोक्ता द्वारा ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी है कि इस तरह के किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी रिटर्न प्रस्तुत न कर दिए हों, संहिता के अधीन सभी बकाया का भुगतान न कर दिए हों और आवेदन के साथ इस आशय का एक स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दिए हों।

4. कर्मचारी के आश्रित माता-पिता की आय - संहिता की धारा 2 के खंड (33) के उप-खंड (ड) और संहिता के अध्याय-IV के प्रयोजनों के लिए सभी स्रोतों से आय चौदह हजार रुपये प्रति माह अथवा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट राशि, जो भी मामला हो, से अधिक नहीं होगी।

5. स्थापना का पंजीकरण और उनका निरस्तीकरण- (1) (क) जो स्थापना पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पंजीकरण कराने के लिए प्रत्येक नियोक्ता उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के फॉर्म-I में इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्रम सुविधा पोर्टल पर आवेदन करेगा इसके लिए उसे स्थापना का ब्यौरा देते हुए और फॉर्म में यथा-विनिर्दिष्ट नियोक्ताओं के पहचान और पते के प्रमाण सहित स्थापना के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

व्याख्या: इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के अधीन फॉर्म-I, इन नियमों के अधीन पंजीकरण हेतु साझा फॉर्म होगा।

(ख) फॉर्म पर डिजिटल रूप में या ऐसे अन्य तरीके से हस्ताक्षर किया जाएगा जैसा कि पोर्टल पर अपेक्षित हो।

(ग) आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

(घ) आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन आबंटित स्थापना का स्थायी खाता संख्या (पैन) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन स्थापना को आबंटित कोई अन्य विशिष्ट संख्या या फॉर्म में प्रस्तुत कोई अन्य विवरण, ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

(ड) यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र तुरंत उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाएगा किंतु पूर्ण आवेदन जमा करने पर हर हाल में सात दिनों के अंदर इसे जारी किया जाना है। अन्यथा ऐसे स्थापना को पंजीकृत मान लिया जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा।

परन्तु कि अपवादात्मक परिस्थितियों में, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी अवधि के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, पूरे भारत के लिए या किसी भी भाग के लिए स्थापन या स्थापनों के वर्ग के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक

पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर सकेगी और इस प्रकार प्रदान की गई, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम 2026 के प्ररूप-1 में आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

(2) संहिता के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, उस नियोक्ता को उपनियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने का निदेश देगा, जो इसका अनुपालन करने में विफल रहा हो और ऐसे नियोक्ता को नियत समय-सीमा में इसका अनुपालन करते हुए इस संबंध में उक्त अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करना होगा।

(3) नियोक्ता उस समय लागू किसी अन्य केंद्रीय श्रम कानून के तहत पहले से ही पंजीकृत स्थापन के संबंध में, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर श्रम सुविधा पोर्टल पर नियोक्ता या स्थापन के विवरण को अद्यतित करेगा।

(4) गलत जानकारी प्रदान करने पर प्राप्त हुए कोई भी पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। संबंधित नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप में नोटिस देकर तीस दिनों के अंदर पंजीकरण प्रमाण-पत्र क्यों न रद्द किया जाए, इसका कारण बताने का मौका देने के बाद किया जा सकता है। ऐसे में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र रद्द किया जाना चाहिए।

(5) नियोक्ता संहिता या योजनाओं अथवा नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, और संबंधित कार्यालयों के साथ सभी पत्राचार में अपने द्वारा तैयार या प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में पंजीकरण संख्या का उल्लेख करेगा।

(6) विनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रस्तुत व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता (केंद्रीय) नियम, 2026 के फार्म I में दिए गए विवरण में कोई भी परिवर्तन होने पर इसे तीस दिनों के भीतर (ऐसे परिवर्तन से) नियोक्ता द्वारा अद्यतन किया जाएगा।

(7) एक स्थापना का नियोक्ता जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और जिसकी उपजीविकाजन्य गतिविधियां बंद होने की प्रक्रिया में हैं, संहिता के अधीन देय अन्य बकायों और अंशदान का पूरा ब्यौरा और प्रस्थिति बताने के बाद श्रम सुविधा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट फार्म में पंजीकरण रद्द करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

(8) पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन की अनुमति तब दी जाएगी जब आवेदन में दिए गए विवरण केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से सत्यापित कर लिए जाएंगे:

परंतु पंजीकरण रद्द करने के लिए इस तरह के किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी रिटर्न प्रस्तुत न कर दिए हों, संहिता के अधीन सभी बकायों का भुगतान न कर दिए हों और आवेदन के साथ इस आशय का एक स्व-प्रमाण पत्र न प्रस्तुत कर दिए हों।

परंतु यह भी है कि निरस्तीकरण के ऐसे आवेदन पर निर्णय सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर लिया जाएगा।

(10) पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति उस परिसर में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहां कार्य किया जा रहा है।

अध्याय 2

सामाजिक सुरक्षा संगठन

क. केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

6. केंद्रीय बोर्ड में निहित निधियों का प्रबंध- (1) केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें निहित निधि का प्रबंध करेगा।

(2) योजनाओं के कुशल प्रशासन के लिए केंद्रीय बोर्ड जितना आवश्यक समझे या योजनाओं में जितने विनिर्धारित हो, उतने खाते खोल सकता है।

(3) निधियों से संबंधित सभी धन भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे अन्य अनुसूचित बैंकों में जमा किए जाएंगे जिन्हें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए या जैसा कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के अनुसार, निवेश किया जाएगा।

(4) इस संबंध में किए गए सभी व्यय, तथा हानि, जो किसी निवेश के कारण हुई हो, निधि पर प्रभारित होंगे।

(5) निधि, जिसमें प्रशासन खाता सम्मिलित नहीं है, से वैयक्तिक सदस्यों, अथवा उनके नामितियों या उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों के जमा (क्रेडिट) में पड़ी धनराशि को संबंधित योजनाओं के उपबंधों के अनुसार भुगतान करने के अलावा अन्य कहीं खर्च नहीं किया जाएगा।

(6) निधि का संचालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस हेतु अधिकृत किए गए हों।

7. कार्यकारी समिति (1) केंद्रीय बोर्ड उन कार्यों का निष्पादन करेगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा इसे धारा 13 के अंतर्गत सौंपे गए हों तथा यह धारा 15 के अधीन तैयार की गई योजनाओं का शासन भी करेगा।

(2) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः-

- (i) केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अध्यक्ष;
- (ii) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति;
- (iii) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में संदर्भित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति;
- (iv) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) में संदर्भित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति;
- (v) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में संदर्भित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति; और
- (vi) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पदेन।

(3) (क) केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव करने के उद्देश्य से बोर्ड की बैठक का आयोजन करेगा जिसमें उप नियम (2) के उपखंड (iv) एवं (v) में संदर्भित नियोक्ता अथवा कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, का प्रतिनिधित्व होगा।

(ख) केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष उन सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने के लिए सदस्यों को आमंत्रित कर सकता है जो नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों जैसा मामला हो, का प्रतिनिधित्व करते हों तथा प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव का समर्थन बोर्ड के अन्य सदस्य द्वारा किया जाएगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां यदि खंड (क) के अंतर्गत चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं समर्थित व्यक्तियों की संख्या नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों का जैसा मामला हो, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक न हो तो नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों के वर्ग के संबंध में, व्यक्तियों, जिनके नाम प्रस्तावित एवं समर्थित हों, को कार्यकारी समिति में चयनित घोषित किया जाएगा।

(घ) ऐसे मामलों में जहां यदि खंड (क) के अधीन चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं समर्थित व्यक्तियों की संख्या नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों जैसा भी मामला हो, का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक हो तो अध्यक्ष के अलावा बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को एक मत पत्र दिया जाएगा जिसमें ऐसे प्रस्तावित एवं समर्थित सभी उम्मीदवारों के नाम होंगे, तथा वह उस पर अपना मत नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों के ऐसे वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों एक अधिक व्यक्तियों को दे सकता है परंतु एक उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक वोट नहीं दे सकता।

(ङ) ऐसे मामलों में जहां यदि नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों के वर्गों के संबंध में रिक्तियों की संख्या की तुलना में कोई सदस्य अधिक उम्मीदवारों के लिए मत देता है अथवा किसी उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक मत देता है तो उसके सभी मत अवैध माने जाएंगे।

(च) सर्वाधिक संख्या में वोट पाने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा उसी बैठक में अथवा तत्पश्चात शीघ्रातिशीघ्र कार्यकारी समिति का चयनित सदस्य घोषित किया जाएगा :

परंतु, जब उम्मीदवारों के बीच समान वोट मिलने की स्थिति हो तो अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(छ) ऐसे मामलों में जहां यदि चुनाव की वैधता पर कोई प्रश्न उठता है तो इसे केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा जो इस पर निर्णय लेगी।

(4) केंद्रीय बोर्ड, आदेश द्वारा, एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकता है जिसमें न्यासी तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उतने अधिकारी होंगे जितने कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

परंतु केंद्रीय बोर्ड ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर सकता है जिनके पास समिति से संबंधित विशेष ज्ञान हो।

(5) कार्यकारी समिति, केंद्रीय बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन इसके कार्यकलाप को निष्पादित करने में सहायता प्रदान करने का कार्य करेगी तथा बोर्ड द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

(6) (क) धारा 4 की उप धारा के खंड (ख) (ग) (घ) एवं (ङ) में संदर्भित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा केंद्रीय बोर्ड के प्रत्येक न्यासी की पदावधि 4 वर्ष होगी जो उस दिनांक से आरंभ होगी जिस दिन से उनकी नियुक्ति को राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो।

(ख) अध्यक्ष तथा कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य की पदावधि 2 वर्ष होगी जो उस दिनांक से आरंभ होगी जिस दिनांक को उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया गया हो।

(ग) खंड (क) एवं खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी केंद्रीय बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति के सभी न्यासी अथवा सदस्य, जैसा भी मामला हो, उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

परंतु कार्यकारी समिति का कोई सदस्य उस दिन से अपना पद छोड़ देगा जिस दिन से वह केंद्रीय बोर्ड का सदस्य नहीं रहता है।

(घ) खंड (क) एवं (ख) में संदर्भित न्यासी अथवा सदस्य, जिसकी नियुक्ति किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए की गई है, उस न्यासी अथवा सदस्य जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, के कार्यकाल की शेष पदावधि के लिए एवं पदावधि समाप्त हो जाने के बाद भी उस समय तक पद धारण करेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित न की गई हो।

(ङ) कोई भी व्यक्ति, न्यासी अथवा सदस्य के रूप में अधिकतम दो पदावधि के लिए नियुक्ति के पात्र होगा।

परंतु पदावधि के लिए ऐसी सीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पदेन नियुक्त न्यासी अथवा सदस्य पर लागू नहीं होगी तथा ऐसी नियुक्ति न्यासी अथवा सदस्य, जैसा भी मामला हो, की पदावधि के साथ सहविस्तारी होगी :

परंतु आगे, अधिकतम दो पदावधि में, पूर्व के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) के खंड (घ) और (ङ) के अधीन किसी व्यक्ति के केंद्रीय बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्ति की पदावधि भी सम्मिलित होगी।

(7) (क) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केंद्रीय बोर्ड तथा कार्यकारी समिति का सचिव होगा।

(ख) केंद्रीय बोर्ड एवं कार्यकारी समिति का सचिव, केंद्रीय बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो, के अध्यक्ष की सलाह से केंद्रीय बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित करेगा, उनके कार्यवृत्त अनुरक्षित करेगा तथा केंद्रीय बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो, के निर्णयों का पालन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

ख. कर्मचारी राज्य बीमा निगम

8. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी स्थायी समिति तथा चिकित्सा हितलाभ समिति- (1) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित राज्य से नामित किए जाने पर निगम के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।

(2) (क) निगम की सामान्य मुहर निगम के महानिदेशक की अभिरक्षा में रहेगी और इसे महानिदेशक या उप नियम 3 के अधीन गठित स्थायी समिति के दो सदस्यों की उपस्थिति के बिना किसी भी दस्तावेज पर नहीं लगाया जाएगा और महानिदेशक या उक्त दो सदस्य इस तथ्य के प्रमाण में अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे कि अनुबंध पर मुहर उसकी (महानिदेशक) या उनकी (सदस्यों) उपस्थिति में लगायी गई थी।

(ख) निगम के पास अपने प्रत्येक अन्य कार्यालयों में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपयोग के लिए एक अधिकारिक मुहर होगी जो कि उस कार्यालय के नाम के साथ निगम की सामान्य मुहर की एक प्रतिकृति होगी।

(ग) अधिकारिक मुहर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें स्थायी समिति द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया/किए गए हों, की उपस्थिति के बिना किसी भी दस्तावेज पर नहीं लगायी जाएगी और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति इस तथ्य के प्रमाण में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे कि उस पर उसकी या उनकी उपस्थिति में सील लगायी गयी थी।

(घ) एक दस्तावेज जिस पर एक अधिकारिक मुहर लगायी गयी है, निगम के लिए उसी रूप में कार्य करेगी जैसे उस पर निगम की सामान्य मुहर से सील लगायी गयी हो।

(3) निगम की एक स्थायी समिति इसके सदस्यों में से ही गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त निगम के तीन सदस्य;

(ग) निगम के तीन सदस्य जो उस पर ऐसी तीन राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसा कि केन्द्र सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगी;

(घ) निगम द्वारा चुने गए आठ सदस्य इस प्रकार हैं—

(i) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के सदस्यों में से तीन सदस्य

(ii) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के सदस्यों में से तीन सदस्य

(iii) चिकित्सा पेशे का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के सदस्यों में से एक सदस्य और

(iv) संसद द्वारा निर्वाचित निगम के सदस्यों में से एक सदस्य; और

(ङ) निगम के महानिदेशक, पदेन सदस्य

(4)(क) निगम के अध्यक्ष, निगम की एक बैठक में जिसमें उप नियम (3) के खंड (घ) के अधीन स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाना प्रस्तावित है, निगम सदस्यों से नाम का प्रस्ताव देने के लिए सदस्यों को आमंत्रित करेंगे। यह उन सदस्यों

का समूह होगा जिससे चुनाव होना है, और प्रस्तावित नामों का निगम के अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत समर्थन किया जाएगा।

(ख) यदि चुनाव के लिए किसी समूह से प्रस्तावित संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं है तो जिन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार प्रस्तावित किए गए हैं, उन्हें स्थायी समिति के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ग) यदि किसी समूह द्वारा चुनाव के लिए प्रस्तावित संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो बैठक में उपस्थित निगम के प्रत्येक सदस्य को एक गुप्त मतपत्र दिया जाएगा जिसमें प्रस्तावित सभी उम्मीदवारों के नाम होंगे और उसे समूह से भरी जाने वाली रिक्तियों के अनुसार किसी एक सदस्य के पक्ष में वोट कर सकेगा और यदि कोई भी सदस्य समूह में रिक्तियों के आधार पर एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए वोट करता है या एक से अधिक वोट देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके सभी वोट अमान्य माने जाएंगे:

(घ) सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की घोषणा अध्यक्ष द्वारा बैठक में की जाएगी या उसके बाद यथाशीघ्र स्थायी समिति के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित की जाएगी;

परंतु जहाँ किन्हीं उम्मीदवारों के बीच वोटों की समानता पायी जाती है और एक वोट जोड़ने से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित होने का हकदार हो जाता है उस व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्धारण जिसे ऐसा एक अतिरिक्त वोट दिया गया माना जाएगा, अध्यक्ष की उपस्थिति में और ऐसी रीति से जो वह अवधारित करे, लॉटरी द्वारा किया जाएगा:

(ङ) यदि किसी चुनाव की वैधता के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा उनका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा:

(5) चिकित्सा हितलाभ समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्नानुसार हैं—

(क) चिकित्सा हितलाभ के प्रशासन में सहायता के उद्देश्य से गठित स्थानीय समितियों के गठन, स्थापना, कर्तव्यों और शक्तियों के संबंध में निगम को सलाह देना:

(ख) निम्नलिखित के संबंध में निगम को अनुशंसा प्रदान करना—

- (i) अस्पतालों, औषधालयों, क्लिनिकों और अन्य संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा हितलाभ के स्तर और प्रकृति और ऐसी संस्थाओं में रखी जाने वाली दवाओं, कर्मचारियों और उपकरणों की प्रकृति और सीमा और इनके वांछित मानक से कम होने की सीमा;
- (ii) संहिता के अधीन प्रदान किए गए चिकित्सा हितलाभ के संबंध में प्रयोग के लिए चिकित्सा सूत्र;
- (iii) लाभ प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ चिकित्सा प्रमाणन, जिसमें ऐसे प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और प्ररूप, सांख्यिकीय विवरणियाँ, रजिस्टर और अन्य चिकित्सा रिकॉर्ड सम्मिलित हैं और
- (iv) बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार और निःशक्त या घायल बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्नियोजन के लिए किए गए उपाय;

(ग) संहिता के अधीन चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित किसी भी चिकित्सक के पेशेवर आचरण से संबंधित किसी भी मामले पर निगम को सलाह देना।

(6) (क) इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से अथवा उपबंधित के सिवाए निगम सदस्यो के उस सदस्य की जो उप धारा 1 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में से किसी में भी विनिर्दिष्ट सदस्य से भिन्न है या पदेन सदस्य है, की पदावधि उस दिनांक से चार वर्ष की होगी जिस दिनांक से उसकी नियुक्ति या चुनाव अधिसूचित किया गया है:

परंतु निगम सदस्य के चार वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति या चुनाव अधिसूचित किया गया है:

परंतु यह भी है कि निगम के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल कुल दो कार्यकालों की कुल अवधि से अधिक नहीं होगा।

(ख) धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट निगम के सदस्य, केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(7)(क) इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से अथवा उप बंधित के सिवाये स्थाई समिति का वह सदस्य, जो उप-नियम 3 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्य से भिन्न है, की पदावधि उस दिनांक से दो वर्ष होगी जिस दिनांक को उसका निर्वाचन अधिसूचित किया गया है:

परंतु स्थायी समिति का कोई सदस्य, दो साल की उक्त अवधि की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक पद पर बना रहेगा:

परन्तु यह और कि स्थायी समिति का कोई सदस्य निगम का सदस्य न रहने पर उस पद पर नहीं रहेगा।

(ख) उप-नियम 3 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट स्थायी समिति का सदस्य केंद्र सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(8) स्थायी समिति निगम के मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार होगी और संहिता के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत प्रदान किए गए किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकती है और निगम के किसी भी कार्य का पालन कर सकती है।

ग. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

9. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड- (1) (क) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य के अलावा, अन्य सदस्य उसके नामांकन की दिनांक से तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे तथा वे पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगे:

परंतु एक पदेन सदस्य के अलावा कोई सदस्य, कुल दो कार्यकालों की अवधि से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।

(ख) केंद्र सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (i) और (ii) की श्रेणी में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के संघों और असंगठित क्षेत्र के नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों में से इस तरह से नामांकन मांगेगी जैसा कि वह निर्धारित करे।

(ग) केंद्र सरकार, श्रम कल्याण, प्रबंधन, वित्त, कानून और प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iii) के अधीन सात व्यक्तियों को नामित करेगी।

(घ) केन्द्र सरकार धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप खंड 4 के अधीन लोकसभा अध्यक्ष (लोक सभा) से दो लोकसभा सदस्यों और राज्य सभा के अध्यक्ष से एक सदस्य जैसा भी मामला हो, के नामांकन की मांग करेगी।

(ङ) केन्द्र सरकार, धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (v) के अधीन केन्द्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कल्याण से जुड़े मामलों से संबंधित, दस सदस्यों को नामित करेगी।

(च) केन्द्र सरकार, धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (vi) के अधीन राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यों और धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (vii) के अधीन केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को रोटेशन के आधार पर, जैसा कि यह निर्धारित कर सकता है, नामित करेगी।

(छ) धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (i), (ii) व (iii) के अंतर्गत नामित सदस्य, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा अगर वह उस हित श्रेणी का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दे, जिस श्रेणी से उसे इस प्रकार नामित किया गया था :

परंतु उक्त उप-खंड (i) के अंतर्गत नामित सात व्यक्तियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं का एक-एक प्रतिनिधित्व हो।

(ज) धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iv) के अंतर्गत नामित सदस्य, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा अगर वह संसद उस सदन का सदस्य न रहे जिससे उसे इस प्रकार नामित किया गया था।

(झ) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सदस्य न तो चुना जायेगा और न रहेगा अगर उस पर धारा 8 का कोई प्रावधान लागू होता है।

(2) (क) धारा 6 के अंतर्गत असंगठित कामगारों हेतु गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड वह बोर्ड होगा जो गिग व प्लेटफार्म कामगारों के उद्देश्य हेतु धारा 114 की उप-धारा (6) में संदर्भित है।

(ख) पदेन सदस्य को छोड़कर, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि उसके नामांकन की दिनांक से तीन वर्ष होगी तथा वह पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा:

परंतु पदेन सदस्यों के अलावा किसी भी सदस्य की पदावधि कुल दो अवधियों से अधिक के लिए नहीं होगा।

(ग) केंद्र सरकार धारा 114 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अधीन, सातवीं अनुसूची में दिए अनुसार एग्रीगेटर्स की श्रेणियों में से क्रमावर्तन आधार पर एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों के रूप में पांच सदस्यों को नामित करेगी।

(घ) केंद्र सरकार धारा 114 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अधीन, गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों में से रोटेशन आधार पर गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यों को नामित करेगी।

(ङ) केंद्र सरकार धारा 114 की उप-धारा (6) के खंड (ङ) के अधीन, श्रमिक कल्याण, प्रबंधन, वित्त, विधि, प्रशासन, ई-कॉमर्स अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से विशेषज्ञ के रूप में पांच सदस्यों को नामित करेगी।

(च) गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वहन में, किसी भी बैठक में कार्य करने हेतु छह सदस्यों का कोरम होगा।

(छ) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों के कल्याण संबंधी मामलों, गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों की संख्या के आकलन, नए प्रकार के एग्रीगेटर्स की पहचान अथवा गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों से सम्बंधित अन्य किसी मामले पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकेगा।

(3) (क) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, उसे समुनदेशित अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु धारा 6 की उप-धारा (7) के अंतर्गत एक समिति का गठन कर सकता है जो ऐसी समिति को जैसा समुनदेशित हो विशिष्ट मामलों पर विमर्श तथा सिफारिश करेगी;

(ख) यह समिति, ऐसे बोर्ड अथवा बाहर से, जैसा भी मामला हो, उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से, जिन पर समिति को विमर्श करना अपेक्षित है, सदस्यों का चुनाव कर सकती है।

(4) (क) केंद्र सरकार बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के छह माह पूर्व से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगी।

(ख) अगर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नए बोर्ड का गठन नहीं होता है, तो जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्णय किया जाए। नए बोर्ड का गठन होने तक की अवधि के लिए बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक अधिसूचना के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जा सकेगी।

(ग) खंड (ख) में संदर्भित व्यवस्था लागू किये जाने के पश्चात, की गई सभी कार्रवाईयों का प्रभाव बिलकुल वही होगा जैसे कि वे स्वयं बोर्ड द्वारा ही की गई हों।

(5) (क) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का कोई सदस्य जो पदेन सदस्य न हो, केंद्र सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा।

(ख) ऐसे सदस्य का पद, जिस दिनांक से उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है उस दिनांक से अथवा त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिवस समाप्त होने पर, दोनों में से जो भी पहले हो, रिक्त हो जायेगा।

(ग) ऐसे सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने के अधिकार केंद्र सरकार के पास होंगे।

(6) अगर ऐसा कोई सदस्य अपना पता परिवर्तित करता है तो वह अपने नए पते की सूचना बोर्ड के सदस्य-सचिव को देगा जो कार्यालयीन रिकार्ड में उसके नए पते की प्रविष्टि कर देगा:

परंतु कि अगर कोई सदस्य अपना नया पता बताने में असफल रहता है, तो कार्यालयीन रिकार्ड में उल्लिखित उसका पता ही सभी उद्देश्यों हेतु उसका सही पता माना जायेगा।

(7) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सदस्यता में जब भी कोई रिक्ति हो अथवा होने वाली हो, तो बोर्ड के सदस्य-सचिव केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियम 9 के उप-नियम (1) व (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकती है तथा इस प्रकार नामित व्यक्ति, सदस्य जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है, उसके शेष कार्यकाल के लिए उस पद पर बना रहेगा।

(8) (क) असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के किसी सदस्य को हटाने हेतु धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (ख) व (ग) के अंतर्गत कार्यवाहियों, अगर कोई हों, के रूके रहने के दौरान ऐसा सदस्य बोर्ड की बैठकों से प्रवृत्त रहेंगे;

(ख) धारा 8 के अंतर्गत किसी सदस्य के विवर्जन, अपात्र ठहराए जाने अथवा हटाये जाने पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

10. अन्य कल्याण उपाय व सुविधाएँ: केंद्र सरकार की राय में अगर निर्माण कर्मकार के कल्याण में सुधार हेतु यह आवश्यक हो कि किसी राज्य में नई कल्याण योजना अथवा योजनाएं बनाई जाएं, सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथोनिर्दिष्ट अन्य कल्याणकारी उपायों तथा सुविधाओं के लिए प्रावधान करेगा और उनमें सुधार करेगा।

घ. सामान्य

11. बैठकें, बैठकों की सूचना, कार्यों की सूची और कोरम: (1) (क) केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या इनकी कोई समिति, उप-नियम (2) के अधीन, ऐसे स्थान व समय पर बैठक करेगी जो इसके अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ख) केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

(ग) केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति तथा निगम की स्थायी समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठकें तथा निगम की चिकित्सा हितलाभ समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(ङ) केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या इनकी किसी भी समिति के अध्यक्ष जब भी उचित समझें, तथा संबंधित निकाय के कम से कम आधे सदस्यों से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर पंद्रह दिनों के भीतर एक विशेष बैठक बुलाएंगे तथा इस प्रकार किये गए अनुरोध में इस प्रकार प्रस्तावित बैठक किए जाने का उद्देश्य उल्लिखित होगा।

(2) (क) केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा इनकी किसी समिति की प्रत्येक साधारण बैठक का नोटिस, जिसमें इसकी दिनांक, समय व स्थान उल्लिखित हो, बैठक में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाहियों की एक सूची, और सम्बंधित अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित को जारी होने की दिनांक के पंद्रह दिनों के अंदर केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा इनकी किसी समिति के प्रत्येक न्यासी अथवा सदस्य को, जैसा भी मामला हो, को ई-मेल अथवा स्पीड डाक (पंजीकरण सहित) या विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजी जाएगी तथा इसके पश्चात यथाशीघ्र, कार्यसूची की प्रत्येक मद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कार्यसूची के साथ भेजी जाएगी।

(ख) जब भी केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा इनकी किसी समिति, जैसा भी मामला हो, के संबंधित अध्यक्ष किसी मामले पर विचार के लिए जो उनकी राय में अति आवश्यक है, की आकस्मिक बैठक बुलाते हैं; तो ऐसा यथोचित समय जिसे वह आवश्यक समझें देने वाला नोटिस पर्याप्त समझा जाएगा और केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार

कल्याण बोर्ड अथवा इनकी किसी समिति, जैसा भी मामला हो, के प्रत्येक न्यासी व सदस्य को ई-मेल अथवा स्पीड डाक (पंजीकरण सहित) या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजा जायेगा।

(ग) जिस कार्य के लिए केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक बुलाई गई है, उसके अलावा, अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना बैठक में किसी भी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थित होने की स्थिति में, अध्यक्ष द्वारा नामित न्यासी या सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(4) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कोरम पूरा न हो-

(क) केन्द्रीय बोर्ड के मामले में ग्यारह न्यासी और कार्यकारी समिति के मामले में चार सदस्य; या

(ख) निगम के मामले में पंद्रह सदस्य, स्थायी समिति के मामले में पांच सदस्य और चिकित्सा हितलाभ समिति के मामले में सात सदस्य; या

(ग) असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मामले में दस सदस्य और गिग श्रमिकों और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मामले में छह सदस्य; या

(घ) राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले में चार सदस्य;

उपस्थित हैं:

परंतु, यदि किसी बैठक में, कोरम पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यासी या सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, जैसा भी मामला हो, कोरम के स्वरूप की स्थिति में तो बैठक का अध्यक्ष एक घंटे के लिए बैठक को स्थगित कर देगा और उसके बाद बैठक में उपस्थित न्यासी या सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना कार्य का निपटान वैध होगा।

(5) (क) यदि कोई न्यासी या सदस्य, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, जैसा भी मामला हो, वह लिखित रूप में, संबंधित निकाय के अध्यक्ष को, बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता के कारणों की व्याख्या करते हुए, संगठन के किसी भी सदस्य को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, जो उसके स्थान पर केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी भी बैठक में उसका प्रतिनिधित्व करेगा:

परन्तु, ऐसी कोई भी नियुक्ति तब तक वैध नहीं होगी जब तक-

(i) ऐसी नियुक्ति को संबंधित निकाय के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है; और

(ii) बैठक के लिए नियत दिनांक से पूर्व, संबंधित निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधि नियुक्ति संबंधी लिखित सूचना प्राप्त कर ली गई है।

(ख) खंड (क) के अंतर्गत वैध रूप से नियुक्त एवजी को, सम्बंधित निकाय की बैठक में, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, सदस्य की वे सारी शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे जो उन्हें प्राप्त होते, जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है तथा उसे भत्ते प्राप्त होंगे और वे उन दायित्वों के अधीन होंगे जो संहिता के अंतर्गत नियुक्त न्यासी या सदस्य के होते।

(ग) कोई न्यासी या सदस्य, जिसने सेंट्रल बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या खंड (क) के अंतर्गत बनी उनकी समिति की किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए एवजी नियुक्त किया हो, इस उप-नियम में निहित किसी तथ्य के होते हुए भी, एवजी द्वारा निधि के गबन या दुरुपयोग का जिम्मेदार होगा और साथ ही, वह नियुक्त एवजी द्वारा निधि से सम्बंधित कर्तव्य पूरा नहीं करने या गलत कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(6) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति की बैठक में विचार किए जाने वाले हर प्रश्न पर सम्बंधित निकाय के उपस्थित सदस्यों या न्यासी के मतदान के आधार पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा और मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष एक अतिरिक्त मतदान करेंगे।

परंतु कि, अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो किसी प्रश्न को सेंट्रल बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति के सदस्यों या न्यासी को आवश्यक कागजात परिचालित कर उनकी लिखित राय लेकर निर्णय लेने का निदेश दे सकते हैं; और ऐसे किसी भी प्रश्न पर निर्णय सदस्यों या न्यासी से, दी गयी समय-सीमा के अन्दर, प्राप्त राय के बहुमत के आधार पर किया जाएगा और राय के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष की राय मान्य होगी:

परंतु कि केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति का कोई सदस्य या न्यासी यह अनुरोध कर सकता है कि सम्बंधित निकाय के सदस्यों या न्यासी को लिखित राय के लिए संदर्भित प्रश्न पर सेंट्रल बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति की बैठक में विचार किया जाए तथा अध्यक्ष ऐसा करने का निदेश दे सकते हैं यदि यह अनुरोध सम्बंधित निकाय के कम-से-कम तीन सदस्यों या न्यासी द्वारा किया गया हो।

(7) (क) प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त उसमें उपस्थित सदस्यों के नाम सहित, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति के प्रत्येक सदस्य या न्यासी तथा केंद्र सरकार को भेजी जाए, जैसा भी मामला हो, तथा केंद्र सरकार को और राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले में कार्यवृत्त प्रत्येक सदस्य या उनकी कोई समिति, जैसा भी मामला हो, अग्रेषित की जाए तथा सम्बंधित राज्य सरकार को यथाशीघ्र भेजी जाए और हर हाल में बैठक के चार सप्ताह से पहले भेजी जाए।

(ख) केन्द्रीय बोर्ड तथा उसकी कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड, अध्यक्ष के अनुमोदन से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ग) अगली बैठक में ऐसे परिशोधन, जिन पर विचार आवश्यक हो, के साथ इस बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए।

(घ) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उनकी किसी समिति की बैठक का कार्यवृत्त एक अलग पुस्तिका (इसके पश्चात इसे कार्यवृत्त पुस्तिका लिखा जाए) में रखा जाए तथा इस पर उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाए जिसमें कार्रवाई की पुष्टि की जानी है।

(ङ.) ऐसी संपुष्टि की दिनांक से 15 दिनों के भीतर बैठक की कार्यवृत्त केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी:

परंतु कि राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले में सम्बंधित राज्य सरकार को संपुष्टि के 15 दिनों के भीतर कार्यवृत्त की प्रति अग्रेषित किया जाएगा।

(च) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के प्रधान कार्यालय में कार्यवृत्त-पुस्तिका को सम्बंधित सदस्य द्वारा कार्यदिवसों में कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क निरीक्षण हेतु खुला रखा जाएगा।

(8) (क) प्रत्येक गैर सरकारी न्यासी या केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या अन्य समिति का सदस्य, जैसा मामला हो, को यात्रा की अनुमति दी जाएगी तथा इन बैठकों में उपस्थिति के लिए उन्हें केंद्र सरकार के पे मैट्रिक्स में लेवल 12 के अधिकारियों के समान दैनिक भत्ता देय होगी।

(ख) जहां ऐसे न्यासी या सदस्य, जो संसद के सदस्य हों या राज्य विधान मंडल के सदस्य हों, को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता संसद के सदस्यों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) के उपबंधों के अनुसार या सम्बंधित राज्य विधान मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू प्रावधानों के अनुसार देय होगा, जैसा भी मामला हो:

परंतु कि, जब एक मंत्री को केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उनकी अन्य समिति का सदस्य या न्यासी या सदस्य नियुक्त किया जाता है और तदनुसार बैठक में भाग लेते हैं तो उन्हें यात्रा एवं दैनिक भत्ता उन्हें सरकारी कार्य के लिए की गयी यात्रा मानकर तदनुसार लागू नियमों के आधार पर देय होगा तथा उसका भुगतान उन्हें वेतन भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ग) अगर केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उनकी अन्य समिति का सदस्य या न्यासी इस कार्य के लिए अपने नियोजक से भत्ता आहरित किया है/करेंगे तो ऐसी स्थिति में, जैसा भी मामला हो, उन्हें कोई दैनिक या यात्रा भत्ता देय नहीं होगा या किसी समिति या अन्य विधायिका या सरकार द्वारा गठित या आयोजित सम्मलेन में सरकार अथवा उनके नियोजक द्वारा यात्रा का साधन उपलब्ध कराया जाता है तो उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(घ) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उनकी अन्य समिति द्वारा गठित उप-समिति की बैठक में वे भाग लेते हैं तो सदस्यों को उन बैठकों के लिए भी दैनिक तथा यात्रा भत्ता देय होगा।

(ङ.) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसकी किसी समिति या केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा गठित उप-समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, सरकारी न्यासी या केंद्र सरकार का सदस्य अपने विभाग से केंद्र सरकार के नियमों के अधीन उसे अनुदेय पैमाने पर अपना यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा और इस तरह आहरित की गई राशि, केंद्र सरकार द्वारा इसकी मांग किए जाने पर, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा उस सरकार को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(च) किसी गैर-सरकारी सदस्य को भत्ते का दावा करने की अंतिम दिनांक से पहले भुगतान नहीं किया जाएगा तथा अग्रवर्ती और वापसी दोनों यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता बिल में सम्मिलित किया जाएगा और इस प्रकार किए गए भुगतान को यात्रा पूरी होने की दिनांक पर ध्यान दिए बिना, अंतिम माना जाएगा।

12. निगम, केन्द्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कामगार बोर्ड, भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी भी समिति का पुनर्गठन- जब केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कामगारबोर्ड या भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को धारा 11 के उपबंधों के अधीन अधिक्रमित कर दिया गया होतो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, -

(क) धारा 114 या धारा 7 की उप-धारा (6) के परंतुक के साथ पठित धारा 4 या धारा 5 या धारा 6, जैसा भी मामला हो, के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कामगार बोर्ड या भवन कामगार कल्याण बोर्ड के लिए नए न्यासी या सदस्य को नियुक्त करेगा या उनकी नियुक्ति और चुनाव कारित करेगा।

(ख) स्वविवेक से, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कामगार बोर्ड या भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कार्यकरण के लिए ऐसी अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी जो वह ठीक समझे।

अध्याय 3

कर्मचारी भविष्य निधि

13. अपील दायर करने के लिए प्ररूप, रीति, समय-सीमा और शुल्क- (1) अधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी:

परंतु यह कि अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार, यदि चाहें तो, हिंदी में तैयार किए गए दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं:

परंतु यह और कि -

(i) अधिकरण स्वविवेक से कार्यवाही में हिंदी के उपयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन अंतिम आदेश अंग्रेजी में होगा;

(ii) मामले की सुनवाई करते समय अधिकरण, अपने विवेक से, दलीलों और दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद को दायर करने का निर्देश दे सकता है।

(2) (क) अपीलकर्ता द्वारा अधिकरण को अपील व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट या विधिवत रूप से प्राधिकृत विधिक व्यवसायी द्वारा रजिस्ट्री को या उसे प्राप्त करने के लिए अधिकरण के रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील प्ररूप-1 में प्रस्तुत की जाएगी या रजिस्ट्रार को विधिवत रूप से संबोधित पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(ख) खंड (क) के अधीन अपील इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तीन प्रतियों में पेपर-बुक प्ररूप में एक अप्रयुक्त फ़ाइल आकार के लिफाफे जिसमें प्रतिवादी का पूरा पता लिखा हो, के साथ प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह कि जहां प्रतिवादियों की संख्या एक से अधिक हो, वहां अप्रयुक्त फ़ाइल आकार के लिफाफे जिनमें प्रत्येक प्रतिवादी का पूरा पता हो, के साथ अपील की उतनी ही अतिरिक्त प्रतियां जितने प्रतिवादी हैं, पेपर-बुक प्ररूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां प्रतिवादियों की संख्या पांच से अधिक है, रजिस्ट्रार अपीलकर्ता को प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते समय अपील की अतिरिक्त प्रतियां दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(ग) रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्ररूप-2 में अपील की प्राप्ति की पावती जारी करना कारित करेगा।

(3) (क) रजिस्ट्रार, या उसके द्वारा उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक अपील पर उस दिनांक को पृष्ठांकित करेगा जिस पर इसे प्रस्तुत किया गया है या उस नियम के अधीन प्रस्तुत किया गया माना जाता है और डिजिटल रूप से या अन्यथा पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(ख) यदि संवीक्षा पर अपील सही पाई जाती है, तो उसे विधिवत रूप से पंजीकृत किया जाएगा और एक क्रमांक दिया जाएगा।

(ग) यदि संवीक्षा पर अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है और पाई गई त्रुटि औपचारिक प्रकृति का है, तो रजिस्ट्रार पक्षकार को अपनी उपस्थिति में उसे परिशोधित करने की अनुमति दे सकता है और यदि वही त्रुटि औपचारिक प्रकृति का नहीं है, तो रजिस्ट्रार अपीलकर्ता को पंजीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने की दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करने का निर्देश देगा।

(घ) यदि अपीलकर्ता खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटि को परिशोधित करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अपील को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है और तदनुसार अपीलकर्ता को सूचित कर सकता है।

(4) अपील साधारणतया अपीलकर्ता द्वारा ऐसे अधिकरण के रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में –

- (i) कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो, या
- (ii) प्रतिवादी का कार्यालय जिसके आदेश के विरुद्ध राहत मांगी गई है, स्थित हो।

(5) (क) रजिस्ट्रार के पास दायर की गई प्रत्येक अपील के साथ दो हजार रुपये का शुल्क इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा या रजिस्ट्रार के पक्ष में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में आहरित क्रॉसड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में और उस स्टेशन के उस बैंक की मुख्य शाखा में देय होगा, जहां उक्त अधिकरण की सीट स्थित है।

(ख) धारा 125 या धारा 128 के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है:

परन्तु यह कि यदि अधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता को साठ दिनों के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उक्त अवधि को अन्य साठ दिनों के लिए बढ़ा सकता है:

परन्तु यह और कि नियोक्ता द्वारा किसी अपील पर अधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने धारा 16 के अधीन गठित संबंधित निधि में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धारा 125 के अधीन निर्धारित राशि के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि जमा नहीं की है।

(6) उप-नियम (2) के अधीन दायर की गई प्रत्येक अपील में स्पष्ट रूप से अलग-अलग शीर्षों के अधीन ऐसी अपील के आधार बताए जाएंगे और ऐसे आधारों को लगातार क्रमांकित किया जाएगा; और अपील, किसी भी अन्य विविध याचिका सहित, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जाएगी या अच्छी गुणवत्ता के मोटे कागज पर दोनों तरफ डबल स्पेस में टाइप की जाएगी।

(7) (क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा दायर की जा रही प्रत्येक अपील के साथ एक पेपर-बुक होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

- (i) उस आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है;
- (ii) अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए और अपील में संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियां; और
- (iii) दस्तावेजों का एक सूचकांक।

(ख) खंड (क) में संदर्भित दस्तावेजों को विधिक व्यवसायी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जा सकता है और प्रत्येक दस्तावेज को क्रमशः अनुबंध क-1, क-2, क-3 के रूप में या इसी तरह से चिह्नित किया जाएगा।

(ग) जहां एक एजेंट द्वारा अपील दायर की जाती है, उसे ऐसे एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज को भी अपील में संलग्न किया जाएगा:

परन्तु कि जहां एक कानूनी व्यवसायी द्वारा अपील दायर की जाती है, उसके साथ डिजिटल प्रारूप में या अन्यथा विधिवत निष्पादित 'वकालतनामा' होगा।

(8) अपील कार्रवाई के एक कारण पर आधारित होगी और जिसमें एक या एक से अधिक राहत की मांग की जा सकती है परन्तु कि वे परस्पर परिणामी हों।

(9) (क) अधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस और प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अधिकरण द्वारा निर्देशित निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से जारी किया जा सकता है, अर्थात्: -

- (i) स्वयं पक्षकार द्वारा; या
- (ii) प्रोसेस सर्वर के माध्यम से हैंड डिलीवरी (दस्ती) द्वारा; या
- (iii) देय पावती के साथ नामांकन के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा।

(ख) जहां अधिकरण द्वारा जारी नोटिस को स्वयं पक्षकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या 'हैंड डिलीवरी' (दस्ती) द्वारा तामील किया जाता है, वह अधिकरण की रजिस्ट्री के साथ, पावती और सेवा के एक हलफनामे के साथ दायर करेगा।

(ग) खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण, प्रत्यार्थियों की संख्या और उनके निवास स्थान अथवा कार्य और अन्य परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए निदेश दे सकता है कि अपील का नोटिस प्रत्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा वैकल्पिक सेवा के किसी भी प्रकार सहित किसी अन्य ढंग से, जो भी अधिकरण को उचित और सुविधाजनक लगे, दिया जाएगा।

(घ) खण्ड (क) के अधीन कुछ भी किए जाने पर भी, अधिकरण अपने विवेक से मामले की प्रकृति और आकस्मिकता का ध्यान रखते हुए, जैसा कि केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा कोड के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त स्थायी काउंसिल पर नोटिस की तामील का निदेश दे सकता है।

(ङ.) अधिकरण द्वारा जारी प्रत्येक नोटिस, जब तक कि अन्यथा आदेश न हो, पेपर-बुक की प्रति के साथ-साथ अपील की प्रति के साथ होगा।

(च) प्रत्येक अपीलकर्ता सेवा अथवा प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए शुल्क का इस प्रकार से भुगतान करेगा, जैसा कि अधिकरण खण्ड (ग) के अधीन निदेश देगा, इस प्रकार की राशि जो कि सेवा के संबंध में किए गए वास्तविक प्रभारों, जैसा कि अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, से अधिक नहीं होगी।

(छ) खण्ड (ग) के अधीन सेवा अथवा प्रक्रिया के निष्पादन के लिए शुल्क, रजिस्ट्रार द्वारा शुल्क निर्धारण के आदेश की दिनांक के एक सप्ताह के अंदर अथवा विस्तारित समय, जो उनके द्वारा अनुमत हो, के भीतर उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट तरीके से, छोड़ दी जाएगी।

(ज) खण्ड (क) से (घ) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि अधिकरण संतुष्ट है कि सभी प्रत्यार्थियों को अपील की सूचना प्रदान करना तर्क-संगत रूप से व्यवहारिक नहीं है, यह, लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए निदेश दे सकेगा कि इस बात के होते हुए भी की कुछेक प्रत्यार्थियों को आवेदन की सूचना प्रदान नहीं की गई है अपील पर सुनवाई की जाएगी।

परंतु निम्नलिखित के बिना किसी भी अपील पर सुनवाई नहीं की जाएगी:-

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय बोर्ड, यदि इस प्रकार की सरकार अथवा बोर्ड प्रत्यर्थी है, को अपील की सूचना दे दी गई है;

(ii) उस प्राधिकारी को अपील का नोटिस प्रदान कर दिया गया है, जिसने वह आदेश पारित किया था, जिस आदेश के विरुद्ध अपील दर्ज की गई है; और

(iii) अधिकरण संतुष्ट है कि उन प्रत्यार्थियों जिनपर अपील का नोटिस नहीं भेजा गया है, के हित उन प्रत्यार्थियों जिनको अपील की सूचना भेजी गई है, के द्वारा यथेष्टतया और पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है।

(10) (क) कोई भी व्यक्ति जो अपील के प्रतिवाद का इरादा रखता है, अपील का उत्तर और अधिकरण की रजिस्ट्री के साथ पेपर बुक रूप में भरोसेमंद दस्तावेज़, उसे भेजे गए अपील के नोटिस प्रदान करने की 30 दिन की अवधि के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा तीन प्रतियों में दर्ज कर सकेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन दर्ज उत्तर में प्रत्यर्थी, अपीलकर्ता द्वारा अपनी अपील में उल्लेख किए गए तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार, अस्वीकार अथवा व्याख्या करेगा और मामले के उचित निर्णय हेतु जो भी अतिरिक्त तथ्य आवश्यक पाए जाए, का भी उल्लेख कर सकेगा और इसे डिजिटल रूप से अथवा अन्यथा हस्ताक्षरित किया जाएगा और लिखित कथन को, प्रत्यर्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो भी उसके द्वारा लिखित में इस प्रकार से प्राधिकृत किया गया है, के द्वारा इस प्रकार से सत्यापित किया जाएगा, जिस प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के नियम 15 के आदेश-VI में उपबंधित किया गया है।

(ग) खण्ड (ख) में संदर्भित उत्तर दस्तावेजों के साथ फ़ाइल किया जाएगा और इसे आर-1, आर-2, आर-3 और इस प्रकार आगे अंकित किया जाएगा।

(घ) प्रत्यर्थी खण्ड (ग) में यथा उल्लेखित दस्तावेजों के साथ-साथ उत्तर की एक प्रति यदि कोई हो, को अपीलकर्ता अथवा उसके विधि-व्यवसायी को, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा प्रदान करेगा और अधिकरण की रजिस्ट्री में इस प्रकार की सेवा का प्रमाण फ़ाइल करेगा।

(ङ) प्रत्यर्थी के उपर्युक्त तीस दिनों की अवधि के अंदर उत्तर फ़ाइल करने में असफल रहने के मामले में, उसे इस प्रकार किसी अन्य दिन में जो भी अधिकरण द्वारा लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए और ऐसी लागत जो भी अधिकरण द्वारा उचित समझी जाए, के भुगतान पर, उत्तर फ़ाइल करने की अनुमति दी जा सकेगी, परंतु यह, इस प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी को नोटिस की तामील करने की दिनांक से साठ दिनों से अधिक नहीं होगी।

(11) अधिकरण पक्षों को अपील की सुनवाई की दिनांक और स्थान इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा अधिसूचित करेगा जैसा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी सामान्यतः अथवा विशेष आदेश के द्वारा निदेशित करें।

(12) (क) अधिकरण मामलों की सुनवाई के लिए एक कैलेंडर तैयार करेगा, और जहाँ तक संभव हो, कैलेंडर के अनुसार मामलों की सुनवाई और निर्णय करेगा।

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 23 के अधीन अपील, जहाँ तक व्यवहारिक हो, दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाएगा कि इसका एक वर्ष की अवधि में निर्णय हो जाए।

(ग) अधिकरण के पास स्थगन को अस्वीकार करने और मौखिक बहस के लिए समय सीमा निर्धारित करने की शक्ति होगी।

(13) (क) जहाँ अपील की सुनवाई की नियत दिनांक को अथवा कोई अन्य दिनांक, जिस पर इस प्रकार की सुनवाई स्थगित की जा सकती है, पर जब अपील सुनवाई के लिए बुलाई जाती हैं, अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, अधिकरण, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, चूक के लिए या तो अपील को निरस्त कर सकता है या इसकी सुनवाई कर सकता है और योग्यता के आधार पर इसका निर्णय कर सकता है।

(ख) जहाँ चूक के लिए अपील को निरस्त कर दिया गया है और अपीलकर्ता ने निरस्त करने की दिनांक से 30 दिन की अवधि के अन्दर अपील की वापसी के लिए आवेदन करता है और अधिकरण को संतुष्ट कर देता है कि जब सुनवाई के लिए अपील बुलाई गई थी, उसकी अनुपस्थिति का समुचित कारण था, अधिकरण अपील निरस्त करने के आदेश को एक ओर रखते हुए आदेश करेगा और इसे वापस कर सकेगा:

परंतु कि जहाँ योग्यता के आधार पर मामले का निपटान किया गया था, पुनर्विलोकन के सिवाय, निर्णय को फिर से नहीं खोला जाएगा।

(14) (क) जहाँ अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को अथवा किसी अन्य दिनांक को जिस पर ऐसी सुनवाई का स्थगन किया जा सकता है, जब सुनवाई के लिए अपील बुलवाई जाती है, अपीलकर्ता उपस्थित होता है और प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं होता हैं, अधिकरण अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सुनवाई को स्थगित कर सकता है अथवा सुनवाई कर सकता है और अपील पर एक पक्षीय निर्णय कर सकता है।

(ख) जहाँ प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एक पक्षीय अपील सुनी गई है, इस प्रकार के प्रत्यर्थी अधिकरण को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि इस प्रकार का/के प्रत्यर्थी अधिकरण को संतुष्ट कर देते हैं कि नोटिस का विधिवत तामिल नहीं की गई थी, अथवा सुनवाई के लिए जब अपील बुलाई गई थी, उपस्थिति से उसको/उनको रोकने के लिए पर्याप्त कारण थे, अधिकरण उसके अथवा उनके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई को अपास्त करते हुए इस प्रकार के निबंधनों पर जिसे वह उचित समझता है, आदेश पारित कर सकेगा, और अपील की प्रक्रिया के लिए एक दिन नियुक्त करेगा:

परंतु कि जहाँ एक पक्षीय आदेश इस प्रकार कि प्रकृति का हो कि इसे केवल एक प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपास्त नहीं किया जा सकता, इसे सभी अथवा अन्य प्रत्यर्थियों में से किसी एक के भी विरुद्ध अपास्त किया जा सकेगा :

परंतु कि आगे उपनियम (9) के खण्ड (ज) द्वारा व्याप्त मामलों में, अधिकरण केवल इस आधार पर अपील के एक पक्षीय आदेश को अपास्त नहीं कर सकेगा कि इसकी प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यर्थियों पर तामिल नहीं की गई थी।

(15) (क) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित होने के दौरान एक पक्ष की मृत्यु के मामले में, दिवंगत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि अथवा अपीलकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा जिसे आवश्यक पक्षों के रूप में रिकॉर्ड पर लाने हेतु इस प्रकार की मृत्यु की दिनांक से तीस दिनों के अंदर आवेदन कर सकेगा।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर दिवंगत पक्ष के विधिक प्रतिनिधि से आवेदन प्राप्त न होने के मामले में, दिवंगत पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही का उपशमन कर दिया जाएगा।

परंतु कि उचित एवं पर्याप्त कारणों पर अधिकरण, एक आवेदन पर उपशमन के आदेश को अपास्त कर सकेगा, और विधिक प्रतिनिधि का विकल्प तैयार कर सकेगा।

(16) अधिकरण, यदि कार्यवाही के किसी भी चरण पर पर्याप्त कारण दर्शाए जाते हैं, पक्षों को अथवा उनमें से किसी एक को समय प्रदान कर सकेगा और अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।

(17) अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और इसी डिजिटल रूप से अथवा अन्यथा उस पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसने आदेश की घोषणा की थी और आदेश की घोषणा खुले न्यायालय में की जाएगी।

(18) (क) किसी अपील पर पारित किया गया प्रत्येक अंतिम आदेश अपीलकर्ता और संबन्धित प्रत्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा हस्तगत अथवा स्पीड पोस्ट (पंजीकरण के साथ) से निशुल्क प्रेषित किया जायेगा।

(ख) यदि किसी कार्यवाही का अपीलकर्ता अथवा प्रत्यर्थी किसी दस्तावेज अथवा कार्यवाही की प्रति की मांग करता है तो इसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर जारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत इस प्रकार के शुल्क के भुगतान ऐसे निबंधन और शर्तों पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

(19) अधिकरण, अपने आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए अथवा इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए अथवा न्याय को सुरक्षित करने के लिए ऐसे आदेश पारित कर सकता है अथवा ऐसे निदेश दे सकता है जो आवश्यक अथवा समीचीन हैं।

(20) अधिकरण का कार्यालय, शनिवार, रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी आदेश के शर्ताधीन, 9.30 पूर्वाह्न से 6.00 अपराह्न तक खुला रहेगा।

(21) अधिकरण का कार्य समय सामान्यतया पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक तथा अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक होगा जो पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन होगा।

(22) (क) अधिकरण के अभिलेख रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रहेंगे और वे ऐसे अन्य कार्य भी करते रहेंगे जो उन्हें इन नियमों के अंतर्गत या पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग आदेश द्वारा सौंपे जाएंगे।

(ख) आधिकारिक मुहर रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(ग) पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी सामान्य या विशेष निदेश के अधीन, अधिकरण की मुहर का प्रयोग रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के सिवाय किसी भी आदेश, समन या अन्य प्रक्रिया में प्रयुक्त नहीं होगी।

(घ) अधिकरण की मुहर रजिस्ट्रार के लिखित अनुमोदन के सिवाय प्राधिकरण द्वारा जारी किसी प्रमाणित प्रति पर नहीं लगाई जाएगी।

(23) इन नियमों में अन्यत्र प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रजिस्ट्रार की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, नामतः:-

(i) समस्त अपीलें और अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करना;

(ii) अपीलों के पंजीकरण से पूर्व उनकी जांच से उत्पन्न सभी प्रश्नों का निर्णय करना;

(iii) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील को संहिता और नियमों के अनुसार संशोधित करने की मांग;

(iv) अधिकरण के निदेशों के अधीन, अपीलों या अन्य कार्यवाही की पहली सुनवाई की दिनांक नियत करना और उसके लिए नोटिस जारी करना;

(v) अभिलेखों के किसी औपचारिक संशोधन के निदेश देना;

(vi) पक्षकारों को कार्यवाही के दस्तावेज़ की प्रतियां प्रदान करने के आदेश;

(vii) अधिकरण के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति देना;

(viii) नए नोटिस जारी करने की अन्य प्रक्रिया या नोटिस की तामील से संबंधित सभी मामलों का निपटान करना और ऐसी अपीलों को दायर करने की समय-अवधि बढ़ाना और जवाब दाखिल करने या प्रत्युत्तर के लिए पंद्रह दिनों का समय देना, यदि कोई हो तो, तथा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर उपयुक्त आदेश के लिए मामले को अधिकरण के समक्ष रखना;

(ix) किसी अदालत या अन्य प्राधिकरण की अभिरक्षा से रिकॉर्ड का अधिग्रहण;

(x) अपील के लम्बन के दौरान मृतक पक्षकारों के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए मृत्यु की दिनांक से तीस दिनों के भीतर आवेदन प्राप्त करना;

(xi) प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना और निपटान करना सिवाय जहां प्रतिस्थापन में किसी निरस्तीकरण आदेश को अलग रखना सम्मिलित हो; और

(xii) दस्तावेजों की वापसी के लिए पक्षकारों से आवेदन प्राप्त करना और उनका निपटान करना।

(24) (क) धारा 23 के अंतर्गत अधिकरण को अपील करने वाला व्यक्ति अधिकरण के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है या अपनी पसंद के किसी विधि-व्यवसायी की सहायता ले सकता है।

(ख) संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य कोई प्राधिकरण एक या इससे अधिक विधि-व्यवसायी या अपने किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अपील के संबंध में अपनी ओर से मामले को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(25) अधिकरण की आधिकारिक मुहर और संप्रतीक गोल आकार में होंगे जिसमें अधिकरण का नाम बड़े अक्षरों में और राष्ट्रीय संप्रतीक मुहर के बीच में होगा।

(26) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अधिकरण के स्टाफ के सदस्य की पोशाक ऐसी होगी जिसे पीठासीन अधिकारी समय-समय पर जारी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(27) विधि-व्यवसायी, जैसी स्थिति हो, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपनी पेशेवर पोशाक में ही अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होगा, यदि कोई हो, और यदि ऐसी कोई पोशाक नहीं है, तब:

- (i) यदि पुरुष है तो वह कॉलर बंद कोट और पतलून या लाउंज सूट में;
- (ii) यदि महिला है तो वह साड़ी, या अच्छे रंग के किसी अन्य परंपरागत पोशाक में।

अध्याय 4

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

14. महानिदेशक और वित्त आयुक्त के वेतन और भत्ते:- (1) धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक और वित्त आयुक्त केंद्र सरकार के उसी स्तर के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य वेतन स्तर के तदनुसार वेतन और भत्ते तथा अन्य लाभ प्राप्त करेंगे:

परंतु कि जहां महानिदेशक या वित्त आयुक्त पहले से ही निगम की सेवा में हैं, महानिदेशक या वित्त आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति पर वे पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी) और अन्य अधिवर्षिता लाभों के लिए उसी प्रकार हकदार होंगे, जिसके लिए वे अन्यथा हकदार होते।

(2) (क) निगम के महानिदेशक की शक्तियाँ और उनके कर्तव्य होंगे—

- (i) निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना;
- (ii) संहिता और केंद्र सरकार द्वारा इसके आधार पर बनाए गए नियमों के अनुसार निगम के अध्यक्ष के आदेशों के अधीन, निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ समिति की बैठकें बुलाना और बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू करना;
- (iii) संहिता या इसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या इसके आधार पर बनाए गए विनियमों, या निगम या उसकी स्थायी समिति के सामान्य या विशेष निदेशों के अनुसार निगम की ओर से अनुबंध करना;
- (iv) संहिता या केंद्र सरकार द्वारा इसके आधार पर बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित सभी विवरणियाँ और दस्तावेज केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना और निगम से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार करना;
- (v) संहिता और केंद्रीय नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत उन्हें समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का प्रयोग करना। निर्वहन करना और ऐसी अन्य शक्तियों

(ख) महानिदेशक, स्थायी समिति के अनुमोदन से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, केंद्रीय नियमों या विनियमों के अंतर्गत या निगम या उसकी स्थायी समिति के किसी संकल्प के अंतर्गत जैसा भी मामला हो, अपनी किसी भी शक्ति या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं और इस प्रकार प्रत्यायोजित किसी अधिकार अथवा कर्तव्य का प्रयोग अथवा निष्पादन ऐसे प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन होगा, जिन्हें महानिदेशक द्वारा निगम की स्थायी समिति के अनुमोदन से अधिरोपित किया जा सकता है।

(3) निगम के वित्त आयुक्त की शक्तियां और कर्तव्य, महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन होंगे,

- (i) निगम के लेखों का अनुरक्षण और निगम के केंद्रों तथा क्षेत्रों से विवरणियों का संग्रह कर लेखों के संकलन की व्यवस्था करना;
- (ii) निगम का बजट तैयार करना;
- (iii) निगम के केंद्रों और क्षेत्रों के लेखों तथा उन पर प्राप्तियों और भुगतानों की आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना;
- (iv) निगम की निधियों के निवेश के लिए सिफारिशें करना; और
- (v) कार्यपालक सुविधा के लिए उन्हें समय-समय पर सौंपे या प्रत्यायोजित किए गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

(4) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम स्तर 14 वाले पदों के संबंध में निगम ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए धारा 24 की उप-धारा (7) के अंतर्गत निगम की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

15. कर्मचारी राज्य बीमा निधि या निगम द्वारा धारित किसी अन्य धन का निवेश - (1) निगम केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें निहित कर्मचारी राज्य बीमा निधि का निवेश करेगा।

(2) योजना के कुशल प्रशासन के लिए निगम उतने खाते खोल सकता है जितने वह आवश्यक समझे या योजना में विनिर्दिष्ट हो।

(3) किसी निवेश से उत्पन्न सभी खर्चों और हानि को, यदि कोई हो, कर्मचारी राज्य बीमा निधि में लिया जाएगा और निवेश की बिक्री से हुए लाभ को भी कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जोड़ा जाएगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत किए गए किसी भी निवेश को उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन, समय-समय पर परिवर्तित, पक्षांतरित या अधिलाभ किया जा सकता है:

परंतु कि, यदि ऐसे परिवर्तन, पक्षांतरित या अधिलाभ से हानि होने की संभावना है, तो केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

व्याख्या — केंद्र सरकार का अनुमोदन केवल इस आधार पर आवश्यक नहीं होगा कि इसकी परिपक्वता पर प्रतिभूति का मूल्य इसके क्रय मूल्य से कम है।

(5) केंद्र सरकार, किसी भी समय, आंशिक या पूर्ण रूप से निवेश बंद करने का निदेश दे सकती है, या किसी प्रतिभूति या प्रतिभूति श्रेणियों या किसी भूमि या भवन में निवेश को प्रतिबंधित कर सकती है।

(6) किसी निवेश से प्राप्त सभी लाभांश, ब्याज या अन्य राशि प्राप्त होने पर उसे यथाशीघ्र कर्मचारी राज्य बीमा निधि के खाते में भुगतान या जमा किया जाएगा।

16. व्यय की अदायगी की सीमाएं - बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के उपायों को बढ़ावा देने के लिए, चालीस वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्तियों का वार्षिक चिकित्सीय परीक्षण निगम द्वारा केवल अपने अस्पतालों या औषधालयों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, दिव्यांग या घायल हुए बीमित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्नियोजन के लिए, निगम कर्मचारी राज्य बीमा निधि से प्रति वर्ष अधिकतम एक हजार करोड़ रुपये तक, या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक, व्यय कर सकता है।

17. संपत्ति का स्वामित्व आदि-(1) उप नियम (3) के उपबंधों और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं, महानिदेशक, संहिता के प्रयोजनों के लिए निगम की ओर से चल या अचल संपत्ति अधिगृहीत कर सकते हैं:

परंतु कि, किसी अचल संपत्ति का विनिमय, छत्तीस माह से अधिक अवधि के लिए किसी संपत्ति को पट्टे पर लेने, या किसी उपहार की स्वीकृति या दायित्व के अधीन संपत्ति के अंतरण के लिए निगम की स्थायी समिति की संस्वीकृति आवश्यक होगी।

(2) उप नियम (3) के उपबंधों और निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी शर्तों के अधीन महानिदेशक-

(क) निगम से संबंधित किसी चल संपत्ति की बिक्री या विनिमय द्वारा निपटान कर सकते हैं, जिसका मूल्य प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या निगम से संबंधित अचल संपत्ति को बारह माह से कम किसी भी अवधि के लिए पट्टे पर दे सकते हैं।

(ख) निगम की स्थायी समिति की संस्वीकृति से, निगम से संबंधित किसी भी चल या अचल संपत्ति को पट्टे पर देना, बिक्री या अन्यथा निपटान कर सकते हैं।

(3) (क) निगम ऐसे सभी अनुबंध कर सकता है और उन्हें निष्पादित कर सकता है जो संहिता के उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक या उचित हों।

(ख) संहिता के अधीन या संहिता के किसी भी प्रयोजन के लिए किया गया प्रत्येक अनुबंध निगम की ओर से किया जाएगा-

(i) महानिदेशक द्वारा; या

(ii) ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन, जो निगम के ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, जैसा कि वह प्राधिकृत कर सकता है:

परंतु कि, पचीस करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाले किसी भी अनुबंध के संबंध में निगम की स्थायी समिति की संस्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(ग) खंड (ख) के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक अनुबंध को ऐसे तरीके और रूप में किया जाएगा जो उसे बाध्य करेगा जैसे यह अनुबंध उसकी ओर से ही किया गया हो और उसी तरीके और रूप में परिवर्तित अथवा निर्वहन किया जाएगा:

परंतु कि, निगम की सामान्य या आधिकारिक मुहर, जैसा भी मामला हो, पांच लाख रुपये से अधिक राशि के प्रत्येक अनुबंध पर लगाई जाएगी।

(4) (क) निगम, उसकी स्थायी समिति की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में, और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, संहिता के प्रयोजनों के लिए ऋण जुटा सकता है।

(ख) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम ऋण जुटा सकता है -

(i) भूमि के अधिग्रहण या उस पर भवनों का निर्माण या दोनों, जैसा भी मामला हो; या

(ii) इस उप नियम के अधीन जुटाए गए ऋण को चुकाने के लिए; या

(iii) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

(ग) इस उप नियम के अधीन सभी ऋण प्राप्त किए जाएंगे -

(i) केंद्र सरकार से ब्याज की ऐसी दरों और समय तथा पुनर्भुगतान की ऐसी शर्तों पर, जैसा केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट कर सकती है; या

(ii) केंद्र सरकार के अनुमोदन से ऐसे बैंक या बैंकों से जो नियम 30 में विनिर्दिष्ट हैं।

(घ) जहां नियम 31 में विनिर्दिष्ट ऐसे बैंक या बैंकों से ऋण लिया जाता है, निगम, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, ऐसी अग्रिम राशियों के ब्याज सहित पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए उसमें निहित सभी या किसी भी संपत्ति को गिरवी रख सकता है।

(ङ) ऋण पर ब्याज और पुनर्भुगतान के लिए निगम से देय सभी भुगतान इस तरह से और ऐसे समय पर किए जाएंगे जिस पर सहमति हो सकती है।

परंतु कि, निगम किसी भी ऋण की मूल राशि के संबंध में देय किसी भी राशि के पुनर्भुगतान में किसी भी राशि के लिए आवेदन कर सकता है, जबकि हो सकता है उसका पुनर्भुगतान देय न हो।

(च) केंद्र सरकार की पिछली संस्वीकृति के बिना, ऋण से किए गए व्यय को निगम द्वारा पूंजी पर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

(छ) निगम, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों और पुनर्भुगतान दर्शाते हुए प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल तक केंद्र सरकार को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

18. कर्मचारियों का बीमा:- (1) किसी स्थापना के संबंध में नियोक्ता, किसी व्यक्ति को रोजगार में लेने से पहले या उसी दिन, यदि वह व्यक्ति पहले से ही कोड के अध्याय 4 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, तो उसका नाम, आधार संख्या और अन्य विवरण निर्धारित पोर्टल पर दर्ज करके उसका पंजीकरण करेगा। पंजीकरण होते ही कर्मचारी को स्वतः एक बीमा संख्या आवंटित कर दी जाएगी, जो तीस दिनों की अवधि तक मान्य रहेगी। जो व्यक्ति पहले से अध्याय 4 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें उनकी बीमा संख्या और नियुक्ति दिनांक दर्ज करके उक्त पोर्टल पर जोड़ा जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन पंजीकरण होने पर, नियोक्ता विनिर्दिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध घोषणा-पत्र पर उस कर्मचारी और परिवार का अद्यतित विवरण दर्ज करेगा और बीमाकृत व्यक्ति और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को निगम इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से आधार से जुड़ा पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।

(3) यदि कर्मचारी का विवरण तीस दिनों की अवधि के भीतर घोषणा-पत्र पर अद्यतित नहीं किया जाता है या नव नियोजित व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया आधार नंबर संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए बिना वापस कर दिया जाता है तो उप नियम (1) के अधीन आवंटित बीमा संख्या स्वतः अमान्य हो जाएगी।

(4) नियोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट पोर्टल पर भरे गए कर्मचारी के विवरण की यथार्थता के लिए स्थापना का नियोक्ता जिम्मेदार होगा और नियोक्ता को प्रस्तुत किए गए अपने परिवार के विवरण की यथार्थता के लिए बीमाकृत व्यक्ति जिम्मेदार होगा।

(5) कर्मचारी की बीमा संख्या का उपयोग नियोक्ता द्वारा अंशदान जमा करने और कर्मचारी के संबंध में अन्य सभी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(6) उप नियम (1) के अधीन कर्मचारी को आवंटित बीमा संख्या का उपयोग उसके द्वारा संहिता के अधीन उसे या उसके परिवार के सदस्यों या दोनों, जैसा भी मामला हो, को उपलब्ध हितलाभ लेने के लिए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "बीमा संख्या" से, संहिता के अध्याय-4, केंद्रीय नियमों और उस आधार पर बनाए गए विनियमों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल द्वारा आवंटित संख्या अभिप्रेत है।

19. अंशदान की दर- (1) मजदूरी अवधि के लिए अंशदान की राशि निम्नलिखित के संबंध में होगी-

(क) नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी को देय मजदूरी के तीन और एक-चौथाई प्रतिशत के बराबर राशि (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित); और

(ख) कर्मचारी का अंशदान, कर्मचारी को देय मजदूरी के तीन-चौथाई प्रतिशत के बराबर राशि (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित)।

(2) एक कर्मचारी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 (1999 का 44) के अधीन एक दिव्यांग है, के संबंध में नियोक्ता को अंशदान अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से नियोक्ता के अंशदान के हिस्से का भुगतान अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन ऐसी अवधि और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के हिस्से के अंशदान की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा निगम को की जाएगी।

20. प्रशासनिक व्यय-(1) निगम द्वारा निम्नलिखित मदों पर किए गए व्यय को धारा 30 के अधीन प्रशासनिक व्यय माना जायेगा, अर्थात्:-

(क) निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ समिति तथा निगम की अन्य समितियों के सदस्यों को शुल्क और भत्तों का भुगतान;

(ख) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी और कार्यग्रहण समय भत्ते, यात्रा और प्रतिकर और अन्य भत्ते, बोनस, उपदान और अनुकंपा भत्ते, पेंशन, भविष्य या अन्य हितलाभ निधि में योगदान और प्रशिक्षण संबंधी व्यय का भुगतान;

(ग) निगम के कार्यालयों, स्टाफ कारों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टर, आवास किराए पर लेना, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, लेखा-सामग्री की खरीद, छपाई और अन्य व्यय के मूल्यहास और अनुरक्षण पर खर्च का भुगतान;

(घ) संहिता के अध्याय 4 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता अभिदान और अन्य सेवाओं के लिए व्यय चुकाना;

(ङ.) निगम के खातों की लेखापरीक्षा और इसकी परिसंपत्ति तथा देयताओं के मूल्यांकन की लागत (सभी खर्चों सहित) का भुगतान;

(च) संहिता के अधीन स्थापित कर्मचारी बीमा न्यायालयों की लागत (सभी खर्चों सहित) का भुगतान;

(छ) निगम या उसकी स्थायी समिति द्वारा या इस संबंध में निगम या ऐसी स्थायी समिति द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा संहिता के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी अनुबंध के अधीन किसी राशि का भुगतान;

(ज) अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए किसी कार्य के लिए या किसी समझौते या किसी दावे का निपटारा या अन्य कानूनी कार्यवाही या निगम के खिलाफ स्थापित दावा या निगम या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी न्यायालय या अधिकरण में किसी डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय के अधीन राशि का भुगतान;

(झ) संहिता के अधीन की गई किसी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही को शुरू करने या बचाव करने की लागत और अन्य प्रभावों का भुगतान;

(ञ) संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रमों और प्रचार सामग्री की छपाई सहित कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रचार से संबंधित व्यय का भुगतान; और

(ट) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर मूल्यांकन अध्ययन पर होने वाले व्यय का भुगतान।

(2) निगम की कुल राजस्व आय का प्रतिशत जो प्रत्येक वर्ष उसके प्रशासनिक व्यय पर खर्च किया जा सकेगा, पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "कर्मचारी राज्य बीमा योजना" से निगम द्वारा प्रशासित संहिता के अध्याय 4 में उल्लिखित योजनाएं और ऐसे केंद्रीय और राज्य नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं को निगम द्वारा प्रशासित किया जाना आवश्यक है, जिसमें निगम द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेश सम्मिलित हैं।

21. अंत्येष्टि के लिए व्यय सीमा - धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (च) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अंत्येष्टि व्यय की राशि निगम द्वारा अधिसूचित की जाएगी और बीस हजार रुपए होगी।

22. हितलाभ दावे के लिए अर्हता - (1) संहिता के उपबंधों और विनियमों के अधीन, कोई व्यक्ति किसी भी हितलाभ अवधि के दौरान होने वाली बीमारी के लिए बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक होगा, यदि उसके संबंध में अंशदान तदनुसूची अंशदान अवधि में कम से कम अठत्तर दिनों से कम देय न हो और वह संबंधित अंशदान अवधि के दौरान उस व्यक्ति की "मानक हितलाभ दर" के 70 प्रतिशत की दर से ऐसा हितलाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, जो अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित होगी:

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो पहली बार संहिता के अध्याय 4 के अधीन कर्मचारी बनता है और जिसके लिए 156 दिनों से कम की अंशदान अवधि उपलब्ध है, वह बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक होगा यदि उसके संबंध में अंशदान ऐसी अंशदान अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या के आधे से कम के लिए देय नहीं था:

परंतु इसके अतिरिक्त मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने वाली यथा स्थिति बीमाकृत महिला या अस्थायी निःशक्तता हितलाभ प्राप्त करने वाले बीमाकृत व्यक्ति के मामले में और इस तरह के तथ्य के कारण, जैसा भी मामला हो, उनके लिए कम अंशदान अवधि उपलब्ध है, वह तदनुसूची हितलाभ अवधि में बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए पात्र होंगे यदि उनके संबंध में अंशदान ऐसी कम अंशदान अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या के आधे से कम के लिए देय नहीं था:

परंतु यह भी कि वह बीमारी के पहले दो दिनों के लिए हितलाभ का हकदार नहीं होगा, सिवाय बीमारी के बाद की अवधि के मामले में, पंद्रह दिनों तक के अंतराल पर, बीमारी की अवधि जिसके लिए बीमारी हितलाभ का भुगतान अंतिम बार किया गया था :

परंतु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को लगातार किसी दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों से अधिक के लिए बीमारी हितलाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(2) (क) यदि कोई व्यक्ति निगम द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक बीमारियों से पीड़ित है तो बीमारी हितलाभ बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि बीमाकृत व्यक्ति ने अवधि की शुरुआत से ठीक पहले चार अंशदान अवधियाँ पूरी कर ली हों जिसमें बीमारी का पहली बार निदान हुआ है और उसने उपर्युक्त चार अंशदान अवधियों में 156 दिनों की अवधि के लिए अंशदान का भुगतान किया है और वह उपर्युक्त चार अंशदायी अवधियों में से कम से कम एक में बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए पात्र हो।

(ख) विस्तारित बीमारी हितलाभ केवल तभी दिया जाएगा जब बीमाकृत व्यक्ति अन्यथा पूर्वगामी उपबंधों के अधीन विस्तारित बीमारी हितलाभ का हकदार हो, परंतु उप-नियम (1) के चौथे परंतुक के अधीन उसको देय बीमारी हितलाभ समाप्त हो गया है या उप-नियम (1) के अनुसार बीमारी हितलाभ के लिए पात्र नहीं है।

(ग) धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन, बीमारी हितलाभ को उप-नियम (1) के चौथे परंतुक के अधीन बीमारी हितलाभ सहित अधिकतम 730 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(घ) बीमाकृत व्यक्ति की विस्तारित बीमारी हितलाभ की दैनिक दर "मानक हितलाभ दर" की 80 प्रतिशत होगी।

(3) (क) कोई बीमाकृत महिला हितलाभ अवधि में होनी वाली प्रसूति या प्रत्याशित प्रसूति के लिए मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक होगी, यदि ठीक पूर्ववर्ती दो लगातार अंशदान अवधियों में उनके संबंध में अंशदान कम से कम 70 दिनों के लिए देय था।

(ख) संहिता और विनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन, यदि कोई हो, कोई बीमाकृत महिला जो खंड (क) के अनुसार मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक है, वह खंड (ड) में विनिर्दिष्ट दैनिक दर पर उन सभी दिनों के लिए मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने की हकदार होगी, जिन पर वह 26 सप्ताह की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है, जो प्रसूति की अपेक्षित तारीख से पहले आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगी:

परंतु जहां बीमाकृत महिला की प्रसव के दौरान या प्रसव की तारीख के ठीक बाद की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए वह मातृत्व हितलाभ की हकदार है और बच्चे को पीछे छोड़कर जाती है, दोनों में से कोई एक मामला, उस पूरी अवधि के लिए मातृत्व हितलाभ का भुगतान किया जाएगा, परंतु यदि उक्त अवधि के दौरान बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है तो, बच्चे की मृत्यु के दिन तक और उन दिनों तक, बीमाकृत महिला द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को और धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से, और यदि ऐसा कोई नामनिर्दिष्ट नहीं है, तो उसके विधिक प्रतिनिधि को मातृत्व हितलाभ का भुगतान किया जाएगा:

परंतु यह भी कि बीमाकृत महिला उस तारीख से बारह सप्ताह के लिए मातृत्व हितलाभ की हकदार होगी, जिस तारीख से बच्चे को जन्म के बाद कमीशनिंग मां या दत्तक मां, जैसा भी मामला हो, को सौंपा जाता है:

परंतु यह भी कि दो या दो से अधिक जीवित बच्चों वाली बीमाकृत महिला 12 सप्ताह की अवधि के दौरान मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने की हकदार होगी, जिसमें से 6 सप्ताह से अधिक की अवधि प्रसूति की अपेक्षित तारीख से पहले नहीं होगी।

(ग) कोई बीमाकृत महिला जो खंड (क) के अनुसार मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक है, गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात के मामले में, ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने पर, जैसा कि खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट दरों पर मातृत्व हितलाभ के लिए धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन आवश्यक हो, उन सभी दिनों के लिए हकदार होगी, जब वह अपने गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात की तारीख के तुरंत बाद 6 सप्ताह की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है।

(घ) कोई बीमाकृत महिला जो गर्भावस्था, प्रसूति, बच्चे के समय से पहले जन्म या गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात से उत्पन्न बीमारी के मामले में खंड (क) के अनुसार मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक है, ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने पर, जो धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन आवश्यक हो, अध्याय 4 के किसी भी अन्य उपबंधों के अधीन उसे देय मातृत्व हितलाभों के अतिरिक्त उन सभी दिनों के लिए हकदार होगी, जिन पर वह मातृत्व हितलाभ के पारिश्रमिक के लिए खंड (ड) में विनिर्दिष्ट दरों पर काम नहीं करती है एवं उन सभी दिनों के लिए जब वह एक मास से अधिक की अतिरिक्त अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है।

(ड) किसी हितलाभ अवधि के दौरान होनी वाली प्रसूति या प्रत्याशित प्रसूति के संबंध में देय मातृत्व हितलाभ की दैनिक दर, संबंधित अंशदान अवधि के दौरान बीमाकृत महिला के संबंध में मानक हितलाभ दर के बराबर होगी, अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित होगी।

(4) एक बीमाकृत महिला और एक बीमाकृत व्यक्ति को उसकी पत्नी के संबंध में प्रसूति व्यय के लिए चिकित्सा बोनस के रूप में प्रति मामला पंद्रह हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा:

परंतु कि प्रसूति ऐसे स्थान पर हो जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं:

परंतु यह भी कि प्रसूति व्यय का भुगतान केवल दो प्रसूतियों के लिए किया जाएगा।

(5) (क) कोई व्यक्ति संहिता के अधीन किसी कर्मचारी के रूप में निरंतर ऐसी निःशक्तता की अवधि के लिए कम से कम तीन दिनों (दुर्घटना के दिन को छोड़कर) के लिए अस्थायी निःशक्तता के लिए निःशक्तता हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक होगा।

(ख) कोई व्यक्ति इस प्रकार की निःशक्तता के लिए, चाहे पूर्ण या आंशिक, संहिता के अधीन किसी कर्मचारी के रूप में स्थायी निःशक्तता के लिए आवधिक भुगतान का दावा करने के लिए अर्हक होगा:

परंतु जहां स्थायी निःशक्तता, चाहे पूर्ण हो या आंशिक, अनंतिम रूप से सीमित अवधि के लिए या अंततः निर्धारित की गई है, इस उप-नियम के अधीन उपबंधित हितलाभ उस सीमित अवधि के लिए, या जीवनभर के लिए, जैसा भी मामला हो, देय होगा।

(ग) निःशक्तता हितलाभ की दैनिक दर, उस हितलाभ अवधि के तदनुरूपी अंशदान अवधि में मानक हितलाभ दर का नब्बे प्रतिशत होगी जिसमें रोजगार के दौरान क्षति होती है, जिसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है:

परंतु जहां किसी व्यक्ति के संबंध में पहली हितलाभ अवधि के शुरू होने से पहले रोजगार के दौरान क्षति होती है, निःशक्तता हितलाभ की दैनिक दर होगी-

- (i) जहां किसी व्यक्ति को क्षति वाली अंशदान अवधि में पहली मजदूरी अवधि की समाप्ति के बाद रोजगार क्षति होती है, उस मजदूरी अवधि में उसकी औसत दैनिक मजदूरी का नब्बे प्रतिशत, जिसे अगले उच्चतर रुपये के लिए पूर्णांकित किया जाता है;
- (ii) जहां किसी व्यक्ति को क्षति वाली अंशदान अवधि में पहली मजदूरी अवधि की समाप्ति से पहले रोजगार के दौरान क्षति होती है, उसकी वास्तव में अर्जित मजदूरी का नब्बे प्रतिशत या वह मजदूरी जो उसे दुर्घटना के दिन पूरे दिन काम करने पर मिलती, अगले उच्चतर रुपये के लिए पूर्णांकित किया जाता है;

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन गणना किए गए निःशक्तता हितलाभ को "पूर्ण दर" कहा गया है।

(घ) निःशक्तता हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति को निम्नानुसार देय होगा, अर्थात्: -

- i) अस्थायी निःशक्तता के लिए, पूर्ण दर पर;
- ii) स्थायी पूर्ण निःशक्तता के लिए, पूर्ण दर पर;
- iii) चौथी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता के लिए, पूर्ण दर के ऐसे प्रतिशत पर, जो स्थायी कुल निःशक्तता के मामले में देय होता, जैसा कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट है, जो क्षति के कारण अर्जन क्षमता की हानि का प्रतिशत होने के नाते होता।
- iv) उस चोट के परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता जो कि चौथी अनुसूची के भाग-2 में निर्दिष्ट नहीं है, स्थायी कुल निःशक्तता के मामले में देय पूर्ण दर के ऐसे प्रतिशत पर जो स्थायी चोट के कारण अर्जन क्षमता की हानि के अनुपात में है।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, जहां एक ही दुर्घटना के कारण एक से अधिक क्षति कारित हुई, उप-खंड (iii) और (iv) के अधीन देय हितलाभ की दर को जोड़ा जाएगा, किन्तु किसी भी मामले में ऐसी दर पूर्ण दर से अधिक नहीं होगी और निःशक्तता के मामलों में उप-खंड (i), (ii), (iii) और (iv) में व्याप्त न हुए निःशक्तता के मामलों में ऐसी दर पर, पूर्ण दर से अधिक नहीं, जैसा कि धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों में उपबंधित है।

(6) बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को आश्रितजन हितलाभ का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, जिसकी मृत्यु रोजगार के दौरान चोट के परिणामस्वरूप, अर्थात्: -

(क) बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, आश्रित हितलाभ उसकी विधवा, बच्चों और विधवा माँ को निम्नानुसार देय होगा, अर्थात्: -

- (i) विधवा को आजीवन, पुनर्विवाह करने तक, पूर्ण दर के तीन बटे पांच के बराबर राशि और, यदि दो या अधिक विधवाएं हैं, तो विधवा को देय राशि विधवाओं के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी;
- (ii) प्रत्येक वैध या दत्तक पुत्र को, पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पूर्ण दर के दो-पांचवें के बराबर राशि:

परंतु एक वैध या दत्तक पुत्र के मामले में जो अक्षम है और जो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी आय पर पूरी तरह से निर्भर है, आश्रितजन हितलाभ का भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि अक्षमता बनी रहती है;

(iii) प्रत्येक वैध या दत्तक अविवाहित पुत्री को पूर्ण दर के दो-पांचवें के बराबर राशि:

परंतु वैध या दत्तक पुत्री के मामले में जो अक्षम है और बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय बीमाकृत व्यक्ति की आय पर पूरी तरह से निर्भर है, आश्रितजन हितलाभ का भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि अक्षमता बनी रहती है;

(iv) विधवा मां को जीवन भर पूरी दर के दो-पांचवें हिस्से के बराबर राशि।

परंतु यह और कि यदि पूर्वोक्त रूप में मृतक व्यक्ति की विधवा और वैध या दत्तक बच्चों और विधवा माता के बीच वितरित आश्रितजन हितलाभ का कुल योग किसी भी समय पूर्ण दर से अधिक हो जाता है, तो प्रत्येक आश्रित का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा, ताकि उन्हें देय कुल राशि पूर्ण दर निःशक्तता हितलाभ की राशि से अधिक न हो।

(ख) यदि मृतक व्यक्ति की विधवा या वैध या दत्तक बच्चे या विधवा मां नहीं है, तो आश्रितजन के हितलाभ अन्य आश्रितों को निम्नानुसार देय होंगे, अर्थात्:-

- (i) विधुर को आजीवन, पुनर्विवाह करने तक, पूर्ण दर के तीन बटे पांच के बराबर कोई राशि;
- (ii) विधवा माता या दादा-दादी के अलावा किसी अन्य माता-पिता को, जीवन भर के लिए, पूर्ण दर के दो बटे पांच के बराबर राशि पर और यदि दो या अधिक माता-पिता (विधवा माता के अलावा) या दादा-दादी हैं तो माता-पिता को देय राशि (विधवा माता को छोड़कर) या दादा-दादी जैसा कि पूर्वोक्त है, उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी;
- (iii) किसी अन्य को –

(क) पुरुष आश्रित, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता,

(ख) महिला आश्रित, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या विवाह तक, जो भी पहले हो या यदि विधवा हो, तब तक जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करती या पुनर्विवाह नहीं कर लेती, जो भी पहले हो,

पूर्ण दर के दो बटे दस के बराबर राशि पर :

परंतु यदि उपखंड (ii) के अधीन एक से अधिक आश्रित हैं, तो इस उप-नियम के अधीन देय राशि को उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा;

परंतु यह भी कि यदि धारा (ख) के अधीन मृतक व्यक्ति के अन्य आश्रितों के बीच वितरित आश्रितजन हितलाभों का कुल योग किसी भी समय पूर्ण दर से अधिक हो जाता है, तो प्रत्येक आश्रित का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें देय कुल राशि पूर्ण दर पर देय निःशक्तता हितलाभ की राशि से अधिक न हो।

(7) आश्रितजन हितलाभ की दैनिक दर उस हितलाभ अवधि के तदनु रूप अंशदान अवधि में मानक हितलाभ दर का नब्बे प्रतिशत होगी जिसमें रोजगार के दौरान चोट लगती है:

परंतु जहाँ किसी व्यक्ति के संबंध में पहली हितलाभ अवधि शुरू होने से पहले रोजगार के दौरान चोट लगती है, आश्रितजन हितलाभ की दैनिक दर होगी -

- (i) जहाँ किसी व्यक्ति को उस अंशदान अवधि के पहली मजदूरी अवधि की समाप्ति के बाद, जिसमें चोट लगी हो, रोजगार के दौरान चोट लगती है, वहाँ उस मजदूरी अवधि के दौरान उसकी औसत दैनिक मजदूरी का नब्बे प्रतिशत, जिसे अगले ऊँचे रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा;
- (ii) जहाँ किसी व्यक्ति को उस अंशदान अवधि के पहली मजदूरी अवधि की समाप्ति से पहले ही काम के दौरान चोट लग जाती है, जिसमें वह चोट लगी हो, तो उसे वास्तव में अर्जित वेतन का नब्बे प्रतिशत, या वह वेतन जो उसे दुर्घटना के दिन पूरे दिन काम करने पर मिलता, दिया जाएगा, अगले उच्च रुपये के लिए पूर्णांकित किया जाता है:

परंतु मृतक कर्मचारी के सभी पात्र आश्रितों को देय आश्रितजन हितलाभ के आवधिक मासिक भुगतान की न्यूनतम कुल राशि, निगम द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(8) किसी भी समय जब इसकी निधि अनुमति देती है, निगम, संहिता के अधीन स्वीकार्य किसी भी हितलाभ के पैमाने और जिस अवधि के लिए ऐसा हितलाभ दिया जा सकता है, की समीक्षा और परिवर्तन कर सकेगा।

23. चिकित्सा अपील अधिकरण में अपील- (1) यदि बीमाकृत व्यक्ति या निगम चिकित्सा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो बीमाकृत व्यक्ति या निगम, जैसा भी मामला हो, ऐसे निर्णय के विरुद्ध धारा 37 की उप-धारा (7) में संदर्भित चिकित्सा अपील अधिकरण में उक्त निर्णय के सूचित होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करके अपील कर सकेगा:

परंतु चिकित्सा अपील अधिकरण नब्बे दिनों की अवधि के बाद आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों के निर्दिष्ट रूप में होगा।

(3) चिकित्सा अपील अधिकरण के अध्यक्ष को आवेदन स्पीड पोस्ट (रजिस्ट्रीकरण सहित) द्वारा भेजा जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

24. कर्मचारी बीमा न्यायालय में दूसरी अपील- (1) बीमाकृत व्यक्ति या निगम, जैसा भी मामला हो, चिकित्सा बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण के निर्णय के सूचित होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करके कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील कर सकेगा:

परंतु कर्मचारी बीमा न्यायालय नब्बे दिनों की अवधि के बाद आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने में पालन किये जाने वाले प्ररूप और रीति के संबंध में संहिता के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, इस नियम के अधीन प्रस्तुत आवेदनों पर लागू होंगे।

25. बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिवार के चिकित्सा हितलाभ के दावे के लिए अर्हता और अन्य शर्तें— (1) कोई व्यक्ति किसी भी अवधि के दौरान चिकित्सा लाभ का हकदार होगा जिसके लिए उसके संबंध में अंशदान का भुगतान किया जाता है या भुगतान किए जाने योग्य है या जिसमें वह बीमारी हितलाभ या मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए पात्र है।

(2) कोई व्यक्ति जो निःशक्तता हितलाभ प्राप्त कर रहा है, वह चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा, जबकि वह ऐसा हितलाभ प्राप्त कर रहा है।

परंतु निःशक्तता को स्थायी निःशक्तता के रूप में घोषित कर दिए जाने के बाद, व्यक्ति चिकित्सा हितलाभ का हकदार नहीं होगा, यदि वह अन्यथा ऐसे हितलाभ का हकदार नहीं है, सिवाय किसी चिकित्सा उपचार के संबंध में, जो रोजगार के दौरान चोट के कारण आवश्यक हो जिससे निःशक्तता हुई हो।

(3) कोई व्यक्ति पहली बार बीमाकृत व्यक्ति बनने पर तीन मास की अवधि के लिए चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा, परंतु कि ऐसा व्यक्ति तीन मास या उससे अधिक समय तक उस प्रतिष्ठान का कर्मचारी बना रहे जिसके लिए संहिता का अध्याय 4 लागू होने पर, वह तदनुसारी हितलाभ अवधि की शुरुआत तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा।

(4) जिस व्यक्ति के संबंध में अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान किया गया है, वह संबंधित लाभ अवधि के अंत तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा:

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो पहली बार संहिता के अर्थ के भीतर कर्मचारी बनता है, और जिसके लिए 156 दिनों से कम अंशदायी अवधि उपलब्ध है, वह संबंधित लाभ अवधि के अंत तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा यदि उसके संबंध में अंशदान ऐसी अंशदान अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या के आधे से कम के लिए देय नहीं था।

(5) जब कोई व्यक्ति नियम 22 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के उपबंध और धारा 157 के अधीन विषय पर बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमारी हितलाभ के विस्तार के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो वह प्रासंगिक विस्तारित लाभ अवधि के अंत तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा।

(6) कोई बीमाकृत व्यक्ति, जिसकी चिकित्सा हितलाभ की हकदारी इस नियम के अधीन समाप्त हो गई है, फिर से एक कर्मचारी के रूप में अपने पुनः नियोजन की तारीख से संहिता के अध्याय IV के अधीन इस तरह के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर उस स्थापना द्वारा रजिस्ट्रीकरण पर तुरंत चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा, जिस पर कोड लागू होता है और ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जब तक कि वह उप-नियम (4) या (5) द्वारा व्याप्ति नहीं किया जाता है, तब तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा जब तक कि अंशदान अवधि के अनुरूप हितलाभ अवधि शुरू नहीं हो जाती, जिसमें उसे पुनर्नियोजित किया जाता है।

(7) बीमाकृत व्यक्ति का परिवार उस तारीख से चिकित्सा हितलाभ का हकदार हो जाएगा, जो निगम द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट की जा सकेगी और तब तक उसका हकदार बना रहेगा, जब तक बीमाकृत व्यक्ति स्वयं के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का हकदार है, या बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में उस तारीख तक जब तक बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सा देखभाल का हकदार होता, यदि वह जीवित रहता।

(8) बीमाकृत व्यक्ति और उसका परिवार केवल उसी प्रकार के और उसी पैमाने पर चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जो यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम प्रदान करें और बीमाकृत व्यक्ति या उसके परिवार को आबंटित डिस्पेंसरी, अस्पताल, क्लिनिक या अन्य संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा उपचारों या जैसा कि धारा 157 के

अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा प्रदान किया जा सकेगा, के अतिरिक्त किसी भी चिकित्सा उपचार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(9) इन नियमों में कोई बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिवार को किसी भी चिकित्सा उपचार के संबंध में किए गए किसी भी खर्च के लिए निगम से प्रतिपूर्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय जैसा कि धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(10) बीमाकृत व्यक्ति जो रोजगार के दौरान चोट के कारण स्थायी निःशक्तता के कारण बीमा योग्य रोजगार में नहीं रहता है, वह उप नियम (8) के अधीन प्रदान किए जाने वाले पैमाने पर अपने और अपने जीवन साथी के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का निम्नानुसार पात्र होगा-

(i) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह रोजगार के दौरान चोट से उत्पन्न स्थायी निःशक्तता के कारण बीमा योग्य रोजगार में नहीं रहा है और यह प्रमाण निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की संतुष्टि और पद्धति के अनुसार होगा;

(ii) निगम के संबंधित कार्यालय को उसके द्वारा निर्दिष्ट तरीके से एक बार में एक वर्ष के लिए पचास रुपये प्रति मास की अग्रिम एकमुश्त राशि के अंशदान का भुगतान; और

(iii) दिव्यांग बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उप नियम (8) में दिए गए पैमाने पर उनका जीवनसाथी चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो खंड (ii) में निर्दिष्ट योगदान के भुगतान के अधीन होगा।

(11) बीमित व्यक्ति की यथा स्थिति विधवा या विधुर, जो आश्रित लाभ प्राप्त कर रहा/रही है, उप-नियम (8) में निर्धारित स्तर के अनुसार चिकित्सीय हितलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा/होगी, परंतु वह निगम के संबंधित अधिकारी को उसके द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रति मास पचास रुपये की दर से एक वर्ष के लिए अग्रिम एकमुश्त अंशदान का भुगतान करे।

(12) नियोक्ता उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 में उपबंधित पैमाने पर निगम के माध्यम से उसके स्वयं के औषधालयों या अस्पतालों से चालीस वर्ष और उससे अधिक आयु के बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में निःशुल्क वार्षिक चिकित्सा जांच की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

26. कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी- (1) राज्य सरकार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी (जिसे इसमें इसके पश्चात सोसाइटी कहा गया है) के रूप में ऐसे संगठन की स्थापना कर सकेगी, जो धारा 40 की उप धारा (5) के नियमों के अनुसार एक प्रबंधकीय और स्वास्थ्य देखभाल निकाय के रूप में कार्य करेगा।

(2) सोसायटी में शासी निकाय, कार्यकारी समिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिवालय शामिल होंगे।

(3) सोसायटी को राज्य विशिष्ट सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या राज्य विशिष्ट लोक न्यास अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाएगा।

(4) सोसायटी के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -

- (i) राज्य के मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में;
- (ii) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (श्रम या स्वास्थ्य) जो कोई भी उपाध्यक्ष के रूप में राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं की देखरेख कर रहा हो;
- (iii) खंड (ii) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (स्वास्थ्य या श्रम);
- (iv) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (वित्त) सदस्य के रूप में;
- (v) निर्देशक, राज्य के कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-सदस्य सचिव के रूप में;
- (vi) सदस्य के रूप में निगम का नामनिर्दिष्ट;
- (vii) निगम द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट तीन नियोक्ता प्रतिनिधि;

- (viii) निगम द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट तीन कर्मचारी प्रतिनिधि;
- (ix) क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम सदस्य के रूप में;
- (x) राज्य चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या निगम द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी।

(5) सोसायटी के मामलों का प्रबंधन शासी निकाय को सौंपा जाएगा और सोसायटी की संपत्ति शासी निकाय में निहित होगी और सोसायटी के कब्जे में संपत्तियों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए सोसायटी जिम्मेदार होगी और जो शासी निकाय में निहित है।

(6) सोसाइटी की एक कार्यकारी समिति होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर शासी निकाय की ओर से कार्य करेगी और कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

- (i) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (श्रम या स्वास्थ्य) जो अध्यक्ष के रूप में राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय की देखरेख करते हैं;
- (ii) उपाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (स्वास्थ्य या श्रम);
- (iii) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (वित्त), सदस्य के रूप में,
- (iv) राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय के मुख्य निदेशक, सदस्य के रूप में,
- (v) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक, सदस्य के रूप में;
- (vi) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के राज्य चिकित्सा अधिकारी या निगम द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी;
- (vii) एक नियोक्ता प्रतिनिधि, सदस्य के रूप में;
- (viii) सदस्य के रूप में एक कर्मचारी प्रतिनिधि;
- (ix) निदेशक, राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-सदस्य सचिव होंगे।

(7) शासी निकाय या कार्यकारी समिति के सदस्यों के भरे हुए पदों में से एक तिहाई या कम से कम तीन, जो भी अधिक हो, उनकी बैठक के लिए गणपूर्ति करेगा और बैठक से पहले निर्णय के लिए आने वाला प्रत्येक मामला, यथा स्थिति शासी निकाय या कार्यकारी समिति, बैठक के समय उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा तय किया जाएगा और मतों की समानता के मामले में, बैठक के अध्यक्ष के पास एक अतिरिक्त निर्णायक वोट होगा।

(8) शासी निकाय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा और कार्यकारी समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(9) अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, यथास्थिति, शासी निकाय या कार्यकारी समिति का उपाध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(10) सोसायटी एक सचिवालय स्थापित करेगी जो सोसायटी की गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

(11) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शासी निकाय द्वारा सोसाइटी की ओर से ऐसे अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा जैसा कि वह राज्य सरकार के मानदंडों के अधीन, सोसाइटी के कार्यों के संचालन में उचित समझे।

(12) सोसायटी प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर तक अपना बजट प्रस्तुत करेगी और सोसायटी के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

(13) सोसायटी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(14) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण वर्ष की 31 मई तक तैयार किया जाएगा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर वार्षिक लेखा के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट निगम को प्रस्तुत की जाएगी।

(15) सोसायटी का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी एजेंसी व्यवसाय के लिए अधिकृत किसी अनुसूचित बैंक में खता खोला जाएगा और सोसाइटी भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा में अनुदान, दान, अंशदान, सदस्यता, वसीयत, शुल्क, ऋण या अन्य आकस्मिकताएं नकदी में लेने की हकदार होगी परंतु उसका सोसाइटी के शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त हुआ हो।

(16) सोसायटी के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और कोई भी गैर-सरकारी सदस्य सोसायटी के सदस्य के रूप में दो से अधिक कार्यकाल के लिए, हकदार नहीं होगा।

(17) संबंधित मामले के संदर्भ में, सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अन्य सदस्यों के नाम से मुकदमा या नाम पर मुकदमा चलाया जा सकेगा, जो भी इस अवसर के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(18) सोसायटी राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केन्द्रीय सरकार या निगम से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को नियुक्त करेगी और उनकी पेंशन संबंधी देनदारियां, यदि कोई हो, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों के पास होंगी।

(19) सोसाइटी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निगम द्वारा निर्देशित किसी भी अन्य गतिविधि को निष्पादित करेगी।

(20) शासी निकाय के गैर-सरकारी सदस्यों और समिति की कार्यकारी समिति को वेतन मेट्रिक्स स्तर-12 में पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता की अनुमति दी जाएगी।

27. कर्मचारी को देय लाभ का पूंजीकृत मूल्य - स्थायी दिव्यांगता हितलाभ और आश्रित हितलाभ के पूंजीकृत मूल्य की गणना धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों के तहत आश्रित या बीमाकृत व्यक्ति की आयु के आधार पर हितलाभ की दैनिक दर को गुणन कारक से गुणा करके की जाएगी।

28. अन्य लाभार्थियों के लिए योजना के संचालन के लिए नियम और शर्तें - धारा 44 के अधीन अन्य लाभार्थियों के लिए योजना के अधीन लाभ प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें, जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकेगा और उपयोगकर्ता शुल्क निगम द्वारा समय-समय पर पूर्व अनुमोदन के साथ निर्दिष्ट किया जाएगा।

29. कर्मचारी बीमा न्यायालय, आदि के समक्ष कार्यवाही - कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही यथा स्थिति निगम या पीड़ित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के नियोक्ता, के आवेदन पर शुरू की जाएगी।

(2) संहिता के अध्याय 4 के उपबंधों और उसके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही उस स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त न्यायालय में स्थापित की जाएगी जिसमें बीमाकृत व्यक्ति काम कर रहा था, जिस समय प्रश्न या विवाद उत्पन्न हुआ है।

(3) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले को उसी राज्य में किसी अन्य कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अधिक आसानी से निपटाया जा सकेगा, तो वह इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अध्याधीन हो सकेगा, ऐसे मामले के निपटान के लिए ऐसे अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देगा और उस मामले से संबंधित अभिलेखों को तत्काल ऐसे अन्य न्यायालय को प्रेषित करेगा।

(4) राज्य सरकार राज्य में किसी कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को उस राज्य की राज्य सरकार की सहमति से किसी अन्य राज्य में किसी ऐसे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है।

(5) जिस न्यायालय को उप-नियम (3) या उप-नियम (4) के अधीन कोई मामला स्थानांतरित किया जाता है, वह कार्यवाही जारी रखेगा, आगे उस चरण से आगे बढ़कर, जैसे कि वे मूल रूप से इसमें स्थापित किए गए थे।

30. निधि का प्रबंधन -(1) कर्मचारी राज्य बीमा कोष को अर्जित या देय सभी धन निगम के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जाएगा जो इस संबंध में प्राधिकृत हो सकेगा और इस तरह प्राप्त राशि को धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों

में विनिर्दिष्ट अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रसीद द्वारा जल्द से जल्द स्वीकार किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बैंकों में इस तरह के फंड के खाते में जमा किया जाएगा:

परंतु निधि जमा करने के लिए बैंक, कोई राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी एजेंसी व्यवसाय के लिए प्राधिकृत कोई अनुसूचित बैंक होगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, - (क) "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई समरूपी नया बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई समरूपी नया बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूचित बैंक" से कोई अनुसूचित बैंक अभिप्रेत है जिसे धारा 42 में विनिर्दिष्ट किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ग) "सरकारी एजेंसी व्यवसाय के लिए प्राधिकृत बैंक" से समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार वित्त मंत्रालय वय्य विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या एस-11021/1(20)/आरएलआई/2008/आरबीडी/2018, दिनांक 7 दिसंबर, 2016 द्वारा अधिसूचित बैंक अभिप्रेत है।

(2) (क) निगम को प्राप्त या देय सभी धन ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बैंक या बैंकों को जमा किए जाएंगे और किसी भी उद्देश्य के लिए सीधे उपयोग नहीं किए जाएंगे;

(ख) ऐसे बैंक या बैंकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति पर निगम को, या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को, उस मास के दौरान निधि में जमा की गई और उससे निकाली गई राशियों का विवरण प्रस्तुत करें; तथा महानिदेशक द्वारा इन विवरणों की जांच उस अवधि की समाप्ति के दो मास के भीतर की जाएगी जिससे वह विवरण संबंधित है।

(3) (क) निधि के लेखाओं ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रचालित किए जाएंगे जो निगम के अनुमोदन से स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत किए जा सकेंगे।

(ख) बैंक या बैंकों द्वारा निधि से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा सिवाय ऐसे अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित चेक के जो खंड (क) के अधीन प्राधिकृत किए जा सकते हैं।

(ग) एक हजार रुपये से अधिक का कोई भी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पूर्वोक्त के रूप में हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से किया जाएगा, और किसी अन्य तरीके से नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थायी समिति या निगम द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न हो।

(घ) निधि से कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यय को वर्तमान बजट अनुदान द्वारा उल्लेखित नहीं किया जाता है:

परंतु वर्तमान बजट अनुदान की अभाव में, निगम या तो आम तौर पर या किसी विशेष मामले के लिए भुगतान को अधिकृत कर सकेगा:

परंतु संहिता के उपबंधों के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों को हितलाभों का भुगतान और विधिवत संस्वीकृत पदों के वेतन और भत्तों का भुगतान से स्वीकृत बजट अनुदान के अभाव में नहीं रोका जाएगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा चेक पर हस्ताक्षर करने या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्राधिकृत करने से पहले, वह स्वयं को संतुष्ट करेगा कि जिस राशि के लिए चेक निकाला गया है वह—

(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत किसी उद्देश्य या कार्य के लिए आवश्यक और वर्तमान बजट अनुदान द्वारा उल्लेखित किए गए हों; और

(ii) धारा 26 के अधीन विनिर्दिष्ट और संदर्भित किसी भी भुगतान के लिए आवश्यक हो।

(5) (क) अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले और अगले 31 मार्च के दिन समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निगम का बजट प्राकलन निगम के वित्त आयुक्त द्वारा ऐसे रूप में तैयार किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर

निदेश दे और पिछले वर्ष के फरवरी के पहले दिन से पहले आयोजित की जाने वाली स्थायी समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए महानिदेशक द्वारा स्थायी समिति को अपनी अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) बजट प्राक्कलन की एक प्रति स्थायी समिति या निगम की बैठक से कम-से-कम सात दिन पहले स्थायी समिति और निगम के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी, जिस पर इस प्राक्कलन पर विचार किया जाना है।

(ग) स्थायी समिति बजट प्राक्कलन पर ऐसे परिवर्तनों पर विचार और अनुमोदित करेगी जो वह आवश्यक समझे।

(घ) स्थायी समिति द्वारा यथा अनुमोदित बजट प्राक्कलन को पिछले वर्ष के फरवरी के 20वें दिन से पहले आयोजित की जाने वाली निगम की बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

(ङ) निगम द्वारा पारित बजट प्राक्कलन को निगम की सामान्य मुहर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा और इसे धारा 117 के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो अगले मार्च के पहले दिन के बाद नहीं होना चाहिए।

(च) केन्द्रीय सरकार बजट प्राक्कलन में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी जिन्हें अनुमोदन से पहले आवश्यक समझा जाए।

(छ) निगम द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बजट प्राक्कलन को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उस वित्तीय वर्ष से पहले के मार्च के मास में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिससे प्राक्कलन संबंधित हैं।

(6) निगम की स्थायी समिति एक अनुपूरक प्राक्कलन तैयार करके निगम को प्रस्तुत करे, यदि किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में और अधिक व्यय किए जाने की संभावना है और ऐसे प्रत्येक अनुपूरक प्राक्कलन पर निगम द्वारा विचार किया जाएगा और संस्वीकृत किया जाएगा तथा उसे उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के समक्ष मूल वार्षिक प्राक्कलन की तरह ही प्रस्तुत किया जाएगा, संबंधित वित्तीय वर्ष के फरवरी के 15 वें दिन से पहले, तथा उप-नियम (5) के उपबंधों, जहां तक हो सके, ऐसे पूरक प्राक्कलन पर लागू होंगे।

(7) (क) यदि महानिदेशक को वर्ष के दौरान यह पता चलता है कि किसी शीर्ष के अधीन संस्वीकृत बजट प्राक्कलन पर अधिक व्यय होने की संभावना है, तो वे किसी अन्य शीर्ष के अधीन संभावित बचत का पता करने और पुनर्विनियोजन करने के उद्देश्य से बजट प्राक्कलन के प्रत्येक शीर्ष के अधीन आवंटन की जांच करेंगे और जहां इस तरह के पुनर्विनियोजन व्यवहार्य हैं, वे ऐसी शर्तों के अधीन पुनर्विनियोजन को मंजूरी दे सकेंगे जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सवाय बजट प्राक्कलन में विचार नहीं की गई नई सेवा पर व्यय को पूरा करने के लिए निधि को फिर से विनियोजित नहीं किया जाएगा।

(ग) प्रशासनिक खर्चों के लिए संस्वीकृत अनुदान, जिसका दो-तिहाई केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा, और किसी अन्य व्यय के लिए संस्वीकृत अनुदान के बीच किसी भी पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय 5

उपदान

31. अवयवों के लाभ हेतु निवेशित उपदान- नामनिर्दिष्ट व्यक्तिया उत्तराधिकारी, जो अवयव है, के मामले में, धारा 53 की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में ऐसे अवयव के हितलाभ के लिए नियोक्ता द्वारा उसके पास जमा की गई उपदान राशि का निवेश करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों हेतु, "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक संबंधित नया बैंक अथवा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक संबंधित नया बैंक है।

32. नामांकन, नया नामांकन और आशोधन—(1) नामांकन प्ररूप 3 में होगा और कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को दो प्रतियों में या तो व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से, उचित रसीद प्राप्त करने के पश्चात, अथवा स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(i) किसी कर्मचारी के मामले में, जो पहले से ही इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए रोजगार में है, लेकिन आमतौर पर, ऐसी तारीख से नब्बे दिनों के भीतर नामांकन प्रस्तुत नहीं करता है, सामान्यतया, ऐसी तारीख से नब्बे दिनों के भीतर; और

(ii) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो इन नियमों के लागू होने की तारीख के पश्चात एक वर्ष की सेवा पूर्ण करता है, सामान्यतः एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने के नब्बे दिनों के भीतर:

परंतु प्ररूप 3 में नामांकन निर्दिष्ट अवधि के बाद नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि दाखिल किया जाता है एवं इस तरह से स्वीकार किया गया कोई नामांकन केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि यह निर्दिष्ट अवधि के बाद फाइल किया गया था।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्ररूप 3 में नामांकन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता कर्मचारी का सेवा विवरण प्राप्त करेगा, जैसा कि नामांकन प्ररूप में उल्लेख किया गया है, स्थापना के रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाएगा और कर्मचारी को वापस कर दिया जाएगा, इसकी रसीद प्राप्त करने के बाद, प्ररूप 3 में नामांकन की अनुलिपि प्रति या तो नियोक्ता द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा, विधिवत रूप से सत्यापित की जाएगी, नियोक्ता द्वारा नामांकन की रिकॉर्डिंग के प्रतीक के रूप में और नामांकन की दूसरी प्रति रख ली जाएगी।

परंतु नामांकन प्ररूप भरते समय कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के आधार का विवरण प्रदान किया जाएगा।

(3) कोई कर्मचारी जिसका नामांकन करते समय कोई परिवार नहीं है, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके से परिवार होने के नब्बे दिनों के भीतर, धारा 55 की उप-धारा (4) के अधीन आवश्यक रूप से एक नया नामांकन, नियोक्ता को प्ररूप 3 में प्रस्तुत करेगा और उसके बाद उप-नियम (2) के उपबंध यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे जैसे कि यह उप-नियम (1) के अधीन बनाए गए थे।

(4) नामांकन में संशोधन की सूचना, जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां नामनिर्दिष्ट व्यक्ति कर्मचारी से पूर्व मृतक हो जाता है, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके से नियोक्ता को प्ररूप 3 में डुप्लिकेट में प्रस्तुत की जाएगी, और उसके बाद उप-नियम (2) के उपबंध यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे जैसे कि यह उप-नियम (1) के अधीन बनाए गए थे।

(5) नामांकन, नया नामांकन या नामांकन में संशोधन की सूचना कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी अथवा निरक्षर होने की स्थिति में, दो सक्षम गवाहों की उपस्थिति में उसका अंगूठा निशान लगाया जाएगा। ये गवाह नामांकन, नए नामांकन या नामांकन में संशोधन की सूचना, जो भी लागू हो, में इस आशय की एक घोषणा पर भी हस्ताक्षर करेंगे। इसे कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) नामांकन, नया नामांकन या नामांकन के आशोधन की सूचना नियोक्ता द्वारा इसकी प्राप्ति तारीख से प्रभावी होगी।

33. उपदान एवं अपील इत्यादि हेतु आवेदन,— (1) (क) कोई कर्मचारी जो कोड के अधीन उपदान के भुगतान के लिए पात्र है, या कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, लिखित रूप में, उसकी ओर से कार्य करने के लिए, आमतौर पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को प्ररूप 4 में आवेदन करेगा, जिस तारीख से उपदान देय हो गया था:

परंतु जहां किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख ज्ञात हो, कर्मचारी नियोक्ता को सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख के तीस दिनों से पूर्व आवेदन कर सकेगा:

परंतु इसके अतिरिक्त कर्मचारी एक निश्चित अवधि के रोजगार के आधार पर उपदान हेतु पात्र होगा, यदि वह अनुबंध के अधीन कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए और बाद की अवधि के लिए छह मास तथा उससे अधिक, लेकिन एक वर्ष से कम की अवधि हेतु सेवा प्रदान करता है, तो उसे एक अतिरिक्त वर्ष हेतु पूर्णांकित किया जाएगा।

(ख) धारा 53 की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन उपदान के भुगतान के लिए पात्र किसी कर्मचारी के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा, सामान्यतः उसे उपदान देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता को प्ररूप 4 में आवेदन किया जाएगा:

परंतु सादे कागज में संबंधित विवरणों के साथ भी आवेदन स्वीकार किया जाएगा और नियोक्ता ऐसे अन्य विवरण भी प्राप्त कर सकेगा, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

(ग) कर्मचारी का कोई उत्तराधिकारी, जो धारा 53 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उपदान के भुगतान हेतु पात्र है, आमतौर पर उपदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर जो उसे देय हो गया था, नियोक्ता को प्ररूप 4 में आवेदन करेगा:

(घ) जहां इन नियमों के प्रारंभ से पहले कोड के अधीन ग्रेच्युटी देय हो जाती है, खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सीमा की अवधि को ऐसे प्रारंभ की तारीख से प्रभावी माना जाएगा;

(ङ) इस नियम में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात दायर उपदान के भुगतान हेतु आवेदन पर भी नियोक्ता द्वारा विचार किया जाएगा, यदि आवेदक दावा करने में देरी का पर्याप्त कारण बताता है एवं कोड के अधीन उपदान हेतु कोई भी दावा केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि दावेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा है और इस संबंध में किसी भी विवाद को सक्षम प्राधिकारी को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

(च) इस नियम के अधीन एक आवेदन नियोक्ता को या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) (क) उपदान के भुगतान के लिए उप-नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, नियोक्ता, -

(i) यदि दावा सत्यापन करने पर स्वीकार्य है, तो आवेदन प्राप्त तारीख के तीसवें दिन के अंदर भुगतान के लिए देय उपदान की राशि को निर्दिष्ट एवं तारीख निर्धारित करते हुए आवेदक कर्मचारी, नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या कानूनी वारिस, जैसा भी मामला हो, को प्ररूप 5 में एक नोटिस जारी करें अथवा

(ii) यदि उपदान के लिए दावा स्वीकार्य नहीं है, तो उपदान के लिए दावे को स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को बताते हुए आवेदक कर्मचारी, यथा स्थिति नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या कानूनी वारिस, को प्ररूप 5 में एक नोटिस जारी करे तथा सक्षम प्राधिकारी को नोटिस की एक प्रति पृष्ठांकित करे।

(ख) यदि उपदान का भुगतान नियोक्ता के कार्यालय में किया जाना शेष है, तो खंड (क) उप-नियम (2) के उप-खंड (i) के अधीन प्ररूप 5 में नोटिस में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तारीख नियोक्ता द्वारा फिर से निर्धारित की जाएगी, यदि इस संबंध में एक लिखित आवेदन में आदाता द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उसके लिए निर्दिष्ट तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना क्यों संभव नहीं है।

(ग) यदि उपदान का दावेदार, कोई नामनिर्दिष्ट या विधिक उत्तराधिकारी है तो नियोक्ता ऐसे गवाह या साक्ष्य की मांग कर सकेगा जिसे यथा स्थिति उसकी पहचान स्थापित करने या उसके दावे को कायम रखने के लिए प्रासंगिक समझा जा सकेगा और उस मामले में, उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा उस तारीख से प्रभावी होगी जब नियोक्ता द्वारा मांगे गए ऐसे गवाह या साक्ष्य, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता को प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) प्ररूप 5 में एक सूचना आवेदक को या तो रसीद लेने के पश्चात व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से, अथवा स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील की जाएगी।

(ङ) धारा 56 की उप-धारा (2) के अधीन एक नोटिस प्ररूप 5 में होगा।

(3) संहिता के अधीन देय उपदान का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या पात्र कर्मचारी, यथा स्थिति, नामनिर्दिष्ट या विधिक उत्तराधिकारी, के बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा।

(4) (क) यदि कोई नियोक्ता-

(i) नियम 32 के अधीन नामांकन स्वीकार करने या उप-नियम (1) के अधीन दायर किए जाने के लिए मांगे गए आवेदन पर विचार करने से इनकार करता है; या

(ii) उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन नोटिस जारी करता है या तो उपदान की राशि निर्दिष्ट करता है जिसे आवेदक द्वारा देय राशि से कम माना जाता है या उपदान के भुगतान की पात्रता को अस्वीकार करता है; या

(iii) उप-नियम (1) के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने के बाद, उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर उप-नियम (2) के अधीन आवश्यक नोटिस जारी करने में विफल रहता है,

तो दावेदार कर्मचारी, नामनिर्दिष्ट या विधिक उत्तराधिकारी, आवेदन के कारण की घटना के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, उप-धारा के अधीन निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप 6 में आवेदन कर सकेगा (5) धारा 56 की उतनी ही अतिरिक्त प्रतियों के साथ जितने विरोधी पक्ष हैं:

परंतु सक्षम प्राधिकारी इस उप-नियम के अधीन किसी भी आवेदन को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर स्वीकार करे।

(ख) खंड (क) के अधीन आवेदन और ऐसे आवेदन से संबंधित अन्य दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे।

(5) (क) उप-नियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी, प्ररूप 7 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) पावती देय द्वारा या व्यक्तिगत रूप से सूचना जारी करके, आवेदक और नियोक्ता दोनों को एक विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर, स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आभासी (वर्चुअल) मोड या अन्यथा, सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ उपस्थित होने के लिए बुलाएगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो किसी नियोक्ता या कर्मचारी, नामनिर्दिष्ट या विधिक उत्तराधिकारी की ओर से कार्य करना चाहता है, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी को नियोक्ता या संबंधित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसकी ओर से वह मामले में, अपनी रुचि को स्पष्ट करते हुए एक लिखित बयान के साथ कार्य करना चाहता है और कार्य करने के लिए अनुमति के लिए प्रार्थना करता है और सक्षम प्राधिकारी उस पर या तो उसकी मंजूरी के अनुसार या निर्दिष्ट करने के लिए, अनुदान देने से इनकार करने के मामले में एक आदेश दर्ज करेगा। अनुमति के लिए प्रार्थना की, मना करने के कारणों के लिए।

(ग) किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत होने वाला पक्षकार, प्रतिनिधि के कृत्यों से आवद्ध रहेगा।

(घ) खंड (क) के अधीन निर्धारित तारीख(ओं) पर सुनवाई पूरी होने के बाद, या इस तरह के और साक्ष्य के बाद, दस्तावेजों की जांच, साक्षियों, सुनवाई और जांच, जैसा आवश्यक समझा जा सकता है, सक्षम प्राधिकारी अपने निष्कर्ष को रिकॉर्ड करेगा कि क्या संहिता के अधीन आवेदक को राशि देय है और निष्कर्ष की एक प्रति प्रत्येक पक्ष को दी जाएगी।

परंतु शर्त यह है कि सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर उपदान के आवेदन का निपटान करेगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(ङ) यदि संबंधित नियोक्ता पर्याप्त कारण के बिना नोटिस की उचित प्रेषण के बाद सुनवाई की निर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को एक पक्षीय सुनवाई और निर्धारित करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा; और यदि आवेदक पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई की निर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकेगा:

परंतु खंड (ङ) के अधीन दिए गए आदेश की, उक्त आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर उचित कारण दिखाए जाने पर, समीक्षा की जा सकेगी और आवेदन की पुनः सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख की सूचना विपक्षी पार्टी को कम से कम चौदह दिन पूर्व देने के पश्चात आवेदन पर पुनः सुनवाई की जा सकेगी (6) सक्षम प्राधिकारी की बैठकें ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी जो वह नियत करें और वह पक्षों को इस तरह से सूचित करेगा जैसा वह ठीक समझे।

(6) सक्षम प्राधिकारी की बैठकें ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी जो वह निर्धारित करे और वह इसकी सूचना पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रदान करेगा।

(7) सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय के किसी लिपिक को साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के उद्देश्य से शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर सकेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी, के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में, उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो सक्षम प्राधिकारी को उचित प्रतीत हो, प्ररूप 7 में किसी भी व्यक्ति को

या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या दोनों उद्देश्यों के लिए एक निर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर समन जारी कर सकता है।

(9) (क) खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी नोटिस, सम्मन, प्रक्रिया या आदेश को या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा देय या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य पद्धति से प्रदान किया जा सकता है।

खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई कोई भी सूचना, सम्मन, प्रक्रिया या आदेश या तो व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उपबंधित किसी अन्य पद्धति से प्रदान किया जा सकता है।

(ख) जहां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए पक्षों के रूप में कई व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति किसी ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के सदस्य हैं या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो सचिव को नोटिस दिया जाए, या जहां कोई सचिव नहीं है ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के प्रमुख अधिकारी को या अधिकृत व्यक्ति को दिया जाए जहां ऐसे व्यक्तियों के सेवार्थ उचित समझा जाएगा।

(10) (क) सक्षम प्राधिकारी धारा 56 के अधीन प्रत्येक मामले का विवरण दर्ज करेगा और आदेश पारित करते समय इस प्रकार दर्ज किए गए विवरणों पर हस्ताक्षर और तारीख दर्ज करेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक मामले में आदेश पारित करते समय, मामले के गुण-दोष के आधार पर निष्कर्षों को भी दर्ज करेगा और आदेश पत्र के साथ साक्ष्य के ज्ञापन के साथ फाइल करेगा।

(ग) किसी भी आदेश या निर्देश के रिकॉर्ड के अलावा कोई भी रिकॉर्ड, जो इन नियमों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करने के लिए आवश्यक है, सक्षम प्राधिकारी की ओर से और उसके निर्देशन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में नियुक्त किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

(11) यदि उप-नियम (5) के खंड (घ) के अधीन यह निष्कर्ष दर्ज किया जाता है कि आवेदक संहिता के अधीन उपदान के भुगतान का पात्र है, तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित नियोक्ता को प्ररूप 8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा या व्यक्तिगत रूप से एक सूचना जारी करेगा, जिसमें देय राशि विनिर्दिष्ट होगी और नियोक्ता द्वारा सूचना प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए आवेदक को उसका भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा और सूचना की एक प्रति, यथास्थिति, आवेदक कर्मचारी, नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

(12) (क) धारा 56 की उप-धारा (8) के अधीन अपील का ज्ञापन, केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी को, उसकी एक प्रति विपक्षी पार्टी और सक्षम प्राधिकारी को देते हुए, या तो व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) अपील के ज्ञापन में मामले के तथ्य, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, अपील के आधार और मांगी गई राहत शामिल होगी।

(ग) अपील के ज्ञापन के साथ सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष की प्रमाणित प्रति और उपदान के भुगतान के लिए निर्देश संलग्न किया जाना चाहिए।

(घ) अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी मामले के अभिलेख को अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ङ) अपील प्राधिकारी से अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, विपक्षी पक्षकार अपील के ज्ञापन के प्रत्येक पैराग्राफ का अपना उत्तर, यदि कोई अतिरिक्त दलील हो तो उसके साथ, अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति अपीलकर्ता को देगा।

(च) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात अपना निर्णय दर्ज करेगा और अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की एक प्रति अपील के पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी और उसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को उसके द्वारा भेजे गए मामले के रिकॉर्ड वापस करते हुए भेजी जाएगी:

परंतु अपील प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छः मास के भीतर उपदान के आवेदन का निपटान करेगा:

परंतु अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन महीने से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(छ) सक्षम प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, उसके द्वारा रखे गए मामले के अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

(ज) अपीली प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, यदि उस निर्णय के अधीन आवश्यक हो तो, उपदान के भुगतान के लिए अपने निर्णय को आशोधित करेगा तथा भुगतान की आशोधित राशि को विनिर्दिष्ट करते आवेदक को उसका भुगतान करने के निदेश देते हुए संबंधित नियोक्ता को प्ररूप-8 में नोटिस जारी करेगा, नियोक्ता द्वारा इसकी सूचना नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी और उसकी प्रतिलिपि अपीलकर्ता कर्मचारी, यथा स्थिति नामती या विधिक उत्तराधिकारी, और अपीली प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

(13) जहां नियोक्ता संहिता के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप नियम (11) या उप नियम (12) के अधीन जारी नोटिस, जैसी स्थिति हो, के अनुसार देय उपदान का भुगतान नहीं करता है तो संबंधित कर्मचारी, उसका यथा स्थिति नामती या विधिक उत्तराधिकारी, जिसको उपदान का भुगतान देय है, वह धारा 129 के अधीन उसकी वसूली हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-9 (दो प्रतियों में) में आवेदन कर सकेगा।

34. सक्षम प्राधिकारी की अर्हता और अनुभव – सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा श्रम मामलों का अनुभव रखने वाले अपने राजपत्रित अधिकारियों में से की जाएगी।

अध्याय 6

प्रसूति प्रसुविधा

35. प्रसूति प्रसुविधा के दावे हेतु प्रमाणपत्र और नोटिस –(1) (क) यह तथ्य कि एक महिला गर्भवती है या उसने बच्चे को जन्म दिया है या उसका गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात हुआ है या महिला नसबंदी हुई है या गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात या महिला नसबंदी के कारण उत्पन्न बीमारी से ग्रस्त है, उसे निम्नलिखित से प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर साबित किया जाएगा-

(i) पंजीकृत चिकित्सक; या

(ii) अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता; या

(iii) अर्हताप्राप्त सहायक नर्स और दाई।

(ख) यह तथ्य कि महिला को प्रसव हुआ है उसे भी नगरपालिका या ग्राम पंचायत से जारी जन्म प्रमाण-पत्र, तत्समय लागू किसी कानून के उपबंधों के अधीन अनुरक्षित जन्म रजिस्टर से उद्धरण सार यथा स्थिति मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या अर्हता प्राप्त सहायक नर्स एवं दाई या ग्राम प्रधान या ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या नगर पालिका का प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके साबित किया जा सकेगा।

(ग) यह तथ्य कि महिला को गर्भपात हुआ है, अर्हता प्राप्त सहायक नर्स एवं दाई द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके भी साबित किया जा सकेगा।

(घ) महिला या बच्चे की मृत्यु के तथ्य को प्ररूप-10 में इस संबंध में खंड (क) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकारी अर्थात् यथा स्थिति ग्राम प्रधान या ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या नगर पालिका के प्राधिकृत अधिकारी, से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके या तत्समय लागू किसी कानून के उपबंधों के अधीन अनुरक्षित मृत्यु रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण सार प्रस्तुत करके साबित किया जा सकेगा।

(2) (क) किसी स्थापना में नियुक्त एवं मातृत्व हितलाभ की हकदार महिला अपने नियोक्ता को प्ररूप-11 में नोटिस देगी और नियोक्ता संबंधित महिला को संहिता के अधीन मातृत्व हितलाभ और अन्य कोई देय राशि का भुगतान करेगा, यामातृत्व हितलाभ या राशि की प्राप्ति के पूर्व महिला की मृत्यु हो जाती है या जहां नियोक्ता, धारा 60 की उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक के अधीन उक्त महिला द्वारा प्ररूप-11 में अपने नोटिस में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को और यदि उसके कानूनी प्रतिनिधि का ऐसा कोई नामनिर्दिष्ट नहीं है, को मातृत्व हितलाभ के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

परंतु नियोक्ता द्वारा अपने विवेक पर प्ररूप-11 के बदले सुसंगत विवरण सहित सादे कागज पर आवेदन स्वीकार किया जाए:

परंतु कोई दावा केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा कि दावेदार विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहा।

परंतु नामांकन प्रपत्र भरते समय महिला कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के आधार का विवरण प्रदान किया जाएगा।

(ख) संशय की स्थिति में, किसी प्रतिष्ठान में नियोजित महिला को देय प्रसूति प्रसुविधा या अन्य राशि, नियोक्ता द्वारा संबंधित महिला की मृत्यु की तारीख से दो मास के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी, जो अपनी इच्छानुसार आवश्यक जांच करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को इसका भुगतान करेगा, जो उसकी राय में इसे प्राप्त करने का पात्र है:

परंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच, नियोक्ता द्वारा प्रसूति प्रसुविधा जमा करने की तारीख से तीन मास के भीतर पूरी की जाएगी और, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इसे तीन मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) जब भी खंड (क) में उल्लिखित भुगतान किया जाता है, जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया है, नियोक्ता द्वारा उससे प्ररूप-11 में रसीद ली जाएगी और खंड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियोक्ता को रसीद दी जाएगी।

(घ) चिकित्सा बोनस का भुगतान प्रसूति प्रसुविधा के साथ किया जाएगा।

(ड.) धारा 63 के अधीन देय मातृत्व हितलाभ या किसी अन्य राशि का भुगतान ऐसा हितलाभ या राशि प्राप्त करने की हकदार महिला की मृत्यु की तारीख से दो मास के भीतर किया जाएगा करने की हकदार महिला की मृत्यु के दो मास के भीतर भुगतान की जाएगी।

(च) धारा 65 के अधीन देय मजदूरी, उसके द्वारा प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अड़तालीस घंटों के भीतर ऐसी मजदूरी प्राप्त करने की हकदार महिला को भुगतान की जाएगी।

36. पोषणार्थ विराम अवधि -(1) धारा 66 में उल्लिखित प्रत्येक दो विराम 15 मिनट की अवधि के होंगे, यद्यपि महिला को झुटी के दौरान, अपने बच्चों को शिशुसदन या अपने बच्चों को रखे जाने वाले स्थान पर जाने-आने में तय की गई दूरी को देखते हुए, अतिरिक्त पर्याप्त अवधि की अनुमति दी जाएगी, परंतु कि उक्त अतिरिक्त अवधि 15 मिनट तक होगी।

(2) यदि ऐसी अतिरिक्त अवधि के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामले को निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

37. कर्मचारी और शिशुसदन की सुविधा -(1) प्रत्येक स्थापना में जहां सामान्यतः पचास या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां ऐसे कर्मचारियों के छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिशुसदन उपलब्ध कार्य जाएगा और अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) शिशु गृह में प्रकाश व्यवस्था, वायु-संचार सहित पर्याप्त आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी और साफ एवं स्वच्छता स्थिति में अनुरक्षित होंगे तथा शिशुसदन की स्थापना के लिए निम्नानुसार मानदंड होंगे-

- (i) शिशु गृह, उस स्थापना के एक किलोमीटर के भीतर स्थित होगा जिस पर संहिता का अध्याय-6 लागू होता है और उन कर्मचारियों के लिए सुविधाजन्य होगा जिनके बच्चे को इसमें रहने की सुविधा दी गई है:

परंतु यथा स्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्थानीय प्राधिकरण, द्वारा अधिसूचित औद्योगिक पार्कों या औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित स्थापनाएं जहां सार्वजनिक शिशुसदन की सुविधा ऐसे औद्योगिक पार्कों या औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदान की गई हो और कर्मचारियों के लिए सुलभ हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक किलोमीटर के दायरे में अवस्थिति में छूट दी जाएगी;

- (ii) शिशु गृह सुरक्षित और पनरोक भवनों में अनुरक्षित किया जाएगा;

- (iii) (क) शिशु गृह में प्रत्येक शिशु के लिए आवासीय व्यवस्था दस वर्ग फीट के तल क्षेत्रफल के मापक्रम में होगी;

(ख) बच्चों के खेलने के लिए उपयुक्त रूप से घेरादार स्थान होगा;

- (iv) शिशु गृह का कार्य समय कर्मचारियों के कार्य समय के अनुरूप होगा और यह पालियों में कार्य कर कर सकेगा;

- (v) प्रत्येक शिशु गृह, अर्हताप्राप्त दाई या शिशुसदन परिचारिका प्रशिक्षित महिला के प्रभार में होगा और जहां बच्चों की संख्या दस से अधिक होगी, छः वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक दस बच्चों पर एक आया की दर से महिला आया शिशुसदन परिचारिका के सहायतार्थ होंगी;
- (vi) शिशु गृह में बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में तख्त, बिस्तरे, सूती चादरें, रबड़ की शीट, कंबल, तकिए, खिलौने और ऐसी अन्य चीजें होंगी;
- (vii) (क) प्रत्येक शिशु गृह में महिला कर्मचारियों के लिए मध्यांतर के दौरान पंद्रह माह से कम उम्र के बच्चों को खाना खिलाने हेतु उपयुक्त व्यवस्था होगी;
- (ख) शिशु गृह में पर्याप्त संख्या में स्नान घर, प्रसाधन, वाश बेसिन, साफ तौलिये और साबुन की व्यवस्था की जाएगी;
- (ग) शिशु गृह में प्रशिक्षित महिला कर्मियों के पर्यवेक्षण में उचित स्थिति में प्राथमिक उपचार की सुविधा होगी;
- (घ) दूध उबालने, अल्पाहार तैयार करने और ऐसी अन्य चीजों के लिए बर्तनों और अन्य सुविधाओं सहित शिशुसदन से संबद्ध रसोई घर होगा; और
- (ङ.) शिशु गृह में बच्चों के लिए पीने का पानी, दूध और पौष्टिक अल्पाहार उपलब्ध होगा।

(viii) (क) किसी भी स्थापना में जहां औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 14 की उप-धारा (2) या (3) के अधीन एकमात्र वार्ताकारी संघ है या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन एक वार्ताकारी परिषद है, तब इस तरह के यथा स्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, स्थापना के नियोक्ता के साथ एक करार कर सकते हैं कि धारा 67 के अधीन क्रेच सुविधा प्रदान की जाएगी, यदि महिलाएं या विधुर या एकल अभिभावक, जिनके छह वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और क्रेच सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और यदि प्रदान नहीं की जाती है, तो ऐसे कर्मचारी को उस स्थापना द्वारा हर महीने क्रेच भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(ख) जहां उपखंड (क) में उल्लिखित कोई एकमात्र वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां स्थापना के अधिकांश कर्मचारी स्थापना के नियोक्ता के साथ एक करार कर सकेगा कि धारा 67 के अधीन क्रेच सुविधा प्रदान की जाएगी, यदि महिलाएं या विधुर या एकल अभिभावक कर्मचारी, जिनके छह वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और क्रेच सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और यदि प्रदान नहीं की जाती है, तब ऐसे कर्मचारी को उस प्रतिष्ठान द्वारा हर महीने क्रेच भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

परंतु, खंड (क) और इस खंड के अधीन दोनों ही स्थितियों में क्रेच भत्ते की राशि प्रति शिशु पांच सौ रुपये प्रतिमाह या ऐसी राशि से कम नहीं होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए:

परंतु क्रेच भत्ता केवल दो बच्चों के लिए स्वीकार्य होगा सिवाय जब दूसरे बच्चे के जन्म के कारण एक से अधिक शिशुओं का जन्म हो जाता है।

38. घोर कदाचार—(1) धारा 68 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्य घोर कदाचार की श्रेणी में आएगा, यथा:-

- (क) नियोक्ता के माल या संपत्ति का जानबूझकर विनाश;
- (ख) कार्यस्थल पर किसी भी वरिष्ठ या सह-कर्मचारी पर हमला करना;
- (ग) नैतिक अधमता से जुड़े दंडनीय अपराध जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय में दोषसिद्धि हो जाए;
- (घ) नियोक्ता के व्यवसाय या संपत्ति के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी, या बेईमानी; और

(ड) इस विषय पर सुरक्षा उपायों या नियमों का जानबूझकर पालन न करना या सुरक्षा उपकरणों के साथ या अग्निशमन उपकरणों के साथ जानबूझकर छेड़-छाड़ करना।

(2) (क) धारा 68 की उप-धारा (2) के अधीन प्ररूप-12 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाएगी;

(ख) अपील लिखित रूप में की जा सकेगी तथा या तो व्यक्तिगत रूप से सौंपी जा सकेगी या किसी पंजीकृत लिफाफे अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजी जा सकेगी।

(ग) जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता को अपील के ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, उस पर उसका उत्तर मांगेगा तथा तारीख निर्धारित करके अपील से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए भी कहेगा।

(घ) सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता और अपीलकर्ता से यदि आवश्यक हो, तो और अधिक व्यौरे का पता लगा सकता है, और वह प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर विचार करेगा, यदि कोई हो, और अपना निर्णय देगा।

परंतु सक्षम प्राधिकारी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपील का निपटान करेगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(ड) यदि नियोक्ता विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने या अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी अपना निर्णय एक पक्षीय दे सकेगा।

39. निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के समक्ष शिकायत और अपील—(1) (क) धारा 72 की उप-धारा (1) के अधीन कोई शिकायत प्ररूप-13-क में लिखित रूप में क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) जब उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई शिकायत किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा प्राप्त की जाती है, तो वह इस संबंध में नियोक्ता द्वारा रखे गए संबंधित अभिलेखों की जांच करेगा, प्रतिष्ठान में नियोजित किसी भी व्यक्ति की जांच करेगा और जांच के उद्देश्य से आवश्यक बयान दर्ज करेगा और यदि वह संतुष्ट है कि प्रसूति प्रसुविधा या किसी राशि को अनुचित रूप से रोका गया है या महिला कर्मचारी को सेवामुक्त या बर्खास्त कर दिया गया है, तो वह नियोक्ता को शिकायतकर्ता या धारा 63 के अधीन भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश देगा, और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे, जो तत्काल होगा किंतु 45 दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) (क) निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के निर्णय के विरुद्ध अपील, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी।

(ख) पीडित व्यक्ति प्ररूप-13-ख में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखित रूप में तथा अन्य सहायक दस्तावेजों सहित अपील करेगा।

(ग) अपील प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी सुनवाई की तारीख निर्धारित करने से पूर्व निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता से मामले का रिकॉर्ड मंगाएगा। सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, पीडित व्यक्ति और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के बयान भी दर्ज करेगा और यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो वह प्राप्त करेगा।

(घ) उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, साक्ष्यों और उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए या उसके द्वारा निर्धारित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी अपना निर्णय देगा।

परंतु सक्षम प्राधिकारी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर अपील का निपटान करेगा।

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन महीने से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

40. निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के कर्तव्य—(1) (क) सक्षम प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर इन नियमों के पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(ग) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी स्थापना के प्रत्येक निरीक्षण पर यह जांच करेगा-

- (i) क्या धारा 62 के अधीन दिए गए प्रत्येक नोटिस पर उचित कार्रवाई की गई है;
- (ii) क्या नियम 54 में उल्लिखित महिला कर्मचारियों के रजिस्टर का सही ढंग से रखरखाव किया गया है;
- (iii) क्या पिछले निरीक्षण के बाद से धारा 68 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए निर्वहन या बर्खास्तगी या निर्वहन या बर्खास्तगी के नोटिस का कोई मामला सामना आया है;
- (iv) क्या धारा 59 की उपधारा (1), धारा 62 की उप-धारा (5) और (6), धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 69 और धारा 71 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है और क्या संहिता के संगत उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार समय के भीतर देय राशि का भुगतान कर दिया गया है;
- (v) क्या धारा 68 की उप-धारा (2) में उल्लिखित मातृत्व लाभ अथवा चिकित्सा बोनस से वंचित किए जाने के कोई मामले सामने आया है; और
- (vi) पहले के निरीक्षणों में उल्लिखित अनियमितताओं का कहां तक निवारण किया गया है और पूर्व में जारी किए गए आदेशों का कहां तक अनुपालन किया गया है;

(घ) जहां कोई निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता संहिता या नियमों के विरुद्ध कोई अनियमितता देखता है, वह नियोक्ता को लिखित रूप में एक आदेश जारी करेगा, जिसमें नियोक्ता को आदेश प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अनियमितताओं को दुरुस्त करने और निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(2) नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित प्रत्येक महिला को उसके अनुरोध पर प्ररूप-10, 11, 12, 13-क और 13-ख की प्रतियों की निःशुल्क प्रतियां उपलब्ध करेगा।

(3) नियम 35 के उप-नियम (2) और नियम 39 के उप-नियम (1) और (2) की कोई बात किसी महिला के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जो मातृत्व लाभ या संहिता के अधीन देय किसी अन्य राशि को प्राप्त करने की हकदार है, यदि वह उक्त नियमों के अधीन यथास्थिति नोटिस, अपील या शिकायत के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट एक रूप में प्रस्तुत करने में विफल रहती है।

परंतु जहां उक्त नियमों के अधीन एक नोटिस, अपील या शिकायत किसी महिला द्वारा ऐसे उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में मातृत्व लाभ या संहिता के अधीन देय किसी अन्य राशि को प्राप्त करने की हकदार महिला द्वारा प्रस्तुत की गई है, संबंधित प्राधिकारी, इस तरह के नोटिस, अपील या शिकायत की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, महिला को नोटिस, तब यथा स्थिति अपील या शिकायत, ऐसे उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा।

(4) संहिता के अध्याय 6 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए केन्द्रीय नियमों का सार जो धारा 71 के अधीन प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित है, प्ररूप-14 में होगा, और इसे ऐसे तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा जैसी सक्षम प्राधिकारी को आवश्यकता हो।

अध्याय 7

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा एवं उपकर

41. उपकर का संग्रहण और वापसी- (1) (क) प्रत्येक नियोक्ता, यथा स्थिति अपने कार्य के प्रारंभ होने या उपकर के भुगतान, के शुरु होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, मूल्यांकन अधिकारी को प्ररूप-15 में सूचना प्रस्तुत करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में किसी भी परिवर्तन या संशोधन को प्ररूप-15 में मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया जाएगा जिसमें संशोधन या परिवर्तन को प्रभावित करने की तारीख से तुरंत लेकिन तीस दिनों के बाद ऐसे संशोधनों के विवरण शामिल होंगे।

(2) (क) नियोक्ता द्वारा धारा 100 की उप-धारा (1) के अधीन लगाया गए उपकर का अग्रिम भुगतान, अनुमोदन के समय या कार्य प्रारंभ होने से पहले चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा विधिवत् प्रमाणित उसके स्व-मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

(ख) निर्माण की लागत के स्व-मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु, नियोक्ता प्ररूप-16 में संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्माण की दरों में समान दर पर निर्माण कार्य की लागत की गणना करेगा या ऐसे भवन या निर्माण कार्य पर लागू दरों की किसी अन्य अनुसूची अथवा जहां रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण लागू होता है वहां किसी भवन कार्य के लिए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत रिटर्न या दस्तावेज के अनुसार दरों की गणना करेगा जो कि उस निर्दिष्ट वर्ष के लिए लागू होता है जिसमें भवन या अन्य निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी।

(ग) खंड (क) और (ख) में निहित उपबंधों के बावजूद, जहाँ स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, निर्माण कार्य के अनुमोदन की आवश्यकता हो, वहाँ ऐसे अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा विधिवत प्रमाणित स्व-मूल्यांकन के आधार पर देय उपकर (सेस) की रकम का राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में किए गए ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।

परंतु यदि परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, तो उपकर भुगतान की रकम संबंधित भवन या अन्य निर्माण कार्य के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के दौरान वहन की जाने वाली निर्माण स्व-मूल्यांकन की लागत पर देय उपकर रकम के लिए हो सकेगी और देय उपकर का भुगतान आगे खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) खंड (क) और (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, जहां उपकर का उद्ग्रहण सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य से संबंधित है, ऐसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इस प्रकार के कार्यों के लिए भुगतान किए गए बिलों में से अधिसूचित दरों पर देय उपकर को काटेगा या कटौती का कारण होगा। काटा गया यह उपकर संबंधित राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को इस प्रकार की कटौती की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्माण कार्य के विवरण सहित संबंधित क्षेत्र के मूल्यांकन अधिकारी को जमा किया जाएगा।

(ङ) यदि भवन या अन्य निर्माण कार्य में रुकावट या घटौती है, तो उस स्थिति में नियोक्ता या भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में ऐसी रुकावट या घटौती के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को प्ररूप-17 में सूचना साठ दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगा।

(च) भवन या अन्य निर्माण कार्य के पूरा होने पर प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक पूर्ण कार्य के साठ दिनों के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को प्ररूप-18 में एक विवरणी प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी।

(छ) उपर्युक्त उल्लिखित उपबंधों के अधीन भुगतान किए गए अग्रिम उपकर को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए अंतिम मूल्यांकन आदेश में समायोजित किया जाएगा।

(3)(क) उप-नियम (2) के अधीन एकत्रित उपकर की आय, ऐसे केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे यथास्थिति अन्य प्राधिकरण, अथवा मूल्यांकन अधिकारी, राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित किया जाएगा।

(ख) इस प्रकार एकत्र की गई रकम को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से संग्रहण के तीस दिनों के भीतर ऐसे बोर्ड की निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

(ग) राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या ऐसे कोई अन्य प्राधिकरण के संबंधित प्राधिकारियों के साथ एकत्र किए गए उपकर की रकम का आवधिक रूप से मिलान करेगा, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड संचयी उपकर की रकम पर तथा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अवधि के दौरान किए गए व्यय ऐसी अवधि और ऐसे विवरणों के लिए चाल भवन अथवा अन्य निर्माण कर्मकारों की संख्या पर केंद्रीय सरकार को प्रति भेजते हुए राज्य सरकार को अर्धवार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

(4) (क) मूल्यांकन अधिकारी, किसी नियोक्ता से प्ररूप-18 में प्राप्त विवरण और भुगतान किए गए उपकर की जानकारी प्राप्त होने पर, ऐसी जानकारी की जांच कर सकेगा और, यदि वह इस तरह प्रस्तुत किए गए विवरणों की सत्यता के बारे में संतुष्ट है, तो वह ऐसी जानकारी प्राप्त होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर मूल्यांकन-आदेश देगा, नियोक्ता द्वारा देय उपकर की रकम को इंगित करते हुए एवं इसकी प्रति नियोक्ता और उपकर-कलक्टर एवं भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड को पृष्ठांकित करेगा और इस आदेश के जारी होने के पांच दिनों के भीतर प्रेषित करेगा:

परंतु केवल ऐसी जांच केवल मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ही की जाएगी जहां स्व-मूल्यांकन के आधार पर उपकर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है:

परंतु यदि मूल्यांकन अधिकारी एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर मूल्यांकन का आदेश देने में चूक जाता है, तो स्व-मूल्यांकन को अंतिम माना जाएगा।

(ख) यह आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुरूप, देय उपकर की रकम, नियोक्ता द्वारा पहले से ही भुगतान की गई या स्रोत पर काटी गई उपकर रकम और देय शेष रकम तथा दिनांक, जिसके द्वारा उपकर का भुगतान उपकर कलक्टर को किया जाएगा को विनिर्दिष्ट करेगा।

(ग) यदि नियोक्ता द्वारा प्ररूप-18 में दी गई सूचना की संवीक्षा करने पर, मूल्यांकन अधिकारी का मत है कि नियोक्ता ने निर्माण के लागत की गणना कम की है या अवमूल्यांकन है अथवा देय उपकर की रकम की गणना कम है, वह उपकर के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता को नोटिस जारी करेगा।

(घ) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर नियोक्ता, सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजों या अन्य साक्ष्यों की प्रतियों के साथ मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करेगा:

परंतु निर्धारण अधिकारी, निर्धारण की कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकता है, यदि वह अपने दावे की पुष्टि के लिए ऐसा अनुरोध करता है।

(ङ) यदि नियोक्ता खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहता है या जहां कोई नियोक्ता प्ररूप-18 में सूचना प्रस्तुत नहीं करता, तो मूल्यांकन अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों और उसकी प्रासंगिक अन्य सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करेगा।

(च) जब कार्य प्रगति पर है या निर्माण की लागत के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है उस दौरान मूल्यांकन अधिकारी किसी भी समय ऐसे अधिकारी को कार्यस्थल पर या दस्तावेजी साक्ष्य से अथवा किसी अन्य तरीके से ऐसी जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह निर्माण की लागत का यथासंभव सटीक अनुमान लगाने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझे।

(5) (क) जहां नियोक्ता ने उपकर को अग्रिम रूप से जमा कर दिया है और नियोक्ता कार्यों को रोकने या उससे बाहर निकालने का निर्णय लेता है या निर्माण की योजना को संशोधित करता है जिससे किए गए निर्माण की लागत कम हो जाती है या अन्य परिस्थितियों द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने से पहले बंद करने के लिए मजबूर है, तो वह प्ररूप 17 में जानकारी प्रस्तुत करके जिसमें काम की कटौती या रोकने संबंधी विवरण दिया गया हो, द्वारा भुगतान की गई अग्रिम उपकर की अतिरिक्त रकम की वापसी की मांग मूल्यांकन अधिकारी से कर सकेगा।

(ख) नियोक्ता से प्ररूप-17 में सूचना प्राप्त होने पर, मूल्यांकन अधिकारी, प्रस्तुत की गई ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह प्रस्तुत किए गए ब्यौरे की सत्यता के बारे में संतुष्ट है, तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर मूल्यांकन का आदेश देगा।

(ग) खंड (ख) के अनुसार प्ररूप-17 की प्राप्ति पर किए गए मूल्यांकन आदेश के पश्चात मूल्यांकन अधिकारी, जहां कहीं भी आवश्यक हो, संबंधित निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उपकर कलक्टर और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिसे वह उचित समझे, खंड (ख) के अधीन किए गए मूल्यांकन में दिए गए अतिरिक्त उपकर की वापसी करने के लिए ऐसे मूल्यांकन की एक प्रति का अनुमोदन करेगा।

(घ) राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, खंड (ग) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, उस प्रयोजन के लिए नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत व्यौरे के अनुसार बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से नियोक्ता को आदेश में विनिर्दिष्ट रकम की वापसी करेगा।

(ङ) जहां अपीलीय प्राधिकारी ने उपकर की रकम को कम करने के लिए मूल्यांकन के आदेश को संशोधित किया है, वहां वापसी उस समय के भीतर की जाएगी जो उस आदेश में निर्दिष्ट किया गया है अथवा खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट तरीके और समय से किया जा सकेगा।

42. उपकर और ब्याज दर के भुगतान के लिए समय-सीमा- (1) उपकर के भुगतान की तारीख वह तारीख होगी जिस पर नियम 41 के उप-नियम (2) के खंड (क) और (ख) के अधीन उपकर कलक्टर के पास रकम जमा की जाती है, अथवा नियम 41 के उप-नियम (2) के खंड (घ) के अधीन स्रोत पर कटौती की तारीख, या वह तारीख जिस पर रकम नियम 41 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के पास जमा की गई है, जैसा भी मामला हो।

(2) यदि कोई नियोक्ता धारा 100 के अधीन देय उपकर की किसी भी रकम का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसे समय के भीतर जैसा कि मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट किया जा सके, तो ऐसे नियोक्ता उपकर की रकम पर ब्याज का भुगतान करने के लिए होगा, जिसका भुगतान प्रति माह एक प्रतिशत की दर से या उसके हिस्से में नियत तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक की अवधि में शामिल है।

43. शास्ति -(1) मूल्यांकन अधिकारी को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी नियोक्ता ने मूल्यांकन आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उपकर का भुगतान नहीं किया है या कम उपकर का भुगतान किया है, जिसमें स्रोत पर काटे गए उपकर या अग्रिम में भुगतान किए गए उपकर शामिल हैं, तो वह ऐसे नियोक्ता को एक नोटिस जारी करेगा कि इसे बकाया माना जाएगा और आकलन अधिकारी ऐसी जांच के बाद जैसा जो उचित समझे, ऐसे नियोक्ता पर उपकर की ऐसी रकम से अनधिक का शास्ति आरोपित करेगा।

परंतु ऐसा कोई जुर्माना लगाए जाने से पहले, ऐसे नियोजक को सुनवाई का एक समुचित अवसर दिया जाना चाहिए और उस सुनवाई के बाद अगर निर्धारणकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि चूक किसी उचित कारण से हुई है तो उस नियोजक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(2) यदि नियोजक पर कोई शास्ति लगायी गयी है या उप नियम (1) में यथा उल्लिखित नियोजक पर अधिरोपित की गई शास्ति को वापस लिया गया है तो निर्धारणकर्ता अधिकारी इस संबंध में इसका कारण स्पष्ट करते हुए एक आख्यापक आदेश जारी करेगा। इस आदेश की एक प्रति नियोजक को, उपकर संग्राहक को एवं सचिव, निर्माण कार्मिक कल्याण परिषद् को भी पृष्ठांकित करनी होगी।

44. अपील- (1) नियम 41 के उप-नियम (4) के अधीन किए गए निर्धारण के आदेश से या नियम 43 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश से व्यथित कोई नियोक्ता, ऐसे आदेश की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपील प्राधिकारी को **प्ररूप-19** में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील में *अन्य बातों के साथ साथ* निम्नांकित संलग्न होंगे -

(क) वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो

(ख) उपकर संग्राहक से प्राप्त इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र कि अपील से संबंधित उपकर या शास्ति या जो भी हो कि रकम जमा कर दी गई है।

परंतु अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में अधिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अपीलकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर नियम 43 के अधीन जमा की जाने वाली रकम को अधित्यजन कर सकता है या कम कर सकता है।

(ग) अपील के मामले से संबंधित विवाद की रकम या शास्ति की रकम जो भी मामला हो कि रकम का आधा प्रतिशत, परंतु रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं, होनी चाहिए, का एक अप्रतिदेय फीस

(घ) विवाद के बिंदुओं से संबंधित एक विवरणी

(ङ) विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य

- (3.) अपील की प्राप्ति के उपरांत अपील अधिकारी निर्धारक अधिकारी से उसके निर्धारण की रिपोर्ट अथवा उस विवरणी जिसके विरुद्ध अपील की गई की मांग कर सकेगा, जिसे वह इस अपील के निपटान के लिए वह आवश्यक समझे।
- (4.) अपील अधिकारी इस संबंध में अपीलकर्ता को सुनावई का एक अवसर देगा और अपील का निपटान जितनी शीघ्रता से संभव होगा उतनी शीघ्रता से परंतु अपील की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 60 दिनों के अंदर करेगा।
- (5.) उपकर की मात्रा से संतुष्ट हो जाने पर अपील अधिकारी निर्धारण अधिकारी के आदेशों की संपुष्टि करेगा अथवा अगर उनके मत में निर्धारण गलत है अथवा उच्चतर निर्धारण की तरफ है, तो वह निर्धारण के आदेश को संशोधित करेगा अथवा अगर उनका मत निम्नतर निर्धारण की तरफ है अथवा यदि निर्धारण का आधार गलत है, तो निर्धारण आदेश को अपने अवलोकनों के साथ निर्धारक अधिकारी को इसमें सुधार हेतु लौटा देगा। परंतु, उपकर की रकम निर्धारिती द्वारा बढ़ाया जाना प्रस्तावित है तो उसे सुनवायी का मुक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- (6.) निर्धारक अधिकारी इस प्रकार उप-नियम (5) के अधीन 30 दिनों के भीतर अपील अधिकारी अवलोकनों के दृष्टिगत उसके द्वारा लौटाए गए आदेश का निपटान करेगा:

परंतु, उपकर की रकम निर्धारिती द्वारा बढ़ाया जाना प्रस्तावित है तो उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

- (7.) अगर अपील अधिकारी का यह मत है कि अधिरोपित की गई शास्ति की प्रमात्रा उच्चतर निर्धारण की ओर है अथवा सही रीति से आकलित नहीं की गयी है तो वह समुचित रीति से इसे संशोधित कर सकेगा अथवा निर्धारक अधिकारी के आदेश को परे रखते हुए, जो भी उसे सम्यक प्रतीत हो, कर सकता है।
- (8.) इस नियम के अधीन की गई अपील को एक आख्योपक आदेश द्वारा विस्तारित किया जाएगा और इस आख्यापक आदेश की प्रति को प्रत्येक को अपीलकर्ता, निर्धारक अधिकारी और सचिव, निर्माण कार्मिक कल्याण परिषद को इस आदेश के जारी होने के पांच दिनों के भीतर प्रेषित की जाएगी।

- (9.) अपील के ऐसे आदेश जिसमें उपकर की रकम को घटाया गया हो, उसमें संबंधित निर्माण कार्मिक परिषद के सचिव को स्पष्ट रूप से यह अनुदेशित किया जाएगा कि वह अधिशेष उपकर की रकम अपीलकर्ता को यथा विनिर्दिष्ट समय के अनुसार वापस करे।
- (10.) अपील के ऐसे आदेश जिसमें उपकर शास्ति अथवा दोनों की रकम को बढ़ाया गया हो अथवा घटाया गया हो, जो भी हो, उसमें भी उपकर की रकम अथवा शास्ति अथवा दोनों की रकम के भुगतान अथवा वापसी की तारीख विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।
- (11.) इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

45. निर्माण कर्मकार का पंजीकरण - (1) प्रत्येक नियोक्ता या ठेकेदार ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों का, जो इस नियम के अधीन पात्र हैं और उनके मस्टर रोल पर हैं, राज्य सरकार के पोर्टल या राज्य भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पोर्टल अथवा केंद्रीय सरकार के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर, कर्मकारों के पात्र होने के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी होगा, और ऐसा पंजीकरण आधार तथा सार्वजनिक खाता सं. या केंद्रीय सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ऐसी किसी अन्य विशिष्ट संख्या के साथ जोड़ा (सीडेड) जाएगा।

(2) राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की यह जिम्मेदारी होगी कि वह नियोजकों और संविदाकारों को पात्र निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत करने की सुविधा के साथ एक पोर्टल मुहैया कराए। साथ ही राज्य निर्माण कार्मिक बोर्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर किसी अन्य पात्र कार्मिक को भी पंजीकृत कर सकेगा।

परंतु प्रत्येक ऐसा निर्माण कर्मकार जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा जो निर्माण या अन्य विनिर्माण कार्य में विगत 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों से रोजगार में रहा हो।

(3) केंद्रीय सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल में राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अथवा नियोजक अथवा भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य संविदाकार के पास सभी पात्र निर्माण कार्मिकों के संबंध में एक सार्वजनिक खाता संख्या या ऐसा अन्य विशिष्ट संख्या उत्पन्न करने की सुविधा होगी और ये राज्य बोर्ड केंद्रीय सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल के साथ पंजीकृत निर्माण कार्मिकों के विवरण को तिमाही अथवा उस अवधि जिसे केंद्रीय सरकार निर्धारित करे, के दौरान साझा करेंगे।

(4) राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अथवा नियोजक अथवा संविदाकार पात्र निर्माण कार्मिकों के विवरणों को अद्यतन करने अथवा नवीनीकरण करने अथवा पंजीकरण करने के लिए डाक विभाग अथवा सार्वजनिक सेवा केन्द्र अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के ई-सेवा केन्द्रों अथवा ऐसे अन्य किसी एजेंसी जो राज्य सरकार अथवा राज्य निर्माण कल्याण बोर्ड के द्वारा निर्मित किया गया हो के व्यापारिक सेवा संवादाताओं की सेवाओं का अनुप्रयोग कर सकते हैं।

(5) पात्र निर्माण कार्मिकों के पंजीकरण की सुविधा के लिए बोर्ड उप नियम (1) के अधीन श्रम सघन के क्षेत्रों में, जहां कहीं आवश्यक हो, कैप आयोजित कर सकेगा।

(6) प्रत्येक पंजीकृत निर्माण कार्मिक को एक डिजिटल फोटो परिचय पत्र जारी किया जाएगा जिसमें उनके अन्य विवरण विनिर्दिष्ट होंगे जैसा कि राज्य सरकार अथवा उल्लिखित बोर्ड के द्वारा उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट हों तथा जो राज्य सरकार अथवा ऐसे अन्य बोर्ड के पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

(7) राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य कार्मिक पंजीकरण की वैध अवधि के दौरान दिए जाने वाले लाभों को पाने का हकदार होगा जो बोर्ड की निधि द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

(8) निर्माण कर्मकारों को प्रदान की जाने वाली कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण संख्या के अनुप्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का नकद सहयोग उनके खाते में सीधे अंतरण के आधार पर किया जाएगा।

(9) निर्माण कर्मकार यदि एक राज्य से दूसरे राज्या में विस्थापित होते हैं तो उस स्थिति में नियोजक अथवा संविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे निर्माण कार्मिकों से उनकी पंजीकरण संख्या प्राप्त कर राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर उन कार्मिकों के ऐसे नियोजक अथवा संविदाकार की उपस्थिति पंजीका में उनके कार्यग्रहण के 30 दिनों के भीतर ऐसे कार्मिकों के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन करें और यदि निर्माण कार्य कार्मिक के पास विशिष्ट पंजीकरण संख्या नहीं होगी तो नियोजक अथवा संविदाकार ऐसे पात्र निर्माण कार्मिकों को उप नियम (1) के अधीन पंजीकृत करेंगे।

(10) जहां कोई निर्माण कर्मकार एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापित होता है और उप नियम (9) के अधीन उसका पंजीकरण होता है तो वह कार्मिक उन हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र होगा जो उस राज्य के अन्य निर्माण कार्मिकों को उस राज्य के निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा देय हैं।

परंतु उस राज्य के नियोजक अथवा संविदाकार की उपस्थिति पंजीका में दर्ज पात्र निर्माण कर्मकार को इसलिए उनके हितलाभों से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे नियोजक/संविदाकार ने उस राज्य के निर्दिष्ट पोर्टल पर उनके पंजीकरण को अद्यतन नहीं किया है।

(11) प्रत्येक राज्य निर्माण कार्मिक कल्याण परिषद् राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की जाएगी।

(12) राज्य निर्माण कार्मिक कल्याण परिषद् निर्माण कार्मिकों की शिकायतों के निवारण के साथ-साथ उनके लिए दूरभाष हेल्प लाइन, पंजीकरण, नवीनीकरण, अद्यतन, कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान करने एवं उनके हस्तान्तरण के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करेगा।

46. लाभाधिकारी के हितलाभ - अगर कोई निर्माण कार्य कार्मिक 60 वर्ष की उम्र सीमा प्राप्त करने के ठीक पहले तक कम से कम लगातार तीन वर्षों तक लाभाधिकारी रहा हो तो ऐसे कर्मकारों के निमित्त हितलाभों के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसी योजनाओं को तैयार करेगी जिनके अधीन उन्हें ये हितलाभ प्राप्त होंगे तथा जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित होंगी।

47. देय की वसूली और छूट - (1) इन नियमों के अधीन अप्रदत्त उपकर, ब्याज या अतिदेय भुगतान या शास्ति के कारण देय संदाय की वसूली के उद्देश्य से, निर्धारण अधिकारी स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें देय रकम निर्दिष्ट होगी और संबंधित जिले के वसूली अधिकारी को भेजेगा जो उक्त नियोक्ता से उसके अधीन निर्दिष्ट रकम भू-राजस्व के बकाया की तरह या इस तरह के उद्देश्य के लिए उस राज्य में प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन वसूली की आगे कार्रवाई करेगा।

(2) धारा 103 के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी,-

- (क) सचिव, राज्य भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के पूर्वानुमोदन से ही किसी स्थापन में जहां भवन या अन्य निर्माण कार्य चल रहा हो प्रवेश कर सकता।
- (ख) कार्यस्थल पर पड़ी सामग्री, मशीनरी या अन्य वस्तुओं की सूची बनासकता है;
- (ग) विभिन्न गतिविधियों में लगे श्रमिकों की संख्या के बारे में पूछताछ कर सकता है;
- (घ) निर्माण की लागत या नियोजित श्रमिकों की संख्या के आकलन से संबंधित किसी भी रजिस्टर या किसी अन्य संगत दस्तावेज को प्रस्तुत करनेके लिए कह सकता है;
- (ङ) ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को जब्त करना या उसकी प्रतियां ले सकता है;
- (च) पूर्ण निर्माण कार्य के चरण का सामान्य निर्धारण कर सकता है;
- (छ) माप, नोट्स या तस्वीरें ले सकता है; और
- (ज) निर्माण की लागत के उचित मूल्यांकन के लिए जरूरत पड़ने पर अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(3) संहिता के अधीन निर्धारण अधिकारी या कोई निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को यदि विवरणी प्रस्तुत करने के दायित्व के उल्लंघन के, झूठी जानकारी प्रस्तुत करने, जान-बूझकर उपकर के भुगतान न करने या भुगतान से बचने का प्रयास करने के बारे में पता चलता है तो वे ऐसी शिकायत से संबंधित साक्ष्यों के साथ संबंधित राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रतिलिपि में रखते हुए राज्य सरकार को लिखित रूप में शिकायत कर सकता है।

(4) (क) राज्य में कोई भी नियोक्ता या नियोक्ताओं का वर्ग धारा 102 के अधीन छूट के लिए महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन कर सकता है, जिसमें किए गए कार्यों का विवरण, उस राज्य में लागू विधि का नाम, जिसके अधीन वह निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय के लिए उपकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है और इस तरह के भुगतान की तारीख और उसके प्रमाण के साथ वास्तव में भुगतान किए गए उपकर की रकम का विवरण होगा। ऐसे आवेदन की एक प्रति प्रत्येक निर्धारण अधिकारी और संबंधित राज्य भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड को पृष्ठांकित की जाएगी।

(ख) ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे, संबंधित राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है।

(ग) इस तरह के आवेदन के आधारों, तथ्यों और गुणागुण की जांच करने पर, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियोक्ता या नियोक्ताओं के वर्ग, जैसा भी मामला हो, संहिता के अधीन देय उपकर के भुगतान से छूट का आदेश जारी कर सकती है जहां पर ऐसी संबंधित विधि के अधीन इस तरह के उपकर की उगाही की जा रही है और ये देय है।

(घ) खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी को आवेदन की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के लिए अथवा खंड (ग) के अधीन केंद्रीय सरकार के अगले आदेश आने तक मूल्यांकन कार्रवाई रोक दी जाएगी, खंड (क) के अधीन नियोक्ता या नियोक्ताओं के वर्ग को सूचित किया जाएगा जिन्होंने आवेदन किया है, जो भी पहले हो।

अध्याय 8

**असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार या प्लेटफार्म कर्मकार के लिए
सामाजिक सुरक्षा**

48. असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकारों का पंजीकरण- (1) (क) प्रत्येक असंगठित कर्मकार जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित पोर्टल पर धारा 113 के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

(ख) पात्र असंगठित कर्मकार स्व-घोषणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, आधार और ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ और उस उद्देश्य के लिए सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ग) केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने के लिए केंद्रीय सरकार पात्र असंगठित कर्मकारों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप या किसी अन्य आवेदन जैसी सुविधा प्रदान करेगी। स्व-पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, असंगठित कर्मकार को आधार के माध्यम से अपना पहचान-पत्र बनवाना होगा। और अन्य दस्तावेज जो केंद्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।

(घ) केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के अधीन या अधिकार क्षेत्र के पात्र असंगठित कर्मकारों को उनके विशिष्ट वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत करने की जिम्मेदारी समुचित सरकार की होगी।

(ङ) ऐसे पात्र कर्मकार जिनके पास यदि पहले से ही सार्वभौमिक खाता संख्या नहीं है उन्हें पंजीकरण पूरा होने पर, केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल के माध्यम से ऐसा संख्या या कोई अन्य विशिष्ट संख्या जारी किया जाएगा।

(च) प्रत्येक पात्र पंजीकृत असंगठित कर्मकार को एक डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाएगा जिसमें सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट उसकी तस्वीर और अन्य विवरण होंगे और ऐसा डिजिटल कार्ड केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

(छ) असंगठित कर्मकार के लिए संहिता के अधीन बनाई गई किसी भी योजना के अधीन किसी भी हितलाभ की पात्रता के लिए, समुचित सरकार केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल पर पंजीकरण के अतिरिक्त, पात्रता के लिए विशिष्ट शर्तें, जैसा उचित समझे, अधिसूचित कर सकती है।

(ज) समुचित सरकार पात्र असंगठित कर्मकार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल से जानकारी प्राप्त कर सकती है।

(झ) पात्र असंगठित कर्मकार को अपने विवरण जैसे पता, उपजीविका, मोबाइल नंबर, कौशल, या समय-समय पर किसी अन्य विवरणों को अद्यतन करना होगा, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और इस तरह के अद्यतन के अभाव में, कोई भी असंगठित कर्मकार, संहिता के अधीन अधिसूचित और उस पर लागू सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं रहेगा।

(ज) डाक विभाग, जन सेवा केंद्रों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ई-सेवा केंद्रों या समुचित सरकार द्वारा तय की गई किसी अन्य एजेंसी के व्यवसाय संवाददाताओं की सेवाओं का उपयोग असंगठित कर्मकार के पंजीकरण की सुविधा, व्योरो का अद्यतनीकरण और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रदत्त करने के लिए किया जा सकता है।

(2) (क) प्रत्येक गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार, जिन्होंने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर, धारा 113 के अधीन स्व-घोषणा के आधार पर, सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित आधार और अन्य दस्तावेजों के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

(ख) प्रत्येक एग्रीगेटर, इन नियमों के प्रारंभ होने के पैंतालीस दिनों के भीतर, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, ऐसे एग्रीगेटर के साथ जुड़े गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों का विवरण सर्वव्यापी खाता संख्या या किसी अन्य ऐसे अद्वितीय नंबर के निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर साझा करेगा, यदि ऐसे कर्मचारी के पास पहले से ही ऐसा नंबर नहीं है।

(ग) प्रत्येक एग्रीगेटर किसी भी नए गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों को नियुक्त करने पर ऐसे कर्मकार को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वास्तविक समय/दैनिक आधार पर केंद्रीय सरकार के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करेगा। प्रत्येक एग्रीगेटर को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वास्तविक समय/दैनिक आधार पर केंद्रीय सरकार के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर उनके साथ पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार के निकास विवरण भी साझा करना होगा।

(घ) प्रत्येक पात्र पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों को एक पहचान पत्र, डिजिटल या अन्यथा जारी किया जाएगा, जिसमें उसकी तस्वीर और ऐसे उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य विवरण होंगे; और ऐसा डिजिटल कार्ड केंद्रीय सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।

(ङ) गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के लिए संहिता के अधीन बनाई गई किसी भी योजना के अधीन किसी भी हितलाभ की पात्रता के लिए, केंद्रीय सरकार अपने अभिहित पोर्टल पर पंजीकरण के अतिरिक्त, सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से पात्रता के लिए विशिष्ट शर्त को अधिसूचित कर सकती है।

परंतु ऐसा पात्र कर्मचारी ने पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम नब्बे दिनों के लिए गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार के रूप में एकया कई एग्रीगेटर, अथवा कई एग्रीगेटर्स के मामले में, कम से कम एक सौ बीस दिनों के लिए काम किया हो।

स्पष्टीकरण.— इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, -

- (i) गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार को एक दिन के लिए एग्रीगेटर के साथ नियुक्त माना जाएगा, अगर उसने उस कैलेंडर दिन में एग्रीगेटर के साथ किए गए ऐसे काम के लिए आय अर्जित की है, भले ही रकम कुछ भी हो;
- (ii) कई एग्रीगेटर्स के साथ काम करने के मामले में, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों की नियुक्ति के दिनों की गणना एग्रीगेटर्स में संचयी तरीके से की जाएगी;
- (iii) यदि कोई गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों किसी विशेष कैलेंडर दिवस पर तीन एग्रीगेटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे तीन दिनों के रूप में गिना जाएगा।

(च) एक पात्र गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों में एग्रीगेटर द्वारा सीधे या सहयोगी कंपनी या होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से लगे ऐसे सभी कर्मकार शामिल होंगे;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,

- (i) किसी अन्य कंपनी के संबंध में 'सहयोगी कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (6) में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।
- (ii) एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में 'होल्डिंग कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (46) में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।
- (iii) अन्य कंपनी के संबंध में 'सहायक कंपनी', कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में परिभाषित कंपनी से है।
- (iv) साझेदारी के संबंध में 'सीमित दायित्व वाली भागीदारी' का अर्थ सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 के खंड (ड) में परिभाषित सीमित देयता भागीदारी से है।

(छ) पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के विवरणों को अद्यतन करने की सुविधा के लिए, प्रत्येक एग्रीगेटर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे एग्रीगेटर से जुड़े गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के विवरण को तिमाही या ऐसी अन्य आवधिकता पर और इस तरह से साझा किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय सरकार का नामित पोर्टल पर नामनिर्दिष्ट किया जाए है।

(ज) इस तरह के अद्यतनीकरण के अभाव में, एक गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार, संहिता के अधीन अधिसूचित और उस पर लागू होने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हो सकेगा।

49. योजनाओं का कार्यान्वयन और अंशदान की प्रतिपूर्ति- (1) (क) केंद्रीय सरकार एक अधिकारी या एजेंसी को एग्रीगेटर्स से योगदान एकत्र करने और खर्च करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी।

(ख) ऐसा प्राधिकरण, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के पंजीकरण के लिए, धारा 114 के अधीन उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए, एग्रीगेटर्स से कोई भी जानकारी मांग सकता है।

(ग) धारा 114 के अधीन एकत्र किए गए योगदान को सामाजिक सुरक्षा निधि के भाग के रूप में धारा 141 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के लिए एक अलग खाते में रखा जाएगा।

(2) यदि कोई एग्रीगेटर, इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, धारा 114 के उप धारा (4) के अधीन देय अंशदान की रकम के भुगतान करने में असफल रहते हैं तो ऐसे एग्रीगेटर अंशदान की रकम पर ब्याज बकाया होने की तारीख से वास्तविक रूप से बकाया भुगतान करने की तारीख तक एक प्रतिशत प्रति माह या माह के भाग की दर से ब्याज के भुगतान के लिए दायी होंगे।

(3) (क) प्रत्येक एग्रीगेटर धारा 114 के उप धारा (4) के अधीन देय अंशदान का मूल्यांकन प्ररूप-20 में करेंगे और पिछले वर्ष के अनंतिम अंशदान का भुगतान चालू वर्ष, जिस वर्ष में अंशदान देय हो, के 30 जून तक यथा मूल्यांकित सामाजिक सुरक्षा निधि के विनिर्दिष्ट खाते में करेंगे।

परंतु यदि एग्रीगेटर गिग कर्मकारों या प्लेटफॉर्म कर्मकारों को भुगतान या देय रकम के पांच प्रतिशत के आधार पर अंशदान का भुगतान कर रहा हो, तो, इसमें एग्रीगेटर से सीधे तौर पर कार्यरत ऐसे सभी कर्मचारीगण या संबद्ध कंपनी या नियंत्रित कंपनी या होल्लिंग कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या तृतीय पक्ष के माध्यम से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे।

(ख) आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के संगत उपबंधों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा के लेखापरीक्षित विवरण को अंतिम रूप दिये जाने के बाद, प्रत्येक एग्रीगेटर प्ररूप-21 में एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेंगे जिसमें चालू वर्ष, जिस वर्ष में अंशदान देय हो, के 31 अक्टूबर तक किये गए अनंतिम अंशदान का भुगतान का विवरण के साथ-साथ बकाया अंशदान, यदि कोई हो, तो उसका विवरण शामिल रहेगा।

(ग) यदि किसी भी एग्रीगेटर के द्वारा अधिक अंशदान, का भुगतान, यदि कोई है, के होने की स्थिति में ऐसे एग्रीगेटर ऐसे अधिक भुगतान की गई रकम के वापसी का दावा प्ररूप-21 में करेंगे। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी एग्रीगेटर द्वारा यथा प्रस्तुत प्ररूप-21 की जाँच की जाएगी, और अधिक भुगतान, यदि कोई, हुआ हो तो उसे ऐसे दावे के प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्ररूप-21 में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लौटा दिया जाएगा।

(4) धारा 113 के अधीन पंजीकृत कोई गिग कर्मकारों या प्लेटफॉर्म कर्मकार साठ वर्ष की आयु हो जाने पर या वे किसी भी एग्रीगेटर के साथ कम से कम नब्बे दिनों तक गिग कर्मी या प्लेटफॉर्म कर्मी के रूप में कार्यरत न होने, या मल्टीपल एग्रीगेटर होने की स्थिति में अंतिम वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ बीस दिनों तक गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार के रूप में कार्यरत न होने पर सामाजिक सुरक्षा योजना के हितलाभ के पात्र नहीं रहेंगे।

(5) प्रत्येक एग्रीगेटर श्रम सुविधा पोर्टल या इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य पोर्टल में पंजीकरण करेंगे।

अध्याय 9

वित्त एवं लेखा

50. धारा 120 के अधीन नियम- उप-धारा (1) के अधीन किसी भी चल या अचल संपत्ति के अधिग्रहण, धारण, बिक्री या अन्यथा हस्तांतरण की शर्तें, धन निवेश करने की शर्तें, उप-धारा (2) के अधीन निवेश का पुनर्निवेश या वसूली, धारा 120 की उप-धारा (4) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों या उनके किसी भी वर्ग, भविष्य या अन्य लाभ निधि के लाभ के लिए उप-धारा (3) के अधीन ऋण जुटाने और ऐसे ऋणों के निर्वहन के लिए उपाय करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी-

(क) भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि के मामले में, जैसा कि भविष्य निधि योजना, पेंशन निधि योजना और बीमा निधि योजना में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) निगम के मामले में, जैसा कि अध्याय 4 और इस अध्याय के अधीन विनिर्दिष्ट है।

51. अपूरणीय बकायों को बट्टे खाते में डालने की शर्तें- (1) जहां निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की यह राय है कि निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को देय अंशदान, उपकर, ब्याज और नुकसान की रकम, मामला हो सकता है, अपूरणीय हो गया है, निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या इसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उक्त रकम के बट्टे खाते में डालने की मंजूरी दे सकता है, अर्थात्: -

(i) कि संबंधित स्थापन पांच वर्ष से अधिक समय से बंद है और सभी संभव प्रयासों के बावजूद ऐसे स्थापन के नियोक्ता के ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सकता है;

- (ii) कि निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त डिक्री को चूककर्ता नियोक्ता की पर्याप्त संपत्ति के अभाव में सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता है; या
- (iii) कि अंशदान का दावा पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है -

(क) कारखाने या स्थापन के परिसमापन में जाने की स्थिति में आधिकारिक परिसमापक; या

(ख) इकाई के राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा अधिग्रहण की स्थिति में भुगतान आयुक्त।

(2) भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि के मामले में, ऐसी बट्टे खाते में डालने वाली रकम भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट की जाएगी।

52. लेखा और वार्षिक रिपोर्ट- (1) निगम इस तरह के रूप में पूर्ण और सटीक खातों का रख-रखाव करेगा, जैसा कि उसकी स्थायी समिति, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर निर्दिष्ट करे और पुस्तकों को प्रत्येक वर्ष मार्च की इकतीसवीं तारीख को संतुलित किया जाएगा।

(2) निगम इकतीस मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व लेखे और इकतीस मार्च को इकतीस मई तक तुलन पत्र तैयार करेगा:

परंतु निगम के आवेदन पर, केंद्रीय सरकार उक्त तारीख को तीस दिनों से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है:

परंतु यह और कि निगम, और यदि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा आवश्यक हो, तो किसी अन्य अवधि के लिए या किसी अन्य तारीख के अनुसार राजस्व खाते और बैलेंस शीट तैयार कर सकता है।

(3) वार्षिक लेखे निर्धारित किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के समक्ष संवीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष पंद्रह जून को या उससे पहले उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पेश किए जाएंगे, जिससे वे संबंधित हैं:

परंतु निगम के आवेदन पर, केंद्रीय सरकार उक्त तारीख को तीस दिनों से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है।

(4) निगम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके द्वारा अपेक्षित सभी लेखाओं को प्रस्तुत करेगा और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-

(i) लिखित नोटिस द्वारा, उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष किसी दस्तावेज को पेश करने की आवश्यकता होगी, जिसे वे अपनी लेखा परीक्षा के उचित संचालन के लिए आवश्यक समझें;

(ii) लिखित नोटिस द्वारा, ऐसे किसी भी दस्तावेज के लिए जवाबदेह, या अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति से, उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा करना; और

(iii) अपने या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज के संबंध में घोषणा करने और उस पर हस्ताक्षर करने या किसी प्रश्न का उत्तर देने या उसके या ऐसे अधिकारी द्वारा वांछित कोई कथन तैयार करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(5) वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट निगम को ऐसी तारीख पर और ऐसे रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे और रिपोर्ट में यह कहा जाएगा कि क्या उनके राय में बैलेंस शीट एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवश्यक विवरण हैं और निगम के मामलों की स्थिति के बारे में सही दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया जाता है और यदि उन्होंने निगम या अधिकारी से कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है क्या इसे प्रदान किया गया है या नहीं और क्या यह संतोषजनक है।

(6) (क) निगम के कार्य और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (उसमें शामिल वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित खातों को छोड़कर) पर उसकी स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दस दिसंबर से पहले निगम की आयोजित बैठक में अंगीकरण करने के लिए रखा जाएगा।

(ख) निगम के वित्तीय आयुक्त और महानिदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित और निगम की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित एक वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक खातों को लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत

किया जाएगा और लेखा परीक्षित खातों को लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दस दिसंबर से पहले निगम की बैठक में अंगीकरण के लिए रखा जाएगा:

परंतु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस वर्ष के पश्चात्, जिससे वह संबंधित है, बीस नवंबर तक प्राप्त हो जाए।

(7) वार्षिक लेखाओं के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट और निगम द्वारा अपनाए गए निगम के कार्य और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट निगम की सामान्य मुहर लगा कर प्रमाणित किया जाएगा और जिनकी चार प्रतियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर निगम की टिप्पणियों के साथ, संसद के समक्ष रखे जाने के लिए, संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बीस दिसंबर से पहले केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यदि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के बाद नवंबर के बीसवें दिन तक प्राप्त नहीं होती है, जिससे वह संबंधित है, तो निगम के काम और वार्षिक गतिविधियों के साथ, वार्षिक खाता और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अलग से केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) लेखापरीक्षा की लागत का भुगतान निगम द्वारा उस तारीख तक किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

(9) (क) लेखा परीक्षक निगम और केंद्रीय सरकार को एक अलग बयान प्रस्तुत करेंगे, यदि आवश्यक हो, के संबंध में-

(i) कोई तात्विक अनौचित्य या अनियमितता जो वे व्यय में, या देय धन की वसूली में, या निगम के खातों में देख सकते हैं; या

(ii) किसी भी हानि या धन की बर्बादी या निगम के स्वामित्व वाली या निहित अन्य संपत्ति जो उपेक्षा या कदाचार के कारण हुई है, उन व्यक्तियों के नाम के साथ जो उनकी राय में इस तरह के नुकसान या बर्बादी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।

(ख) स्थायी समिति किसी भी दोष या अनियमितता को तुरंत दूर करेगी जो लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित की जा सकती है और केंद्रीय सरकार को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करेगी:

परंतु यदि स्थायी समिति और लेखा परीक्षकों के बीच मतभेद है, या यदि स्थायी समिति उचित अवधि के भीतर किसी भी दोष या अनियमितता का समाधान नहीं करती है, तो केंद्रीय सरकार, और उसके लिए विशेष रूप से किए गए संदर्भ पर, इस तरह के प्रस्ताव पारित कर सकती है, जैसा वह ठीक समझे और स्थायी समिति उसके बाद उस समय के भीतर कार्रवाई करेगी जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके।

(10) (क) स्थायी समिति या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई भी प्राधिकरण संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, और इस तरह के किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, संहिता के उपबंधों के विपरीत खाते की किसी भी मद को अस्वीकार कर सकता है या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के, और ऐसे खाते का भुगतान करने या अधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अधिभार और उस व्यक्ति की लापरवाही या कदाचार से होने वाली किसी भी कमी या हानि की रकम का हिसाब रखने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शुल्क करेगा या किसी भी रकम का जो होना चाहिए था, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा खाते में नहीं लाया गया था, और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्ति से देय रकम को प्रमाणित करेगा:

परंतु स्थायी समिति द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कोई भी प्रमाण-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(ख) स्थायी समिति अपने द्वारा किए गए या अनुमोदित प्रत्येक अस्वीकृति, अधिभार या प्रभार के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में बताएगी और जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रमाण-पत्र बनाया गया है, उसके निर्णय के लिए देय रकम का प्रमाण-पत्र और कारणों की एक प्रति प्रदान करेगा और इसकी प्रतियां केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत करेगा।

(ग) उप-नियम (10) के अधीन बनाए गए प्रमाण पत्र से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उप-नियम (10) के खंड (ख) के अधीन प्रमाण पत्र की तारीख की तारीख से एक महीने के भीतर, उस अस्वीकृति, अधिभार या शुल्क को रद्द करने या संशोधित करने के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन फाइल कर सकता है जिसके संबंध में प्रमाण पत्र बनाया गया था।

(घ) खंड (ग) के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के बाद, जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे या तो पुष्टि, संशोधन या अस्वीकृति को अलग करता है, अधिभार या प्रभार जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र बनाया गया था, और उसके बाद स्थायी समिति ऐसे आदेश के अनुसार ऐसे समय के भीतर कार्रवाई करेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ङ) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि उप-नियम (10) के अधीन किए गए प्रमाण-पत्र के अधीन आगे की सभी कार्रवाई खंड (घ) के अधीन उसके समक्ष लंबित मामले के निपटारे तक रोक दी जाएगी।

(11) (क) स्थायी समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति से देय होने के लिए प्रमाणित प्रत्येक रकम या यदि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र को संशोधित किया गया है, तो संशोधित प्रमाण-पत्र में ऐसे व्यक्ति से देय रकम का भुगतान किया जाएगा स्थायी समिति के प्रमाण-पत्र के साथ तीन महीने के भीतर निगम को व्यक्ति; या ऐसी लंबी अवधि के भीतर जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमत की जा सकेगी; और ऐसी कोई भी रकम, यदि ऐसा भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

(ख) इस प्रकार भुगतान या वसूल की गई रकम का कोई भी रकम या हिस्सा, जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र अलग रखा गया है या संशोधित किया गया है, जैसा भी मामला हो, भुगतान करने वाले व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से वापस किया जाएगा।

(12) निगम अपने उन कर्मचारियों के संबंध में, जिनकी सेवाएं केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगम के निपटान में रखी गई हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि (इसके बाद भविष्य निधि के रूप में संदर्भित) नामक एक भविष्य निधि की स्थापना, रखरखाव और योगदान करेगा।

(13) भविष्य निधि का प्रशासन निगम की स्थायी समिति या इसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा जो वह लागू करना उचित समझे।

(14) निगम भविष्य निधि के लिए प्रासंगिक या आवश्यक अन्य सभी मामलों के लिए उपबंध करने के लिए संहिता की धारा 157 के खंड (1) के अधीन नियम बना सकता है।

(15) जहां एक बीमित व्यक्ति को धारा 133 के खंड (ण) के अधीन दोषी ठहराया जाता है, वह पहली बार दोषी ठहराए जाने के लिए तीन महीने की अवधि के लिए और प्रत्येक बाद की सजा के लिए निगम के संबंधित कार्यालय में न्यायालय के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए संहिता के अध्याय 4 के अधीन स्वीकार्य किसी भी नकद लाभ का हकदार नहीं होगा।

अध्याय 10

प्राधिकरण, निर्धारण, अनुपालन और वसूली

53. अभिलेखों और रजिस्ट्रों आदि के रख-रखाव के लिए प्ररूप और रीति- (1) (क) प्रत्येक स्थापन का नियोक्ता रजिस्टर बनाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-1 में कर्मचारी संख्या;

(ii) मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-9 में उपस्थिति-सह-मस्टर रोल;

(iii) मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-4 में मजदूरी, ओवरटाइम, अग्रिम, जुर्माना और क्षति और हानि के लिए कटौती;

(iv) मजदूरी-22 में महिला कर्मचारी।

परंतु स्थापना के संबंध में, जो मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) या उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की शर्तों पर संहिता, 2020 (2020 का 37) द्वारा शासित है और इसके अधीन बनाए गए नियम खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रों को बनाए रखते हैं जिसे इन नियमों के अधीन भी नियोक्ता द्वारा बनाए रखा जाना माना जाएगा।

(ख) इस अध्याय के अधीन रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा बनाए रखा जाएगा।

(ग) रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां अंग्रेजी और हिंदी या नियोजित अधिकांश व्यक्तियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में की जाएंगी।

(घ) प्रत्येक नियोक्ता मांग पर निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष रिकॉर्ड और रजिस्टर पेश करेगा।

(ङ) सभी रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों को मूल रूप में उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-5 में मजदूरी के भुगतान पर या उससे पहले धारा 123 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा मजदूरी पर्ची जारी करेगा।

(3) संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन बनाए जाने के लिए आवश्यक सभी रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड पूर्ण और अद्यतित रखे जाएंगे और जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, कार्य स्थल की सीमा के भीतर या उससे तीन किलोमीटर के सीमा में किसी स्थान पर किसी कार्यालय या निकटतम सुविधाजनक भवन में रखा जाएगा।

(4) नियोक्ता स्थापना के मुख्य द्वार पर या उसके निकट अंग्रेजी, हिंदी में मोटे अक्षरों में और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नियोक्ता द्वारा अधिकृत पदनाम वाले अधिकारी का नाम निर्दिष्ट करते हुए संहिता या उसमें बनाए गए नियमों के अधीन उसकी ओर से नोटिस प्राप्त कर स्पष्ट रूप से एक नोटिस प्रदर्शित करेगा।

(5) (क) नियोक्ता जिस पर संहिता के अध्याय 5 और अध्याय 6 के उपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष में 28/या 29 फरवरी को या उससे पहले, वेब पोर्टल पर ऑनलाइन प्ररूप-23 में एक एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करें जो श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सरकार, पिछले वर्ष के संबंध में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार जानकारी दे रही है।

परंतु निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए गए खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की उपेक्षा हो सकती है।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।

(ख) यदि नियोक्ता जिस पर संहिता के अध्याय 5 और अध्याय 6 के उपबंध लागू होते हैं, बिक्री करते हैं, छोड़ देते हैं या स्थापन के काम-काज को बंद कर देते हैं, तो, वह ऐसी बिक्री या परित्याग की तारीख से एक महीने के भीतर या इस तरह के बंद होने की तारीख के चार महीने, जैसा भी मामला हो, ऑनलाइन अपलोड कर सकेगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर, खंड (क) के उप-नियम 5 में संदर्भित प्ररूप-23 में और एकीकृत विवरणी के संबंध में पिछले वर्ष के अंत और ऐसी बिक्री, परित्याग या बंद करने की तारीख के बीच की अवधि, जैसा भी मामला हो कर सकेगा।

अध्याय 11

अपराध और शास्तियां

54. अपराधों का शमन- (1) धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, जिसे इसमें इसके पश्चात् शमन अधिकारी कहा गया है, अधिसूचना द्वारा धारा 138 के अधीन शमनीय अपराधों के लिए प्ररूप-24 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक शमन नोटिस जारी करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ऐसा देखा गया व्यक्ति प्ररूप-24 के भाग 3 में अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा या अन्यथा पूरी शमन रकम जमा कर सकता है।

(3) शमन अधिकारी, प्ररूप-24 के भाग 4 में शमन रकम प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को शमन प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिससे ऐसी रकम शमन नोटिस की संतुष्टि में प्राप्त हुई है।

(4) यदि इस प्रकार देखा गया कोई व्यक्ति अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर शमन रकम जमा करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उन अपराधों के लिए जिनके संबंध में शमन वाली नोटिस जारी की गयी थी, ऐसे व्यक्ति के समक्ष निर्दिष्ट समय की अंतिम तारीख से एक माह के बाद अभियोजन आरंभ किया जाएगा।

(5) किसी सक्षम न्यायालय में उसके संबंध में अभियोजन की संस्था के बाद किसी अपराध के शमन के लिए, धारा 138 की उप-धारा (6) के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय 12

रोजगार सूचना और निगरानी

55. कैरियर केंद्र की स्थापना और रख-रखाव- (1) समुचित सरकार कैरियर केंद्र की स्थापना, संचालन और रख-रखाव कर सकती है या अपने पहले से स्थापित कार्यालय या रोजगार कार्यालय, या दोनों या एक पोर्टल को संशोधित और घोषित कर सकती है या किसी अन्य ऐसे केंद्रीय को कैरियर केंद्र के रूप में अधिसूचना द्वारा अधिकृत कर सकती है जब तक ऐसी अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, विद्यमान स्थानीय रोजगार कार्यालय और केंद्रीय रोजगार कार्यालय क्रमशः कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) और कैरियर केंद्र (केंद्रीय) के रूप में कार्य करेंगे।

(2) समुचित सरकार कैरियर केंद्र चलाने के लिए किसी संस्था, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय निकाय या निजी निकाय के साथ एक समझौता भी कर सकती है।

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) और (2) के अधीन स्थापित कैरियर केंद्र, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कार्य करेंगे, अर्थात्: -

(क) जानकारी का संग्रह और प्रस्तुत करना, या तो रजिस्ट्रों को रखकर या अन्यथा, मैन्युअल रूप से, डिजिटल रूप से, या वस्तुतः, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित करे उससे संबंधित -

(i) वे व्यक्ति जो कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहते हैं;

(ii) रोजगार चाहने वाले व्यक्ति;

(iii) रिक्तियों की घटना; और

(iv) वे व्यक्ति जो स्वरोजगार आरंभ करने के लिए उपजीविकाजन्य मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श या मार्गदर्शन चाहते हैं;

(ख) कैरियर परामर्श और उपजीविकाजन्य मार्गदर्शन प्रदान करना;

(ग) नौकरी मेलों और नौकरी ड्राइव का आयोजन;

(घ) रोजगार संबंधी सर्वेक्षण और अध्ययन;

(ङ) रोजगार वृद्धि गतिविधियों; और

(च) अन्य सेवाएं जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा तय की जा सकती हैं।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार कैरियर केंद्र (केंद्रीय) के लिए केंद्रीय सरकार और कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) के लिए संबंधित राज्य सरकार होगी।

56. रिक्तियों की रिपोर्टिंग और चयन के परिणाम आदि की सूचना- (1) (क) संहिता के प्रारंभ होने पर किसी राज्य या क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक स्थापन में नियोक्ता, किसी भी रिक्ति को भरने से पहले उस स्थापन में किसी भी रोजगार में, उस रिक्ति या कारण की सूचना ऐसे कैरियर केंद्र को दें जो समुचित सरकार द्वारा की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

(ख) निजी क्षेत्र में प्रत्येक स्थापन में या निजी क्षेत्र में किसी भी वर्ग या श्रेणी के स्थापनों से संबंधित प्रत्येक स्थापन में नियोक्ता, उस स्थापन में किसी भी रोजगार में किसी भी रिक्ति को भरने से पहले, ऐसी तारीख से जो समुचित सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए इस तरह के कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) के लिए रिक्ति या रिपोर्ट करने का कारण रिपोर्ट करेगा।

(ग) समुचित सरकार नियोक्ताओं और कैरियर केंद्र द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों की प्राप्ति के लिए एक डिजिटल तंत्र प्रदान करेगी, जिसमें रिक्तियों की सूचना दी गई है, रिपोर्ट की गई रिक्ति के लिए एक अद्वितीय रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगी और इसे लिखित रूप में नियोक्ता को बताएगी। इसे नियोक्ता को डिजिटल रूप से या किसी अन्य माध्यम से तुरंत सूचित करेगा जो उत्तर-पूर्वी राज्यों में रिक्तियों की रिपोर्टिंग की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवसों और अन्य राज्यों में तीन कार्य दिवसों के बाद नहीं होगा।

परंतु भौगोलिक परिस्थितियों या अन्य स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना के माध्यम से समुचित सरकार द्वारा तीन कार्य दिवसों की समय सीमा को सात कार्य दिवसों तक बढ़ाया जा सकता है।

(घ) कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) अपने द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारी को लिखित रूप में, ईमेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से या किसी अन्य ऐसे मीडिया के माध्यम से साझा करेगा, जैसा कि कैरियर केंद्र (केंद्रीय) को प्ररूप-25, प्ररूप-26 और प्ररूप-27 (क) में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके।

(ङ) राज्य सरकार कैरियर केंद्र (केंद्रीय) को किसी भी नए स्थापित कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) या किसी भी विद्यमान कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) के बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसे कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) के अधिकार क्षेत्र के विवरण के साथ, इस प्रकार स्थापित या बंद, जैसा भी मामला हो, विवरण प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापन" से स्वामित्व वाली, नियंत्रित स्थापन या स्थापन-

(i) सरकार या सरकार का कोई विभाग;

- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित सरकारी कंपनी;
- (iii) एक निगम (एक सहकारी समिति सहित) या एक स्वायत्त संगठन या एक प्राधिकरण या एक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित एक निकाय, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है; और
- (iv) एक स्थानीय प्राधिकरण।

(ख) "निजी क्षेत्र में स्थापन" द्वारा प्रबंधित अभिप्रेत है। एक स्थापन जो सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्थापन नहीं है और 20 या उससे अधिक कर्मचारी या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारियों की संख्या उसमें कार्यरत हैं अभिप्रेत हैं।

(ग) राज्य सरकार, जिसका अपना कोई कैरियर केंद्र या डिजिटल पोर्टल नहीं है, अधिसूचना द्वारा, उसके क्षेत्र में स्थापनों द्वारा रिक्तियों की रिपोर्टिंग डिजिटल पोर्टल या केंद्रीय सरकार के कैरियर केंद्र को निर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) (क) निम्नलिखित रिक्तियां, अर्थात्: -

- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या मजदूरी स्तर या दोनों वाले तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों पर सभी रिक्तियां, जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार संहिता के अधीन समुचित सरकार है; और
- (ii) रिक्तियां जो एक नियोक्ता राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के बाहर कैरियर केंद्रों में परिचालित करने की इच्छा कर सकता है जिसमें स्थापन स्थित है;

ऐसे कैरियर केंद्र (केंद्रीय) को सूचित किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके।

(ख) एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में शाखाओं वाले स्थापनों में रिक्तियां, जहां नियोक्ता कई स्थानों पर ऐसी रिक्तियों को भरना चाहता है, नियोक्ता के विकल्प पर, या तो केंद्रीय रूप से कैरियर केंद्र (केंद्रीय) या अलग से संबंधित कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को सूचित किया जा सकेगा, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य रिक्तियों की सूचना संबंधित कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को दी जाएगी।

(3) (क) रिक्तियों को लिखित रूप में या आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके और समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट कैरियर केंद्र को सूचित किया जा सके।

(ख) प्रत्येक प्रकार की रिक्ति के संबंध में रिक्तियों की सूचना प्ररूप-25 में दी जाएगी, जिसमें यथासंभव अधिक से अधिक विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन कैरियर केंद्र में पहले से ही दिए गए विवरणों में कोई भी परिवर्तन लिखित रूप में या आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके, और निर्दिष्ट कैरियर केंद्र को सूचित किया जाएगा।

(4) (क) कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को सूचित करने के लिए आवश्यक रिक्तियों की सूचना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले दी जाएगी।

(ख) कैरियर केंद्र (केंद्रीय) को सूचित करने के लिए आवश्यक रिक्तियों की सूचना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से कम से कम चालीस दिन पहले दी जाएगी।

(ग) नियोक्ता चयन की तारीख से तीस दिनों के भीतर रिपोर्ट की गई रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित कैरियर केंद्र को चयन के परिणाम से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(5) (क) संहिता के प्रारंभ होने पर, किसी भी राज्य या क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक स्थापन के नियोक्ता मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से रिकॉर्ड बनाए रखेंगे —

- i. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदात्मक या निश्चित अवधि के रोजगार);
- ii. 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती किए गए व्यक्ति;
- iii. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों के उपजीविकाजन्य विवरण;
- iv. रिक्तियां जिनके लिए 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे; और
- v. अगले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों की अनुमानित संख्या।

(ख) समुचित सरकार, अधिसूचना के माध्यम से, निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख से, निजी क्षेत्र में प्रत्येक स्थापन का नियोक्ता या निजी क्षेत्र में किसी भी वर्ग या श्रेणी के स्थापन से संबंधित प्रत्येक स्थापन मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से रिकॉर्ड बनाए रखेगा —

- i. प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदात्मक या निश्चित अवधि के रोजगार);
- ii. 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती किए गए व्यक्ति;
- iii. प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को अपने कर्मचारियों के उपजीविकाजन्य विवरण;
- iv. रिक्तियां जिनके लिए 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे; और
- v. अगले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों की अनुमानित संख्या।

(6) एक नियोक्ता संबंधित कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को **प्ररूप-26** (रोजगार सूचना विवरणी) में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट अनुसार वार्षिक विवरणी मैनुअल रूप से या, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या डिजिटल रूप से, जैसा भी मामला हो, देय तारीख के तीस दिनों के भीतर, अर्थात् वर्ष के 31 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) (क) संबंधित राज्य सरकार के कैरियर केंद्रों (क्षेत्रीय) के काम को नियंत्रित करने वाले रोजगार निदेशक या समकक्ष या ऊपर के पद के अधिकारी, जो कैरियर केंद्रों (क्षेत्रीय) के काम को देखने वाले एक अधिकारी को लिखित रूप में घोषित करेंगे संहिता के अध्याय 13 (रोजगार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन/कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के लिए "कार्यकारी अधिकारी" के रूप में वह अधिकारी होगा जो धारा 139 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा, या किसी व्यक्ति को उन अधिकारों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए लिखित रूप में अधिकृत करेगा।

(ख) रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्य को नियंत्रित करने वाले रोजगार निदेशक या उनके समकक्ष या उससे ऊपर के पद का अधिकारी, कैरियर केंद्रों (केंद्रीय) के काम की देख-रेख करने वाले को संहिता के अध्याय 13 (रोजगार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन या कार्यान्वयन के उद्देश्य से "कार्यकारी अधिकारी" के रूप में लिखित रूप में घोषित करेगा। ऐसे अधिकारी धारा 139 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(8) अध्याय 13 और उसके नियमों से संबंधित संहिता के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए, केंद्रीय सरकार विस्तृत दिशा-निर्देश व्याख्यात्मक प्रकृति में जारी कर सकेगी जिसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा आगे पूरक किया जाएगा।

अध्याय 13

कर्मचारी प्रतिकर

57. धारा 77 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर - यदि धारा 77 की उप-धारा (3) के अधीन देय प्रतिकर की रकम का भुगतान नियोक्ता द्वारा तीस दिन की अवधि में नहीं किया जाता है, तब नियोक्ता, प्रतिकर की देय तारीख से भुगतान की जाने की तारीख तक बारह प्रतिशत की वार्षिक दर से अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

58. उपधारा (1) के अधीन नोटिस की रीति और धारा 92 की उपधारा (3) के अधीन धन संप्रेषित करने का रीति- (1) धारा 92(1) के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उसके द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उसके द्वारा जिसमें दुर्घटना हुई थी, प्ररूप-29 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा क्षेत्र के ऊपर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सक्षम प्राधिकारी और संबंधित राज्य सरकार को सूचना दिए बिना कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(2) धारा 92 की उप-धारा (3) के अनुसार एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा दूसरे को प्रेषित धन या तो प्रेषण रसीद या ई-हस्तांतरण द्वारा या नेट बैंकिंग या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा, जैसा कि धन का प्रेषण करने वाला सक्षम प्राधिकारी निदेश दे सकेगा।

59. धारा 93 की उप-धारा (3) के अधीन दावे अथवा निपटारे के लिए आवेदन का प्ररूप, रीति और फीस। - (1) धारा 93 में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के आवेदन को सक्षम प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक (पंजीकरण के साथ) से भेजा जा सकेगा अथवा उसके समक्ष अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ अधिकारियों को दिया जा सकेगा, और ऐसा भेजा गया या प्रेषित किया गया आवेदन, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निदेशित न हो, , प्ररूप-27 में दो प्रतियों में किया जाए और उस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ, प्ररूप-28 में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र संलग्न होगा जिस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, कि आवेदन में निहित तथ्यों का विवरण उसके अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

(3) जब अनुतोष पाने के लिए आवेदन दस्तावेज पर आधारित हो, तब उस दस्तावेज को आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

60. धारा 159 के अधीन प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई धनराशि के अंतरण के लिए अन्य देशों के साथ व्यवस्था लागू करने के लिए नियम - (1) जब कोई रकम, इन नियमों के अनुसार, भारत में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रेषण अंतरण रसीद अथवा ई-अंतरण या नेट बैंकिंग या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित की जाती है, तब प्रेषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रेषण की लागत को प्रेषित की गई रकम से काट सकते हैं।

(2) इस संहिता के अधीन जब प्रतिकर के रूप में भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की गई पूरी एकमुश्त धनरकम या उसके भाग किसी भी अन्य देश में निवास कर रहे या करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होता है, तब सक्षम प्राधिकारी ऐसी देय रकम के उस देश में अंतरण हेतु आदेश कर सकेगा।

(3) जब सक्षम प्राधिकारी ने उप-नियम (2) के अधीन किसी भी रकम के अंतरण का आदेश कर दिया हो, तब वह उस मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण, उस पर पारित आदेशों और भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता देते हुए एक ज्ञापन तैयार करवाएगा और अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, तब वह ज्ञापन को दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को अंतरित की जाने वाले रकम को अंतरित करेगा या तो अपने पास रखेगा अथवा प्राधिकृत अधिकारी के निदेशों के अनुसार उसका निपटारा करेगा।

(5) यदि सक्षम प्राधिकारी स्वयं ही प्राधिकृत अधिकारी है, तब वह उप-नियम (6) में किए उपबंध के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्राधिकृत अधिकारी, अपनी संतुष्टि के पश्चात् कि यह ज्ञापन पूर्ण है, उसे अग्रेषित करेगा और रकम को अंतरित किए जाने वाले देश के लिए इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी को अपने विवेकानुसार सुविधाजनक माने गए ऐसे सुरक्षित प्रेषण साधन के द्वारा जैसा कि वह उचित समझे रकम का प्रेषण ऐसे प्राधिकारी को करेगा अथवा प्रेषित कराएगा जिसका इससे संबंध है, अथवा यदि कोई ऐसा प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है तब ऐसे प्राधिकरणों को जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे और इसी के साथ संबोधित प्राधिकारी से यह अनुरोध करेगा कि -

(क) ज्ञापन में निहित निदेशों के अनुसार किए जाने वाले भुगतान की व्यवस्था करें; और

(ख) ज्ञापन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इसे प्रस्तुत करे और किसी भी ऐसी रकम को वापस करे जिसका भुगतान किसी भी कारण से असंभव है।

(7) (क) प्राधिकृत अधिकारी, यदि वह सक्षम अधिकारी नहीं है जिसके साथ मामला आरंभ हुआ है, उप नियम (6) के अधीन किए गए अनुरोध के उत्तर में प्राप्त किसी भी रिपोर्ट की एक प्रति ऐसे सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ख) उप-नियम (6) के अनुसार वापस की गई किसी भी रकम का निपटान संहिता के अनुसार किया जाएगा।

(8) (क) प्राधिकृत अधिकारी अंतरणकर्ता अधिकारियों से धनरकम प्राप्त करने के लिए उचित प्राधिकारी होगा।

(ख) यदि कोई सक्षम अधिकारी अथवा अन्य सरकारी सेवक, जो प्राधिकृत अधिकारी नहीं हैं, अंतरणकर्ता प्राधिकारी से कोई रकम प्राप्त करता है तब वह ऐसी रकम को इससे संबंधित कागजातों के साथ निपटान के लिए प्राधिकृत अधिकारी के पास अग्रेषित करेगा या रकम और कागजातों के निपटान के लिए प्राधिकृत अधिकारी के निदेश प्राप्त करेगा और उसके अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(9) प्राधिकृत अधिकारी स्वयं किसी भी रकम या उसके किसी भाग, जिसे वह प्राप्त करता है अथवा उप-नियम (8) के अधीन जिसका नियंत्रण धारित करता है, का निपटान कर सकेगा अथवा ऐसे किसी सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारियों, जैसा वह उचित समझे, के पास निपटान के लिए इसे या इसके किसी भाग को भेज सकेगा।

(10) अंतरणकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त सभी रकमों का निपटान यथा संभव इस संहिता के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा:

यह परंतु अंतरणकर्ता प्राधिकारी से रकम के प्रशासन की रीति के संबंध में प्राप्त निदेशों, यदि कोई हों, का अनुपालन करेगा।

(11) (क) प्राधिकृत अधिकारी, अंतरण प्राधिकारी को यह दर्शाते हुए रिपोर्ट अग्रेषित करेगा कि उससे प्राप्त रकम का निपटान किस प्रकार किया गया है।

(ख) कोई भी सक्षम प्राधिकारी, जो प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, जिसने रकम के किसी भी भाग का निपटान किया है, वह रकम के उस भाग के निपटान के बारे में दो प्रतियों में एक रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी के पास भेजेगा, और, यदि संहिता की धारा 92 के अनुसार उसे यह रकम किसी अन्य ऐसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हुई है तब वह अपनी रिपोर्ट उस सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अग्रेषित करेगा।

(12) अंतरणकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त रकम का कोई भाग जो कार्यवाही के पूरा होने के पश्चात अवितरित रह रहा जाता है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसके निदेश के अधीन अंतरणकर्ता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाएगा।

61. मामलों के हस्तांतरण के बाद की कार्यवाही- धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत सक्षम प्राधिकारी नए सिरे से कार्यवाही शुरू कर सकेगा या वह धारा 91 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आरंभ की गई पिछली कार्यवाही को जारी रख सकता है जैसे कि वही या उसका कोई भाग उसके सामने ले लिया गया था यदि वह संतुष्ट है कि पक्षकारों के हित इस प्रकार पूर्वाग्रहित नहीं होंगे।

62. अभिलेखों या धन का अंतरण:- (1) संहिता के अधीन यदि किसी मामले पर उस क्षेत्र, जिसमें दुर्घटना घटी है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम प्राधिकारी से भिन्न सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अथवा उसके द्वारा, कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तब पूर्ववर्ती प्राधिकारी मामले के उचित निपटान के लिए उत्तरवर्ती प्राधिकारी से उसके पास रखे किसी भी अभिलेख अथवा धन के अंतरण सहित प्ररूप-30 में एक विस्तृत रिपोर्ट मांग सकता है और ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर वह उसका पालन करेगा।

परंतु यदि उस क्षेत्र में, जिसमें दुर्घटना हुई है, आरोप निर्धारित करने के लिए अथवा प्रतिकर की रकम के निर्धारण के लिए आगे ही जांच आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी जिसके समक्ष आवेदन किया गया है, उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी, जहां पर दुर्घटना हुई है, से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ये जांचें कराए तथा ऐसी जांचों के प्रयोजनार्थ यथा आवश्यक नोटिस और आदेश जारी करे।

(2) धारा 81 के अधीन एक सक्षम प्राधिकारी के पास जमा धन का दूसरे सक्षम प्राधिकारी को प्रेषण, अंतरण रसीद द्वारा अथवा ई-अंतरण अथवा नेट बैंकिंग अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

63. प्रत्येक नियोक्ता किसी कर्मचारी के नियोजन के समय, कर्मचारी को संहिता के अधीन प्रतिकर के उसके अधिकारों के बारे में लिखित रूप में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अंग्रेजी या हिंदी या रोजगार के क्षेत्र की राजभाषा, जो कर्मचारी जानता हो, में जानकारी देगा।

अध्याय 24 विविध

64. सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन- (1) निम्नलिखित सभी प्राप्त निधि अलग खाते (खातों) में जमा की जाएगी और सामाजिक सुरक्षा कोष के रूप में जानी जाएगी और असंगठित के लिए धारा 109 और 114 के अधीन अधिसूचित योजना के सभी खर्चे कर्मकारों, गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को निम्नलिखित फंड से पूरा किया जाएगा, अर्थात् -

(क) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 141 की उप-धारा (1) के अधीन; और

(ख) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 115 की उप-धारा (1) के अधीन।

(2) केंद्रीय सरकार समय-समय पर प्रारंभिक वित्त पोषण या सामाजिक सुरक्षा निधि को फिर से भरने के लिए स्रोतों की पहचान करेगी।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक एजेंसी के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निधि का प्रशासन किया जाएगा।

(4) सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रशासन के लिए नामनिर्दिष्ट एजेंसी द्वारा केंद्रीय सरकार के निर्देशों, यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाएगा।

(5) सामाजिक सुरक्षा निधि के खातों का विवरण एजेंसी द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप और रीति से रखा जाएगा और समय-समय पर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) सामाजिक सुरक्षा निधि के खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

65. छूट प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तें- (1) धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए एक स्थापन को छूट प्रदान करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, अर्थात्: -

(क) ऐसे स्थापन के कर्मचारी अध्याय 3 के अधीन बनाई गई योजनाओं में दिए गए लाभों या अध्याय 4 के अधीन उपलब्ध लाभ, जैसा भी मामला हो, संहिता के समान या उससे बेहतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) छूट की मांग करने वाला स्थापन इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा आवेदन करेगा;

(ग) स्थापन संहिता के अध्याय 3 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों का अनुपालन कर रहा है; या, संहिता के अध्याय 4 का उपबंध या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 34), जैसा भी मामला हो, आवेदन करने से तुरंत तीन वर्ष की निरंतर अवधि के लिए और भुगतान में चूक नहीं किया है ऐसी अवधि के दौरान संबंधित अध्यायों के अधीन देय अंशदान;

(घ) धारा 143 के अधीन छूट की मांग करने वाले स्थापन में संहिता के अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम पांच सौ अंशदायी सदस्य या संहिता के अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए, जैसा भी मामला हो, ऐसे इस तरह के आवेदन की तारीख पर न्यूनतम पांच सौ कर्मचारी होने चाहिए।

(ङ.) भविष्य निधि योजना या धारा 15 के अधीन बनाई गई पेंशन योजना के उपबंधों से छूट की मांग करने वाले स्थापन के पास उस योजना के संबंध में पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक के सदस्यों के खाते में संचयी शेष रकम होनी चाहिए, जिससे छूट मांगी गई है;

(च) अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, स्थापन धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए अधिकांश कर्मचारियों की सहमति प्रस्तुत करेगी;

(छ) छूट चाहने वाले स्थापन के पास आवेदन की तारीख से पहले पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान सकारात्मक नेट मूल्य होना चाहिए;

(ज) स्थापना ने अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए संबंधित सदस्यों के खाते में प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या या अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों में से प्रत्येक के आधार संख्या को जोड़ा होगा, जैसा कि मामला संबंधित डेटा-बेस में कोड का हो सकता है; और

(झ) संहिता के अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, स्थापन ऑनलाइन दावा निपटान के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और छूट के नब्बे दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ संबंध प्रदान करने के लिए शिकायत समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा।

(2) धारा 143 के अधीन छूट देने वाली अधिसूचना अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होने के लिए जारी की जाएगी और इसमें स्थापना और / या नियोक्ता द्वारा अनुपालन किए जाने वाले अन्य नियम और शर्तें शामिल होंगी, जैसा भी मामला हो।

(3) (क) धारा 143 के अधीन छूट के विस्तार के लिए आवेदन छूट की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले निर्दिष्ट पोर्टल पर किया जाएगा।

(ख) अध्याय 4 के प्रावधानों से एक स्थापन को दी गई छूट समुचित सरकार द्वारा एक बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, परंतु स्थापन उप नियम (1) के खंड (घ) को छोड़कर नियम 65 के विनिर्दिष्ट उप नियम (1) में सुसंगत शर्तों को पूरा करना जारी रखती है।

(ग) अध्याय 6 के प्रावधानों के अधीन निगम के पूर्व परामर्श के बिना कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(घ) निगम आवेदन प्राप्त होने के तीन माह के भीतर समुचित सरकार को अपने विचार प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने पर समुचित सरकार छूट के विस्तार पर निर्णय लेगी, जैसा वह उचित समझे।

(ङ) भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना, जैसा भी मामला हो, के संबंध में दी गई छूट को ऐसी अवधि के लिए और संबंधित योजनाओं में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।

66. छूट के लिए आवेदन पर अपने विचार प्रदान करने के लिए केंद्रीय बोर्ड या निगम के लिए समय सीमा, -केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, छूट के प्रस्ताव की प्राप्ति के छह माह के भीतर धारा 143 के अधीन छूट की मांग करने वाले आवेदन पर अपने विचार समुचित सरकार को अग्रेषित करेगा यदि केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, उक्त अवधि के भीतर अपने विचार प्रदान करने में असमर्थ है, तो समुचित सरकार छूट के आवेदन पर समय सीमा बढ़ा सकती है या कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे।

67. छूट प्राप्त स्थापना के अनुपालन के लिए नियम एवं शर्तें- (1) जिस स्थापन को संहिता के अध्याय 4 के उपबंधों से छूट प्रदान की गई है -

(क) छूट प्राप्त कर्मचारियों के संबंध में ऐसे रिकॉर्ड बनाए रखेगा और निगम को ऐसी विवरणी और अन्य जानकारी जमा करेगा जैसा कि धारा 157 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जा सके; और

- (ख) एक स्थापन की विधिक स्थिति में परिवर्तन के मामले में, जिसे धारा 143 के अधीन छूट दी गई है, विलय, डिमर्जर, अधिग्रहण, बिक्री, सम्मेलन, एक सहायक में गठन, पूर्ण स्वामित्व वाली या नहीं, आदि के कारण छूट रद्द माना जाएगा और स्थापन को छूट के लिए समुचित सरकार को नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(2) अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, स्थापना और/या नियोक्ता, छूट प्रदान करने के बाद, भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना में निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, जैसा कि धारा 15 के अधीन मामला बनाया जा सकता है।

68. न्यास के प्रबंधन के लिए नियम और शर्तें - (1) भविष्य निधि या पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए केंद्रीय सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार समय-समय पर एक न्यासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जैसा भी मामला हो।

(2) न्यासी बोर्ड में नियोक्ता और कर्मचारियों में से प्रत्येक के प्रतिनिधि उतने ही समान संख्या में होंगे जितने कि भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(3) ऐसे छूट प्राप्त स्थापन का नियोक्ता न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, न्यासी बोर्ड की सभी बैठकों में अध्यक्ष द्वारा आर्म्स लेथ सिद्धांतों को बनाए रखा जाएगा।

(4) न्यासी बोर्ड हर तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और केंद्रीय सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

(5) न्यासी के कार्यालय के कार्यकाल सहित नियम और शर्तें, निर्वाचन के लिए प्रक्रिया और रीति या कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के न्यासी बोर्ड के लिए नामांकन, अयोग्यता और ट्रस्टीशिप की समाप्ति, पुनः चुनाव या न्यासियों का पुनर्नामांकन, बोर्ड की बैठक में गणपूर्ति, व्यवसाय के लेन-देन का रिकॉर्ड रखना और ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए ऐसे सभी अन्य मामले और शर्तें भविष्य निधि योजना या पेंशन में प्रदान की गई होंगी। योजना, जैसा भी मामला हो।

(6) किसी विवाद या संदेह की स्थिति में-

(क) इस नियम के किसी उपबंधों का निर्वाचन, ऐसे मामले को केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा; और

(ख) ऐसी छूट के अनुदान पर कोई स्पष्टीकरण जो इस नियम से संबंधित नहीं है, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी अन्य अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा;

और इस तरह के विवाद या संदेह पर केंद्रीय सरकार की निर्वाचन या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसे अधिकारियों का स्पष्टीकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामले के निपटान के लिए बाध्यकारी होगा।

69. धारा 148 के अधीन किसी स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी लाभ के दुरुपयोग का निर्धारण करने की रीति। - प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी या सामाजिक सुरक्षा संगठन की सिफारिशों पर, यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि किसी स्थापन या किसी व्यक्ति ने संहिता या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए किसी भी लाभ का दुरुपयोग किया है, तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थापनों या ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय के लिए ऐसे लाभ से वंचित कर सकती है, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे स्थापन या ऐसे व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

प्ररूप-I

[नियम 13 (2) (क) देखें]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 23 के अधीन अपील

मामले का शीर्षक:

अपील

अनुक्रमणिका

क्रमांक सं.

विश्वसनीय दस्तावेजों का विवरण पृष्ठ

संख्या

1.

2.

3.

4.

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिकरण के कार्यालय में उपयोग के लिए

फाइल करने की तारीख (या) डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

पंजीकरण संख्या

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

केंद्रीय सरकार के औद्योगिक अधिकरण में

क.ख.

के बीच

अपील

बनाम

सी.डी.

प्रत्यर्थी

अपील का विवरण

1. अपीलकर्ता का विवरण:

(i) अपीलकर्ता का नाम

(ii) कार्यालय का पता

(iii) सूचना की तामील के लिए पता

2. प्रत्यर्थी का विवरण:

(i) प्रत्यर्थी का नाम

(ii) कार्यालय का पता

(iii) सूचना की तामील के लिए पता

3. आदेश/अधिसूचना की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध अपील की गई है- अपील निम्नलिखित आदेश/अधिसूचना के विरुद्ध है

- i आदेश/अधिसूचना सं. उपाबंध के संदर्भ में
- ii तारीख
- iii द्वारा पारित
- iv विषय संक्षेप

4. अधिकरण का अधिकार क्षेत्र- अपीलकर्ता घोषित करता है कि जिस मामले के विरुद्ध वह निवारण चाहता है वह अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

5. सीमा -अपीलकर्ता आगे घोषणा करता है कि अपील सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 126 में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है।

6. मामले के तथ्य- मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं:

(यहाँ एक कालानुक्रमिक क्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैरा में यथासंभव एक अलग विवाधक, तथ्य या अन्यथा सम्मिलित है)

7. समाप्त हो चुके उपचारों का विवरण -अपीलकर्ता घोषणा करता है कि उसने संहिता के अधीन उसके लिए उपलब्ध सभी उपचारों का लाभ उठाया है।

(उपाबंध संख्या के संदर्भ में यहां दिए गए ऐसे अभ्यावेदनों का विवरण और ऐसे अभ्यावेदन के परिणाम यहां कालानुक्रमिक रूप से दें)।

8. मामले पहले फाइल नहीं किए गए या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं हैं -अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने पहले किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकरण की किसी अन्य पीठ के समक्ष उन मामलों के संबंध में कोई अपील, रिट याचिका या वाद फाइल नहीं किया था जिनके संबंध में यह अपील की गई है और न ही ऐसी कोई इनमें से किसी के समक्ष अपील, रिट याचिका या वाद लंबित है।

यदि अपीलकर्ता ने पहले कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा फाइल किया है, तो वह चरण जिस पर लंबित है और यदि विनिश्चय लिया जाता है, तो विनिश्चय का सार उपाबंध के संदर्भ में दिया जाना चाहिए।

9. मांगा गया अनुतोष - उपरोक्त पैरा 6 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता निम्नलिखित अनुतोष(अनुतोषों) के लिए प्रार्थना करता है:-

[अनुतोष(अनुतोषों) के लिए आधार और विधिक उपबंधों (यदि कोई हो) पर विश्वास करते हुए मांगा गया अनुतोष(अनुतोषों) के नीचे विनिर्दिष्ट करें]।

10. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, के लिए प्रार्थना- अपील पर अंतिम विनिश्चय लंबित होने तक आवेदक निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करने की मांग करता है-

(यहां कारण सहित प्रार्थना किए गए अंतरिम आदेश की प्रकृति बताएं)

11. यदि अपील त्वरित डाक (पंजीकरण के साथ) द्वारा भेजे जाने की स्थिति में, यह कहा जा सकेगा कि क्या अपीलकर्ता प्रवेश स्तर पर मौखिक सुनवाई करना चाहता है और यदि ऐसा है, तो वह एक स्व-पता लिखा हुआ पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र संलग्न करेगा, जिस पर सूचना के संबंध में सुनवाई की तारीख उन्हें भेजी जा सकती है।

12. अपील फीस के संबंध में बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर का विवरण:

13. बैंक का नाम जिस पर आहरित किया गया है

14. डिमांड ड्राफ्ट नंबर (या)

15. ऑनलाइन निधि अंतरण का विवरण

16. संलग्नकों की सूची

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

सत्यापन

मैं, ... (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/श्री, पुत्री/श्री, पत्नी/श्री आयु के कार्यालय में के रूप में कार्यरत हूं, ... में रहने वाला/वाली हूं, एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूं कि पैरा से की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और पैरा से जानकारी के अनुसार सही हैं, और पैरा से तक विधिक सलाह के आधार पर सत्य मानता हूं और मैंने किसी भी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

सेवा में,

रजिस्ट्रार

प्ररूप-2

[नियम 13 (2)(ग) देखें]

रसीद पर्ची

केंद्रीय सरकार के औद्योगिक अधिकरण में फाइल की गई अपील की प्राप्ति श्री/श्रीमती/कु. द्वारा में/के लिए कार्यरत इसके द्वारा अभिस्वीकृत किया जाता है।

रजिस्ट्रार के लिए
केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण

तारीख:

मुहर:

प्ररूप-3

[[नियम 32(1),(2), (3) और (4) देखें]

[अध्याय-5 के प्रयोजन के लिए]

नामांकन/नया नामांकन/नामांकन का उपांतरण

(लागू न होने वाले शब्दों को काट दें)

क्र. सं.	कर्मचारी के ब्यौरे:	
1	कर्मचारी का पूरा नाम	
2	पिता/ पति का नाम	
3	जन्म तारीख(.././....)	
4	यूनिवर्सल खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो):	
5	लिंग	
6	धर्म	
7	क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर	
8	विभाग/शाखा/अनुभाग जहां नियोजित हैं	
9	टिकट सं. या क्रम सं., यदि कोई हो, के साथ धारित पद	
10	नियुक्ति की तारीख	
11	अधिवर्षिता की तारीख	
12	स्थायी पता:	
	गांव:	
	डाक बंगला:	
	थाना:	
	उपखंड:	

	जिला:	
	राज्य:	
	पिन कोड:	
	ईमेल आईडी:	
	मोबाइल नंबर:	

सेवा में

(पता सहित स्थापन का नाम या विवरण दें)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी..... (पूरा नाम) जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, एतद द्वारा तारीख से निम्नलिखित व्यक्ति (यों)/ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 2 के खंड (33) के भीतर कुटुंब है, को निम्नानुसार नामनिर्देशित करता हूँ, अतएव निम्नलिखित व्यक्ति (यों) को मेरी मृत्यु पश्चात उपदान प्राप्त करने के लिए नए रूप से नामनिर्देशित करता हूँ और उस रकम के देय होने से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे खाते में संचित उपदान भी, या देय होने से पहले मेरे खाते में संचित उपदान का भुगतान नहीं किया गया है की स्थिति में उपदान की उक्त रकम का भुगतान नामनिर्देशितियों के नाम के सामने उपदर्शित भाग में किया जाएगा।

अथवा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी..... (यहाँ पूर्ण नाम) जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे द्वारा तारीख.....को भरा गया नामांकन और आपके संदर्भ संख्या तारीख के अधीन किया गया अभिलिखित निम्नलिखित रूप में उपांतरित होंगे:-

* जो लागू नहीं है उसे काट दें।

नामनिर्देशितियों

क्र.सं.	नामनिर्देशितियों का पूरा नाम पता सहित	कर्मचारी के साथ संबंध	नामनिर्देशित की उम्र	नामनिर्देशित आधार संख्या	अनुपात जिसके द्वारा उपदान साझा किए जाने वाला है
1.					
2.					
3.					
आदि					

घोषणा

1. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि जिन व्यक्ति(यों) का उल्लेख किया गया है, वह सामाजिक सुरक्षा, 2020 (2020 का 36) पर संहिता की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ के भीतर मेरे कुटुंब का सदस्य है/हैं।

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त संहिता की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ के भीतर मेरा कोई कुटुंब नहीं है।

3. (क) मेरे पिता / माता / माता-पिता मुझ पर आश्रित नहीं है/हैं।

(ख) मेरे पति के पिता / माता / माता-पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं है/हैं।

4. मैंने उक्त संहिता की धारा 2 के खंड (33) की मद में सक्षम प्राधिकारी को सूचित कर अपने पति को अपने कुटुंब से बाहर रखा है।

5. ये नामांकन मेरे पिछले नामांकन को अविधिमान्य करता है।

"कुटुंब" में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने की रीति

(कुटुंब के सदस्य होने के माध्यम का ब्यौरे दें अर्थात् विवाह या माता-पिता द्वारा आश्रित किया गया या दत्तक लेने जैसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से)

स्थान:

तारीख :

कर्मचारी के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकन को सत्यापित किया तथा इसे स्थापन के अभिलिखित कर लिया गया।

नियोक्ता का संदर्भ सं.(यदि कोई हो)

नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख :

स्थापन के नाम और पता या उनकी रबर की मोहर

कर्मचारी द्वारा पावती

मेरे द्वारा भरे गए प्ररूप-3 में नामांकन जो नियोक्ता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया, की दूसरी प्रति प्राप्त की।

तारीख :

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-4

[[नियम 33 (1) देखें]

कर्मचारी/नामनिर्देशिती व्यक्ति/विधिक वारिस द्वारा उपदान के लिए आवेदन
(जो लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवा

में

.....
.....

(यहां पूरे पते सहित स्थापन का नाम या विवरण दें)

महोदय/महोदया,

मैं..... (कर्मचारी / नामांकित / विधिक वारिस का नाम) / स्व..... का नामनिर्देशिती (कर्मचारी का नाम) / स्व.....(कर्मचारी का नाम) के विधिक वारिस के रूप में, उपदान के भुगतान के लिए आवेदन करना चाहता हूं, जिसका मैं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन निम्न कारणों से हकदार हूं-

- (क) मेरी अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र न्यूनतम पांच वर्ष की निरंतर सेवा/दुर्घटना के कारण कुल निःशक्तता/बीमारी के कारण कुल निःशक्तता/तारीख से निश्चित अवधि के अधीन संविदा अवधि की समाप्ति पर या;
- (ख) पूर्वोक्त कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु / तारीख को वर्ष की सेवा अवधि की समाप्ति पर अधिवर्षिता होने / दुर्घटना या तारीख से सेवा में रहते हुए बीमारी के कारण उपर्युक्त कर्मचारी की कुल निःशक्तता पर, या;
- (ग) पूर्वोक्त कर्मचारी की सेवा के दौरान बिना कोई नामांकन दिये मृत्यु / तारीख को वर्षों की सेवा अवधि की समाप्ति पर अधिवर्षिता होने / दुर्घटना या तारीख से सेवा में रहते हुए बीमारी के कारण पूर्वोक्त कर्मचारी की कुल निःशक्तता पर,

मेरी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक विशिष्टियों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

1. कर्मचारी का पूरा नाम, (यदि कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)
 - क. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)
 - ख. कर्मचारी का पूरा पता

अथवा

2. नामांकित/विधिक वारिस का नाम, (यदि नामनिर्देशिती/विधिक वारिस द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)
 - क. कर्मचारी का नाम
 - ख. नामांकित व्यक्ति/विधिक वारिस की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
 - ग. कर्मचारी के साथ नामनिर्देशिती/विधिक वारिस का संबंध
 - घ. नामांकित व्यक्ति/विधिक वारिस का पूरा पता
 - ङ. मृत्यु की तारीख और कर्मचारी की मृत्यु का प्रमाण
 - च. अभिलिखित नामांकन की संदर्भ सं., यदि उपलब्ध हो

3. विभाग / शाखा / अनुभाग, जहां अंतिम बार नियोजित था
4. कर्मचारी द्वारा धारित पद।
5. नियुक्ति की तारीख.
6. सेवा समाप्ति की तारीख और कारण
7. मृत्यु की तारीख
8. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि
9. कर्मचारी द्वारा अंतिम कुल आहरित वेतन
10. कर्मचारी को देय कुल उपदान/नामांकित/विधिक वारिस द्वारा दावा की गई उपदान के भाग।
11. कृपया रेखांकित बैंक चेक द्वारा भुगतान/मेरे बैंक खाते में जमा करें।

भवदीय
आवेदक कर्मचारी / नामांकित / विधिक वारिस
के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान।

स्थान:

तारीख :

प्ररूप-5

[[नियम 33(2)]]

उपदान के दावे के भुगतान/अस्वीकार करने की सूचना
(जो लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवा में

(आवेदक कर्मचारी/नामांकित विधिक वारिस का नाम और पता)

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि

(क) * सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 33 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अधीन यथाअपेक्षित, उक्त नियमों के अधीन प्ररूप-4 में आपके आवेदन में उपदर्शित किए गए उपदान के भुगतान के लिए आपका दावा नीचे बताए गए कारणों के लिए अनुज्ञेय नहीं है:

कारण (यहां कारण को विनिर्दिष्ट करें); या

(ख) *सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 33 के उपनियम (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन यथा अपेक्षित है कि रकम..... (रुपये) उपदान के रूप में आपको /.....द्वारा तारीख को और इस स्थापन में किए गए नामांकन के संदर्भ में उपदान के आपके हिस्से के रूप में/स्थापन के कर्मचारी..... विधिक वारिस के रूप में देय है।

2. *कृपया उपदान भुगतान के रेखांकित चेक के लिए(स्थान) (यहां स्थान विनिर्दिष्ट करें) पर(तारीख) को बजे कॉल करें।

3. देय रकम आपको मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी या आपके द्वारा वांछित बैंक खाते में जमा की जाएगी।

4. गणना का संक्षिप्त विवरण

(क) नियुक्ति की तारीख

(ख) समाप्ति/अधिवर्षिता/त्यागपत्र/निःशक्तता/मृत्यु की तारीख

(ग) संबंधित कर्मचारी की कुल सेवा अवधि: वर्ष..... मास

(घ) अंतिम आहरित वेतन

(ङ.) नामांकन के अनुसार / विधिक वारिस को देय अनुज्ञेय उपदान का भाग :

(च) देय रकम:

* लागू न होने पर पैरा को काट दें

स्थान:

तारीख:

नियोक्ता/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थापन का नाम या विवरण या

उसका रबर स्टाम्प

प्रति: (1) सक्षम प्राधिकारी।

प्ररूप-6

[(नियम 33(4) देखें)]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन अध्याय 5 के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निदेशन के लिए आवेदन

आवेदन संख्या

तारीख

के बीच

(आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता)

और

(पूरे पते के साथ संबंधित नियोक्ता का पूरा नाम)

आवेदक उपर्युक्त उल्लिखित नियोक्ता का कर्मचारी/उपर्युक्त उल्लिखित नियोक्ता के कर्मचारी स्व० का नामनिर्देशिती/उपर्युक्त उल्लिखित नियोक्ता के कर्मचारी और स्व० का विधिक वारिस है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 53 के अधीन अपने स्वयं के/पूर्वोक्त कर्मचारी की अधिवर्षिता.....(तारीख) के कारण उसकी अपनी अधिवर्षिता/पूर्वोक्त कर्मचारी का.....(तारीख) त्यागपत्र/..... को निरंतर सेवा के पूरा होने पर/अपने स्वयं के/पूर्वोक्त कर्मचारी की दुर्घटना/रोग के कारण

..... (तारीख) से कुल अक्षमता/उक्त कर्मचारी की.....(तारीख) को मृत्यु के कारण उपदान के भुगतान का हकदार है।

2. आवेदक ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम के अधीन को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु उपर्युक्त नियोक्ता ने इसे स्वीकृति करने से इनकार कर दिया/तारीख को मेरे देय रकम से कम उपदान की रकम की प्रस्थापना करते हुए नियम के उपनियम के खंड के अधीन एक सूचना जारी की/तारीख को उपदान के भुगतान के लिए मेरी पात्रता को अस्वीकार करते हुए नियम के उपनियम के खंड के अधीन सूचना जारी की गई है। उक्त सूचना की दूसरी प्रति संलग्न है।

3. आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि मामला विवादास्पद है (विवाद विनिर्दिष्ट करें)।

4. आवेदक ने इसके साथ उपाबंध में आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं और निवेदन किया है कि सक्षम प्राधिकारी आवेदक को देय उपदान की रकम का अवधारण करने की कृपा करें और उपर्युक्त नियोक्ता को आवेदक को इसका भुगतान करने का निर्देश दें।

5. आवेदक ने घोषणा की है कि इसके साथ उपाबंध में दिया गया विवरण उसकी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

उपाबंध

1. आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता
2. दावे का आधार (मृत्यु/अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/निःशक्तता/नियत अवधि के नियोजन के अधीन संविदा अवधि की समाप्ति)
3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता
4. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
5. नियोक्ता का पूरा नाम और पता
6. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार कार्यरत था (यदि ज्ञात हो)
7. टिकट या क्र. सं. के साथ कर्मचारी द्वारा धारित पद, यदि कोई हो (यदि ज्ञात हो)
8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख (यदि ज्ञात हो)
9. कर्मचारी की सेवा समाप्ति की तारीख और कारण (अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र)/निःशक्तता/मृत्यु/नियत अवधि के नियोजन के अधीन संविदा अवधि की समाप्ति)
10. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि
11. कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन
12. यदि कर्मचारी की मृत्यु हुई है, तो मृत्यु की तारीख और कारण
13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य/गवाह
14. यदि नामनिर्देशिती है तो नियोक्ता के साथ नामांकन रिकॉर्डिंग की संख्या और तारीख
15. यदि विधिक वारिस है तो विधिक वारिस होने के समर्थन में साक्ष्य/साक्षी
16. कर्मचारी को देय कुल उपदान (यदि ज्ञात हो)
17. नामनिर्देशिती/विधिक वारिस के रूप में आवेदक को देय उपदान का प्रतिशत
18. आवेदक द्वारा दावा की गई उपदान की रकम

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-7

[(नियम 33(5) और (8) देखें)

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए सूचना/समन
(लागू न होने वाले शब्दों को काट दें)

सेवा में,

(नियोक्ता/आवेदक का नाम और पता)

श्री/सुश्री/कुमारी..... आपके अधीन एक कर्मचारी या उपर्युक्त नियोक्ता के अधीन श्री सुश्री/कुमारी के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 33 के उपनियम (4) के अधीन एक आवेदन फाइल किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ----

(उक्त आवेदन की एक प्रति संलग्न करें, यदि समन जारी किया गया है तो आवेदन की प्रति अपेक्षित नहीं है)

अब, अतः आपको आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयोजन से 20..... के दिन..... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में आरोप के समर्थन में/का जवाब देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष (स्थान) पर व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है और चूंकि आपकी उपस्थिति के लिए नियत दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत किया गया है, आपको उस दिन सभी साक्षी जिनके साक्ष्य पर और वे दस्तावेज जिन्हें आप अपने आरोप/बचाव के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

ध्यान दें कि पूर्व-उल्लिखित दिन पर आप अनुपस्थित होने पर, आवेदन को खारिज किया जाएगा/उस पर सुनवाई होगी और आपकी अनुपस्थिति में अवधारित किया जाएगा।

साक्ष्य देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है या आपको की ओर से द्वारा उपदान के दावे से उत्पन्न होने वाले मामले में नीचे दी गई सूची में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, प्ररूप.....और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 56 के अधीन इस प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया आवेदन, आपको इस प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से 20.....के दिन को बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में उपस्थित होने के लिए और उक्त दस्तावेजों सहित अपने साथ लाने के लिए बुलाया जाता है।

दस्तावेजों की सूची-

1.

2.

3. आदि

हस्ताक्षर और मुहर, तारीख 20.....

सक्षम प्राधिकारी

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता के अधीन

टिप्पण: 1. लागू न होने वाले शब्दों और पैराग्राफों को काट दें।

2. लागू न होने वाले भाग को हटा दिया जाए।

3. समन दो प्रतियों में जारी किया गया है। नियत तारीख से पहले जिसे समन भेजा गया है, दूसरी प्रति हस्ताक्षर करें और वापस भेजें।

4. यदि समनों को केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी किया गया है और साक्ष्य देने के लिए नहीं, तो यह समन का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि दस्तावेजों को इस प्रयोजन के लिए नियत दिन और समय पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्थापित किया जाता है।

प्ररूप-8

[[नियम 33(11) और 33(12) (ज) देखें]

सक्षम/अपील प्राधिकारी द्वारा यथावधारित उपदान के भुगतान की सूचना
(लागू न होने वाले शब्दों को काट दें)

सेवामें,
(नाम और नियोक्ता का पता)

श्री/श्रीमती/कुमारी आपके अधीन एक कर्मचारी.....(पता) आप के अधीन एक कर्मचारी स्व० के नामनिर्देशितियों/विधिक वारिस(सों) ने मेरे समक्ष सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (36 का 2020) की धारा 56 के अधीन एक आवेदन फाइल किया है; या

आपको सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन उपदान के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी.....को रुपये का भुगतान करने हेतु सूचना दी गई थी।

और आवेदन की सुनवाई आपकी उपस्थिति में को हुई और सुनवाई के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन उपदान के रूप में रु. के भुगतान के हकदार है; या

आप या आवेदक ने अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील किया था, जिन्होंने विनिश्चय किया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन देय उपदान के रूप में रु. की रकम का भुगतान किया जाना है।

अब, अतः, मैं आपको इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर मुझे इसकी इत्तिला देते हुए श्री/श्रीमती/कुमारी को उक्त रकम का भुगतान करने का निदेश देता हूँ।

हस्ताक्षर और मुहर, तारीख 20.....,

सक्षम प्राधिकारी
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता के अधीन

प्रति:

1. आवेदक- उसे भुगतान लेने के लिए नियोक्ता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
2. अपील प्राधिकारी यदि लागू हो।

टिप्पण ---- (यदि लागू न हो तो पैरा काट दें)

प्ररूप-9

[(नियम 33(13) देखें)]

**सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन अध्याय 5 के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष
उपदान की वसूली के लिए आवेदन**

आवेदन संख्या

तारीख

के बीच

(आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता)

और

(पूरे पते के साथ संबंधित नियोक्ता/न्यास/बीमांकक का पूरा नाम)

1. आवेदक उपर्युक्त उल्लिखित नियोक्ता का कर्मचारी है/उपर्युक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्व० का नामनिर्देशिती है।

उपर्युक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्व० का विधिक वारिस है और आपने उक्त नियोक्ता को अभिसूचना तारीख द्वारा सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2025 के नियम 33 के उपनियम (11) या उपनियम (12) के अधीन, सामाजिक सुरक्षा, 2020 (2020 का 36) के अधीन देय रु. का उपदान की रकम के भुगतान के लिए निदेश दिया है।

2. आवेदक यह निवेदन करता है कि उक्त नियोक्ता आपके निदेशानुसार मुझे उपदान की उक्त रकम का भुगतान करने में असफल रहा, यद्यपि मैंने भुगतान के लिए उससे संपर्क किया था।

3. अतः आवेदक प्रार्थना करता है कि आपके निदेशानुसार मुझे उपदान के रूप में उक्त रकम की वसूली के लिए धारा 129 के अधीन एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

स्थान:

तारीख:

टिप्पण—लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

प्ररूप-10

[नियम 35(1)(क), 35 (1)(घ) और 35(1)(च)देखें]

**प्रसवावस्था/गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया/बच्चे के जन्म के लिए चिकित्सा
अधिकारी/चिकित्सकों का प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

1. *मैंने की पत्नी/बेटी की (स्थापन का नाम) महिला कर्मचारी का (तारीख) को जांच की और पाया/नहीं पाया कि वह गर्भवती है और ऊपर उल्लिखित तारीख से (मास और दिन) के भीतर बच्चे का जन्म होना प्रत्याशित है या गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया हुआ है/.....

(तारीख) को बच्चे का जन्म हुआ है या.....(तारीख) से गर्भावस्था से उत्पन्न होने वाले रोग से पीड़ित है या प्रसव या बच्चे का समय से पहले जन्म या गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन/या ट्यूबेक्टॉमी शल्यक्रिया हुआ है।

2. *..... (स्थापन का नाम) में कार्यरत का पत्नी/बेटी श्रीमती का प्रसवावस्था से पहले/ प्रसववस्था के दौरान/ प्रसवावस्था के पश्चात् मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु हो गई या जीवित है।
3. *मैंने (स्थापन का नाम) में कार्यरत का पत्नी/बेटी श्रीमती का (स्थापन का नाम) में कार्यरत एक महिला की जांच की और पाया कि(तारीख) को उसके एक बच्चे का जन्म हुआ है या उसका गर्भपात हुआ है।

*अनावश्यक भाग को काट दें।

चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा व्यवसायी / आशा / एएनएम / ग्राम प्रधान / ग्राम प्रशासनिक अधिकारी / नगर पालिका के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख.....

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) में "बच्चे" और "गर्भपात" की परिभाषाएँ-

1. "बच्चे" के अंतर्गत मृतजात बच्चे भी सम्मिलित है।
2. "गर्भपात" से गर्भावस्था के छव्वीस सप्ताह से पहले या उसके दौरान किसी भी अवधि में सगर्भ गर्भवती की अंतर्वस्तुओं का निष्कासन अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा गर्भपात नहीं आता, जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है।

प्ररूप-11

[नियम 35(2)(क) और (ग) देखें]

(धारा 62 और 63 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा के दावे और उसके भुगतान की सूचना)

सेवा में,

..... (स्थापन का नाम)

भाग 1

[नियम 35(2)(क) देखें]

सूचना

मैं (महिला का नाम) (स्थापन का नाम) में के रूप में नियोजित की पत्नी या बेटी, एतद्वारा सूचित करती हूँ कि मैं इस सूचना की तारीख से अगले छह सप्ताह के भीतर प्रसवावस्था की आशा कर रही हूँ या(तारीख) को एक बच्चे को जन्म दिया है और.....(तारीख) से कार्य से अनुपस्थित रहूँगी। मैं किसी भी स्थापन में उस अवधि के दौरान काम नहीं करूँगी जिसके लिए मुझे प्रसूति प्रसुविधा मिली है।

2. धारा 63 के प्रयोजन के लिए, मैं अपनी मृत्यु की दशा में संहिता के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और/या कोई अन्य देय रकम प्राप्त करने के लिए (यहां नामनिर्देशित का नाम और पता प्रविष्ट करें) को नामनिर्देशित करती हूँ।

महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

महिला हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं होने के मामले में अंगूठे का निशान और एक सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर लगाएं
तारीख.....

भाग 2

[नियम 35(2)(ग) देखें]

प्रसूति प्रसुविधा की प्राप्ति का प्ररूप

मैं,....., अधोहस्ताक्षरी, एक महिला कर्मचारी /महिला कर्मचारी का नामनिर्देशिती या जिले में (स्थापन का नाम) में मृतक महिला कर्मचारी का विधिक प्रतिनिधि ऊपर उल्लिखित स्थापन के नियोक्ता से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और/या अन्य देय रकम प्राप्त की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

रु..... को प्रसूति प्रसुविधा की पहली किस्त का को भुगतान

रु..... को प्रसूति प्रसुविधा की दूसरी किस्त के रूप में प्रसव के पश्चात् को भुगतान

रु..... को कोड की धारा 64 के अधीन मेडिकल बोनस होने के नाते.....को भुगतान

रु धारा 65 के अधीन उल्लिखित से तक छुट्टी की अवधि के लिए वेतन के रूप में।

*मेरा/उसका प्रसवावस्था/गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया को हुआ या मैं/वह को गर्भावस्था/बच्चे का जन्म/बच्चे का असमय जन्म या गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया के कारण बीमार हुई। जिसके फलस्वरूप मुझे..... उसके नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 60, 64 और 65 में निर्धारित पूर्वोक्त रकम प्राप्त हुई है।

*महिला कर्मचारी या उसका नामनिर्देशिती या विधिक प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

यदि महिला हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है और अंगूठे का निशान लगाती है तो एक सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

*अनावश्यक भाग को काट दें।

प्ररूप-12

[38(2) नियम देखें]

धारा 68 के अधीन अपील

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय 6 के अधीन नियुक्त)

.....(पता)

महोदय,

मैं, ... अधोहस्ताक्षरी, ...(स्थापन का नाम और पूरा पता) की महिला कर्मचारी हूँ जिसे कि नियोक्ता द्वारा प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से गलत तरीके से वंचित किया गया है या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार संलग्न कारणों के लिए, कार्य से अनुपस्थिति के दौरान या गलत तरीके

से छुट्टी दे दी गई है या पदच्युत कर दिया गया है, धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन इस अपील को प्राथमिकता दें और अनुरोध है कि मेरे और/या उन्मोचन/पदच्युति के आदेश को रद्द करते हुए उक्त नियोक्ता को उपरोक्त उल्लिखित रकम का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में नियोक्ता के आदेश की एक प्रति संलग्न है।

महिला कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान/
नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि

स्थान

तारीख

महिला कर्मचारी के मामले में एक प्रमाणक के हस्ताक्षर/
नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि है
हस्ताक्षर करने में असमर्थ है और अंगूठे का निशान लगाता है
महिला कर्मचारी/नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप-13-क

[39(1)(क) नियम देखें]

निरीक्षक-सह-सुकारक को शिकायत

सेवा में,
निरीक्षक-सह-सुकारक
(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन)

महोदय,

मैं (महिला कर्मचारी का नाम) (स्थापन का नाम और पूरा पता) में कार्यरत हूं या मैं, (नाम), धारा 62 के अधीन नामनिर्देशिती व्यक्ति या (महिला कर्मचारी का नाम) का विधिक प्रतिनिधि(स्थापन का नाम और पूरा पता) में कार्यरत) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) और उसके तद्विध बनाए गए नियमों में अधिकथित शर्तों को पूरा करने के पश्चात्, प्रसूति प्रसुविधा के रूप में रुपये और / या रु..... चिकित्सीय बोनस होने के नाते और/या रु..... धारा 65 के अधीन छुट्टी के लिए मजदूरी होने के नाते, का हकदार हूं किंतु इसे नियोक्ता द्वारा अनुचित तरीके से रोक दिया गया है / सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार काम से या मेरी अनुपस्थिति के कारण छुट्टी दे दी गई है या पदच्युत कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप नियोक्ता को मुझे रकम का भुगतान करने और/या नियोक्ता द्वारा किए गए उन्मोचन या पदच्युति को अपास्त करने का निदेश दें।

महिला कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान/
नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि

स्थान

तारीख

महिला कर्मचारी जो हस्ताक्षर करने में
असमर्थ है और अंगूठे का निशान लगाता है, के मामले में
एक प्रमाणक/नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
महिला कर्मचारी/नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप-13 - ख
[39(2)(ख) नियम देखें]

अपील

सेवा में,

अपील प्राधिकारी,

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन नियुक्त)

.....(पता)

महोदय,

मैं, अधोहस्ताक्षरी, महिला कर्मचारी/उसका विधिक उत्तराधिकारी/उसका प्रतिनिधि या नियोक्ता/उसका प्रतिनिधि (स्थापन का नाम और पूरा पता) निरीक्षक-सह-सुकारक श्री..... के आदेश से व्यथित हूँ। ज्ञापन में उल्लिखित तथ्यों और इसके साथ फाइल किए गए अन्य दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए धारा 72 की उपधारा (3) के अधीन इस अपील को प्रस्तुत करते हूँ।

*धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन अपने आदेश से इनकार, प्रसूति प्रसुविधा या अन्य रकम (रकम की प्रकृति) जिसके लिए (महिला कर्मचारी का नाम) हकदार है और/या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार काम के दौरान या काम से अनुपस्थिति के कारण (महिला कर्मचारी का नाम) के उन्मोचन या पदच्युति को अपास्त करने से इनकार कर दिया। (अनावश्यक भाग काट दें)

* यह प्रस्तुत किया जाता है कि (महिला कर्मचारी का नाम) / प्रसूति प्रसुविधा या उक्त रकम की हकदार नहीं है और/या सही तरीके से उन्मोचन या पदच्युत किया गया है, अतः निरीक्षक-सह-सुकारक के आदेश को अपास्त किया जा सकता है।

*अनावश्यक भाग काट दें

महिला कर्मचारी/व्यथित व्यक्ति/नियोक्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान

तारीख

.....
 महिला कर्मचारी हस्ताक्षर करने में सक्षम
 नहीं है और अंगूठे का निशान लगाता है
 की स्थिति में एक सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर
 नामनिर्देशिनी/विधिक प्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप-14

[40(4) नियम देखें]

(प्रसूति प्रसुविधा और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन बनाए गए नियम का सार)

1. कोई भी नियोक्ता किसी महिला को उसके प्रसव/गर्भपात/गर्भ का चिकित्सीय समापन के तुरंत पश्चात् के छह सप्ताह के दौरान जानबूझकर नियोजित नहीं करेगा और कोई भी महिला उक्त अवधि के दौरान किसी भी स्थापन में काम नहीं करेगी।

2. किसी भी गर्भवती महिला को, इस संबंध में उसके द्वारा किए गए अनुरोध पर, उसके नियोक्ता द्वारा अपेक्षित प्रसव की तारीख से छह सप्ताह पहले की अवधि के ठीक पहले की अवधि के दौरान और छह सप्ताह की अवधि जिसके लिए वह अनुपस्थिति की छुट्टी का लाभ नहीं उठाती है, कोई भी काम जो कठिन प्रकृति का है या जिसमें लंबे समय तक खड़े रहना सम्मिलित है, या जिससे उसकी गर्भावस्था या भ्रूण के सामान्य विकास में बाधा पड़ने की संभावना है, या उसके गर्भपात या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इस दौरान किसी भी अवधि के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. (क) संहिता के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक महिला जिसने वास्तव में नियोक्ता की स्थापन में काम किया है, जिससे वह कम से कम अस्सी दिन की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा का दावा करती है, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, जिसके दौरान उसे काम से निकाला गया था और, या मजदूरी पर संहिता, 2019 (2019 का 29) के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दर या दो सौ रुपये प्रतिदिन, जो भी अधिक हो, उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए प्रसव के दिन से ठीक पहले छह सप्ताह से अधिक नहीं और उस दिन के तुरंत पश्चात् की शेष अवधि के लिए, उसका नियोक्ता उसके औसत दैनिक वेतन की दर पर प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान के लिए दायी होगा:

परंतु कि जहां एक महिला की मृत्यु उस अवधि के दौरान हो जाती है जिसके लिए उसे प्रसूति प्रसुविधा देय है, प्रसुविधा केवल उसकी मृत्यु के दिन तक और उसके पश्चात् के दिनों के लिए देय होगा। तथापि, जहाँ महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है या प्रसूति प्रसुविधा की शेष अवधि के दौरान किसी भी मामले में बच्चे के सिवाय, उसके प्रसव के दिन के पश्चात् किंतु यदि बच्चे की भी उक्त अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे की मृत्यु के दिन तक और उसके पश्चात् के दिन के लिए नियोक्ता प्रसूति प्रसुविधा की पूरी अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान के लिए दायी होगा।

(ख) उसकी अपेक्षित प्रसव की तारीख से पहले की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की रकम का भुगतान नियोक्ता द्वारा महिला को प्ररूप-10 में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि वह गर्भवती है और एक बच्चे का जन्म प्रत्याशित है। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह, और पश्चात् की अवधि के लिए देय रकम का भुगतान नियोक्ता द्वारा महिला को प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अड़तालीस घंटे के भीतर किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन बनाए गए जन्म रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण को प्रस्तुत किया है।

4. (क) किसी स्थापन में कार्यरत और संहिता के उपबंधों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार कोई भी महिला अपने नियोक्ता को प्ररूप-11 में लिखित रूप में सूचना दे सकती है, जिसमें कहा गया है कि उसका प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य रकम जिसके लिए वह संहिता के अधीन हकदार हो सकती है उसे या ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जाता है जिसे वह सूचना में नामनिर्देशिती कर सकती है और वह उस अवधि के दौरान किसी भी स्थापन में काम नहीं करेगी जिसके लिए उसे प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त होती है।

(ख) गर्भवती महिला के मामले में, ऐसी सूचना में वह तारीख वर्णित होगी जिससे वह काम से अनुपस्थित रहेगी, जो उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से छह सप्ताह से पहले की तारीख नहीं होगी।

(ग) कोई भी महिला जिसने गर्भवती होने पर सूचना नहीं दी है, वह प्रसव के पश्चात् शीघ्रतिथी ऐसी सूचना दे सकती है।

(घ) सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता ऐसी महिला को उसके प्रसव के दिन के पश्चात् प्रसूति प्रसुविधा की शेष अवधि की समाप्ति तक स्थापन से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा।

5. (क) संहिता के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार प्रत्येक महिला अपने नियोक्ता से तीन हजार पांच सौ रुपये का चिकित्सीय बोनस प्राप्त करने की भी हकदार होगी, यदि नियोक्ता द्वारा कोई प्रसव पूर्व, प्रसूति और प्रसवोत्तर देखभाल निःशुल्क प्रदान नहीं की जाती है। प्रसूति प्रसुविधा की दूसरी किस्त के साथ चिकित्सीय बोनस का भुगतान किया जाएगा।

(ख) गर्भपात/गर्भ का चिकित्सीय समापन की दशा में, एक महिला, **प्ररूप-10** में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, उसके गर्भपात के दिन के तुरंत पश्चात् छह सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी के साथ छुट्टी की हकदार होगी। **प्ररूप-10** में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 48 घंटों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ग) गर्भावस्था से उत्पन्न होने वाली बीमारी से पीड़ित महिला, प्रसव, बच्चे के समय से पहले जन्म या गर्भपात/गर्भ का चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया, **प्ररूप-10** में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, अनुपस्थिति की अवधि की अनुज्ञा के अतिरिक्त, उसे, यथास्थिति, मातृत्व या गर्भपात/ गर्भ का चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया, के कारण अधिकतम एक मास की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी के साथ छोड़ने के लिए, हकदार होगी। छुट्टी की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान उस अवधि की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर किया जाएगा।

6. बच्चे के जन्म के पश्चात् काम पर लौटने वाली प्रत्येक महिला को, उसे दिए गए आराम के अंतराल के अतिरिक्त, अपने दैनिक कार्य के दौरान बच्चे को दूध पिलाने के लिए 15 मिनट की अवधि के दो अंतराल की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि बच्चा पंद्रह मास की आयु पूरा नहीं कर पाता। एक अतिरिक्त पर्याप्त अवधि, तय की जाने वाली दूरी के आधार पर, क्रेच या उस स्थान से जहां काम के दौरान महिलाओं द्वारा बच्चों को छोड़ा जाता है, की यात्रा के प्रयोजन के लिए अनुज्ञा दी जाएगी, परंतु कि ऐसी अतिरिक्त अवधि 15 मिनट तक होगी।

7. (1) जब कोई महिला संहिता के उपबंधों के अनुसार स्वयं को काम से अनुपस्थित करती है, तो उसके नियोक्ता के लिए ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण उसे उन्मोचन या पदच्युत करना या ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे दिन की छुट्टी को समाप्त करने या उसकी सेवा की शर्तों में से किसी के लिए अलाभकारी परिवर्तन करने या पदच्युति की सूचना देना अविधिमान्य होगा।

(2) (क) किसी महिला को उसकी गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय उन्मोचन या पदच्युत करना, यदि महिला किंतु जिसके लिए उन्मोचन या पदच्युति प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस की हकदार होती तो उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस से वंचित करने का प्रभाव नहीं होगा:

परंतु कि जहां पदच्युति निम्नलिखित में से एक या अधिक कृत्यों के लिए हो, नियोक्ता, महिला को लिखित में आदेश द्वारा, उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कर सकता है-

- (i) नियोक्ता के सामान या संपत्ति का जानबूझकर नाश;
- (ii) कार्यस्थल पर किसी ज्येष्ठ या सह-कर्मचारी पर हमला करना;
- (iii) आपराधिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित है, जिसके परिणामस्वरूप विधि न्यायालय में दोषसिद्धि होती है;
- (iv) नियोक्ता के व्यवसाय या संपत्ति के संबंध में चोरी, कपट, या बेईमानी; और
- (v) इस विषय पर सुरक्षा उपायों या नियमों का जानबूझकर अननुपालन या सुरक्षा उपकरणों या अग्निशमन उपस्करों के साथ जानबूझकर अवरोध।

(ख) प्रसूति लाभ या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कोई भी महिला, ऐसे वंचित होने के आदेश को सूचित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-12 में अपील कर सकती है और ऐसी अपील पर अपने विनिश्चय के बारे में बता सकती है कि क्या महिला को या प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित नहीं होना चाहिए, अंतिम होगा।

8. यदि कोई महिला अपने नियोक्ता द्वारा संहिता के उपबंधों के अधीन अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा के पश्चात् किसी भी स्थापन में काम करती है, तो वह ऐसी अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा के लिए अपना दावा खो देगी।

9. (1) कोई भी महिला जो प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम का दावा कर रही है, जिसके लिए वह संहिता के अधीन हकदार है और कोई भी व्यक्ति यह दावा करता है कि देय भुगतान को दोषपूर्वक रूप से रोक दिया गया है, तो वह प्ररूप-13-क में लिखित रूप में निरीक्षक-सह-सुकारक को शिकायत कर सकता है।

(2) निरीक्षक-सह-सुकारक, स्वप्रेरणा से या प्ररूप-13-क में शिकायत प्राप्त होने पर, जांच कर सकते हैं या जांच करवा सकते हैं और यदि समाधान हो जाता है कि भुगतान दोषपूर्वक रोक दिया गया है, अपने आदेश के अनुसार भुगतान का निदेश दे सकते हैं।

(3) निरीक्षक-सह-सुकारक के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को ऐसे विनिश्चय की सूचना दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्ररूप-13-ख में समुचित सरकार द्वारा विहित प्राधिकरण को अपील कर सकता है।

(4) प्राधिकरण का विनिश्चय जहां उसे या निरीक्षक-सह-सुकारक के लिए अपील की गई है, जहां ऐसी कोई अपील नहीं की गई है, अंतिम होगा।

10. (क) नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक महिला को उसके अनुरोध पर प्ररूप 10, 11, 12, 13-क और 13-ख की मुफ्त प्रतियों की आपूर्ति करेगा।

(ख) विहित प्ररूप में सूचना, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने में असफलता से प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने की हकदार महिला के अधिकार या संहिता के अधीन देय कोई अन्य रकम प्रभावित नहीं होगी। जहां कोई सूचना, अपील या शिकायत विहित प्ररूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में प्राप्त हुई है, संबंधित प्राधिकारी इस तरह के सूचना, अपील या शिकायत की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर महिला को सूचना, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि मामला विहित प्ररूप में हो सकता है।

11. (क) (1) जिस स्थापन में महिलाएं कार्यरत हैं, उसका नियोक्ता प्ररूप-22 में महिला कर्मचारियों का एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा और उसमें स्थापन में सभी महिला कर्मचारियों का विवरण प्रविष्ट करेगा।

(2) महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां स्याही से की जाएंगी और अद्यतित रखी जाएंगी और यह काम के घंटों के दौरान निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी।

(ख) नियोक्ता जिस पर संहिता लागू होता है, प्रत्येक वर्ष में 28 /29 फरवरी को या उससे पहले, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर प्ररूप-23 में पिछले वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के रूप में जानकारी एक एकीकृत वार्षिक विवरणी ऑनलाइन अद्यतन करें:

परंतु कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-सुकारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए गए खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के उत्पादन की अपेक्षा हो सकती है।

स्पष्टीकरण:- "इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।

प्ररूप-15

[41 (1)(क) और(ख)नियम देखें]

नियोक्ता द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में प्रारंभ या उपांतरण के लिए सूचना

1.	स्थापना का नाम और (स्थायी) पता	
2.	नियोक्ता का नाम और पता ब्यौरे	
3.	उस स्थान का नाम और पता/स्थान जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	
4.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता संपर्क ब्यौरे के साथ	
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता	
6.	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की प्रकृति	
7.	कार्य प्रारंभ होने की तारीख (टिप्पणी संनिर्माण प्रारंभ हो गया है)	
8.	कार्य की अनुमानित अवधि	
9.	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य में किसी प्रकार के परिवर्तन/उपांतरण के ब्यौरे	

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा सूचित करता/करते हूँ कि भवन या अन्य संनिर्माण कार्य (कार्य का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक दिनांक है, (दिनांक) से प्रारंभ होने की संभावना है या उसमें उपांतरण होने की संभावना है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल नंबर:

ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

प्ररूप – 16

[नियम 41 (2)(ख) देखें]

भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए उपकर के स्व-निर्धारण का रूप विधान नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

1.	स्थायी स्थापन का नाम और पता	
2.	नियोक्ता का नाम और पते का ब्यौरे	
3.	उस स्थान का नाम और पता/अवस्थान जहाँ भवन या अन्य संनिर्माण कार्य प्रस्तावित है	
4.	प्राप्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता तथा संपर्क ब्यौरे	
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता	
6.	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य का प्रकार/स्वरूप	
7.	कार्य प्रारंभ होने की तारीख (टिप्पणी संनिर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है)	
8.	कार्य की अनुमानित अवधि	
9.	संनिर्माण कार्य का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल	
10.	संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत (पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी/रेरा या अन्य लागू दरों के आधार पर), साथ में नियम 41 के अनुसार मूल दस्तावेज	
11.	चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत	
12.	अनंतिम उपकर की रकम	कुल अनुमानित लागत का प्रतिशत (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित)
		कुल अनुमानित उपकर (रुपयों में)
13.	अग्रिम उपकर का भुगतान, ब्यौरे सहित (परियोजना की स्वीकृति के समय या संनिर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले) या स्रोत पर कटौती।	
14.	उपकर भुगतान के ब्यौरे (टिप्पणी कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक है)	

क्र.सं.	वर्ष	रकम (रुपये में)
14.1	पहला वर्ष	
14.2	दूसरा वर्ष	
14.3	तीसरा वर्ष	
15	उपकर की कुल भुगतान रकम (क्र. सं. 13 + 14)	

घोषणा

- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया नहीं गया है या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के शास्तिक प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं और टिप्पणी भविष्य में उपकर रकम के उपरोक्त स्व-निर्धारण में उल्लिखित कुछ भी है, गलत या अनुपयुक्त पाये जाने पर या तथ्यों को छिपाने या उपकर की रकम की गणना के अधीन पाये जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध दांडिक कार्यवाही की जा सकती है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल नंबर:

ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

उसके रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ, सम्यक् रूप से मुहर लगी हुई।

प्ररूप -17

[नियम 41 (2) (ई) और 41(5) (क)(ख)(ग) देखें]

भवन या अन्य संनिर्माण कार्य को रोकने या कम करने की सूचना

1.	स्थापना का नाम	
2.	स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
3.	स्थापना का पता	
4.	कार्य प्रारंभ करने की तारीख	तारीख मास वर्ष
5.	कार्य की अनुमानित प्रस्तावित अवधि	तारीख मास वर्ष
6.	भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के रुकने या कम करने की तारीख	
7.	नियम 42 के अनुसार दस्तावेजों (मूल) के साथ (यथास्थिति, पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या कुछ अन्य दलों) की दलों के आधार पर संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत।	

8	संनिर्माण कार्य की कुल व्यय लागत		
9	देय उपकर की कुल रकम	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संनिर्माण की कुल खर्च की गई लागत का प्रतिशत	कुल देय उपकर (रुपये में)
10	ब्यौरे के साथ भुगतान किया गया अग्रिम उपकर (परियोजना के अनुमोदन के समय या संनिर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले) / स्रोत पर कटौती, टिप्पणी कोई हो		
11	भुगतान किए गई उपकर का ब्यौरे (जब प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक थी)		
	क्रम सं.	वर्ष	रकम (रुपये में)
	11.1	पहला वर्ष	
	11.2	दूसरा वर्ष	
	11.3	तीसरा वर्ष	
12	भुगतान किए गई उपकर की कुल रकम (क्र. सं. 10 + क्र. सं. 11)		
13.	बकाया उपकर की रकम (क्र. सं. 9 - क्र. सं. 12)		
14	बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, टिप्पणी लागू हो		
15.	अधिक भुगतान उपकर की रकम, यदि लागू हो		
16.	अधिक भुगतान के मामले में, उस बैंक खाते के ब्यौरे जिसमें अधिक रकम वापस की जानी है		
17	टिप्पणी यदि कोई हो		

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियों मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के शास्तिक प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं और टिप्पणी भविष्य में उपकर रकम के उपरोक्त स्व-निर्धारण में उल्लिखित कुछ भी है, गलत या अनुचित पाए जाने पर या तथ्यों को छिपाने या उपकर की रकम की गणना के अधीन पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल संख्या:

ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

उनके रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ, सम्यक् रूप से मुहर लगी हुई।

प्ररूप-18

[नियम 41 (2) (च) और 41 (4) (क), (ग) और (ड.) देखें]

नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के पूरा होने पर विवरणी

1.	स्थापना का नाम और पता (स्थायी)	
2.	नियोक्ता का नाम और पता के ब्यौरे	
3.	उस स्थान का नाम और पता/स्थान जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है	
4.	संपर्क ब्यौरे के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता	
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता	
6.	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की प्रकृति	
7.	कार्य प्रारंभ होने की तारीख (टिप्पणी संनिर्माण प्रारंभ हो गया है)	
8.	कार्य पूर्ण होने की तारीख	
9.	कार्य की अवधि	
10.	संनिर्माण कार्य का कुल पूर्ण क्षेत्र	
11.	नियम 41 के अनुसार दस्तावेजों (मूल) के साथ (यथास्थिति पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या कुछ अन्य दलों) की दलों के आधार पर संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत	
12.	संनिर्माण कार्य की कुल व्यय लागत	
13.	देय उपकर की कुल रकम	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संनिर्माण की कुल खर्च की गई लागत का प्रतिशत
		कुल देय उपकर (रुपये में)
14.	ब्यौरे के साथ भुगतान किया गया अग्रिम उपकर (परियोजना के अनुमोदन के समय या संनिर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले) / स्रोत पर कटौती, टिप्पणी कोई हो	
15.	भुगतान किए गई उपकर के ब्यौरे (जब प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)	
	क्रम सं.	वर्ष
	15.1	पहला वर्ष
	15.2	दूसरा वर्ष
		रकम (रुपये में)

	15.3	तीसरा वर्ष	
16	भुगतान किए गई उपकर की कुल रकम (क्र. सं.14 + क्र. सं.15)		
17.	बकाया उपकर की रकम (क्र. सं.13 – क्र. सं.16)		
18	बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, टिप्पणी कोई हो		
19.	अधिक भुगतान उपकर की रकम, यदि लागू हो		
20.	अधिक भुगतान की दशा में, उस बैंक खाते के ब्यौरे जिसमें अधिक रकम वापस की जानी है		
21.	टिप्पणी कोई प्रयोजन हो		

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियों मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के शास्तिक प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं और टिप्पणी भविष्य में उपकर रकम के उपरोक्त स्व-निर्धारण में उल्लिखित कुछ भी है, गलत या अनुचित पाए जाने पर या तथ्यों को छिपाने या उपकर की रकम की गणना के अधीन पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर
नाम:
दिनांक:
स्थान:
मोबाइल संख्या:
ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

उनके रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ, सम्यक् रूप से मुहर लगी हुई।

प्ररूप-19

[सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 का नियम 44(1) और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 105 देखें]

निर्धारण आदेश या अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए प्ररूप

1	स्थापना का नाम और पता (स्थायी)		
2	नियोक्ता का नाम और पता के ब्यौरे		
3	उस स्थान का नाम और पता/अवस्थान जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है		
4	संपर्क ब्यौरे के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता		
5	प्रस्तावित भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता		
6	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की प्रकृति		
7	कार्य प्रारंभ होने की तारीख (टिप्पणी संनिर्माण प्रारंभ हो गया है)		
8	कार्य पूर्ण होने की तारीख		
9	कार्य की अवधि		
10	संनिर्माण कार्य का कुल पूर्ण क्षेत्र		
11	नियम 41 के अनुसार दस्तावेजों (मूल) के साथ (यथास्थिति पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या कुछ अन्य दरों हो) की दरों के आधार पर संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत		
12	संनिर्माण कार्य की कुल व्यय लागत		
13	देय उपकर की कुल रकम	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संनिर्माण की कुल खर्च की गई लागत का प्रतिशत	देय उपकर की कुल रकम
14	ब्यौरे के साथ भुगतान किया गया अग्रिम उपकर (परियोजना के अनुमोदन के समय या संनिर्माण कार्य आरंभ होने से पहले)/ स्रोत पर कटौती, टिप्पणी कोई हो		
15	भुगतान किए गई उपकर के ब्यौरे (जब प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)		
	क्र. सं.	वर्ष	रकम (रुपये में)
	15.1	पहला वर्ष	
	15.2	दूसरा वर्ष	
	15.3	तीसरा वर्ष	
16	भुगतान किए गई उपकर की कुल रकम (क्र. सं. 14 + क्र. सं. 15)		
17	बकाया उपकर की रकम (क्र. सं. 13 – क्र. सं. 16)		
18	बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, टिप्पणी कोई हो		

19	अधिक भुगतान उपकर की रकम, टिप्पणी लागू हो	
20	निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित उपकर की रकम	
21	नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया उपकर की रकम	
22	निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गई उपकर/बकाया उपकर का भुगतान न करने पर शास्ति की रकम।	
23	सहायक दस्तावेजों के साथ अपील के लिए आधार	
24	टिप्पणी कोई प्रयोजन हो	

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के शास्तिक प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं और टिप्पणी भविष्य में उपकर रकम के उपरोक्त स्व-निर्धारण में उल्लिखित कुछ भी है, गलत या अनुचित पाए जाने पर या तथ्यों को छिपाने या उपकर की रकम की गणना के अधीन पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल संख्या:

ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

प्ररूप-20

[नियम 49(3)(क) देखें]

गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार के एग्रीगेटर द्वारा अंशदान के स्व-निर्धारण के लिए रूपविद्वान
(चालू वर्ष के 30 जून तक जमा किया जाना है जिसमें अंशदान देय है।)

1	एग्रीगेटर की रजिस्ट्रीकरण संख्या (लिन)	
2	एग्रीगेटर का नाम और एग्रीगेटर का पता/स्थान	
3	संपर्क व्यौरे के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता	
4	चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन, अर्थात् उस वर्ष जिसमें अंशदान देय है, के 1 अप्रैल को एग्रीगेटर के साथ लगे गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार की संख्या।	
5	पिछले वर्ष के ऐसे एग्रीगेटर का वार्षिक कारोबार	
6	अनंतिम अंशदान निर्धारण (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं) -	
	6.1 पिछले वर्ष के लिए धारा 114 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित वार्षिक कारोबार का प्रतिशत	
	6.2 पिछले वर्ष के दौरान एग्रीगेटर द्वारा गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकार को देय रकम का 5 प्रतिशत भुगतान किया गया।	
7	देय अंशदान की रकम (रुपये में)	
8	अनंतिम अंशदान का भुगतान, जैसा कि ऊपर निर्धारण किया गया है।	
9	अनंतिम भुगतान के व्यौरे	
10	टिप्पणी, यदि कोई प्रयोजन हो।	

टिप्पण: इस प्रयोजन के लिए, एक एग्रीगेटर के वार्षिक कारोबार में केंद्र सरकार को भुगतान या देय कोई कर, उद्हरण और उपकर सम्मिलित नहीं होगा।

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
मुहर के साथ
नाम:
दिनांक:
स्थान:
मोबाइल नंबर:
ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

प्ररूप – 21

[नियम 49(3)(ख) और (ग) देखें]

गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार के एग्रीगेटर द्वारा जमा की जाने वाली विवरणी के लिए रूपविधान
(वर्तमान वर्ष जिसमें अंशदान देय है, 31 अक्टूबर तक जमा किया जाना है।)

1	एग्रीगेटर की रजिस्ट्रीकरण संख्या (लिन)	
2	एग्रीगेटर का नाम और एग्रीगेटर का पता/अवस्थान	
3	संपर्क ब्यौरे के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता	
4	चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन, अर्थात् उस वर्ष जिसमें अंशदान देय है, के 1 अप्रैल को एग्रीगेटर के साथ लगे गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार की संख्या।	
5	पिछले वर्ष के ऐसे एग्रीगेटर का वार्षिक कारोबार	
6	लेखा के लेखापरीक्षित ब्यौरे के पश्चात अंतिम अंशदान निर्धारण।	(रकम रुपये में)
6.1	पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के अनुसार वार्षिक कारोबार का प्रतिशत	
6.2	गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकार के लिए एग्रीगेटर का 5 प्रतिशत का दायित्व।	
7	देय अंशदान की रकम (रुपये में)	
8	स्व-निर्धारण के आधार पर अनंतिम अंशदान के रूप में भुगतान की गई रकम।	
9	अनंतिम भुगतान के ब्यौरे (रसीद के साथ)	
10	भुगतान किए जाने वाले बकाया अंशदान की रकम (क्र. सं. 7- क्र. सं. 8)	
11	बकाया अंशदान का भुगतान का प्रमाण, यदि कोई हो।	
12	अधिक भुगतान किये गये अंशदान की रकम यदि कोई हो।	
13	अधिक भुगतान के मामले में, उस बैंक के ब्यौरे जिसमें अधिक रकम वापस की जानी है	
14	टिप्पणी यदि कोई हो	

टिप्पण: इस प्रयोजन के लिए, एक एग्रीगेटर के वार्षिक कारोबार में केंद्र सरकार को भुगतान या देय कोई कर, उद्हरण और उपकर सम्मिलित नहीं होगा।

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
मुहर के साथ
नाम:
दिनांक:
स्थान:
मोबाइल नंबर:
ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

प्ररूप- 22

[[नियम 53(1)(क)देखें]

महिला कर्मचारियों का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम
2. महिला का नाम और उसके पिता का (या, यदि विवाहित है, तो पति का) नाम
3. नियुक्ति की तारीख
4. बीमा संख्या (यदि ईएसआईसी के अधीन कवर हो)
5. प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रीकरण संख्या (यदि ईपीएफओ के अधीन कवर हो)
6. कार्य की प्रकृति
7. माह और वर्ष की वे तारीख जिसमें वह नियोजित है, नौकरी से निकाल दिया गया है और नियोजित नहीं किया गया है।

मास	नियोजित दिन की संख्या	बाहर रखे गई दिन की संख्या	नियोजित नहीं किए गए दिन की संख्या	टिप्पणी
क	ख	ग	घ	ड.

8. तारीख जिस दिन महिला ने धारा 62 के अधीन नोटिस दिया है।
9. सेवामुक्ति/पदच्युति की तारीख, यदि कोई हो।
10. धारा 62 के अधीन गर्भावस्था के प्रमाण को प्रस्तुत करने की तारीख।
11. बच्चे के जन्म की तारीख।
12. प्रसव/गर्भपात/गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति/ड्यूबक्टोमी ऑपरेशन/मृत्यु/बच्चा दत्तक ग्रहण के प्रमाण के प्रस्तुति की तारीख।
13. धारा 65 में निर्दिष्ट बीमारी के प्रमाण को प्रस्तुत करने की तारीख।
14. अपेक्षित प्रसव से पहले भुगतान किए गई मातृत्व लाभ की रकम के साथ तारीख।
15. मातृत्व लाभ के पश्चात के भुगतान की रकम के साथ तारीख।
16. धारा 64 के अधीन बोनस की रकम के साथ तारीख, यदि भुगतान कर दिया गया है।
17. धारा 65 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन छुट्टी के कारण भुगतान की गई मजदूरी की रकम के साथ तारीख।
18. धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन छुट्टी के कारण भुगतान की गई मजदूरी की रकम के साथ तारीख और दी गई छुट्टी की अवधि।
19. धारा 62 के अधीन महिला द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम।
20. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे मातृत्व लाभ और/या अन्य रकम का भुगतान किया गया था, उसकी रकम और भुगतान की तारीख।
21. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है और बच्चा जीवित रहता है, तो उस व्यक्ति का नाम जिसे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ की रकम का भुगतान किया गया था और वह अवधि जिसके लिए यह भुगतान किया गया था।
22. महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने वाले स्थापन के नियोक्ता के हस्ताक्षर।
23. निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के उपयोग के लिए टिप्पणी स्तंभ।

प्ररूप - 23

[(नियम 53(5)]

वार्षिक विवरणी

31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड, 2020 (2020 का 37), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36), और वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) और उसके अधीन बनाए गई नियम के लिए एकल वार्षिक एकीकृत विवरणी ऑनलाइन दाखिल की जाएगी।

वार्षिक विवरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

- (1) इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 28 या 29 फरवरी को या उससे पहले भरा और प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) विवरणी के दो भाग हैं अर्थात् भाग-I जिसे सभी स्थापनो द्वारा भरा जाएगा।
- (3) भाग-I के अतिरिक्त, भाग-II, उन स्थापनो द्वारा भरा जाएगा, जो खान हैं।
- (4) 'स्थापन' और 'खान' पद का वही अर्थ होगा जो संबंधित संहिता के अधीन है।
- (5) यह विवरणी, ठेकेदार या श्रम-बल आपूर्तिकर्ता के मामले में, जिसने 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित किया हो और खान के मामले में भले ही संबंधित अवधि में एक दो कर्मकार नियोजित हो, भरी जाएगी।

सभी स्थापनो के लिय लागू- भाग-I।

क. सामान्य सूचना:

क्र. सं.			स्तंभ को भरने के लिए अनुदेश
1.	श्रमिक पहचान संख्या		ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन)
2.	विवरणी की अवधि	से – तक-	अवधि कलेंडर वर्ष होना चाहिए
3.	स्थापन का नाम		
4.	ई-मेल आईडी (नियोक्ता)		
5.	दूरभाष संख्या (नियोक्ता)		
6.	मोबाईल नंबर (नियोक्ता)		
7.	परिसर का नाम		
8.	उप-मोहल्ला		
9.	जिला		
10.	राज्य		
11.	पिन-कोड		
12.	भू-निर्देशांक		
ख(क).	दिवस में कार्य घंटे		
ख(ख).	पालियों की संख्या किसी पाली में घंटों की संख्या		

ग. तैनात श्रमबल का ब्यौरा									
ब्यौरा	सीधे नियोजित				ठेकेदार के माध्यम से नियोजित				कुल योग
कुशलता श्रेणी	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	
1. वर्ष के दौरान किसी भी दिन स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पुरुष/ महिला/ उभयलिंगी (पु/म/अ)	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
2. वर्ष के दौरान स्थापन में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या	संख्या दर्शायी जानी है	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
3. प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या (उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020)	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
4. कार्यरत निश्चित अवधि के कर्मचारी की संख्या	पु/म/उ	पु/म/उ	पु/म/उ	पु/म/उ					
घ. प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों का विवरण									
क्र. सं.	एलआईएन सहित ठेकेदार का नाम		नियोजित ठेका श्रमिक की संख्या						
ड. प्रदान की गई विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं का विवरण									
क्र. सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति		सांविधिक (विधान निर्दिष्ट करें)		भरने हेतु अनुदेश				
1.	क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 24(v) के अनुसार)		बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं		उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां ठेका श्रमिक सहित सौ या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया गया था				
2.	शिशु गृह (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 और उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 24 के अनुसार)		बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं		उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ पचास या अधिक कामगार कार्यरत हैं				

2 क	यदि उपरोक्त 2 नहीं उपलब्ध कराया गया है तो क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता के नियम के तहत शिशुगृह भत्ता दिया जाता है।	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	सामाजिक सुरक्षा संबंधी संदर्भ नियम
3.	एम्बुलेंस कक्ष (उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 की धारा 24(2)(i) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	खान , भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिनमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है, पर लागू।
4.	सुरक्षा समिति (उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 22 (1) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	500 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों और बीओसीडब्ल्यू जिसमें 250 या उससे अधिक कामगार कार्यरत हैं और 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली खदानों के लिए लागू।
5.	सुरक्षा अधिकारी (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 22 (2) के अनुसार)	नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	खान के मामले में 100 या अधिक कामगारों, बीओसीडब्ल्यू के मामले में 250 या अधिक कामगारों और गोदी कार्य के मामले में 500 या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है।
6.	योग्यता प्राप्त चिकित्सक (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 12 (2) के अनुसार)	नियुक्त अर्हता प्राप्त चिकित्सक व्यवसायी की संख्या	प्रतिष्ठान में नियोजित अर्हता प्राप्त चिकित्सक व्यवसायी की न्यूनतम संख्या के लिए कोई विनिर्देश नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा होने के लिए इस विवरण की आवश्यकता होती है।

च. औद्योगिक संबंध:					भरने हेतु अनुदेश
1.	क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है। (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 3)		हां/ नहीं और लागू नहीं		औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार नियोजित हैं
(क)	उसके गठन की तारीख				
2.	क्या सुरक्षा निवारण समिति का गठन किया गया है (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 4)		हां/ नहीं और लागू नहीं		20 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान
3.	प्रतिष्ठानों में पंजीकृत यूनियनों की संख्या				
4.	क्या कोई समझौता संघ मौजूद है (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 14)		हां/ नहीं		
5.	क्या किसी भी समझौता परिषद का गठन किया गया है (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 14)		हां/ नहीं		
6.	वर्ष के दौरान बर्खास्त किए गए, पदच्युत किए गए, छंटनी किए गए या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन कामगारों की संख्या:				
	बर्खास्त किए गए	पदच्युत किए गए	बर्खास्त किए गए / सेवा समाप्त किए गए या हटाए	कुल योग	

			गए		
7.	निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान व्यर्थ गए श्रम दिवस				
क्र. सं.	कारण	अवधि/ तारीख	व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या		
(क)	हड़ताल				
(ख)	तालाबंदी				
8.	छंटनी/ कामबंदी का ब्यौरा				
क्र. सं.	अवधि के दौरान छंटनी किए गए व्यक्तियों की संख्या	छंटनी किए गए कर्मचारियों को किए गए भुगतान का ब्यौरा	अवधि के दौरान कामबंदी से प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या	कामबंदी के कारण व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या	300 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है
1.					
2.					

छ. प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित ब्यौरा:

क्र. सं.	महिला कर्मचारियों की संख्या	मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले महिला कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा बोनस दिया गया	महिला कर्मचारियों की मजदूरी में कटौती, यदि कोई हो, की संख्या
1.				
2.				

ज. बोनस के भुगतान का विवरण:

क्र. सं.	बोनस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक रूप से भुगतान किए गए बोनस की गई कुल राशि	बोनस भुगतान की तिथि

झ. दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और सूचनीय बीमारियों का ब्यौरा:

क्र. सं.	दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके कारण घायल व्यक्ति को उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए	उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या और मृतकों के नाम।	उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओं की कुल संख्या।	प्रभावित व्यक्तियों के विवरण के साथ उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सूचनीय बीमारियों के मामलों की कुल संख्या

	काम करने से रोका जाता है।			
ज- दुर्घटनाओं/ खतरनाक घटनाओं के कारण व्यर्थ गए श्रम दिवस और उत्पादन				
क्र.सं.	दुर्घटना/ खतरनाक घटना	व्यर्थ गए श्रम दिवस	खोया हुआ उत्पादन	

भाग-2 (खदानों के लिए)

क. सामान्य सूचना	
	प्रतिष्ठान का नाम
	कंपनी का नाम/ नियोक्ता का नाम
	संगठन का प्रकार (ड्रॉप डाउन)
	स्वामित्व का प्रकार (ड्रॉप डाउन)
	खनिज का प्रकार (ड्रॉप डाउन)
	खनिज का नाम
	खान का प्रकार (ड्रॉप डाउन)
	खुलने की तारीख
	खान कोड
	समापन की तारीख (यदि कोई हो)
	फिर से खोलने की तारीख (यदि कोई हो)
	गहराई में , मीटर में

ख. खान में नियोजित सांविधिक कार्मिक (31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या
1.			

ग. सुरक्षा मानकों की तुलना में कार्य करने का तरीका

	पद्धति का नाम (नाम स्पष्ट करें) (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)		
	क्यू.मी./ टन में उत्पादित खनिज की मात्रा		
	क्यू.मी./ टन में हटाए गए अपशिष्ट/ उपरिभार की मात्रा		
	कार्य के स्तर (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)	विकास/ निष्कर्षण/ मिश्रित	
	सी यू. एम में अनुमेय रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु

	सी यू. एम में वास्तविक रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु
	ओवरहैंग का क्षेत्रफल		निष्कर्षण स्तर हेतु
	उत्पादित कोयले के प्रति टन सी यू. मीटर में जारी की गई अधिकतम ज्वलनशील गैस		विकास स्तर हेतु
	समस्त पिट ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
	प्रत्येक पिट के लिए अलग प्रवेश		
	समस्त डम्प ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
	प्रत्येक डम्प के लिए अलग प्रवेश		
	अग्नि का क्षेत्रफल वर्ग मी. में		
	जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए जाने वाले तटबंध की लंबाई		
	जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए गए तटबंध की लंबाई		
	संविधि के अनुसार अपेक्षित/ उपलब्ध कराई गई घेरेबंदी की लंबाई		
	परित्यक्त खानों के मामले में अपेक्षित सील किए जाने वाले अपेक्षित मुहानों की संख्या		
	परित्यक्त खानों के मामले में सील किए गए मुहानों की संख्या		
	आयोजित किए गए मॉक ड्रिल की संख्या और कर्मचारियों के कवरेज के साथ मॉक ड्रिल आयोजन की तारीख		
	तेल/ गैस कुओं की संख्या: ड्रिलिंग के अधीन/ उत्पादन के अधीन/ कार्याधीन (ड्रॉप डाउन मेनू के अनुसार)		तेल और गैस खानों के लिए
	कुओं की संख्या जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है		तेल और गैस खानों के लिए
	यदि उपरोक्त बिन्दु 19 के दृष्टिगत हैं, तो की गई कार्रवाई		
	जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है उन कुओं के संबंध में की गई कार्रवाई		तेल और गैस खानों के लिए
	किसी भी दिन में प्रयुक्त विस्फोटक की अधिकतम मात्रा (कि.ग्रा. में)		सभी प्रकार के खानों के लिए
	क्या भवन या संरचना जिसका कोई नियोक्ता नहीं है, खतरे के क्षेत्र में है?	हां/ नहीं/ लागू नहीं	कोयला और लौह अयस्क धातु के लिए
	वर्ष हेतु खान में स्थापित/ तैनात मशीनरी की कुल एचपी/किलोवाट		सभी प्रकारों के खानों के लिए

घ. चिकित्सा जांच- आरंभिक/ आवधिक (आईएमई/ पीएमई)

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की कुल संख्या:

विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
की गई आईएमई जांच	
की गई पीएमई जांच	

चिकित्सकीय रूप से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित	
चिकित्सा अयोग्यता के कारण वैकल्पिक रोजगार दिया गया	
चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने के कारण नियोजन समाप्त किया गया	

ड. प्रदान किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की संख्या

विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
प्रदान किया गया बुनियादी व्यावसायिक प्रशिक्षण	
पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया	
विशेष प्रशिक्षण दिया गया	

च. दुर्घटना, जोखिमकारी घटना और उपजीविकाजन्य रोगों का ब्यौरा:

(1) दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का ब्यौरा:

क्र.सं.	दुर्घटनाओं/जोखिमकारी घटनाओं की तारीख	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर शारीरिक चोट पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या (गंभीर शारीरिक चोट को छोड़कर) और जिस कारण 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका गया	घटना की प्रकृति	व्यर्थ गए श्रम दिवस

(2) उपजीविका जन्य बीमारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	अधिसूचित बीमारी	मामलों की संख्या
1.		

छ. सुरक्षा प्रबंधन योजना का ब्यौरा:

(क) तैयार की गई सुरक्षा प्रबंधन योजना: (हां/ नहीं/ लागू नहीं)

(ख) जमा करने की तारीख

(ग) सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की अंतिम तारीख

(घ) पहचान किए गए प्रमुख खतरे:

क्र.सं.	पहचान किए गए प्रमुख खतरों की सूची	प्रमुख जोखिम शमन तारीख	31 दिसंबर तक शमन न किए गए प्रमुख खतरे	इनका शमन न किए जाने के कारण
1.				

ज. खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)

(क) खानों के लिए: (खान नियोक्ता द्वारा भरा जाना)

(i) खानों की सेवा करने वाले बचाव केंद्र का भू-निर्देशांक के साथ पता;

(ii) खान मुहाने से बचाव केंद्र की दूरी; -----(किमी में)

(iii) क्या खान द्वारा खान बचाव केंद्र स्थापित किया गया है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)
(बचाव केंद्र के लिए)

खान बचाव केंद्र के लिए (अधीक्षक, बचाव केंद्र द्वारा भरा जाना है)

- (i) खान के नियोक्ता का नाम जहां एमआरएस केंद्रित है:
- (ii) एमआरएस का पता:
- (iii) अधीक्षक का नाम:
- (iv) बचाव केंद्र द्वारा देखभाल किए जाने वाले खानों का ब्यौरा:

क्र.सं.	खानों के नाम	एमआरएस से खान की दूरी (कि.मी. में)

(v) बचाव केंद्र में तैनात कार्मिक का विवरण

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या

(vi) उपकरण/ उपस्कर का विवरण:

क्र.सं.	अपेक्षित उपकरण/ उपस्कर के प्रकार	उपलब्ध उपकरण/ उपस्कर की संख्या

(vii) आपातकालीन स्थिति में उपस्थित होने का विवरण:

क्र.सं.	खान का नाम	आपातकालीन स्थिति की प्रकृति	प्रतिक्रिया समय (आपातकालीन स्थिति में भाग लेने के लिए बचाव सेवाओं द्वारा लिया गया समय)	बचाव और बहाल करने में लिया गया समय	की गई कार्रवाई

(viii) अतिरिक्त सूचना:

बचाव कक्षों की संख्या:

अपेक्षित बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:

उपलब्ध बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:

क्या कैंटीन की सुविधा मौजूद है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि सारणियों को विधिवत भरा गया है और सभी सारणियों में दी गई सूचना और आँकड़े मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

नियोक्ता/ अधिभोगी/ नियोक्ता/ एजेंट/ प्रबंधक का हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

भाग 3

31 दिसम्बर को समाप्त अवधि की वार्षिक विवरणी
(प्रधान नियोजक द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाए)

प्रधान नियोजक का नाम:

प्रतिष्ठान का नाम:

प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या (एलआईएन):

ठेकेदारों, भुगतान की गई मजदूरी का ब्यौरा, आदि:

क्र. सं.	माह	ठेकेदारों का नाम और पता	ठेकेदार का एलआईए न	कार्य का नाम	नियोजि त ठेका कामगारों की अधिकत म संख्या	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के अनुसार ठेकेदार को भुगतान की गई राशि (ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस आदि सहित)	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के भुगतान की तारीख	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी की राशि (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी के भुगतान की तारीख (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	टिप्प नियां

तारीख:

प्रधान नियोजक के

हस्ताक्षर

भाग 4

श्रम सुविधा पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ/ईएसआईसी अंशदान वर्ष के लिए स्व-घोषणा पत्र: वर्ष ____	
पैन संख्या हुआ)	एल आई एन (स्वतः भरा)
ईपीएफ कोड संख्या स्वतः भरा हुआ) (संपादन योग्य): शाखा कोड संख्या (स्वतः भरा हुआ) (संपादन योग्य)	ईएसआई कोड संख्या (स्वतः भरा हुआ) (संपादन योग्य): उप-कोड संख्या (स्वतः भरा हुआ) (संपादन योग्य)

वेतन/मजदूरी और ईपीएफओ के संबंध में अंशदान का विवरण

1	2	3	4 = (2+3)	5	6	7	8=(5+7)	9	10	11	12=(9-10)	13
महीने/ वर्ष	एसएस कोड/योजना के तहत सदस्यता के लिए पात्र कर्मचारियों की कुल संख्या	एसएस कोड/योजना के तहत सदस्यता के लिए अपात्र कर्मचारियों की कुल संख्या	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या	एसएस कोड/योजना के तहत सदस्यता के लिए पात्र कर्मचारियों को भुगतान किया गया कुल वेतन	एसएस कोड/योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को भुगतान किया गया कुल ईपीएफ वेतन	एसएस कोड/योजना के तहत अपात्र कर्मचारियों को भुगतान किया गया कुल वेतन	सभी कर्मचारियों को भुगतान किया गया कुल वेतन	कुल देय अंशदान (स्तम्भ 6 के आधार पर)	भुगतान किया गया कुल अंशदान	भुगतान की तारीख	शेष देय राशि	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बकाया राशि का भुगतान किया जाना है
04/20..												
05/20..												
06/20..												
07/20..												
08/20..												
09/20..												
10/20..												
11/20..												
12/20..												
01/20..												
02/20..												
03/20..												

- सभी सदस्यों के योगदान विवरण वाली वेतन-पत्रक का प्रपत्र - 8 ख (मजदूरी, ओवरटाइम और कटौतियों का रजिस्टर) के अनुसार अपलोड करें।

उन कर्मचारियों का विवरण जो नामांकित नहीं हैं, किंतु सदस्य बनने के पात्र हैं:								
क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	लिंग	आधार संख्या	पिता का नाम	जन्म तारीख	कार्यकार करने की तारीख	निकासी की तारीख (यदि पहले ही निकासी कर ली गई)	संदाय मजदूरी

ठेकेदारों का विवरण:

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम और पता	ईपीएफ कोड संख्या	ईएसआई कोड संख्या	कार्य की प्रकृति	किसी भी दिन नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया कुल भुगतान

<* यदि सीएलसी अनुज्ञप्ति डेटा उपलब्ध है, तो ठेकेदार का विवरण उससे पहले से भरा जा सकता है; साथ ही, अन्य ठेकेदारों को जोड़ने का विकल्प भी उपलब्ध है।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iv) के तहत, नियोक्ता द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में योगदान के रूप में दावा किए गए कर लाभ का विवरण:

वित्तीय वर्ष	योगदान	कर लाभ

दस्तावेज़ अपलोड करें:

क्र. सं.	दस्तावेज़ का नाम	<पोर्टल में अपलोड फ़ील्ड>
1.	बैलेंस शीट*	वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट के लिए अपलोड फ़ील्ड
2.	प्ररूप 26AS*	वित्तीय वर्ष के फ़ॉर्म 26कत के लिए अपलोड फ़ील्ड
3.	प्ररूप 26Q*	वित्तीय वर्ष के फ़ॉर्म 26थ के लिए अपलोड फ़ील्ड

* अनिवार्य क्षेत्र

(नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iv):

"किसी निर्धारित द्वारा एक नियोक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में अंशदान के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि; जो भविष्य निधि को मान्यता देने या अधिवार्षिकी निधि को अनुमोदित करने के उद्देश्य से निर्धारित सीमाओं के अधीन होगी, जैसा भी मामला हो; और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो बोर्ड उन मामलों में निर्दिष्ट करना उचित समझे जहाँ अंशदान वार्षिक नियत राशि के रूप में नहीं हैं, या "वेतन" मद के अधीन प्रभार्य आय, या अंशदान, या निधि के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में किसी निश्चित आधार पर तय वार्षिक अंशदान के रूप में नहीं हैं।"

प्ररूप – 24

[नियम 54 (1), (2) और (3) देखें]

धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के लिए पहली बार संहिता के उपबंधों के अधीन किए गए अपराध के लिए नियोक्ता को नोटिस

नोटिस संख्या

तारीख:

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि आपने स्थापन (रजिस्ट्रेशन संख्या) के नियोक्ता होते हुए नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार संहिता या उसके अधीन विरचित स्कीम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अपराध किया है: -

भाग – I

1.	व्यक्ति का नाम:	
2.	स्थापना का नाम और पता:	
3.	स्थापना की रजिस्ट्रेशन संख्या:	
4.	अपराध का विशिष्टियां:	
5.	संहिता/स्कीम/नियमों/विनियमों के उपबंध जिनके अधीन अपराध किया गया है:	
6.	अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली अपेक्षित शमन राशि:	
7.	क्रमांक संख्या 6 में विनिर्दिष्ट राशि जमा करने हेतु खाते का नाम और व्यौरे:	

भाग –2

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके पास इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर भाग-I के क्रम संख्या 6 में उल्लिखित संपूर्ण राशि का भुगतान करने और इस नोटिस के भाग-3 में सम्यक् रूप से आवेदन को वापस करने का विकल्प है।

यदि उक्त राशि का भुगतान विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में कोई और अवसर दिए बिना अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(हस्ताक्षर)

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

तारीख:

स्थान:

सेवा में:

.....(नियोक्ता/स्थापन)

.....(नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या)

.....(पता)

भाग – 3

[नियम 54 (2) देखें]

अपराध के शमन के लिए धारा 138 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन

संदर्भ: सूचना संख्या

तारीख :

अधोहस्ताक्षरी ने भाग-1 के क्रम 6 में विनिर्दिष्ट पूरी राशि जमा कर दी है और भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, और भाग-1 में उल्लिखित अपराधों का शमन करने का अनुरोध किया गया है।

8. जमा की गई शमन राशि के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रसीद की प्रति संलग्न करें):

9. उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन के ब्यौरे, यदि दायर की गई है, तो दिया जा सकता है:

10. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया है, यदि किया है, तो अपराध का पूरा ब्यौरा:

11. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है:

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम)

तारीख:

स्थान:

सेवा में:

(शमन अधिकारी)

(कार्यालय का नाम)

(पता)

भाग – 4

[नियम 54 (3) देखें]

संरचना प्रमाण-पत्र

संदर्भ: नोटिस संख्या

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 133 की उप-धारा के अधीन अपराध जिसके संबंध में नोटिस संख्या तारीख: _____श्री(आवेदक), को जारी किया गया था.....के नियोक्ता (स्थापना का नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या) ने पूरी राशि रु..... (रुपये _____) को उक्त नोटिस की संतुष्टि के लिए अपराधों की संरचना के एवज में छूट के आधार पर शमन (कंपाउंडेड ऑन एकाउन्ट ऑफ रिमीशन) किया है।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

स्थान:

सेवा में:

(नियोक्ता/स्थापन)

(नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या)

(पता)

प्ररूप-25

[नियम 56(1)(घ) और 56 (3)(ख) देखें]

कैरियर केंद्रों को रिक्तियों की रिपोर्टिंग करने के लिए प्ररूप
(प्रत्येक प्रकार के पदों के लिए पृथक प्ररूपों का उपयोग किया जाएगा)

1	नियोक्ता की विशिष्टियां: नाम: पिन कोड के साथ पता: टेलीफोन नंबर: मोबाइल नंबर: ईमेल पता: स्थापन का नाम और प्रकार (केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सैक्टर उपक्रम, स्वायत्त, निजी, आदि) कोड के अधीन स्थापना की रजिस्ट्रेशन संख्या: आर्थिक गतिविधि ब्यौरे:	
2.	मांगपत्र अधिकारी की विशिष्टियां: नाम: पद: टेलीफोन नंबर : मोबाइल नंबर: ईमेल पता :	

3.	रिक्ति (रिक्तियों) की विशिष्टियां: क. रिक्ति (रिक्तियों) का पदनाम / नाम पदधारी जो भरा जाना है ख. पदों के कर्तव्यों की प्रकृति/वर्णन ग. क्षेत्र (जॉब रोल/फंक्शनल रोल)	
	घ. अर्हताएं/ अपेक्षित कौशल (शैक्षिक, तकनीकी, अनुभव)	अनिवार्य वांछनीय/पसंदीदा (प्रिफेरेबिल)
	(i) शैक्षिक अर्हताएं (ii) तकनीकी अर्हताएं (iii) कौशल (iv) अनुभव	
	ड. आयु सीमा, यदि कोई हो (आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार आयु)	
	च. वरीयताएँ (जैसे भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व्यक्ति, महिलाएँ, आदि) यदि कोई हों	
	छ. रिक्तियों की संख्या	
	ज. रोजगार की अवधि (i) 3-6 माह (ii) 6-12 माह (iii) 12 माह और अधिक	पदों की संख्या
	झ. परीक्षा अवधि, यदि कोई हो और इस अवधि के दौरान देय वेतन या भत्ते	
	ञ. भविष्य निधि के उपबंध यदि लागू हों	
	ट. कार्य के घंटे/अवकाश/शिफ्ट/प्रोन्नति के अवसर	
	ठ. यात्रा भत्ता	
	ड. नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं i. अवास सुविधा ii. कार्यस्थल पर चिकित्सा सुविधाएं iii. कार्यस्थल पर शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाएं	
	ढ. आवेदन करने की अंतिम तारीख	
4	क्या रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जाति (अनुसूचित जातियों), अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजातियों), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों), अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्गों), भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी), आदि, जैसे किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण/वरीयता देने की व्यवस्था के लिए कोई दायित्व (ओब्लिगेशन) है: हां/नहीं (यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की श्रेणियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नीचे दिए गए ब्यारों के अनुसार दें)	
	श्रेणी	भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या

	(क) अनुसूचित जाति (ख) अनुसूचित जनजाति (ग) ओबीसी (घ) ईडब्ल्यूएस (ङ.) भूतपूर्व सैनिक (च) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) (छ) महिलाएं (ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	कुल	* प्राथमिकता वाले अभ्यर्थियों द्वारा *(केंद्रीय सरकार की रिक्तियों के लिए लागू)
5.	वेतन और भत्ते: सरकारी रिक्तियों के लिए: मूल वेतन/प्रति माह वेतन के साथ पद के वेतन स्तर/ वेतनमान का अन्य व्यौरों यदि कोई हो, के साथ उल्लेख करें। अन्य के लिए: अन्य व्यौरों, यदि कोई हो, के साथ प्रति माह न्यूनतम कुल परिलब्धियों का उल्लेख करें।		
6.	कार्य का स्थान (नगर/गांव और जिले का नाम, पिन कोड, आदि जिसमें यह स्थित है)		
7.	आवेदन का तरीका (ई-मेल, ऑनलाइन, लिखित रूप में, आदि) और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख।		
8.	उस अधिकारी का विशिष्टियां जिसे आवेदन पत्र भेजे जाएंगे/अभ्यर्थियों को संपर्क करेंगे। (ऑनलाइन के मामले में नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी, पता, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट का पता का उल्लेख करें)		
9.	साक्षात्कार का स्थल		
10.	भर्ती का तरीका {कैरियर केंद्र, प्लेसमेंट अभिकरण, स्व-प्रबंधन, किसी अन्य मोड के माध्यम से (विनिर्दिष्ट करें)}		
11.	क्या कैरियर केन्द्र के साथ रजिस्ट्रीकृत पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त करना चाहते हैं	हां/नहीं	
12.	कोई अन्य सुसंगत जानकारी		

मुहर और तारीख सहित स्थापना/नियोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम
(आधिकारिक उपयोग के लिए- कैरियर केंद्र द्वारा भरा जाना है)

13.	कैरियर केंद्र का नाम, पता, ईमेल आईडी	
14.	रिक्तियों की प्राप्ति की तारीख	
15.	स्थापना का एनआईसी कोड/	
16.	पद का एनसीओ कोड	

17	विशिष्ट रिक्ति आईडी (संख्या)	
18	आदेश संख्या / डायरी संख्या	

हस्ताक्षर
मुहर और तारीख के साथ कैरियर केंद्र के प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

टिप्पणी:

1. कैरियर केंद्र, जहां रिक्तियों की सूचना(रिपोर्टिंग) दी जाती है, रिपोर्ट की गई रिक्ति के लिए एक अनोखा रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगा और इसे नियोक्ता को लिखित रूप में, ई-मेल या डिजिटल रूप से या किसी अन्य ऐसे मीडिया के माध्यम से तुरंत सूचित करेगा परन्तु किसी भी मामले में रिक्तियों की सूचना (रिपोर्टिंग) प्राप्त होने की तारीख से पूर्वोत्तर राज्यों में सात कार्य दिवस से अधिक नहीं और अन्य राज्यों में तीन कार्य दिवस से अधिक नहीं होगा।
2. एक नियोक्ता, यदि किसी मीडिया में उस रिक्ति का विज्ञापन करता है या किसी अभिकरण या किसी अन्य माध्यम से भर्ती करता है, तो उस विज्ञापन या भर्ती प्रक्रिया में उस विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या को अनिवार्य रूप से उद्धृत करेगा।
3. कैरियर केंद्र को पहले से ही दिए गए विवरण में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको, यथास्थिति, लिखित रूप में या वैध आधिकारिक ईमेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से (एक पोर्टल के माध्यम को सम्मिलित करते हुए) उपयुक्त कैरियर केंद्र को सूचित किया जाएगा।

प्ररूप-26

[नियम 56(1) (घ) और 56 (6) देखें]
प्ररूप ईआईआर (रोजगार सूचना रिटर्न)

.....समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक विवरणी (रिटर्न)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय 13 - रोजगार सूचना और मॉनीटरिंग) के अधीन निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना है।

नियोक्ता का नाम और पता	
नियोक्ता की ईमेल आईडी	
नियोक्ता का मोबाइल नंबर / संपर्क नंबर	
संस्था का नाम	
इकाई का प्रकार (कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक कार्यालय, खान, बागान, आदि)	
स्वामित्व का प्रकार (फर्म/एसोसिएशन/व्यक्तिगत/साझेदारी/कंपनी, आदि)	
क्या प्रधान कार्यालय है – यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें	

शाखा कार्यालय यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें (क) (ख) (ग)	
प्रतिष्ठान का प्रकार (पब्लिक सेक्टर (केंद्रीय)/ पब्लिक सेक्टर (राज्य)/ प्राइवेट सेक्टर)	
व्यवसाय की प्रकृति/मुख्य गतिविधि	
श्रम पहचान संख्या—(एल.आई.एन. संख्या)	
कोड के अधीन स्थापना रजिस्ट्रीकरण संख्या	
1. (क) नियोजन अंशकालिक श्रमिकों और प्रशिक्षुओं को छोड़कर, काम करने वाले स्वामी /साझेदारों/आकस्मिक भुगतान किए गए और ठेका श्रमिकों, आउट-सोर्स श्रमिकों सहित स्थापना की कुल जनशक्ति। (आंकड़ों में हर वह व्यक्ति सम्मिलित होगा जिसको मजदूरी (वेतन) या सैलरी दिया जाता है)।	
श्रेणी पुरुष औरत अन्य (ट्रांसजेंडर) कुल : पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति) उपरोक्त कुल में से	पिछले वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अत्यधिक कुशल कुशल अर्ध-कुशल अत्यधिक कुशल कुशल अर्ध-कुशल

2. वर्ष के दौरान हुई रिक्तियों की संख्या* और कैरियर केंद्र को रिपोर्ट की गई रिक्तियों की संख्या और वर्ष के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या				
रिक्तियां हुई	रिपोर्ट की गई		भरी गई	स्रोत (कैरियर केंद्र/एनसीएस पोर्टल/सरकारी भर्ती अभिकरण/निजी प्लेसमेंट संगठन/अन्य)
	कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय)	कैरियर केंद्र (केंद्रीय)		
1	2	3	4	5

*सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय 13) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार।

3. श्रमबल की कमी (शोर्टेज):

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/पद खाली रहे।

व्यवसाय का नाम या पद का पदनाम	खाली (नहीं भरी गई) रिक्तियों/पदों की संख्या		
	कौशल/योग्यता (शैक्षिक/तकनीकी/अनुभव) विहित (प्रिस्क्राईब्ड)	आवश्यक	वांछनीय
1	2	3	4

(कृपया किन्हीं अन्य व्यवसायों को भी सूचीबद्ध करें जिनके लिए इस प्रतिष्ठान को हाल ही में उपयुक्त आवेदक प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई थी।)

4. अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उपजीविकाजन्य वर्गीकरण द्वारा अनुमानित जनशक्ति की आवश्यकता (कृपया प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या अलग से नीचे दें)।

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या				
	कृपया सेवानिवृत्ति/विस्तार या पुनर्गठन के कारण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक व्यवसाय में रिक्तियों की यथासंभव अनुमानित संख्या दें।				
विवरण	पुरुष	महिला	अन्य (उभयलिंगी)	कुल	कुल में से पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति)
1	2	3	4	5	6
*					
कुल :					

* स्तंभ में (विवरण) - सटीक शब्दों का प्रयोग करें जैसे इंजीनियर (मैकेनिकल), सहायक निदेशक (धातुकर्मी); अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री); पर्यवेक्षक (सिलाई), निरीक्षक (स्वच्छता), अधीक्षक (कार्यालय), प्रबंधक (बिक्री), प्रबंधक (लेखा), कार्यकारी (विपणन), डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि।

मुहर और तारीख सहित स्थापन/नियोक्ता के प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

सेवा में,

कैरियर केंद्र (केंद्र),

.....

टिप्पण:- 1. यह विवरणी(रिटर्न) संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय-13 रोजगार सूचना और मॉनीटरिंग) के अधीन अपने दायित्व के अधीन प्रतिष्ठानों / नियोक्ताओं द्वारा कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को प्रदान की जानी है।

2. नियोक्ताओं से जानकारी प्राप्त करने का मुख्य प्रयोजन यह जानना है (i) उपलब्ध रिक्तियों/रोजगार के अवसरों को; (ii) कर्मियों (व्यक्तियों) के प्रकार को जो कम आपूर्ति में हैं; और (iii) नौकरी चाहने वालों को उपजीविकाजन्य मार्गदर्शन प्रदान करके भविष्य में नौकरी के अवसरों को और उन्हें नियोक्ताओं के साथ जोड़ना। यह कौशल आवश्यकताओं का पता लगाने में भी सहायक है। नियोक्ता भी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए कैरियर केंद्रों पर कॉल कर सकेंगे।

प्ररूप - 26 (क)

[नियम 56(1)(घ) देखें]

नियोजनार्थी सूचना प्रतिवेदन प्ररूप

क्रम संख्या	विशिष्टियां	विवरण
1.	नाम:	
2.	पिता का नाम:	
3.	मां का नाम:	
4.	जन्म तारीख:	
5.	जन्म स्थान:	
6.	नियोजनार्थी का आधार नंबर:	
7.	मोबाइल:	
8.	लिंग:	i. पुरुष ii. महिला iii. टीजी(उ.लि) (ट्रांसजेंडर)
9.	स्थान:	I. ग्रामीण II. शहरी
10.	वैवाहिक स्थिति:	i. विवाहित ii. अविवाहित iii. तलाकशुदा iv. विधवा v. विधुर
11.	वर्ग:	i. सामान्य ii. अनुसूचित जाति iii. अनुसूचित जनजाति iv. अन्य पिछड़ा वर्ग
12.	धर्म:	i. हिंदू ii. मुसलमान iii. ईसाई

		iv. सिख v. अन्य																				
13.	आरक्षण श्रेणी:	i. दिव्यांगजन (दिव्यांग) ii. भूतपूर्व सैनिक iii. ईडब्ल्यूएस																				
14.	i.यदि निःशक्तता का प्रकार: दिव्यांग (ओएच/वीएच/एचएच/ हैं: पीडब्ल्यूबीडीअन्य) ii. विकलांगता प्रतिशत: क. 40% से नीचे ख. 40-60 % ग. 60-80% घ. 80% से ऊपर																					
15.	# रोज़गार की स्थिति:	i. कार्यरत ii. बेरोज़गार iii. स्वनियोजित iv. विद्यार्थी																				
16.	ज्ञात भाषा: (प्राथमिक भाषा)	<table><tr><td></td><td>भाषा</td><td>पढ़ना</td><td>बोलना</td><td>लिखना</td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		भाषा	पढ़ना	बोलना	लिखना	1.					2.					3.				
	भाषा	पढ़ना	बोलना	लिखना																		
1.																						
2.																						
3.																						

17.	शारीरिक दक्षता: i ऊँचाई (सेमी में): ii छाती (सेमी में): iii. वज़न (किलोग्राम में): iv. आँखों की रोशनी: v आंशिक विकलांगता: क नेत्रहीन ख बधिर ग मूक					
18.	पिन कोड के साथ पता:					
19.	अर्हता: (उच्चतम शिक्षा से शुरू)					
	परीक्षा उत्तीर्ण	विषय कोड	बोर्ड/ विश्वविद्यालय/	वर्ष	कक्षा/श्रेणी/ ग्रेड	प्रमाणपत्र संख्या

			स्कूल के नाम				
	अन्य प्रशिक्षण/प्रमुख कौशल:						
20.	शिक्षा का माध्यम:						
21.	विशिष्टता/मुख्य विषय						
22.	अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रमाणपत्र						
	i. नाम:						
	ii. वर्ष:						
	iii. जारीकर्ता						
23.	वृत्तिक बांछनीय नियोजन:						
24.	उपजीविकाजन्य मार्गदर्शन:			हां /नहीं यदि हाँ, तो ट्रेड कोड:			
25.	# कार्य अनुभव						
	क्षेत्र कोड	संगठन प्रकार	पद का नाम	विशेषज्ञता	अवधि		अनुभव प्रमाण पत्र
					से	को	हाँ
		केंद्रीय/राज्य/ केंद्रीय पीएसयू/राज्य पीएसयू/स्थानीय निकाय/ स्वायत्त कंपनी / एनजीओ/ सामेदाारी/ स्वामित्व/ अन्य					
26.	कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपलब्ध (दिवस में)						
27.	भूतपूर्व सैनिक द्वारा भरा जाना है:						
	i. संख्या:						
	ii. कार्यभार ग्रहण करने की तारीख:						

	iii. कार्यमुक्ति की तारीख:	
28.	नौकरी छोड़ने के कारण:	
स्व-रोज़गार (स्व-नियोजन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने हेतु)		
1	क्या आप अभी स्व-नियोजित हैं?	हां नहीं यदि हाँ, तो ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें:
2	(i) स्व-रोज़गार के लिए पहले लिया गया लोन: यदि हां, क. बैंक का नाम ख. शाखा (ii) व्यतिक्रमी: यदि हां, क. देर से भुगतान का कारण ख. शेष राशि	हां नहीं हां नहीं
3	क्या आप स्व-रोज़गार में रुचि रखते हैं: यदि हां, इच्छित स्व-रोज़गार :	हां नहीं
4	क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी वित्तीय संस्थान या बैंक के व्यतिक्रमी हैं? यदि हां, i. बैंक का नाम: ii. शाखा: iii. बकाया राशि:	हां नहीं
उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे द्वारा दी गई जानकारीयों पर आधारित हैं तथा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं।		

टिप्पण: # मद संख्या (15 एवं 25) तक की सूचना प्रस्तुत करने से रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से रोज़गार प्राप्त करने की आपकी संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुलिस विभाग, अर्धसैनिक बलों/सशस्त्र बलों आदि में नियोजन सेवाओं के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने हेतु।

प्ररूप-27

[नियम 59(1) देखें]

प्रतिकर के लिए आवेदन

सेवा में,

कर्मचारी प्रतिकर हेतु सक्षम प्राधिकारी।

आवेदक, निवासी...

बनाम

विपक्षी, निवासी...

एतद्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि:-

(1) आवेदक, जो विपक्षी के यहाँ (या विपक्षी के किसी ठेकेदार के अधीन) नियोजित एक कर्मचारी है, उसे तारीख ____ माह ____ वर्ष 20__ को अपने नियोजन के दौरान और नियोजन से उत्पन्न एक दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट आई। चोट का कारण था (यहाँ सामान्य भाषा में चोट का संक्षिप्त कारण लिखें)

(2) आवेदक को निम्नलिखित चोटें आई, अर्थात्:--

(3) आवेदक का मासिक वेतन ____ रुपये है। आवेदक की आयु 15 वर्ष से अधिक/कम है।

(4) (क) दुर्घटना की सूचना तारीख ____ माह ____ को दी गई थी।

(ख) सूचना यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप में दी गई थी।

(ग) दुर्घटना की सूचना (नियत समय पर) इस कारण से नहीं दी जा सकी: ____

(5) तदनुसार आवेदक निम्नलिखित प्राप्त करने का पात्र है:--

(क) ____ रुपये का अर्ध-मासिक भुगतान तारीख ____ से ____ तक।

(ख) ____ रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान।

(6) आवेदक ने समझौते के माध्यम से निपटान सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाए किए हैं, अर्थात्: ____ लेकिन विवादित प्रश्न का निपटारा करना असंभव रहा क्योंकि: ____

*अतः आपसे अनुरोध है कि विवादित निम्नलिखित प्रश्नों का निर्धारण करें, अर्थात्: --

(क) क्या आवेदक 'संहिता' के अर्थ के अंतर्गत एक कर्मचारी है;

(ख) क्या दुर्घटना आवेदक के नियोजन के दौरान या नियोजन से उत्पन्न हुई थी;

(ग) क्या दावा की गई प्रतिकर की राशि, या उस राशि का कोई भाग देय है;

(घ) क्या विपक्षी ऐसा प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी है जो देय है;

(ङ) आदि, (यथा अपेक्षित)

तारीख 20.

आवेदक

* जो खण्ड लागू नहीं होते उन्हें हटा दें।

प्ररूप-28

[नियम 59(2) देखें]

आवेदक द्वारा प्रमाणपत्र

सेवा में
कर्मचारी प्रतिकर के लिए सक्षम अधिकारी

यह निवेदित किया जाता है कि: -

मैं/हम घोषित करते हैं कि प्रपत्र 27 में दिए गए विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा भरे गए उक्त प्रपत्र में न तो कुछ छिपाया गया है और न ही किसी तथ्य को दुर्व्यपदेशित से प्रस्तुत किया गया है।

तारीख:

आवेदक

प्रपत्र -29

[नियम 58(1) देखें]

चूंकि (आवेदक) द्वारा के विरुद्ध प्रतिकर का दावा किया गया है और उक्त आवेदक ने दावा किया है कि वह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय 7 की धारा 92 की उप-धारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन आवेदन करने का पात्र है;

और चूंकि अधोहस्ताक्षरी का यह समाधान हो गया है कि उक्त आवेदक उपरोक्त दावा प्रस्तुत करने का पात्र है;

अतः, अब कर्मचारी प्रतिकर हेतु सक्षम प्राधिकारी/..... सरकार को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी संहिता के उपबंधों के अनुसार आवेदक के दावे का निपटान करने का प्रस्ताव करता है।

तारीख:

सक्षम प्राधिकारी

प्रपत्र-30

[नियम 62(1) देखें]

सेवा में

.....

महोदय,

एक दुर्घटना जो कि दिनांक पर (यहां परिसर का विवरण दर्ज करें) घटित हुई और जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता हुई, की रिपोर्ट नीचे दी गई है :-

1. (क) कर्मचारी का नाम ----- लिंग ----- आयु -----

(ख) मासिक वेतन

- (ग) रोजगार की प्रकृति
- (घ) नियोक्ता का नाम
- (ङ.) कर्मचारी/आश्रितों का पूरा डाक पता (स्थानीय और स्थायी दोनों)।
- (च) कारखाने/ संस्था का पूरा डाक पता जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

2. कर्मचारी की मृत्यु/अक्षमता की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां:—

- (क) दुर्घटना का समय
- (ख) वह स्थान जहाँ दुर्घटना हुई
- (ग) मृतक उस समय किस प्रकार कार्यरत था/थे
- (घ) दुर्घटना का कारण

3. धारा 81 के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की गई धनराशि।

- 4. (क) भुगतान किए गए प्रतिकर का विवरण, यदि कोई हो
- (ख) मृतक कर्मचारी के आश्रितों के लाभ के लिए निवेश किए गए धन का विवरण।

5. निम्नलिखित दस्तावेज (मूल रूप में) अग्रेषित करें:—

- (क) मृत्यु प्रमाण पत्र
- (ख) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र
- (ग) नियोक्ता द्वारा प्रतिकर जमा करने की रसीद
- (घ) संवितरण विवरण
- (ङ.) कर्मचारी/आश्रितों से प्रतिकर की प्राप्ति
- (च) समझौता ज्ञापन, यदि कोई हो

[फा. सं. आर-11011/03/2020-एसएस-II]

आशुतोष ए.टी.पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 344(E).—Whereas, the draft of the Social Security (Central) Rules, 2025 were published as required under sections 154, 155, 158 and 159 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R. 935(E), dated the 30th December, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the notification was made available to the public on the 30th December, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from persons and stakeholders have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 154 read with sub-section (2) thereof, and sub-section (1) of section 155 read with sub-section (2) thereof and Section 158 and sub-section (1) read with sub-section (2) of section 159 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and read with section 24 of the General Clauses Act, 1897(10 of 1897) in supersession of the-

- (i) Employee's Compensation Rules, 1924;
- (ii) Employee's Compensation (Transfer of Money) Rules, 1935;
- (iii) Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950;
- (iv) Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Rules, 1960;
- (v) Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963;
- (vi) Payment of Gratuity (Central) Rules, 1972;
- (vii) Cine-Workers Welfare Fund Rules, 1984;
- (viii) Employee's Compensation (Venue of Proceedings) Rules, 1996;
- (ix) Tribunal (Procedure) Rules, 1997;
- (x) Employees' Provident Funds Appellate Tribunal (Conditions of Service) Rules, 1997;
- (xi) Building and other Constructions Workers' Welfare Cess Rules, 1998; and
- (xii) Unorganised Workers' Social Security Rules, 2009;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Social Security (Central) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “agency” means any corporation, body or institution, established under an Act of Parliament or central public sector undertaking or special purpose vehicle as notified by the Central Government;

(b) “appeal” means an appeal preferred under the Code;

(c) “Appellate authority” means in Central sphere, the Central Government or the authority specified by the Central Government under sub-section (8) of section 56 or in State sphere, an officer, senior in rank to the Assessing Officer for the purposes of section 105, appointed by the State Government, as the case may be;

(d) “Assessing Officer” means a gazetted officer of a State Government or an officer of a local authority holding an equivalent post to a gazetted officer of the State Government appointed by such State Government for assessment of cess under Chapter VIII of the Code;

(e) “Authorised Officer for Employees’ Compensation” means any officer whom the State Government may designate either generally or in respect of any area or class of areas, for the purpose of performing the functions assigned by these rules to the Authorised Officers;

(f) “authority” means the Central Government or the authority specified by the Central Government for the purpose of sub-section (3) of section 72;

(g) “average daily wages during a contribution period” under Chapter IV of the Code in respect of an employee, means the aggregate amount of wages payable to him during that period divided by the number of days for which such wages were payable;

(h) “average daily wages during a wage period” under Chapter IV of the Code means —

(i) in respect of an employee who is employed on time-rate basis, the amount of wage which would have been payable to him for the complete wage period had he worked on all the working days in that wage period, divided by 26 if he is monthly rated, 13 if he is fortnightly rated, 6 if he is weekly rated and 1 if he is daily rated;

(ii) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the complete wage period in the contribution period divided by the number of days in full or part for which he has worked for wages in that wage period:

Provided that where an employee receives wages without working on any day during such wage period, he shall be deemed to have worked for 26, 13, 6 or 1 day or days if the wage period be a month, a fortnight, a week or a day respectively.

Explanation. — Where any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after midnight shall be counted for reckoning the day worked as part of the day preceding;

(i) “benefit period” means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the contribution period, as specified in the regulations made under section 157;

- (j) “career centre (central)” means that career centre as notified by the Central Government;
- (k) “career centre (regional)”, throughout India, except the Union territory of Chandigarh, means the career centre as notified by the respective State Government or the Administration of the Union territory as having jurisdiction –
- (i) over the area in which the establishments concerned are situated; or
 - (ii) over specified classes or categories of establishments concerned or vacancies;
- (l) “career centre (regional) in the Union territory of Chandigarh” means the career centre established either by the Union territory Administration of Chandigarh or by the State Government of Punjab or Haryana, as the case may be, notified by the respective States as having jurisdiction over specified classes or categories of establishments or vacancies:
- Provided that the career centres established by the State Government of Punjab or Haryana shall not have jurisdiction over—
- (i) the public sector offices or establishments other than those belonging to the respective States; and
 - (ii) private sector establishments;
- (m) “cess collector” means an officer appointed by the State Government for collection of cess under Chapter VIII of the Code;
- (n) “chairperson” means the chairperson of the Corporation, the Central Board, the National Social Security Board, the State Unorganised Workers’ Social Security Board, the Standing Committee, the Medical Benefit Committee or the Executive Committee, as the case may be;
- (o) “chartered engineer” means a person having an engineering degree and the corporate membership of the Institution of Engineers (India);
- (p) “Code” means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (q) “contribution period” means the period not exceeding six consecutive months, as specified in the regulations made under section 157;
- (r) “electronically” means any information submitted by email or uploading on the designated Portal or digital payment in any mode for the purpose of the Code;
- (s) “excluded vacancies” means those vacancies which have been excluded from the purview of the section 139 under the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 140;
- (t) “Form” means a form appended to these rules;
- (u) “fund” means the Employees’ State Insurance Fund referred to in section 25, the Provident Fund, the Pension Fund and the Employees’ Deposit-Linked Insurance Fund referred to in section 16 or the Social Security Fund referred to in section 141, as the case may be;
- (v) “Government Securities” means Government Securities as defined in the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006);
- (w) “immovable property” includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;
- (x) “movable property” means property of every description except immovable property;

(y) “nodal officer” means a person designated by the Building Workers’ Welfare Board or the State Government to facilitate the registration, renewal and updation electronically or otherwise or to perform any other function relating to building workers from the private sector, State Government, Central Government and public sector undertakings or local authority including supervising and monitoring the functions of the beneficiary registering officers designated by the appropriate Government;

(z) “nomination” means nomination made under section 55;

(za) “register of women employees” means a register of women employees maintained under rule 53;

(zb) “Schedule” means the Schedule to the Code;

(zc) “section” means a section of the Code;

(zd) “ShramSuvidha Portal” means the portal of the Ministry of Labour and Employment with such name;

(ze) “specified” means specified by an order of the Central Government or any State Government or any officer so authorised by such Government;

(zf) “standard benefit rate” means average daily wages obtained by dividing the total wages paid during the contribution period by the number of days for which these wages were paid;

(zg) “transferring authority” means any authority in any country which transfers or causes to be transferred any lump sum awarded under the law relating to employees compensation in such country and applicable for the benefit of any person residing or about to reside in India; and

(zh) “year” means the financial year, beginning from the 1st day of April and ending with the 31st day of March of the following year.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

3. Manner and conditions of making the provisions of Chapter III or Chapter IV inapplicable to an establishment.— (1) The employer of an establishment to which the provisions of Chapter III or Chapter IV have been made applicable under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the Code, may apply electronically on the specified portal to the Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, for making such provisions inapplicable to the establishments, subject to the condition that the employer and the majority of the employees of that establishment agree in writing to such request.

(2) The Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, shall decide the application under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the Code within a period of sixty days from the date of receipt of the application:

Provided that if no decision is taken by the Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, within the period of sixty days from the date on which the application is made, the permission under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the Code, as the case may be, shall be deemed to have been granted with effect from the date of completion of such sixty days:

Provided further that no such application shall be entertained if the provisions of Chapter III or Chapter IV have become applicable, in terms of sub-section (4) of section 1 of the Code, to the establishment at any time subsequent to the notification under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the Code, as the case may be:

Provided also that no such application shall be made by the employer of the establishment before five years of such coverage under the provisions of Chapter III or Chapter IV, as the case may be:

Provided also that no such application shall be entertained unless the employer has furnished all returns, paid all dues under the Code and submitted a self-certification to that effect along with the application.

4. Income of dependent parents of employee.—For the purposes of sub-clause (e) of clause (33) of section 2 of the Code, the income from all sources, for the purposes of Chapter IV of the Code shall not exceed fourteen thousand rupees in a month or such amount as may be specified by notification.

5. Registration of establishments and cancellation thereof.—(1)(a) Every employer seeking registration for an establishment not already registered shall apply electronically in Form-I of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, on the Shram Suvidha Portal by furnishing details of the establishment and uploading documents related to registration of the establishment including proof of identity and address of the employers, as specified in the Form.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, Form-I under the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 shall be the common form for registration under these rules.

(b) The Form shall be signed digitally or in such other manner as may be required on the portal.

(c) The applicant shall be responsible for the veracity of all information submitted in the application.

(d) The Permanent Account Number (PAN) of the establishment allotted under Income Tax 2025 (30 of 2025) or any other unique number allotted to the establishment under any other law for the time being in force or any other particular furnished in the form, may be verified online.

(e) The certificate of registration shall be issued in Form-III of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 electronically, if the application is complete in all respects but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto-generated:

Provided that in exceptional circumstances, the Central Government may, by notification and for such period as may be specified therein, dispense with the requirement of electronic registration in respect of establishment or class of establishments, for the whole or any part of India, and submission of application in the Form-I of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 so provided, may be allowed.

(2) The authorised officer under the Code shall direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1) to do so within the time stated therein and such employer shall thereupon comply with the instructions issued by that officer in this behalf.

(3) The employer in respect of an establishment already registered under any other central labour law for the time being in force shall, update the particulars of the employer or establishment on the Shram Suvidha Portal within such period as prescribed under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

(4) Any registration obtained by furnishing wrong information shall be liable to cancellation after the establishment has been given an opportunity to show cause within a period of thirty days from the date on which the notice is served on the concerned employer, electronically or otherwise, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(5) The employer shall quote the registration number on all documents prepared or submitted by him in connection with the Code or the schemes or the rules or the regulations, as the case may be, and in all correspondence with the offices concerned.

(6) Any change in the particulars furnished in the Form-I of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 submitted on the specified portal shall be updated by the employer within thirty days of such change.

(7) The employer of an establishment to which the provisions of the Code apply and whose business activities are in the process of closure, may apply for cancellation of registration in the specified form online on the Shram Suvidha Portal after furnishing complete details and the status of the contribution and other dues payable under the Code.

(8) The application for cancellation of registration shall be allowed after the particulars in the application are verified in such manner as may be specified by the Central Government:

Provided that no such application for cancellation of registration shall be entertained unless the employer has furnished all returns, paid all dues under the Code and submitted a self-certification to that effect along with the application:

Provided further that such application for cancellation shall be decided within a period of ninety days from the date of receipt of the application complete in all respects.

(9) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places in the premises where the work is being carried out.

CHAPTER II

SOCIAL SECURITY ORGANISATIONS

A. CENTRAL BOARD, EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

6. Administration of funds vested in Central Board.—(1) The Central Board shall administer the funds vested in it in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

(2) The Central Board for the efficient administration of the schemes may open as many accounts as it may consider necessary or as specified in the schemes.

(3) All moneys belonging to the funds shall be deposited in the Reserve Bank of India or the State Bank of India or in such other Scheduled Banks as may be approved by the Central Government from time to time or shall be invested as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, Specify.

(4) All expenses incurred in respect of, and loss, if any, arising from any investment shall be charged to the funds.

(5) The funds, not including therein the administration account, shall not be expended for any purpose other than the payment of the sums standing to the credit of individual members of the funds or to their nominees or heirs or legal representatives in accordance with the provisions of respective schemes.

(6) The funds shall be operated upon by such officers as may be authorised in this behalf by the Central Board.

7. Executive Committee. – (1) The Central Board shall perform such functions as may be assigned to it by the Central Government under section 13 and administer the Schemes framed under section 15.

(2) The Executive Committee shall consist of the following members, namely: -

- i. a Chairperson to be appointed by the Central Government from amongst the members of the Central Board;
- ii. two persons appointed by the Central Government from amongst the persons referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 4;
- iii. three persons appointed by the Central Government from amongst the persons referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 4;
- iv. three persons representing the employers elected by the Central Board from amongst the persons referred to in clause (d) of sub-section (1) of section 4;
- v. three persons representing the employees elected by the Central Board from amongst the persons referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 4; and
- vi. the Central Provident Fund Commissioner, *ex officio*.

(3) (a) The Chairperson of the Central Board shall call a meeting of the Board for the purpose of election to the Executive Committee of the members representing the employers or, as the case may be, the employees referred to in sub-clauses (iv) and (v) of sub-rule (2).

(b) The Chairperson of the Central Board may invite the members to propose the names of those members who represent the employers or, as the case may be, the employees and every such proposal shall be duly seconded by another member of the Board.

(c) In case where the number of persons proposed and seconded for election under clause (a) does not exceed the number of vacancies to be filled up from amongst the persons representing the employers, or, as the case may be, the employees, the persons whose names have been so proposed and seconded in relation to the category of employers or employees, shall be declared elected to the Executive Committee.

(d) In case where the number of persons proposed and seconded for election under clause (a) exceeds the number of vacancies to be filled up from amongst the persons representing the employers or, as the case may be, the employees, each member of the Board present at the meeting, other than the Chairperson, shall be given a ballot paper containing the names of all the candidates so proposed and seconded and he may record his votes thereon for as many candidates belonging to the categories of employers or employees, as there are vacancies to be filled up in relation to each such category, but not more than one vote shall be given in favour of any one candidate.

(e) In case where any member votes for more candidates than the number of vacancies in relation to the categories of employers or employees or gives more than one vote in favour of any one candidate, all his votes shall be deemed to be invalid.

(f) The persons getting the highest number of votes shall be declared by the Chairperson as duly elected to the Executive Committee at the same meeting or as soon thereafter as possible:

Provided that where there is an equality of votes between candidates, the Chairperson shall have a casting vote.

(g) In case where any question arises as to the validity of any election, it shall be referred to the Central Government, which shall decide the same.

(4) The Central Board may, by order, constitute one or more committees consisting of as many trustees and officers of the Employees' Provident Fund Organisation, as may be specified in the order:

Provided that the Central Board may also include such persons, who in its opinion, have special knowledge of the subject matter relating to the committee.

(5) The Executive Committee shall function under the general superintendence of the Central Board and assist the Central Board in performance of its functions and shall perform such functions as may be assigned to it by the Central Board.

(6) (a) The term of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and every trustee of the Central Board referred to in clauses (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 4 shall be four years commencing on and from the date on which their respective appointment is notified in the Official Gazette.

(b) The term of office of the Chairperson and every member of the Executive Committee shall be two years, commencing on and from the date on which their respective appointment is notified.

(c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), every trustee or member of the Central Board or Executive Committee, as the case may be, shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette:

Provided that a member of the Executive Committee shall cease to hold office when he ceases to be a member of the Central Board.

(d) A trustee or a member referred to in clauses (a) and (b) appointed to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the trustee or member in whose place he is appointed and shall continue to hold office on the expiry of the term of office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

(e) A person shall be eligible for appointment as a trustee or a member for a maximum of two terms:

Provided that such limitation of terms shall not apply to the Chairperson, Vice-Chairperson, and a trustee or member appointed *ex officio* and such appointment shall be co-terminus with the tenure of the office of the trustee or member, as the case may be:

Provided further that the maximum of two terms shall also include the number of terms for which a person has been appointed as a trustee of the Central Board under clause (d) or clause (e) of sub-section (1) of section 5A of the erstwhile Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

(7) (a) The Central Provident Fund Commissioner shall be the Secretary to the Central Board and also to the Executive Committee.

(b) The Secretary to the Central Board and the Executive Committee shall, in consultation with the Chairperson of the Central Board or the Executive Committee, as the case may be, convene meetings of the Central Board or the Executive Committee, keep a record of their minutes and shall take necessary steps for carrying out the decisions of the Central Board or the Executive Committee, as the case may be.

B. EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

8. The Employees' State Insurance Corporation, Standing Committee and Medical Benefit Committee.—(1) Every person representing each of the States shall be appointed as a member of the Corporation, on nomination by the State Government concerned.

(2) (a) The common seal of the Corporation shall remain in the custody of the Director General of the Corporation and shall not be affixed to any instrument except in the presence of the Director General or two members of the Standing Committee constituted under sub-rule (3) and the Director General or the said two members shall sign the contract in token of the fact that the same was sealed in his or their presence.

(b) The Corporation shall have for use at each of its other offices, as it may specify, an official seal which shall be a facsimile of the common seal of the Corporation with the addition of the name of the office where it is to be used.

(c) The official seal shall not be affixed to any instrument except in the presence of such person or persons as the Standing Committee may authorise in this behalf and such person or persons shall sign the instrument in token of the fact that the same was sealed in his or their presence.

(d) An instrument to which an official seal is duly affixed shall bind the Corporation as if it had been sealed with the common seal of the Corporation.

(3) A Standing Committee of the Corporation shall be constituted from amongst its members, consisting of —

(a) a Chairperson appointed by the Central Government;

(b) three members of the Corporation, appointed by the Central Government;

(c) three members of the Corporation representing such three State Governments thereon as the Central Government shall specify from time to time;

(d) eight members elected by the Corporation as follows, namely: —

(i) three members from among the members of the Corporation representing employers;

(ii) three members from among the members of the Corporation representing employees;

(iii) one member from among the members of the Corporation representing the medical profession; and

(iv) one member from among the members of the Corporation elected by Parliament; and

(e) the Director-General of the Corporation, *ex officio*.

(4) (a) The Chairperson of the Corporation shall, at a meeting of the Corporation at which it is proposed to elect members of the Standing Committee under clause (d) of sub-rule (3), invite members to propose names from among members of the Corporation belonging to the group from which election is to be held and the names proposed shall be duly seconded by another member of the Corporation.

(b) If the number proposed from any group for election does not exceed the number of vacancies to be filled therefrom, the persons whose names have been so proposed shall be declared elected to the Standing Committee.

(c) If the number proposed from a group for election exceeds the number of vacancies to be filled there from, each member of the Corporation present at the meeting shall be given a secret ballot paper containing the names of all the candidates proposed and he shall be required to vote thereon for as many candidates from the group as there are vacancies to be filled up, with one vote in favour of any

one candidate and if any member votes for more candidates than there are vacancies in the group or gives more than one vote in favour of any one candidate, all his votes shall be deemed to be invalid.

(d) The persons getting the highest number of votes shall be declared by the Chairperson at the meeting or as soon thereafter as possible as duly elected to the Standing Committee:

Provided that where an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of one vote will entitle any of the candidates to be declared to be elected, the determination of the person or persons to whom such one additional vote shall be deemed to have been given shall be made by lot to be drawn in the presence of the Chairperson and in such manner as he may determine.

(e) If any question arises as to the validity of any election, it shall be referred to the Central Government whose decision in the matter shall be final.

(5) The powers and duties of the Medical Benefit Committee shall be—

(a) to advise the Corporation in regard to the constitution, setting up, duties and powers of local committees constituted for the purpose of assisting in the administration of medical benefit;

(b) to make recommendations to the Corporation in regard to —

- (i) the scale and nature of medical benefit provided at hospitals, dispensaries, clinics and other institutions and the nature and the extent of the medicines, staff and equipment which shall be maintained at such institutions and the extent to which these fall short of the desired standard;
- (ii) the medical formulary for use in connection with the medical benefit provided under the Code;
- (iii) medical certification for the purposes of the grant of benefits, including the procedure and the forms for such certification, statistical returns, registers and other medical records; and
- (iv) measures undertaken for the improvement of the health and welfare of Insured Persons, and the rehabilitation and re-employment of Insured Persons, disabled or injured;

(c) to advise the Corporation on any matter relating to the professional conduct of any medical practitioner employed for the purpose of providing medical benefit under the Code.

(6) (a) Save as otherwise expressly provided in the Code, the terms of office of members of the Corporation, other than the members referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 and the *ex officio* member, shall be for four years commencing from the date respectively on which their appointment or election is notified:

Provided that a member of the Corporation shall notwithstanding the expiry of the said period of four years, continue to hold office until the appointment or election of his successor is notified:

Provided further that the tenure of non-official members of the Corporation shall not be for more than a total of two terms.

(b) The members of the Corporation referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 shall hold office during the pleasure of the Central Government.

(7) (a) Save as otherwise expressly provided in the Code, the terms of office of a member of the Standing Committee, other than a member referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-rule (3), shall be two years from the date on which his election is notified:

Provided that a member of the Standing Committee shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until the election of his successor is notified:

Provided further that a member of the Standing Committee shall cease to hold office when he ceases to be a member of the Corporation.

(b) A member of the Standing Committee referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-rule (3) shall hold office during the pleasure of the Central Government.

(8) The Standing Committee shall be responsible for administering the affairs of the Corporation and may exercise any of the powers and perform any of the functions of the Corporation as provided under the rules and regulations made under the Code.

C. NATIONAL SOCIAL SECURITY BOARD

9. National Social Security Board.—(1)(a) A member of the National Social Security Board other than an *ex officio* member thereof, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination and shall be eligible for re-nomination:

Provided that a member, other than an *ex officio* member, shall not hold the office for more than total of two terms.

(b) The Central Government shall seek nominations from amongst the representatives of associations of unorganised sector workers and employers' associations of unorganised sector, in the National Social Security Board in the category of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 in such manner as it may determine.

(c) The Central Government shall nominate seven persons under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 from amongst persons of eminence in the fields of labour welfare, management, finance, law and administration.

(d) The Central Government shall seek nominations of two Lok Sabha members from the Speaker of the Lok Sabha and one member from the Chairman of the Rajya Sabha under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, as the case may be.

(e) The Central Government shall nominate ten members under sub-clause (v) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 representing Ministries or Departments of the Central Government, concerned with the matters related to the welfare of the unorganised sector workers.

(f) The Central Government shall nominate five members representing the State Governments under sub-clause (vi) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, and one member representing Union territories under sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 on rotation basis in such manner, as it may determine.

(g) A member nominated under sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, shall cease to be a member of the National Social Security Board, if he ceases to represent the category of interest from which he was so nominated:

Provided that out of seven persons nominated under said sub-clause (i), one member each from the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the minorities and women shall be represented.

(h) A member nominated under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 shall cease to be a member of the National Social Security Board, if he ceases to be a member of the House of Parliament by which he was so elected.

(i) No person shall be chosen as, or continue to be, a member of the National Social Security Board if such person attracts any provision of section 8.

(2) (a) The National Social Security Board for Unorganised Workers constituted under section 6 shall be the Board referred to in sub-section (6) of section 114, for the gig and platform workers.

(b) A member of the National Social Security Board, other than an *ex officio* member thereof, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination and shall be eligible for re-nomination:

Provided that a member, other than an *ex officio* member, shall not hold the office for more than total of two terms.

(c) The Central Government shall nominate five members under clause (a) of sub-section (6) of section 114, as representative of aggregators on rotation basis from amongst the types of the aggregators mentioned in the Seventh Schedule.

(d) The Central Government shall nominate five members under clause (b) of sub-section (6) of section 114 from amongst the gig workers and platform workers, on rotation basis, representing the different types of gig workers and platform workers.

(e) The Central Government shall nominate five members as experts from amongst persons of eminence in the field of labour welfare, management, finance, law, administration, e-commerce or information technology under clause (e) of sub-section (6) of section 114.

(f) In the discharge of functions of the National Social Security Board for the purpose of the welfare of gig workers and platform workers, the quorum for transaction of business at any of the meeting shall be six members.

(g) The National Social Security Board may constitute an expert committee to advise it on matters related to the welfare of gig workers and platform workers, assessment of number of gig workers and platform workers, identifying the new types of aggregators or any other matter related to gig workers and platform workers.

(3) (a) The National Social Security Board, for discharging its functions as assigned to it, under sub-section (7) of section 6, may constitute a committee to deliberate and recommend on the specific issues as may be assigned to such committee;

(b) Such committee may co-opt members from such Board or outside, as the case may be, from the fields of the experts, on which the committee is required to deliberate.

(4) (a) The Central Government shall initiate the process for reconstitution of the National Social Security Board, prior to six months of expiry of the term of the Board.

(b) If the new Board is not re-constituted after completion of the term of the National Social Security Board, such arrangements may be made for discharging the functions of the Board as may be decided by the Central Government for the period till the new Board is constituted, through a notification.

(c) Consequent upon institution of arrangement referred to in clause (b), all actions taken shall have the same effect as if it has been carried out by the Board itself.

(5) (a) A member of the National Social Security Board, not being an *ex officio* member, may resign by a letter in writing addressed to the Central Government.

(b) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(c) The power to accept the resignation of such a member shall vest with the Central Government.

(6) If such a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records:

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

(7) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the National Social Security Board, Member-Secretary of the Board shall submit a report to the Central Government and on receipt of such report, the Central Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy in the manner specified under sub-rules (1) and (2) of rule 9, and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(8) (a) During the pendency of the proceeding, if any, under clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 8, for removal of a member of the National Social Security Board for Unorganised Workers, such member shall abstain from the meetings of the Board;

(b) the decision of the Central Government, on the debarment, dis-qualification and removal of any member under section 8, shall be final.

10. Other welfare measures and facilities.— If, in the opinion of the Central Government, it is necessary, for the improvement of well-being of the building workers, to formulate a new welfare scheme or schemes in a State, Building Workers Welfare Board shall make provisions for such other welfare measures and facilities as may be prescribed by the Central Government.

D. GENERAL

11. Meetings, notice of meetings, list of business and quorum.—(1) (a) The Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any Committee thereof shall, subject to sub-rule (2), meet at such place and time as may be decided by its Chairperson.

(b) The Central Board or the Corporation shall meet at least twice in a year.

(c) The Executive Committee of the Central Board and the Standing Committee of the Corporation shall meet at least four times in a year and the Medical Benefit Committee of the Corporation shall meet at least twice in a year.

(d) The National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board shall meet at least thrice in a year.

(e) The Chairperson of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof may whenever he thinks fit, and shall within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one half of the members of the body concerned call for a special meeting thereof and a requisition so made shall specify the object of the meeting proposed to be called.

(2) (a) A notice of not less than fifteen days from the date of issue, containing the date, time and place of every ordinary meeting of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof, together with a list of business proposed to be transacted and approved by the Chairperson concerned shall be sent to every trustee or member of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building

Workers' Welfare Board or any Committee thereof, as the case may be, through e-mail or speed post (with registration) or by special messenger, and a brief note on each item of the agenda shall be sent along with the agenda as soon thereafter as possible.

(b) When the Chairperson concerned calls an emergency meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof, as the case may be, for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary shall be deemed sufficient and shall be sent to every trustee or member of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any Committee thereof, as the case may be, through e-mail or speed post (with registration) or by special messenger.

(c) No business other than for which the meeting of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any Committee thereof has been convened shall be considered at the meeting except with the permission of the Chairperson of the meeting.

(3) The Chairperson or in his absence the Vice-Chairperson of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board, as the case may be, shall preside over the meeting and in the event of absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the meeting shall be presided over by such trustee or member as may be nominated by the Chairperson.

(4) No business shall be transacted at any meeting of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof unless a quorum of –

(a) eleven trustees in case of Central Board and four members in case of Executive Committee thereof; or

(b) fifteen members in case of Corporation, five members in case of Standing Committee and seven members in case of Medical Benefit Committee thereof; or

(c) ten members in case of National Social Security Board for Unorganised Workers and six members in case of National Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers; or

(d) four members in case of the State Building Workers' Welfare Board;

is present:

Provided that if at any meeting, no sufficient number of trustees or members, as the case may be, are present to form quorum, the Chairperson of the meeting shall adjourn the meeting for an hour and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of trustees or members attending.

(5) (a) If a trustee or member is unable to attend any meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof, as the case may be, he may, by a written instrument, signed by him, addressed to the Chairperson of the concerned body and explaining the reasons for his inability to attend the meeting, appoint any representative of the organisation, which he represents on the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof, as his substitute for attending that meeting of the Central Board or Corporation or

National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof in his place:

Provided that no such appointment shall be valid unless—

- (i) such appointment has been approved by the Chairperson of the body concerned; and
- (ii) the instrument making such appointment has been received by the Chairperson of the body concerned before the date fixed for the meeting.

(b) A substitute validly appointed under clause (a) shall have all the rights and powers of the member to whom he represents in relation to the meeting of the body concerned, in respect of which he is appointed and shall receive allowances, and be under obligations as if he were a trustee or the member appointed under the Code.

(c) A trustee or the member appointing a substitute for attending any meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof under clause (a), shall, notwithstanding anything contained in this sub-rule, continue to be liable for the misappropriation or misapplication of the fund by the substitute and shall also be liable for any act of misfeasance or non-feasance committed in relation to the fund by the substitute appointed by him.

(6) Every question considered at a meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any Committee thereof shall be decided by a majority of the votes of the trustees or members of the body concerned present and voting and in the event of an equality of votes the Chairperson shall exercise an additional casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any question shall be decided by the circulation of necessary papers to the trustees or members of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof and by securing their opinions in writing; and any such question shall be decided in accordance with the opinion of the majority of the trustees or members received within the time-limit allowed and if the opinions are equally divided, the opinion of the Chairperson shall prevail:

Provided further that any trustee or member of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof may request that the question referred to the trustees or members of the concerned body, as the case may be, for written opinion be considered at a meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof and thereupon the Chairperson may, and if the request is made by not less than three trustees or members of the concerned body, shall direct that it be so considered.

(7) (a) The minutes of each meeting showing *inter-alia* the names of the members present there, shall be forwarded to each trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof, as the case may be, and to the Central Government and in the case of the State Building Workers' Welfare Board, the minutes shall be forwarded to each member or any committee thereof, as the case may be, and to the State Government concerned, as soon as possible and in any case not later than four weeks after the meeting.

(b) The records of the minutes of each meeting of the Central Board and the Executive Committee thereof shall be signed by the Central Provident Fund Commissioner with the approval of the Chairperson.

(c) The minutes of the meeting shall be confirmed with such modification considered necessary at the next meeting.

(d) The minutes of a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof shall be kept in separate Books (hereinafter referred to as minute-books) and shall be signed by the Chairperson of the meeting at which the proceedings are confirmed.

(e) A copy of the minutes so confirmed shall be forwarded to the Central Government within fifteen days from the date of such confirmation:

Provided that in the case of State Building Workers' Welfare Board, a copy of the minutes so confirmed shall be forwarded to the State Government concerned within fifteen days from the date of such confirmation.

(f) The minute-books shall be kept open at the principal office of the Central Board or Corporation or National Social Security Board during office hours on working days for inspection free of charge by any of the respective member.

(8) (a) Every non-official trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof, as the case may be, shall be allowed travelling and daily allowance for attending its meetings at the rates admissible to officers of the Central Government holding a post in Level 11 in the pay matrix.

(b) Where such trustee or member, is a Member of Parliament or a Member of State Legislature, he shall be paid travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of the law pertaining to the members of the concerned State Legislature, as the case may be:

Provided that when a Minister is appointed as Chairperson or trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof and attends a meeting, his travelling and daily allowance shall be governed by the rules applicable to him for journeys performed on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(c) No daily or travelling allowance, as the case may be, in respect of any day of journey shall be claimed by a trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof, if he has drawn or will draw allowance for the same from his employer or as a member of the committee or any legislature or of any committee or conference constituted or convened by Government and no travelling allowance shall be claimed, if he uses a means of transport provided at the expense of Government or his employer.

(d) The daily and travelling allowance shall also be payable to a member in respect of the meetings of any sub-committee set up by the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or by any Committee thereof, attended by him.

(e) For attending a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof or meetings of a sub-committee set up by the Central Board or Corporation or National Social Security Board or any Committee thereof, an official trustee or member of the Central Government shall draw his travelling allowance from his department on a scale admissible to him under the Central Government rules and the amounts so drawn shall, on a demand being made therefor by the Central Government, be reimbursed by the Central Board or Corporation or National Social Security Board or Committee thereof to that Government.

(f) Payments shall not be made to a non-official member earlier than the last date up to which the allowance is claimed and the travelling allowance for both the onward and return journeys will be included in the travelling allowance bill and the payment made therefor treated as final, irrespective of the date of completion of the journey.

12. Reconstitution of Corporation, Central Board, National Social Security Board, State Unorganised Workers' Board, Building Workers' Welfare Board or any of the Committees.—

When the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board for Unorganised Workers or the State Unorganised Workers' Social Security Board or the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board has been superseded under the provisions of section 11, the Central Government or the State Government, as the case may be, shall —

(a) appoint or cause to be appointed or elected new trustees or members to the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board for Unorganised Workers or the State Unorganised Workers' Social Security Board or the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board in accordance with section 4 or section 5 or section 6 read with proviso to sub-section (6) of section 114 or section 7, as the case may be; and

(b) in its discretion, make such arrangement for such period as it may think fit, to exercise the powers and perform the functions of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board for Unorganised Workers or the State Unorganised Workers' Social Security Board or the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board.

CHAPTER III**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND**

13. Form, manner, time limits and fees for filing of appeal.—(1) The language of the Tribunal shall be English:

Provided that the parties to the proceedings before the Tribunal may file documents drawn up in Hindi, if they so desire:

Provided further that —

(i) the Tribunal may, in its discretion permit the use of Hindi in the proceedings, but the final order shall be in English;

(ii) the Tribunal hearing the matter, may in its discretion, direct English translation of pleadings and documents to be filed.

(2) (a) An appeal to the Tribunal shall be presented in Form-I by the appellant in person or by an agent or by a duly authorised legal practitioner to the registry or any other officer authorised in writing by the Registrar of the Tribunal to receive the same or be sent by speed post (with registration) with acknowledgement duly addressed to the Registrar.

(b) The appeal under clause (a) shall be presented electronically or in triplicate in a paper-book form along with one unused file size envelope bearing full address of the respondent:

Provided that where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the appeal in paper-book form as there are respondents together with unused file size envelopes bearing the full address of each respondent or electronically shall be furnished by the Appellant:

Provided also that where the number of respondents is more than five, the Registrar may permit the appellant to file the extra copies of the appeal at the time of issue of notice to the respondents.

(c) The Registrar shall cause to be issued an acknowledgement of receipt of the appeal electronically or otherwise in Form-II.

(3) (a) The Registrar, or the officer authorised by him under sub-rule (2), shall endorse on every appeal the date on which it is presented or deemed to have been presented under that rule and shall sign the endorsement digitally or otherwise.

(b) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number.

(c) If the appeal, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Registrar may allow the party to rectify the same in his presence, and if the defect is not formal in nature, the Registrar shall give instruction to the appellant by speed post (with registration) or electronic mail, to remove the defects within a period of fifteen days from the date of the receipt of such intimation.

(d) If the appellant fails to rectify the defect within the specified time under clause (c), the Registrar may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal and inform the appellant accordingly.

(4) The appeal shall ordinarily be filed by the appellant with the Registrar of such Tribunal within whose jurisdiction —

(i) the cause of action has arisen, or

(ii) office of the respondent against whose order relief is sought, is located.

(5) (a) Every appeal filed with the Registrar shall be accompanied by a fee of rupees two thousand to be remitted by electronic transfer or in the form of crossed demand draft on a scheduled commercial bank in favour of the Registrar and payable at the main branch of that Bank at the station where the seat of the said Tribunal is situated.

(b) Any person aggrieved by an order passed under section 125 or section 128 may within a period of sixty days from the date of issue of the order, prefer an appeal to the Tribunal:

Provided that the Tribunal may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within sixty days, extend the said period by a further period of sixty days:

Provided further that no appeal by the employer shall be entertained by the Tribunal unless he has deposited with the respective Fund constituted under section 16, by way of electronic transfer or demand draft, a sum equal to twenty-five per cent of the amount due from him as determined under section 125.

(6) Every appeal filed under sub-rule (2) shall set forth concisely under distinct heads the grounds for such appeal and such grounds shall be numbered consecutively; and the appeal, including any miscellaneous petition shall be filed electronically or typed in double space on both sides on thick paper of good quality.

(7) (a) Every appeal being filed electronically or otherwise shall be accompanied by a paper-book containing —

(i) a copy of the order against which the appeal is filed;

(ii) copies of the documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal;
and

(iii) an index of the documents.

(b) The documents referred to in clause (a) may be digitally signed or attested by a legal practitioner or by a gazetted officer and each document shall be marked serially as Annexures A-1, A-2, A-3 and so on.

(c) Where an appeal is filed by an agent, document authorising him to act as such agent shall also be appended to the appeal:

Provided that where an appeal is filed by a legal practitioner, it shall be accompanied by a duly executed 'Vakalatnama' in digital format or otherwise.

(8) An appeal shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided that they are consequential to one another.

(9) (a) Notices and processes to be issued by the Tribunal may be served electronically or by any of the following modes as directed by the Tribunal, namely:—

- (i) service by the party itself; or
- (ii) by hand delivery (Dasti) through process server; or
- (iii) by speed post (with registration) with acknowledgement due.

(b) Where notice issued by the Tribunal is served by the party himself electronically or by 'Hand delivery' (Dasti), he shall file with the registry of the Tribunal, the acknowledgement, together with an affidavit of service.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (a), the Tribunal may, taking into account the number of respondents and their places of residence or work and other circumstances, direct that notice of the appeal shall be served upon the respondents electronically or in any other manner including any manner of substituted service, as it appears to the Tribunal just and convenient.

(d) Notwithstanding anything done under clause (a), the Tribunal may, in its discretion, having regard to the nature and urgency of the case, direct the service of the notice on the Standing Counsels appointed as such by the Central Government or any State Government or any other authority under the Code, as the case may be.

(e) Every notice issued by the Tribunal shall, unless otherwise ordered, be accompanied by a copy of the appeal along with a copy of the paper-book.

(f) Every appellant shall pay a fee for the service or execution of process in such manner as the Tribunal may direct under clause (c), such a sum, not exceeding the actual charges incurred in effecting the service, as may be determined by the Tribunal.

(g) The fee for the service or execution of processes under clause (c) shall be remitted in the manner specified in sub-rule (5) within one week of the date of the order of the Registrar determining the fee or within such extended time as he may permit.

(h) Notwithstanding anything contained in clauses (a) to (d), if the Tribunal is satisfied that it is not reasonably practicable to serve notice of appeal upon all the respondents, it may, for reasons to be recorded in writing, direct that the appeal shall be heard notwithstanding that some of the respondents have not been served with notice of the application:

Provided that no appeal shall be heard unless -

(i) notice of appeal has been served on the Central Government or the State Government or the Central Board if such Government or Board is a respondent;

(ii) notice of appeal has been served on the authority which passed the order against which the appeal has been filed; and

(iii) the Tribunal is satisfied that the interests of the respondents on whom notice of the appeal has not been served are adequately and sufficiently represented by the respondents on whom notice of the appeal has been served.

(10)(a) Any person intending to contest the appeal, shall file electronically or in triplicate the reply to the appeal and the documents relied upon in paper-book form with the registry of the Tribunal within a period of thirty days of the service of notice of the appeal on him.

(b) In the reply filed under clause (a), the respondent shall specifically, admit, deny or explain the facts stated by the appellant in his appeal and may also state such additional facts as may be found necessary for the just decision of the case and it shall be signed digitally or otherwise and verified as a written statement by the respondent or any other person duly authorised by him in writing in the same manner as provided for in order VI, rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(c) The reply referred to in clause (b) shall be filed along with the documents and the same shall be marked as R-1, R-2, R-3 and so on.

(d) The respondent shall also serve a copy of the reply along with documents as mentioned in clause (c) on the appellant or his legal practitioner, if any, electronically or otherwise and file proof of such service in the registry of the Tribunal.

(e) Where the respondent fails to file the reply within the said period of thirty days, he shall be allowed to file the reply on such other day, as may be specified by the Tribunal, for reasons to be recorded in writing and on the payment of such costs as the Tribunal deems fit, but which shall not be later than sixty days from the date of the service of notice on the respondent for such purpose.

(11) The Tribunal shall notify to the parties the date and the place of hearing of the appeal electronically or otherwise in such manner as the presiding officer of the Tribunal may, by general or special order direct.

(12) (a) The Tribunal shall draw up a calendar for the hearing of cases and, as far as possible, hear and decide the cases according to the calendar;

(b) Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the appeal under section 23, as far as practicable, shall be heard on a day-to-day basis and endeavour shall be made to ensure that the same is decided within a period of one year.

(c) The Tribunal shall have the power to decline an adjournment and also to limit the time for oral arguments.

(13) (a) Where on the date fixed for hearing of the appeal or on any other date to which such hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion, either dismiss the appeal for default or hear and decide it on merits.

(b) Where an appeal has been dismissed for default and the appellant files an application for restoration of appeal within a period of thirty days from the date of dismissal and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the appeal was called for hearing, the Tribunal shall make an order setting aside the order dismissing the appeal and restore the same:

Provided that where the case was disposed of on merits, the decision shall not be reopened except by way of review.

(14) (a) Where on the date fixed for hearing the appeal or on any other date to which such hearing may be adjourned, the appellant appears and the respondent does not appear when the appeal is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion adjourn the hearing or hear and decide the appeal *ex parte*.

(b) Where an appeal has been heard *ex parte* against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, the Tribunal may make an order setting aside the *ex-parte* hearing as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the appeal:

Provided that where the *ex-parte* order is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also:

Provided further that in cases covered by clause (h) of sub-rule (9), the Tribunal shall not set aside *ex-parte* order of an appeal merely on the ground that it was not served upon the respondent or respondents.

(15) (a) In case of death of a party during the pendency of the proceedings before the Tribunal, the legal representatives of the deceased respondent or appellant may apply electronically or otherwise within thirty days of the date of such death for being brought on record as necessary parties.

(b) Where no application is received from the legal representatives of deceased party within the period specified in clause (a), the proceedings against the deceased party shall abate:

Provided that on good and sufficient reasons the Tribunal, on an application, may set aside the order of abatement and substitute the legal representatives.

(16) The Tribunal may, if sufficient cause is shown at any stage of proceedings, grant time to the parties or any of them, and adjourn the hearing of the appeal.

(17) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed digitally or otherwise by the presiding officer who pronounced the order and the order shall be pronounced in open court.

(18)(a) Every final order passed on any appeal shall be communicated to the appellant and to the respondent concerned either electronically or otherwise by hand delivery or by speed post (with registration), free of cost.

(b) If the appellant or the respondent to any proceeding requires a copy of any document or proceeding, the same shall be supplied to him on such terms and conditions on payment of such fees as may be fixed by the presiding officer in consultation with the Central Government by general or special order, issued from time to time.

(19) The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

(20) Except on Saturdays, Sundays and other public holidays, the office of the Tribunal shall, subject to any order made by the presiding officer remain open from 9.30 A.M. to 6.00 P.M.

(21) The sitting hours of the Tribunal shall, ordinarily, be from 10.30 A.M. to 1.30 P.M. and 2.30 P.M. to 5.00 P.M. subject to any general or special order made by the presiding officer.

(22) (a) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall exercise such other functions as are assigned to him under these rules or by the presiding officer by separate order.

(b) The official seal shall be kept in the custody of the Registrar.

(c) Subject to any general or special direction by the presiding officer, the seal of the Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing of the Registrar.

(d) The seal of the Tribunal shall not be affixed to any certified copy issued by the Tribunal save under the authority in writing of the Registrar.

(23) In addition to the powers conferred elsewhere in these rules, the Registrar shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the presiding officer, namely:

—

- (i) to receive all appeals and other documents;
- (ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the appeals before they are registered;
- (iii) to require any appeal presented to the Tribunal to be amended in accordance with the Code and the rules;
- (iv) subject to the directions of the Tribunal, to fix the date of first hearing of the appeals or other proceedings and issue notices thereof;
- (v) to direct any formal amendment of records;
- (vi) to order grant of copies of document to parties to the proceedings;
- (vii) to grant permission to inspect the records of the Tribunal;
- (viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other process for the issue of fresh notices and for extending the time for filing such appeals and to grant time not exceeding fifteen days for filing a reply or rejoinder, if any, and to place the matter before the Tribunal for appropriate order after the expiry of the aforesaid period;
- (ix) to requisition records from the custody of any court or other authority;
- (x) to receive applications, within sixty days from the date of death, for substitution of legal representatives of the deceased parties during the pendency of the appeals;
- (xi) to receive and dispose of applications for substitution, except where the substitution would involve setting aside an order of abatement; and
- (xii) to receive and dispose of application by parties for return of documents.

(24) (a) A person preferring appeal to a Tribunal under section 23 may either appear in person or take the assistance of a legal practitioner of his choice to present his case before the Tribunal.

(b) The Central Government or a State Government or any other authority under the Code may authorise one or more legal practitioner or any of its officers and every person so authorised may present the case on its behalf with respect to any appeal before a Tribunal.

(25) The official seal and emblem of the Tribunal shall be in a round shape bearing name of the Tribunal in capital letters with the National Emblem in the Centre.

(26) The dress for the presiding officer of the Tribunal and member of the staff of the Tribunal shall be such as the presiding officer may specify by order from time to time.

(27) A legal practitioner or, as the case may be, a presenting officer shall appear before the Tribunal in his professional dress, if any, and if there is no such dress, then:

- (i) if a male, in a closed collared coat and trousers or in a lounge suit;
- (ii) if a female, in a saree, or any other customary dress of sober colour.

CHAPTER IV

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

14. Salary and allowances of Director General and Financial Commissioner.—(1) The Director General and the Financial Commissioner appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 24 shall receive such pay and allowances and other benefits as are admissible to officers of the Central Government drawing corresponding level of pay:

Provided that where the Director General or the Financial Commissioner is a person already in the service of the Corporation, he shall be entitled to pension, gratuity and other superannuation benefits to which he would have been otherwise entitled but for his appointment as the Director General or the Financial Commissioner.

(2) (a) The powers and duties of the Director General of the Corporation shall be —

- (i) to act as the Chief Executive Officer of the Corporation;
- (ii) to convene, under the orders of the Chairperson of the Corporation, meetings of the Corporation, the standing committee and the medical benefit committee thereof in accordance with the Code and the rules made thereunder by the Central Government and to implement the decisions reached at the meetings;
- (iii) to enter into contracts on behalf of the Corporation in accordance with the Code or the rules made by the Central Government thereunder or regulations made thereunder, or the general or special instructions of the Corporation or the Standing Committee thereof;
- (iv) to furnish all returns and documents required by the Code or the rules made thereunder by the Central Government, to the Central Government and to correspond with the Central Government and the State Governments upon all matters concerning the Corporation;
- (v) to undertake such other duties and to exercise such other powers as may from time to time, be entrusted to him under the Code and the Central Rules and Regulations made thereunder.

(b) The Director General may, with the approval of the Standing Committee, by general or special order, delegate any of his powers or duties under the Central rules or the regulations or under any resolution of the Corporation or the Standing Committee thereof, as the case may be, to any person subordinate to him and the exercise or discharge of any of the powers or duties so delegated shall be subject to such restrictions, limitations and conditions, if any, as the Director General may, with the approval of the Standing Committee of the Corporation, impose.

(3) The powers and duties of the Financial Commissioner of the Corporation shall, subject to the control of the Director General, be —

- (i) to maintain the accounts of the Corporation and to arrange for the compilation of accounts by the collection of returns from the centres and the regions of the Corporation;
- (ii) to prepare the budget of the Corporation;
- (iii) to arrange for internal audit of the accounts of the centres and the regions of the Corporation and of the receipts and payments thereat;
- (iv) to make recommendations for the investment of the funds of the Corporation; and
- (v) to undertake such other duties and to exercise such other powers as may, from time to time, be entrusted or delegated to him for executive convenience.

(4) The powers of the Corporation under sub-section (7) of section 24 for employing such officers and employees shall be exercised by the Corporation in relation to posts carrying maximum of level 14 in the pay matrix as per the Seventh Central Pay Commission.

15. Investment of Employees' State Insurance Fund or any other money held by Corporation. -

(1) The Corporation shall invest the Employees' State Insurance Fund vested in it in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

(2) The Corporation for the efficient administration of the scheme may open as many accounts as it may consider necessary or as specified in the scheme.

(3) All expenses incurred in respect of and loss, if any, arising from any investment shall be charged to the Employees' State Insurance Fund and the profit, if any from the sale of any investment shall also accrue to the Employees' State Insurance Fund.

(4) Any investment made under this rule may, subject to the provisions of sub-rule (1), be varied, transposed or realised from time to time:

Provided that if such variation, transposition or realisation is likely to result in a loss, the prior approval of the Central Government shall be obtained.

Explanation. — The approval of the Central Government shall not be required merely on the ground that the value of the security on its maturity is less than the price at which it was purchased.

(5) The Central Government may, at any time, direct the vacation in part or in whole, or prohibit investment in any security or class of securities or any land or building.

(6) All dividends, interest or other sums received in respect of any investment shall, as soon as possible after receipt, be paid into or credited to the account of the Employees' State Insurance Fund.

16. Limits for defraying of expenditure.—For the promotion of measures for the improvement of the health and the welfare of insured persons, annual medical examination for insured persons of the age of forty years and above through the Corporation from its own hospitals or dispensaries only and for the rehabilitation and re-employment of insured persons who have been disabled or injured, the Corporation may incur an expenditure up to a limit of rupees one thousand crore per year, or as may be specified by the Central Government from time to time, from the Employees' State Insurance Fund.

17. Holding of property, etc.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as may, from time to time, be laid down by the Corporation, the Director General may, for the purposes of the Code, acquire on behalf of the Corporation movable or immovable property:

Provided that sanction of the Standing Committee of the Corporation shall be required for the exchange of any immovable property, for the taking of any property on lease for a term exceeding thirty six months, or for the acceptance of any gift or bequest of property burdened with an obligation.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as may be laid down by the Corporation from time to time, the Director General may —

(a) dispose of, by sale or exchange, any movable property belonging to the Corporation, the value of which does not exceed rupees one crore in each case, or grant for any term not exceeding twelve months a lease of any immovable property belonging to the Corporation;

(b) with the sanction of the Standing Committee of the Corporation, lease, sell or otherwise dispose of any movable or immovable property belonging to the Corporation.

(3) (a) The Corporation may enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or expedient for carrying into effect the provisions of the Code.

(b) Every contract made under or for any purpose of the Code shall be made on behalf of the Corporation—

(i) by the Director General; or

(ii) subject to such conditions as it may specify, by such member or officer of the Corporation as it may authorise:

Provided that the sanction of the Standing Committee of the Corporation shall be obtained in respect of any contract involving an expenditure exceeding rupees twenty-five crore.

(c) Every contract entered into by any person as provided in clause (b) shall be entered into in such manner and form as would bind him if it were made on his own behalf and may in like manner and form be varied or discharged:

Provided that the common or official seal, as the case may be, of the Corporation shall be affixed to every contract for amounts exceeding rupees five lakh.

(4) (a) The Corporation may, in pursuance of a resolution passed at a meeting of the Standing Committee thereof, and with the prior approval of the Central Government, raise loans for the purposes of the Code.

(b) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Corporation may raise loans —

(i) for the acquisition of land or the raising of buildings thereon or both, as the case may be; or

(ii) to repay a loan raised under this sub-rule; or

(iii) for any other purpose approved by the Central Government.

(c) All loans under this sub-rule shall be obtained —

(i) from the Central Government on such rates of interest and such terms as to the time and method of repayment as the Central Government may specify; or

(ii) with the approval of the Central Government from such bank or banks specified in rule 30.

(d) Where a loan is obtained from such bank or banks specified in rule 31, the Corporation may, with the approval of the Central Government, grant mortgages of all or any of the property vested in it for securing the repayment of the sums so advanced, with interest.

(e) All payments due from the Corporation for interest on, and repayment of, loans shall be made in such manner and at such times as may have been agreed upon:

Provided that the Corporation may apply any sums, which can be so applied, in repayment of any amount due in respect of the principal amount of any loan although the repayment of the same may not be due.

(f) No expenditure incurred out of a loan shall be charged by the Corporation to capital, except with the previous sanction of the Central Government.

(g) The Corporation shall submit to the Central Government an annual statement by the thirtieth of April each year showing the loans raised and repayments made during the preceding year.

18. Insurance of employees.—(1) The employer in respect of an establishment shall before or on the day of taking any person into employment, unless such person is already registered under Chapter IV of the Code, register him by entering his name and Aadhaar number and other details on the specified portal for such purpose and an insurance number shall be automatically allotted to the employee immediately on his registration which shall remain valid for a period of thirty days. Persons already registered under chapter IV shall be added on the specified portal by inserting Insurance number and date of appointment.

(2) On registration under sub-rule (1), the employer shall enter the updated particulars of that employee and family on declaration form available on the specified portal and an Aadhaar linked identity card shall be provided by the Corporation to the insured person and his dependent family members, electronically or otherwise.

(3) The insurance number allotted under sub-rule (1) shall automatically become invalid if the employee's details are not updated on the Declaration form within a period of thirty days or the Aadhaar number provided by the newly employed person is returned unauthenticated by the concerned authorities.

(4) The employer of the establishment shall be responsible for correctness of the particulars of the employee, filled on specified portal by him and the Insured Person shall be responsible for correctness of the particulars of his family submitted to the employer.

(5) The insurance number of an employee will be used by the employer for filing the contributions and for all other purposes in respect of the employee.

(6) The insurance number allotted to the employee under sub-rule (1) shall be used by him for availing any benefits available to him or his family members or both, as the case may be, under the Code.

Explanation.— For the purposes of this rule, “insurance number” means a number allotted by the specified portal to an employee for the purpose of Chapter-IV of the Code, Central rules and regulations made thereunder.

19. Rate of contributions.—(1) The amount of contribution for a wage period shall be in respect of

(a) employer's contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to three and one-fourth per cent. of the wages payable to an employee; and

(b) employee's contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to three-fourth per cent. of the wages payable to an employee.

(2) In respect of an employee who is a person with disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and under the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the employer shall not be required to pay employer's share of contribution up to a maximum period of three years or for such period as may be specified by the Central Government, from the date of commencement of the contribution period.

(3) The employer's share of contribution in respect of such employees and for such period under sub-rule (2) shall be reimbursed to the Corporation by the Central Government.

20. Administrative expenses.—(1) The expenditure incurred by the Corporation on the following items shall be termed as administrative expenses under section 30, namely:—

(a) payment of fees and allowances to members of the Corporation, the Standing Committee and the Medical Benefit Committee and other committees of the Corporation;

(b) payment of salaries, leave and joining time allowances, travelling and compensatory and other allowances, bonus, gratuities and compassionate allowances, pension, contributions to the Provident or other benefit funds and training related expenses of officers and employees of the Corporation;

(c) defraying expenses on depreciation and maintenance of staff cars, office buildings, staff quarters, hiring of accommodation, purchase of furniture, office equipment, stationery, printing and other expenditure in respect of offices of the Corporation;

(d) defraying expenses towards membership subscription to International Organisation, and other services for the purposes of giving effect to the provisions of Chapter IV of the Code;

(e) defraying the cost (including all expenses) of the auditing accounts of the Corporation and of the valuation of its assets and liabilities;

(f) defraying the cost (including all expenses) of the Employees' Insurance Courts set up under the Code;

(g) payment of any sums under any contract entered into for the purposes of the Code by the Corporation or the Standing Committee thereof or by any officer duly authorised by the Corporation or such Standing Committee in that behalf;

(h) payment of sums under any decree, order or award of any Court or Tribunal against the Corporation or any of its officers or servants for any act done in the execution of his duty or under a compromise or settlement of any suit or other legal proceedings or claim instituted or made against the Corporation;

(i) defraying the cost and other charges of instituting or defending any civil or criminal proceedings arising out of any action taken under the Code;

(j) defraying the expenditure in connection with publicity of the Employees' State Insurance Scheme including printing of publicity materials and courses relevant for the purposes of the Code; and

(k) defraying the expenditure on conducting evaluation studies on various aspects of functioning of the Employees' State Insurance Scheme.

(2) The percentage of the total revenue income of the Corporation which may be spent every year on its administrative expenses shall not exceed fifteen per cent.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “Employees’ State Insurance Scheme” means the schemes referred to in Chapter IV of the Code, administered by the Corporation and such Central and state rules, regulations and notifications required to be administered by the Corporation including administrative instructions issued by the Corporation.

21. Limit for funeral expenses.—The amount of funeral expenses for the purposes of proviso to clause (f) of sub-section (1) of section 32 shall be notified by the Corporation and shall be twenty thousand rupees.

22. Qualification for claiming benefits.—(1) Subject to the provisions of the Code and the regulations, a person shall be qualified to claim sickness benefit for sickness occurring during any benefit period if the contributions in respect of him were payable for not less than seventy-eight days in the corresponding contribution period and shall be entitled to receive such benefit at the rate of seventy per cent. of the “Standard Benefit Rate” of that person during the corresponding contribution period rounded to the next higher rupee:

Provided that in case of a person who becomes an employee within the meaning of Chapter IV of the Code for the first time and for whom a shorter contribution period of less than one hundred and fifty six days is available, he shall be qualified to claim sickness benefit if the contribution in respect of him were payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period:

Provided further that in case of an Insured woman in receipt of maternity benefit or an Insured Person in receipt of temporary disablement benefit and owing to such fact, as the case may be, a shorter contribution period is available to her or him, she or he shall be qualified to claim sickness benefit in the corresponding benefit period if the contribution in her or his respect were payable for not less than half the number of days available for working in such shorter contribution period:

Provided also that he shall not be entitled to the benefits for the first two days of sickness except in the case of a spell of sickness following, at an interval of not more than fifteen days, the spell of sickness for which sickness benefits were last paid:

Provided also that sickness benefits shall not be paid to any person for more than ninety-one days in any two consecutive benefit periods.

(2) (a) The sickness benefit may be extended if the person is diagnosed to be suffering from any one or more of the diseases specified in regulations made by the Corporation, provided that the Insured Person has completed four contribution periods immediately preceding the beginning of the spell in which the disease is first diagnosed and has paid contribution for a period of one hundred and fifty six days in the four aforesaid contribution periods and he is eligible to claim sickness benefit at least in one of the aforesaid four contributory periods.

(b) The extended sickness benefit shall be granted only if the Insured Person is otherwise entitled to extended sickness benefit under foregoing provisions but has exhausted the sickness benefit due to him under the fourth proviso to sub- rule (1) or is ineligible to sickness benefit in terms of sub-rule (1).

(c) The sickness benefit may be extended for a maximum period of seven hundred and thirty days including the sickness benefit under fourth proviso to sub-rule (1), subject to the conditions as specified in the regulations made under section 157.

(d) The daily rate of the extended sickness benefit of an insured person shall be eighty per cent. of the “Standard Benefit Rate”.

(3) (a) An insured woman shall be qualified to claim maternity benefits for a confinement occurring or expected to occur in a benefit period, if the contributions in respect of her were payable for not less than seventy days in the immediately preceding two consecutive contribution periods.

(b) Subject to the provisions of the Code and the regulations, if any, an insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) shall be entitled to receive it at the daily rate specified in clause (e) for all days on which she does not work for remuneration during a period of twenty-six weeks of which not more than eight weeks shall precede the expected date of confinement:

Provided that where the insured woman dies during her delivery or during the period immediately following the date of her delivery for which she is entitled to maternity benefits, leaving behind child in either case, the maternity benefits shall be paid for the whole of that period but if the child also dies during the said period, then, for the days up to and including the day of the death of the child, to the person nominated by the insured woman in the manner as specified in the regulations made under section 157, and if there is no such nominee, to her legal representative:

Provided further that the insured woman shall be entitled to twelve weeks of maternity benefit from the date the child is handed over to the commissioning mother after birth or adopting mother, as the case may be:

Provided also that the insured woman having two or more than two surviving children shall be entitled to receive maternity benefits during a period of twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the expected date of confinement.

(c) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) shall, in case of miscarriage or medical termination of pregnancy, be entitled, on production of such proof, as may be required under the regulations made under section 157, to maternity benefits at the rates specified in clause (e), for all days on which she does not work for remuneration during a period of six weeks immediately following the date of her miscarriage or medical termination of pregnancy.

(d) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) in case of sickness arising out of pregnancy, confinement, premature birth of child or miscarriage or medical termination of pregnancy shall, on production of such proof, as may be required under the regulations made under section 157, be entitled, in addition to the maternity benefits payable to her under any other provisions of the Chapter IV, for all days on which she does not work for remuneration to maternity benefits at the rates specified in the clause (e) for all days on which she does not work for remuneration during an additional period not exceeding one month.

(e) The daily rate of maternity benefit payable in respect of confinement occurring or expected to occur during any benefit period shall be equal to the standard benefit rate in respect of the insured woman during the corresponding contribution period, rounded to the next higher rupee.

(4) An insured woman and an Insured Person in respect of his wife shall be paid a sum of rupees fifteen thousand per case as medical bonus on account of confinement expenses:

Provided that the confinement occurs at a place where necessary medical facilities under the Employees’ State Insurance Scheme are not available:

Provided further that confinement expenses shall be paid for two confinements only.

(5) (a) A person shall be qualified to claim disablement benefits for temporary disablement for not less than three days (excluding the day of accident) for the period of such disablement sustained as an employee under the Code.

(b) A person shall be qualified to claim periodical payment for permanent disablement sustained as an employee under the Code whether total or partial, for such disablement:

Provided that where permanent disablement, whether total or partial, has been assessed provisionally for a limited period or finally, the benefit provided under this sub-rule shall be payable for that limited period, or as the case may be, for life.

(c) The daily rate of disablement benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs, rounded to the next higher rupee:

Provided that where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of disablement benefit shall be —

(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages in that wage period, rounded to the next higher rupee;

(ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his wages actually earned or which would have been earned, had he worked for a full day on the date of accident, rounded to the next higher rupee.

Explanation. — The disablement benefit calculated under the foregoing provisions of this sub-rule shall be called the “full rate”.

(d) The disablement benefits shall be payable to the Insured Person as follows, namely: -

(i) for temporary disablement, at the full rate;

(ii) for permanent total disablement, at the full rate;

(iii) for permanent partial disablement resulting from an injury specified, in Part II of the Fourth Schedule, at such percentage of the full rate which would have been payable in the case of permanent total disablement, as specified in the said Schedule as being the percentage of the loss of earning capacity caused by the injury;

(iv) for permanent partial disablement resulting from an injury not specified in Part II of the Fourth Schedule, at such percentage of the full rate payable in the case of permanent total disablement as is proportionate to the loss of earning capacity permanently caused by the injury.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, where more injuries than one are caused by the same accident, the rate of benefit payable under sub-clauses (iii) and (iv) shall be aggregated but not so in any case as to exceed the full rate and in cases of disablement not covered by sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv) at such rate, not exceeding the full rate, as provided in the regulations made under section 157.

(6) Dependants' benefit shall be paid to the dependants of the Insured Person who dies as a result of an employment injury, in the following manner, namely:-

(a) In the case of death of the Insured Person, the dependants' benefit shall be payable to his widow, children and widowed mother as follows, namely: -

(i) to the widow during life until remarriage, an amount equivalent to three-fifths of the full rate and, if there are two or more widows, the amount payable to the widow as aforesaid shall be divided equally between the widows;

(ii) to each legitimate or adopted son, an amount equivalent to two-fifths of the full rate until he attains the age of twenty-five years:

Provided that in the case of a legitimate or adopted son who is infirm and who is wholly dependent on the earnings of the Insured Person at the time of his death, dependants' benefits shall continue to be paid while the infirmity lasts;

(iii) to each legitimate or adopted unmarried daughter, an amount equivalent to two-fifths of the full rate:

Provided that in the case of legitimate or adopted daughter who is infirm and is wholly dependent on the earnings of the Insured Person at the time of his death, dependants' benefit shall continue to be paid while the infirmity lasts.

(iv) to the widowed mother during life an amount equivalent to two-fifths of the full rate:

Provided that if the total of the dependants' benefits distributed among the widow(s) and legitimate or adopted children and widowed mother of the deceased person as aforesaid exceeds at any time the full rate, the share of each of the dependants shall be proportionately reduced, so that the total amount payable to them does not exceed the amount of disablement benefits at the full rate.

(b) In case the deceased person does not leave widow or legitimate or adopted child or widowed mother, dependants' benefits shall be payable to other dependants as follows, namely:-

(i) to the widower during life until remarriage, at an amount equivalent to three-fifths of the full rate;

(ii) to a parent other than the widowed mother or grandparent, for life, at an amount equivalent to two fifths of the full rate and if there are two or more parents (other than widowed mother) or grandparents the amount payable to the parents (other than widowed mother) or grandparents as aforesaid shall be equally divided between them;

(iii) to any other —

(a) male dependant, until he attains the age of eighteen years, (b) female dependant, until she attains the age of eighteen years or until marriage, whichever is earlier or if widowed, until she attains eighteen years of age or re-marriage, whichever is earlier,

at an amount equivalent to two-tenths of the full rate:

Provided that if there be more than one dependant, under sub-clause (ii), the amount payable under this sub-rule shall be equally divided between them:

Provided further that if the total of the dependants' benefits distributed among the other dependants of the deceased person under clause (b) exceeds at any time the full rate, the share

of each of the dependants shall be proportionately reduced, so that the total amount payable to them does not exceed the amount of disablement benefits at the full rate.

(7) The daily rate of dependants' benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs:

Provided that where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of dependants' benefit shall be —

(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages during that wage period, rounded to the next higher rupee;

(ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of wages actually earned or which would have been earned had he worked for a full day on the date of accident, rounded to the next higher rupee:

Provided that the minimum total amount of the periodical monthly payment of dependants' benefit payable to all eligible dependants of a deceased employee, shall be as notified by the Corporation.

(8) At any time when its funds so permit, the Corporation may review and alter the scale of any benefit admissible under the Code and the period for which such benefit may be given.

23. Appeal to Medical Appeal Tribunal.—(1) If the Insured Person or the Corporation is not satisfied with the decision of the medical board, the Insured Person or the Corporation, as the case may be, may appeal against such decision to The Medical Appeal Tribunal referred to in sub-section (7) of section 37 by presenting an application within ninety days from the date of communication of the said decision to the Insured Person or the Corporation, as the case may be:

Provided that the medical appeal tribunal may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

(2) The application, referred to in sub-rule (1), shall be in such form as may be specified in the regulations made under section 157.

(3) The application may be sent to the Chairperson of the Medical Appeal Tribunal by speed post (with registration) or may be presented personally.

24. Second appeal to Employees' Insurance Court. — (1) The Insured Person or the Corporation, as the case may be, may appeal to the Employees' Insurance Court by presenting an application within a period of ninety days from the date of the communication of the decision of the medical board or medical appeal tribunal:

Provided that the Employees' Insurance Court may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

(2) The rules made by the State Government under the Code in respect of the form and manner to be followed in presenting applications to the Employees' Insurance Court, shall be applicable to the applications presented under this rule.

25. Qualification and other conditions of Insured Person and his family for claiming medical benefit.—(1) A person shall be entitled to medical benefit during any period for which contributions are paid or payable in respect of him or in which he is qualified to claim sickness benefit or maternity benefit.

(2) A person who is in receipt of disablement benefit shall be entitled to medical benefit while he is in receipt of such benefit:

Provided that after the disablement has been declared as permanent disablement, the person shall not be entitled to medical benefit, if he is not otherwise entitled to such benefit, except in respect of any medical treatment which may be rendered necessary on account of the employment injury from which the disablement resulted.

(3) A person on becoming an Insured Person for the first time shall be entitled to medical benefit for a period of three months provided that where such a person continues for three months or more to be an employee of an establishment to which the Chapter IV of the Code applies, he shall be entitled to medical benefit till the beginning of the corresponding benefit period.

(4) The person in respect of whom contributions have been paid in a contribution period for not less than seventy-eight days in the said contribution period shall be entitled to medical benefit till the end of the corresponding benefit period:

Provided that in case of a person who becomes an employee within the meaning of the Code, for the first time, and for whom a shorter contributory period of less than one hundred and fifty six days is available, he shall be entitled to medical benefit till the end of the corresponding benefit period if the contributions in respect of him were payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period.

(5) When a person qualifies for extension of sickness benefit as per provision of clause (b) of sub-rule (2) of rule 22 and regulations made on the subject under section 157, he shall be entitled to medical benefit till the end of the relevant extended benefit period.

(6) An Insured Person, whose entitlement to medical benefit has ceased under this rule, shall again be entitled to medical benefit from the date of his re-employment as an employee under Chapter IV of the Code by an establishment to which the Code applies immediately on registration on specified portal for such purpose and such an Insured Person shall, unless he is covered by sub-rule (4) or (5), be entitled to medical benefit till the commencement of the benefit period corresponding to the contribution period in which he is re-employed.

(7) The family of an Insured Person shall become entitled to medical benefit from such date as may be specified by the Corporation, by notification and shall continue to be so entitled so long as the Insured Person is entitled to receive medical benefit for himself, or in the case of death of the Insured Person till such date up to which the Insured Person would have remained entitled to medical care, had he survived.

(8) An Insured Person and his family shall be entitled to receive medical benefit only of such kind and on such scale as may be provided by the State Government or by the Corporation, as the case may be, and an Insured Person or his family shall not have a right to claim any medical treatment except such as is provided by the dispensary, hospital, clinic or other institution to which he or his family is allotted, or as may be provided by the regulations made under section 157.

(9) Nothing in these rules shall entitle an Insured Person and his family to claim reimbursement from the Corporation of any expenses incurred in respect of any medical treatment, except as may be provided by the regulations made under section 157.

(10) An Insured Person who ceases to be in an insurable employment on account of permanent disablement caused due to an employment injury shall be eligible to receive medical benefits for himself and his spouse at the scale to be provided under sub-rule (8), subject to —

(i) the production of proof by such an Insured Person that he ceased to be in an insurable employment on account of permanent disablement due to employment injury to the satisfaction of such officer in such manner as may be authorised by the Corporation;

(ii) the payment of contribution at the rate of fifty rupees per month in lump sum for one year at a time in advance to the concerned office of the Corporation in the manner specified by it; and

(iii) after demise of disabled Insured Person, his spouse shall be eligible to receive medical benefit at the scale as provided in sub-rule (8), subject to payment of contributions specified in clause (ii).

(11) The widow or widower, as the case may be, of an insured person in receipt of dependant benefits shall be eligible to receive medical benefit at the scale to be provided in sub-rule (8) subject to the payment of contribution at the rate of rupees fifty per month in lump sum for one year at a time in advance to the concerned officer of the Corporation in the manner specified by it.

(12) The employer may avail the facility of free annual medical examination in respect of Insured Person of the age of forty years and above through the Corporation from its own dispensaries or hospitals on the scale as provided in the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

26. Employees' State Insurance Society.— (1) The State Government may establish such organisation as an Employees' State Insurance Society (hereinafter refer to as the Society), which shall serve as a managerial and health care body, in terms of sub-section (5) of section 40.

(2) The Society shall consist of the Governing Body, the Executive Committee, the Chief Executive Officer and the Secretariat.

(3) The Society shall be registered under the State specific Societies Registration Act or the State specific Public Trust Act.

(4) The Governing Body of the Society shall consist of the following members, namely: -

- (i) Chief Secretary of the State as Chairperson;
- (ii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Labour or Health) whosoever is overseeing the Employees' State Insurance Services in the State as Vice-Chairperson;
- (iii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Health or Labour) other than appointed under clause (ii) as member;
- (iv) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Finance) as member;
- (v) Director, Employees' State Insurance Services of the State as Chief Executive Officer-cum-Member Secretary;
- (vi) Corporation's Nominee as member;
- (vii) three Employers' Representative nominated by the Corporation as member;
- (viii) three Employees' representatives nominated by the Corporation as member;
- (ix) Regional Director, Employees' State Insurance Corporation as member;
- (x) State Medical Officer, Employees' State Insurance Corporation or any other Medical Officer nominated by the Corporation as member.

(5) The management of the affairs of the Society shall be entrusted to the Governing Body and the property of the society shall be vested in the Governing Body and the Society shall be responsible for repair and maintenance of the properties in the possession of the Society and vested in the Governing Body.

(6) The Society shall have an Executive Committee which shall act for and discharge functions on behalf of Governing Body, consisting of the following members, namely:—

- (i) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Labour or Health) overseeing the Employees' State Insurance Directorate in the State as Chairperson;
- (ii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Health or Labour) other than the Chairperson as Vice Chairperson;
- (iii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Finance) as member,
- (iv) Director-in-Chief of Directorate of Health and Family Welfare of State as member,
- (v) Regional Director of Employees' State Insurance Corporation as member;
- (vi) State Medical Officer of Employees' State Insurance Corporation or any other Medical Officer nominated by the Corporation as member;
- (vii) One Employer Representative as member;
- (viii) One Employee Representative as member;
- (ix) The Director, State Employees' State Insurance Directorate shall be the Chief Executive Officer-cum-Member Secretary.

(7) One third or at least three, whichever is higher, of the filled in posts of the members of the Governing Body or the Executive Committee, shall form the quorum for their meeting and every matter coming up for decision before a meeting of the Governing Body or the Executive Committee, as the case may be, shall be decided by the majority of persons present and voting at the time of meeting and in case of equality of votes, the Chairperson of the meeting shall have an additional casting vote.

(8) The Governing Body shall hold meeting at least twice a year and the Executive Committee shall hold meeting at least once in every three months

(9) The Chairperson, or in his absence, the Vice Chairperson of the Governing Body or the Executive Committee, as the case may be, shall preside at the meeting.

(10) The Society shall establish a secretariat which shall be responsible for day to day management of the Society's activities.

(11) The Chief Executive Officer may be authorised by the Governing Body to execute such contracts on behalf of the Society as it may deem fit in the conduct of the business of the Society, subject to the State Government norms.

(12) The Society shall submit its budget by 10th December of each year and the accounts of the Society shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India.

(13) The financial year of the Society shall be from 1st April to 31st March.

(14) The financial statement for the year ending 31st March shall be prepared by 31st May of the year and an annual report along with annual accounts shall be submitted to the Corporation within six months of the closure of financial year.

(15) It shall have a bank account in the name of the Society to be opened in a Nationalised Bank or any scheduled bank authorised for government agency business and the Society shall be entitled to receive grants, donations, contributions, subscription, bequests, fees, loan or contingency in cash or kind, either in Indian or foreign currency, subject to the approval of Governing Body of the Society.

(16) The tenure of non-official members of the Society shall be two years and no non-official member shall be entitled to more than two terms as a member of the Society.

(17) The Society may sue or be sued in the name of Chief Executive Officer of the Society or of such other members as shall, in reference to the matter concerned, be appointed by the Governing Body for the occasion.

(18) The Society shall engage employees on deemed deputation from the State Government or the Public Sector Undertaking or the Central Government or the Corporation and their pensionary liabilities, if any, shall rest with respective appointing authorities.

(19) The Society shall carry out any other activity as may be specified by the Central Government or as may be directed by the Corporation.

(20) The non-official members of the Governing Body, and the Executive Committee, of the Society shall be allowed travelling allowance and daily allowance for attending its meetings at the rates admissible to the officers of the Central Government holding a post in level 12 in the pay matrix.

27. Capitalised value of benefit payable to the employee.—The capitalised value of the permanent disablement benefit and dependants' benefit shall be calculated by multiplying the daily rate of benefit with the multiplication factor based on age of the Insured Person or the dependants provided in the regulations made under section 157.

28. Terms and conditions for operation of scheme for other beneficiaries.—The terms and conditions for providing benefits under the scheme for other beneficiaries under section 44, such as may be notified, by the Central Government from time to time and user charges shall be as specified by the Corporation from time to time, with the prior approval of the Central Government.

29. Proceedings before Employees' Insurance Court, etc.— (1) The proceedings before an Employees' Insurance Court shall be commenced on application by the Corporation or the aggrieved person or the employer of an establishment, as the case may be.

(2) Subject to the provisions of Chapter IV of the Code and any rules made by the State Government thereunder, all proceedings before the Employees' Insurance Court shall be instituted in the Court appointed for the local area in which the Insured Person was working at the time the question or dispute arose.

(3) If the Court is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before it can be more conveniently dealt with by any other Employees' Insurance Court in the same State, it may, subject to any rules made by the State Government in this behalf, order such matter to be transferred to such other Court for disposal and shall forthwith transmit to such other Court the records connected with that matter.

(4) The State Government may transfer any matter pending before any Employees' Insurance Court in the State to any such Court in another State with the consent of the State Government of that State.

(5) The Court to which any matter is transferred under sub-rule (3) or sub-rule (4) shall continue the proceedings, further from the stage it is transferred to it, as if they had been originally instituted in it.

30. Administration of Fund.—(1) All moneys accruing or payable to the Employees' State Insurance Fund shall be received by such officers of the Corporation as may be authorised by it in this behalf and the amount so received shall as soon as practicable be acknowledged by a receipt electronically or otherwise in such form as specified in the regulations made under section 157 and deposited in the Reserve Bank of India or Banks approved by the Central Government to the account of such fund:

Provided that such bank or banks for depositing the fund shall be a nationalised bank or any scheduled bank authorised for Government agency business.

Explanation. — For the purposes of this rule, - (a) “nationalised bank” means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);

(b) “scheduled bank” means a scheduled bank referred to in section 42 and specified in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and

(c) “authorised bank for Government agency business” means banks notified by the Government of India Department of Expenditure in the Ministry of Finance vide Office Memorandum number S-11021/1(20)/Rly/2008/RBD/2018, dated 7th December, 2016, as amended from time to time.

(2) (a) All moneys accruing or payable to the Corporation shall be credited to the bank or banks approved by the Central Government for such purpose and not utilised directly for any purpose;

(b) Such bank or banks shall be required at the end of every calendar month to furnish to the Corporation or such officer as may be authorised by it in this behalf, a statement of the amounts deposited in and withdrawn from the Fund during the month and these statements shall be examined by the Director General before the expiry of a period of two months following the period to which the statement relates.

(3) (a) The accounts of the fund shall be operated on by such officers as may be authorised by the Standing Committee, with the approval of the Corporation.

(b) No payment shall be made by the bank or banks out of the fund except on a cheque signed by such officers as may be authorised under clause (a).

(c) Any payment in excess of one thousand rupees shall be made electronically or by means of a cheque signed as aforesaid and not in any other way unless specifically authorised by the Standing Committee or the Corporation.

(d) No payment shall be made out of the fund unless the expenditure is covered by a current budget grant:

Provided that in the absence of a current budget grant, the Corporation may authorise payments either generally or for any particular case:

Provided further that the payment of benefits to Insured Persons under the provisions of the Code and of the pay and allowances of duly sanctioned posts shall not be withheld for want of a sanctioned budget grant.

(4) Before any person authorised under sub-rule (3) signs a cheque or authorises an electronic payment, he shall satisfy himself that the sum for which the cheque is drawn is —

(i) required for a purpose or work specifically sanctioned by the competent authority and covered by a current budget grant; and

(ii) required for any payment referred to and specified under section 26.

(5) (a) The budget estimates of the Corporation for each financial year beginning on the 1st day of April and ending on the 31st day of March next shall be prepared by the Financial Commissioner of the Corporation in such form as the Central Government may, from time to time, direct and shall be submitted with his recommendations by the Director General to the Standing Committee for approval at a meeting of the Standing Committee to be held before the 1st day of February of the preceding year.

(b) A copy of the budget estimates shall be sent to each member of the Standing Committee and of the Corporation at least seven clear days before the meeting of the Standing Committee or the Corporation at which these estimates are to be considered.

(c) The Standing Committee shall consider and approve the budget estimates with such changes as it may consider necessary.

(d) The budget estimates as approved by the Standing Committee shall be placed before a meeting of the Corporation to be held before the 20th day of February of the preceding year.

(e) The budget estimates as passed by the Corporation shall be authenticated by affixing the common seal of the Corporation and shall be submitted to the Central Government under section 117, not later than the 1st day of March next following.

(f) It shall be open to the Central Government to make such alterations in the budget estimates as may be considered necessary before according approval.

(g) The budget estimates as finally adopted by the Corporation and as approved by the Central Government shall be placed before the Parliament by the administrative Ministry concerned in the month of March preceding the financial year to which the estimates relate.

(6) The Standing Committee of the Corporation may cause a supplementary estimate to be prepared and submitted to the Corporation if in respect of any financial year further expenditure is likely to be incurred and every such supplementary estimate shall be considered and sanctioned by the Corporation and submitted to the Central Government in the same manner as if it were an original annual estimate, not later than the 15th day of February of the financial year to which it relates and the provisions of sub-rule (5) shall, so far as may be, apply to such supplementary estimate.

(7) (a) If the Director General finds in the course of the year that there is likely to be an excess of expenditure over the sanctioned budget estimate under any head, he shall examine the allotment under each head of the budget estimate with the object of discovering probable savings under any other head and effecting a re-appropriation and where such re-appropriation is feasible, he may sanction the re-appropriation subject to such conditions as may be laid down by the Central Government from time to time.

(b) Fund shall not be re-appropriated to meet expenditure on a new service not contemplated in the budget estimates except with the prior approval of the Central Government.

(c) No re-appropriation shall be permitted between the grant sanctioned for administrative expenses, two-thirds of which shall be met by the Central Government, and a grant sanctioned for any other expenditure.

CHAPTER V

GRATUITY

31. Gratuity invested for benefit of minor.—In the case of a nominee, or an heir, who is minor, the competent authority referred to in the third proviso to sub-section (1) of section 53 shall invest the gratuity amount deposited with him by the employer for the benefit of such minor in term deposit with the State Bank of India or any nationalised bank.

Explanation.— For the purposes of this rule, "nationalised bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).

32. Nomination, fresh nomination and modification.— (1) A nomination shall be in Form-III and submitted in duplicate by the employee either by personal service, after taking proper receipt or by speed post (with registration) or electronically to the employer, -

(i) in the case of an employee who is already in employment for a year or more on the date of commencement of these rules but has not submitted the nomination, ordinarily, within ninety days from such date; and

(ii) in the case of an employee who completes one year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily within ninety days of the completion of one year of service:

Provided that nomination in Form-III shall be accepted by the employer after the expiry of the specified period, if filed and no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed after the specified period.

(2) Within thirty days of the receipt of nomination in Form-III under sub-rule (1), the employer shall get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in Form-III duly attested either by the employer or an officer authorised in this behalf by him, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be retained by him.

Provided that the details of Aadhaar of the nominee shall be provided by the employee at the time of filling the nomination form.

(3) An employee who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of acquiring a family submit in the manner specified in sub-rule (1), a fresh nomination, as required under sub-section (4) of section 55, duplicate in Form-III to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis* as if it was made under sub-rule (1).

(4) A notice of modification of a nomination, including cases where a nominee predeceases an employee, shall be submitted in duplicate in Form-III to the employer in the manner specified in sub-rule (1), and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis* as if it was made under sub-rule (1).

(5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be, signed by the employee or, if illiterate, shall bear his thumb impression in the presence of two competent witnesses, who shall also sign a declaration to that effect in the nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination, as the case may be, and shall be submitted by the employee electronically or by personal service or by speed post (with registration) to the employer.

(6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

33. Application for gratuity and appeal etc.,— (1) (a) An employee who is eligible for payment of gratuity under the Code, or any person authorised, in writing, to act on his behalf, shall apply, ordinarily within a period of thirty days from the date the gratuity became payable, in Form-IV to the employer:

Provided that where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:

Provided further that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders service under the contract for a period of at least one year and for subsequent period in excess of six months and more, but less than one year, shall be rounded off to one additional year.

(b) A nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the third proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within thirty days from the date gratuity became payable to him, in Form-IV to the employer:

Provided that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted and the employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him.

(c) A legal heir of an employee, who is eligible for payment of gratuity under the third proviso to sub-section (1) of section 53, shall apply, ordinarily within one year from the date gratuity became payable to him, in Form-IV to the employer;

(d) Where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clauses (a), (b) and (c) shall be deemed to be operative from the date of such commencement;

(e) An application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period and any dispute in this regard shall be referred to the competent authority for his decision.

(f) An application under this rule shall be presented to the employer either electronically or by personal service or by speed post (with registration).

(2) (a) within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity, the employer shall—

(i) if the claim is found admissible on verification, issue a notice in Form-V to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for payment thereof; or

(ii) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice in Form-V to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible and a copy of the notice shall be endorsed to the competent authority.

(b) In case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice in Form-V under sub-clause (i) of clause (a) sub-rule (2) shall be re-fixed by the

employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified.

(c) If the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness(es) or evidence(s) as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be and in that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (a) of sub-rule (2) shall be operative with effect from the date such witness(es) or evidence(s), as the case may be, called for by the employer is furnished to the employer.

(d) A notice in Form-V shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt or by speed post (with registration) or electronically.

(e) A notice under sub-section (2) of section 56 shall be in Form-V.

(3) The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be.

(4) (a) If an employer—

(i) refuses to accept a nomination under rule 32 or to entertain an application sought to be filed under sub-rule (1); or

(ii) issues a notice under clause (a) of sub-rule (2) either specifying an amount of gratuity which is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of gratuity; or

(iii) having received an application under sub-rule (1) fails to issue notice as required under sub-rule (2) within the time specified therein,

the claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, may, within one hundred eighty days of the occurrence of the cause for the application, apply in Form-VI to the competent authority for issuing a direction under sub-section (5) of section 56 with copy to the opposite party:

Provided that the competent authority may accept any application under this sub-rule, on sufficient cause being shown by the applicant, after the expiry of the specified period.

(b) Application under clause (a) and other documents relevant to such an application shall be presented in person to the competent authority or shall be sent by speed post (with registration) or electronically.

(5) (a) On receipt of an application under sub-rule (4) the competent authority shall, by issuing a notice in Form-VII, electronically or speed post (with registration) acknowledgment due or in person call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorised representative through virtual mode or otherwise together with all relevant documents and witnesses, if any.

(b) Any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act and the competent authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal.

(c) A party who is being represented by an authorised representative shall be bound by the acts of the representative.

(d) After completion of hearing on the date(s) fixed under clause (a), or after taking such further evidence(s), examination of documents or witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the competent authority shall record his finding as to whether any amount is payable to the applicant under the Code and a copy of the finding shall be given to each of the parties.

Provided that the Competent Authority shall dispose of the application for gratuity within six months from the date of receipt of the application:

Provided further that the Competent Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

(e) If the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of notice without sufficient cause being shown, the competent authority may proceed to hear and determine the application *ex parte*; and if the applicant fails to appear on the specified date of hearing without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application:

Provided that an order under clause (e) may, on good cause being shown within a period of thirty days of receipt of the said order, be reviewed and the application re-heard after giving not less than fourteen days' notice to the opposite party of the date fixed for rehearing of the application.

(6) The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix and he shall inform the parties of the same electronically or otherwise.

(7) The competent authority may authorise a clerk of his office to administer oaths for the purpose of giving evidence or producing documents.

(8) The competent authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without an application by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms as may appear to the competent authority just, issue summons to any person in Form-VII either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.

(9) (a) Subject to the provisions of clause (b), any notice, summons, process or order issued by the competent authority may be served either personally or by speed post (with registration) or electronically or in any other manner as provided under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(b) Where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and such persons are members of any trade union or association or are represented by an authorised person, the service of notice on the secretary, or where there is no secretary, on the principal officer of the trade union or association, or on the authorised person shall be deemed to be service on such persons.

(10) (a) The competent authority shall record the particulars of each case under section 56 and at the time of passing orders shall sign and date the particulars so recorded.

(b) The competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet.

(c) Any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent authority.

(11) If a finding is recorded under clause (d) of sub-rule (5) that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in Form-VIII electronically or by speed post (with registration) or in person specifying the amount payable and directing payment thereof to the applicant under intimation to the competent authority within a period of thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer and a copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.

(12) (a) The memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 shall be submitted to the appellate authority specified, by order, by the Central Government with a copy thereof to the opposite party and the competent authority either through delivery in person or by speed post (with registration) or electronically.

(b) The memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent authority, the grounds of appeal and the relief sought.

(c) There shall be appended to the memorandum of appeal a certified copy of the finding of the competent authority and direction for payment of gratuity.

(d) On receipt of the copy of memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of the case to the appellate authority.

(e) Within fourteen days of the receipt of the copy of the memorandum of appeal from the appellate authority, the opposite party shall submit his reply of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.

(f) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard and a copy of the decision made by the appellate authority shall be given to the parties to the appeal electronically or by speed post (with registration) or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning records of the case sent by him:

Provided that the Appellate Authority shall dispose of the application for gratuity within six months from the date of receipt of the application:

Provided further that the Appellate Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

(g) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him.

(h) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer concerned in Form-VIII specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the competent authority within a period of fifteen days of the receipt of the notice by the employer and a copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.

(13) Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the competent authority under sub-rule (11) or sub-rule (12), as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply to the competent authority in duplicate in Form IX for recovery thereof under section 129.

34. Qualifications and experience of competent authority.—The competent authority shall be appointed by the Central Government, by notification, from its gazetted officers having experience in labour matters.

CHAPTER VI

MATERNITY BENEFIT

35. Certificate and notice of claim for maternity benefit.—(1) (a) The fact that a woman is pregnant or has been delivered of a child or has undergone miscarriage or medical termination of pregnancy or tubectomy operation or is suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of a child or miscarriage or medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall be proved by the production of a certificate in Form-X, from-

- (i) a registered medical practitioner; or
- (ii) an Accredited Social Health Activist; or
- (iii) a qualified Auxiliary Nurse and Midwife.

(b) The fact that a woman has been confined may also be proved by the production of a certificate of birth from the municipality or the gram panchayat, extract from a birth register maintained under the provisions of any law for the time being in force or a certificate signed by an Accredited Social Health Activist or qualified Auxiliary Nurse and Midwife or Gram Pradhan or Village Administrative Officer or Authorised Officer of the Municipality, as the case may be.

(c) The fact that a woman has undergone miscarriage may also be proved by the production of a certificate signed by a qualified Auxiliary Nurse and Midwife.

(d) The fact of death of a woman or a child may be proved by the production of a certificate to that effect in Form-X from any of the authorities referred to in clause (a) that is to say from the Gram Pradhan or the Village Administrative Officer or Authorised Officer of the Municipality, as the case may be, or by the production of a certified extract from a death register maintained under the provisions of any law for the time being in force.

(2) (a) A woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit shall give notice to her employer in Form-XI and the employer shall make payment of the maternity benefit and any other amount due under the Code to the woman concerned, or, in case of her death before receiving such maternity benefit or amount, or where the employer is liable for maternity benefit under the second proviso to sub-section (3) of section 60, to the person nominated by the woman in her notice in Form-XI and in case there is no such nominee to her legal representative:

Provided that an application in plain paper or electronically with relevant particulars may be accepted by an employer at his discretion instead of Form-XI:

Provided further that no claim shall be invalid merely because the claimant failed to present her application in specified form.

Provided that the details of Aadhaar of the nominee shall be provided by the women employee at the time of filling the nomination form.

(b) In case of doubt, the maternity benefit or other amount due to a woman employed in an establishment shall be deposited by the employer, within two months from the date of death of the woman concerned with the competent authority, who shall, after making necessary enquiries as he may think fit, pay it to the person who, in his opinion, is entitled to receive it.

Provided that the enquiry by the Competent Authority shall be completed within three months from the date of deposit of the maternity benefit by the employer and may, for reasons to be recorded in writing, be extended for a further period not exceeding three months.

(c) Whenever the payment referred to in clause (a) is made, a receipt shall be obtained by the employer in Form-XI from the person to whom the payment is made and in cases falling under clause (b), a receipt shall be given to the employer by the competent authority.

(d) The medical bonus shall be paid along with maternity benefit.

(e) The maternity benefit or any other amount payable under section 63 shall be paid within two months of the date of death of the woman entitled to receive such benefit or amount.

(f) The wages payable under section 65 shall be paid to the woman entitled to receive such wages within forty-eight hours of production of the certificate in Form-X by her.

36. Duration of nursing breaks.—(1) Each of the two breaks mentioned in section 66 shall be of 15 minutes duration however, an extra sufficient period, depending upon the distance to be covered, shall be allowed for the purpose of journey to and from the crèche or the place where the children are left by women while on duty, provided that such extra period shall be up to 15 minutes.

(2) If any dispute arises regarding such extra period, the matter shall be referred to the competent authority for decision.

37. Employees and crèche facility.—(1) In every establishment where fifty or more employees are ordinarily employed, there shall be provided and maintained a crèche for the use of children under the age of six years of such employees.

(2) The crèche shall provide adequate accommodation with lighting, ventilation and shall be maintained in a clean and sanitary condition and the criteria for setting up of a crèche shall be as under, namely:—

(i) a crèche shall be located within one kilometre of the establishment to which Chapter VI of the Code applies and shall be conveniently accessible to the employees whose children are accommodated therein:

Provided that the location of one kilometre radius shall be relaxed by the competent authority in case of the establishments located within the industrial parks or industrial area, notified by the Central Government or the State Government or any Local Authority of the Central Government or the State Government, as the case may be, where a common crèche facility is provided within such industrial parks or industrial area and easily accessible to the employees;

(ii) crèche shall be maintained in safe and rain proof building;

(iii) (a) accommodation in the crèche shall be on a scale of at least ten square feet of floor area per child;

(b) there shall be a play area suitably fenced for children;

(iv) the working hours of crèche shall correspond to the working hours of the employees and it may work in shifts;

(v) every crèche shall be in the charge of a woman with midwifery qualification or training as crèche attendant and where the number of children exceeds ten, the crèche attendant shall be assisted by female ayahs at the rate of one ayah for every ten children up to six years;

- (vi) the crèche shall have sufficient number of cots, beds, cotton sheets, rubber sheets, blankets, pillows, toys, and like other things for children;
- (vii) (a) every crèche shall have suitable arrangement for female employees to feed their children below fifteen months of age during the intervals;
- (b) adequate number of bathrooms, toilets, washbasins, clean towels and soap shall be provided in the crèche;
- (c) the crèche shall have first aid facility kept in proper condition under the supervision of trained female staff;
- (d) there shall be a kitchen attached to the crèche with utensils and other facilities for boiling milk and preparing refreshments and like other things; and
- (e) drinking water, milk and wholesome refreshments shall be available for the children at the crèche;
- (viii) (a) In any establishment where there is a sole negotiating union under sub-section (2) or (3) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) or a negotiating council under sub-section (4) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), then, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, may enter into an agreement with the employer of the establishment that the crèche facility under section 67 shall be provided, if women or widower or single parent employees, who are having children below the age of six years and eligible to get crèche facility and if not provided, then, such employee shall be paid crèche allowance every month by that establishment.
- (b) Where there is no sole negotiating union or negotiating council referred to in sub-clause (a) the majority of the employees of the establishment may enter into an agreement with the employer of the establishment that the crèche facility under section 67 shall be provided, if women or widower or single parent employees, who are having children below the age of six years and eligible to get crèche facility and if not provided, then, such employee shall be paid crèche allowance every month by that establishment.

Provided that, in both cases under clause (a) and this clause, the amount of crèche allowance shall not be less than rupees five hundred per month per child or such amount as may be notified by the Central Government from time to time:

Provided further that the crèche allowance shall be admissible for two children only except when the number of children exceeds two due to second child birth resulting in multiple births.

38. Gross misconduct.—(1) The following acts shall constitute gross misconduct for the purposes of second proviso to sub-section (1) of section 68, namely:—

- (a) wilful destruction of employer's goods or property;
- (b) assaulting any superior or co-employee at the place of work;
- (c) criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in a court of law;
- (d) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property; and
- (e) wilful non-observance of safety measures or rules on the subject or wilful interference with safety devices or with firefighting equipment.

(2) (a) An appeal under sub-section (2) of section 68 shall be preferred to the competent authority in Form-XII;

(b) The appeal may be made in writing and either handed over personally or sent under a registered cover or electronically to the competent authority.

(c) When an appeal is received, the competent authority shall furnish a copy of the memorandum of appeal to the employer, call for his reply thereto and also ask him to produce documents connected with the issue of the appeal by fixing a date.

(d) The competent authority may ascertain further details, if necessary, from the employer as well as from the appellant, and he shall consider the facts presented to him, if any, and shall give his decision.

Provided that the Competent Authority shall dispose of the appeal within three months from the date of receipt of the appeal:

Provided further that the Competent Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

(e) In case the employer fails to submit his reply or produce the required documents within the specified period, the competent authority may give his decision *ex-parte*.

39. Complaint before Inspector-cum-Facilitator and appeal.—(1) (a) A complaint under sub-section (1) of section 72 shall be made in writing in Form-XIII-A to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

(b) When a complaint referred to in sub-rule (1) is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if he is satisfied that the maternity benefit or any amount has been improperly withheld or the woman employee is discharged or dismissed, he shall direct the employer to make the payment to the complainant or to the person claiming the payment under section 63, and pass such order as he deems fit, immediately but not exceeding period of 45 days.

(2) (a) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator, shall lie to the competent authority.

(b) The aggrieved person shall prefer an appeal in writing to the competent authority in Form-XIII-B and file other supporting documents.

(c) When an appeal is received, the competent authority shall call record of the case from the Inspector-cum-Facilitator before fixing the date of hearing. The competent authority shall, if necessary, also record the statements of the aggrieved person, and of the Inspector-cum-Facilitator and seek clarification, if any is required.

(d) Taking into account the document(s), the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the competent authority shall give his decision.

Provided that the Competent Authority shall dispose off the appeal within three months from the date of receipt of the appeal.

Provided further that the Competent Authority may for reasons to be recorded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

40. Duties of Inspector-cum-Facilitator.—(1) (a) The competent authority shall be responsible for the administration of these rules within their respective areas notified by the Central Government.

(b) Every Inspector-cum-Facilitator shall discharge his duties within the area assigned to him by the Central Government and shall act under the supervision and control of the competent authority.

(c) Every Inspector-cum-Facilitator shall at each inspection of an establishment see—

(i) whether due action has been taken on every notice given under section 62;

(ii) whether the register of women employees referred to in rule 53 is correctly maintained;

(iii) whether there have been any cases of discharge or dismissal or notices of discharge or dismissal in contravention of the provisions of section 68 since the last inspection;

(iv) whether the provisions of sub-section (1) of section 59, sub-sections (5) and (6) of section 62, sections 64, 65, 66, 67, 69 and 71 have been complied with and whether amounts due have been paid within the time as per the relevant provisions of the Code and rules made by the Central Government;

(v) whether there have been any cases of deprivation of maternity benefit or medical bonus as referred to in sub-section (2) of section 68; and

(vi) how far the irregularities pointed out at previous inspections have been remedied and how far orders previously issued have been complied with.

(d) Where an Inspector-cum-Facilitator observes any irregularity against the Code or the rules, he shall issue an order in writing electronically or otherwise to the employer asking the employer to rectify the irregularities within a period of fifteen days from the date of receipt of the order and report compliance to the Inspector-cum-Facilitator.

(2) The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost copies of Forms-X, XI, XII, XIII-A and XIII-B.

(3) Nothing in sub-rule (2) of rule 35 and sub-rules (1) and (2) of rule 39 shall affect the right of a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code if she fails to submit a notice, appeal or complaint under the said rules, as the case may be, in a form specified for such purpose:

Provided that where a notice, appeal or complaint under the said rules has been submitted by a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code in a form other than the form specified for such purpose, the authority concerned may, within fifteen days of the receipt of such notice, appeal or complaint require the woman to submit the notice, appeal or complaint, as the case may be, in the form specified for such purpose.

(4) The abstract of the provisions of Chapter VI of the Code and the Central rules made there under required to be exhibited under section 71 shall be in Form-XIV, and shall be exhibited in such manner as the competent authority may require.

CHAPTER VII**SOCIAL SECURITY AND CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS**

41. Collection and refund of cess.— (1) (a) Every employer, within sixty days from the date of commencement of his work or payment of cess, as the case may be, furnish to the assessing officer, information in Form-XV.

(b) Any change or modification in the information furnished under clause (a) shall be communicated to the assessing officer in Form-XV incorporating details of such modifications immediately but not later than thirty days from the date of affecting the modification or change.

(2) (a) The cess levied under sub-section (1) of section 100 shall be paid by an employer in advance, on the basis of his self-assessment duly certified by a chartered engineer at the time of approval or before the commencement of the work.

(b) For the purpose of self-assessment of cost of construction, the employer shall calculate the cost of construction work on the uniform rate or rates of construction as specified by respective State's Public Works Department (PWD) or the Central Public Works Department (CPWD) or any other schedule of rates applicable to such building or construction work or rates as per return or document submitted to the Real Estate Regulatory Authority for a building work (where Real Estate Regulatory Authority is applicable), applicable for that particular year in which the commencement of building or other construction work took place in Form-XVI.

(c) Notwithstanding the provisions contained in clauses (a) and (b), where the approval of a construction work by a local authority or such other authority notified by the State Government, as the case may be, is required, every application for such approval shall be accompanied by proof of online payment made in favour of the State Building Workers' Welfare Board for an amount of cess payable on the basis of self-assessment duly certified by the chartered engineer:

Provided that if the duration of the project is likely to exceed one year, the amount of cess payment may be for the amount of cess payable on cost of construction self-assessed to be incurred during one year from the date of commencement of the concerned building or other construction work and further payments of due cess shall be made as per the provisions of clause (b).

(d) Notwithstanding the provisions of clauses (a) and (b), where the levy of cess pertains to building or other construction work of a Government or of a public sector undertaking, such Government or the public sector undertaking shall deduct, or cause to be deducted, the cess payable at the notified rates from the bills paid for such works. This deducted cess shall be deposited with the respective State Building Workers' Welfare Board within a period of thirty days from the date of such deduction made along with the details of the construction work to the assessing officer of the area concerned.

(e) In case, there is any stoppage or reduction of building or other construction work, employer shall furnish the information in Form-XVII, to the assessing officer within sixty days of such stoppage or reduction of building or other construction work.

(f) Every employer on completion of building or other construction work, shall be required to submit a return in Form-XVIII, to the assessing officer within sixty days of each completed project.

(g) Advance cess paid under the aforementioned provision shall be adjusted in the final assessment order made by assessing officer.

(3) (a) The proceeds of the cess collected under sub-rule (2), shall be transferred by such Central or State Government office, public sector undertaking, local authority or such other authority notified by

the State Government, or assessing officer, as the case may be, in the bank account of the State Building Workers' Welfare Board, electronically through online payment system.

(b) The amount so collected shall be transferred to such Board's fund within thirty days of its collection through online payment system.

(c) The State Building Workers' Welfare Board shall periodically reconcile the amount of cess collected, with the concerned authorities of the State Government or Central Government or Public Sector Undertaking of the State Government or the Central Government or any such other authority, as specified by the appropriate Government.

(d) The State Building Workers' Welfare Board shall submit half-yearly report, to the State Government with a copy to the Central Government, on the amount of cess collected, cumulative and during the period, expenditure incurred during the period, number of live building or other construction workers, for such period and with such details, as specified by the Central Government.

(4) (a) The assessing officer, on receipt of information of return and cess paid from an employer in Form-XVIII, may conduct a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date of receipt of such information, indicating the amount of cess payable by the employer and endorse a copy thereof to the employer and to the cess-collector and to the Building Workers' Welfare Board and despatch such order within five days of the date on which such order is made:

Provided that such scrutiny shall be done by the assessing officer only where the amount of cess based on self-assessment exceeds rupees ten lakhs:

Provided further that if the assessing officer fails to make the order of assessment within a period of one hundred and eighty days, the self-assessment shall be deemed to be final.

(b) The order shall, inter-alia, specify the amount of cess due, cess already paid by the employer or deducted at source and the balance amount payable and the date, consistent with the provision of sub-rule (2), by which the cess shall be paid to the cess collector.

(c) If on the scrutiny of information furnished by the employer in Form-XVIII, the Assessing Officer is of the opinion that employer has undervalued or miscalculated the cost of construction or has calculated less amount of cess payable, he shall issue notice to the employer for assessment of the cess.

(d) On receipt of such notice the employer shall furnish to the Assessing Officer a reply together with copies of documentary or other evidences in support of his claim, within thirty days of the receipt of the notice:

Provided that the Assessing Officer may, in the course of assessment afford an opportunity to the assessee to be heard in person, if he so requests to substantiate his claim.

(e) If the employer fails to furnish the reply within the stipulated period specified under clause (d) or where any employer fails to furnish information in Form-XVIII, the Assessing Officer shall proceed to make the assessment on the basis of the available records and other information incidental thereto.

(f) The assessing officer may, at any time while the work is in progress or in the process of assessment of cost of construction authorise an officer to make such enquiry at the work site or from documentary evidence or in any other manner as he may think fit for the purpose of estimating the cost of construction as accurately as possible.

(5) (a) Where the employer has deposited the cess in advance and the employer decides to withdraw from or foreclose the works or modifies the plan of construction thereby reducing the cost of construction undertaken or has been forced by other circumstances to call off the completion of the work undertaken, he may seek refund of the excess amount of advance cess paid by submitting information in Form-XVII to the Assessing Officer giving details of such reduction or stoppage of work.

(b) The Assessing Officer, on receipt of information in Form-XVII from an employer shall make a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding thirty days of receipt of such information.

(c) Following the assessment order made on receipt of Form-XVII as per clause (b), the assessing officer shall, wherever necessary, endorse a copy of the such assessment to the respective Building Workers' Welfare Board, cess collector and to such other persons as he thinks appropriate, for making the refund of excess cess as ordered in the assessment made under clause (b).

(d) The State Building Workers' Welfare Board shall, within thirty days of receipt of the endorsement from the assessing officer under clause (c), refund the amount specified in the order to the employer through electronic payment system in the bank account as per details furnished by the employer for that purpose.

(e) Where the appellate authority has modified the order of assessment reducing the amount of cess, refund shall be made within such time as may be specified in that order or in the manner and time as specified under clause (d).

42. Time limit for payment of cess and rate of interest.— (1) Date of payment of cess shall be the date on which the amount is deposited with the cess collector under clauses (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 41, or the date of deduction at source under clause (d) of sub-rule (2) of rule 41, or the date on which the amount has been deposited with the local authority under clause (c) of sub-rule (2) of rule 41, as the case may be.

(2) If any employer fails to pay any amount of cess payable under section 100, within such time as may be specified in the assessment order, such employer shall be liable to pay interest on the amount of cess, to be paid, at the rate of one percent per month or part thereof comprised in the period from the due date until the date of actual payment.

43. Penalty.—(1) An assessing officer, if it appears to him that an employer has not paid the cess within the date as specified in the assessment order or has paid less cess, including the cess deducted at source or paid in advance, shall issue a notice to such employer that it shall be deemed to be in arrears and such assessing officer may, after such inquiry as it deems fit, impose on such employer, a penalty not exceeding such amount of cess:

Provided that before imposing any such penalty, such employer shall be given a reasonable opportunity of being heard and if after such hearing the assessing officer is satisfied that the default was for any good and sufficient reason, no penalty shall be imposed on such employer.

(2) If any penalty is imposed on the employer or the notice for imposing the penalty is withdrawn, as mentioned in sub-rule (1), the assessing officer will pass a speaking order in this regard stating the reasons thereof. A copy of such order shall be endorsed to the employer, cess-collector and to the secretary, Building Workers' Welfare Board.

44. Appeal.— (1) An employer aggrieved by an order of the assessment made under sub-rule (4) of rule 41 or by an order imposing penalty made under rule 43, may file an appeal in Form-XIX against

such order, within ninety days of the receipt of such order, to the appellate authority as notified by the State Government in this regard.

(2) Such appeal, *inter alia*, shall be accompanied by—

(a) the order appealed against;

(b) a certificate from the cess collector to the effect that the amount of cess or penalty or both, as the case may be, relating to such appeal has been deposited;

Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, waive or reduce the amount to be deposited under rule 43 on application by the appellant.

(c) a non-refundable fee equivalent to one-half percent., but not exceeding rupees twenty five thousand of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal;

(d) a statement of points in dispute; and

(e) documentary evidence relied upon.

(3) On receipt of the appeal, the appellate authority may, call details from the assessing officer or his statement on the basis of his assessment order appealed against, as such appellate authority may consider necessary for the disposal of such appeal.

(4) The appellate authority shall give the appellant an opportunity of being heard in the matter and dispose of the appeal as expeditiously as possible but not exceeding sixty days from the date of receipt of such appeal.

(5) On being satisfied on the quantum of cess the appellate authority shall confirm the order of the assessing officer or if in his opinion the assessment was wrong; or on the higher side shall modify the order of assessment or if in his opinion the assessment is on the lower side or if the basis of assessment is wrong, it shall remand the assessment order to the assessing officer along with his observations to rectify the error.

(6) An order remanded back under sub-rule (5) shall be disposed of by the assessing officer within thirty days in view of the observation made by the Appellate Authority:

Provided that, if the amount of cess is proposed to be enhanced the assessee shall be given an opportunity of being heard.

(7) If the appellate authority is of the opinion that the quantum of penalty imposed is on the higher side or not correctly made it shall suitably modify or set aside the order of the assessing officer, as he deems appropriate.

(8) The appeal under this rule shall be disposed of by making a speaking order and a copy of such order shall be sent to each of the appellant, the assessing officer and to the secretary, Building Workers' Welfare Board within five days of the date on which such order is made.

(9) An order in appeal, reducing the amount of cess, shall also ask the Secretary of the concerned Building Workers' Welfare Board to refund the excess cess stating clearly a specified time to the appellant.

- (10) An order in appeal enhancing or reducing the amount of cess or penalty or both, as the case may be, shall also specify the date by which the amount of cess or penalty or both shall be paid or refunded.
- (11) No appeal shall lie against the order of the appellate authority under this rule.

45. Registration of building worker.— (1) Every employer or the contractor shall be responsible to register such building workers eligible under this rule who are on their muster roll on the portal of the State Government or the State Building Workers' Welfare Board or the designated portal of the Central Government, within 30 days of the worker(s) becoming eligible, and such registration shall be seeded with Aadhaar and the Universal Account Number or any other such unique number generated through the designated portal of the Central Government.

(2) It shall be the responsibility of the State Building Workers' Welfare Board to provide a portal with the facility to the employers and contractor to register the eligible building workers on such portal. Further, the State Building Workers' Welfare Board shall also register any other eligible building worker within the geographical area of the State:

Provided that every such building worker has completed eighteen years of age and is less than sixty years of age and has been engaged in building or other construction work for not less than ninety days in the preceding twelve months.

(3) The designated Portal of the Central Government shall have the facility for enabling each of the State Building Workers' Welfare Board or the employer or the contractor of building or other construction work to have access for generating Universal Account Number or any other such unique number in respect of all eligible building workers and such State Board shall share details of the registered building workers with the designated Portal of the Central Government quarterly or at such periodicity as may be decided by the Central Government.

(4) The State Building Workers' Welfare Board or the employer or the contractor may utilise the services of the business correspondents of the Department of Posts or Common Service Centres or e-sewa kendras of the Central Government or the State Government or any such other agency as may be decided by the State Government or State Building Workers' Welfare Board for facilitating the registration, renewal or updation of particulars of eligible building workers.

(5) To facilitate the registration of eligible building workers, the Board referred to in sub-rule (1) may set up camps as may be required in the labour-intensive areas.

(6) Every registered building worker shall be issued a digital identity card bearing his photograph and other details as may be specified by the State Government or the Board referred to in sub-rule (1) which shall be downloadable from the portal of the State Government or such Board.

(7) Every building worker registered with the State Building Workers' Welfare Board, shall be entitled to receive the benefits provided by the Board from its fund during the validity period of such registration.

(8) The delivery of welfare schemes for the building workers may be done electronically using the registration number of the building worker and any cash assistance shall be given through direct benefit transfer only.

(9) In case a building worker moves from one State to another State, then, it shall be the responsibility of the employer or the contractor to obtain the unique registration number from the building worker and effect the requisite changes in respect of such worker on the portal of the State Building Workers' Welfare Board of the destination State within a period of thirty days of such worker joining the muster roll under such employer or contractor, and in case the building worker does not possess such unique registration number then the employer or the contractor shall register such eligible building worker as referred to in sub-rule (1).

(10) Where a building worker moves from one State to another State, and is registered under sub-rule (9), he shall be entitled to get such benefits as are applicable to the other building workers of the destination State from the Building Workers' Welfare Board of that State:

Provided that an eligible building worker on the muster roll of an employer or a contractor in the destination State shall not be denied benefits only because such employer or contractor has failed to update his registration on the portal of the destination State.

(11) Every State Building Workers' Welfare Board shall submit a report annually to the State Government with a copy to the Central Government in the form as may be specified by the Central Government for such purpose.

(12) The State Building Workers' Welfare Board shall provide a mechanism for redress of grievances of building workers including telephone helpline, registration, renewal, updation, portability and delivery of welfare schemes.

46. Benefits of beneficiary.—If any building worker has been a beneficiary for at least three years continuously immediately before attaining the age of sixty years, for the benefit applicable to such worker, the Central Government may formulate such schemes as may be notified by the Central Government under which such worker shall be eligible to get such benefit.

47. Recovery of due and exemption.— (1) For the purpose of recovery of sums due on account of unpaid cess, interest or overdue payment or, penalty under these rules, the assessing officer shall prepare a certificate signed by him, specifying the amount due and send it to the recovery officer of the district concerned who shall proceed to recover from the said employer the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue or under any other such law prevailing in that State for such purpose.

(2) An assessing officer, for the purposes of section 103, may-

(a) enter any establishment where building or other construction work is going on only with the prior approval of the Secretary, State Building Workers' Welfare Board;

(b) make an inventory of materials, machinery or other articles lying at the workplace;

(c) enquire about the number of workers engaged in various activities;

(d) require the production of any concerned register or any other documents relevant to the assessment of cost of construction or number of workers employed;

(e) seize or take copies of any such records;

(f) make a general assessment of the stage of the construction work of the completed construction work;

(g) take measurement, notes or photographs; and

(h) exercise such other powers considered absolutely necessary for reasonable assessment of cost of construction.

(3) The assessing officer or any Inspector-cum-Facilitator under the Code, having come to know of violation of an obligation to furnish return, furnishing of false information, intentionally or wilfully evading or attempting to evade the payment of cess may make a complaint with evidence pertaining to such complaint to the State Government with a copy to the concerned State Building Workers' Welfare Board in writing.

(4) (a) Any employer or class of employers in a State seeking exemption under section 102 may make an application to the Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour and Employment, Government of India, stating the details of works undertaken, name of the corresponding law in force in that State under which he is liable to pay cess for the social security and welfare measure of the construction workers and amount of cess actually paid along with the date of such payment and proof thereof. A copy of such application shall be endorsed to each of the assessing officer and the State Building Workers' Welfare Board concerned.

(b) On receipt of such application, the Central Government may, if it considers necessary, seek a report from the State Government concerned.

(c) On examining the grounds, facts and merits of such application the Central Government may, by notification, issue an order exempting the employer or class of employers, as the case may be, from payment of cess payable under the Code where such cess is already levied and payable under such corresponding law.

(d) Assessment proceedings shall be stopped by the assessing officer for a period of thirty days commencing from the date of the receipt of a copy of the application under clause (a) to him, or till the order of the Central Government under clause (c) is conveyed to an employer or class of employers who made the application under clause (a), whichever is earlier.

CHAPTER VIII

SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS, GIG WORKERS OR PLATFORM WORKERS

48. Registration of unorganised workers, gig workers and platform workers.—(1) (a) Every unorganised worker, who has completed sixteen years of age shall be required to be registered under section 113, on the designated Portal of the Central Government.

(b) The eligible unorganised worker shall make an application for registration on a self-declaration basis, electronically, with Aadhaar and such other documents and in such form as specified by the Central Government, through general or special order, for that purpose.

(c) The Central Government, shall provide a facility such as mobile app or any other application facilitating the eligible unorganised workers to register themselves on the designated Portal of the Central Government. In order to avail the facility of self-registration, an unorganised worker, shall be required to establish his identity through Aadhaar and other documents as prescribed by the Central Government through general or special order.

(d) It shall be the responsibility of the appropriate Government to register their specific set of eligible unorganised workers within their geographical area of the State/UT or jurisdiction, as the case may be, on the designated Portal of the Central Government.

(e) On completion of registration, such eligible worker, if not already in possession of a Universal Account Number, shall be issued such a number or any other such unique number through the designated Portal of the Central Government.

(f) Every eligible registered unorganised worker shall be issued a digital identity card bearing his photograph and other details as specified by the Central Government for such purpose, through general or special order, and such digital card shall be downloadable from the designated Portal of the Central Government.

(g) In order to be eligible for any benefit under any scheme framed under the Code for unorganised workers, the appropriate Government may notify specific conditions for eligibility, as it deemed fit, in addition to registration on the designated Portal of the Central Government.

(h) The appropriate Government shall access the information from the designated Portal of the Central Government for delivery of benefits of the social security schemes to the eligible unorganised workers.

(i) The eligible unorganised worker, shall be required to update their particulars such as address, occupation, mobile number, skill or any other particulars from time to time, as may be specified by the appropriate Government and in the absence of such updation, any unorganised worker, may not be eligible to avail benefits of the social security schemes notified under the Code and applicable on him.

(j) The services of business correspondents of the Department of Posts, Common Service Centres or e-sewa kendras of the Central Government or the State Government or any other such agency as may be decided by the appropriate Government may be utilised for facilitating the registration, updation of particulars of, and delivery of welfare schemes for, unorganised workers.

(2) (a) Every gig and platform worker, who has completed sixteen years of age shall be required to be registered with Aadhaar and other documents as prescribed by the Central Government through general or special order, on self-declaration basis under section 113, on a portal designated for the purpose by the Central Government.

(b) Every aggregator shall, within forty five days from the commencement of these rules, share through Application Programming Interface (API) or other electronic modes, the details of gig and platform workers who are engaged with such aggregator on the designated Portal of the Central Government for the generation of a Universal Account Number or any other such unique number, if such worker is not already in possession of such number.

(c) Every aggregator engaging any new gig and platform worker shall register such worker on the designated Portal of the Central Government in real time or daily basis through Application Programming Interface (API) or other electronic modes. Every Aggregator shall also share the exit details of gig and platform worker registered with them on the designated Portal of the Central Government on a real time or daily basis through Application Programming Interface (API) or other electronic modes.

(d) Every eligible registered gig and platform worker shall be issued an identity card, digital or otherwise, bearing his photograph and other details as specified by the Central Government for such

purpose; and such digital card shall be downloadable from the designated Portal of the Central Government.

(e) In order to be eligible for any benefit under any scheme framed under the Code for gig and platform workers, the Central Government may notify specific conditions for eligibility through general or special order, in addition to registration on the designated Portal of the Central Government:

Provided that such eligible worker has been engaged as gig and platform worker for not less than ninety days with an aggregator, or in the case of multiple aggregators, not less than one hundred and twenty days, in the last financial year.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, –

- (i) a gig and platform worker will be considered to be engaged with an aggregator for one day, if he has earned income, irrespective of the amount, for such work rendered with the aggregator on that calendar day;
- (ii) in case of working with multiple aggregators, the days of engagement of a gig and platform worker shall be calculated across the aggregators in cumulative manner;
- (iii) if a gig and platform worker is engaged with three aggregators on a particular calendar day, it shall count as three days.

(f) An eligible gig and platform worker shall include all such workers engaged by the aggregator directly or through associate company or holding company or subsidiary company or limited liability partnership or through a third party;

Explanation: For the purposes of this clause,

- (i) ‘associate company’ in relation to another company means a company as defined in clause (6) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).
- (ii) ‘holding company’ in relation to one or more other companies means a company as defined in clause (46) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).
- (iii) ‘subsidiary company’ in relation to other company as defined in clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).
- (iv) ‘limited liability partnership’ in relation to partnership means a limited liability partnership as defined in clause (n) of section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009).

(g) For facilitating updation of particulars of registered gig and platform workers, every aggregator shall share electronically the details of the gig and platform workers engaged with such aggregator, monthly or at such other periodicity and in such form as shall be specified on the designated Portal of the Central Government.

(h) In the absence of such updation, a gig and platform worker, may not be eligible to avail benefits of the social security schemes notified under the Code and applicable to him.

49. Implementation of schemes and refund of contribution.—(1) (a) The Central Government shall designate an officer or an agency, as the authority responsible to collect and expend the contributions from the aggregators.

(b) Such authority may seek any information as may be required from the aggregators for registration of gig and platform workers, formulation of suitable social security schemes under section 114 and implementation thereof.

(c) The contribution collected under section 114 shall be maintained as part of the Social Security Fund in a separate account meant for gig and platform workers as specified in sub-section (2) of section 141.

(2) If any aggregator fails to pay any amount of contribution payable under sub-section (4) of section 114, within such time as may be specified by the Central Government for such purpose, such aggregator shall be liable to pay interest on the amount of contribution, to be paid, at the rate of one per cent. for every month or part of a month comprised in the period from the date on which such payment was due till such amount is actually paid.

(3) (a) Every aggregator shall assess contribution payable under sub-section (4) of section 114 in Form-XX and pay provisional contribution as assessed in the designated account of the Social Security Fund, for the preceding year not later than the 30th June of the current year in which the contribution is payable:

Provided that if the aggregator is making the contribution payable on the basis of five per cent. of the amount paid or payable to gig and platform workers, then, this shall include all such workers engaged with the aggregator directly or through associate company or holding company or subsidiary company or limited liability partnership or through a third party.

(b) After finalisation of the audited statement of the account for the previous financial year as per the relevant provisions of the Income-Tax Act, 2025 (30 of 2025) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), each aggregator shall submit a final return in Form-XXI, detailing the provisional payment of contribution made along with the details of outstanding contribution, if any, paid by 31st October, of the current year in which the contribution is payable.

(c) In case of excess contribution, if any, paid by any aggregator, such aggregator shall claim the refund in Form-XXI of such excess amount. The authority designated by the Central Government in this regard shall scrutinize Form-XXI, as submitted by the aggregator and excess amount paid, if any, shall be refunded electronically in the bank account specified in Form-XXI, within a period not exceeding ninety days from the date of receipt of such claim.

(4) Any gig and platform worker registered under section 113 shall cease to be eligible for the benefits of social security schemes, when he attains the age of sixty years or when he is not engaged as gig and platform worker, with any of the aggregators for a period not less than ninety days, or in case of multiple aggregators, for a period not less than one hundred and twenty days in the last financial year.

(5) Every aggregator shall register on the designated Portal or any other portal, as may be specified by the Central Government for such purpose.

CHAPTER IX

FINANCE AND ACCOUNTS

50. Rules under section 120.—The conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property under sub-section (1), conditions to invest moneys, re-invest or realise investments under sub-section (2), terms to raise loans and take measures for discharging such loans under sub-section (3) and terms to constitute for the benefit of officers and staff or any class of them, provident or other benefit fund under sub-section (4), of section 120 shall be—

(a) in case of the Provident Fund, Pension Fund or Insurance Fund, as specified respectively in the Provident Fund Scheme, Pension Fund Scheme and Insurance Fund Scheme; and

(b) in case of the Corporation, as specified in Chapter IV and under this Chapter.

51. Conditions for writing off irrecoverable dues.— (1) Where the Corporation or the National Social Security Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to the Corporation or the National Social Security Board, as the case may be, have become irrecoverable, the Corporation or National Social Security Board or any other officer authorised by it in this behalf may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely: —

(i) that the concerned establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer of such establishment cannot be ascertained, despite all possible efforts;

(ii) that the decree obtained by the Corporation or the National Social Security Board could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or

(iii) that the claim for contribution is not fully met by —

(a) the official liquidator in the event of the factory or establishment having gone into liquidation; or

(b) the Commissioner of payments in the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

(2) In case of the Provident Fund, Pension Fund or Insurance Fund, such writing off shall be specified in the Provident Fund Scheme or Pension Scheme or Insurance Scheme, as the case may be.

52. Account and annual report.—(1) The Corporation shall maintain complete and accurate accounts in such form as the Standing Committee thereof may, with the approval of the Central Government, specify from time to time and the books shall be balanced on the thirty-first day of March each year.

(2) The Corporation shall prepare revenue accounts for the financial year ended on the thirty-first March and a balance sheet as on the thirty-first March by the thirty-first of May:

Provided that on the application of the Corporation, the Central Government may extend the said date by a period not exceeding thirty days:

Provided further that the Corporation may, and if so required by the Central Government shall, cause to be prepared the revenue accounts and the balance sheet for any other period or as on any other date.

(3) The annual accounts shall be set out and produced before the Comptroller and Auditor General of India for scrutiny on or before the fifteenth of June of each year following the close of the financial year to which they relate:

Provided that on the application of the Corporation, the Central Government may extend the said date by a period not exceeding thirty days.

(4) The Corporation shall submit all accounts to the Comptroller and Auditor General of India as required by him and the Comptroller and Auditor General of India may —

(i) by written notice, require the production before him or before any officer subordinate to him, of any document which he may consider necessary for the proper conduct of his audit;

(ii) by written notice, require any person accountable for or having the custody or control of, any such documents, to appear in person before him or before any officer subordinate to him; and

(iii) require any person so appearing before him or before any officer subordinate to him to make and sign a declaration with respect to such document or to answer any question or prepare and submit any statement desired by him or such officer.

(5) The report of the Comptroller and Auditor General of India on the annual accounts shall be submitted to the Corporation on such date and in such form as the Central Government may specify in this behalf and in the report it shall be stated whether in their opinion the balance sheet is a full and fair balance sheet containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Corporation's affairs and in case they have called for any explanation or information from the Corporation or any of its officers whether it has been given and whether it is satisfactory or not.

(6)(a) The annual report on the work and activities of the Corporation (excluding the unaudited accounts for the year incorporated therein) shall be considered by the Standing Committee thereof and shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December following the close of the said financial year.

(b) The annual accounts relating to a financial year duly authenticated by the Financial Commissioner of the Corporation and the Director General and approved by the Standing Committee of the Corporation shall be submitted for audit to the Comptroller and Auditor General of India and the audited accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December following the close of the said financial year:

Provided that the report of the Comptroller and Auditor General of India shall be received by the twentieth of November, following the year to which it pertains.

(7) The annual accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon and the annual report on the work and activities of the Corporation as adopted by the Corporation shall be authenticated by affixing the common seal of the Corporation and four copies thereof, together with the comments of the Corporation on the report of the Comptroller and Auditor General shall be submitted to the Central Government not later than the twentieth of December following the close of the financial year concerned for being placed before the Parliament:

Provided that if the report of the Comptroller and Auditor General of India is not received by the twentieth of November following the financial year to which it pertains, the annual accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon shall be submitted to the Central Government separately from the annual report on the work and activities of the Corporation.

(8) The cost of audit shall be paid by the Corporation by such date as may be specified by the Central Government.

(9)(a) The auditors shall submit to the Corporation and the Central Government a separate statement, if necessary, in regard to —

(i) any material impropriety or irregularity which he may observe in the expenditure, or in the recovery of money due to, or in the accounts of the Corporation; or

(ii) any loss or waste of money or other property owned by or vested in the Corporation which has been caused by neglect or misconduct, with the names of the persons who in their opinion are directly or indirectly responsible for such loss or waste.

(b) The Standing Committee shall forthwith remedy any defect or irregularity that may be pointed out by the auditors and shall report to the Central Government the action taken by it thereon within a period of ninety days of the receipt of the report of the auditors:

Provided that if there is a difference of opinion between the Standing Committee and the auditors, or if the Standing Committee does not remedy any defect or irregularity within a reasonable period, the Central Government may, and on a reference specifically made therefor, shall pass such orders thereon as it thinks fit and the Standing Committee shall thereafter take action in accordance therewith within such time as may be specified by the Central Government.

(10) (a) The Standing Committee or any authority authorised by it in this behalf may after giving the person concerned an opportunity to submit an explanation, and after considering any such explanation, disallow any item of account contrary to the provisions of the Code or of the Rules or Regulations made thereunder, and surcharge the same on the person making or authorising the making of payment of such account and shall charge against any person accounting, the amount of any deficiency or loss incurred by the negligence or misconduct of that person, or of any sum which ought to have been but is not brought into account by that person, and shall in every such case certify the amount due from such person:

Provided that no certificate made by the authority authorised by the Standing Committee shall have effect unless it is approved by the Standing Committee.

(b) The Standing Committee shall state in writing its reasons for every disallowance, surcharge or charge made or approved by it and shall serve a certificate of the amount due and a copy of the reasons for its decision on the person against whom the certificate is made and shall also furnish copies thereof to the Central Government.

(c) Any person aggrieved by a certificate made under sub-rule (10) may, within one month from the date of the service of certificate on him under clause (b) sub-rule (10), file an application to the Central Government for setting aside or modifying the disallowance, surcharge or charge in respect of which the certificate was made.

(d) On receipt of an application under clause (c) or on its own motion, the Central Government may, after making such inquiry as may be necessary, pass such order as it thinks fit either confirming, modifying or setting aside the disallowance, surcharge or charge in respect of which the certificate was made, and the Standing Committee shall thereupon take action in accordance with such order within such time as may be specified by the Central Government.

(e) The Central Government may by order direct that all further action under the certificate made under sub-rule (10) shall be stayed until the disposal of the matter pending before it under clause (d).

(11) (a) Every sum certified to be due from any person by the Standing Committee or if the certificate has been modified by the Central Government, the sum shown to be due from such person in the modified certificate, shall be paid by such person to the Corporation within three months after he has been served with the certificate of the Standing Committee ; or within such longer period as may be allowed by the Central Government; and any such sum, if not so paid, shall be recovered as arrears of land revenue.

(b) Any sum or part of a sum so paid or recovered, the certificate in respect of which is set aside or modified, shall, as the case may require, be wholly or partly refunded to the person who paid it.

(12) The Corporation shall establish, maintain and contribute to a Provident Fund called the Employees' State Insurance Corporation Provident Fund (hereinafter referred to as the Provident Fund) in respect of its employees other than those whose services are placed at the disposal of the Corporation by the Central Government or State Government.

(13) The Provident Fund shall be administered by the Standing Committee of the Corporation or by any other Committee approved by it for the purpose and subject to such conditions as it may deem fit to impose.

(14) The Corporation may make regulations under clause (1) of section 157 of the Code to provide for all other matters incidental to or necessary for the Provident Fund.

(15) Where an Insured Person is convicted under clause (o) of section 133, he shall not be entitled to any cash benefit admissible under Chapter IV of the Code for a period of three months for first conviction and six months for each subsequent conviction from the date of receipt of judgment of the court in the concerned office of the Corporation.

CHAPTER X

AUTHORITIES, ASSESSMENT, COMPLIANCE AND RECOVERY

53. Form and manner for maintenance of records and registers etc.—(1) (a) the employer of every establishment shall maintain, register –

- (i) of employees in Form – I of the Wages (Central) Rules, 2026;
- (ii) of attendance-cum-muster roll in Form - IX of the Wages (Central) Rules, 2026;
- (iii) of wages, overtime, advances, fines and deductions for damages and losses in Form – IV of the Wages (Central) Rules, 2026;
- (iv) of women employees in Form – XXII.

Provided that in respect of establishment which is governed by the Code on Wages, 2019(29 of 2019) or the Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020 (37 of 2020) and rules made thereunder maintain the registers specified in clause (i), (ii) and (iii) which shall be deemed to be maintained by the employer under these rules also;

- (b) registers under this Chapter shall be maintained electronically or otherwise;
- (c) entries in the registers shall be made in English and Hindi or the language understood by a majority of persons employed;
- (d) every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector-cum-Facilitator or any person authorised in that behalf by the Central Government;
- (e) all the registers and other records shall be preserved in original for a period of five calendar years from the date of last entry made therein.

(2) Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees under clause (c) of section 123 on or before payment of wages in Form – V of the Wages (Central) Rules, 2026.

(3) All registers and other records required to be maintained under the Code and the rules made thereunder shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided by the Central Government, shall be kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the workplace or at a place within a radius of three kilometres therefrom.

(4) The employer shall display conspicuously a notice at or near the main entrance of the establishment in bold letters in English, Hindi and in a language understood by the majority of the

employees specifying the name of the officer with designation authorised by the employer to receive, on his behalf, notices under the Code or the rules made therein.

(5) (a) The employer to which the provisions of Chapter V and Chapter VI of the Code apply, on or before the 28th or 29th day of February in each year, upload a unified annual return in Form-XXIII online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(b) If the employer to whom the provisions of Chapter V and Chapter VI of the Code apply, sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, a further unified return in Form XXIII referred to in clause (a) of sub-rule 5 in respect of the period between the end of the preceding year and the date of such sale, abandonment or discontinuance, as the case may be.

CHAPTER XI

OFFENCES AND PENALTIES

54. Compounding of offences.—(1) The officer authorised by the Central Government, (hereinafter in this rule referred to as the “compounding officer”) by notification, for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 138 shall issue electronically a compounding notice in Form-XXIV for the offences which are compoundable under section 138.

(2) The person so noticed under sub-section(1) may apply in Part III of the Form-XXIV to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part IV of Form-XXIV within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the time specified by the Officer, the prosecution shall be instituted after one month from the last date of specified time before the Competent Court against such person for the offences in respect of which the compounding notice was issued.

(5) For the compounding of an offence after the institution of prosecution in a Competent Court in respect thereof, the provisions of sub-section (6) of section 138 shall apply:-

CHAPTER XII

EMPLOYMENT INFORMATION AND MONITORING

55. Establishment and maintenance of career centre.— (1) The appropriate Government may establish, run and maintain a career centre or modify and declare its already established office or employment exchange, or both or a portal or authorise any other such centre as career centre, by notification. Until such notification is made, existing local Employment Exchanges and Central Employment Exchanges shall function as career centres (Regional) and career centres (Central) respectively.

(2) The appropriate Government may also enter into an agreement with any institution, local authority, local body or private body for running a career centre.

(3) The career centres established under sub-rules (1) and (2) above shall, inter-alia, perform the following functions, namely:—

(a) collection and furnishing of information, either by the keeping of registers or otherwise, manually, digitally, or virtually as may be notified by Central Government from time to time, relating to -

- (i) persons who seek to employ employees;
- (ii) persons who seek employment;
- (iii) occurrence of vacancies; and
- (iv) persons who seek vocational guidance and career counselling or guidance to start self-employment;

(b) providing career counselling and vocational guidance;

(c) organising job-fairs and job drives;

(d) employment related surveys and studies;

(e) employability enhancement activities; and

(f) other services as may be decided by the appropriate Government from time to time.

Explanation.— For the purposes of this chapter, appropriate Government shall be Central Government for Career Centre (Central) and respective State Government for career centre (Regional).

56. Reporting of vacancies and result of selection etc.—(1) (a) on the commencement of the Code, the employer in every establishment in public sector in any State or area shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such career centre as may be specified by notification, made by the appropriate Government;

(b) the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such career centre (Regional) from such date as may be specified in the notification made by the appropriate Government;

(c) appropriate Government shall provide a digital mechanism for receipt of vacancies reported by the employers and career centre to which the vacancies are to be reported, which shall generate a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer digitally or through any other such media immediately but not later than seven working days from the date of receipt of reporting of vacancies in north-eastern States and three working days in other States:

Provided that time limit of three working days may be further extended up to seven working days by the appropriate Government, through notification, keeping in view the geographical conditions or other local needs;

(d) Career Centre (Regional) shall share all information collected by it in writing, through email or digitally or through any other such media, as may be notified by central government from time to time, to the Career Centre (Central) in the Form-XXV, Form-XXVI and Form-XXVI (A).

(e) The State Government shall furnish to the Career Centre (Central) the details of any newly established Career Centre (regional) or of the closure of any existing Career Centre (regional) within 15 days from the date of such establishment or closure, along with the jurisdictional details of such Career Centre (Regional), so established or closed, as the case may be.

Explanation.—For the purposes of this rule, —

(A) “establishment in public sector” means an establishment owned, controlled or managed by-

- (i) the Government or a Department of the Government;
- (ii) a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (iii) a corporation (including a co-operative society) or an autonomous organisation or an authority or a body established by or under a Central or State enactment, which is owned, controlled or managed by the Government; and
- (iv) a local authority.

(B) “establishment in private sector” means an establishment which is not an establishment in public sector and with 20 or more employees or such number of employees as may be notified by the Central Government are employed therein.

(C) Any State Government, having no career centre or digital portal of its own, may specify, by notification, reporting of vacancies by establishments in an area thereof to the digital portal or to the Career Centre of the Central Government.

(2) (a) The following vacancies, namely:—

- (i) all vacancies in posts of Technical and Scientific nature carrying a minimum pay or pay level or both as notified by the Central Government, occurring in establishments in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the Code; and
- (ii) vacancies which an employer may desire to be circulated to the career centres outside the State or Union territory in which the establishment is situated;

shall be reported to such career centre (Central) as may be specified by the Central Government, by notification:

(b) vacancies in establishments having branches in more than one State or Union Territory, where the employer seeks to fill such vacancies across multiple locations, may, at the option of the employer, be reported either centrally to the Career Centre (Central) or separately to the respective Career Centres (Regional), as may be specified by the appropriate Government.

(c) vacancies other than those specified in clause (a), shall be reported to the career centre (Regional) concerned.

(3)(a) The vacancies shall be reported in writing or through official email or digitally, as may be notified by Central Government from time to time, to the career centre specified by the appropriate Government.

(b) The vacancies shall be reported in the Form-XXV, furnishing as many details as practicable, separately in respect of each type of vacancy.

(c) Any change in the particulars already furnished to the career centre under clause (a) of sub-rule (3), shall be reported in writing or through official email or digitally, as the case may be, as may be notified by Central Government from time to time, to the specified career centre.

(4)(a) Vacancies, required to be reported to the career centre (Regional), shall be reported at least fifteen days before the last date of receipt of the applications.

(b) Vacancies required to be reported to the career centre (Central) shall be reported at least forty days before the last date of receipt of the applications.

(c) The employer shall furnish the information relating to the result of selection to the concerned career centre against the vacancies reported within thirty days from the date of selection.

(5) (a) On commencement of the Code, the employers of every establishment in the public sector in any State or area shall maintain records manually or electronically or digitally about –

- (i) total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;
- (ii) persons recruited during the year ending on 31st March;
- (iii) occupational details of its employees on 31st March of every year;
- (iv) vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and
- (v) approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(b) Appropriate Government may, through notification, direct that from such date as may be specified in the notification, the employer of every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall maintain records manually or electronically or digitally about –

- i. total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) as on 31st March of every year;
- ii. persons recruited during the year ending on 31st March;
- iii. occupational details of its employees as on 31st March of every year;
- iv. vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and
- v. approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(6) An employer shall furnish to the concerned Career Centre (Regional) yearly returns in Form-XXVI (Employment Information Return) and yearly returns shall be furnished manually or, electronically, or digitally, as the case may be, as specified by the respective State Government by notification, within thirty days of the due date, namely, 31st March of the year.

(7) (a) the Director of Employment or officer of equivalent or higher rank, controlling the work of career centres (Regional) of the respective State Government, will declare in writing an officer, who is looking after the work of career centres (Regional) as Executive Officer for each district for the purpose of enforcement or implementation of Chapter XIII (Employment Information and

Monitoring) of the Code and such officer shall exercise the rights and perform duties referred to in section 139, or authorise any person in writing to exercise those rights and perform duties;

(b) the Director of Employment or an officer of equivalent or higher rank, controlling the work of Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, New Delhi, will declare in writing an officer, who is looking after the work of career centres (Central) as Executive Officer for the purpose of enforcement or implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code. Such officer shall exercise the rights and perform duties referred to in section 139.

(8) For implementation of provisions of Code relating to Chapter XIII and rules thereof, the Central Government may issue detailed guidelines explanatory in nature which shall be supplemented further by the respective State Government as per local needs.

CHAPTER XIII

EMPLOYEE'S COMPENSATION

57. Rate of interest payable by employer under clause (a) of sub-section (3) of section 77.—If the amount of compensation payable under sub-section (3) of section 77 is not paid by the employer within the period of thirty days, the employer shall pay, from the date on which the compensation becomes payable to the date on which it is paid, simple interest at the rate of twelve per cent. per annum or any other rate notified by the Central Government from time to time.

58. Manner of notice under sub-section (1) and the manner of transmitting money under sub-section (3), of section 92.—(1) No application under section 92(1) shall be processed before or by a competent authority other than the competent authority having the jurisdiction over the area in which the accident took place without his giving notice in Form-XXIX electronically or otherwise to the competent authority having jurisdiction over the area in which accident occurred and the State Government concerned.

(2) Money transmitted by one competent authority to another in accordance with sub-section (3) of section 92 shall be transmitted either by remittance receipt or by e-transfer or by net banking or by Demand Draft, as the competent authority transmitting the money may direct.

59. Form, manner and fee for application for claim or settlement under sub-section (3) of section 93.—(1) The applicant may send any application of the nature referred to in section 93 to the competent authority by speed post (with registration) or electronically or may be presented to him or to any of his subordinates authorised by him in this behalf, and, if so sent or presented, shall, unless the competent authority otherwise directs, be made in duplicate in Form-XXVII, if any, and shall be signed by the applicant.

(2) There shall be appended to every such application a certificate in Form-XXVIII, which shall be signed by the applicant to the effect that the statement of facts contained in the application is to the best of his knowledge and belief, accurate.

(3) When the application for relief is based upon a document, the document shall be appended to the application.

60. Rules to give effect to arrangements with other countries for transfer of money paid as compensation under section 159.—(1) When any sum is transmitted by any competent authority in India to any other competent authority in accordance with these rules by remittance transfer receipt or

by e-transfer or by net banking or by demand draft, the competent authority which transmits the sum may, deduct the costs of such transmission from the sum so transmitted.

(2) When the whole or any part of a lump sum deposited with a competent authority for payment as compensation under the Code is payable to any person or persons residing or about to reside in any other country, the competent authority may order the transfer to that country of the sum so payable.

(3) When the competent authority has ordered the transfer of any sum under sub-rule (2), he shall cause to be prepared and shall certify under his hand a memorandum containing a brief statement of the facts of the case, of the orders passed upon it and of the name and address of each person to whom payment is to be made.

(4) If the competent authority is not himself the Authorised Officer he shall forward the memorandum in duplicate to the Authorised Officer and may either remit the sum to be transferred to the Authorised Officer or retain it and dispose of it in accordance with the directions of the Authorised Officer.

(5) If the competent authority is himself the Authorised Officer, he shall proceed as provided in sub-rule (6).

(6) The Authorised Officer, after satisfying himself that the memorandum is complete, shall forward it and remit or cause to be remitted the sum to which it relates by such means of safe transmission as he may consider convenient to the authority appointed in this behalf for the country to which the sum is to be transferred, or if no such authority has been appointed, to such authority as the State Government may, by general or special order, direct, and shall at the same time request the authority addressed—

(a) to arrange for payment to be made in accordance with the directions contained in the memorandum; and

(b) to furnish him with a report of the action taken upon the memorandum and return any sum the payment of which is for any reason impossible.

(7) (a) The Authorised Officer shall, if he is not the competent authority with whom the matter originated, forward to such competent authority a copy of any report received in response to a request made under sub-rule (6).

(b) Any sum returned in accordance with sub-rule (6) shall be disposed of in accordance with the Code.

(8) (a) The Authorised Officer shall be the proper authority to receive moneys from transferring authorities.

(b) If any competent authority or other Government servant, not being the Authorised Officer, receives any sum from a transferring authority he shall either forward such sum, together with any papers relating thereto, to the Authorised Officer for disposal or obtain the instructions of the Authorised Officer as to the disposal of the sum and papers and act in accordance with his instructions.

(9) The Authorised Officer may himself dispose of any sum or part of any sum which he receives or of which he assumes control under sub-rule (8) or may send it or any part of it for disposal to such competent authority or competent authorities as he considers proper.

(10) All sums received from a transferring authority shall be disposed of as far as possible in accordance with the provisions of the Code and the rules made there under:

Provided that the directions, if any, received from the transferring authority as to the manner in which the sum should be administered shall be complied with.

(11)(a) The Authorised Officer shall forward to the transferring authority a report showing how the sum received from him has been disposed of.

(b) Any competent authority, not being the Authorised Officer who has disposed of any part of the sum, shall make a report in duplicate as to the disposal of that part to the Authorised Officer, and, if the sum was received by him from another such competent authority in accordance with section 92 of the Code, shall forward his report through that competent authority.

(12) Any part of the sum received from the transferring authority which shall have remained undisbursed after the completion of the proceedings shall be returned to the transferring authority by, or under the direction of the Authorised Officer.

61. Proceedings after transfer of matters. - The competent authority under clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 92 may initiate the proceedings afresh or he may continue the previous proceedings initiated under clause (a) of sub-section (1) of section 91 as if the same or any of its part had been taken before him if he is satisfied that the interest of the parties shall not thereby be prejudiced.

62. Transfer of records or money.-(1) If any matter under the Code is required to be processed before or by a competent authority other than the competent authority having jurisdiction over the area in which the accident took place the former may for the proper disposal of the matter call for in Form-XXX a detailed report including transfer of any records or money remaining with the latter and on receipt of such a request he shall comply with the same:

Provided that if any further enquiry is necessary in the area in which the accident took place for framing of issues or for determining the amount of compensation, the competent authority, before whom the application has been filed, may require the competent authority of the area in which the accident took place to conduct such enquiries and to serve such notices or orders as may be necessary for the purpose of such enquiries.

(2) Money deposited with one competent authority under section 81 shall be transmitted to another competent authority either by remittance transfer receipt or by e-transfer or by net banking or by demand draft.

63. Every employer shall at the time of employment of an employee, inform the employee of his right to compensation under the Code, in writing and by electronic means, in English or Hindi or in the official language of the area of employment, which is known to the employee.

CHAPTER XIV

MISCELLANEOUS

64. Establishment and administration of Social Security Fund.— (1) All the following funds received shall be credited to separate account(s) and called as Social Security Fund and all expenses towards the scheme notified under sections 109 and 114 for the Unorganised Workers, Gig Workers or Platform Workers shall be met out of the following Fund, namely –

(a) under sub-section (1) of section 141 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020); and

(b) under sub-section (1) of section 115 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(2) The Central Government shall identify the sources for initial funding or replenishing the Social Security Fund from time to time.

(3) The Fund shall be administered by the Central Government through an agency designated by the Central Government in the manner, as specified by the Central Government.

(4) Directions of the Central Government, if any, shall be complied with by the agency designated for the administration of the Social Security Fund.

(5) The Statement of accounts of the Social Security Fund shall be maintained by the agency, in the form and manner as specified by the Central Government and shall be submitted to the Central Government from time to time.

(6) The accounts of the Social Security Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India.

65. Eligibility conditions for grant of exemption.— (1) An establishment, to be eligible to seek exemption under section 143 shall be required to fulfil the following conditions, prior to grant of exemption, namely: -

(a) the employees of such establishment are in receipt of benefits substantially similar or superior to the benefits granted in the schemes framed under Chapter III or the benefits available under Chapter IV, as the case may be, of the Code;

(b) the establishment seeking exemption shall make an application electronically or otherwise;

(c) the establishment has been complying with the provisions of Chapter III of the Code or the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952); or, the provisions of Chapter IV of the Code or the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), as the case may be, for a continuous period of three years immediately before making the application and has not defaulted in payment of contribution payable under the respective Chapters during such period;

(d) the establishment seeking exemption under section 143 shall have minimum five hundred contributory members for the purposes of Chapter III of the Code or minimum five hundred employees for the purposes of Chapter IV of the Code, as the case may be, on the date of such application;

(e) the establishment seeking exemption from the provisions of the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme framed under section 15 shall have a cumulative balance in members account of rupees fifty crore or more in respect of the Scheme from which exemption is sought;

(f) for the purposes of the Chapter III, the establishment shall furnish consent of majority of the employees for seeking exemption under section 143;

(g) the establishment seeking exemption should have a positive net worth during each of the last three years before the date of application;

(h) the establishment must have seeded the Aadhaar number of each member in the respective member's account for the purposes of Chapter III or that of each of insured person and his or her family members for the purposes of Chapter IV, as the case may be, of the Code in the respective database; and

(i) for the purposes of Chapter III of the Code, the establishment shall provide facilities for online claim settlement and has an online portal for grievance resolution to provide linkages with that of Employees' Provident Fund Organisation within ninety days of grant of exemption.

(2) The notification granting exemption under section 143 shall be issued so as to take effect from the date of the notification and shall contain the other terms and conditions to be complied with by the establishment and /or the employer, as the case may be.

(3) (a) The application for extension of exemption under section 143 shall be made on specified portal, at least six months before expiry of exemption.

(b) The exemption granted to an establishment from the provisions of Chapter IV shall be extendable by the appropriate Government for a period of five years at a time, subject to the condition that the establishment continues to fulfil the relevant conditions in specified sub-rule (1) of rule 65 except that in clause (d) of sub-rule (1).

(c) No exemption under the provisions of Chapter IV shall be extended without prior consultation of the Corporation.

(d) The Corporation shall submit its views to the appropriate Government within three months of receipt of application failing which the appropriate Government shall decide on the extension of exemption, as it may deem fit.

(e) The exemption granted in respect of the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, may be extended for such period and on such terms and conditions as may be specified in the respective Schemes.

66. Time limit for Central Board or Corporation to provide views on application for exemption.

—The Central Board or the Corporation, as the case may be, shall forward its views on the application seeking exemption under section 143 to the appropriate Government within six months of receipt of proposal for exemption. If the Central Board or the Corporation, as the case may be, is unable to provide its views within the said period, the appropriate Government may extend the time limit or take action on the application for exemption, as it may deem fit.

67. Terms and conditions for compliance of exempted establishment.—(1) The establishment to which exemption has been granted from the provisions of Chapter IV of the Code –

(a) shall maintain such records regarding the exempted employees and submit such returns and other information to the Corporation as may be specified in the regulations made under section 157; and

(b) in case of change of legal status of an establishment which has been granted exemption under section 143, due to merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, formation into a subsidiary, whether wholly owned or not, etc., the exemption shall be deemed to be cancelled and the establishment shall be required to apply afresh for exemption to the appropriate Government.

(2) For the purposes of Chapter III, the establishment and/or employer, after the grant of exemption, shall comply with all such terms and conditions as may be specified in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, framed under section 15.

68. Terms and conditions for management of trust.—(1) A Board of Trustees shall be established for the management of the Provident Fund or the Pension Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time.

(2) The Board of Trustees shall consist of such equal number of representatives each of the employers and employees as may be specified in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme, as the case may be.

(3) The employer of such exempted establishment shall be the Chairperson of the Board of Trustees and the Chairperson may exercise a casting vote in the event of equality of votes and arm's length principles shall be maintained by the Chairperson in all meetings of the Board of Trustees.

(4) The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in the accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner or any officer authorised by him.

(5) The terms and conditions, including the tenure of office of the Trustees, the procedure and manner for election or nomination of the representatives of the employees and of employers to the Board of Trustees, disqualification and cessation of trusteeship, re-election or re-nomination of trustees, the quorum at the meeting of the Board, records to be kept of the transaction of business and all such other matters and conditions for the management of the Trust shall be as provided for in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme, as the case may be.

(6) In case of any dispute or doubt on-

(a) the interpretation of any provision of this rule, such matter shall be referred to the Central Government; and

(b) any clarifications on the grant of such exemption which do not relate to this rule, shall be referred to the Central Provident Fund Commissioner or any other officer of the Employees' Provident Fund Organization authorised by him;

and the interpretation of the Central Government or the clarification of the Central Provident Fund Commissioner or such officers, as the case may be, on such dispute or doubt shall be binding for the disposal of such matter so referred.

69. Manner of determining misuse of any benefit by an establishment or by any other person under section 148.-On the recommendations of the authority or the competent authority or Social Security Organisation, if the Central Government is satisfied that any establishment or any person has misused any benefit provided under the Code or these rules, the Central Government may by notification, deprive such establishments or such person, as the case may be, from such benefit for such time as may be specified in the notification:

Provided that no such order shall be passed unless an opportunity of being heard is given to such establishment or such person, as the case may be.

FORM- I

[See rule 13 (2)(a)]

APPEAL UNDER SECTION 23 OF THE CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020

Title of the case:

APPEAL

INDEX

Serial No.	Description of documents relied	Page No.
1.		
2.		
3.		
4.		

Signature of the Applicant

*For use in Tribunal's office*Date of filing (or) Date of receipt by post Registration
No.

Signature of Registrar

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

BETWEEN

A.B.

APPELLANT

Vs.

C.D.

RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL**1. Particulars of the Appellant:**

- i. Name of the appellant
- ii. Office address
- iii. Address for service of notices

2. Particulars of the Respondent:

- i. Name of the respondent
- ii. Office address
- iii. Address for service of notices

3. Particulars of the order/notification against which appeal is made.- The appeal is against the following order/notification

- i. Order/notification No. with reference to Annexure

- ii. Date
- iii. Passed by
- iv. Subject in brief
- 4. **Jurisdiction of the Tribunal.**—The appellant declares that the subject of the matter against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.
- 5. **Limitation.**—The appellant further declares that the appeal is within the limitation specified in section 126 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).
- 6. **Facts of the case.**—The facts of the case are given below:

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise)

- 7. **Details of remedies exhausted.**—The appellant declares that he has availed of all the remedies available to him under the Code.

(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of such representation with reference to the Annexure numbers).

- 8. **Matters not previously filed or pending with any other Court.**—The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matters in respects of which this appeal has been made, before any court of law or any other authority or any other bench of the Tribunal nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

In case the appellant has previously filed any appeal, writ petition or suit, the stage at which it is pending and if decided, the gist of the decision should be given with reference to the Annexure.

- 9. **Relief(s) sought.**—In view of the facts mentioned in para 6 above, the appellant prays for the following relief(s):—

[Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon].

- 10. **Interim order, if any, prayed for.**—Pending final decision on the appeal the applicant seeks issue of the following interim order—

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)

- 11. In the event of appeal being sent by speed post (with registration), it may be stated whether the appellant desires to have oral hearing at the admission stage and if so, he shall attach a self-addressed Post Card, Inland Letter, at which intimation regarding the date of hearing could be sent to him.
- 12. **Particulars of Bank Draft or Postal order in respect of the Appeal Fee:**

13. Name of the Bank on which drawn
14. Demand Draft No. (OR)
15. Details of online fund transfer
16. **List of enclosures**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

VERIFICATION

I, ... (Name of the Appellant) S/O, D/O, W/O
 Age..... working as in the office of resident of do
 hereby verify that the contents of paras to..... are true to my personal knowledge
 and paras to..... believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any
 material fact.

Signature of the Appellant

Date:

Place:

To
 The Registrar

FORM-II

[See rule 13 (2)(c)]

RECEIPT SLIP

Receipt of the appeal filed in the Central Government Industrial Tribunal at by
 Sri/Smt/Kum..... working in/for..... of..... residing
 at..... is hereby acknowledged.

For Registrar
 Central Government Industrial
 Tribunal

Date:

Seal:

FORM-III

[(See rules 32 (1),(2), (3) and (4)]

[For the purpose of Chapter-V]

Nomination/Fresh Nomination/Modification of Nomination
(Strike out the words not applicable)

Sl. No.	Details of the employee:
1.	Name of employee in full

2.	Father's/Spouse's name	
3.	Date of Birth (- -/ -/ - - -)	
4.	Universal Account Number(if available):	
5.	Sex	
6.	Religion	
7.	Whether unmarried/married/widow/widower	
8.	Department/Branch/Section where employed	
9.	Post held with Ticket No. or Serial No., if any	
10.	Date of appointment	
11.	Date of superannuation	
12.	Permanent address:	
	Village:	
	Post-Office:	
	Thana:	
	Sub-Division:	
	District:	
	State:	
	Pin-Code:	
	E-mail ID:	
	Mobile Number:	

To.....

(Give here name or description of the establishment with full address)

I, Shri/Shrimati/Kumari.....(Name in full here)whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person(s) mentioned below/ have acquired a family within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) with effect from the(date here) in the manner indicated below and therefore nominate afresh the person(s) mentioned below to receive the gratuity payable after my death as also the gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

or

I, Shri/Shrimati/Kumari.....(Name in full here) whose particulars are given in the statement below, hereby give notice that the nomination filled by me on date and recorded under your reference No.....dated..... shall stand modified in the following manner:-

**Strike out unnecessary portion.*

Nominee(s)

S.No.	Name in full with full	Relationship	Age of	Aadhaar No. of the	Proportion by

	address nominee(s)	of/with the employee	nominee	nominee	which the gratuity will be shared
1.					
2.					
3.					
So on					

DECLARATION

1. I hereby certify that the person(s) mentioned is/are a member(s) of my family within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

2. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (33) of section 2 of the said Code.

3 (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

4. I have excluded my husband from my family by a notice dated the..... to the competent authority in terms of clause (33) of section 2 of the said Code.

5. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Manner of acquiring a "Family"

(Here give details as to how a family was acquired, i.e., whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption)

Place:

Date:

Signature/Thumb-impression of the Employee

Certificate by the Employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's Reference No., if any

Signature of the employer/Officer authorised
Designation

Date:

Name and address of the establishment

or

rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the Employee

Received the duplicate copy of nomination in **Form-III** filed by me and duly certified by the employer.

Date:

Signature of the Employee

FORM-IV

[(See rule 33(1)]

Application for gratuity by an Employee/nominee/legal heir
(Strike out the words not applicable)

To,.....
(Give here name or description of the establishment with full address)

Sir/Madam,

I, ...(name of employee/nominee/legal heir) /nominee of late.....(Name of the employee)/ as a legal heir of late.....(Name of the employee), want to apply for payment of gratuity to which I am entitled under sub-section (1) of section 53 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) on account of-

(a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of continuous service/total disablement due to accident/total disablement due to disease/ on termination of contract period under fixed term employment with effect from the.....or;

(b) death of the aforesaid employee while in service/superannuation on.....after completion of.....years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from the..... or;

(c) death of aforesaid employee of your establishment while in service/superannuation on.....(date) without making any nomination after completion of years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from.....

Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below.

1. Name of employee in full, (if the gratuity is claimed by an employee)
 - a. Marital status of employee(unmarried/married/widow/widower)
 - b. Address in full of employee

or

2. Name of nominee/legal heir, (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir)

- a. Name of Employee
- b. Marital status of nominee/legal heir(unmarried/married/widow/widower)
- c. Relationship of nominee/legal heir with the employee
- d. Address in full of nominee/legal heir
- e. Date of death and proof of death of the employee
- f. Reference No. of recorded nomination, if available

3. Department/Branch/Section where last employed

4. Post held by employee.

5. Date of appointment.

6. Date and cause of termination of service

7. Date of Death

8. Total period of service of the employee

9. Total wages last drawn by the employee.

10. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir.

11. Payment may please be made by crossed bank cheque/credit in my bank account no.....

Yours faithfully,
Signature/Thumb-impression of the
applicant employee/nominee/legal heir.

Place:

Date:

FORM-V

[(See rule 33(2))]

Notice for payment/rejecting claim of gratuity

(Strike out the words not applicable)

To,.....
.....

(Name and address of the applicant employee/nominee legal heir)

You are hereby informed that

(a) *as required under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 33 of the Social Security (Central) Rules, 2026, that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in **Form-IV** under the said rules is not admissible for the reasons stated below:

Reasons (Here specify the reasons); or

(b) *as required under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 33 the Social Security (Central) Rules, 2026 that a sum of Rs.(Rupees.....) is payable to you as gratuity/as your share of gratuity in terms of nomination made by on

.....and.....recorded in this as a legal heir of.....an employee of this establishment.

2. *Please call at on..... (Here specify place).....(date) at.....(time) for collecting your payment of gratuity crossed cheque.

3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.

4. Brief statement of calculation

- a. Date of appointment.
- b. Date of termination/superannuation/resignation/ disablement/death.
- c. Total period of service of the employee concerned: years..... months.

(d) Wages last drawn:

(e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:

(f) Amount payable:

**strike out para, if not applicable*

Place:

Date:

Signature of the Employer/Authorised Officer.

Name or description of establishment or
rubber stamp thereof.

Copy to:

The Competent Authority.

FORM-VI

[(See rule 33(4)]

Application for Direction

Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020

Application No.

Date

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer concerned with full address)

The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late..... an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late..... and employee of the above-mentioned employer, and is entitled to payment of gratuity under section 53 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) on account of his own/aforesaid employee's superannuation on.....(date)/his own retirement/aforesaid employees' resignation on.....(date) completion of.....years of continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with effect from(date) due to accident/disease death of aforesaid employee on.....

2. The applicant submitted an application under rule..... of the Social Security (Central) Rules, 2026 on the but the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated the..... under clause of sub-rule of rule offering an amount of gratuity which is less than my due/issued a notice dated the

..... under clause..... of sub-rule.....of rule..... rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.

3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).

4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the applicant and direct the above-mentioned employer to pay the same to the applicant.

5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief.

Place:

Date:

Signature/Thumb impression of the applicant.

ANNEXURE

1. Name in full of applicant with full address
2. Basis of claim (Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
3. Name and address in full of the employee
4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower)
5. Name and address in full of the employer
6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known)
7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known)
8. Date of appointment of the employee (if known)
9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation / retirement / resignation /disablement / death/Completion of contract period under fixed term employment)
10. Total period of service by the employee
11. Wages last drawn by the employee
12. If the employee is dead, date and cause thereof
13. Evidence/witness in support of death of the employee
14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer
15. Evidence/witness in support of being a legal heir, if a legal heir
16. Total gratuity payable to the employee (if known)
17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir
18. Amount of gratuity claimed by the applicant

Place:

Date:

Signature/Thumb-impression of the applicant

FORM – VII

[(See rules 33 (5) and (8)]

Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon (Strike out the words not applicable)

To,

(Name and address of the employer/applicant)

Whereas Shri/Smt/Kumari an employee under your or a nominee(s) or legal heir(s) of Shri/Smt/Kumari.....an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under sub-rule (4) of rule 33 of the Social Security(Central) Rules, 2026 alleging that----

(A copy of the said application is enclosed, if summon is issued then copy of application is not required)

Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority at(place) either personally or through a person duly authorised in this behalf for the purpose of answering all material questions relating to the application on the day of 20..... at 'O' clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the allegation; and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your allegation/defence.

Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be dismissed/heard and determined in your absence.

Whereas your attendance is required to give evidence or you are required to produce the documents mentioned in the list below, on behalf of in the case arising out of the claim for gratuity by Form and referred to this Authority by an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), you are hereby summoned to appear personally before this Authority on the day of 20..... at 'O' clock in the forenoon/afternoon and to bring the said documents with you.

List of documents-

- 1.
- 2.
3. so on

Given under my hand and seal, this day of 20.....

Competent Authority
under the Code on Social Security Code, 2020

Note: 1. Strike out the words and paragraphs not applicable.

2. The portion not applicable to be deleted.

3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.

4. In case the summons are issued only for producing a document and not to give evidence it will be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the Competent authority on the day and hour fixed for the purpose.

FORM – VIII

[(See rules 33(11) and 33(12)(h)]

Notice for payment of gratuity as determined by Competent/Appellate Authority (Strike out the words not applicable)

To,
(Name and address of employer)

Whereas Shri/Smt./Kumari..... an employee..... (address) under you/a nominee(s)/legal heir(s) of late an employee under you, filed an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), before me; or

Whereas a notice was given to you on requiring you to make payment of Rs..... to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

And whereas the application was heard in your presence on.....and after the hearing have come to the finding that the said Shri/Smt./Kumari..... is entitled to a payment of Rs..... as gratuity under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020); or

Whereas you or the applicant went in appeal before the appellate authority, who has decided that an amount of Rs..... is due to be paid to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity due under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs. to Shri/Smt./Kumari within thirty days of the receipt of this notice with an intimation thereof to me.

Given under my hand and seal, this day of.....20.....

Competent Authority
under the Code on Social Security Code, 2020

Copy to:

1. The Applicant- He is advised to contact the employer for collecting payment.
2. The Appellate Authority if applicable.

Note.--- *(Strike out paragraphs if not applicable)*

FORM – IX

[(See rule 33 (13)]

Application for Recovery of Gratuity

Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020

Application No.

Date

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late.....

an employee of the above mentioned employer/a legal heir of late an employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated the under sub-rule (11) or sub-rule (12) of rule 33 of Social Security (Central) Rules, 2026for payment of a sum of Rs..... as gratuity payable under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as directed by you although I approached him for payment.

3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 for recovery of the said sum of Rs. due to me as gratuity in terms of your direction.

Signature/Thumb-impression of applicant.

Place:

Date:

Note.—Strike out the words not applicable.

FORM – X

[See rule 35(1)(a), 35(1)(d) and 35(2)(f)]

Certificate of Medical Officer/Medical Practitioner for confinement/miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation/ delivery of a child

This is to certify that-

1. *I examined.....wife/ daughter of a woman employee in..... (Name of the establishment) on..... (Date) and found/ cannot discover that she is pregnant and is expected to be delivered of a child within (month and/days) from the above mentioned date or has undergone miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation/has been delivered of a child on..... (Date) or is suffering from.....(date) from illness arising out of pregnancy or delivery or premature birth of a child or miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation.
2. *Smt..... wife/daughter of..... employed in..... (Name of the establishment) expired on before/during/ after confinement. The child died on.....or survives her.
3. *I examined....wife/ daughter of....a woman employed in..... (Name of establishment) and found that she has been delivered of a child or has undergone miscarriage on..... (date).

*Strike out unnecessary portion.

Signature and designation of

Medical Officer/Medical Practitioner/ASHA/ANM/Gram Pradhan/Village Administrative Officer/
Authorised Officer of the Municipality

Date.....

Definitions of "child" and "miscarriage" as in the Code on Social Security, 2020(36 of 2020).-

1. "Child" includes a still-born child.
2. "Miscarriage" means expulsion of the contents of a pregnant uterus at any period prior to or during the twenty-sixth week of pregnancy but does not include any miscarriage, the causing of which is punishable under the Indian Penal Code.

FORM – XI

[See rule 35 (2)(a) and (c)]

(Notice of claim for maternity benefit and payment thereof under sections 62 and 63)

To

..... (name of establishment)

PART I

[See Rule 35 (2)(a)]

Notice

I (name of woman) wife or daughter of..... employed as..... at.....(name of establishment), hereby give notice that I expect to be confined within six weeks next following from the date of this notice or have given birth to a child on.....(date) and shall be absent from work from.....(date). I shall not work in any establishment during the period for which I receive maternity benefit.

2.For the purpose of section 63, I hereby nominate..... (Here enter name and address of the nominee) to receive maternity benefit and/ or any other amount due to me under the Code in case of my death.

Signature of an Attester in case
the woman is not able to sign
and affix thumb impression.
Date.....

Signature or thumb impression of woman

PART II

[See rule 35 (2)(c)]

FORM OF RECEIPT OF MATERNITY BENEFIT

I,....., the undersigned, a woman employee/ the nominee of..... woman employee or legal representative of..... woman employee deceased in.....(name of establishment) at..... in..... district received maternity benefit and/or other amount due under the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) from the employer of the establishment referred to above, as detailed below:-

Rs..... being the first installment of maternity benefit paid on.....

Rs..... being the second installment of maternity benefit after delivery paid on.....

Rs..... being the medical bonus under section 64 of the Code paid on.....

Rs.....being the wages for the leave period from..... to..... mentioned under section 65.

*My/ Her confinement/ miscarriage or Medical termination of pregnancy or tubectomy operation took place on.....or I/she fell ill because of pregnancy, delivery, premature birth of a child or miscarriage or Medical termination of pregnancy or tubectomy operation on..... In consequence I..... her nominee/legal representative has received the aforesaid amounts prescribed in sections 60, 64 and 65 of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020).

Signature or thumb impression of.....

*Woman employee or her nominee or legal representative

Signature of an Attester in case the woman is not able to sign
and affixes thumb impression

Place:

Date:

*Strike out unnecessary portion.

Form XII

[seerule 38 (2)]

Appeal under Section 68

To

The Competent Authority
(Appointed under Chapter VI of Code on Social Security, 2020)
.....(Address)

Sir,

I, ... The undersigned, woman employee of(name and full address of the establishment) have been wrongly deprived by the employer of maternity benefit or medical bonus or both or wrongly discharged or dismissed during or on account of absence from work in accordance with the provisions of Chapter VI of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) for the reasons attached hereto, prefer this appeal under sub-section (2) of section 68 and request that the said employer be ordered to pay the above mentioned amount to me and/or set aside the order of discharge/dismissal. A copy of the order of the employer in this behalf is enclosed.

Signature or thumb impression of the Woman employee/
nominee/ legal representative

Place.....

Date.....

Signature of an Attester in case the woman employee/
nominee/ legal representative is
unable to sign and affixes thumb impression.

Full address of the woman employee /nominee/legal representative.

FORM – XIII-A

[See rule 39(1)(a)]

Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

To,

The Inspector-cum-Facilitator
(under the Code on Social Security, 2020)

Sir,

I..... (Name of woman employee) employed in..... (name and full address of the establishment) or I....., (name), a person nominated under section 62 by or a legal representative of.....(name of woman employee) employed in.....(name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) and the rules framed thereunder, am entitled to Rs..... being maternity benefit and/ or Rs..... being the medical bonus and/ or Rs..... being wages for leave due under section 65 but the same has been improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of my/her absence from work in accordance with the provisions of Chapter VI of Code on Social Security, 2020(36 of 2020).

You are, therefore, requested to direct the employer to pay the amount to me and/or to set aside the discharge or dismissal done by the employer.

Signature or thumb impression of the Woman employee/
nominee/ legal representative

Place.....

Date.....

Signature of an Attester in case the woman employee/
nominee/ legal representative is
unable to sign and affixes thumb impression.

Full address of the woman employee/nominee/legal representative.

FORM-XIII-B

[See rule 39 (2) (b)]

Appeal

To,

The Appellate Authority,

(Appointed under the Code on Social Security, 2020)

.....(Address)

Sir,

I....., the undersigned, woman employee/her legal heir/her representative or employer/his representative of..... (name and full address of the establishment) aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator Shri..... hereby prefer this Appeal under sub-section (3) of section 72 in view of the facts mentioned in the memorandum and other documents filed herewith.

*Denial by his order under sub-section (2) of section 72, the maternity benefit or other amount (Nature of amount) to which..... (Name of woman employee) is entitled and/or refused to set aside discharge or dismissal of (Name of woman employee) during or on account of absence from work in accordance with the provisions of Chapter VI of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020)(*Strike out unnecessary portion*).

*It is submitted that the (Name of woman employee) is not entitled to the maternity benefit or the said amount and/or rightly discharged or dismissed hence the order of the Inspector-cum-Facilitator may be set aside.

**Strike out unnecessary portion.*

Signature or thumb impression of the Woman employee/Aggrieved person/Employer

Place.....

Date.....

.....
Signature of an Attester in case the woman employee is
not able to sign and affixes thumb impression.
Full address of the nominee/legal representative

FORM – XIV

[See rule 40(4)]

(Abstract for the Maternity Benefit, and the rules made under the Code on Social Security, 2020).

1. No employer shall knowingly employ a woman during the six weeks immediately following the day of her delivery/miscarriage/Medical termination of pregnancy and no woman shall work in any establishment during the said period.

2. No pregnant woman shall, on a request being made by her in this behalf, be required by her employer to do during the period of one month immediately preceding the period of six weeks before

the date of her expected delivery and also for any period during this period of six weeks for which she does not avail of leave of absence, any work which is of an arduous nature or which involves long hours of standing, or which in way is likely to interfere with her pregnancy or the normal development of the foetus, or is likely to cause her miscarriage or otherwise to adversely affect her health.

3. (a) Subject to the provisions of the Code, every woman who has actually worked in an establishment of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than eighty days, including the days during which she was laid off, shall be entitled to, and her employer shall be liable for, the payment of maternity benefit at the rate of her average daily wages, or the minimum rate of wage fixed or revised under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) or two hundred rupees a day, whichever is higher, for the period of her actual absence not exceeding six weeks immediately preceding the day of delivery and the remaining period immediately following that day:

Provided that where a woman dies during the period for which maternity benefit is payable, to her, the benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death. However, where the woman having been delivered of a child, dies during her delivery or during the remaining period of maternity benefit leaving behind in either case the child, the employer shall be liable for the payment of maternity benefit for the entire period of maternity benefit following the day of her delivery but if the child also dies during the said period, then, for the days up to and including the day of the death of the child.

(b) The amount of maternity benefit for the period preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance by the employer to the woman on production of a certificate in **Form-X** stating that she is pregnant and is expected to be delivered of a child within six weeks of the date of production of the certificate, and the amount due for the subsequent period shall be paid by the employer to the woman within forty-eight hours of production of the certificate in **Form-X** stating that she has been delivered of a child or production of a certified extract from a Birth Register maintained under the provisions of any law for the time being in force.

4. (a) Any woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit under the provisions of the Code may give notice in writing in **Form-XI** to her employer, stating that her maternity benefit and any other amount to which she may be entitled under the Code may be paid to her or to such person as she may nominate in the notice and that she will not work in any establishment during the period for which she receives maternity benefit.

(b) In the case of a woman who is pregnant, such notice shall state the date from which she will be absent from work, not being a date earlier than six weeks from the date of her expected delivery.

(c) Any woman who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as soon as possible after the delivery.

(d) On receipt of the notice, the employer shall permit such woman to absent herself from establishment until the expiry of the remaining period of maternity benefit after the day of her delivery.

5. (a) Every woman entitled to maternity benefit under the Code shall also be entitled to receive from her employer a medical bonus of rupees three thousand and five hundred, if no pre-natal, confinement and post-natal care is provided for by the employer free of charge. The medical bonus shall be paid along with the second installment of the maternity benefit.

(b) In case of miscarriage/medical termination of pregnancy, a woman shall, on production of a certificate in **Form-X** be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefit, for a period of six weeks immediately following the day of her miscarriage. The wages shall be paid within 48 hours of production of the certificate in **Form-X**.

(c) A woman suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of child or miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall, on production of a certificate in **Form-X**, be entitled, in addition to the period of absence allowed to her on account of maternity or miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation, as the case may be, to leave with wages at the rate of maternity benefit for a maximum period of one month. The wages for the leave period shall be paid within 48 hours of the expiry of that period.

6. Every woman delivered of a child who returns to duty after such delivery shall, in addition to the interval for rest allowed to her, be allowed in the course of her daily work two breaks of 15 minutes' duration for nursing the child until the child attains the age of fifteen months. An extra sufficient period, depending upon the distance to be covered, shall be allowed for the purpose of the journey to and from the creche or the place where the children are left by women while on duty, provided that such extra period shall be upto 15 minutes.

7. (1) When a woman absents herself from work in accordance with the provisions of the Code, it shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss her during or on account of such absence or to give notice of discharge or dismissal on such a day that the notice will expire during such absence, or to vary to her disadvantage any of the conditions of her service.

(2) (a) The discharge or dismissal of a woman at any time during her pregnancy, if the woman but for which discharge or dismissal would have been entitled to maternity benefit or medical bonus shall not have the effect of depriving her of the maternity benefit or medical bonus:

Provided that where the dismissal is for one or more of the following acts, the employer may, by order in writing communicate to the woman, deprive her of the maternity benefit or medical bonus or both-

- (i) wilful destruction of employer's goods or property;
- (ii) assaulting any superior or co-employee at the place of work;
- (iii) criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in a Court of law;
- (iv) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property; and
- (v) wilful non-observance of safety measures or rules on the subject or wilful interference with safety devices or with fire-fighting equipment.

(b) Any woman deprived of maternity benefit or medical bonus or both, may within sixty days from the date on which the order of such deprivation is communicated to her, appeal in **Form-XII** to the Competent Authority and his decision on such appeal whether the woman should or should not be deprived of maternity benefit or medical bonus or both, shall be final.

8. If a woman works in any establishment after she has been permitted by her employer to absent herself under the provisions of the Code, she shall forfeit her claim to the maternity benefit for such period.

9. (1) Any woman claiming the maternity benefit or any other amount to which she is entitled under the Code and any person claiming that payment due has been improperly withheld may make complaint to the Inspector-cum-Facilitators in writing in **Form-XIII-A**.

(2) The Inspector-cum-Facilitators may, on his own motion or on receipt of a complaint in **Form-XIII-A**, make an inquiry or cause an enquiry to be made and if satisfied that payment has been wrongfully withheld, may direct the payment to be made in accordance with his orders.

(3) Any person aggrieved by the decision of the Inspector-cum-Facilitator may, within, thirty days from the date on which such decision is communicated to such person, appeal in **Form-XIII-B** to the Authority prescribed by the appropriate Government.

(4) The decision of Authority where an appeal has been preferred to him or of the Inspector-cum-Facilitator where no such appeal has been preferred, shall be final.

10. (a) The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost copies of Forms X, XI, XII, XIII-A and XIII-B.

(b) The failure to submit a notice, appeal or complaint in the prescribed form shall not affect the right of a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code. Where a notice, appeal or complaint has been received in a form other than the prescribed form, the authority concerned shall within fifteen days of the receipt of such notice, appeal or complaint, require the woman to submit the notice, appeal or complaint, as the case may be in the prescribed form.

11. (a) (1) The employer of the establishment in which women are employed shall prepare and maintain a register of women employees in **Form-XXII** and shall enter therein particulars of all women employees in the establishment.

(2) All entries in the register of women employees shall be made in ink and maintained up-to-date and it shall always be available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator during working hours.

(b) The employer to which the Code applies, on or before the 28th/29th day of February in each year, upload a unified annual return in Form-XXIII online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.— The expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

FORM – XV

[See rule 41(1)(a) and (b)]

Information for commencement or modification in respect of building or other construction work by the employer

1.	Name and address (permanent) of the establishment.	
2.	Name of the employer and address details	
3.	Name and address/ location of place where the building or other construction is proposed to be carried on.	
4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details	
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work	
6.	Nature of proposed construction work	
7.	Date of commencement of work (in case construction has started)	
8.	Approximate duration of work	
9.	Details of any change /modifications in the proposed construction work	

Declaration

I/we hereby intimate that the building or other construction work (name of work) having registration number dated is likely to commence or is likely to modify with effect from (date)/ [on (date)].

Signature and Seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XVI

[See rule 41 (2)(b)]

Format for Self- assessment of Cess for building or other construction work to be furnished by employer

1.	Name and address (permanent) of the establishment.	
2.	Name of the employer and address details	
3.	Name and address or location of place where the building or other construction work is proposed to be carried on.	
4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details	
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work	
6.	Nature of proposed construction work	
7.	Date of commencement of work(in case construction has started)	
8.	Approximate duration of work	
9.	Total proposed area of construction work	
10.	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates, as the case may be) along with documents (original) as per Rule 41.	
11.	Total estimated cost of construction as certified by chartered engineer	
12.	Amount of provisional cess	%age of total estimated cost of the construction as notified by the Central Government Total estimated cess (in Rs.)

13	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) or deduction at source		
14	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)		
	Sl No	Year	Amount (in Rs.)
	14.1	1 st year	
	14.2	2 nd Year	
	14.3	3 rd Year	
15	Total amount of the cess paid (Sl.No. 13 + 14)		

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been misrepresented in the above calculation made by me/us.
2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer

Along with his registration number, duly stamped.

FORM- XVII

[See rules 41(2) (e) and 41(5)(a)(b)(c)]

Notice for stoppage or reduction of Building or Other Construction Work

1.	Name of Establishment	
2.	Registration number of Establishment	
3.	Address of establishment	
4.	Date of commencement of work	DD MM YYYY

5.	Approximate proposed period of work	DD MM YYYY	
6.	Date of stoppage or reduction of the building or other construction work		
7.	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates, as the case may be) along with documents (original) as per Rule 41.		
8.	Total incurred cost of the construction work		
9.	Total amount of cess payable	%age of total incurred cost of the construction as notified by the Central Government	Total cess payable (in Rs.)
10.	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) /deduction at source, if any		
11.	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work was more than one year)		
	Sl. No.	Year	Amount (in Rs.)
	11.1	1 st year	
	11.2	2 nd Year	
	11.3	3 rd Year	
12.	Total amount of the cess paid (Sl.No. 10 + Sl.No 11)		
13.	Amount of outstanding cess (Sl.No. 9 – Sl.No.12)		
14.	Proof of payment of outstanding cess, if applicable		
15.	Amount of overpaid cess, if applicable		
16.	In case overpaid, details of the bank account in which excess amount is to be refunded		
17.	Remarks, if any		

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer**Along with his registration number, duly stamped.****FORM- XVIII***[See rules 41 (2) (f) and 41(4) (a), (c) and (e)]***Return on completion of building or other construction work submitted by employer**

1.	Name and address (permanent) of the establishment		
2.	Name of the employer and address details		
3.	Name and address/ location of place where the building or other construction is proposed to be carried on		
4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details		
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work		
6.	Nature of proposed construction work		
7.	Date of commencement of work(in case construction has started)		
8.	Date of completion of work		
9.	Duration of work		
10.	Total completed area of construction work		
11.	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates, as the case may be) along with documents (original) as per Rule 41		
12.	Total incurred cost of the construction work		
13.	Total amount of cess payable	%age of total incurred cost of the construction as notified by the Central Government	Total cess payable (in Rs.)
14.	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) /deduction at source, if any		
15.	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)		
	Sl. No.	Year	Amount (in Rs.)
	15.1	1 st year	

15.2	2 nd Year	
15.3	3 rd Year	
16	Total amount of the cess paid (Sl. No. 14 + Sl. No. 15)	
17	Amount of outstanding cess (Sl. No. 13 – Sl. No.16)	
18	Proof of payment of outstanding cess, if any	
19	Amount of overpaid cess, if applicable	
20	In case overpaid, details of the bank account in which excess amount is to be refunded	
21	Remarks, if any	

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer

Along with his registration number, duly stamped.

FORM – XIX

[See rule 44(1) of the Social Security(Central) Rules, 2026 and section 105 of the Code on Social Security, 2020]

Proforma for appeal before the Appellate Authority against Order of assessment or Order imposing penalty

1	Name and address (permanent) of the establishment.	
2	Name of the employer and address details	
3	Name and address/ location of place where the building or other construction is proposed to be carried on.	
4	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details	
5	Correspondence address for the proposed building or other construction work	
6	Nature of proposed construction work	
7	Date of commencement of work(in case construction	

	has started)	
8	Date of completion of work	
9	Duration of work	
10	Total completed area of construction work	
11	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates, as the case may be) along with documents (original) as per Rule 41.	
12	Total incurred cost of the construction work	
13	Total amount of cess payable	%age of total incurred cost of the construction as notified by the Central Government
		Total cess payable (in Rs.)
14	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) /deduction at source, if any	
15	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)	
	Sl.No.	Year
	15.1	1 st year
	15.2	2 nd Year
	15.3	3 rd Year
16	Total amount of the cess paid (Sl. No. 14 + Sl. No. 15)	
17	Amount of outstanding cess (Sl. No. 13 – Sl. No.16)	
18	Proof of payment of outstanding Cess, if any	
19	Amount of overpaid cess, if applicable	
20	Amount of cess assessed by the Assessing Officer	
21	Amount of outstanding cess to be paid by the employer	
22	Amount of penalty for non-payment of cess imposed / outstanding cess claimed by the assessing officer.	
23	Ground for appeal with supporting documents	
24	Remarks, if any	

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.
2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XX*[See rule 49(3)(a)]*

**Format for self- assessment of contribution by aggregators of gig workers or platform workers
(to be submitted by 30th June of the current year in which the contribution is payable.)**

1	Registration number (LIN) of Aggregator	
2	Name of the Aggregator and address/ location of Aggregator	
3	Name and address of the authorised person along with contact details	
4	Number of gig workers or platform workers engaged with the Aggregator as on opening day of the current financial year, i.e. 1 st day of April in the year in which contribution is payable.	
5	Annual turnover of such aggregator of the preceding year	
6	Provisional contribution assessment (tick whichever is applicable) -	
6.1	% of the annual turnover as notified under sub-section (4) of section 114 for the preceding year	
6.2	5% of amount paid or payable to gig workers and platform workers, by the aggregator during the preceding year.	
7	Amount of contribution payable (in Rs.)	
8	Payment of provisional contribution as assessed above.	
9	Details of the provisional payment	
10	Remarks, if any	

Note: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the Central Government.

Declaration

I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

Signature of authorised person
Along with seal and stamp

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XXI*[See rule 49 (3)(b) and (c)]*

**Format for return to be submitted by Aggregators of gig workers or platform workers
(to be submitted by 31st October, of the current year in which the contribution is payable.)**

1	Registration number (LIN) of Aggregator	
2	Name of the aggregator and address/ location of aggregator	
3	Name and address of the authorised person along with contact details	
4	Number of gig workers or platform workers engaged with the aggregator as on opening day of the current financial year, i.e. 1 st day of April in the year in which contribution is payable.	
5	Annual turnover of such aggregator of the preceding year	
6	Final contribution assessment after audited statement of account	(Amount in Rs.)
6.1	% of the annual turnover as per notification under sub-section (4) of section 114 for the preceding year	
6.2	5% of the liability of the aggregator to gig workers and platform workers	
7	Amount of contribution payable (in Rs.)	
8	Amount paid as provisional contribution based on self-assessment.	
9	Details of the provisional payment (along with receipt)	
10	Amount of outstanding contribution to be paid (Sl. No 7- Sl.No. 8)	
11	Proof of payment of outstanding contribution, if any	
12	Amount of excess paid contribution, if any	
13	In case excess paid, details of the bank account in which excess amount is to be refunded	
14	Remarks, if any	

Note: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the Central Government.

Declaration

I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

Signature of authorised person
Along with seal and stamp

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XXII
[(See rule 53 (1)(a))]

REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES

1. Name of establishment
2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name.
3. Date of appointment.
4. Insurance No.(in case covered under ESIC)
5. Provident Fund Registration No.(in case covered under EPFO)
6. Nature of work.
7. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed.

Month	No. of days employed	No. of days laid off	No. of days not employed	Remarks
a	b	c	d	e

8. Date on which the woman gives notice under section 62.
9. Date of discharge/dismissal, if any.
10. Date of production of proof of pregnancy under section 62.
11. Date of birth of child.
12. Date of production of proof of delivery/miscarriage/medical termination of pregnancy/tubectomy operation /death / adoption of child.
13. Date of production of proof of illness referred to in section 65.
14. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery.
15. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit.
16. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64.
17. Date with the amount of wages paid on account of leave under sub-section (1) and (3) of section 65.
18. Date with the amount of wages paid on account of leave under sub-section (2) of section 65 and period of leave granted.
19. Name of the person nominated by the woman under section 62.
20. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment.
21. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid.
22. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of women employees.
23. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator.

FORM XXIII
[(See rule 53(5))]
ANNUAL RETURN

FOR THE YEAR ENDING 31st December

Single annual integrated return to be filed online under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020(37 of 2020), the Code on Industrial Relations, 2020(35 of 2020), the Code on Social Security, 2020(36 of 2020), and the Code on Wages, 2019(29 of 2019) and the rules made there under.

Instructions for filling up the Annual Return

- (1) This return shall be filled-up and furnished on or before the 28th or 29th day of February every year.
- (2) This return consists of two parts i.e. Part-I, which shall be filled up by all establishments.
- (3) Part-II shall be filled-up only by the establishments that are Mines in addition to Part-I.
- (4) The terms “establishment” and “mines” shall have the same meanings as assigned to them in the respective Codes.
- (5) This return shall be filled-up in the case of contractor or manpower supplier who has engaged more than 50 workers and in the case of mines, even where one worker was employed during the relevant period.

Applicable to All Establishments - Part-I

A. General Information:

Sl. No.			Instructions for filling the column
1.	Labour Identification Number		EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN)
2.	Period of the Return	From - To-	Period should be calendar year
3.	Name of the Establishment		
4.	Email ID (employer)		
5.	Telephone No. (employer)		
6.	Mobile number (employer)		
7.	Premise name		
8.	Sub-locality		
9.	District		
10.	State		
11.	Pin Code		
12.	Geo Co-ordinates		
B(a).	Hours of Work in a day		
B(b).	Number of Shifts		

	Number of hours in a shift								
C. Details of Manpower Deployed									
Details	Directly employed				Employed through Contractor				Grand Total
Skill Category	Highly Skill ed	Skille d	Semi-Skille d	Un-Skille d	Highl y Skille d	Skille d	Sem i-Skill ed	Un-Skille d	
(i) Maxim um No. day during the year	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(ii) Avera ge No. the year	No. to be indicated	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iii) Maximum number of Migrant Worker during the year (Section 59 of OSH&WC Code)	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iv) Number of fixed term employee engaged	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T					
D. Details of contractors engaged in the Establishment:									
Sl. No.	Name with LIN of the Contractor			No. of Contract Labour Engaged					
E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.									
Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided			Statutory (specify the statute)		Instructions for filling			
1.	Whether facility of Canteen provided (as per section 24(v) of OSH&WC Code, 2020)			Tick yes or no in the box and not applicable		Applicable to all establishments wherein hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed			
2.	Crèches(as per section 67 of Code on Social Security Code, 2020 and section 24 of the OSH&WC Code 2020)			Tick yes or no in the box and not applicable		Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed			

2	If 2 above is not given than whether Crèches allowance under Rule.. of Social Security Code given.	Tick yes or no in the box and not applicable	Reference rule.. on Social Security
3.	Ambulance Room(as per section 24(2)(i) of OSH&WC Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to mine, building or other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed
4.	Safety Committee (as per section 22(1) of OSH&WC Code, 2020.	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to establishments and factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BOCW employing 250workers or more, and mines employing 100 or more workers.
5.	Safety Officer (as per section 22(2) of OSH&WC Code, 2020)	No. of safety officers appointed	In case of mine 100 or more workers, in case of BOCW 250 or more workers and in case of dock work 500 or more workers are ordinarily employed.
6.	Qualified Medical Practitioner (as per section 12 (2) of OSH&WC Code 2020.	No. of Qualified Medical Practitioner appointed.	There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health.

F. The Industrial Relations:					Instructions for filling
1.	Is the Works Committee has been functioning.(Section 3 of IR Code, 2020)			Yes/No and not applicable	Industrial establishment in which 100 or more workers are employed
(a)	Date of its constitution.				
2.	Whether the Safety Redressal Committee constituted (Section 4 of IR Code, 2020)			Yes/No and not applicable	Industrial establishment employing 20 or more workers
3.	Number of registered Unions in the establishments.				
4.	Whether any negotiation union exist(Section 14 of IR Code, 2020)			Yes/No	
5.	Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020)			Yes/No	
6.	Number of workers discharged/dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:				
		Dismissed	Retrenched	Discharged /Terminated or Removed	Grand Total
7.	Man-days lost during the year on account of				
Sl. No.	Reasons		Period /Date	No. of man-days	

			lost		
(a)	Strike				
(b)	Lockout				
8.	Details of retrenchment / lay off				
Sl. No.	No. of persons retrenched during the period	Details of payment paid to retrenched employees	No. of workers laid off during the period	No. of man-days lost due to lay-off	Applies on industrial establishment employing 300 or more workers

G. Details pertaining to maternity benefit:				
No. of f	No. of female employees availed maternity leave	No. of female employees paid medical bonus	No. of deduction of wages, if any made from female employees	

H. Details of payment of bonus:				
Sl. No.	No. of employees covered under the Bonus provision	Total amount of bonus actually paid	Date on which the Bonus paid	
I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:				
Sl. No.	Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per section 10 of the OSH&WC Code, 2020.	Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH&WC Code, 2020.	Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH&WC Code,2020	Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH&WC Code, 2020 along with the details of affected persons
J. Man days and production lost due to accidents / dangerous occurrences				
Sl. No.	Accident/Dangerous Occurrence	Man days lost	Production Lost	

Part II (For Mines)

A. General information		
1.	Establishment Name	
2.	Name of Company/ Name of Owner	
3.	Type of organization (drop down)	PSU Central/ PSU State/ Private/
4.	Type of ownership (drop down)	Firm/Association/Individual/Partnership/Company
5.	Type of Mineral (drop down)	Coal/Metal/Oil

6.	Name of Mineral	
7.	Type of Mine (drop down)	Belowground/ Opencast/ Aboveground/Mixed/OffShore/OnShore
8.	Date of opening	To be filled for first time
9.	Mine Code	To be filled for first time
10.	Date of closing (if any)	NA/ Calendar to be given
11.	Date of reopening (if any)	NA/ Calendar to be given
12.	Depth of working in mts.	Maximum Depth: Minimum Depth:

B. Statutory personnel employed in the mine (as on 31st December)

Sl. No.	Designation as per Code	Number of Statutory Persons required	Number of Statutory Persons employed
1.			

C. Method of Working vis-a-vis Safety Parameters

1	Name of Method (Specify the name) (as per drop down menu)		
2	Quantity of mineral Produced in Cu.m./Tonne		
3	Quantity of Waste/overburden removed in Cu.m./Tonne		
4	Stage of Working (as per drop down menu)	Development/Extraction/Mixed	
5	Permissible Void in Cu.m.		For extraction stage
6	Actual Void in Cu.m.		For extraction stage
7	Area of overhang		For extraction stage
8	Maximum Inflammable gas released in Cu. Meter per ton of coal produced		For Development stage
9	Overall Pit slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Pit		
10	Overall dump slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Dump		
11	Area of fire in Sq. m.		
12	Length of embankment required to be provided against the water body		
13	Length of embankment provided against the water body		

14	Length of fencing required/provided as per statute		
15	No. of opening required to be sealed in case of abandoned mines:		
16	No. of Openings sealed in case of abandoned mines:		
17	Number of Mock drills conducted and date of same with coverage of employees		
18	No. of Oil/Gas wells: under drilling/ under production/ under work over (as per drop down menu)		For Oil and gas mines
19	No. of wells where production discontinued		For Oil and gas mines
20	If Yes to pt. 19 above, Action taken		
21	Action Taken in respect of Wells where production has been discontinued		For Oil and gas mines
22	Maximum Quantity of explosive used in any day (in Kgs.)		For all types of mine
23	Whether Building or Structures not belonging to owner lies within danger zone?	Yes/No/NA	For Coal & Metalliferous Mines
24	Aggregate HP/KW of machineries installed/deployed in the mine for the year		For all types of mine

D. Medical examinations - Initial/Periodical (IME/PME):

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Undergone IME	
Undergone PME	
Declared medically Temporary unfit	
Given alternate Employment due to Medical unfitness	
Terminated on account of being medically unfit	

E. Details of Vocational training imparted:

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Imparted Basic Vocational Training	
Imparted Refresher Training	
Imparted special Training	

F. Details of Accident, Dangerous Occurrence and Occupational Diseases :**(1) Details of Accidents and Dangerous Occurrences:**

Sl. No.	Date of Accidents/Dangerous Occurrences	No. of persons killed	No. of persons received Serious Bodily Injury	Number of persons injured (Excluding Serious Bodily Injury) and thereby prevented from working for a period of 48 hours or more	Nature of Occurrence	Mandays lost
1.						

(2) Details of Occupational diseases:

Sl. No	Notified Disease	No. of cases
1		

G. Details of Safety Management Plan:

- (a) Safety Management Plan Prepared: (Yes/No/NA)
 (b) Date of Submission : Date
 (c) Last date of review of Safety Management Plan: Date
 (d) Principal Hazards Identified:

Sl. no.	List of Principal hazards identified	Principal hazard Mitigation date	Principal hazard not mitigated till 31 st December	Reasons for failure to mitigate the same
1.				

H. Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)**A. For Mine: (To be filled by mine owner)**

- (i) Address of the Rescue Station with Geo-coordinates serving the mines;
 (ii) Distance of the Rescue Station from mine opening; -----(in KM)
 (iii) Whether a mine Rescue Station has been established by the mine ? (Yes/No)

Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)**(For Rescue Station)**

For Mine Rescue Station (To be filled by the Superintendent of the Rescue Station)

- (i) Name of the owner of the mine at which the Mine Rescue Station is located:
- (ii) Address of MRS:
- (iii) Name of the Superintendent :
- (iv) Details of the mine served by the Rescue Station:

Sl. No.	Name of the Mines	Distance of the Mine from MRS (in Kms)

- (v) Details of Personnel Deployed at Rescue Station;

Sl. No.	Designation as per Code	Number of statutory persons required	Number of statutory persons employed

- (vi) Details of Equipment/Apparatus :

Sl. No.	Type of Equipment/Apparatus required	Numbers of Equipment/Apparatus available

- (vi) Particulars of Emergency Attended:

Sl.No.	Name of the Mine	Nature of Emergency	Response Time (time taken by rescue services to attend the emergency)	Time taken for Rescue & Recovery	Action Taken

- (vii) Additional Information :
 - (a) Number of Rescue Rooms :
 - (b) Number of Rescue Trained Persons Required :
 - (c) Number of Rescue Trained Person available :
 - (d) Whether Canteen facility exist or not? (Yes/No):

Certified that the tables are duly filled in and the information and figures furnished therein are correct to the best of my knowledge.

Signature of Employer/Occupier/Owner/Agent/Manager

Place:

Dated:

PART III**ANNUAL RETURN period ending 31st December**

(to be submitted by the principal employer on Shram Suvidha Portal)

1. Name of the principal employer:
2. Name of the establishment:
3. Registration number (LIN) of the establishment:
4. Details of the Contractors, wages paid, etc.:

Sl .	Mont h	Name and address of the contracto rs	LIN of the contract or	Nam e of the work	Maximu m number of contract labour employe d	Amount paid against wage bill (if applicabl e) to the contracto r (includin g EPF, ESIC, Bonus etc.)	Date of payment of wage bill (if applicabl e)	Amount of the wages paid directly to the contract labour by Principa l Employ er (in case the contract or fails to pay)	Date of payment of wages paid directly to the contract labour by Principa l Employ er (in case the contract or fails to pay)	Remar ks

Signature of the principal employer**Date:**

Shram Shuvidha Portal Ministry of Labour and Employment Self-Declaration form for EPFO/ESIC Contribution Year: ____	
PAN No:	
LIN:(Auto-Populated)	
EPF Code No. (Auto-Populated)(Editable): Branch Code Nos. (Auto-Populated)(Editable):	ESI Code No.(Auto-Populated)(Editable): Sub Code Nos. (Auto-Populated)(Editable):

[illegible]

12/20..												
01/20..												
02/20..												
03/20..												

- Upload Salary sheet of contribution details of all members as per **Form-VIIIB(Register of Wages, Overtime & Deduction)**

Details of Employees non-enrolled but eligible to be member:								
Sr. No	Name of Employee	Gender	Aadhaar Number	Father's Name	Date of Birth	Date of Joining	Date of Exit(If already left)	Wages paid

Contractors details:						
S.No.	Name & Address of the contractor	EPF code No.	ESI code No.	Nature of work	Maximum Number of employees employed during any day	Total payment made during the FY

<*contractor details may be pre-filled from CLC Licence data if available with option to add other contractors>

Details of tax benefit claimed by employer by way of contribution towards a recognized provident fund or an approved superannuation fund u/s 36(1)(iv) of Income Tax Act:

Financial Year	Contribution	Tax benefit

UPLOAD DOCUMENTS:

S. No.	DOCUMENT Name	<upload field in portal>
1.	Balance Sheet*	• <upload field for Balance Sheet of the financial year>
2.	Form 26AS*	• <upload field for Form 26AS of the financial year>
3.	Form 26Q*	• <upload field for Form 26Q of the financial year>

*mandatory field

(Signature of the Employer/authorized representative)

***Section 36(1)(iv) of Income Tax Act:**

any sum paid by the assessee as an employer by way of contribution towards a recognised provident fund or an approved superannuation fund, subject to such limits as may be prescribed for the purpose of recognising the provident fund or approving the superannuation fund, as the case may be; and subject to such conditions as the Board may think fit to specify in cases where the contributions are not in the nature of annual contributions of fixed amounts or annual contributions fixed on some definite basis by reference to the income chargeable under the head "Salaries" or to the contributions or to the number of members of the fund;

FORM-XXIV*[See rule 54 (1), (2) and (3)]***Notice to the employer for an offence committed under the provisions of the Code for the first time for compounding of offences under sub-section (1) of section 138****Notice No.....****Date:**

On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment..... (Registration No.....), have committed an offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations framed thereunder as per the details given below:-

PART – I

1.	Name of the person:	
2.	Name and Address of the establishment :	
3.	Registration No. of the establishment:	
4.	Particulars of the offence:	
5.	Provisions of the Code/Scheme/Rules/Regulations under which the offence is committed:	
6.	Compounding amount required to be paid towards composition of the offence:	
7.	Name and details of account for depositing the amount specified in serial no. 6:	

PART –II

In view of the above, you have an option to pay the entire amount mentioned in serial no. 6 in Part-I within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part – III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for filing of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

(Signature)
(Name and designation of Officer)

Date:**Place:****To:**

.....(Employer/Establishment)

.....(Name and registration number)

.....(Address)

PART – III
[See rule 54 (2)]

Application under sub-section (4) of section 138 for compounding of offence

Ref: Notice No.....

Date:

The undersigned has deposited the entire amount as specified in serial 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

8. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be attached):

9. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:

10. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence:

11. Any other information which the applicant desires to provide:

Signature of the applicant
(Name and Designation)

Date:

Place:

To:

.....(Compounding Officer)

.....(Name of the Office)

.....(Address)

PART – IV
[See rule 54 (3)]

Composition Certificate

Ref: Notice No.....

Date:

This is to certify that the offence under sub-section of section 133 in respect of which Notice No. Dated: _____ was issued to Sh..... (Applicant), the employer of (name and registration number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs (Rupees _____) towards the composition of offences to the satisfaction of the said notice.

(Signature)
Name and Designation of the Officer

Date:

Place:

To:

.....(Employer/Establishment)

.....(Name and registration number)

.....(Address)

FORM-XXV

[See rule 56 (1)(d) and 56 (3)(b)]

Form for reporting vacancies to career centres
(Separate forms to be used for each type of posts)

1	Particulars of the employer: Name: Address with pin code: Telephone No. : Mobile No.: Email address : Name and Type of Establishment (Central Government, State Government, PSU, Autonomous, Private, etc) Registration No of establishment under the Code: Economic activity details:		
2.	Particulars of the indenting officer: Name: Designation: Telephone No. : Mobile No.: Email address :		
3.	Particulars of vacancy(ies): a. Designation/nomenclature of the vacancy(ies) to be filled b. Description/Nature of duties of the post c. Sector (job role/functional role)		
	d. Qualifications/Skills required (educational, technical, experience)	Essential	Desirable/Preferable
	i. Educational qualifications ii. Technical qualifications iii. Skills iv. Experience		
	e. Age limits, if any (Age as on last date of application)		
	f. Preferences (such as ex-servicemen, persons with disabilities, women, etc) if any		
	g. Number of vacancies		
	h. duration of employment (i) 3-6 months (ii) 6-12 months (iii) 12 months and more	Number of posts	
	i. Probationary Period, if any and pay and allowances during that period		

	j. Provision, if any for pension/Provident fund:	
	k. Hours of work, holidays, shifts, promotional opportunities:	
	l. Travelling Allowance:	
	m. Facilities provided by Employer: i. Housing facilities: ii. Living conditions at the place of work: iii. Educational facilities and medical facilities at the place of work:	
	n. Last date to apply:	
4	Whether there is any obligation for arrangement for giving reservation/ preference to any category of persons such as Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Economically Weaker Sections (EWSs), Other Backward Classes (OBCs), Ex-serviceman and persons with disabilities (pwd) , etc, in filling up the vacancies: Yes/No (if yes, give the number of vacancies to be filled by such categories of persons as detailed below)	
	Category	Number of vacancies to be filled
	(a) Scheduled Caste (b) Scheduled Tribe (c)OBC (d)EWS (e) Ex-Serviceman (f) Persons with disabilities (pwd) (g) women (h) Others(specify)	Total *By Priority candidates *(Applicable for Central Government vacancies)
5.	Pay and Allowances: For Government vacancies: Mention pay level/pay scale of the post with basic pay/pay per month with other details, if any. For others: Mention minimum total emoluments per month with other allowances details, if any.	
6.	Place of work/Job Location (Name of the town/village and district, pin code ,etc. in which it is situated)	
7.	Mode of application(email, online, in writing, etc) and last date for receipt of applications.	
8.	Particulars of Contact person/officer to whom the applications be sent/candidates should approach (Mention Name, designation, email id, address , Mobile No., website address in case of online)	
9.	Place of Interview	
10	Mode of recruitment {Through career centre, placement agency , self-management, any other mode(specify) }	
11	Would like to obtain list of eligible candidates registered with Career Centre	Yes/No
12	Any other relevant information	

Signature, Name and Designation of authorised signatory of establishment/ employer with seal and date

(For Official Use- to be filled by Career Centre)

13	Name, address, email id of the Career Centre	
14	Date of receipt of Vacancies	
15	NIC Code of the establishment/	
16	NCO Code of the post	
17	Unique Vacancy ID(number)	
18	Order No./ Diary No.	

Signature

Name& Designation of Authorised Signatory

of Career Centre with seal & date

NOTE:

1. Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than seven working days from the date of receipt of reporting of vacancies in north-eastern States and three working days in other States.
2. An employer, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that advertisement or recruitment process.
3. Any change in the particulars already furnished to the Career Centre, shall be reported in writing or through valid official email or digitally (including through a portal) as the case may be, to the appropriate Career Centre.

FORM-XXVI

[See rule 56(1)(d) and 56 (6)]

Form EIR (Employment Information Return)

Yearly Return to be submitted to the Career Centre (Regional) for the Year ended.....

The following information is required to be submitted under the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII – Employment Information and Monitoring).

Name and address of the employer with Pin code	
Email ID of the Employer	
Mobile No. / Contact No. of the Employer	
Name of Establishment	
Type of Entity (Factory, shop, commercial office, mine, plantation, etc.)	
Type of Ownership (Firm/Association/Individual/Partnership/Company, etc.)	
Whether – Head Office If yes, specify	

Branch Office If yes, specify (a) (b) (c)						
Type of Establishment {Public Sector (Central) / Public Sector (State) / Private Sector}						
Nature of business/principal activity						
Labour Identification Number – (LIN Number)						
Establishment Registration No. under the Code						
1. (a) EMPLOYMENT						
Total number of <i>manpower of establishment</i> including working <i>proprietors/partners/contingent</i> paid and contractual workers, out-sourced workers excluding part-time workers and apprentices. (The figures should include every person whose wage or salary is <i>paid</i>).						
Category	On the last working day of the previous Year			On the last working day of the Year under report		
	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled
Men						
Women						
Other (Transgender)						
TOTAL : PWD(persons with disabilities) out of above total						

2. Number of vacancies* occurred and reported to career centre during the year and the number of vacancies filled during the year				
Occurred	Reported		Filled	Source (career centre/ NCS Portal/ Govt. Recruiting Agencies/ Private Placement Organisations/ others)
	career centre (Regional)	career centre (Central)		
1	2	3	4	5

*As per the provisions of the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII) and rules made thereunder.

3. MANPOWER SHORTAGES:

Vacancies/posts remained unfilled because of shortage of suitable applicants.

Name of the occupation or designation of the post	Number of unfilled vacancies/posts		
	Skill/ qualifications (educational technical/ experience) prescribed	/Essential	Desirable
1	2	3	4

(Please list any other occupations also for which this establishment had any difficulty in obtaining suitable applicants recently.)

4. Estimated Manpower Requirement by Occupational Classification during the next financial year (Please give below the number of employees in each occupation separately).

Occupation	Number of employees				
	Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next financial year due to retirement/ expansion or re-organisation.				
Description	Men	Women	Others (trans-gender)	Total	PWD (persons with disabilities) out of total
1	2	3	4	5	6
*					
Total :					

* In the column(description) -Use exact terms such as Engineer (Mechanical),Assistant Director(Metallurgist);Research Officer (Economist);Supervisor (Tailoring),Inspector(Sanitary), Superintendent (Office) , Manager(Sales), Manager(Accounts), Executive(Marketing), Data Entry Operator.....so on.

Signature, Name and Designation of Authorised Signatory of establishment/ employer with seal and date

To

The Career Centre,
.....

Note:- 1. This return is to be rendered to the Career Centre (Regional) within 30 days after the end of the *financial year* concerned by establishments/employers vide their obligation under the Code on Social Security, 2020(Chapter XIII-Employment Information and Monitoring).

2. The main purpose in obtaining the information from employers is to know (i) the vacancies/employment opportunities available; (ii) type of personnel who are in short supply; and (iii) future job opportunities for providing vocational guidance to the jobseekers and connecting them with the employers. This is helpful in ascertaining the skill needs also. Employers too will be able to call on the Career Centres for getting suitable candidates as per their requirements.

Form-XXVI(A)

[See Rule 56 (1)(d)]

Form for reporting of Job seeker Information

<u>Sr.</u> <u>No.</u>	Particulars	Description
1.	Name:	
2.	Father's Name:	
3.	Mother's Name:	
4.	Date of Birth:	
5.	Place of Birth:	
6.	Aadhaar No. of Jobseeker:	
7.	Mobile:	
8.	Gender:	i. Male ii. Female iii. TG (Transgender)
9.	Location:	i. Rural ii. Urban
10.	Marital Status:	i. Married ii. Unmarried iii. Divorced iv. Widow v. Widower
11.	Category:	i. General ii. SC iii. ST iv. O.B.C.

12.	Religion:	i. Hindu ii. Muslim iii. Christian iv. Sikh v. Others																							
13.	Reservation Category:	i. PwD (Differently abled) ii. Ex-Serviceman iii. EWS																							
14.	i. If Disability type: (OH/VH/HH/PwBD other) differe ntly abled: ii. Disability percentage: a. Below 40% b. 40-60 % c. 60-80% d. Above 80%																								
15.	# Employment Status:	i. Employed ii. Unemployed iii. Self- Employed iv. Student																							
16.	Language Known: (Primary Language)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Language</th> <th>Read</th> <th>Speak</th> <th>Write</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Language	Read	Speak	Write	1.					2.					3.				
	Language	Read	Speak	Write																					
1.																									
2.																									
3.																									

17.	Physical Fitness: i. Height (in cms.): ii. Chest (in cms.): iii. Weight (in kgs.): iv. Eye Sight: v. Partial Disability: क. Blind: ख. Deaf:	

	ग. Dumb:					
18.	Address with pin code:					
19.	Qualification: (Starting from Highest Education)					
	Passed Exam	Subject Code	Boards/Uni./ School Name	Year	Class Div. Grade	Certificate No.
	Other Training/ Key Skills:					
20.	Medium of Education:					
21.	Specialization / Major:					
22.	Additional Course/Certificate i. Name: ii. Year: iii. Issued by:					

23.	Professional Desired Employment:							
24.	Vocational Guidance:				Yes/No If Yes, Trade Code:			
25.	# Work Experience							
	Sector Code	Organisation Type	Designation	Specialization	Period		Experience Certificate	
					From	To	Yes	No
		Central/State/ Central PSU/State PSU/Local Bodies/ Autonomus/ Company/ NGO/ Partenship/ Proprietorship/ Others						
26.	Available to Join (in days):							

27.	To be filled by Ex-Serviceman: Number: . Joining Date: i. Release Date:	
28.	Reasons for leaving Job:	
Self Employment (To be filled by the candidate interested in Self employment)		
1	Are you currently self employed	Yes/No If Yes, Specify details:
2	(i) Loan availed previously for Self Employment: If yes, क. Bank Name ख. Branch (ii) Defaulter: If yes, क. reason for late payment ख. Balance amount	Yes/No Yes/No
3	Are you interested in Self Employment: If yes, Desired self Employment:	Yes/No
4	Are you or your family member defaulter of any finance institute or bank: If yes, i. Bank Name: ii. Branch: iii. Outstanding Balance:	Yes/No
All the above information is based on my inputs and is true to the best of my knowledge.		

Note: # Furnishing of information to item no. (15&25) will not affect your prospects of obtaining employment through employment exchanges.

To be filled by those interested in seeking placement services in the Police Department, Paramilitary Forces/Armed Forces etc.

FORM-XXVII

[See rule 59(1)]

Application for Compensation

To
The Competent authority for Employee's Compensation.

Applicant residing at
Versus
Opposite Party residing at

It is hereby submitted that:-

(1) The applicant, an employee employed by (a contractor with) the opposite party on the ____ day of ____ 20__ received personal injury by accident arising out of and in the course of his employment. The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury)

(2) The applicant sustained the following injuries namely:--

(3) The monthly wages of the applicant amount to Rs. _____. The applicant is over/under the age of 15 years.

(4) (a) Notice of the accident was served on the ____ day of ____

(b) Notice was served as soon as practicable.

(c) Notice of the accident was not served (in due time) by reason of.

(5) The applicant is accordingly entitled to receive:--

(a) half monthly payment of Rs. ____ from the ____ 20 ____ to ____

(b) a lump sum payment of Rs. _____

(6) The applicant has taken the following steps to secure a settlement by agreement, namely, - ____ but it has proved impossible to settle the question in dispute because .

* You are therefore requested to determine the following questions in dispute, namely: --

(a) Whether the applicant is an employee within the meaning of the Code;

(b) Whether the accident arose out of or in the course of the applicant's employment;

(c) Whether the amount of compensation claimed is due, or any part of that amount;

(d) Whether the opposite party is liable to pay such compensation as is due;

(e) etc., (as required)

Date ____ 20__.

Applicant

* Strike out the clauses which are not applicable.

FORM-XXVIII

[See rule 59(2)]

Certificate by the applicant

To

The Competent authority for Employee's Compensation

It is hereby submitted that: -

I/We hereby declare that the particulars given in Form XXVII are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or no fact has been mis-represented in the above said form made by me/us.

Dated:

Applicant.

FORM-XXIX

[See rule 58(1)]

Whereas a claim for compensation has been made by (applicant) against.....and the said applicant has claimed that he is entitled to file an application under clause (b) or (c) of sub-section (1) of section 92 of the Chapter VII under the Code on Social Security, 2020;

And whereas the undersigned is satisfied that the said applicant is entitled to file the aforesaid claim;

Now, therefore, the competent authority for Employees Compensation...../Government of..... is hereby given notice that the undersigned proposes to settle the claim of the applicant as provided under the Code.

Dated:

Competent authority

FORM-XXX

[See rule 62(1)]

To

.....

Sir,

The report about an accident which occurred on.....at.....(here enter details of premises) and which resulted in death/disablement of the employee is furnished as given below :—

1. (a) Name of the employee ----- Sex ----- Age -----
- (b) Monthly wages
- (c) Nature of employment
- (d) Name of the employer
- (e) Full postal address of the employee/dependants (local and permanent both).
- (f) Full postal address of the factory/establishment where its registered office is located.

2. The circumstances leading to death/disablement of the employee :—

- (a) Time of the accident
- (b) Place where the accident occurred
- (c) Manner in which deceased was/were employed at that time
- (d) Cause of the accident

3. The amount of money deposited by the employer with the competent authority under section 81.

4. (a) Details of compensation paid, if any

(b) Particulars of money invested for the benefit of dependants of deceased employee.

5. Documents forwarded (in original) as under :—

- (a) Death certificate
- (b) Disablement certificate from the competent medical authority
- (c) Receipt for Deposit of Compensation by the employer
- (d) Statement of Disbursement
- (e) Receipt of compensation from the employee/dependants
- (f) Memorandum of Agreement, if any

[F. No. R-11011/03/2020-SS-II]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272379
CG-DL-E-09052026-272379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 345(अ).—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 और 134 की अपेक्षानुसार नियमों का प्रारूप शासकीय राजपत्र में सा.का.नि. संख्यांक 934 (अ), दिनांक 30 दिसंबर 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस दिनांक जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को दिनांक 30 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 और 134 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

- (1) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) नियम, 1990;
- (2) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन), (केन्द्रीय) नियम, 1998;
- (3) खान नियम, 1955;
- (4) खान बचाव नियम, 1985;
- (5) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966;
- (6) खदान स्थल स्नान नियम, 1959;
- (7) खान शिशुगृह नियम, 1966;
- (8) ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971;
- (9) अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1979
- (10) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्त) और प्रकीर्ण प्रावधान नियम, 1957;
- (11) सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1984;
- (12) विक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) नियम, 1976
- (13) उस सीमा तक विभिन्न श्रम विधि नियम, 2017 के अधीन रजिस्टर बनाए रखने की कार्य सुगमता; जहां तक ये नियम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62; ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35; अंतराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35; खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 के साथ पठित धारा 58; विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 12; श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं और तदनुसार लागू हैं;
- (14) श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी दर नियतन नियम, 1958
- (15) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी अधिकरण नियम, 1979

को उन संबंधित बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये नियम, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो —

(क) “संहिता” से उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) अभिप्रेत है।

(ख) “प्ररूप” से इन नियमों के उपाबंध VII में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं।

(ग) “प्रभारी अधिकारी कैटीन” से इस संहिता के अधीन कैटीन के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति (प्रबंधक के अलावा) अभिप्रेत है।

(घ) "उपाबंध" से इन नियमों के साथ संलग्न सूची अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके संहिता में हैं।

अध्याय II

पंजीकरण

3. पंजीकरण के लिए आवेदन.— (1) किसी स्थापन के लिए पंजीकरण चाहने वाले नियोक्ता को स्थापन के बारे में विवरण देते हुए श्रम सुविधा पोर्टल या केंद्र सरकार द्वारा नामित पोर्टल पर स्थापन के पंजीकरण, पहचान और पते के प्रमाण से संबंधित दस्तावेजों के साथ स्थापन के विवरण वाले **प्ररूप-I** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करना होगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो पंजीकरण का प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप-III** में जारी किया जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर:

परंतु कि यदि पंजीकरण का प्रमाण पत्र विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो स्थापन को पंजीकृत माना जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण पत्र **प्ररूप-III** में स्वतः सृजित हो जाएगा।

(3) साठ दिनों की समाप्ति के बाद पंजीकरण के लिए विलंब शुल्क केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) पंजीकरण का प्रमाण पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा और स्थापन के परिसर के भीतर विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) जहां कोई नियोक्ता उपनियम (1) की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है, संहिता के अधीन पंजीकरण अधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे नियोक्ता को ऐसे आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी अपेक्षाओं का पालन करने का निदेश दे सकता है।

(6) किसी स्थापन का नियोक्ता, जो तत्समय लागू किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून के अधीन पहले से पंजीकृत है, नियमों के लागू होने की तारीख से छह माह के भीतर, **प्ररूप-I** में पंजीकरण संबंधी विवरणों को अद्यतित करेगा।

परंतु कि ऐसा कोई निरस्तीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थापन को तीस दिनों की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा यह कारण बताने का अवसर नहीं दिया गया हो, कि पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(7) नियोक्ता द्वारा नियमों या इनके अधीन तैयार स्कीमों, के संबंध में नियोक्ता द्वारा तैयार अथवा पूर्ण किए गए सभी दस्तावेजों पर और संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

(8) **प्ररूप-I** में प्रस्तुत किसी ब्यौरे में परिवर्तन को नियोक्ता द्वारा इस तरह के परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर पोर्टल पर अद्यतित किया जाएगा, यदि संशोधन के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है तो पंजीकरण का संशोधित प्रमाण पत्र पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर **प्ररूप-III** में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाएगा, ऐसा न करने पर पंजीकरण का संशोधित प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा।

(9) पंजीकरण अधिकारी उन स्थापनों, जिनके संबंध में पंजीकरण के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, का विवरण दर्शाते हुए **प्ररूप-V** का रखरखाव करेगा।

(10) नियोक्ता, खानों के अलावा अन्य स्थापनों के बंद होने के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण अधिकारी और साथ ही उस क्षेत्र में जहां स्थापन अवस्थित है, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकारक को **प्ररूप-II** में ऐसे स्थापनों में नियोजित कामगारों को सभी बकाया और वैधानिक प्रतिफल के भुगतान के प्रमाणपत्र के साथ स्थापन के बंद होने की वास्तविक तारीख की सूचना देगा और ऐसी सूचना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को स्वतःसाझा हो जाएगी।

(11) सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप-II प्राप्त होने पर, पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करेगा और प्ररूप-II की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर प्ररूप-IV में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण जारी करेगा। यदि पंजीकरण अधिकारी साठ दिनों के भीतर स्थापन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करने में विफल रहता है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण प्ररूप-IV में स्वतः सृजित हो जाएगा।

4. कार्य आरंभ और समाप्त करने की सूचना- (1) ठेका श्रम या भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों से संबंधित स्थापन का नियोक्ता, स्थापन के संचालन का कार्य शुरू होने या समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण अधिकारी एवं जहां स्थापन स्थित है उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भी प्ररूप-VI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस प्रस्तुत करेगा

(2) उप-नियम (1) के अधीन संचालन की समाप्ति के नोटिस के साथ एक प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाएगा जिसमें कहा गया होगा कि स्थापन में नियोजित कामगारों के सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भण्डारण से मुक्त कर दिया गया है।

परंतु कि, खानों के मामले में, प्रत्येक खान का नियोक्ता प्ररूप-VII में प्रचालनों को शुरू करने, फिर से खोलने, बंद करने, बंद करने या परित्याग करने की कम से कम तीस दिनों का पूर्व नोटिस देगा।

अध्याय III

नियोक्ता और कर्मचारी के दायित्व

5. कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच: (1) डॉक कार्य, खान, निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के लिए निशुल्क चिकित्सा जांच आयोजित करने की व्यवस्था करेगा, जिसने 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(2) चिकित्सा जांच, एक योग्य चिकित्सक द्वारा आयोजित की जाएगी और प्ररूप-VIII संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी को एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा:

परन्तु नियोक्ता कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से कर्मचारी की चिकित्सा जांच की सुविधा का लाभ उठा सकता है:

परन्तु यह और कि खानों के मामले में कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांचों के अतिरिक्त जांच नियम 109 के अधीन अभिशासित होंगी।

6. कर्मचारी को नियुक्ति पत्र- किसी भी कर्मचारी को किसी भी स्थापना में तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे नीचे दिए गए प्रारूप में नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया हो:

रूपविधान

- (i) कर्मचारी का नाम:
- (ii) जन्म तिथि:
- (iii) पिता/माता का नाम:
- (iv) आधार संख्या (सहमति प्राप्त करने के पश्चात):
- (v) स्थापन की श्रमिक पहचान संख्या:
- (vi) यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या बीमा संख्या (यदि उपलब्ध हो):
- (vii) पदनाम:
- (viii) नियोजन का प्रकार (नियमित/नियत-कालिक-रोजगार/संविदात्मक):
- (ix) कौशल की श्रेणी:
- (x) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि:
- (xi) वेतन/मूल वेतन और महंगाई भत्ता:
- (xii) आवास सहित अन्य भत्ते, जो भी लागू हो:
- (xiii) सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम लाभों की प्रयोज्यता:
- (xiv) निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की व्यापक प्रकृति:

- (xv) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अध्याय VI (मातृत्व लाभ) के तहत उपलब्ध लाभ (महिला कर्मचारी के मामले में):
- (xvi) कोई अन्य सूचना:

नियोक्ता के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

7. दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का नोटिस – (1) जहां किसी स्थापन में किसी स्थान पर कोई दुर्घटना होती है जिसके कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थापन का नियोक्ता इसकी सूचना **प्ररूप-XI** में अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी और पीड़ित के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को देगा।

(2) जहां किसी स्थापन में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है जिसके कारण दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति अड़तालीस घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने से रोक दिया जाता है तो स्थापन का नियोक्ता अड़तालीस घंटे की अवधि पूर्ण होने के बारह घंटों के भीतर **प्ररूप XI** में सूचना देगा।

(3) जहां किसी स्थापन में उपनियम (4) में यथानिर्दिष्ट किसी खतरनाक घटना जिसके कारण कोई शारीरिक चोट अथवा अपंगता आती है या नहीं, नियोक्ता बारह घंटे के भीतर इसकी सूचना निम्नलिखित को भेजेगा:

(i) निरीक्षक-सह-सुकारक और;

(ii) जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप मंडल अधिकारी:

परंतु यदि ऐसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के मामले में, उक्त उप नियमों के अंतर्गत सूचनाएं और रिपोर्ट भेजने के बाद ऐसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना में घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो स्थापन का नियोक्ता अथवा अधिभोगी अथवा प्रबंधक उप नियम (1) और (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों और व्यक्तियों को इसकी सूचना दूरभाष से और इलैक्ट्रॉनिक रूप से देगा और मृत्यु के बारह घंटे के भीतर लिखित में इस सूचना की पुष्टि भी करेगा।

परन्तु यह और कि यदि उप नियम (2) में उल्लिखित अड़तालीस घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने की अयोग्यता की अवधि दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं आती है किन्तु बाद में आती है अथवा एक से अधिक बार आती है तो संदर्भित रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता और जिला मजिस्ट्रेट या उप-खंड अधिकारी **प्ररूप-XI** में दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप कार्य करने में अशक्तता की वास्तविक कुल अवधि अड़तालीस घंटे पूर्ण होने के चौबीस घंटे के भीतर भेजी जाएगी।

(4) निम्नलिखित खतरनाक घटनाओं के वर्ग, चाहे उनसे चोट लगे या अशक्तता हो या न हो, :-

- (i) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में किसी भी संयंत्र या पाइपलाइन या पेट्रोलियम, भाप, संपीड़ित हवा या अन्य पदार्थ युक्त उपकरणों का विस्फोट;
- (ii) एक क्रेन, डेरिक, विंच, उत्तोलक या अन्य उपकरणों या उनके किसी भाग का खराब होना या बंद होना जिसे व्यक्तियों या सामानों को ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने के लिए उपयोग में लाया जाता है या क्रेन का पलटना;
- (iii) विस्फोट, आग, रिसाव या हानिकारक जहरीली गैसों का निकलना, किसी भी पिघली हुई धातु का रिसाव या बाहर निकलना, या गर्म तरल या गैस जिससे किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है या किसी भी कमरे या स्थान को नुकसान होता है जिसमें व्यक्ति कार्यरत हैं;
- (iv) किसी गैस या गैसों (वायु सहित) या किसी भी तरल या ठोस के गैस के संपीड़न से उत्पन्न वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट;
- (v) भवन या निर्माण सामग्री के संचालन से संबंधित उत्तोलक उपकरणों या उत्तोलक या कन्वेयर्स के खराब या बंद होना अथवा रज्जु, चेन या लूज गियरों का टूटना या खराब होना; भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले क्रेन का पलटना;
- (vi) निरंतर ताप या आग लगना अथवा धुआं दिखाई देना या भूमिगत खानों में ताप अथवा आग लगने का अन्य कोई संकेत; अथवा किसी भी दीवार, फर्श, गैलरी, रूफ ब्रिज, सुरंग, चिमनी, दीवार, भवन का गिरना;

- (vii) मिट्टी के ढेर या किसी अन्य संरचना, प्लेटफार्म, स्टेजिंग, मचान या ढांचे सहित पहुंच के किसी साधन का गिरना; संपर्क कार्य, उत्खनन और संचरण में खराबी आना;
- (viii) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या बहाव और उनके कंटेनर को नुकसान;
- (ix) खानों में रुकावट या पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ का बहाव;
- (x) स्थापन के भीतर परिवहन उपकरणों का खराब होना, गिरना, ढहना या टकराना;
- (xi) किसी उत्खनन, लोडिंग या परिवहन मशीनरी की ऊंचाई से गिरना; ऊंचाई से किसी चीज से गिरना;
- (xii) जमीन के नीचे काम करते समय कोयले के किसी पिलर, पिलर या कई पिलरों के किसी भाग का अचानक खराब होना;
- (xiii) जमीन के नीचे कार्य करते समय चट्टान विस्फोट; प्रचालन के किसी भाग का असमय गिरना;
- (xiv) किसी भी मशीनरी या उपकरण के एक हिस्से का टूटना, फ्रैक्चर या विफलता, जिसमें कोई भी डेरिक, ड्रॉ-वर्क्स, केसिंग लाइन या आपातकालीन ब्रेक की विफलता शामिल है, जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;
- (xv) स्लाइड जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी मशीनरी को क्षति हो सकती है या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट हो सकती है;
- (xvi) ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या साइड का खराब होना; एक दरार;
- (xvii) किसी संरचना या संस्थापना का खराब होना, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;
- (xviii) अनियंत्रित रासायनिक रिसाव
- (xix) तेल खानों के मामले में एक झटका;
- (xx) बिजली के फ्लैश-ओवर के कारण उत्पन्न चिंगारी जो किसी भी व्यक्ति को जलने की चोट का कारण बनती है;
- (xxi) खानों में विस्फोट या प्रज्वलन;
- (xxii) जमीन के नीचे या तेल खदानों में ज्वलनशील या हानिकारक गैसों की आमद;
- (xxiii) खानों में विस्फोटकों के कारण कोई दुर्घटना;
- (xxiv) रस्सी, चेन, हेडगियर, चरखी या धुरी या उसके असर, या अन्य गियर का टूटना या फ्रैक्चर जिसके द्वारा व्यक्तियों या सामग्रियों को नीचे की खदान में उतारा या उठाया जाता है;
- (xxv) पिंजरों या परिवहन के अन्य साधनों की एक अधिक घुमावदार या हार्ड लैंडिंग जबकि व्यक्तियों या सामग्रियों को नीचे की खदान में उतारा या उठाया जा रहा है;
- (xxvi) घुमावदार इंजन, क्रैंकशाफ्ट, युग्मन, असर, गियरिंग, क्लच, ड्रम या ड्रम शाफ्ट के किसी भी हिस्से का टूटना या फ्रैक्चर, या नीचे की खदान में आपातकालीन ब्रेक की विफलता; या
- (xxvii) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य घटना

8. रोग की सूचना- (1) जहां किसी स्थापन में, कोई कामगार संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी रोग के संपर्क में आता है, तो स्थापन के नियोक्ता द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में निरीक्षक-सह-सुकारक या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को तत्काल इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा एक नोटिस भेजेगा: -

रोग की सूचना

- (1) नियोक्ता का नाम और पता
- (2) स्थापन का नाम और पता:
- (3) स्थापन की प्रकृति:
- (4) खान के मामले में खनिज का नाम:
- (5) रोगी का विवरण:
 - (क) रोगी का नाम:
 - (ख) रोगी की कामगार संख्या:
 - (ग) रोगी का पता:
 - (घ) रोगी का सटीक व्यवसाय:

- (6) रोगी किस रोग से पीड़ित है:
 (7) रोग का पता लगने की तिथि:
 (8) अर्हता प्राप्त चिकित्सक का विवरण:
 (9) क्या मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई है:
 तारीख:

नियोक्ता के हस्ताक्षर

(2) जहां अर्हताप्राप्त चिकित्सक किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करता है जो किसी स्थापन में नियोजित है या रहा है और जो अर्हताप्राप्त चिकित्सक द्वारा संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित माना जाता है, तो अर्हताप्राप्त चिकित्सक मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के कार्यालय को लिखित में रिपोर्ट भेजेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि-

- (क) रोगी का नाम और पूरा डाक पता,
 (ख) वह रोग जिससे योग्य चिकित्सक रोगी को रोग से पीड़ित मानता है, और
 (ग) उस स्थापन का नाम और पता जिसमें रोगी कार्यरत है या अंतिम बार नियोजित था।

9. कर्मचारी के दायित्व— (1) जहां किसी भी कर्मचारी को स्थापन में असुरक्षित या अस्वास्थ्यकर स्थिति के बारे में पता चलता है, ऐसे कर्मचारी को यथाशीघ्र नियोक्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि या सुरक्षा अधिकारी या उनके कार्यस्थल से संबंधित अधिकारी या एजेंट या प्रबंधक को मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

(2) प्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, अधिकारी, एजेंट या प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, इसके बाद नियोक्ता को तुरंत मामले की रिपोर्ट करेगा।

10. कर्मचारी के अधिकार— स्थापन में कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे के बारे में किसी भी कर्मचारी से सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा और चाहे वह उपचारात्मक उपायों से संतुष्ट हो या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा निरीक्षक-सह-सुकारक को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजेगा।

अध्याय IV

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य

11. राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड से संबंधित उपबंध.—

- (1) धारा 16 की उपधारा (2) (छ), (ज), (ट), (ठ) और (ड) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी।
 (2) धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक, कार्यों के निष्पादन के लिए, जब कभी आवश्यक हो, की जा सकती है।
 (3) राष्ट्रीय बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा लिखित में अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।
 (4) ऐसे सदस्य का पद, जिस तिथि को उसका त्याग पत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा त्याग पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, रिक्त माना जाएगा।
 (5) यदि राष्ट्रीय बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में ऐसे राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थिति की छुट्टी (छुट्टियाँ) स्वीकृत कराए बिना भाग न लेने पर राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

परन्तु केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा सदस्य लगातार तीन बैठकों में किसी उपयुक्त कारण के फलस्वरूप उपस्थित नहीं हो सका तो यह निदेश दे सकती है कि इस प्रकार की सदस्यता समाप्ति न की जाए और ऐसा निदेश दिए जाने पर वह सदस्य राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।

(6) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा यदि —

- (क) यदि व्यक्ति उसकी विक्षिप्त मनोदशा हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(ख) यदि व्यक्ति वह दायित्वयुक्त दिवालिया हो; अथवा

(ग) यदि व्यक्ति उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो तीन महीने अथवा उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो;

(7) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकती है यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य राष्ट्रीय बोर्ड में जिस प्रयोजन हेतु प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया था, उस कार्य को नहीं कर रहा है:

परन्तु ऐसा कोई सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि ऐसे सदस्य को इस नियम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का औचित्यपूर्ण अवसर नहीं दिया जाता है।

(8) किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता उसके द्वारा सरकारी कार्यों के लिए की गई यात्रा के लिए ऐसे सदस्य पर लागू नियमों द्वारा संचालित होगा और ऐसे सदस्य के वेतन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(9) राष्ट्रीय बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसे स्थानों पर राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

12. तकनीकी समितियां या सलाहकार समितियां -

(1) केंद्र सरकार, संहिता की धारा 16 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता के उद्देश्य से एक या एक से अधिक तकनीकी समितियों या सलाहकार समितियों का गठन, तकनीकी समितियों या सलाहकार समितियों के गठन के क्रम में ऐसी अवधि के लिए, कर सकती है।

(2) तकनीकी समितियाँ या सलाहकार समितियां बहु-सदस्यीय समिति हो सकती हैं और इनमें सरकारी, सार्वजनिक, स्वायत्त या निजी संस्थानों/उद्योगों, अनुसंधान, अकादमिक संस्थाओं या उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

(3) समिति के सदस्यों जिनके पास विनियामक निकाय, उद्योग, अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थान या उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा या भौतिकी या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या एमबीबीएस के साथ औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एएफआईएच) की डिग्री होगी, साथ ही संबंधित क्षेत्र/उद्योग में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होगा, उन्हें तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के लिए नामांकित किया जा सकता है।

(4) खानों के मामले में, एक सदस्य के पास खनन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ कोयला या धातु खान के प्रबंधन के लिए प्रथम श्रेणी प्रबंधक का योग्यता प्रमाणपत्र या खनन या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एम.ई या एम.टेक या पीएच.डी. या एम.बी.बी.एस., और विनियामक निकाय या उद्योग या अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों या व्यावसायिक स्वास्थ्य में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को तकनीकी समिति या सलाहकार समिति में नामित किया जा सकता है।

(5) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(6) तकनीकी समिति विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उप-समितियों का गठन कर सकती है।

(7) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति अपने कार्य संचालन सहित ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो समय-समय पर केन्द्र सरकार या राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा आदेश जारी किए जाए।

(8) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा।

(9) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, तकनीकी समिति या सलाहकार समितियों के अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्र सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(10) तकनीकी समिति या सलाहकार समितियों का अध्यक्ष, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(11) ऐसे सदस्य या अध्यक्ष का पद, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से रिक्त हो जाएगा जिस दिन केन्द्र सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, या केन्द्र सरकार द्वारा त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

(12) यदि तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, ऐसी अनुपस्थिति के लिए समिति के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किए बिना, ऐसी समिति की लगातार दो बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो ऐसा सदस्य ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सदस्य को लगातार दो बैठकों में उपस्थित होने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह निदेश दे सकेगी कि ऐसी सदस्यता समाप्ति नहीं होगी और ऐसा निदेश दिए जाने पर, ऐसा सदस्य ऐसी समिति का सदस्य बना रहेगा।

(13) (i) कोई व्यक्ति तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिए निर्णय होगा-

(क) यदि व्यक्ति विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(ख) यदि व्यक्ति अनुमोचित दिवालिया है; या

(ग) यदि व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता से संबंधित है।

(ii) जहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या खंड (i) के अधीन निर्णय हुआ है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रश्न का निर्णय करेगी, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए।

(14) केन्द्रीय सरकार तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के किसी सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर चुका है जिसका वह ऐसी समिति में प्रतिनिधित्व करने का अभिप्राय रखता है:

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक ऐसे सदस्य को इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्यवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया जाए।

13. अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए सांख्यिकी का संग्रहण और पोर्टल.- नियोक्ता, केन्द्रीय सरकार को अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों और उनकी उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के विस्तृत आंकड़े केन्द्रीय सरकार या द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत करेगा, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

14. सुरक्षा समिति.- (1) पांच सौ या उससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक स्थापन द्वारा एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से समय-समय पर स्थापनों की विभिन्न श्रेणी के लिए कामगारों की विभिन्न सीमा निर्धारित कर सकती है।

(3) सुरक्षा समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और यह प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी। परन्तु खानों के मामले में सुरक्षा समिति की बैठक कम से कम एक महीने में एक बार आयोजित की जाएगी।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित किया जाएगा -

(क) कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम; तथा

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किए गए कर्मचारियों के कार्य वातावरण और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण से प्राप्त व्यौरे।

(5) नियोक्ता द्वारा सुरक्षा समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर इन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाई की जाएगी।

15. सुरक्षा समिति का संघटन.- (1) खान के अलावा, सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) कोई वरिष्ठ अधिकारी जो संगठन में अपने पद से समिति के कार्यकरण में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकता है, अध्यक्ष होगा।

(ii) एक सुरक्षा अधिकारी और अहर्ता प्राप्त चिकित्सक जहां उपलब्ध हो, तथा सुरक्षा अधिकारी, समिति का सचिव होगा; और

(iii) उत्पादन, अनुरक्षण और खरीद विभागों से एक-एक प्रतिनिधि।

(2) सुरक्षा समिति में नियोक्ता और कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी, जो बीस से अधिक नहीं होगी।

(3) सुरक्षा समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा, और यथा संभव वे अधिकारी, अधिमानतः स्थापन के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे, जो स्थापन के कार्यक्रम से सीधे सम्पर्क में हैं या जुड़े हैं।

(4) सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, नामतः:-

(क) जहां पर एकल वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद है, वहां वार्ताकारी यूनियन, सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगी और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस रूप में होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन सुरक्षा समिति में औद्योगिक स्थापन के कामगारों की संख्या के अनुपात में, जो ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व करेगी;

(ख) जहां पर खंड (क) में उल्लिखित कोई भी एकल वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां पर स्थापन के कामगार अपने बीच में से कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे:

परन्तु नियोक्ता, कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है:

परन्तु और यह कि महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और यह प्रतिनिधित्व स्थापन में नियोजित कामगारों की कुल संख्या में महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि जहां पर कोई भी मान्यताप्राप्त वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद दोनों नहीं है और जहां पर सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, वहां पर मामले को संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) के पास भेजा जाएगा, जो पक्षों को सुनकर मामले का विनिश्चय करेगा और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) परन्तु और यह कि सुरक्षा समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(5) सुरक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड किया जाएगा।

(6) सुरक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (i) 'सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति' में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करना और सहयोग प्रदान करना;
- (ii) स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवेश से संबंधित सभी मामलों का निपटान करना और आने वाली समस्याओं का व्यवहार्य समाधान निकालना;
- (iii) सभी कामगारों के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता का सृजन करना;
- (iv) शैक्षिक, प्रशिक्षण और पदोन्नति संबंधी कार्यकलापों का संचालन;
- (v) सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, सुरक्षा अंकेक्षणों, जोखिम आकलन, आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं से संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा करना और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;
- (vi) उन मामलों की देख-रेख करना जो कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और सुधारात्मक उपाय सुझाना; और
- (vii) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

16. खानों के मामले में सुरक्षा समिति की संरचना.- (1) खानों के मामले में सुरक्षा समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी, जो बीस से अधिक नहीं होगी।

(2) सुरक्षा समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा, और यथा संभव वे अधिकारी, अधिमानतः खान के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे, जो खान के कार्यक्रम से सीधे सम्पर्क में हैं या जुड़े हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे;

(क) संहिता की धारा 67 में उल्लिखित प्रबंधक, अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष द्वारा नामित खान के पांच कर्मचारी या सक्षम व्यक्ति;

(ग) सुरक्षा अधिकारी अथवा जहां सुरक्षा अधिकारी न हो वहां प्रबंधक के बाद सबसे वरिष्ठ खान अधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा;

(3) सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, अर्थात:-

(क) जहां पर एकल वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद या वार्ताकारी यूनियन है, सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगी और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस रूप में होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन सुरक्षा समिति में औद्योगिक स्थापन के कामगारों की संख्या के अनुपात में, जो ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व करेगी;

(ख) जहां पर खंड (i) में उल्लिखित कोई भी एकल वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां पर स्थापन के कामगार अपने बीच में से कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करेगी:

परन्तु नियोजित कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है:

परन्तु यह और कि सुरक्षा समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और यह प्रतिनिधित्व नियोजित कामगारों की कुल संख्या में महिला कामगारों के समानुपात से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां पर कोई भी मान्यताप्राप्त वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद दोनों नहीं है और जहां पर सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि की पसंद के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, वहां पर मामले को संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(केंद्रीय) के पास भेजा जाएगा, जो पक्षों को सुनकर मामले का विनिश्चय करेगा और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का निर्णय अंतिम होगा।

परन्तु यह और कि कामगारों के प्रतिनिधियों में खनन, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल संकाय प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि को, जैसा भी मामला हो, नामित/चयनित किया जाएगा।

(ग) सुरक्षा समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

17. सुरक्षा समिति के कार्य- सुरक्षा समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे:-

- (क) समिति की जानकारी में प्रतिनिधि द्वारा लाई गई रिपोर्टों के उल्लेखानुसार खान में असुरक्षित स्थितियों और प्रक्रियाओं के विरुद्ध उपचारात्मक उपायों पर चर्चा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना;
- (ख) खान के किसी नये क्षेत्र में प्रचालनों के आरंभ करने अथवा तेल की खान के संस्थापनों अथवा नये विद्युत अथवा यंत्रिक संस्थापना की कमीशनिंग अथवा नई खनन तकनीक लागू करने से पहले संबंधित प्रक्रिया संहिता सहित प्रस्तावित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों पर विचार करना और उपयुक्त सिफारिशें करना;
- (ग) दुर्घटना, खतरनाक घटनाओं आदि की जांच रिपोर्ट पर चर्चा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना;
- (घ) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर समुचित सुरक्षा अभियान तैयार और कार्यान्वित करना;
- (ङ) सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर संपर्क के एक मंच के रूप में कार्य करना; और
- (च) खान में विभिन्न संयंत्रों, उपकरणों, संस्थापनाओं और प्रणालियों के लिए तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रियाओं पर चर्चा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।
- (छ) सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा करना।

18. डॉक कार्यों के लिए सुरक्षा अधिकारी.- डॉक कार्य के प्रत्येक स्थापन में जहां पर पांच सौ या अधिक कामगार हैं, और भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में जहां दो सौ पचास या अधिक कामगार सामान्य रूप से नियोजित किए जाते हैं वहां पर नियोजित निम्नलिखित मानक के अनुसार सुरक्षा अधिकारी नियोजित करेगा:-

(क) डॉक कार्य के लिए-

- (i) 1000 तक कामगारों के लिए – एक सुरक्षा अधिकारी,
- (ii) 2000 तक कामगारों के लिए – दो सुरक्षा अधिकारी,
- (iii) 5000 तक कामगारों के लिए – तीन सुरक्षा अधिकारी,
- (iv) 10,000 तक कामगारों के लिए – चार सुरक्षा अधिकारी,
- (v) प्रत्येक अतिरिक्त 5000 कामगारों या उसके भाग के लिए – एक सुरक्षा अधिकारी,

(ख) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के लिए-

- (i) 500 तक कामगारों के लिए – एक सुरक्षा अधिकारी,

- (ii) 1000 तक कामगारों के लिए – दो सुरक्षा अधिकारी,
 - (iii) 2000 तक कामगारों के लिए – तीन सुरक्षा अधिकारी,
 - (iv) 5000 तक कामगारों के लिए – चार सुरक्षा अधिकारी,
 - (v) प्रत्येक अतिरिक्त 2000 कामगारों या उसके भाग के लिए – एक सुरक्षा अधिकारी।
- (2) कोई भी व्यक्ति डॉक कार्य अथवा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित धारित न करता हो –
- (क) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त उपाधि और न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहारिक अनुभव; अथवा
 - (ख) भौतिकी अथवा रसायन विज्ञान में मान्यता प्राप्त उपाधि और न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहारिक अनुभव; अथवा
 - (ग) इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा और पर्यवेक्षीय हैसियत के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; अथवा
 - (घ) इस संबंध में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्रीय श्रम संस्थान या क्षेत्रीय श्रम संस्थानों, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय से औद्योगिक सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- (3) उप-नियम (1) और (2) में निहित बातों के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो –
- (क) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास केन्द्र या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग में न्यूनतम पांच वर्षों तक कार्य करने का अनुभव है जो कारखानों, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों तथा डॉक कार्य का संचालन करता है; अथवा
 - (ख) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास उद्योग या किसी अन्य संस्थान में दुर्घटना से बचाव के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण, परामर्शी अथवा अनुसंधान में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव है; भी सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

19. डॉक कार्य तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के मामलों में सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व— सुरक्षा अधिकारी का कार्य चोट लगने की व्यक्तिगत घटनाओं को रोकने से संबंधित अपने सांविधिक दायित्वों को पूरा करने और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने हेतु परामर्श और सहायता देनी होगी और ऐसे कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात् –

- (क) चोट लगने की वैयक्तिक घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों की आयोजना और ऐसे आयोजन में संबंधित विभागों को परामर्श देना;
- (ख) सभी रोजगार अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चयनित रोजगारों में विस्तृत रोजगार सुरक्षा अध्ययनों का संचालन करना;
- (ग) चोट लगने की वैयक्तिक घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की प्रभावकारिता की जांच और मूल्यांकन करना;
- (घ) सुरक्षा संबंधी निरीक्षण कार्यों के संचालन से संबंधित मामलों पर सलाह देना;
- (ङ) कार्य की वास्तविक स्थितियों तथा कामगारों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करने हेतु संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित वास्तविक स्थितियों को समाप्त करने और कामगारों द्वारा किए जाने वाले असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में सलाह देना;
- (च) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं एवं बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित मामलों पर सलाह देना;
- (छ) चयनित दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच करना;
- (ज) संहिता की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अधिसूचित किए जाने योग्य बीमारियों के मामलों की जांच करना;
- (झ) संबंधित विभागों के साथ मिलकर अभियानों, प्रतिस्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों, जो कार्य की सुरक्षित दशाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना करने और बनाए रखने में कामगारों के हित का संवर्धन और अनुरक्षण करेंगे, का आयोजन करना;
- (य) प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को लगने वाली चोट से बचाव के लिए समुचित प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार और संचालित करना; और
- (ट) सुरक्षा अधिकारी एक सीमित पृष्ठीय पुस्तक में या पुनर्प्राप्ति योग्य और गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए कार्य का एक विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

20. खानों के मामलों में सुरक्षा अधिकारी.— (1) प्रत्येक खान, जिसमें एक सौ या उससे अधिक कामगार सामान्य रूप से नियोजित हैं, में पांच सौ कामगारों की कुल संख्या तक एक सुरक्षा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त पांच सौ कामगारों की संख्या या उसके भाग के लिए एक नियोक्ता सुरक्षा अधिकारी(यों) करेगा।

(2) सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित योग्यताएं रखेगा अर्थात्-

(क) कोयला खान के मामले में-

- (i) भूमिगत खदानों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) धारित करने वाला व्यक्ति;
- (ii) ओपन कास्ट खदानों के लिए ऐसा व्यक्ति, जो खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) अथवा केवल ओपन कास्ट खदानों तक प्रतिबंधित प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) धारित करता हो;

(ख) लौह धातु खानों के मामले में -

- (i) भूमिगत खानों के लिए ऐसा व्यक्ति, जिसके पास खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु) हो,
- (ii) ओपन कास्ट खानों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु) अथवा केवल ओपन कास्ट खानों के लिए सीमित प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु)।

(ग) कोयला और धातु की खानों में, जहां उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री से एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो, जो खनन इंजीनियरिंग से सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(घ) तेल की खानों के मामले में सुरक्षा अधिकारी, केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री अथवा केन्द्रीय श्रम संस्थान अथवा क्षेत्रीय श्रम संस्थानों, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय से औद्योगिक सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए तेल की खानों में कार्यों के प्रबंधन अथवा पर्यवेक्षण का अनुभव।

21. खानों के मामले में सुरक्षा अधिकारी के दायित्व.— (1) खान में सुरक्षा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह खान में सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य मामले में प्रबंधक की सहायता करे; और

(2) सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि एक उपयुक्त आपातकालीन योजना बनाई गई है और उसकी आवश्यकताओं को लागू किया गया है।

(3) आपात स्थिति को छोड़कर, उपनियम (1) और उपनियम (5) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा कोई अन्य कर्तव्य सुरक्षा अधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा।

(4) सुरक्षा अधिकारी एक बाध्य पृष्ठ वाली पुस्तक में या पुनर्प्राप्ति योग्य और गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखेगा।

(5) इसके अलावा, सुरक्षा अधिकारी के दायित्व निम्नलिखित होंगे -

- (क) कर्मचारियों से यथास्थल पर मिलने और उनसे सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करने और इस संबंध में उनके सुझाव मांगने के उद्देश्य से खान की सतह, जमीन से ऊपर, भूमिगत भागों, तेल की खान में लगे हुए तेल खानों का दौरा करना;
- (ख) नये भर्ती किए गए कर्मचारियों का प्रभार लेना और उन्हें खान के आस-पास की जगह दिखाना तथा उनके द्वारा खान में कार्य किए जाने के दौरान सुरक्षित और असुरक्षित कार्यों की जानकारी देना;
- (ग) छोटी दुर्घटनाओं सहित खान में सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं, आकस्मिक घटनाओं की जांच करना और उनका विश्लेषण करना ताकि खान में दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं की प्रकृति एवं सामान्य कारणों का पता लगाया जा सके;
- (घ) खान दुर्घटनाओं से संबंधित विस्तृत ब्यौरे रखना और खान में दुर्घटनाओं की प्रकृति एवं सामान्य कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से उनका विश्लेषण करना;

- (ड.) खतरे के सभी संभावित स्रोतों जैसे, आप्लावन, आग, कोयले की राख, तेल की खानों में विस्फोट तथा अन्य कारणों का अध्ययन करना और संहिता की धारा 67 में संदर्भित प्रबंधक को अवगत कराना;
- (च) पर्यवेक्षण कार्य से जुड़े कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी कक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें सुरक्षा संबंधी बातें बताना और व्याख्यान देना;
- (छ) खान में सुरक्षा सप्ताहों एवं अन्य सुरक्षा संबंधी शिक्षण एवं प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना;
- (ज) इस बात का ध्यान रखना कि सभी संबंधित खान कर्मचारी विभिन्न स्थायी आदेशों, प्रक्रिया संबंधी संहिताओं, सहयोग योजना और इसी प्रकार के अन्य मामलों से पूर्णतः अवगत हैं;
- (झ) व्यावसायिक प्रशिक्षण, गैस परीक्षण में प्रशिक्षण, अग्निशमन तथा प्राथमिक उपचार आदि सहित खान स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करने में सहायता प्रदान करना;
- (ञ) उसके द्वारा खान के विभिन्न भागों का दौरा करने के पश्चात संहिता की धारा 67 में संदर्भित प्रबंधक को यह रिपोर्ट देना कि खान में संहिता के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन हो रहा है या नहीं;
- (ट) आमतौर पर सुरक्षित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और खान में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सभी उपायों को सक्रिय सहयोग देना और अनुपालन हेतु इन उपायों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

अध्याय V

स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यदशाएं

क. कारखाना

22. सफाई और स्वच्छता:- प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) सभी कार्यस्थलों, कार्य कक्षों, गलियारों, सीढ़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को साफ-सफाई और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।
- (ii) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।
- (iii) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श साफ-सुथरा रखा जाए तथा जहाँ तक संभव हो, इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।
- (iv) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

- (क) प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;
- (ख) फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और
- (ग) ऐसे स्थानों पर काम करते समय उपयोग के लिए कर्मचारों को बिना किसी व्यय के फिसलन रहित फुटवियर और अन्य उपयुक्त सुरक्षा और संरक्षात्मक गियर उपलब्ध कराए जाएं।

(v) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य कक्षों की सफाई की जाए।

(vi) जहाँ तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

- (क) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और
- (ख) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

(vii) जहाँ तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहाँ धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।

(viii) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत हर प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

23. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता: प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहां व्यावहारिक हो, वहां की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जा सके।
- (ii) कारखाने के सभी कार्यस्थलों पर धुआं और धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध कराने तथा ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे हानिरहित बन सकें।
- (iii) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- (iv) जहां प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहां प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्ष में वांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहां यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।
- (v) जहां कार्य की प्रकृति के कारण स्थानीय तापन उपकरण कार्य कक्षों में स्थापित कराना आवश्यक हो, वहां कमरे में उपकरण का लेआउट ऐसा होगा कि ज्वलनशील गैसों को कमरे के वातावरण में प्रवेश करने से रोका जा सके।
- (vi) कार्य कक्षों में किए जाने वाले कार्य के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखा जाए तथा कर्मचारियों के आराम के लिए आर्द्रता की मात्रा बनाए रखी जाए।
- (vii) जहां कार्य की प्रकृति के कारण अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न किया जाता है, वहां सभी कर्मचारियों को उपकरण के तापरोधी इन्सुलेशन द्वारा या अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा ताप विकिरण और भाप या गर्म पानी के पाइप या अन्य गर्म सतहों के कारण उत्पन्न अत्यधिक तापमान से सुरक्षित किया जाएगा।

24. धूल, हानिकारक गैस, धुआं और अन्य अशुद्धियों से बचाव के लिए सावधानी - प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) जहां कहीं भी ज्वलनशील धुएं, गैसों, धुंध, वाष्प या अवशेषों को हटाने के लिए निकास प्रणालियां स्थापित करने की आवश्यकता हो, उन्हें किसी अन्य वेंटिलेशन प्रणाली से नहीं जोड़ा जाए या ज्वलनशील गैसों को ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली चिमनी या फ्लू में नहीं छोड़ा जाए।
- (ii) जब निकास प्रणालियों से निकलने वाले धुएं, गैसों, धुंध, वाष्प, धूल और अन्य स्राव से कर्मचारियों या पड़ोस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या वे हानिकारक हों, तो निकास को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा जो विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय कर दे, संक्रामक पदार्थों को जीवाणुरहित कर दे और धुएं, गैसों, धुंध या वाष्प को दुर्गन्धमुक्त कर दे।
- (iii) किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरूद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वहां उपस्थित हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते हैं।

25. कृत्रिम आर्द्रिकरण- प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता, जिसमें वायु की आर्द्रता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती, यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) यदि कर्मचारियों को अपने सभी या कुछ कार्यों में अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता का सामना करना पड़ता है, और खतरे को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिमों का आकलन किया जाएगा और खतरे या जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक नियंत्रण लागू किए जाएंगे।
- (ii) उपर्युक्त जोखिम मूल्यांकन में खतरनाक पदार्थों के विरुद्ध उपयुक्त सुरक्षात्मक वस्त्रों के उपयोग को ध्यान में रखा गया है, जो तापीय दबाव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, तथा यह भी कि श्वसन रक्षक असुविधाजनक होते हैं तथा अत्यधिक गर्म कार्य वातावरण में इनके उपयोग की संभावना कम होती है।
- (iii) जहां जोखिम का एक हिस्सा काम के दौरान उत्पन्न मेटाबोलिक गर्मी या धूप और उच्च बाहरी वायु तापमान के सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है, और जब ऐसे जोखिम को समाप्त करने के अन्य तरीके अव्यावहारिक हैं, तो कर्मकार को ठीक होने का अवसर देने के लिए, संपर्क में आए कर्मचारियों के लिए एक कार्य-आराम चक्र, अधिमानतः एक छायादार, वातानुकूलित या ठंडे विश्राम स्थान में प्रदान किया जाएगा।

- (iv) हाईड्रेशन बनाए रखने के लिए, जहां उपयुक्त हो, उचित इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ पर्याप्त मात्रा में पेयजल आसानी से सुलभ स्थानों पर उपलब्ध कराया जाए।
- (v) जहां व्यावहारिक नियंत्रण उपाय करने के बाद भी तापीय दबाव का जोखिम बना रहे, वहाँ कर्मचारों की पर्याप्त निगरानी की जानी चाहिए ताकि लक्षण दिखाई देने पर उन्हें गर्म और आर्द्र दशाओं से दूर रखा जा सके। साथ ही, प्राथमिक उपचार सुविधाएँ उपलब्ध हों और कर्मचारों को ऐसी सुविधाओं के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया हो।
- (vi) अत्यधिक गर्म और आर्द्र दशाओं में काम करने वाले कर्मचारों को निम्नलिखित निर्देश और प्रशिक्षण दिया जाए:
 - (क) उन लक्षणों को पहचानना जो स्वयं में या दूसरों में तापीय दबाव का कारण बन सकते हैं, तथा आरंभिक और/या आपात स्थितियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम; और
 - (ख) उच्च तापमान या आर्द्रता के कारण दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई।
- (vii) वायु की सापेक्षिक आर्द्रता निर्धारित करने के लिए जांच की जाए और उन्हें रिकार्ड किया जाए और यदि वायु का आर्द्रता स्तर कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाता है, तो इसे कृत्रिम रूप से इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि आर्द्रता और तापमान से कर्मचारियों को असुविधा न हो और इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी सार्वजनिक आपूर्ति या पेयजल के अन्य स्रोत से लिया जाए या उपयोग करने से पहले उसे परिशुद्ध किया जाए।
- (viii) आर्द्रता और तापमान के मापन और रिकॉर्डिंग के लिए उचित स्थान पर उपकरण उपलब्ध कराए जाए और उनका रखरखाव किया जाए।

ख. खान

26. सफाई और स्वच्छता: प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) सभी कार्यस्थलों, कार्य कक्षों, गलियारों, सीढ़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।
- (ii) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।
- (iii) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श साफ-सुथरा रखा जाए तथा जहां तक संभव हो, इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।
- (iv) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—
 - (क) प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;
 - (ख) फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और
 - (ग) ऐसे स्थानों पर काम करते समय उपयोग के लिए कर्मचारियों को बिना किसी व्यय के फिसलन रोधी जूते और अन्य उपयुक्त सुरक्षा और संरक्षात्मक गियर उपलब्ध कराए जाएं।
- (v) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य स्थलों की सफाई की जाए।
- (vi) जहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—
 - (क) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और
 - (ख) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।
- (vii) जहां तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहां धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।
- (viii) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत हर प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

27. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता:- प्रत्येक भूमिगत खान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहां व्यावहारिक हो, वहां की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जा सके।
- (ii) खान के सभी कार्यस्थलों पर धुआं, धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध कराने तथा ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे हानिरहित बन सकें।
- (iii) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान उपलब्ध कराना।
- (iv) जहां प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहां प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्षों में वांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहां यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।
- (v) खानों की सतह पर स्थित प्रत्येक कार्यस्थल पर, किए जाने वाले कार्य के प्रकार के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखा जाए तथा कार्य के प्रकार और बाहरी तापमान और आर्द्रता के अनुसार आर्द्रता की मात्रा बदलती रहे।
- (vi) वायु की मात्रा, तापमान और आर्द्रता का मापन नियमित रूप से लिया जाए और प्रत्येक वायु मापन स्टेशन पर प्रविष्टियों को अद्यतन किया जाए।

28. धूल, हानिकारक गैस, धुआं और अन्य अशुद्धियों से बचाव के लिए सावधानी: प्रत्येक भूमिगत खानों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (i) किसी भी कार्यस्थल पर हवा में प्रवेश करने वाली किसी भी गैस, धुएं, वाष्प या धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का श्वसन योग्य धूल, गैस, धुएं या वाष्प के संपर्क में आना एक सीमा तक सीमित है जो उचित रूप से व्यावहारिक है, लेकिन किसी भी मामले में, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सीमाओं से अधिक नहीं है।
- (ii) किसी भी कर्मचारी को किसी कार्यस्थल या सीमित स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए, जब तक कि वहां उपस्थित किसी भी हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल को हटाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय नहीं कर लिए जाएं, ताकि उनका स्तर अनुमेय सीमा के भीतर लाया जा सके।

29. कृत्रिम आर्द्रीकरण: प्रत्येक भूमिगत खान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) किसी भूमिगत खान या उसके किसी भाग के संबंध में, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता निर्धारित करने के लिए परीक्षण किए जाएं और उन्हें रिकार्ड किया जाए और यदि वायु का आर्द्रता स्तर कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाता है, तो उसे कृत्रिम रूप से इस प्रकार विनियमित किया जाए कि आर्द्रीकरण और तापमान से कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो;
- (ii) इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जल सार्वजनिक आपूर्ति या पेयजल के अन्य स्रोत से लिया जाता है या उपयोग करने से पहले शुद्ध किया जाए।
- (iii) उपयुक्त स्थानों पर आर्द्रता और तापमान के मापन और रिकॉर्डिंग के लिए उपकरण मालिक द्वारा उपलब्ध कराए जाएं और उनका रखरखाव किया जाए।
- (iv) कर्मचारियों को उन लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाए जो गर्मी के तनाव का कारण बन सकते हैं।

ग. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य

30. सफाई और स्वच्छता:- प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मचारियों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) प्रत्येक भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थल को उसके परिसर और परिवेश सहित स्वच्छ रखा जाए और स्वच्छ और स्वास्थ्य परक स्थिति में बनाए रखा जाए।

- (ii) सामग्री और उपकरणों के उचित भंडारण के लिए जगह प्रदान की जाए।
- (iii) स्क्रेप, अपशिष्ट और मलबे को उचित अंतराल पर हटा दिया जाए।
- (iv) खुली सामग्री जो उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, उसे साइट पर नहीं रखा जाए या जमा होने की अनुमति नहीं दिया जाए ताकि कार्यस्थलों और मार्गों तक पहुंच और निकास के साधनों में बाधा उत्पन्न न हो।
- (v) फिसलन वाले कार्यस्थलों और मार्गों को साफ किया जाए या रेत, बुरादा, राख या इसी तरह की सामग्री डाली जाए।
- (vi) जहां भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के दौरान फर्श गीला हो जाता है, वहां प्रभावी जल निकासी बनाए रखी जाए, सूखी और फिसलन रहित स्थिति में रखी जाए और कर्मचारियों को उपयुक्त एंटी-स्किड जूते निशुल्क प्रदान किए जाए।
- (vii) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत हर प्रकार के कचरे के दैनिक संग्रह, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

31. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता: प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) जहां किसी कर्मचारी को किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक खतरे के संपर्क में आने की संभावना होती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो वहां इस तरह के जोखिम के खिलाफ उचित निवारक उपाय किए जाए।
- (ii) ऊपर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित निवारक उपायों में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:
 - (क) जहां भी संभव हो, हानिरहित या कम खतरनाक पदार्थों द्वारा खतरनाक पदार्थों का प्रतिस्थापन; अथवा
 - (ख) संयंत्र, मशीनरी, उपकरण या प्रक्रिया पर लागू तकनीकी उपाय; अथवा

जहां ऊपर दिए गए उप नियम (ii) का अनुपालन करना संभव नहीं है, वहां व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग सहित अन्य प्रभावी उपाय निःशुल्क प्रदान किए जाएं।
- (iii) जहां कर्मचारियों को किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की अपेक्षित हो जिसमें एक जहरीला या हानिकारक पदार्थ मौजूद हो या जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या एक ज्वलनशील वातावरण हो वहां खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं।
- (iv) जब भी गर्मी का दबाव, ठंड या गीली स्थिति ऐसी हो कि वे स्वास्थ्य की हानि या अत्यधिक असुविधा का कारण बन सकती हो, तो वहां निवारक उपाय किए जाएं, जैसे:
 - (क) केबिन और कमांड या ड्राइविंग ऑपरेशन के कर्मचारियों के विशेष संबंध में कार्यभार और वर्कस्टेशन का उचित डिजाइन;
 - (ख) विकारों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण;;
 - (ग) उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों तथा कपड़ों की आपूर्ति;
 - (घ) नियमित चिकित्सा निगरानी;
 - (ङ) पेयजल और इलैक्ट्रोलाइट
- (v) भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल के सभी कार्य स्थलों पर धुएं और धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन, ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए ताकि उन्हें हानिरहित बनाया जा सके, पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त हवा प्रदान करने और तापमान या आर्द्रता की ऐसी अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए जो उसमें कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं;

- (vi) जहाँ भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल में किए गए कार्य की प्रकृति अत्यधिक उच्च तापमान का होना शामिल है या होने की संभावना है, वहाँ कर्मचारियों की रक्षा के लिए व्यवहारिक पर्याप्त उपाय किए जाएं, इसके लिए कार्यस्थल से उस प्रक्रिया को अलग किया जाए जो इस तरह के तापमान पैदा करती हो, गर्म भागों को इन्सुलेट करा जाए या अन्य प्रभावी तरीकों को अपनाया जाए।
- (vii) जहाँ जोखिम का कुछ हिस्सा काम के दौरान पैदा हुई शारीरिक गर्मी से, या सीधे धूप और बाहर के उच्च तापमान के कारण होता है, और जहाँ जोखिम को खत्म करने के अन्य तरीके व्यावहारिक नहीं हैं, वहाँ प्रभावित कामगारों के लिए काम और आराम का एक चक्र निर्धारित किया जाएगा। यह आराम अधिमानतः किसी छायादार और ठंडी जगह पर होना चाहिए ताकि कामगार थकान से उबर सके।
- (viii) हवा की मात्रा, तापमान और आर्द्रता का मापन नियमित रूप से लिया जाए और प्रत्येक वायु माप स्टेशन पर प्रविष्टियों को अद्यतित किया जाए।
- (ix) सुरंग में वेंटिलेशन की निम्न व्यवस्था हो: -
 - (क) प्रदूषकों को हटाना (वाहनों की निकास गैसों, धुआं नष्ट करना, धूल) और भूमिगत भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थलों में कार्य बल की आवश्यक भौतिक गतिविधियों के अनुसार जलवायु स्थिति (तापमान, आर्द्रता) की स्थापना और रखरखाव।
 - (ख) परियोजना की जटिलता के आधार पर एक विशिष्ट साइट के लिए वेंटिलेशन सिस्टम का विकल्प (सुरंग की लंबाई और व्यास, सिंगल या डबल बोर, शीतलन आवश्यकताएं, मध्यवर्ती मल्टीफ़ंक्शन स्टेशन, आदि)
 - (ग) प्राकृतिक या कृत्रिम वेंटिलेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि काम की प्रकृति और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रति व्यक्ति और प्रति घंटे पर्याप्त मात्रा में ताजी या शुद्ध हवा को एक क्षेत्र में प्रदान किया जा सके।
 - (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं कि संलग्न परिसरों में हवा में उपयुक्त हाइग्रोमेट्रिक स्तर बनाए रखा जाए।
 - (ङ) सुरंग स्थल पर निम्नलिखित उपकरण होना: -
 - (I) ऑक्सीजन स्तर मापने वाले उपकरण,
 - (II) ज्वलनशील गैसों को मापने वाले उपकरण लगा होना,
 - (III) तापमान मापने का उपकरण,
 - (IV) धूल सांद्रता मापने वाले उपकरण और
 - (V) जहरीली गैस मापने का उपकरण।
- (च) उन स्थानों पर स्थित सभी एयर कंप्रेसर्स के लिए वायु आपूर्ति इंटेक पॉइंट जहाँ इस तरह का इंटेक हवा धूल, धुएं, वाष्प और निकास गैसों या अन्य दूषित पदार्थों से दूषित नहीं होती है।

32. धूल, हानिकारक गैस, धुएं और अन्य अशुद्धियों के लिए सावधानियां:- प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) किसी भी गैस, धुएं, वाष्प या धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक कदम जो किसी भी कार्यस्थल पर हवा में प्रवेश कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का श्वसन धूल, गैस, धुएं या वाष्प के संपर्क में एक सीमा तक सीमित हो जो यथोचित रूप से व्यावहारिक है, लेकिन किसी भी मामले में, उन सीमाओं से अधिक नहीं है जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।

- (ii) किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरूद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वहां उपस्थित हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते हैं।

घ. बीड़ी और सिगार कार्य

33. सफाई और स्वच्छता:- बीड़ी और सिगार विनिर्माण के लिए प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) प्रत्येक उद्योग इसके परिसर और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और साफ स्थिति में रखा गया है।
- (ii) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।
- (iii) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श साफ-सुथरा रखा जाए तथा जहां तक संभव हो, इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।
- (iv) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—
 - क. प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;
 - ख. फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और
 - ग. ऐसे स्थानों पर काम करते समय उपयोग के लिए उपयुक्त फिसलनरोधी जूते कर्मकारों को बिना किसी व्यय के उपलब्ध कराए जाएं।
- (v) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य कक्षों की सफाई की जाए।
- (vi) जहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

क. काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और

ख. यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

- (vii) प्रभावी पर्यवेक्षण के अधीन हर प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

34. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता: प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहां व्यावहारिक हो, वहां की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जा सके।
- (ii) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- (iii) जहां प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहां प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्ष में वांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहां यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।

35. धूल से बचाव के लिए सावधानी - प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरूद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वहां उपस्थित धूल के कणों के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते हैं।

ड. मोटर परिवहन कार्य

36. सफाई और स्वच्छता:- प्रत्येक मोटर परिवहन कंपनी के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

- (i) सभी कार्यस्थलों, कार्य कक्षों, गलियारों, सीढ़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।

- (ii) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।
- (iii) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श, जहाँ तक संभव हो, साफ-सुथरा रखा जाए तथा इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।
- (iv) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

(क) प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;

(ख) फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और

(ग) काम करते समय इस्तेमाल के लिए उपयुक्त फिसलनरोधी जूते तथा अन्य उपयुक्त सुरक्षात्मक तथा उपयोगात्मक सुरक्षात्मक गियर जहाँ भी इनकी आवश्यकता हो, कर्मकारों को बिना किसी व्यय के उपलब्ध कराए जाएं।

(v) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य कक्षों की सफाई की जाए।

(vi) जहाँ तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

(क) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और

(ख) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

(vii) जहाँ तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहाँ धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।

(viii) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

37. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता.- प्रत्येक मोटर परिवहन कंपनी का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहाँ व्यावहारिक हो, वहाँ की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जाए सके।
- (ii) मोटर परिवहन कंपनी के सभी कार्यस्थलों पर धुआँ और धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध कराने तथा ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे हानिरहित बन सकें।
- (iii) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- (iv) जहाँ प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहाँ प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्ष में बांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहाँ यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।

38. धूल, हानिकारक गैस, धुआँ और अन्य अशुद्धियों से बचाव के लिए सावधानी - प्रत्येक मोटर परिवहन कंपनी का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) ज्वलनशील धुआँ, गैसों, कोहरे, वाष्प या अवशेषों को हटाने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम को किसी अन्य वेंटिलेशन सिस्टम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए या इसे दहन गैसों को ले जाने वाले चिमनी या फ्ल्यू में नहीं निकाला जाए।
- (ii) जब निकास प्रणालियों से निकलने वाले धुआँ, गैसों, धुंध, वाष्प, धूल और अन्य स्राव से कर्मचारियों या पड़ोस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या वे हानिकारक हों, तो निकास को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से किया जाए जो विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय कर दे, संक्रामक पदार्थों को जीवाणुरहित कर दे और धुआँ, गैसों, धुंध या वाष्प को दुर्गन्धमुक्त कर दे।
- (iii) किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरुद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं लकी जाए अथवा अनुमति नहीं दी जाए,

जब तक कि वहां उपस्थित हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाएं।

च. डॉक कार्य

39. सफाई और स्वच्छता :- प्रत्येक डॉक का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) जहाज अथवा डॉक में वे सभी स्थान जहाँ डॉक कार्य किए जाते हैं और जहाँ डॉक कामगारों को नियोजित किया जाता है, उन्हें साफ रखा जाए और स्वच्छ अवस्था में बनाए रखा जाए।
- (ii) सभी मार्गों और कार्यस्थलों को उन वस्तुओं और सामग्रियों से मुक्त रखा जाए जो किसी व्यक्ति के ठोकर खाने या फिसलने का कारण बन सकती हैं।
- (iii) लूज गीयर/सामान, औज़ार और इसी प्रकार के उपकरण प्रयोग में न होने पर सुरक्षित रूप से रखे जाएं अथवा कार्यस्थल से हटा दिए जाएं।
- (iv) तेल या अन्य किसी सामग्री का फैलाव, जो खतरा उत्पन्न कर सकता है, प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में यथाशीघ्र साफ किया जाए।"
- (v) जहाँ भी आवश्यक हो, कार्य के दौरान प्रयोग हेतु उपयुक्त फिसलन-रोधी जूते कामगारों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं।"
- (vi) जहाँ फर्श के गीले होने की संभावना हो, वहाँ प्रभावी जल-निकासी की व्यवस्था रखी जाए, फर्श को सूखा और फिसलन-रहित अवस्था में बनाए रखा जाए तथा कामगारों को उपयुक्त जूते निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं।"
- (vii) सभी संयंत्र और उपकरण प्रयोग में न होने पर निर्धारित स्थानों पर ही खड़े किए जाएं।"
- (viii) जहां तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहां धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।
- (ix) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत कचरे के दैनिक संग्रह, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

40. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता: प्रत्येक डॉक कार्य का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि हर डॉक की प्रत्येक इमारत, घेरे, रीफर होल्ड, चैम्बर या रीफर कंटेनर में, जहाँ डॉक कामगार कार्यरत हैं, प्रभावी और उपयुक्त प्रावधान किए जाएं। इसके तहत पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाएगा और तापमान व वायु संचार को इस प्रकार बनाए रखा जाएगा जिससे आराम की उचित स्थिति प्राप्त हो सके और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके।

41. धूल, हानिकारक गैस, धुएं और अन्य अशुद्धियों के विरुद्ध एहतियात:- प्रत्येक डॉक का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (i) जब भी किसी डॉक कामगार को किसी होल्ड, इंटरमीडिएट डेक, सीमित स्थान या किसी अन्य कार्यस्थल में प्रवेश करने की आवश्यकता हो, जहाँ न तो प्राकृतिक वेंटिलेशन और न ही यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली किसी गैस, धुएं, वाष्प या धूल की मात्रा को अनुमेय सीमा से नीचे रखने के लिए पर्याप्त है, तो स्वास्थ्य खतरों से बचने के लिए उचित आकार का मैनहोल या निकास के अन्य प्रभावी साधन प्रदान किए जाएंगे।
- (ii) किसी भी डॉक कामगार को जहाज के किसी ऐसे होल्ड या टैंक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें धूल, धुआं या अन्य अशुद्धियाँ ऐसी प्रकृति या मात्रा में हों जिससे कामगारों को चोट पहुँचने या परेशानी होने की संभावना हो; अथवा जिसमें विस्फोटक, जहरीले, हानिकारक या गैसीय माल ले जाया या संग्रहित किया गया हो; अथवा जिसमें शुष्क बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेट के रूप में किया गया हो; अथवा जिसे धूमीकृत किया गया हो; या जहाँ ऑक्सीजन की कमी की संभावना हो। जब तक कि धूल, धुएं या अन्य अशुद्धियों और खतरों को दूर करने तथा उनके पुनः प्रवेश को रोकने के लिए सभी व्यावहारिक कदम न उठा लिए गए हों, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे होल्ड या टैंक को डॉक कामगारों के प्रवेश के लिए सुरक्षित और उपयुक्त प्रमाणित न कर दिया गया हो, तब तक प्रवेश वर्जित होगा।
- (iii) जब डॉक कामगारों को अनाज, उर्वरक, सीमेंट और इसी तरह के थोक माल को संभालने के दौरान भारी मात्रा में धूल का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।

छ. बागान

42. सफाई और स्वच्छता.- प्रत्येक बागान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) सभी कार्यस्थलों, गलियारों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।
- (ii) प्रत्येक कार्य कक्ष की फर्श और दीवारें साफ और जहाँ तक हो सके, सूखी और फिसलन रहित स्थिति में रखी जाएँ।
- (iii) सेवा कक्षों की सफाई कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी बार आवश्यक हो, उतनी बार की जाए।
- (iv) जहाँ तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

(क) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और

(ख) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

(v) जहाँ तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहाँ कीटनाशक, कीटानुनामक, रसायन और जहरीले पदार्थ से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।

(vi) प्रभावी पर्यवेक्षण के अधीन प्रत्येक प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

43. धूल, हानिकारक गैस, धुआँ और अन्य अशुद्धियों से सावधानी.- प्रत्येक बागान नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) बागान में मौजूद धूल को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँ, क्योंकि यह कर्मकारों के लिए हानिकारक हो सकती है।
- (ii) कीटनाशक, कीटानुनाशक, रसायन और जहरीले पदार्थों को संभालने, मिलाने, घोलने, छिड़काव या इस्तेमाल करने में लगे प्रत्येक कर्मगार को सुरक्षात्मक कपड़े और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) निःशुल्क दिए जाएँ।
- (iii) उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े ऐसे मटेरियल से बने हों जो किसी भी तरह के कीटनाशक, कीटानुनाशक, रसायन और जहरीले पदार्थ को अंदर न जाने दें। ये कपड़े धोने योग्य हों ताकि प्रत्येक इस्तेमाल के बाद हानिकारक तत्व निकल जाएँ; उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़ों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) हैट के साथ सुरक्षात्मक बाहरी कपड़ा;

(ख) रबर के दस्ताने या ऐसे अन्य सुरक्षात्मक दस्ताने जो कलाई तक हों और जो तरल पदार्थ को अंदर न जाने दें;

(ग) धूल से बचाव वाले चश्मे;

(घ) रबर के जूते;

(ङ.) दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कपड़े के मास्क।

(iv) जब तक कीटनाशक, कीटानुनाशक, रसायन और जहरीले पदार्थों की बदबू पूरी तरह खत्म न हो जाए और उनका स्तर अनुमत सीमा के अंदर न आ जाए, तब तक किसी भी कर्मकार को किसी काम की जगह या बंद जगह में जाने की अनुमति नहीं होगी।

ज. स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यदशा हेतु सामान्य नियम

44. पेयजल:- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य, बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि: -

- (i) कार्यस्थल में सभी कर्मचारियों के लिए स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुलभता से उपलब्ध हो।

(ii) पाइप द्वारा आपूर्ति के अतिरिक्त पेयजल की किसी भी आपूर्ति को उपयुक्त पात्रों में रखा जाए, जिन पर हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में स्पष्ट रूप से चिह्न अंकित या प्रदर्शित किया जाए, ताकि यह दर्शाया जा सके कि जल पीने के लिए सुरक्षित है और ऐसी आपूर्ति को प्रतिदिन भरा जाए तथा जल और पात्रों को संदूषण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं;

(iii) जहां पानी राईजिंग जेट द्वारा दिया जाता है, वहां को छोड़कर, सामान्य पीने के गिलास या कप का उपयोग निषिद्ध है।

(iv) जहां जल पीने के लिए असुरक्षित है, वहां इसका उल्लेख हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में किया जाना चाहिए, जिसे अधिकांश कर्मकार समझते हों।

परंतु भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों के मामले में, प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) सामान्य उपयोग के लिए पीने का पानी केवल बंद पात्रों में संग्रहित किया जाए, जिनसे नलों के माध्यम से पानी निकाला जाता हो।

(ख) यदि पीने का पानी कार्यस्थल तक पहुँचाना हो, तो परिवहन टैंक, भंडारण टैंक और पानी निकालने वाले पात्र को नियमित अंतराल पर साफ और कीटाणुरहित किया जाए।

(ग) पीने के पानी की आपूर्ति को कभी भी ऐसे पानी की आपूर्ति से नहीं जोड़ा जाएगा जो पीने के लिए अनुपयुक्त हो।

45. अतिभीड़ - प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(i) किसी भी भवन में फर्श (या गोदी के काम के मामले में कोई भी गोदी क्षेत्र, घाट, जेटी) पर मशीनरी इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह कर्मकारों के लिए खतरनाक हो, या सामग्री या उत्पादों से इतनी अधिक भरी हुई न हो कि वह उनके लिए खतरा बन जाए।

(ii) सामान्य परिचालन, समायोजन, साधारण मरम्मत, आपूर्ति की गई, प्रक्रियाधीन या पूर्ण हो चुकी सामग्रियों के लिए व्यक्तिगत मशीनों या प्रक्रिया इकाइयों के चारों ओर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाए।

(iii) परिसर में किसी भी स्थान पर, जहां कर्मकारों को काम करना हो या किसी भी कारण से एकत्र होना हो, वहां अतिभीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त उपबंध किए जाएं, जिनमें शामिल हैं:

(क) सभी कार्य क्षेत्रों में अतिभीड़ से संबंधित खतरों को दर्शाने वाले संकेतों या प्रतीकों का डिजाइन और उपयोग (अंग्रेजी या हिंदी या स्थानीय भाषा में), जिसमें किसी भी समय ऐसे स्थानों पर काम करने के लिए अनुमत कर्मकारों की संख्या अधिसूचित की गई हो;

(ख) यानों और पैदल यात्रियों के रास्तों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित अवरोधों का उपयोग करके अलग रखा जाए।

(ग) यानों की तैनाती को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए और अतिभीड़ से बचा जाए।

परंतु खंड (i) और (ii) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी एवं सिगार कर्मकारों के मामले में लागू नहीं होंगे तथा उप-नियम (2) मोटर परिवहन उपक्रम पर लागू नहीं होगा।

46. प्रकाश (प्रदीप्त) - प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य, बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(i) स्थापन में सभी स्थानों, जिनमें उपयोगिता सेवाओं से संबंधित सभी सुविधाएँ शामिल हैं, जहाँ कर्मचारी काम करते हैं या गुजरते हैं, या जिन्हें आपात स्थिति में काम करना या गुजरना पड़ सकता है, में उपयोग के समय पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, या दोनों उपलब्ध हैं, जो संचालन और किए जा रहे विशेष प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त हैं। जहाँ भी संभव हो, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था की जाए।

(ii) कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था तब प्रदान की जाए या व्यवस्थित की जाए जब दिन का प्रकाश कम हो या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ दिन का प्रकाश अपर्याप्त हो।

(iii) प्रत्येक कार्यस्थल पर, जहाँ कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में कर्मकारों को जोखिम का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर्याप्त क्षमता की स्वचालित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिसके ऊर्जा स्रोत सामान्य प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों के लिए स्थापित उपकरणों से स्वतंत्र होने चाहिए।

परंतु बागान कर्मकारों के मामले में, खंड (i) लागू नहीं होगा।

परंतु कि भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों के मामले में, केवल खंड (iii) लागू होगा और साथ ही नीचे दिए गए नियम भी लागू होंगे:-

(क) भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थल के प्रत्येक कार्यस्थल के निकट, जिसमें उपयोगिता सेवाओं के लिए सभी सुविधाएं शामिल हैं, प्रत्येक कार्यस्थल और निर्माण स्थल पर किसी भी अन्य स्थान पर जहां कर्मचारी को आना-जाना पड़ सकता है, पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, जिसमें आवश्यकतानुसार वहनीय प्रकाश व्यवस्था भी शामिल है, उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) जहां प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां प्रत्येक कार्यस्थल और निर्माण स्थल पर किसी भी अन्य स्थान पर जहां कर्मचारी को आना-जाना पड़ सकता है, पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, जिसमें आवश्यकतानुसार वहनीय प्रकाश व्यवस्था भी शामिल है, उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, जहां तक संभव हो, चकाचौंध या परेशान करने वाली छाया उत्पन्न नहीं करेगी।

(घ) जहां खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो, लैंपों को आकस्मिक टूटने से बचाने के लिए उपयुक्त सुरक्षा आवरणों से सुरक्षित किया जाएगा।

(ङ) वहनीय विद्युत प्रकाश उपकरणों के केवल बिजली की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आकार और विशेषताओं के होंगे और निर्माण कार्यों में गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त यांत्रिक शक्ति वाले होंगे।

47. शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था.- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य, बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(1) (i) कारखाने के प्रत्येक कार्य स्थल पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मकारों के उपयोग के लिए सुविधाजनक अलग-अलग स्थानों पर पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाए।

(ii) ऐसे आवास में पर्याप्त रोशनी और हवादार व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसे हर समय साफ और स्वच्छ रखा जाए।

(2) (i) शौचालय, मूत्रालय और स्वच्छता ब्लॉकों का फर्श फिसलन रहित स्थिति में रखा जाए।

(ii) शौचालयों, मूत्रालयों और सैनिटरी ब्लॉकों की आंतरिक दीवारों पर चमकदार टाइलें लगाई जाएं। वैकल्पिक रूप से, शौचालयों और मूत्रालयों की आंतरिक दीवारों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वे चिकनी, पॉलिश की हुई और अभेद्य सतह प्रदान करें जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्यपरकता को बढ़ावा मिले;

(iii) शौचालयों और मूत्रालयों के सैनिटरी पैन को हर समय धोया हुआ और साफ रखा जाए।

(3) प्रत्येक 25 पुरुष और 15 महिला कर्मकारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए और दिव्यांग कर्मकारों और ट्रांसजेंडर कर्मकारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। साथ ही, एक ही समय में कार्यरत प्रत्येक 15 पुरुष कर्मकारों के लिए कम से कम एक मूत्रालय की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय में पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध हो।

(4) शौचालय और मूत्रालय परिसर की सफाई करते समय, ऐसे परिसर के बाहर अंग्रेजी या हिंदी और स्थानीय भाषा में, सफाई चल रही है, के पर्याप्त संकेतक रखे जाते हैं।

(5) नल के पानी सहित वॉशबेसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

(6) महिलाओं के उपयोग के लिए उनके शौचालयों में बिना किसी शुल्क के पर्याप्त मात्रा में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं तथा उनका रखरखाव किया जाए तथा इन्हें दैनिक आधार पर भरा जाए।

(7) महिलाओं के शौचालयों में इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन इकट्ठा करने के लिए ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएं। इस्तेमाल किए गए नैपकिन का सुरक्षित निपटान किया जाए। पुरुषों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी

शौचालयों में ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएँगे।

- (8) प्रत्येक शौचालय को कवर किया जाए तथा इस प्रकार विभाजित किया जाए कि गोपनीयता बनी रहे, तथा उचित दरवाजा, फास्टनिंग और निकास हो।
- (9) जहाँ पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्ति कार्यरत हैं, प्रत्येक शौचालय ब्लॉक के बाहर एक नोटिस "केवल पुरुषों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए" या "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए", जैसा भी मामला हो, हिंदी में या अंग्रेजी में और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में, प्रदर्शित किया जाता है।
- (10) शौचालयों और मूत्रालयों से निकलने वाले अपशिष्ट या गंदे पानी का उपचार किया जाता है और सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है।
- (11) शौचालयों में पानी के नल-
 - (i) जहाँ पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध है, ऐसे शौचालयों में अथवा उसके आस-पास पानी के नल उपलब्ध कराए जाना; तथा
 - (ii) यदि पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो नल या अन्य माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है ताकि शौचालय और मूत्रालयों में अथवा उसके आस-पास आसानी से पहुंचा जा सके।

परंतु भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्यों, बागान तथा गोदी के कार्यों के मामले में, जहाँ भी आवश्यक हो, मोबाइल शौचालयों की सुविधा प्रदान की जाती है।

48. अपशिष्ट और बहिःस्राव का उपचार:- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य, बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

- (i) कारखाने से निकलने वाले तरल अपशिष्ट और गैसीय उत्सर्जन के निकास, ठोस कचरे के निपटान के लिए उचित व्यवस्था की गई है।
- (ii) सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हुए, अपशिष्ट और बहिःस्राव के उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाती है।
- (iii) अपशिष्ट और बहिःस्राव के संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़े खतरों और जोखिमों की पहचान की जाती है और उचित निवारक और नियंत्रण उपाय लागू किए जाते हैं।
- (iv) अपशिष्ट और बहिःस्राव के प्रबंधन के जोखिम के आकलन के आधार पर, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर (पीपीई) निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं; और
- (v) अपशिष्ट और बहिःस्राव का प्रबंधन करने वाले कर्मकारों को पहचाने गए खतरों और जोखिमों के बारे में और प्रशिक्षण दिया जाता है।

परंतु खंड (i) और (ii) बीड़ी और सिगार कर्मकारों पर लागू नहीं होंगे:

परंतु यह और कि बागानों के मामले में, उप-नियम (1) और (2) लागू नहीं होंगे, इस शर्त के अधीन कि—कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रयुक्त पैकेजों के निपटान के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए ताकि उनका पुनः उपयोग रोका जा सके और पर्यावरण, जल या वायु प्रदूषण को रोका जा सके;

अध्याय 6
कल्याण उपबंध
क. सामान्य नियम

49. धुलाई की सुविधा.— प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

(i) आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मकारों के लिए अलग-अलग साबुन, तौलिए और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो, जो इस प्रकार हैं :

- (क) कार्यस्थल से अलग हो (और बागान कर्मकारों के मामले में बागान परिसर के भीतर);
- (ख) अच्छी तरह हवादार हो;
- (ग) उचित जल निकासी प्रणाली हो;
- (घ) साफ-सुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो;
- (ङ.) गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और बंधन हों;
- (च) हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसे- "केवल पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए" जो भी लागू हो प्रदर्शित हों।

(ii) एक ही तौलिये का इस्तेमाल करना मना है।

परंतु भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त उपबंध किए गए हैं:

(क) जहां कर्मकारों को विषैले, संक्रामक या जलन पैदा करने वाले पदार्थों, तेल, ग्रीस या धूल से त्वचा के दूषित होने का खतरा हो, वहां गर्म और ठंडे पानी से सुसज्जित पर्याप्त संख्या में उपयुक्त धुलाई सुविधाएं या स्नानघर उपलब्ध कराए जाएं।

(ख) धुलाई सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

50. स्नान गृह और लॉकर रूम की व्यवस्था.— प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

(i) आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मकारों के लिए अलग-अलग साबुन, तौलिए और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो, जो इस प्रकार हैं:

- (क) कार्यस्थल से अलग हो; (बागान कर्मकारों के मामलों में बागान के भीतर)
- (ख) अच्छी तरह हवादार हो;
- (ग) उचित जल निकासी प्रणाली हो;
- (घ) साफ-सुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो;
- (ङ.) गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और बंधन हों;
- (च) हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसे- "केवल पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए" जो भी लागू हो, प्रदर्शित हों।

(ii) कार्य की प्रकृति के अनुसार, कार्य के समय पहने जाने वाले कपड़ों और ऐसे विशेष कपड़ों को रखने के लिए, जो कर्मचारी कार्य स्थल पर पहनते हैं लेकिन घर नहीं ले जाते, पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध जगहों पर उपयुक्त और अलग लॉकर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

51. काम के समय न पहने जाने वाले कपड़ों को रखना – प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, गोदी के कर्मचारों और बागानों के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (i) कार्य की प्रकृति के अनुसार, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मचारों के लिए काम के घंटों के दौरान न पहने गए कपड़ों को रखने और सुखाने के लिए उपयुक्त, अलग और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- (ii) ये व्यवस्था कार्यस्थल से अलग कमरों में हैं।
- (iii) सभी पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मचारों के लिए एक चेंजिंग रूम है, जिसमें काम की प्रकृति के अनुसार गीले कपड़े सुखाने और कपड़े टाँगने के लिए उचित सुविधाएं हैं, साथ ही, जहां आवश्यक हो, जहरीले, संक्रामक, जलन पैदा करने वाले या रेडियोएक्टिव पदार्थों से बचाव के लिए भी सुविधाएं हैं, काम के कपड़े और सामान्य कपड़े अलग रखने के लिए उचित लॉकर भी उपलब्ध हैं।
- (iv) जब कर्मचारी ऐसे काम में लगे हों कि उनके काम के कपड़े गीले हो सकते हैं या पारी के बीच धोने पड़ सकते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है कि काम पर लौटने पर हर कर्मचारी के पास हमेशा सूखे कपड़े हों।
- (v) यह सुविधाएं इस तरह से उपलब्ध कराई जानी चाहिए —

(क) पर्याप्त आकार के और उचित वेंटिलेशन वाले व्यक्तिगत लॉकर;

(ख) बेंच या बैठने की अन्य उपयुक्त व्यवस्था।

52. बैठने की व्यवस्था: प्रत्येक कारखाना, खान और गोदी का नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि खड़े होकर कार्य करने वाले कर्मचारों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, ताकि उनके कार्य में कोई बाधा न हो। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और आरामदायक बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

53. कैटीन की व्यवस्था: प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (i) ऐसे प्रत्येक कारखाने में, जहाँ 100 या उससे अधिक कर्मचारी, जिनमें ठेका श्रमिक भी शामिल हैं, काम करते हैं, कारखाना परिसर में या उसके आस-पास एक कैटीन है जहां कर्मचारों को पौष्टिक, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो।
- (ii) कारखाने का नियोजक कारखाना परिसर में या उसके आस-पास एक कॉमन कैटीन के माध्यम से भी कैटीन की सुविधा दे सकता है।
- (iii) कैटीन को धूल, धुएं या बदबूदार गैस से बचाने के लिए शौचालय, मूत्रालय और प्रसंस्करण क्षेत्र से उचित दूरी पर हो।
- (iv) कैटीन में कम से कम एक डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेंट्री और कर्मचारों के हाथ धोने तथा बर्तन धोने के लिए अलग-अलग जगह हो।
- (v) कैटीन में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दरवाजे हो।
- (vi) डाइनिंग हॉल को ऐसी किसी भी जगह से अलग रखा गया है जहाँ कोई खतरनाक पदार्थ खाने-पीने की चीज़ों, थालियों या बर्तनों को दूषित कर सकता हो;
- (vii) डाइनिंग हॉल में कर्मचारों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है, ताकि एक समय में ज्यादा कर्मचारी भी आराम से बैठ सकें;
- (viii) डाइनिंग हॉल और सर्विस काउंटर का एक हिस्सा अलग करके महिला कर्मचारों और दिव्यांग कर्मचारों के लिए आरक्षित है; और
- (ix) पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मचारों के लिए अलग-अलग वॉशरूम हैं और उनकी निजता का ध्यान रखते हुए उन्हें पर्दे से अलग किया गया है।
- (x) उपस्कर

- (क) भोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सारा सामान और बर्तन साफ किए जाते हैं और उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाता है;
 (ख) फर्नीचर और अन्य उपस्कर साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जाते हैं

(xi) भोजन का भंडारण, तैयारी और रखरखाव

(क) हर खाद्य प्रबंधक को भोजन से संबंधित ऐसे तरीकों का प्रशिक्षण और निर्देश दिए जाते हैं जिससे भोजन दूषित न हो; और

(ख) कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, उसे खाद्य प्रबंधक के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है।

(xii) भोजन बनाने की जगह या डाइनिंग हॉल से बचा हुआ खाना और कचरा हटाकर ढके हुए कंटेनर में जमा किया जाता है और समय-समय पर उसका निपटान किया जाता है।

(xiii) खाना, पेय और अन्य सामान बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है, जिसकी कीमतें कैटीन प्रबंधन सोसाइटी तय करती है; और

(xiv) कैटीन में दिए जाने वाले भोजन, पेय और अन्य सामान का प्रति सर्विग मूल्य कैटीन में प्रदर्शित किया जाता है।

(xv) कैटीन प्रबंधन समिति

(क) निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए एक कैटीन प्रबंधन सोसाइटी का गठन किया जाता है:

- (i) कैटीन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मात्रा;
- (ii) मेनू की व्यवस्था;
- (iii) कैटीन में भोजन का समय; और
- (iv) कोई अन्य संबंधित मामला

परंतु यदि कैटीन का प्रबंधन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत किसी सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है, तो कैटीन प्रबंधन समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) कैटीन प्रबंधन समिति में कर्मचारों और नियोजकों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होते हैं;

(ग) नियोजक के प्रतिनिधि की नियुक्ति नियोजक द्वारा की जाती है, और

(घ) कर्मचारों के प्रतिनिधि की नियुक्ति संबंधित यूनियन या काउंसिल द्वारा की जाती है और यदि कोई यूनियन या काउंसिल नहीं है, तो कर्मचारी स्वयं कैटीन समिति के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

(ङ) समिति का कार्यकाल आपसी सहमति से तय किया जाएगा। कर्मचारों और नियोजकों, दोनों पक्षों के सोसाइटी सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में बदले जाएंगे।

(च) कैटीन प्रबंधन समिति, कैटीन प्रबंधक से परामर्श करके कैटीन के संचालन के बारे में निर्णय लेती है।

54. प्राथमिक उपचार और चिकित्सा साधन.- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोजता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (i) ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थापन या उसके किसी भाग में, जहाँ कर्मचारी कार्यरत हों, पर्याप्त संख्या में प्राथमिक आयुर्विज्ञान पेटियाँ या अलमारियाँ आवश्यक वस्तुओं के साथ उपलब्ध कराई जाएँ और इस प्रकार रखी जाएँ कि कार्य समय के दौरान वे आसानी से सुलभ हों। प्राथमिक आयुर्विज्ञान सुविधाओं का विवरण, प्रभारी व्यक्ति का नाम, संपर्क विवरण और निकटतम

- अस्पतालों की जानकारी वाला एक नोटिस अंग्रेजी या हिंदी तथा स्थानीय भाषा में एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए।
- (ii) हर पारी में, हर प्राथमिक उपचार बॉक्स या अलमारी की जिम्मेदारी प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र रखने वाले ऐसे किसी कर्मचारी या पर्यवेक्षक को दी जाएगी, जो स्थापन या उसके किसी हिस्से के काम के घंटों के दौरान हमेशा उपलब्ध रहे। हर विभाग या सेक्शन में कम से कम एक पूरी तरह से सुसज्जित फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी होनी चाहिए और काम के घंटों के दौरान उसका रखरखाव ठीक से किया जाना चाहिए। अगर विभाग या सेक्शन में 200 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो प्राथमिक उपचार बॉक्स की संख्या बढ़ानी होगी। प्रत्येक प्राथमिक उपचार बॉक्स या अलमारी में रखे सामान की एक उदाहरण सूची **उपाबंध-1** में है और नियोजक अपनी आवश्यकता के अनुसार और सामान भी रख सकता है।
 - (iii) खान के मामले में, प्रत्येक प्राथमिक उपचार बॉक्स या अलमारी में विद्यमान सामग्रियों की उदाहरण सूची **उपाबंध-3** में दी गई है और अधिष्ठाता आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वस्तुएं जोड़ सकता है।
 - (iv) किसी स्थापन में कम से कम तैंतीस प्रतिशत कर्मचारों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और प्रत्येक तीन वर्ष में उन्हें फिर से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जहां महिला कर्मचारी काम करती हैं, वहां कम से कम एक महिला कर्मचारी को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची-1, अनुसूची-2 या अनुसूची-3 के भाग-2 में शामिल चिकित्सा योग्यता वाले प्रशिक्षक द्वारा दी जानी चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची-3 के भाग-2 में शामिल योग्यता वाले व्यक्ति को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 13(3) या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अध्याय-6 में उल्लिखित शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त, उनके पास औद्योगिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक स्वास्थ्य या आपातकालीन चिकित्सा में डिप्लोमा या डिग्री, या औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट अध्येतावृत्ति (एएफआईएच) या समकक्ष डिग्री भी होनी चाहिए।
 - (v) काम के दौरान होने वाली प्रत्येक क्षति या बीमारी की सूचना स्थापन के पर्यवेक्षक को दी जाएगी, ताकि क्षति या बीमारी पर नजर रखी जा सके। साथ ही, स्थापन में काम करने वाले ऐसे कर्मचारों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जिन्हें ड्यूटी के दौरान गंभीर क्षति होती है या बीमारी होती है, या जिन्हें प्राथमिक उपचार के अनुसार इलाज की आवश्यकता होती है तो ऐसे कर्मचारों को तुरंत कारखाने या उसके आस-पास के इलाके की नजदीकी औषधालय या अस्पताल पहुंचाया जाएगा।
 - (vi) काम के दौरान क्षति लगने पर हर कर्मचारी को यह बात प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक को बतानी चाहिए जो घायल व्यक्ति को आवश्यक प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। यदि क्षतिग्रस्त कर्मचारी प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक को यह जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, तो यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसे इस घटना के बारे में सबसे पहले पता चलता है कि वह यह जानकारी प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक को दे।
 - (vii) यदि पर्यवेक्षक की राय में क्षति ऐसी है कि उसे तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से उपचार की आवश्यकता है, तो वह तुरंत चिकित्सक को बुलाने की व्यवस्था करेगा या इस बारे में स्थापन के नियोजक या उसके प्रतिनिधि को सूचित करेगा।
 - (viii) यह नियोजक या उसके प्रतिनिधि का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी को जल्द से जल्द नजदीकी औषधालय/अस्पताल पहुंचाया जाए, बेहतर होगा कि इसके लिए एक उचित एम्बुलेंस वैन का उपयोग किया जाए।
 - (ix) इसके अतिरिक्त, खानों के मामले में निम्नलिखित उपबंधों का पालन किया जाएगा:

(I) कर्मचारों और पर्यवेक्षकों को प्राथमिक उपचार प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त व्यवस्था की जाती है।

(II) प्रत्येक खान में, सुविधाजनक एवं सुलभ स्थानों पर, **उपाबंध-5** में अधिसूचित प्राथमिक उपचार उपकरणों से सुसज्जित प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापित एवं बनाए रखे जाएँ, जहाँ घायल व्यक्तियों को निम्नानुसार प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा सके:

(क) भूमिगत के ऊपर, प्राथमिक उपचार केन्द्र—

- (i) प्रत्येक शाफ्ट या ढलान के शीर्ष पर, जहाँ सामान्यतः व्यक्ति या सामग्री का आवागमन होता है;
- (ii) प्रत्येक कार्यशाला में;
- (iii) प्रत्येक स्क्रीनिंग प्लांट एवं लोडिंग स्थल पर; तथा
- (iv) ऐसे प्रत्येक अन्य स्थान पर जहाँ किसी भी समय 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों।

(ख) प्रत्येक विवृत खनिज में, प्राथमिक उपचार केन्द्र—

- (i) प्रत्येक शॉवेल अथवा ड्रैगलाइन लोडिंग बिंदु पर;

- (ii) विश्राम आश्रय तथा वहनीय विश्राम आश्रय, यदि कोई हो;
- (iii) पंपिंग स्टेशन पर;
- (iv) री-फ्यूलिंग स्टेशन पर;
- (v) डंप यार्ड पर;
- (vi) ऐसे प्रत्येक अन्य स्थान पर जहाँ किसी भी समय 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों।

(ग) भूमिगत, एक प्राथमिक उपचार केन्द्र—

- (i) प्रत्येक शाफ्ट के निचले भाग पर, जहाँ सामान्यतः व्यक्ति या सामग्री का आवागमन होता है तथा प्रत्येक प्लांट के निकट;
- (ii) प्रत्येक हॉलजि के ड्राइव एंड के निकट;
- (iii) खान के प्रत्येक क्षेत्र या सेक्शन के भीतर या उसके प्रवेश द्वार पर।

परंतु इस उप-नियम में निहित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक प्राथमिक उपचार केन्द्र से 300 मीटर के भीतर अन्य प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापित करना अनिवार्य है।

(iv) प्राथमिक उपचार केन्द्र के प्रभारी व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि वहाँ उपलब्ध उपस्कर सदैव उत्तम स्थिति में रहें तथा आवश्यकता होने पर उनकी पूर्ति की जाए।

(v) प्रत्येक प्राथमिक उपचार केन्द्रीय एक ऐसे कर्मचारी या पर्यवेक्षक के अधीन होगा जिसके पास केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्राथमिक उपचार प्रमाण-पत्र हो।

(vi) खान में स्थापित सभी प्राथमिक उपचार केंद्रों की अद्यतन सूची खान कार्यालय में रखी जाएगी।

(vii) प्रत्येक पर्यवेक्षक या अधिकारी, जिसके पास वैध प्राथमिक उपचार प्रमाण-पत्र हो, ड्यूटी के दौरान एक प्राथमिक उपचार किट साथ रखेगा, जिसमें एक बड़ा विसंक्रमित ट्रेसिंग, एक छोटा विसंक्रमित ट्रेसिंग, चिपकनेवाला बैंडेज, स्किन क्लोजर स्ट्रिप्स, रूई के गोले, रोगाणुरोधक घोल तथा गोल सिरों वाली कैंची शामिल होगी, और यह किट धूल एवं पानी से सुरक्षित रखने हेतु उचित रूप से पैक की गई होगी।

55. एम्बुलेंस कक्ष.- प्रत्येक कारखाने, खान और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

- (i) पिछले कैलेंडर वर्ष में किसी भी एक दिन 500 से अधिक कर्मकारों वाले प्रत्येक स्थापनों में, एक उपयुक्त एम्बुलेंस कक्ष या औषधालय हो जो 24 घंटे या कार्य समय के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, उपलब्ध हो और अच्छी हालत में हो। प्रत्येक स्थापनों का कर्मकार आपातकालीन सेवाओं के लिए अस्पतालों से भी समझौता कर सकता है।
- (ii) एम्बुलेंस कक्ष का मतलब है स्थापन परिसर में या उसके आस-पास एक सुविधाजनक स्थान, जिसमें मेडिकल चिकित्सा आपात से निपटने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं हों और जिसमें कम से कम वह उपस्कर हों जो **उपाबंध-2** में दी गई सूची में बताए गए उपस्कर हो। नियोजक आवश्यकतानुसार और भी मद जोड़ सकता है।
- (iii) खानों के मामले में, एम्बुलेंस कक्ष में कम से कम वे उपस्कर होने चाहिए जिनका उल्लेख **उपाबंध-4** में दी गई उदाहरण सूची में किया गया है। नियोक्ता आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वस्तुएँ जोड़ सकता है।
- (iv) एम्बुलेंस कक्ष की देखरेख एक पूर्णकालिक योग्य चिकित्सा व्यवसायी करता है, जिसे आयुर्विज्ञान द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है और उसकी सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ (कम से कम एक नर्स और एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट-हेल्थकेयर/नर्सिंग असिस्टेंट) भी होते हैं।
- (v) उप-नियम (3) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले चिकित्सा व्यवसायी के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल कोई चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल योग्यता वाले व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के धारा 13 की उपधारा (3) में उल्लिखित शर्त या राष्ट्रीय

आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के अनुसार या औद्योगिक या उपजीविकाज्य स्वास्थ्य में डिप्लोमा/डिग्री या समकक्ष योग्यता पूरी करनी होगी। योग्य आयुर्विज्ञान व्यवसायी अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर औद्योगिक या उपजीविकाज्य स्वास्थ्य में डिप्लोमा/डिग्री या औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट अध्येतावृत्ति प्राप्त करेगा।

- (vi) खंड (iv) के अधीन नियुक्त की जाने वाली योग्य नर्स के पास राज्य नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत योग्यता होनी चाहिए और उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) का प्रशिक्षण पूरा करना होगा, साथ ही उसे किसी मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में कम से कम छह माह का आपात का अनुभव भी होना चाहिए।
- (vii) एम्बुलेंस कक्ष में मरीज की निजता और जांच के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- (viii) एम्बुलेंस कक्ष में आपात प्रकाश की व्यवस्था और एक उपयुक्त संचार माध्यम यदि संभव हो तो हाथ में रखने वाला डिवाइस उपलब्ध होना चाहिए।
- (ix) एम्बुलेंस कक्ष में काम की प्रकृति के अनुसार, शावर पॉइंट लगाए जाते हैं, जिनसे पानी की निकासी आसानी से हो सके। लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शावर में पानी की आपूर्ति का प्रबंध किया जाना चाहिए।

56. आश्रय स्थल और विश्राम कक्ष.— प्रत्येक कारखाने, खान और मोटर परिवहन उपक्रम के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

- (i) हर उस स्थापन में, जहाँ आमतौर पर 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ कर्मचारों के भोजन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लंचरूम होना चाहिए, जिसमें पीने के पानी और हाथ-पैर धोने की सुविधा भी हो।
- (ii) ये सुविधाएं पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारों के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराई जाती हैं और उनका रखरखाव किया जाए परंतु नियम 53 के अधीन उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी भी कैटीन को इस नियम का पालन माना जाएगा।
- (iii) आश्रम स्थल या विश्राम कक्ष और लंच रूम में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए:
 - (क) ऐसे कमरे पर्याप्त रोशनी वाले और हवा-दार हों और हमेशा साफ-सुथरे और स्वच्छ स्थिति में रखे जाएं।
 - (ख) सभी दीवारों और छत उपयुक्त गर्मी प्रतिरोधी सामग्री की बनी हों;
 - (ग) ऐसे कमरे की छत फर्श से उचित ऊंचाई पर हो और उसमें उस समय काम कर रहे कर्मचारों के लिए पर्याप्त जगह हो;
 - (घ) प्रत्येक कमरे में बैठने और खाने के लिए उचित फर्नीचर हो।

परंतु मोटर परिवहन उपक्रम के मामले में नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपक्रम में कार्यरत मोटर परिवहन कर्मचारों को वर्दी, रेनकोट और अन्य इसी तरह की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं।

57. कल्याण अधिकारी.— प्रत्येक स्थापन, खान और बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

- (i) कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति निम्नानुसार विहित रीति से की जाए:

(क) दो सौ पचास से पांच सौ कर्मचारों को रोजगार देने वाले प्रत्येक स्थापन का नियोजक कम से कम एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करने है, और जहां कर्मचारों की संख्या पांच सौ से अधिक है, वहां प्रत्येक अतिरिक्त पांच सौ कर्मचारों या पांच सौ से अधिक कर्मचारों के अंश के लिए एक अतिरिक्त कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जाए।

(ख) किसी स्थापन में जहां पुरुष और महिला दोनों कर्मकार कार्यरत हैं, वहां नियुक्त की जाने वाली महिला कल्याण अधिकारियों की संख्या नियोजित महिला कर्मकारों के अनुपात में होगी और जहां नियोजित महिलाओं की संख्या एक सौ से अधिक है और महिला कर्मकारों की कुल संख्या एक हजार से अधिक नहीं है, वहां एक अतिरिक्त महिला कल्याण अधिकारी नियुक्त की जाए।

(ग) जहां एक से अधिक कल्याण अधिकारी नियुक्त हों, उनमें से एक को मुख्य कल्याण अधिकारी तथा अन्य को कल्याण अधिकारी के रूप में नामाधिसूचित किया जाए;

(ii) कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति ने इस संबंध में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सामाजिक कार्य या मानव संसाधन प्रबंधन या श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो; तथा उसे कारखाने में अधिकांश कर्मचारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान हो।

(iii) नियोजक द्वारा नियुक्ति की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निरीक्षक-सह-सुकारक को दी जाए, जिसमें नियुक्त अधिकारी की योग्यता आदि का विवरण तथा उसकी सेवा की शर्तें दी जाए।

(iv) (क) कल्याण अधिकारी को प्रत्येक स्थापन के अन्य कार्यपालकों के अनुरूप उचित प्रास्थिति दी जाए और उसे कार्यपालक/अधिकारी वेतनमान पर नियुक्त किया जाए।

(ख) कल्याण अधिकारी की सेवा शर्तें प्रत्येक स्थापन में समतुल्य प्रास्थिति के अन्य कार्यपालकों के अन्य सदस्यों या अधिकारियों के समान होती हैं:

परंतु सेवामुक्ति या पदच्युति के मामले में कल्याण अधिकारी को मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा नियोजक पर बाध्यकारी होगा।

(v) कल्याण अधिकारी के कर्तव्य:

(क) प्रबंधन और कर्मचारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से संपर्क स्थापित करना और परामर्श करना;

(ख) कर्मचारों की शिकायतों को प्रबंधन के ध्यान में लाना ताकि उनका शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जा सके और प्रबंधन एवं कर्मचारों के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना;

(ग) कर्मचारों के दृष्टिकोण का अध्ययन और उसे समझना ताकि प्रबंधन को श्रम नीतियों को आकार देने और तैयार करने में सहायता मिल सके और इन नीतियों की व्याख्या कर्मचारों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में की जा सके;

(घ) कार्य घंटों के विनियमन, प्रसूति प्रसुविधा, आयुर्विज्ञान देखभाल, क्षति लगने और बीमारियों के लिए मुआवजे और अन्य कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित अनुपालन, दायित्वों, वैधानिक या अन्य पर सलाह देना;

(ङ) कल्याणकारी सुविधाओं जैसे स्थान सुविधाओं, खाद्य पदार्थों, सामाजिक और मनोरंजक सुविधाओं, स्वच्छता, व्यक्तिगत कार्मिक समस्याओं और बच्चों की शिक्षा के उपबंध पर सलाह देना; और

(च) नए भर्ती हुए कर्मचारों, प्रशिक्षुओं, स्थानांतरण और प्रोन्नति वाले कर्मचारों, प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण, नोटिस बोर्ड और सूचना बुलेटिनों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के बारे में प्रबंधन को सलाह देना ताकि कर्मचारों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके और तकनीकी संस्थानों में उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जा सके।

(vi) कल्याण अधिकारी अनुशासनात्मक मामलों का निपटान नहीं करेंगे या कर्मचारों के विरुद्ध प्रबंधन की ओर से पेश नहीं होंगे या प्रबंधन की ओर से सुलह अधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं होंगे।

58. शिशुकक्ष सुविधा.- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (i) प्रत्येक कारखाने में, जहाँ सामान्यतः 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, कर्मचारों के छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक शिशुकक्ष सुविधा प्रदान की जाए और उसका रखरखाव किया जाए।
- (ii) जहाँ भी आवश्यकता हो, मोबाइल शिशुकक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) प्रत्येक शिशुकक्ष सुविधा सभी कर्मचारों के लिए निःशुल्क और सुलभ होगी;
- (iv) शिशुकक्ष यथासंभव कार्यस्थल के भीतर या किसी निकटवर्ती सुलभ स्थान पर स्थित होना चाहिए;
- (v) शिशुकक्ष भवन निर्माण स्थल के किसी ऐसे भाग के निकट स्थित नहीं होना चाहिए जहाँ से हानिकारक धुआँ, धूल या दुर्गंध निकलती हो या जहाँ अत्यधिक शोरगुल वाली प्रक्रियाएँ चलती हों;

- (vi) शिशुकक्ष में या उसके आस-पास बच्चों और उनके कपड़ों की धुलाई के लिए एक उपयुक्त शौचालय हो;
- (vii) शिशुकक्ष को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और स्वच्छतापूर्ण स्थिति में रखा जाए;
- (viii) बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।
- (ix) शिशुकक्ष बच्चों और शिशुओं की देखभाल के लिए अधिमानतः महिला के अधीन हो;
- (x) शिशुकक्ष के प्रभारी, सहायक कर्मचारी और गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
- (xi) शिशुकक्ष के प्रभारी व्यक्ति के पास बच्चे की पहचान, निवास का पता आदि की जानकारी हो और इसका रखरखाव किया जाए।
- (xii) शिशुकक्ष में बच्चे को लाने और छोड़ने वाले व्यक्ति का विवरण देखभालकर्ता के पास उपलब्ध होना चाहिए और बच्चे को केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को लेने या छोड़ने जाता है तो माता-पिता की अनुमति के साथ उसकी पहचान आवश्यक होगी।
- (xiii) सुबह बच्चे के आगमन पर और बच्चे को लेने के समय सभी बच्चों की उपस्थिति अभिलिखित की जाए।
- (xiv) शिशुकक्ष में रहने के दौरान प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में साफ कपड़े, साबुन और साफ तौलिए उपलब्ध हों;
- (xv) शिशुकक्ष में आराम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो;
- (xvi) सभी बच्चों को उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक, सम्पूर्ण और स्वास्थ्यकारी भोजन की पर्याप्त आपूर्ति की जाए;
- (xvii) कैंची, चाकू, ब्लेड, पिन आदि जैसी सभी नुकीली चीजें बच्चों से हमेशा दूर रखी जाए।
- (xviii) डिटेजेंट, सफाई एजेंट, फिनाइल आदि जैसे रसायन बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
- (xix) शिशुकक्ष में बच्चे हुए खाने या अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए गैर-दहनशील ढके हुए पात्र उपलब्ध कराए जाएं।
- (xx) सभी बिजली के स्विच/प्लग बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
- (xxi) निकासी योजना की योजना बनाना और उसे कक्ष में प्रदर्शित करना।
- (xxii) शिशुकक्ष में किसी भी समय यहाँ तक कि अवकाश के दौरान भी किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाए।
- (xxiii) किसी भी प्रकार का मौखिक या शारीरिक दुर्व्यवहार सख्त वर्जित किया जाए।
- (xxiv) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन किसी भी प्रकार के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
- (xxv) पर्यवेक्षक के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति, ज्ञात या अज्ञात को, शिशुकक्षा के कामकाज के घंटों के दौरान किसी भी समय शिशुकक्षा के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए, सिविल कार्य अधिमानतः सप्ताहांत/या छुट्टियों के दौरान ही किया जाना चाहिए।
- (xxvi) कामकाजी घंटों के दौरान शिशुकक्ष में सीसीटीवी निगरानी की जाए।
- (xxvii) महत्वपूर्ण और आपातकालीन संपर्क नंबर (हेल्पलाइन जैसे 112, 1098, अग्निशमन सेवाएं, बाल संरक्षण अधिकारी, निकटतम पुलिस स्टेशन आदि) आसान पहुंच और संदर्भ के लिए शिशुकक्ष परिसर के भीतर प्रदर्शित किए जाते हैं।
- (xxviii) आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रणाली/या कर्मचारियों को कॉल पर उपलब्ध कराया जाता है।
- (xxix) शिशुकक्ष में भोजन कक्ष प्रदान किया जाए।

परंतु कोई स्थापन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या निजी इकाई की सामान्य शिशुकक्षा सुविधा का लाभ उठा सकता है या गैर-सरकारी संगठन या किसी अन्य संगठन या स्थापनों के समूह द्वारा प्रदान की जा सकती है, वे इस उद्देश्य के लिए अपने संसाधनों को एकत्रित कर सकते हैं जैसा कि वे इस तरह के उद्देश्य के लिए सहमत हो सकते हैं।

59. मॉक ड्रिल.- प्रत्येक कारखाने, खदान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारियों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम और गोदी कार्य के नियोक्ता को विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों की जांच करने हेतु त्रैमासिक रूप से मॉक ड्रिल का संचालन सुनिश्चित करना होगा।

परंतु प्रत्येक बागान के नियोक्ता को विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों की जांच करने हेतु वार्षिक रूप से मॉक ड्रिल का संचालन सुनिश्चित करना होगा।

ख. खान

60. चिकित्सीय परीक्षण.- प्रत्येक खान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) प्रत्येक कर्मचारी, जिसमें संविदा कर्मकार भी शामिल हैं, की नियुक्ति से पूर्व तथा तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए।
- (ii) संविदा कर्मकारों को नियमित कर्मकारों के समान चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
- (iii) उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन किसी विवाद की स्थिति में, मामले को इन नियमों के अधीन गठित अपीलीय चिकित्सा बोर्ड को संदर्भित किया जा सकेगा।

61. संविदा कर्मकारों सहित श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएँ.- यदि खान नियोक्ता द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, तो वह कर्मकारों सहित संविदा कर्मकारों के लिए तेल खानों में वि विवृत खनिज, गड्डों, शाफ्टों, डंप याडों, स्टॉक पाइल्स, अस्थिर खदानों, कुओं और अन्य स्थापनों के सक्रिय कार्य क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर होगी।

ग. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य

62. रहने के लिए आवासन.- भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के प्रत्येक नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मकारों के लिए उनके घरों से दूर स्थित निर्माण स्थलों पर, जहां स्थल और उनके घरों या अन्य उपयुक्त आवास के बीच पर्याप्त परिवहन उपलब्ध नहीं है, उपयुक्त अस्थायी आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त, जहां भवन या अन्य निर्माण कार्य ठेकेदार के माध्यम से किया जाता है, वहां मुख्य नियोक्ता ठेकेदार को आवास उपलब्ध कराने में हुए व्यय का भुगतान करेगा।

घ. मोटर परिवहन उपक्रम

63. चिकित्सा सुविधाएँ.- प्रत्येक मोटर परिवहन उपक्रम का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) प्रत्येक परिचालन केन्द्रीय और ठहराव स्थल (जिसमें सिटी सर्विस के मामले में केवल डिपो और अन्य कार्यालय शामिल होंगे) पर, यथास्थिति, चौबीसों घंटे या कार्य घंटों के दौरान एक उपयुक्त आयुर्विज्ञान सुविधा कक्ष या औषधालय उपलब्ध हो और उसे अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाए;
- (ii) चिकित्सा सुविधा कक्ष या औषधालय परिचालन केन्द्रीय और ठहराव स्थल पर सुविधाजनक स्थान पर स्थित हो और वहां आयुर्विज्ञान आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त स्थान और व्यवस्था हो तथा उसमें कम से कम वे उपस्कर हों जिनका उल्लेख उपाबंध-6 में दी गई उदाहरणात्मक सूची में किया गया है। नियोक्ता आवश्यकतानुसार और अधिक वस्तुएं जोड़ सकता है;
- (iii) आयुर्विज्ञान सुविधा कक्ष या औषधालय नियोक्ता द्वारा सीधे नियुक्त एक पूर्णकालिक योग्य आयुर्विज्ञान व्यवसायी के प्रभार में हो और उसे पर्याप्त संख्या में अर्धआयुर्विज्ञान कर्मकारों (कम से कम एक नर्स और एक सामान्य ड्यूटी सहायक-स्वास्थ्य सेवा अथवा नर्सिंग सहायक) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी;
- (iv) उप-नियम (3) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले आयुर्विज्ञान व्यवसायी के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची 1 या 2 या तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13(3) में अधिसूचित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अनुसार या औद्योगिक या व्यावसायिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा/डिग्री, या एएफआईएच या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। अर्हताप्राप्त आयुर्विज्ञान व्यवसायी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर औद्योगिक या व्यावसायिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या डिग्री या औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट फेलोशिप ए एफ आई एच प्राप्त करेगा;
- (v) उप-नियम (3) के अधीन नियुक्त की जाने वाली अर्हताप्राप्त नर्स के पास राज्य नर्सिंग परिषद के अधीन पंजीकृत योग्यता होनी चाहिए और किसी बहु-विशिष्ट (मल्टीस्पेशलिटी) अस्पताल से कम से कम 6 महीने की अवधि के आपातकालीन अनुभव के साथ बेसिक लाइफ सपोर्ट बी एल एस में प्रशिक्षण पूरा किया होना चाहिए;

- (vi) आयुर्विज्ञान सुविधा कक्ष या औषधालय में कम से कम दो कमरे हों। कमरों में से एक का उपयोग कर्मचारियों के बैठने और औषध के भंडारण के लिए किया जाए। दूसरे कमरे का उपयोग आपातकालीन-सह-ट्रेसिंग रूम अथवा बीमारों के लिए अवलोकन कक्ष के रूप में किया जाए;
- (vii) आयुर्विज्ञान सुविधा कक्ष या औषधालय में आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और एक उपयुक्त संचार माध्यम, अधिमानतः हैंडहेल्ड डिवाइस प्रदान किया जाए।

अध्याय 7

कार्य घंटे और सवेतन वार्षिक अवकाश

64. कार्य घंटे.- (1) किसी भी कर्मचारी को किसी स्थापन में एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

(2) परिवहन वैन के मामले में, परिवहन वैन के संचालन में किसी भी प्रकार की रुकावट के दौरान अधिकतम पंद्रह मिनट का व्यवधान अनुमत होगा।

65. श्रमजीवी पत्रकार के कार्य के घंटे.- (1) इस नियम के अधीन उपबंध श्रमजीवी पत्रकार पर लागू होंगे लेकिन संपादकों, या संवाददाताओं, रिपोर्टरों या समाचार छायाकारों/फोटोग्राफर्स पर लागू नहीं होंगे।

(2) उप-नियम (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, समाचार पत्र स्थापन, जिसके संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति नियोजित है, के स्थित होने के स्थान पर तैनात प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार छायाकार पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्-

(क) संबंधित पक्षों के बीच सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किए गए ऐसे समझौते के अधीन, ऐसा प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार छायाकार, किसी भी दिन झूटी पर आने के बाद, उस पूरे दिन तब तक झूटी पर माना जाएगा जब तक कि वह उस दिन के लिए उसे सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा नहीं कर लेता:

परंतु यदि ऐसे संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार छायाकार के पास कार्य के किन्हीं दो या अधिक कार्यों के बीच कुल दो घंटे या उससे कम की अवधि का विश्राम या अंतराल रहा हो, तो उसे ऐसी अवधि के दौरान झूटी पर नहीं माना जाएगा:

परंतु यह और भी कि जहाँ ऐसे अंतराल या अंतरालों की कुल अवधि दो घंटे से अधिक हो, वहाँ उसे उस अवधि के दौरान झूटी पर माना जाएगा जो उक्त दो घंटे की अवधि से अधिक है।

(ख) किसी भी सप्ताह के दौरान छत्तीस घंटे से अधिक कार्य करने की कोई भी अवधि, जिसे इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए कार्य की एक इकाई माना जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति आगामी सप्ताह के दौरान विश्राम द्वारा की जाएगी और यह तीन घंटे से कम की एक या अधिक अवधियों में दी जाएगी:

परंतु जहाँ काम किए गए अतिरिक्त घंटों का कुल योग तीन घंटे से कम हो, वहाँ विश्राम की अवधि केवल उतनी ही होगी जितनी वह अतिरिक्त अवधि है।

(3) भोजन के समय को छोड़कर, श्रमजीवी पत्रकार के लिए सामान्य कार्य दिवस के रूप में निर्धारित घंटों की संख्या, दिन की पाली के मामले में छह घंटे प्रतिदिन और रात्रि की पाली के मामले में साढ़े पांच घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी और किसी भी श्रमजीवी पत्रकार से सामान्यतः एक सामान्य कार्य दिवस बनाने वाले घंटों की संख्या से अधिक समय तक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और न ही उसे इसकी अनुमति दी जाएगी।

(4) समाचार पत्र स्थापन और उस स्थापन में नियोजित श्रमजीवी पत्रकारों के बीच होने वाले समझौते के अधीन, श्रमजीवी पत्रकार के लिए कार्य की अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि कोई भी श्रमजीवी पत्रकार, विश्राम अंतराल से पहले, दिन की पाली के मामले में चार घंटे और रात्रि की पाली के मामले में तीन घंटे से अधिक कार्य न करे, जो कि दिन की पाली के मामले में एक घंटे का और रात्रि की पाली के मामले में आधे घंटे का होगा।

(5) जब कोई श्रमजीवी पत्रकार दिन की पाली के मामले में किसी भी दिन छह घंटे से अधिक और रात्रि की पाली के मामले में साढ़े पांच घंटे से अधिक कार्य करता है, तो उन्हें उस अधिक समय कार्य के संबंध में, उतने ही घंटों के विश्राम के रूप में क्षतिपूर्ति दी जाएगी जितने घंटे उन्होंने अधिक समय कार्य किया है या मजदूरी द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जो मजदूरी की सामान्य दर से दोगुनी होगी।

(6) किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को एक समय में लगातार एक सप्ताह से अधिक या चौदह दिनों की किसी भी अवधि में एक सप्ताह से अधिक के लिए रात्रिकालीन पाली में नियोजित नहीं किया जाएगा।

(7) रात्रि से दिन की पाली में या इसके विपरीत पाली परिवर्तन के मामले में, दो पालियों के बीच कम से कम चौबीस निरंतर घंटों का अंतराल होगा और एक दिन की पाली से दूसरी दिन की पाली में या एक रात्रि की पाली से दूसरी रात्रि की पाली में परिवर्तन के मामले में, कम से कम बारह निरंतर घंटों का अंतराल होगा।

परंतु ऐसा कोई अंतराल अनुमत नहीं होगा यदि वह अंतराल धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन किसी श्रमजीवी पत्रकार द्वारा प्राप्त अंतराल के साथ मेल खाता हो या उसके भीतर आता हो।

66. विक्रय संवर्धन कर्मचारों और उनके अधीन कार्यरत पत्रकारों के लिए अवकाश एवं छुट्टियां.-

- (1) एक कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में दस छुट्टियों का हकदार होगा।
- (2) यदि किसी कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी को छुट्टी के दिन उपस्थित होना आवश्यक हो, तो उसे छुट्टी के तुरंत बाद तीस दिनों के भीतर, उसके और उसके नियोक्ता द्वारा आपसी सहमति से तय किए गए दिन पर प्रतिकरात्मक अवकाश दिया जाएगा।
- (3) कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी सभी छुट्टियों के दिनों में उसी प्रकार वेतन पाने का हकदार होगा जैसे कि वह कर्मचारी झूटी पर हो।
- (4) कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी को साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना कि उस दिन झूटी पर रहने वाले कर्मचारी को मिलता है।
- (5) कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी उस स्थापन में एक या अधिक अधिकारियों को इन नियमों के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।
- (6) जो कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें स्थापन के सक्षम अधिकारी को लिखित में आवेदन करना होगा।
- (7) आकस्मिक अवकाश, आयुर्विज्ञान प्रमाण पत्र पर अवकाश और संगरोध अवकाश के अतिरिक्त, खंड (i) के अधीन अवकाश के लिए आवेदन, आपातकालीन या अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर, अवकाश प्रारंभ होने की तारीख से कम से कम एक माह पहले किया जाएगा।
- (8) जब छुट्टी अस्वीकार या स्थगित की जाती है, तो स्थापन का सक्षम अधिकारी ऐसी अस्वीकृति या स्थगन के कारणों को अभिलिखित करेगा और आदेश की एक प्रति कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी को भेजेगा।
- (9) साप्ताहिक विश्राम दिवसों के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को स्थापन के सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी अवकाश के पहले या बाद में नहीं जोड़ा जाएगा।
- (10) इस नियम के अधीन दी गई किसी भी छुट्टी के दौरान पड़ने वाली छुट्टी, जिसमें साप्ताहिक विश्राम दिवस भी शामिल है, छुट्टी की अवधि का हिस्सा होगी।
- (11) (i) कोई स्थापन किसी कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी को छुट्टी पर वापस बुला सकता है, यदि वह स्थापन ऐसा करना आवश्यक समझता है, और ऐसी वापसी की स्थिति में, कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी यात्रा भत्ता का हकदार होगा, यदि वापसी के समय ऐसा कर्मचारी अपने मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपनी छुट्टी बिता रहा हो।

(ii) खंड (i) के अधीन भुगतान किया जाने वाला यात्रा भत्ता, यात्रा के लिए यात्रा भत्ता से संबंधित स्थापन के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(12) एक कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी जिसने स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी ली है, उसे काम पर लौटने से पहले, उसके नियोक्ता द्वारा उस योग्य चिकित्सक से उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया था।

(13) पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को नियुक्त करने वाला प्रत्येक स्थापन एक या अधिक योग्य चिकित्सा व्यवसायियों को पदाभिहित कर सकेगा।

(14) (i) कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी छुट्टी पर बिताए गए प्रत्येक ग्यारह महीनों के लिए कम से कम एक महीने की अवधि के लिए पूर्ण वेतन सहित अर्जित अवकाश का हकदार होगा;

परन्तु जब अर्जित अवकाश की कुल शोध्य रकम एक सौ बीस दिन हो जाएगी, तो ऐसे कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को आगे ऐसा अवकाश अर्जित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा;

(ii) छुट्टी पर बिताई गई अवधि में साप्ताहिक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश और संगरोध अवकाश शामिल होंगे।

(15) अर्जित अवकाश पर रहने वाला कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी, छुट्टी पर बिताए गए पूरे बारह महीनों की अवधि के दौरान अर्जित औसत मासिक वेतन के बराबर वेतन प्राप्त करेगा, या यदि अवधि पूरे बारह महीनों से कम है, तो उस महीने से ठीक पहले की पूरी अवधि के दौरान अर्जित औसत मासिक वेतन के बराबर वेतन प्राप्त करेगा जिसमें अवकाश आरंभ होता है।

(16) (i) जब कोई कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी स्वेच्छा से अपना पद छोड़ देता है या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह अधिकतम एक सौ बीस दिनों तक के अर्जित अवकाश के लिए नकद मुआवजे का हकदार होगा।

परन्तु जिस कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को उसके कारण अर्जित अवकाश देने से इनकार कर दिया गया हो, वह अस्वीकृत अर्जित अवकाश के लिए नकद मुआवजा पाने का हकदार होगा:

परन्तु यह और यह कि यदि किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले अर्जित अवकाश का लाभ नहीं उठाया है, तो उसके वारिस उस अवकाश के लिए नकद मुआवजे के हकदार होंगे जिसका लाभ नहीं उठाया गया है।

(ii) यदि किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी की सेवा किसी भी कारण से समाप्त कर दी जाती है, सिवाय अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में दी गई सजा के, तो वह कर्मचारी अधिकतम एक सौ बीस दिनों तक के अर्जित अवकाश के लिए नकद मुआवजे का हकदार होगा।

(iii) ऐसा नकद मुआवजा उस वेतन की रकम से कम नहीं होगा जो किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को छुट्टी की अवधि के लिए देय हो, जिसका लाभ नहीं उठाया गया हो, सुसंगत मजदूरी वह होगी जो ऐसे कर्मचारी को देय होती यदि वे वास्तव में खंड (i) या खंड (ii) में अधिसूचित किसी घटना के घटित होने से ठीक पहले वाले दिन छुट्टी पर गए होते।

(17)

(i) कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर वेतन के आधे हिस्से के बराबर अवकाश का हकदार होगा, जो प्रत्येक अठारह महीने की सेवा के लिए एक महीने से कम नहीं होगा।

परन्तु चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ली गई छुट्टी की कुल अवधि नब्बे दिन होने पर ऐसे कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को ऐसी छुट्टी अर्जित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

(ii) ऐसा चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी योग्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किया जाना चाहिए:

परन्तु यदि कोई कार्यरत पत्रकार अपने नियोक्ता की अनुमति से अपने मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गया हो और बीमार पड़ जाए, तो वह किसी भी योग्य चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है:

परन्तु यह और कि यदि प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पंजीकृत चिकित्सक सरकार की सेवा में नहीं है, तो नियोक्ता अपने व्यय पर संबंधित कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी की चिकित्सक जांच किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जो सिविल सहायक सर्जन के पद से कम का न हो, या उस स्थान पर अवकाश प्राधिकरण या सार्वजनिक संगठन द्वारा संचालित अस्पताल के प्रभारी किसी अन्य चिकित्सक अधिकारी द्वारा करवा सकता है।

(iii) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश अर्जित अवकाश, के साथ जारी रखा जा सकता है, लेकिन अर्जित अवकाश और चिकित्सक प्रमाण पत्र पर अवकाश की कुल अवधि एक बार में एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी।

परन्तु चिकित्सा बोर्ड एक सौ बीस दिनों से अधिक की छुट्टी की सिफारिश कर सकेगा।

(iv) कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी अपने विकल्प पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर वेतन के आधे हिस्से पर मिलने वाली छुट्टी को पूरे वेतन की छुट्टी की आधी रकम में परिवर्तित करने का हकदार होगा।

(v) खंड (i) और (iii) के उपबंध में अवकाश संचय और कुल अवधि पर निर्धारित सीमा को सक्षम अधिकारी द्वारा तपेदिक जैसी लंबी बीमारी से पीड़ित कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी के मामलों में शिथिल किया जा सकता है;

(vi) खंड (i) और (iv) में अधिसूचित चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश या चिकित्सक प्रमाण पत्र पर परिवर्तित अवकाश किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को उनके अनुरोध पर दिया जा सकता है, भले ही उन्हें अर्जित अवकाश प्राप्त हो।

(18)(i) उप-नियम (9) के अनुसार पदाभिहित योग्य चिकित्सा व्यवसायी के चिकित्सक प्रमाण पत्र पर या जहां ऐसा कोई पदाभिहित योग्य चिकित्सक व्यवसायी नहीं है, वहां जिला लोक स्वास्थ्य अधिकारी या समान पदास्थिति के अन्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्ण वेतन पर संगरोध अवकाश दिया जाएगा, जिसकी अवधि इक्कीस दिन से अधिक नहीं होगी या असाधारण परिस्थितियों में तीस दिन होगी।

(ii) संगरोध प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई भी अवकाश, उस अवधि से अधिक होने पर, कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को देय किसी अन्य अवकाश के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(19) जिस कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी के खाते में कोई छुट्टी नहीं है, उसे उस स्थापन के विवेकानुसार बिना वेतन के असाधारण छुट्टी दी जा सकती है, जिसमें वह कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी कार्यरत है;

(20) जिस कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी के खाते में कोई छुट्टी नहीं है, उसे उस स्थापन के विवेक पर छुट्टी दी जा सकती है जिसमें वह कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी कार्यरत है।

(21) किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को वेतन सहित या बिना वेतन के अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है, यह उस स्थापन के विवेक पर निर्भर करता है जिसमें ऐसा पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी कार्यरत है।

(22) (i) एक कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में पंद्रह दिनों तक संस्थान के विवेकानुसार आकस्मिक अवकाश का लाभ मिलेगा:

परन्तु एक बार में पांच दिनों से अधिक की छुट्टी न ली जाए और ऐसी छुट्टियां किसी अन्य छुट्टी के साथ न जोड़ी जाएं।

(ii) किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान न ली गई आकस्मिक छुट्टी अगले वर्ष में आगे नहीं ले जाई जाएगी।

67. साप्ताहिक अवकाश.- (1) नियोक्ता प्रत्येक स्थापन के कार्यस्थल के एक प्रमुख स्थान पर एक सूचना प्रदर्शित करेगा, जिसमें साप्ताहिक अवकाश दर्शाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड जैसे डिजिटल माध्यम भी शामिल होंगे।

(2) यदि स्थापन में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक अवकाश एक ही दिन नहीं होता है, तो नोटिस में प्रत्येक समूह या व्यक्ति को मिलने वाले अवकाश को हिंदी या अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में दर्शाया जाएगा।

68. प्रतिकरात्मक अवकाश.- (1) ऐसे किसी कार्य में लगे कर्मकार को छोड़कर, जिसे तकनीकी कारणों से पूरे दिन लगातार करना आवश्यक हो, प्रतिकरात्मक अवकाश की अनुमति दी जाएगी और उन्हें इस प्रकार अंतराल पर दिया जाएगा कि एक सप्ताह में दो से अधिक प्रतिकरात्मक अवकाश न दिए जाएं।

(2) स्थापन का नियोक्ता उस महीने के अंत में या उससे पहले, जिसमें अवकाश का नुकसान हुआ है, उन कर्मकारों के संबंध में एक सूचना प्रदर्शित करेगा जिन्हें अगले महीने के दौरान प्रतिकरात्मक अवकाश दिया गया है और उनकी तारीखों के बारे में, उस स्थान पर जहां कार्य अवधि की सूचना प्रदर्शित की जाती है।

(3) किसी भी प्रतिकरात्मक अवकाश के संबंध में नोटिस में कोई भी बाद का परिवर्तन उस अवकाश की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले किया जाएगा।

(4) किसी भी कर्मचारी को जिस प्रतिकरात्मक अवकाश का हकदार है, वह उसे सेवामुक्त या बर्खास्त किए जाने से पहले दिया जाएगा और इसे आवश्यक नोटिस अवधि के भाग के रूप में नहीं गिना जाएगा।

69. अतिकालिक मजदूरी- (1) जहाँ किसी स्थापन में-

(क) कोई कर्मकार दैनिक वेतनभोगी के रूप में किसी दिन आठ घंटे से अधिक काम करता है या

(ख) दैनिक कर्मकार के अलावा, कोई अन्य कर्मकार किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से ज़्यादा काम करता है,

ऐसे ओवरटाइम काम के लिए कर्मकार अपनी सामान्य मजदूरी की दर से दोगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा, और उसे हर मजदूरी अवधि के अंत में इसका भुगतान किया जाएगा।

(2) किसी भी दिन अतिकालिक की गणना करते समय, 15 से 30 मिनट के बीच के समय के अंश को तीस मिनट गिना जाएगा और तीस मिनट से अधिक होने की स्थिति में इसे पूर्णांकित कर वास्तविक आधार पर एक घंटा गिना जाएगा।

(3) मासिक वेतन पाने वाले कर्मकार के मामले में मजदूरी या कमाई की गणना करते समय, दैनिक मजदूरी उसके मासिक वेतन का 1/26वां हिस्सा होगी; और किसी भी अन्य कर्मकार के मामले में यह, यथास्थिति, दैनिक मजदूरी या कमाई होगी।

(4) नियम 64 में उल्लिखित काम के घंटे, डॉक, खान और भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में, निम्नलिखित कार्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत बढ़ाए जा सकते हैं :

- (क) तत्काल मरम्मत;
- (ख) प्रारंभिक या पूरक प्रकृति का कार्य;
- (ग) ऐसा कार्य जो अनिवार्य रूप से इतना सविराम हो कि ड्यूटी पर रहने के दौरान जिन अंतरालों में वे कार्य नहीं करते हैं, वे सामान्यतः विश्राम के अंतरालों से अधिक हों;
- (घ) ऐसा कार्य जो तकनीकी कारणों से निरंतर किया जाना चाहिए;
- (ङ) उन अनिवार्य वस्तुओं को बनाने या आपूर्ति करने में लगा होना जिनका निर्माण या आपूर्ति प्रतिदिन की जानी चाहिए;
- (च) ऐसी प्रक्रिया में लगा होना जिसे निश्चित मौसमों के अतिरिक्त संचालित नहीं किया जा सकता;
- (छ) ऐसी प्रक्रिया में लगा होना जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर निर्भर समय के अतिरिक्त संचालित नहीं किया जा सकता;
- (ज) इंजन-कक्षों या बॉयलर-घरों में या पावर-प्लांट या ट्रांसमिशन मशीनरी की देखभाल में लगा होना;
- (झ) मशीनरी के खराब होने के कारण प्रक्रिया में लगा होना;
- (ञ) रेलवे वैगनों या लोरियों या ट्रकों या पोतों की लोडिंग या अनलोडिंग में लगा होना;
- (ट) कार्य का असाधारण दबाव और
- (ठ) किसी भी ऐसे कार्य में लगा होना, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व के कार्य के रूप में अधिसूचित किया गया हो;

परंतु किसी भी कर्मकार को वर्ष की किसी भी तिमाही में एक सौ चौवालीस घंटे से अधिक अतिकालिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु यह औरकि अतिकालिक के लिए, एक कर्मकार को प्रत्येक मजदूरी अवधि के अंत में संहिता की धारा 27 के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

70. खानों में दोहरे नियोजन पर प्रतिबंध.- खानों में दोहरे नियोजन पर प्रतिबंध से छूट की परिस्थितियां केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विधिसूचित की जाएंगी।

71. कार्य की अवधि का नोटिस.- धारा 31 की उप-धारा (2) में संदर्भित नोटिस स्थापन के सूचना बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसे प्ररूप-XII में बनाए रखा जाएगा तथा ऐसे नोटिस की एक प्रति निरीक्षक-सह-सुकारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी।

अध्याय 8

अभिलेख और विवरणी रजिस्टर का रख-रखाव

72. धारा 33 के अधीन रिपोर्ट, पंजीकृत और अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण.- (1) स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता निम्नलिखित संधारित करेगा:-

- (i) प्ररूप-XIII में कर्मकारों का रजिस्टर;
- (ii) प्ररूप-XIV में उपस्थिति-सह-मस्टर रोल का रजिस्टर;
- (iii) प्ररूप-XV में मजदूरी, अतिकालिक और कटौती का रजिस्टर;
- (iv) इस अध्याय के अधीन पंजीयाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अनुरक्षित की जाएँगी;
- (v) पंजियों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी, या हिंदी और स्थानीय भाषा में की जाएँगी;
- (vi) प्रत्येक नियोक्ता को मांग किए जाने पर निरीक्षक सह-सुविधाकर्ता या केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष अभिलेख और रजिस्टर प्रस्तुत करने होंगे;

(vii) सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख, उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच कैलेंडर वर्ष की अवधि तक मूल रूप में संरक्षित रहेंगे।

- (2) प्रत्येक नियोक्ता, कर्मकारों को वेतन के भुगतान के दिन या उससे पहले, प्ररूप-XVI में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, वेतन पर्ची जारी करेगा।
- (3) उन स्थापनों के संबंध में, जिन्हें मजदूरी संहिता 2019 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है, मजदूरी संहिता, 2019 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्थापन के नियोक्ता द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक निम्नलिखित रजिस्टर और वेतन पर्चियां इन नियमों के अधीन नियोक्ता द्वारा बनाए रखी गई मानी जाएंगी।
- (4) संहिता के अधीन बनाए रखने हेतु आवश्यक सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख पूर्ण एवं अद्यतन रखे जाएंगे और जब तक अन्य उपबंध ना हो, उन्हें कार्यालय में या कार्यस्थल परिसर के भीतर किसी निकटतम सुविधाजनक भवन में अथवा तीन किलोमीटर के भीतर में किसी स्थान पर रखा जाएगा।
- (5) वह नियोक्ता जिस पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत के बाद फरवरी के 28 या 29वें दिन या उससे पहले, अधिसूचित पोर्टल पर अधिसूचित प्ररूप-XVII और XVIII में वार्षिक विवरणी अपलोड करें बशर्ते कि निरीक्षण के दौरान, इंस्पेक्टर-कम-सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए गए खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के उत्पादन की आवश्यकता हो सकेगी।
स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “इलेक्ट्रॉनिक रूप” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में इसे दिया गया है।
- (6) यदि नियोक्ता, जिस पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, स्थापन के कामकाज को बेचता है, परित्यागकर देता है या बंद कर देता है, तो ऐसा नियोक्ता, ऐसी बिक्री या परित्याग की तारीख के एक महीने के भीतर या ऐसे बंद होने की तारीख के चार महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के पदाभिहित पोर्टल पर, पिछले वर्ष के अंत और बिक्री, परित्याग या समाप्ति की तारीख के बीच की अवधि के संबंध में खंड (क) में अधिसूचित प्ररूप-XVII और XVIII में एक और वार्षिक विवरणी ऑनलाइन अपलोड करेगा।
- (7) मैनुअल रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों के मामले में,

(i) अंग्रेजी, या हिंदी और स्थानीय भाषा में स्याही से स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाना चाहिए और नियोक्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए;

(ii) अंतिम रिपोर्ट या प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक मूल रूप में संरक्षित रखा जाएगा; बशर्ते कि जब मूल अभिलेख पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले खो जाए या नष्ट हो जाए, तो उसकी सच्ची प्रतियां, यदि उपलब्ध हों, निर्धारित अवधि के लिए संरक्षित रखी जाएंगी;

(iii) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष मांग किए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

- (8) प्रत्येक स्थापन जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का अध्याय 3 (कर्मचारी भविष्य निधि) और अध्याय 4 (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) लागू होता है, प्ररूप-XVII के भाग-4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा।

73. नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना.- प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रणाधीन स्थापन के कार्यस्थल के विशिष्ट स्थान पर स्थापन का नाम और पता, कार्य के घंटे, मजदूरी अवधि, ऐसी मजदूरी के भुगतान की तारीख, पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापन में हुई दुर्घटना और खतरनाक घटना का विवरण आदि सूचनाएं और ऐसे स्थापन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकारक का नाम और पता तथा ऐसे कर्मकारों को अवैतनिक मजदूरी के भुगतान की तारीख अंग्रेजी या हिंदी और स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करवाएगा।

74. वार्षिक विवरणी.- किसी स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता ऐसे स्थापन से संबंधित वार्षिक विवरणी प्ररूप-XVII में कर्मकारों की श्रेणी, स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं, छुट्टी या कामबंदी, बोनस, मातृत्व लाभ आदि से संबंधित क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजेगा ताकि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत के बाद फरवरी के 28 या 29 वें दिन या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुँच सके।

75. दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर.- दुर्घटना और खतरनाक दुर्घटनाओं के रजिस्टर धारा 33 के खंड (क) के उप-खंड (v) द्वारा अपेक्षित घटनाओं को प्ररूप-XIX में रखा जाएगा।

76. वेतन सहित अवकाश का रजिस्टर.- (1) प्रत्येक स्थापन का नियोक्ता अपने प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में वेतन सहित अवकाश का रिकार्ड इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल रूप से प्ररूप-XX में रखेगा और मांगने पर एक कैलेंडर वर्ष में एक बार संबंधित कर्मचारी के अवकाश रिकार्ड भी साझा करें।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि किए जाने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखा जाएगा और उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी नष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे नए रजिस्टर में समुचित रूप से स्थानांतरित न कर दिया गया हो।

अध्याय 9 निरीक्षक-सह-सुकारक और अन्य प्राधिकारी

77. किसी वस्तु या पदार्थ के नमूने लेने की शक्ति - (1) निरीक्षक-सह-सुकारक संहिता के अधीन अधिदेशित निरीक्षण योजना के अनुसार स्थापन में नियोक्ता को सूचित करने के पश्चात्, स्थापन में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी पदार्थ का पर्याप्त नमूना प्रदान किए जाने के पश्चात्, यहां वर्णित रीति से नमूने या पदार्थ लेगा, ऐसा उपयोग—

(क) निरीक्षक-सह-सुकारक के विश्वास में संहिता के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन, या

(ख) निरीक्षक-सह-सुकारक की राय में स्थापन में कर्मचारी को शारीरिक क्षति या उसके स्वास्थ्य को क्षति लगने की संभावना है।

(2) जहां निरीक्षक-सह-सुकारक उपनियम (1) के अधीन नमूना लेता है, वहां वह उस उपधारा के अधीन सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि ऐसा व्यक्ति स्वेच्छा से अनुपस्थित न हो, नमूने को तीन भागों में विभाजित करेगा और उन्हें प्रभावी रूप से मुहर लगाकर उपयुक्त रूप से चिह्नित करेगा, और ऐसे व्यक्ति को उसमें अपनी मुहर और चिह्न लगाने की अनुमति देगा।

(3) पूर्वोक्त रूप से सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक-सह-सुकारक को आवश्यकता हो, तो इस नियम के अधीन लिए गए नमूने को विभाजित करने, सील करने और चिह्नित करने के लिए उपस्कर उपलब्ध कराएगा।

(4) निरीक्षक-सह-सुकारक-

(क) उपनियम (1) के अधीन सूचित व्यक्ति को नमूने का एक भाग तुरन्त दे देना;

(ख) नमूने के दूसरे भाग को विश्लेषण और उस पर रिपोर्ट के लिए सरकारी विश्लेषक या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को भेजें;

(ग) नमूने के तीसरे भाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए रखें जिसके समक्ष पदार्थ के संबंध में कार्यवाही, यदि कोई हो, आरंभ की जाती है।

(5) इस धारा के अधीन विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे प्रस्तुत किए गए किसी पदार्थ पर किसी सरकारी विश्लेषक या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के अधीन रिपोर्ट होने का दावा करने वाले किसी भी दस्तावेज को पदार्थ के संबंध में आरंभ की गई किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

78. निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) निरीक्षक-सह-सुकारक प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात्, जैसा आवश्यक समझे, आवश्यक समझे, नियोक्ता या अधिभोगी या अधिष्ठाता या प्रबंधक या मास्टर या पोत के प्रभारी अधिकारी या उनके एजेंट को **प्ररूप-XXV** में सुधार नोटिस जारी करेगा, जिसमें संहिता के अधीन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों या मानकों के गैर-अनुपालन का उल्लेख होगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुकारक प्रत्येक निरीक्षण में यह पता लगाएगा कि पिछले निरीक्षण में अधिसूचित कमियों को किस सीमा तक सुधारा गया है और पहले जारी किए गए नोटिसों का अनुपालन किया गया है तथा उसके निष्कर्ष और निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आने वाली कमियां, संहिता या नियम या उनके अधीन बनाए गए विनियमों या मानकों के अधीन उनके द्वारा पारित किसी आदेश के साथ उसे अभिलिखित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा।

79. जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य.- खानों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य, समय-समय पर जारी केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

80. विशेषज्ञों की अर्हताएं और अनुभव, कर्तव्य और जिम्मेदारियां.- यह योजना तीसरे पक्ष के लेखापरीक्षा और प्रमाणन के लिए विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने के लिए अधिसूचित की जाएगी। पैनल में शामिल किए जाने वाले विशेषज्ञों की योग्यताएं और अनुभव, कर्तव्य और जिम्मेदारियां समय-समय पर जारी केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

81. चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति.- (1) चिकित्सा अधिकारी एक चिकित्सा व्यवसायी होगा, जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता है और जो राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित है।

(2) चिकित्सा अधिकारी को व्यावसायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त छाती रेडियोग्राफ का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई एल ओ वर्गीकरण भी शामिल है।

82. चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य.- (1) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर, चिकित्सा अधिकारी चिकित्सक परीक्षण की तारीख, समय और स्थान के संबंध में पूर्व सूचना देने के पश्चात् और ऐसी जांच के लिए भेजे गए कर्मों की जांच करने पर, आयु एवं उपयुक्तता प्रमाणपत्र तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखने के बाद उसे स्थापन के प्रबंधक एवं संबंधित कर्मचारी को सौंप देगा।

(2) चिकित्सा अधिकारी उम्र के निर्धारण के उद्देश्य से रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक और आर्थोपेडिक सर्जन जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है।

(3) चिकित्सा अधिकारी ऐसी जांच करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार निर्देश दे सकती है-

- (क) संहिता की पहली अनुसूची में अधिसूचित ऐसी खतरनाक प्रक्रियाओं में किसी स्थापन में कर्मचारों की जांच और प्रमाणन के लिए;
- (ख) किसी भी स्थापन या स्थापन के वर्ग के चिकित्सा पर्यवेक्षण के लिए जहां किसी भी प्रक्रिया की खतरनाक प्रकृति या काम की खतरनाक स्थिति के कारण पुरानी व्यावसायिक बीमारी के मामले हुए हैं;
- (ग) किसी स्थापन या स्थापन के वर्ग या स्थापन के विवरण के संबंध में जिसमें संचालन में उसमें कार्यरत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के स्वास्थ्य को क्षति लगने का कोई जोखिम शामिल है;
- (घ) किसी स्थापन के किसी एक वर्ग के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना, जहां बीमारी के मामले सामने आए हों या संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट बीमारियों का प्रचलन हो;
- (ङ) किसी स्थापन या स्थापन वर्ग में रोजगार के लिए किशोरों की आयु और उपयुक्तता का आकलन करना।

अध्याय 10

महिलाओं के नियोजन के संबंध में विशेष उपबंध

83. स्थापन में महिलाओं का रोजगार.- किसी भी दिन-रात के समय या सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद महिलाओं को रोजगार देने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात्:-

- (क) महिला कर्मचारी की सहमति लिखित रूप में ली जाएगी;
- (ख) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन निर्धारित मातृत्व लाभ उपबंधों के खिलाफ किसी भी महिला को नियोजित नहीं किया जाएगा;
- (ग) महिला कर्मचारी को ऐसे कर्मचारी को उसके निवास पर लेने और छोड़ने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;
- (घ) शौचालय, पेयजल, महिला कर्मचारी के प्रवेश और निकास से संबंधित सुविधाओं या सुविधाओं की ओर जाने वाले मार्ग सहित कार्यस्थल पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए; शौचालय, शौचालय और पेयजल सुविधाएं उस कार्यस्थल के निकट होनी चाहिए जहां ऐसी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं और इन सुविधाओं के रास्ते पर क्लोज-सर्किट टेलीविजन निगरानी के उपयुक्त उपबंध प्रदान किए जाएंगे;
- (ङ) सुरक्षित, निरापद और स्वस्थ कामकाजी स्थिति प्रदान करें ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को उसके रोजगार के संबंध में नुकसान न हो;
- (च) स्थापन के समर्पित टेलीफोन नंबर स्थापन के साथ-साथ वाहनों के अंदर भी विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि कोई भी महिला कर्मचारी किसी भी अत्यावश्यक या आपातकालीन स्थिति में उनका उपयोग कर सके;
- (छ) जमीन के नीचे खदान होने की स्थिति में किसी भी स्थान पर कम से कम 3 महिला कर्मचारी झूटी पर होंगी; तथा
- (ज) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के उपबंधों का, जैसा कि स्थापनों पर लागू होता है, अनुपालन किया जाएगा।

84. खतरनाक कार्यों में महिलाओं के रोजगार की पर्याप्त सुरक्षा.- केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संहिता की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खतरनाक प्रक्रियाओं में नियोजित महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापनों की श्रेणी और मानक की घोषणा कर सकती है।

अध्याय 11
भाग-I
अनुबंधित कर्मकार

85. ठेकेदार की योग्यता और मानदंड.- अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, ठेकेदार एक इकाई या एक व्यक्ति के रूप में दिवालिया नहीं होगा या पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी समय किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जिसके लिए तीन महीने से अधिक कारावास की सजा हो सकती है।

86. अनुज्ञप्ति की शर्तें.- (1) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

- (i) काम के घंटे धारा 25 से संबंधित इन नियमों के अनुरूप होंगे;
- (ii) मजदूरी का भुगतान मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के अनुसार किया जाएगा;
- (iii) यदि ठेकेदार का ठेका श्रमिक मुख्य नियोक्ता के परिसर में काम कर रहा है, तो मुख्य नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शौचालय, प्रसाधन कक्ष, पेयजल, यदि आवश्यक हो तो स्नान की सुविधा, चेंजिंग रूम, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कैटीन और शिक्षक जैसी सुविधाएं या सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराए; तथा
- (iv) ठेकेदार द्वारा अन्य सभी सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

(2) यदि ठेकेदार अनुबंधित कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है, तो मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उनके प्रतिनिधि उन अनुबंधित कर्मकारों को ऐसा भुगतान कराएगा, जिन्हें भुगतान नहीं किया गया है, नियम 90 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा जमा से बैंक गारंटी लागू करना भी शामिल है।

(3) ठेकेदार संविदा कार्य आदेश प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर नियम 94 में या अधिसूचित रीति से संविदा कार्य आदेश के विवरण के बारे में सूचित करेगा।

87. ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति.- किसी राज्य के भीतर किसी ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप-XXI में श्रम सुविधा पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन किया जाएगा।

88. एक से अधिक राज्यों या सम्पूर्ण भारत में ठेकेदार के लिए एकल अनुज्ञप्ति .- (1) यदि कोई ठेकेदार निम्नलिखित के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक है-

- (i) संविदा श्रम की आपूर्ति करना या उसे शामिल करना या
- (ii) धारा 47 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन संविदा कार्य करने या निष्पादित करने के पश्चात्, वह प्ररूप-XXI में एक से अधिक राज्यों या सम्पूर्ण भारत के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल या पदाभिहित पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) इस नियम के अधीन एकल अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य सरकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप से परामर्श किया जाएगा यदि ऐसे संचार जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो परामर्श प्रक्रिया को अनुपालन किया गया माना जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन सभी आवेदनों को ठेकेदार द्वारा आवेदन की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर या तो अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाएगा, जिसके बाद यह माना जाएगा कि कोई आपत्ति नहीं है और अनुज्ञप्ति उप-नियम (1) में अधिसूचित पोर्टल पर स्वतः तैयार हो जाएगी।

(5) इस प्रकार जारी की गई अनुज्ञप्ति की प्रति या उस राज्य सरकार को भेजी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संविदा कार्य या संकाय हैं जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई।

(6) इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति पांच वर्ष के लिए वैध होगी।

89. अनुज्ञप्ति के प्ररूप, निबंधन और शर्तें.- (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप-XXII में होगी:

(2) प्रदान या नवीनीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:—

- (i) अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगा;
- (ii) ठेकेदार द्वारा नियोजित संविदा कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन अनुज्ञप्ति में अधिसूचित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;
- (iii) इन नियमों में दिए गए उपबंध को छोड़कर, अनुदान के लिए या जैसा भी मामला हो, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए भुगतान की गई फीस वापसी योग्य नहीं होगी;

- (iv) ठेकेदार द्वारा अनुबंधित कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें समझौते, निपटान या पंचाट द्वारा तय की गई हैं, वे इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

90. अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया.- (1) इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने से पूर्व, नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक संविदा कर्मकार के लिए, जिसके संबंध में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, 1000/- रुपये की दर से गणना की गई प्रतिभूति रकम के लिए बैंक गारंटी, ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के निष्पादन तथा संहिता के उपबंधों के अनुपालन के लिए प्राधिकरण के पास जमा की जाएगी।

(2) यदि ठेकेदार एक लाख या उससे अधिक लेकिन एक लाख पचास हजार से कम ठेका श्रमिकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है तो सुरक्षा रकम 10 करोड़ रुपये होगी और यदि एक लाख पचास हजार लेकिन दो लाख से कम ठेका श्रमिकों को नियुक्त करता है तो सुरक्षा रकम 15 करोड़ रुपये होगी और यदि दो लाख या उससे अधिक ठेका श्रमिकों को नियुक्त करता है तो सुरक्षा रकम 20 करोड़ रुपये होगी।

(3) जहां जारी संविदा अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो गई थी, वहां प्ररूप-XXII में आवेदक के अनुरोध के आधार पर, प्राधिकरण नए अनुज्ञप्ति के लिए उनके आवेदन के संबंध में उप-नियम (1) के अधीन सुरक्षा जमा को समायोजित कर सकता है।

(4) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी, अर्थात्:

(क)	49 ठेका श्रमिकों तक किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है	शून्य
(ख)	50 और उससे अधिक लेकिन 100 ठेका श्रमिक से अधिक नहीं	1000 रुपये
(ग)	101 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 300 से अधिक नहीं	2000 रुपये
(घ)	301 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 500 से अधिक नहीं	3000 रुपये
(ङ)	501 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 1000 से अधिक नहीं	5000 रुपये
(च)	1001 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 5000 से अधिक नहीं	10000 रुपये
(छ)	5001 और उससे अधिक ठेका श्रमिक लेकिन 10000 से अधिक नहीं	20000 रुपये
(ज)	10001 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 20000 से अधिक नहीं	30000 रुपये
(झ)	20001 से अधिक ठेका श्रमिक	40000 रुपये

91. अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.- (1) प्रत्येक ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए श्रम सुविधा पोर्टल पर अनुज्ञापक प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन उप-नियम (1) में अधिसूचित पोर्टल पर अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन अनुज्ञप्ति की ऐसी समाप्ति के नब्बे दिनों से पहले नहीं।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य शुल्क नियम 90 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रभार्य शुल्क के समान होगा:

परन्तु यदि नवीकरण के लिए आवेदन उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नवीकरण के लिए पञ्चीस प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(4) संबंधित प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सात दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नवीनीकृत कर दे, अन्यथा अनुज्ञप्ति जारी और स्वतः निर्मित माना जाएगा।

92. प्रतिभूति जमा की वापसी.- (1) अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर, यदि ठेकेदार अपने अनुज्ञप्ति को आगे नवीनीकृत कराने का आशय नहीं रखता है, तो वह अनुज्ञापक प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है कि उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की वापसी के साथ-साथ समाप्त हो चुके अनुज्ञप्ति की प्रति भी वापस कर दी जाए और कार्य पूरा होने की सूचना तथा बैंक विवरण जिसमें रकम वापस करना आवश्यक है।

(2) यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है या सुरक्षा जमा या उसके किसी भाग को जब्त करने का कोई आदेश नहीं है, तो प्राधिकारी आवेदक को सुरक्षा जमा की वापसी का निर्देश देगा।

(3) यदि ठेकेदार की जमा प्रतिभूति के किसी भाग को जब्त करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली रकम सुरक्षा जमा प्रतिभूति से काट ली जाएगी, और शेष रकम, यदि कोई हो, आवेदन करने से 30 दिनों के भीतर ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

(4) धन वापसी के लिए किसी भी आवेदन का, जहां तक संभव हो, आवेदन करने के तीस दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा।

93. ठेकेदार का उत्तरदायित्व.- (1) ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के अधीन नियत दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें करार, निपटान या पुरस्कार द्वारा नियत की गई हैं, वहां इस प्रकार नियत की गई दरों से कम नहीं होंगी।

(2) ऐसे मामले में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित संविदा कर्मकार स्थापन के मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार के समान या किसी वैसी ही प्रकृति के कार्य करता है, छुट्टियां, ठेकेदार के संविदा श्रमिक के कार्य के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो स्थापन के मुख्य नियोक्ता द्वारा उसी या समान प्रकार के कार्य पर सीधे नियोजित कर्मकारों पर लागू होती हैं।

- (3) यदि इस बात पर कोई विवाद हो कि कार्य समान प्रकार का है या नहीं, तो मामला संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- (4) सभी संविदा श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (2020 का 36) के संबंधित उपबंधों के तहत प्रयोज्यता के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सदस्य बनाया जाएगा।
- (5) ठेकेदार संविदा श्रमिक की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा।

94. कार्य आदेश की सूचना और सूचना के लिए समय सीमा- (1) प्रत्येक ठेकेदार को संविदा कार्य आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राधिकारी को संविदा कार्य आदेश के बारे में सूचित करना होगा जिसमें प्रमुख नियोक्ता का नाम, परिसर का पता जहां कार्य किया जा रहा है, संविदा कार्य शुरू होने की तारीख, उस कार्य आदेश के अधीन नियोजित संविदा श्रमिक की संख्या, कार्य आदेश की अवधि जैसे ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(2) कार्य आदेश का ब्यौरे ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपनियम (1) के अधीन भेजा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन सूचना श्रमिक सुविधा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

95. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण और श्रमिक निलंबन - (1) यदि प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि लाइसेंस किसी भौतिक तथ्य के दुर्व्यपदेशन बयानी या दबाकर दमन द्वारा की गई है या यदि ठेकेदार उन शर्तों का पालन करने में असफल रहा है जिनके अधीन लाइसेंस दी गई थी या ठेकेदार ने संहिता के अध्याय-11 के भाग-1 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, तो प्राधिकारी ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर ठेकेदार से कोई उत्तर प्राप्त होने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी उसकी परीक्षा करेगा और यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लगता है कि ठेकेदार द्वारा संविदा व्यवसाय का जारी रहना संविदा श्रमिकों को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला है, तो प्राधिकारी प्रतिसंहरण या निलंबन या अन्यथा के कारणों को रिकॉर्ड करते हुए एक बोलने वाला आदेश पारित कर सकता है और आदेश को ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित कर सकता है।

(3) आदेश की एक प्रति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) (सी), संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी (सी) और संबंधित राज्य प्राधिकरणों को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

(4) यदि ठेकेदार ने नियत समय अवधि के भीतर संहिता के संबंधित उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी एक बोलने का आदेश देते हुए निलंबन को रद्द कर देगा या अन्यथा निलंबन जारी रखा जा सकता है।

(5) यदि ठेकेदार उपनियम (1) में आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो प्राधिकारी तुरंत लाइसेंस रद्द प्रतिसंहरित का आदेश पारित कर सकता है, उसके कारणों को रिकॉर्ड कर सकता है और ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा और आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) और संबंधित राज्य प्राधिकरण को पृष्ठांकित की जाएगी।

96. लाइसेंस में संशोधन.- (1) लाइसेंस में संशोधन चाहने वाला ठेकेदार प्ररूप- XXI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्रम सुविधा पोर्टल पर आवेदन करेगा, जिसमें संशोधन के बारे में ब्यौरे दिए जाएंगे और उक्त प्ररूप में यथाविनिर्दिष्ट लाइसेंस जारी करने, पहचान प्रमाण और नियोक्ता के पते के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज अद्यतन किए जाएंगे।

(2) प्ररूप पर पोर्टल पर डिजिटल रूप से या किसी अन्य रीति में जैसा अपेक्षित हो हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) आवेदक आवेदन में प्रस्तुत सभी जानकारीयों की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) नियम 90 के उप नियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट लाइसेंस के संशोधन के लिए भुगतान की जाने वाली फीस।

(5) संशोधित लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है, किंतु पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों से अधिक नहीं है, अन्यथा ऐसी लाइसेंस संशोधित मानी जाएगी और संशोधित लाइसेंस स्वतः उत्पन्न होगी।

(6) संशोधित लाइसेंस जारी होने के पश्चात, यदि संविदा श्रमिक की संख्या कम हो जाती है तो आनुपातिक सुरक्षा जमा वापस कर दिया जाएगा और यदि संविदा श्रमिक की संख्या बढ़ जाती है तो अतिरिक्त रकम की सुरक्षा जमा की जाएगी।

97. अपील.- (1) संहिता की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए प्ररूप और फीस समय-समय पर जारी केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

98. मजदूरी के भुगतान की उत्तरदायित्व - (1) ठेकेदार उन मजदूरी अवधियों को नियत करेगा जिनके संबंध में मजदूरी देय होगा और कोई भी मजदूरी अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी स्थापन में या ठेकेदार द्वारा संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति का मजदूरी, उस मजदूरी अवधि के अंतिम दिन के पश्चात सातवें दिन की समाप्ति से पहले दी जाएगी, जिसके संबंध में मजदूरी देय है।

(3) प्रमुख नियोक्ता, ठेकेदार के साथ संविदा कर्मकार के बकाया से संबंधित ठेकेदार के बिलों का निपटान प्रमुख नियोक्ता और ठेकेदार के बीच सहमत निबंधनों और शर्तों के अनुसार समय सीमा के भीतर करेगा।

(4) मजदूरी का वितरण बैंक अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

परंतु जहां मजदूरी को बैंक अंतरण अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संवितरित करना व्यवहारिक न हो वहां मजदूरी मौजूदा सिक्कों अथवा मुद्रा में संवितरित की जाएगी।

(5) संविदा श्रमिक की मजदूरी किसी भी प्रकार की कटौती के बिना दी जाएगी, सिवाय उन कटौती के जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं।

(6) संविदा श्रम की मजदूरी की अवधि और तारीख और मजदूरी के वितरण का समय दर्शाने वाला नोटिस कार्यस्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा मूल नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक प्रति भेजी जाएगी।

(7) प्रत्येक ठेकेदार आधे वर्ष के समापन से तीस दिनों के भीतर, अर्थात् जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर तक, संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप-XVIII में अर्धवार्षिक विवरण भेजेगी।

(8) यदि ठेकेदार मजदूरी अवधि पूरी होने के सात दिनों के भीतर संविदा श्रमिक को मजदूरी का भुगतान करने में असफल रहता है, तो प्रधान नियोक्ता आवश्यक कार्रवाई करेगा और पंद्रह दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा नियोजित संबंधित संविदा श्रमिक को यथास्थिति पूर्ण रूप से या असदन्त अतिशेष शोध्यों मजदूरी का भुगतान करेगा और इस प्रकार भुगतान की गई रकम को ठेकेदार से किसी भी संविदा के अधीन ठेकेदार को देय किसी भी रकम से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में या प्रधान नियोक्ता के पास पड़े सुरक्षा जमा से वसूल करेगा।

(9) किसी स्थापन का प्रत्येक प्रमुख नियोक्ता प्ररूप-XVII (भाग-3) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकारी और संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को प्रस्तुत करेगा ताकि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत के पश्चात फरवरी के अंतिम दिन तक या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच सके, सिवाय संविदा के मामलों में जो दिए गए परिणाम का उत्पादन करने का वचन देता है।

99. प्रतिभूति जमा रकम से मजदूरी का भुगतान करना - (1) यदि ठेकेदार या प्रमुख नियोक्ता उनके द्वारा नियोजित अनुबंध श्रमिक को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो संबंधित मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) परीक्षा करेगा या कराने का कारण बनेगा और ठेकेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति जमा के रूप में जमा की गई रकम से ऐसी मजदूरी का भुगतान करने का आदेश पारित करेगा।

(2) ठेकेदार पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा रकम को फिर से प्रस्तुत करेगा अन्यथा लाइसेंस निलंबित होने के लिए दायी होगा।

100. अनुभव प्रमाणपत्र - प्रत्येक संबंधित ठेकेदार संविदा मांग किए जाने पर, संविदा श्रमिक को प्ररूप-XXIII में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें उस संविदा श्रमिक द्वारा कार्य किए गए समय, किए गए कार्य और विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव का ब्यौरा दिया गया हो।

101. संविदा श्रमिक के नियोजन का प्रतिषेध - यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थापन की कोई कार्यकलाप मूल कार्यकलाप है या अन्यथा, तो व्यथित पक्ष केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकता है, जो ऐसे आवेदन को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अभिहित प्राधिकारी को संदर्भित कर सकता है। आवेदन का प्ररूप, रीति और समय अवधि समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार होगी।

परंतु की कार्यवाही लंबितता के दौरान कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि कार्यकलाप का प्रचालन प्रभावित न हो।

भाग-II

अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार

102. अंतराज्यीय प्रवासी कर्मकार को यात्रा भत्ता - (1) नियोक्ता अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार के लिए रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी शयन या बस या यात्री परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा नियोजन के स्थान से गृह-राज्य में निवास के स्थान तक आने-जाने की यात्रा के लिए किराया के रूप में एकमुश्त रकम का भुगतान करेगा, यदि ऐसे कर्मकार ने पिछले बारह मास में संबंधित स्थापनों में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए कार्य किया है:

परंतु कि अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार को बारह मास में एक बार यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

(2) नियोजन अवधि के बीच में अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार द्वारा नियोक्ता के परिवर्तन की स्थिति में और ऐसे श्रमिक ने अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर, नियोक्ता जहां अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार वर्तमान में कार्य कर रहा है और ऐसे कर्मकार ने पिछले बारह मास में एक सौ अस्सी दिन पूरे कर लिए हैं, जिसमें पिछले नियोक्ता के साथ बिताई गई अवधि भी सम्मिलित है, तो वर्तमान नियोक्ता यात्रा भत्ता का भुगतान करेगा।

103. अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की स्थापना.- अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों के प्रश्नों और सुरक्षा को संबोधित करने के लिए श्रम और नियोजन मंत्रालय के महानिदेशक श्रम कल्याण संगठन द्वारा साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से एक टोल-फ्री हेल्प-लाइन नंबर प्रदान किया जाएगा।

104. अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों का अध्ययन.- अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों की पहचान केंद्रीय सरकार समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कर सकती है। जहां भी अपेक्षित हो, केंद्रीय सरकार अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में अंतर्फलित राज्य सरकार या विशेषज्ञ संगठनों से भी परामर्श कर सकती है।

भाग-III

श्रव्य-दृश्य कर्मकार

105. श्रव्य-दृश्य कर्मकारों के लिए करार- निर्माता के साथ श्रव्य-दृश्य कर्मकारों के लिए करार को प्ररूप-XXIV में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

106. सुलह अधिकारी या अधिकरण को विवादों के संदर्भ की प्रक्रिया.- किसी सुलह अधिकारी या अधिकरण को विवाद के संदर्भ की प्रक्रिया औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

भाग-IV

खान

107. प्रबंधक की अर्हता और नियुक्ति.- किसी भी खान को तब तक नहीं खोला जाएगा, पुनः नहीं खोला जाएगा या उस पर कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सम्यक रूप से नियुक्त प्रबंधक न हो, जिसके पास नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात्:-

खान का प्रकार	खान में औसत सामग्री का प्रबंधन या औसत उत्पादन	प्रबंधक के लिए आवश्यक अर्हता
(1)	(2)	(3)
भूमिगत कोयला खान	(क) औसत उत्पादन प्रति माह 2,500 टन से अधिक।	प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला)।
	(ख) औसत उत्पादन 2,500 टन प्रति माह से अधिक नहीं	प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र (कोयला) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला)।
खुली कोयला खान	(क) प्रति माह 20,000 घन मीटर से अधिक सामग्री का प्रबंधन	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली खानों तक सीमित (कोयला)।
	(ख) प्रति माह 20,000 क्यूबिक मीटर से अधिक सामग्री का प्रबंधन नहीं किया जाएगा	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली खान में कार्य करने वाली खानों तक सीमित (कोयला) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला) या द्वितीय

		श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र खुली खान वाली कोयला खानों तक सीमित।
भूमि के नीचे धातुयुक्त खान	(क) औसत उत्पादन 1,250 से अधिक टन	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु)।
	(ख) औसत उत्पादन 1,250 टन से अधिक नहीं	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र (धातु)।
ओपनकास्ट धातुयुक्त खान	(क) 20,000 क्यूबिक मीटर से अधिक संभाली गई औसत मासिक सामग्री	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली खानों तक सीमित (धातु)।
	(ख) औसत मासिक सामग्री 20,000 घन मीटर से अधिक नहीं संभाली जाती	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली ढलाई वाली खानों तक सीमित है (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली ढलाई वाली खानों तक सीमित है (धातु)।
खान में खुली ढलाई और भूमिगत दोनों प्रकार की कार्यप्रणाली है	सभी कोयला और धातु खान	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (यथास्थिति कोयला या धातु)
तेल की खान	सभी तेल खान	केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था से इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा या भौतिकी या भूभौतिकी या भूविज्ञान या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा इंजीनियरी में डिप्लोमा के मामले में कम से कम पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए तथा अन्य मामलों में दस वर्ष की अवधि के लिए तेल खानों में प्रचालन के प्रबंधन और पर्यवेक्षण में अनुभव हो।

स्पष्टीकरण: किसी भी खान का "औसत उत्पादन" से खान सीमाओं के भीतर सभी कार्यकाज से कुल उत्पादन के पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रति मास औसत उत्पादन विनिर्दिष्ट है;

किसी खान में "औसत पूर्ण किए गए सामग्री संबंधी कार्य" से- पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान खान क्षेत्र के सभी कार्य स्थलों में पूर्ण किए गए सामग्री संबंधी कार्य (खनिज+ओवरबर्डन) का प्रतिमास औसत अभिप्रेत है।

108. कुछ खानों में संहिता लागू नहीं होगी.- (1) संहिता की धारा 35, धारा 38, धारा 40, धारा 41 और धारा 44 में अंतर्विष्ट उपबंधों के सिवाय, निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(i) कोई भी खान या उसका भाग जिसमें उत्खनन केवल पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है और उपयोग और विक्रय के लिए खनिज प्राप्त करने के प्रयोजन से नहीं

परंतु कि -

(क) ऐसे किसी भी उत्खनन के संबंध में किसी एक दिन में बीस से अधिक व्यक्ति कार्यरत नहीं होते हैं;

(ख) उत्खनन की गहराई उसके उच्चतम से निम्नतम बिंदु तक मापी गई जो कहीं भी छह से अधिक नहीं है मीटर या कोयले में उत्खनन के मामले में पंद्रह मीटर; तथा

(ग) ऐसे उत्खनन का कोई भी भाग ऊपरी भूमि से नीचे तक नहीं फैला है;

(ii) कंकर, मुर्रम, लैटेराइट, बोल्टर, बजरी, शिंगल, साधारण रेत (मोल्टिंग रेत, कांच और अन्य खनिज रेत के सिवाय), साधारण मिट्टी (काओलिन, चाइना क्ले, सफेद मिट्टी या फायर क्ले के सिवाय), बिल्टिंग स्टोन, स्लेट, रोड मेटल, मिट्टी, फुलर्स अर्थ, मार्ल, चाक और चूना पत्थर के निष्कर्षण में लगी कोई भी खान:

परंतु कि-

(क) कार्य सतह के ऊपर की भूमि से नीचे तक विस्तारित नहीं होता है;

(ख) जहां यह एक खुली खान है-

(i) उत्खनन की गहराई उसके उच्चतम से निम्नतम बिंदु तक कहीं और छह मीटर से अधिक नहीं मापी गई है;

(ii) किसी एक दिन नियोजित व्यक्तियों की संख्या पचास से अधिक नहीं है; तथा

(iii) उत्खनन के संबंध में विस्फोटकों का उपयोग नहीं किया जाता है।

- (2) जैसे ही कोई स्थापन खान बन जाता है, खान का नियोक्ता खान बनने की तारीख से सात दिनों के भीतर इंस्पेक्टर सह फैसिलिटेटर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस देगा।
- (3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्र सरकार लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि संहिता के सभी उपबंध ऐसी खान या उसके किसी भाग में ऐसी शर्तें हो जो उसमें विनिर्दिष्ट के अधीन लागू होंगे।

109. खान में प्रारंभिक और आवधिक चिकित्सा परीक्षाएं.- (1) प्रत्येक खान का नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा: -

- (i) खान में नियोजन चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा;
- (ii) प्रतिवर्ष खान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की आवधिक चिकित्सा परीक्षा;
- (iii) चिकित्सा परीक्षण प्ररूप -IX के अनुसार किया जाएगा।

(2) यदि चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी धूल से संबंधित बीमारी के संदिग्ध मामले की पुष्टि करना आवश्यक समझता है, तो आवधिक चिकित्सा परीक्षण या एक्स-रे परीक्षण या दोनों अंतराल, पर आयोजित किए जाएंगे।

110. परीक्षण प्राधिकारी - (1) नियम 109 में निर्दिष्ट चिकित्सा परीक्षा एक अर्हित खदान के नियोक्ता के रोजगार में चिकित्सा व्यवसायी या खानों के समूह के नियोक्ताओं या किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया।

(2) परीक्षण प्राधिकारी को उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा छाती रेडियोग्राफ का वर्गीकरण सम्मिलित होगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त होगी।

111. चिकित्सा परीक्षा को नोटिस: (1) प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के संबंध में नियोक्ता परीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम सात दिन पहले लिखित में नोटिस देगा, जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अधिसूचित प्ररूप में होगा और जारी किए गए ऐसे प्रत्येक नोटिस की एक प्रति नियोक्ता द्वारा परीक्षा प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(2) आवधिक चिकित्सा परीक्षा के संबंध में प्रबंधक परीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम बीस दिन पहले लिखित में नोटिस देगा, जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अधिसूचित प्ररूप में होगा।

(3) इस प्रकार जारी किए गए प्रत्येक नोटिस की एक प्रति नियोक्ता द्वारा संबंधित व्यक्तियों से संबंधित जारी किए गए पिछले चिकित्सा प्रमाणपत्रों के साथ परीक्षा प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(4) जो व्यक्ति किसी उचित कारण से ऐसे व्यक्ति को जारी नोटिस के अनुसार चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने में असफल रहता है, उसे मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले प्ररूप में न्यूनतम दस दिनों की अवधि का दूसरा नोटिस दिया जाएगा, प्रबंधक द्वारा और ऐसी प्रत्येक सूचना की एक प्रति प्रबंधक द्वारा परीक्षा प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(5) परीक्षा प्राधिकारी प्रबंधक को कि संबंधित व्यक्ति चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है या नहीं, दूसरी सूचना में चिकित्सा परीक्षा के लिए नियत तारीख से एक सप्ताह के भीतर सूचित करेगा।

112. चिकित्सा परीक्षण कराने में असफलता.- (1) जो व्यक्ति उचित कारण के बिना, ऐसे व्यक्ति को जारी नोटिस के अनुसार चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने में असफल रहता है, ऐसा व्यक्ति सेवा से मुक्त होने के लिए दायी होगा:

परंतु कि जो व्यक्ति चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने में असफलता के लिए स्वयं को इस प्रकार दायी बनाता है, उसे कारण बताना अपेक्षित होगा कि ऐसा व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नोटिस का पालन क्यों नहीं कर सका।

(2) यदि स्पष्टीकरण प्रबंधन द्वारा संतोषजनक पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जाएगा।

(3) जहां स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनकी सेवा प्रबंधन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी।

113. चिकित्सा परीक्षण का मानक और रिपोर्ट.- (1) प्रारंभिक और समय-समय पर चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने वाला परीक्षा प्राधिकारी प्ररूप-IX में अधिकथित मानकों के अनुसार किसी व्यक्ति की परीक्षा करेगा।

(2) परीक्षा के पश्चात्, प्ररूप-IX में चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति, संबंधित व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी और संबंधित खान के नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक को प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(3) परीक्षा प्राधिकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की तीसरी प्रति अपने पास रखेगा।

(4) आवधिक चिकित्सा परीक्षा की दशा, परीक्षा प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति के पिछले चिकित्सा प्रमाण पत्रों की प्रति संबंधित खान के प्रबंधक को वापस भेजेगा।

114. चिकित्सा प्रमाणपत्रों का प्रतिधारण और अंतरण.-(1) किसी खान में नियोजित या नियोजित होने वाले व्यक्तियों के अपजीविकाजन्य धूल जोखिम पार्श्वचित को दर्शाने वाले चिकित्सा इतिहास और नौकरी के व्यौरे के साथ सभी चिकित्सा परीक्षा रिकॉर्ड सहित सभी चिकित्सा प्रमाण पत्र खान के प्रबंधक के कब्जे में तब तक जब तक वह व्यक्ति खान में नियोजित है और उसके पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे:

परंतु जिस खान में ऐसा व्यक्ति कार्यरत है या था, उसका प्रबंधक, यदि किसी अन्य खान के प्रबंधक द्वारा, जहां उस व्यक्ति को नियोजित किया जाना है, ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में सभी चिकित्सा प्रमाण-पत्र भेजेगा।

(2) यदि किसी खान में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा करने वाले परीक्षा प्राधिकारी को चिकित्सा परीक्षा के संबंध में उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसा परीक्षा प्राधिकारी अपने कब्जे में चिकित्सा परीक्षा के सभी रिकॉर्ड संबंधित खान के प्रबंधक को अंतरित कर देगा।

115. अभ्यर्थियों की पहचान.- परीक्षा प्राधिकारी, चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रतियों पर चिकित्सा परीक्षा के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की सहमति और हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात आधार संख्या रिकॉर्ड करेगा।

116. महिलाओं की चिकित्सा परीक्षा.- (1) एक महिला कर्मचारी की परीक्षा अधिमानतः महिला अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जानी चाहिए।

(2) यदि कोई महिला चिकित्सा व्यवसायी उपलब्ध नहीं है, तो महिला कर्मचारी की चिकित्सा परीक्षा केवल एक पुरुष अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दूसरी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।

117. पुनः परीक्षा के लिए अपील.- (1) जहां प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के परिणामस्वरूप, या आकधिक चिकित्सा परीक्षा के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति को खानों में या खानों के विशेष प्रवर्ग में या खान में किसी विनिर्दिष्ट प्रचालन में नियोजन के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, ऐसा व्यक्ति, उसके द्वारा या उसके द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, उपरोक्त घोषणा के विरुद्ध अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा पुनः परीक्षा के लिए नियोक्ता नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक के साथ अपील फाईल कर सकता है।

(2) (i) प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा की दशा में नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक नियोक्ता और आवधिक चिकित्सा परीक्षा के मामले में खान के प्रबंधक अपील प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपील चिकित्सा बोर्ड के संयोजक को अपील भेजेंगे;

(ii) अपील चिकित्सा बोर्ड का संयोजक यदि अपीलार्थी को पुनः चिकित्सा परीक्षा के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है, तो वह नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक और अपीलार्थी को चिकित्सा पुनः परीक्षा की कम से कम पंद्रह दिन पहले नोटिस देगा।

(iii) कोई व्यक्ति, जो किसी उचित कारण से, स्वयं को चिकित्सा पुनः परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में असफल रहता है, उसे कम से कम सात दिन पहले एक और नोटिस दिया जाएगा;

(3) अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रत्येक चिकित्सा पुनः परीक्षा के संबंध में, अपीलार्थी ऐसी फीस का भुगतान करेगा और चिकित्सा परीक्षा ऐसी रीति में आयोजित की जाएगी जो अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा अवचारित की जाए।

(4) अपील चिकित्सा बोर्ड उसे या उसे खानों में नियोजन के लिए उपयुक्त पाता है, तो फीस खान के नियोक्ता नियोक्ता द्वारा अपीलार्थी को पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी जहां ऐसे व्यक्ति को नियोजित किया गया है।

118. अपील चिकित्सा बोर्ड का गठन.- अपील पर चिकित्सा पुनः परीक्षण के प्रयोजन के लिए, अपील चिकित्सा बोर्ड का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्;

(i) एक निरीक्षक-सह-सुकारक जो बोर्ड के संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

(ii) दो अर्हित चिकित्सा व्यवसायी जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में और राज्य या केंद्रीय सरकार के रोजगार में जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है:

परंतु कि, यदि अपील चिकित्सा बोर्ड की राय है कि विशिष्ट विवादों के लिए ऐसे विशेषज्ञ से परामर्श करना अपेक्षित है तो संयोजक किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सा व्यवसायी को सह-चयनित कर सकता है।

119. अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा पुनःपरीक्षण का मानक और रिपोर्ट.- (1) अपील चिकित्सा बोर्ड प्रारंभिक और आवधिक चिकित्सा परीक्षा के लिए प्ररूप-IX में अधिकथित मानक के अनुसार अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा करेगा:

(2) प्ररूप-X में चिकित्सा पुनः परीक्षा का प्रमाण पत्र, खान के प्रबंधक को और अपीलार्थी को जारी किया जाएगा।

(3) चिकित्सा प्रमाण पत्र की एक प्रति संयोजक के पास रखी जाएगी।

120. अयोग्य व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जाना. - जहां किसी व्यक्ति को आरंभिक चिकित्सा परीक्षण या आवधिक चिकित्सा परीक्षण या पुनः चिकित्सा परीक्षण के परिणामस्वरूप खानों में या खानों के किसी विशेष प्रवर्ग में या खान में किसी विनिर्दिष्ट प्रचालन में नियोजन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वहां वह व्यक्ति खान में या खानों की श्रेणी में या विनिर्दिष्ट प्रचालनों में नियोजित नहीं होगा या नियोजित रहना जारी नहीं रखेगा, चिकित्सा परीक्षा की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात जब तक ऐसे व्यक्ति घोषणा के विरुद्ध अपील फाईल नहीं की हो।

परंतु कि, यदि प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण, या आवधिक चिकित्सा परीक्षण करने वाले अर्हित चिकित्सक, या पहले से ही नियोजन में लगे व्यक्तियों की चिकित्सा पुनः परीक्षा करने वाले अपील चिकित्सा बोर्ड की राय है कि परीक्षा किए गए व्यक्ति की निःशक्तता ऐसी प्रकृति और डिग्री की है कि यह उनके कर्तव्यों के साधारण निर्वहन को गंभीर रूप से प्रभावित या बाधित नहीं करेगी, उनका खान में छह मास से अधिक की अवधि के लिए नियोजन जारी रखने की सिफारिश कर सकता है, जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति उनकी निःशक्तता को ठीक या नियंत्रित कर सकता है और छह मास के पश्चात फिर से चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकता है और उपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

121. चिकित्सा परीक्षण की लागत- इन नियमों के अधीन प्रत्येक चिकित्सा परीक्षा की लागत खान के नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी, सिवाय उस स्थिति के जब व्यक्ति को अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षा के पश्चात खानों में नियोजन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो।

122. नियोजन के घंटों और सीमाओं से छूट:- निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्नलिखित के संबंध में संहिता की धारा 25 की उपधारा (1), धारा 26 की उपधारा (1), धारा 30 और धारा 31 की उपधारा (1) के उपबंधों से छूट दी जाएगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यवेक्षण या प्रबंधन या अन्य पद धारण करने वाला व्यक्ति, गोपनीय क्षमता में नियोजित;
- (ii) प्रबंधक, उप प्रबंधक, स्थापना प्रबंधक, अग्निशमन अधिकारी, सहायक प्रबंधक, संवातन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, उपकरण और संचार अधिकारी;
- (iii) खनन, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर;
- (iv) खनन पर्यवेक्षक, सहायक खनन पर्यवेक्षक और तेल खानों में पर्यवेक्षक;
- (v) यांत्रिक और विद्युत फोरमैन और विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक;
- (vi) सर्वेक्षक और सहायक सर्वेक्षक;
- (vii) अर्हित चिकित्सक, ड्रेसर, कम्पाउंडर, रसायनज्ञ, परखकर्ता, धातुविज्ञानी और कल्याण या कार्मिक अधिकारी; तथा
- (viii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया गया हो।

123. बचाव केंद्र की स्थापना और स्थान.- (1) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक किसी भूमिगत खान या भूमिगत खानों के समूह के नियोक्ता को बचाव केंद्र, ऐसे डिजाइन और विनिर्देशों वाले केंद्र और ऐसे स्थानों पर स्थापित करने और बनाए रखने की अनुज्ञा दे सकता है या आवश्यकता बता सकता है, जिन्हें नियोक्ता के परामर्श से आवश्यक समझा जा सकता है:

परंतु कि जहां भूमि के नीचे एक से अधिक नियोक्ताओं की खान हों, वहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक दो या अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से साधारण बचाव केंद्र स्थापित करने की अनुज्ञा दे सकता है या ऐसा करने की आवश्यकता बता सकता है: परंतु यह है कि और इन नियमों के प्रवर्त होने की तारीख तक सभी विद्यमान बचाव केंद्र उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक कार्य करते रहेंगे।

(2) प्रत्येक बचाव केंद्र पर एक अधीक्षक और कम से कम दो प्रशिक्षक होंगे तथा कम से कम अठारह बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की एक बचाव ब्रिगेड भी रखी जाएगी।

(3) जहां बचाव केन्द्र पर अधीक्षक की अनुपस्थिति 60 दिन से अधिक हो तो नियोक्ता दूसरे अधीक्षक की नियुक्ति करेगा।

(4) नियोक्ता, अधीक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या त्यागने के उसी दिन, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और निरीक्षक-सह-सुकारक को उस क्षेत्र के बारे में सूचित करेगा जहां खान स्थित है।

124. बचाव केंद्रों के कार्य.- बचाव केंद्र के कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

- (i) बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (ii) बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (iii) बड़ी दुर्घटनाओं या दीर्घकालिक बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्यों के मामले में अपनी स्वयं की बचाव टीमों और उपस्करों द्वारा सहायता प्रदान करना; तथा
- (iv) भूमि के नीचे की उन खानों के संबंध में बचाव कक्ष का कार्य करना जहां कोई बचाव कक्ष नहीं है।

125. बचाव कक्षों की स्थापना और स्थान -(1) प्रत्येक भूमिगत खान में, जहां साधारणतः 100 से अधिक व्यक्ति भूमिगत कार्यरत हैं और 35 किलोमीटर के दायरे में कोई बचाव केंद्रीय नहीं है, वहां नियोक्ता खान के प्रवेश द्वार के निकट सतह पर एक बचाव कक्ष स्थापित करेगा:

परंतु कि कई खानों के लिए एक बचाव कक्ष उपलब्ध कराना पर्याप्त हो एक ही नियोक्ता से संबंधित जहां-

- (क) ऐसी सभी खानों के भूमिगत कार्यों में साधारणतः नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 5000 से अधिक नहीं है; तथा
- (ख) खान बचाव कक्ष से 35 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और सड़क मार्ग से जुड़ी हुई हैं

परंतु यह और कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक खानों के समूह के नियोक्ता को बचाव का उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकता है, जिसमें भूमि के नीचे साधारणतः कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो बचाव कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यों को छोड़कर, बचाव केंद्र के रूप में कक्ष, यदि ऐसा बचाव कक्ष है।-

- (i) अपेक्षित अतिरिक्त बचाव उपकरण से सुसज्जित, जिसमें दो घंटे के स्व-अंतर्विष्ट श्वास उपकरण के कम से कम 15 अतिरिक्त सेट सम्मिलित हैं; तथा
 - (ii) प्रशिक्षकों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं को धारण करने वाले व्यक्ति के प्रभार में रखे गए बचाव कक्ष में प्रशिक्षकों और कम से कम पांच बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैनात किया जाता है, जिनमें से कम से कम एक के पास बचाव कक्ष के प्रभारी की अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं को धारण करने वाला व्यक्ति होगा।
- (2) प्रत्येक बचाव कक्ष में, आवश्यक संख्या में बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी और उनमें से एक व्यक्ति जो बचाव कक्ष के प्रभारी की अर्हताएं, अनुभव आदि रखता हो, उसे बचाव कक्ष का प्रभारी बनाया जाएगा।
- (3) बचाव कक्ष में कम से कम एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा उपस्थित रहेगा।

126. बचाव कक्ष के कार्य.- बचाव कक्ष में श्वास उपकरणों और अन्य बचाव उपकरणों के भंडारण, संयोजन, परीक्षण और समायोजन तथा उन्हें खानों तक शीघ्र पहुंचाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।**127. अधीक्षक की अर्हताएं, अनुभव आदि.-** किसी भी व्यक्ति को अधीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति-

- (i) एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति है;
- (ii) खानों में भूमि के नीचे कार्य करने का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो; तथा
- (iii) एक प्रकार का प्रथम वर्ग प्रबंधक प्रमाणपत्र रखता है जो विवृत्त खनिज तक सीमित नहीं है।

128. प्रशिक्षकों की अर्हताएं, अनुभव आदि.- किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति-

- (i) एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति है;
- (ii) खानों में भूमि के नीचे कार्य करने का 3 साल का व्यावहारिक अनुभव है; और
- (iii) एक प्रकार का प्रबंधक प्रमाणपत्र रखता है जो विवृत्त खनिज तक सीमित नहीं है।

129. बचाव केंद्रों पर तैनाती के लिए बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन.- (1) बचाव केंद्र पर तैनाती के लिए बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन, बचाव केंद्र द्वारा संचालित खानों में कार्यरत बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों में से, अधीक्षक द्वारा ऐसी खान के प्रबंधकों के परामर्श से किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन चयनित व्यक्ति को किसी भी समय बचाव केंद्र पर कम से कम एक वर्ष तथा अधिकतम पांच वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा।

130. बचाव कक्ष प्रभारी की अर्हताएं, अनुभव आदि.- किसी भी व्यक्ति को बचाव कक्ष का प्रभारी तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति-

- (i) एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति है;
- (ii) खानों में भूमि के नीचे कार्य करने का 3 साल का व्यावहारिक अनुभव है; और

(iii) एक प्रकार का प्रबंधक, खनन पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र रखता है जो विवृत्त खनिज तक सीमित नहीं है।

131. उपस्कर.- (1) प्रत्येक बचाव केंद्र एवं बचाव कक्ष पर वहां पर उपबंध किए गए त्वरित प्रयोग और रखरखाव के लिए विनिर्दिष्ट उपकरण और औजारों हेतु जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा साधारण विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) भूमि के नीचे की खान, जहां कोई बचाव कक्ष स्थित नहीं है, वहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट उपकरण और उपस्कर होंगे और ऐसी खान के प्रवेश द्वार पर बनाए रखा जाएगा।

(3) बचाव केंद्र पर स्व-अंतर्विष्ट श्वास उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके नीचे बचाव कक्षों में भी उसी प्रकार और बनावट के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) उप नियम (1), उप नियम (2) और उप नियम (3) के अधीन प्रदान किए गए निम्नलिखित उपकरण और उपस्कर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अनुमोदित प्रकार या मानक के होंगे, अर्थात्:-

(क) श्वास उपकरण;

(ख) धूम्रपान हेलमेट और उपकरण एक ही प्रयोजन की पूर्ति करते हैं;

(ग) पुनर्जीवित करने वाला उपकरण;

(घ) विद्युत सुरक्षा लैंप और लौ सुरक्षा लैंप;

(ङ) गैस डिटेक्टर; और

(च) आत्म बचावकर्ता।

(5) सभी श्वास उपकरण और प्रत्येक प्रवाह मीटर को समायोजित और परीक्षण किया जाएगा और श्वास तंत्र में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की शुद्धता का परीक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाए।

(6) किसी बचाव उपकरण के उपयोग से उत्पन्न भूमिगत खान में दुर्घटना की स्थिति में, ऐसी दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर, खान के प्रबंधक द्वारा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी, जैसा कि समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(7) बचाव केंद्र या बचाव कक्ष में किसी बचाव उपकरण के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना की स्थिति में, ऐसी दुर्घटना के 24 घंटों के भीतर, अधीक्षक द्वारा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी, जैसा कि समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(8) किसी भी बचाव केंद्र, बचाव कक्ष या भूमिगत खान में समाप्ति तारीख के पश्चात उपयोग के लिए कोई अवशेषक चार्ज, रसायन, स्व-बचावकर्ता और गैस डिटेक्टर ठ्यूब नहीं रखी जाएगी, जिसे उसके बक्सों पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

132. अधीक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- (1) अधीक्षक बचाव केंद्र और ऐसे बचाव केंद्र द्वारा संचालित बचाव कक्षों के नियंत्रण का समग्र प्रभारी होगा।

(2) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव केंद्र, बचाव कक्षों और उसके नियंत्रण में भूमिगत खान के प्रवेश द्वार पर रखे गए सभी बचाव उपस्कर और उपकरण-

(i) पूर्णतः कार्यशील स्थिति में बनाए रखा गया;

(ii) प्रशिक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अंतराल पर निरीक्षण किया जाएगा; तथा

(iii) परीक्षण किया जाता है और तदनुसार समायोजन किया जाता है।

(3) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव उपकरण और तंत्र को सही कार्यशील स्थिति में बनाए रखने के लिए स्पेयर पार्ट्स और आपूर्ति का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए।

(4) अधीक्षक बनाए गए अभिलेखों पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

(5) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए चयनित व्यक्तियों और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदेशों और प्रथाओं का पाठ्यक्रम प्राप्त हो तथा उन्हें इसके लिए प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं।

(6) अधीक्षक बचाव कक्षों तथा उनके नियंत्रणाधीन उपकरणों का समय-समय पर निरीक्षण करेगा।

(7) भूमि के नीचे की खान में आपात की स्थिति में, अधीक्षक ऐसा बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य करेगा जो प्रबंधक द्वारा या प्रबंधक की अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रमुख अधिकारी द्वारा सौंपा जाएगा।

(8) वह अधीक्षक बचाव या पुनर्प्राप्ति कार्य पूरा होने के चौबीस घंटे के भीतर एक दैनिक रिपोर्ट और एक पूरी रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुकारक या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजेगा।

(9) अधीक्षक एक सजिल्द पृष्ठ पुस्तिका में या पुनर्प्राप्ति योग्य और गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में रखेगा और उसमें अपने प्रत्येक निरीक्षण के परिणामों को रिकॉर्ड करेगा और निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों को सुधारने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई भी दर्ज करेगा।

133. प्रशिक्षकों के कर्तव्य.- (1) अधीक्षक के निदेशन में प्रशिक्षक-

- (i) बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य में प्रशिक्षण के लिए चुने गए व्यक्तियों के साथ-साथ प्रशिक्षित व्यक्तियों को बचाने और उनका रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए अनुदेशों और प्रथाओं का पाठ्यक्रम प्रदान करना; और
 - (ii) बचाव उपस्कर और उपकरण का निरीक्षण, परीक्षण और समायोजन करना तथा उसका रिकार्ड रखना।
- (2) भूमि के नीचे की खान में आपात की स्थिति में, प्रशिक्षक ऐसे बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य करेगा जो प्रबंधक द्वारा या प्रबंधक की अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रमुख अधिकारी द्वारा प्रशिक्षक को सौंपा जा सकता है।
- (3) प्रशिक्षक अधीक्षक की पूर्व अनुज्ञा के बिना बचाव केंदीय नहीं छोड़ेगा।
- (4) अधीक्षक की अनुपस्थिति में प्रशिक्षक बचाव केंद्र का प्रभारी होगा।

134. बचाव कक्ष प्रभारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- प्रत्येक बचाव कक्ष प्रभारी -

- (i) उनके बचाव कक्ष द्वारा सेवा प्रदान की गई बारूदी सुरंगों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें;
- (ii) बचाव कक्ष में रखे गए उपस्करों और उपकरणों को सही स्थिति में बनाए रखना;
- (iii) बचाव कक्ष में रखे गए सभी बचाव उपकरणों और उपस्करों का उचित रिकॉर्ड रखना और उनका निरीक्षण करना; तथा
- (iv) किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष में प्रवेश करने की अनुज्ञा न दें, या किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष से कोई उपकरण या उपस्कर बाहर निकालने की अनुज्ञा न दें।

135. बचाव केंद्र पर तैनात बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के कर्तव्य - बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति-

- (i) अधीक्षक और प्रशिक्षक के आदेश का पालन करना और उनके कार्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करना;
- (ii) संदेशों, टेलीफोन कॉल और वायरलेस पर ध्यान दें और उनका रिकॉर्ड बनाए रखें;
- (iii) बचाव केंद्र को साफ सुथरा बनाए रखें;
- (iv) बचाव केंद्र पर रखे गए उपस्करों और उपकरणों को सही स्थिति में बनाए रखना;
- (v) खान में बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य करना; और
- (vi) अधीक्षक की अनुज्ञा के बिना बचाव केंदीय से बाहर न निकलें।

136. बचाव कक्ष के कर्तव्य परिचारक - प्रत्येक बचाव कक्ष परिचारक को-

- (i) जब तक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राहत न मिल जाए, बचाव कक्ष से बाहर न निकलें;
- (ii) किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष में प्रवेश करने या वहां से कोई उपकरण या उपस्कर बाहर निकालने की अनुज्ञा न दें;
- (iii) टेलीफोन कॉल पर ध्यान दें और उसका रिकॉर्ड बनाए रखें;
- (iv) बचाव कक्ष को साफ सुथरा बनाए रखें; और
- (v) बचाव कक्ष प्रभारी के आदेशों का पालन करना और बचाव कक्ष प्रभारी के कार्यों के निर्वहन में सहायता करना।

137. टेलीफोन संचार.- प्रत्येक खान को खान की सेवा करने वाले बचाव कक्ष और बचाव केंद्र से टेलीफोन द्वारा जोड़ा जाएगा। जहां भी संभव हो वायरलेस संचार भी प्रदान किया जाएगा:

परंतु कि जहां कोई टेलीफोन संचार प्रणाली नहीं है, वहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित आदेश द्वारा तथा ऐसी रीति जो उसमें विनिर्दिष्ट अध्ययन, संचार के किसी अन्य साधन को अनुमोदित कर सकेगा।

138. बचाव अनुरेखण- (1) भूमि के नीचे स्थित खान में, तीन पूर्ववर्ती मास से पहले की तारीख तक खान के कार्यकाज के तीन से अधिक सुपाठ्य चिह्न रखे जाएंगे।

(2) अनुरेखण से खान में संवातन की प्रणाली और विशेष रूप से, हवा की साधारण दिशा, हर बिंदु जहां हवा की मात्रा मापी जाती है, हर एयर-क्रॉसिंग, संवातन-द्वार, स्टॉपिंग, बूस्टर पंखा और हवा के विनियमन और वितरण के लिए कोई अन्य प्रमुख उपकरण, आग-डैम, प्रारंभिक स्टॉपिंग, हर अग्निशमन उपकरण, आयामों के साथ हर पानी-डैम और निर्माण के अन्य व्यौरे, हर पंपिंग, टेलीफोन और एम्बुलेंस केंद्र, ज्वलनशील सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली हर कमरा, रिजर्व केंद्र और हर दुलाई और यात्रा सड़क दिखाई देगी।

139. खानों में बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति, उनका निपटान और आवास -(1) भूमि के नीचे स्थित किसी खान का प्रबंधक, जहां साधारणतः 100 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय सतह पर कम से कम 5 बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हों।

(2) भूमिगत खान का प्रबंधक, जहां साधारणतः 500 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों या उसके किसी भाग पर एक व्यक्ति के पैमाने पर व्यक्ति बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति हों।

(3) उपयुक्त आवास उपलब्ध कराना नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा-

- (i) अधीक्षक, प्रशिक्षकों और बचाव ब्रिगेड के सदस्यों के लिए बचाव केंद्र के करीब;
- (ii) बचाव कक्ष के निकट बचाव कक्ष के प्रभारी बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों और उससे जुड़े परिचारकों के लिए; तथा
- (iii) खंड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षित व्यक्तियों के अलावा अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को बचाने के लिए भूमि के नीचे खान के प्रवेश द्वार के करीब।

(4) बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को तत्काल बुलाने के लिए, निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित, भूमि के नीचे खान में प्रभावी घंटी या अन्य व्यवस्थाएं प्रदान की जाएंगी।

140. बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों का चयन - बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

- (i) आयु 21 से 40 वर्ष के बीच है और उसके पास केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से विधिमान्य प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र है;
- (ii) प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास बचाव कार्य के लिए पर्याप्त भूमिगत अनुभव है;
- (iii) एक अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित किया गया है, जैसा कि साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार परीक्षण के पश्चात् प्रबंधक द्वारा अभिहित किया जाए, किसी भी जैविक बीमारी या कमजोरी से मुक्त होने और बचाव कार्य करने के लिए उपयुक्त होने के लिए; और
- (iv) बचाव केंद्र के अधीक्षक द्वारा ऐसी परीक्षा और साक्षात्कार के पश्चात्, जिसे अधीक्षक आवश्यक समझे, श्वास तंत्र के साथ बचाव कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है।

141. अनुदेश और पद्धति आदि.- (1) बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए चयनित प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर जारी किए गए साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुदेशों और पद्धतियों के पाठ्यक्रम से गुजरना होगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति उत्तीर्ण न हो जाए और अधीक्षक द्वारा कुशल के रूप में प्रमाणित न कर दिया जाए।

(2) बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति अभ्यास से गुजरेगा और अनुदेश प्राप्त करेगा जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) प्रत्येक बचाव केंद्र पर अभ्यास करने वाले और अनुदेश प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड में सम्मिलित होंगे: -

- (i) प्रत्येक अभ्यास की तारीख और चरित्र;
- (ii) अभ्यास के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सीय स्थिति, और यदि उनकी स्थिति में कुछ भी असाधारण देखा गया हो, चाहे वह उपकरण की खराबी के कारण हो या उस व्यक्ति के कारण; और
- (iii) कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

142. बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा आदि.- प्रत्येक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति की हर बारह महीने में कम से कम एक बार एक अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पुनः परीक्षा की जाएगी, जिसे प्रबंधक द्वारा प्ररूप-IX में विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार अभिहित किया जाए और यदि ऐसे व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे घोषित होने की तारीख से बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं रहेगा।

143. बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का निलंबन.- यदि नियोक्ता या निरीक्षक-सह-

सुविधाप्रदाता की राय में, बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति अधम है या अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में लापरवाही या अवचार का दोषी है, तो ऐसे व्यक्ति को लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति को निलंबित कर सकता है या किसी भी बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य को करने से रोक सकता है।

144. आपातकालीन स्थिति में प्रबंधक आदि के कर्तव्य.- (1) बचाव दल की सेवाओं की अपेक्षा की संभावना वाली किसी आपात स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर, प्रबंधक, या प्रबंधक की अनुपस्थिति में, सतह पर उपस्थित प्रमुख अधिकारी, तुरंत-

- (i) आवश्यक सहायता के लिए बचाव कक्ष या खान की सेवा करने वाले बचाव केंद्रों को सूचित करें;
- (ii) खान में कार्यरत बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति को बुलाना;
- (iii) यदि अपेक्षित हो तो आसपास की खानों के नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक को वहां कार्यरत बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचित करें;
- (iv) घटना की प्रकृति के बारे में बचाव केंद्र को सूचित करें; यह बताते हुए कि क्या बचाव केंद्र से सहायता की आवश्यकता होगी;
- (v) चिकित्सा सहायता बुलाना; और
- (vi) घटना की जानकारी निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजें।

(2) भूमिगत खान पर सभी बचाव और पुनःप्राप्ति कार्य किए जाने वाले खान के प्रबंधक के नियंत्रण, निर्देशन और देख-रेख में या प्रबंधक की अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जाएगा:

परंतु कि किसी बड़ी आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि इग्निशन, विस्फोट, बड़ी भूमिगत आग या एक दुर्घटना जिसमें कई व्यक्ति सम्मिलित हैं, प्रबंधक या प्रमुख अधिकारी बचाव और पुनःप्राप्ति कार्यों से संबंधित निर्णय प्रबंधन का एक ज्येष्ठ अधिकारी, खान सुरक्षा महानिदेशक का एक प्रतिनिधि, संबंधित बचाव स्थल और कर्मचारों की मान्यता प्राप्त यूनियन वाले एक समूह से मार्ग-दर्शन लेंगे, ताकि मैनेजर या प्रमुख अधिकारी वह स्थिति को देखते हुए बिना प्रतीक्षा किए उक्त समूह के संविधान या विचार-विमर्श करने में देर किए बिना आवश्यक विनिश्चय करने और कार्य के संचालन का निदेश दे सकें।

145. बचाव कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए भूमिगत खान में आवास.- (1) जब भी भूमिगत खान में बचाव/ पुनःप्राप्ति कार्य में बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं, तो उन्हें उक्त कार्य के लिए अपेक्षित उपकरणों के भंडारण और चार्जिंग करने के लिए ऐसे खान उपयुक्त आवास प्रदान किया जाएगा।

(2) उपयोग में आने वाले ऐसे आवास प्रवेश द्वार के समीप एक सुविधाजनक स्थान पर स्थित होंगे और उचित रूप से संवातित और प्रकाशयुक्त होंगे।

(3) प्रत्येक बचावकर्मियों के लिए ठंडे और पौष्टिक पेयजल और भोजन की पर्याप्त मात्रा प्रदान की जाएगी।

146. बचाव या पुनःप्राप्ति कार्य के लिए नीचे की भूमिगत की खानों में प्रवेश.- (1) किसी भी व्यक्ति को भूमिगत खान या उस हिस्से में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो बचाव या रिकवरी कार्य में संलग्न होने के प्रयोजन से असुरक्षित है, जब तक कि प्रबंधक द्वारा सतह पर उपस्थित खान के प्रमुख अधिकारी द्वारा प्रबंधक अनुपस्थिति में इसके लिए प्राधिकृत न किया गया हो।

(2) केवल बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्व-निहित श्वास उपकरण का उपयोग करने के प्रयोजन से खान में प्रवेश करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(3) बचाव या पुनःप्राप्ति कार्य के दौरान, भूमिगत खान के प्रवेश द्वार पर व्यक्ति तैनात होंगे और ऐसे खानों में सभी व्यक्तियों को खान में प्रवेश करने और छोड़ने के समय का लिखित रिकॉर्ड रखेंगे।

147. ताजी हवा वाले स्थान - (1) सुरक्षा परमिट के अनुसार अश्वसनीय क्षेत्र या क्षेत्रों के निकट ताजी हवा वाले स्थानों पर बेस स्थापित किए जाएंगे, यदि संभव हो तो प्रत्येक ऐसे स्थान को टेलीफोन द्वारा जोड़ा जाएगा-

(i) यदि आधार सतह से भूमिगत है; या

(ii) यदि आधार सतह के शाफ्ट तल पर है।

(2) ऐसे मामलों को छोड़कर, जिनमें देरी होने के कारण जीवन को खतरा हो सकता है, बचाव हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति किसी भी स्थान से आगे नहीं जाएगा, जहां किसी आधार को स्थापित किया जाता है और जब तक कि ऐसे आधार उपलब्ध नहीं कराए गए हों -

(i) दो व्यक्ति, जिनमें से एक अर्हित चिकित्सक होगा और यदि व्यावहारिक हो, बचाव हेतु एक अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति होगा;

(ii) बचाव उपकरण के साथ तत्काल सेवा के लिए तैयार एक अतिरिक्त टीम;

(iii) एक या एक से अधिक पुनर्जीवन हेतु उपकरण, ऑक्सीजन रिवाइवर्स तथा अन्य उपकरण;

(iv) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और स्ट्रेचर,

(v) कार्बन मोनोऑक्साइड के परीक्षण का साधन;

(vi) एक हाइग्रोमीटर; और

(vii) दो फ्लेम सेफ्टी लैम्प।

(3) जब कभी भी व्यक्ति पहले से ही ताज़ी हवा वाले स्थान से दूर कार्य कर रहे हों, तो , तो उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति, उपकरणों और उपस्करों शीघ्रतिशीघ्र को उपलब्ध कराया जाएगा।

148. लीडर.- किसी खान में श्वसन उपकरण के साथ कार्य करने वाला प्रत्येक बचाव दल अधीक्षक द्वारा नियुक्त एक लीडर के अधीन होगा।

149. लीडर को अनुदेश.- बचाव दल को भूमि के भीतर भेजने से पहले, अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, टीम के लीडर को स्पष्ट अनुदेश देगा कि वह टीम कहां जाएगी और क्या प्रयास करेगी।

150. उपकरण का परीक्षण.- (1) भूमि के नीचे जाने से पहले लीडर रिसाव के लिए टीम के स्व-अंतर्विष्ट श्वास उपकरण का परीक्षण करेगा या परीक्षण की निगरानी करेगा।

(2) जब तक ऐसे उपकरण सुरक्षित नहीं पाए जाते हैं, तब तक ऐसे किसी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) लीडर अपनी टीम के उपस्करों की परीक्षा करेगा और गैर-श्वसनीय वातावरण में प्रवेश करने से तुरंत पहले यह सुनिश्चित करेगा कि सभी श्वसन उपकरण ठीक से कार्य कर रहे हैं।

151. भूमि के नीचे लीडर के कर्तव्य.- (1) लीडर

(i) मैनुअल कार्य में संलग्न नहीं होगा।

(ii) लीडर पूरी तरह से टीम को निदेशित करने और अपनी सुरक्षा बनाए रखने पर ध्यान देगा।

(iii) वह यात्रा के दौरान छत और उसके आलम्ब की परीक्षा करेगा और यदि सड़क के किनारे किसी भी स्थान पर गिरने की संभावना है, तो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि टीम ने स्थान को सुरक्षित नहीं बना दिया हो।

(2) लीडर टीम को एक साथ रखेगा और टीम के किसी भी सदस्य को भटकने नहीं देगा।

(3) यदि वातावरण साफ है, तो लीडर, दो या दो से अधिक रोडवेज के जंक्शन से गुजरते समय चाक द्वारा तीर के निशान के माध्यम से मार्ग को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा।

(4) यदि वातावरण धुंधला है, तो लीडर यह देखेगा कि एक जीवन रेखा ताजी हवा के आधार से बिछाई जाएगी और टीम के किसी भी सदस्य को उस रेखा की पहुंच से बाहर जाने की अनुज्ञा नहीं देगा; या यदि वह प्रक्रिया अव्यवहार्य है, तो वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि प्रत्येक सड़क मार्ग के शाखा मार्ग को पूरी तरह से घेर नहीं दिया जाता।

(5) बचाव उपकरण का उपयोग करते हुए लीडर एक घड़ी रखेगा जो बीस मिनट या ऐसे अंतराल पर संकुचित ऑक्सीजन के दबाव को रिकॉर्ड करेगा और पर्याप्त समय में वापसी की यात्रा शुरू करेगा।

(6) यात्रा के दौरान, लीडर सबसे धीमी गति से चल रहे सदस्य की गति को अपनाएगा, यदि टीम का कोई भी सदस्य संकट में है, तो तुरंत पूरी टीम के साथ ताजी हवा वाले स्थान पर वापस आ जाएगा।

(7) लीडर टीम के किसी भी सदस्य को श्वास उपकरण का उपयोग करने खान में किसी भी समय कार्य करने के लिए डेढ़ घंटे से अधिक समय तक या ऐसी अन्य किसी अवधि तक जो मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा श्वास-उपकरण के उपयोग के संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए, रहने की अनुज्ञा नहीं देगा।

152. बचाव दल के सदस्य और उनके कर्तव्य.- (1) किसी खान में श्वास उपकरण का उपयोग करने वाले किसी भी बचाव टीम में व्यक्तियों की संख्या लीडर सहित पांच से कम और छह से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि किसी आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक बचाव दल के पास श्वास उपकरण का कोई उपबंध नहीं है, तो टीम स्व-बचावकर्ता को ले जाएगी।

(3) बचाव दल के सदस्य, साधारणतः, आपस में संप्रेषण करते समय उन संकेतों का उपयोग करेंगे, जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) बचाव उपकरण के साथ यात्रा करने पर, टीम के प्रत्येक सदस्य को नंबर देते समय उसके स्थान को निर्धारित किया जाएगा। यदि गति बहुत तेज है या कोई संकट महसूस होता है, तो सदस्य एक बार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाएगा।

(5) खान में श्वसन उपकरण के साथ कार्य करने वाले बचाव दल के प्रत्येक सदस्य, टीम के नेता के आदेश का पालन करेंगे।

153. कार्य की दूसरे पाली का प्रतिषेध.- कोई भी व्यक्ति एक योग्य चिकित्सक द्वारा परीक्षा किए जाने और सही पाए पर किसी अश्वसनीय वातावरण में दूसरे पाली का कार्य नहीं करेगा।

154. कतिपय परिस्थितियों में नियोजन की बाध्यता.- जब भी भूमिगत खान में आपात स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे बचाव कक्ष या बचाव केंद्र द्वारा सहायता उपलब्ध करायी गई हो या न कराई गई हो, यथास्थिति मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक, द्वारा निकटतम बचाव कक्ष या बचाव केंद्र से सहायता या अतिरिक्त सहायता ली जा सकती है और इस तरह की घटना में-

(i) बचाव कक्ष या बचाव केंद्र द्वारा तुरंत हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ii) खान का नियोक्ता बचाव केंद्र या बचाव कक्ष के नियोक्ता को ऐसी सहायता प्रदान करने हेतु बचाव सेवाओं और ली गई सुविधाओं की पूरी लागत का भुगतान करेगा।

155. साधारण प्रबंधन- नियोजक इन नियमों के अधीन यथाअपेक्षित बचाव कक्ष या बचाव केंद्र की उचित स्थापना, रख-रखाव और उचित कार्यचालन सुनिश्चित करेगा, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना नियोजक अंतर्विष्ट आवश्यक बचाव यंत्र और उपकरण प्रदान करना आवश्यक होगा।

156. छूट प्रदान करने की शक्ति.- जहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की राय में, खान या बचाव केंद्र या बचाव कक्ष से संबंधित शर्तें ऐसी हैं जो इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी भी उपबंध के अनुपालन के लिए हैं तो वह लिखित में एक आदेश और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन उक्त उपबंधों से छूट प्रदान कर सकता है।

157. प्रशिक्षण योजना.- (1) प्रत्येक खान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण की योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार सिद्धांत और पद्धति के आधार पर जहाँ भी मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के द्वारा खान में नियोजित या नियोजित होने वाले व्यक्तियों के लिए अधिसूचित कोई प्राधिकारी नहीं है।

परंतु कि खान का अभिकर्ता लिखित रूप में नियोजक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण योजना प्रस्तुत करेगा।

(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित में एक आदेश द्वारा प्रशिक्षण योजना में ऐसे उपांतरण की आवश्यकता को उसमें विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट योजना में अन्य उपबंधों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध, सम्मिलित होंगे: -

(i) व्यक्तियों को खानों में नियोजित करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण;

(ii) पहले से नियोजित व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण;

(iii) नई प्रौद्योगिकी, उपस्कर को उपयोग में लाने या कार्य प्रक्रिया में परिवर्तन करने के पूर्व प्रशिक्षण;

(iv) प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए खान में नियोजित व्यक्ति की वर्तमान दक्षताओं और पूर्ण शिक्षा निर्धारण;

(v) खनन संक्रियाओं के सुरक्षित निष्पादन के लिए खानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण करना;

(vi) ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना जो प्रशिक्षण देने और कर्मकारों की क्षमता का निर्धारण करने में सक्षम हों;

(vii) किए गए और दिए गए निर्धारण प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखना और संपरीक्षा करना;

(viii) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए सुसंगत मानक, मापांक या कोई अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत; और

(ix) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रीय में व्याख्यान देने के लिए व्यक्तियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम सामग्री।

158. व्यावसायिक प्रशिक्षण का क्षेत्र और मानक.— प्रत्येक खान का नियोक्ता या नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि खान में नियोजित किए जाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को, उस नियोजन के लिए इन नियमों के अधीन निर्धारित प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

परंतु, यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी अन्य खान में नियोजित है, तो नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए।

159. पुनश्चर्या प्रशिक्षण का क्षेत्र और मानक.— प्रत्येक खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, प्रशिक्षण योजना के अनुसार, कम से कम प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करेगा:

परंतु कि, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, लिखित आदेश द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी खान के संबंध में पुनश्चर्या प्रशिक्षण की उक्त अवधि को बढ़ाने या घटाने का निदेश दे सकेगा।

160. पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था.— पुनश्चर्या प्रशिक्षण इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्तियों को साधारण कार्य समय के दौरान पूर्ण-दिवसीय अवकाश प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

परंतु कि, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन जो विनिर्दिष्ट की जाए किसी भी खान को इस नियम के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगा।

161. विशेष प्रशिक्षण.— (1) जब किसी खान में नई प्रौद्योगिकी, उपस्करण या कार्य प्रणाली का परिचय कराया जाता है, तब नियोक्ता ऐसे परिचय से कम से कम साठ दिन पूर्व प्रशिक्षण मापांक तैयार कर उसे मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधप्रदाता को प्रस्तुत करेगा; और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा, उक्त प्रशिक्षण मापांक में ऐसे उपांतरण करने का निदेश सकेगा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) पुर्वोक्त प्रौद्योगिकी, उपस्कर या कार्य प्रणाली में नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों को, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण योजना के अनुसार, उक्त प्रशिक्षण मापांक के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

162. लंबी अनुपस्थिति, दुर्घटना या कार्य-परिवर्तन के पश्चात व्यक्तियों का प्रशिक्षण.— जहाँ कोई व्यक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि की अनुपस्थिति के पश्चात खान में पुनः कार्य पर लौटता है, या किसी गंभीर दुर्घटना या ऐसे खतरनाक घटनाक्रम के होने के पश्चात कार्य पर लौटता है जिससे जीवन और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता था, या उसे ऐसे कार्य पर पुनः नियोजित किया जाता है जो उसके पूर्व में किए जा रहे कार्य से भिन्न है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को नियोजन से पूर्व इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

163. प्रशिक्षण केंदीय.— (1) प्रत्येक खान का नियोक्ता एक प्रशिक्षण केंदीय की स्थापना करेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा, जो खान में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो:

परंतु यह कि, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधप्रदाता, आदेश द्वारा तथा लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यह प्राधिकृत कर सकेगा कि एक ही नियोक्ता की दो या अधिक खानों के संबंध में एक साधारण प्रशिक्षण केंदीय स्थापित और अनुरक्षित किया जा सकता है।

(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, लिखित रूप में तथा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी शर्तों के अधीन, एक से अधिक खानों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियोक्ताओं के समूह द्वारा स्वामित्व और अनुरक्षण किए जाने वाले साधारण प्रशिक्षण केंदीय की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है:

परंतु यह कि, जहाँ ऐसे खानों के नियोक्ताओं के समूह द्वारा साधारण प्रशिक्षण केंदीय स्थापित और अनुरक्षित किया जाता है, वहाँ वे अपने मध्य से एक नियोक्ता को नामनिर्दिष्ट करेंगे, जो उस साधारण प्रशिक्षण केंदीय के प्रबंधन, पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा, तथा नामनिर्दिष्ट नियोक्ता इस संबंध में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और निरीक्षक-सह-सुविधप्रदाता को लिखित सूचना प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, लिखित रूप में तथा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी शर्तों के अधीन, ऐसे किसी प्रशिक्षण केंदीय को अनुमोदित कर सकता है जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित किया गया हो, परंतु कि उसमें मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से निर्दिष्ट अवसंरचना और सुविधाएँ उपलब्ध हों, ताकि इन नियमों के अधीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

(4) उपनियम (3) के अधीन अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन, रुपविधान में किया जाएगा तथा उसके साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा विहित फीस संलग्न होगी, जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

164. प्रशिक्षण केंदीय के लिए व्यवस्थाएँ.— प्रत्येक प्रशिक्षण केंदीय में ऐसे कर्मचारी, उपस्कर तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

165. प्रशिक्षण अधिकारी -(1) प्रत्येक प्रशिक्षण केंदीय को एक प्रशिक्षण अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा, जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखता हो, जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना, यथास्थिति, खान के नियोक्ता या अभिकर्ता या साधारण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंदीय के नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा:

परंतु यह कि, किसी प्रशिक्षण केंदीय के मामले में, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण केंदीय के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देशन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अनुमोदित प्रशिक्षण केंदीय का नियोक्ता” कहा गया है) प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

(3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ प्रशिक्षण अधिकारी अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहाँ नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक, यथास्थिति, लिखित रूप में समान अर्हताओं वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा:

परंतु यह कि, ऐसा कोई प्राधिकरण तीस दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त न हो तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन न हो।

(4) प्रशिक्षण अधिकारी की प्रत्येक नियुक्ति, उन्मोचन, पदच्युति, त्यागपत्र या सेवा-समापन तथा उसकी तारीख की सूचना, यथास्थिति, नियोक्ता या अभिकर्ता द्वारा, ऐसी नियुक्ति, प्राधिकरण, उन्मोचन, पदच्युति, त्यागपत्र या सेवा-समापन की तारीख से सात दिनों के भीतर, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक तथा निरीक्षक-सह-सुकारक को प्रेषित की जाएगी।

166. प्रशिक्षण अधिकारी के कर्तव्य.— (1) प्रशिक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (i) इन नियमों के अनुपालन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के प्रशिक्षण का आयोजन और पर्यवेक्षण करे;
- (ii) प्रशिक्षण आवश्यकताओं के स्थापन के लिए वर्तमान दक्षता तथा पूर्व अधिगम (प्रायर लर्निंग) की मान्यता प्रदान करे;
- (iii) इन नियमों के अधीन विरचित संबंधित प्रशिक्षण योजना के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए मापांक या पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रशिक्षण सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि प्रशिक्षक मानक पाठ्य सामग्री पर व्याख्यान दें;
- (iv) प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का अभिलेख को अनुरक्षण करे तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की प्रगति के संबंध में खान प्रबंधक को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे;

- (v) वास्तविक संक्रियाओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में पर्यवेक्षण का अभिलेख को अनुरक्षण करे; तथा
- (vi) इन नियमों के समुचित अनुपालन हेतु आवश्यक अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करे।

(2) प्रत्येक प्रशिक्षण अधिकारी अपने कार्य का अभिलेख का रख-रखाव करेगा तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में, अपने वार्षिक कार्य का संक्षिप्त प्रतिवेदन, यथास्थिति, नियोक्ता या साधारण या अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्रीय के नियोक्ता के माध्यम से, उस प्रशिक्षण केंद्रीय पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक को अग्रेषित करेगा।

167. अनुदेशक.— खान का नियोक्ता या अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्रीय का नियोक्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रीय में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक अर्हता और अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगा:

परंतु कि, विशेष परिस्थितियों में, खानों से अधिकारियों को प्रशिक्षण केंद्रीय में व्याख्यान देने और प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जा सकता है।

168. प्रशिक्षक.— इन नियमों में निर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए, खान में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, संचालन कार्यों में संलग्न तथा प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत, उपयुक्त प्रवर्ग के एक अनुभवी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रखा जाएगा, जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रशिक्षकों” कहा गया है।

169. अनुदेशकों और प्रशिक्षकों की अर्हताएं.— कोई भी व्यक्ति अनुदेशक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट तथा मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट अर्हता, प्रशिक्षण और अनुभव नहीं रखता हो।

170. अनुदेशक के कर्तव्य. :—अनुदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह —

- क. कर्मचारियों की दक्षता का निर्धारण करे तथा मानक पाठ्य सामग्री पर व्याख्यान प्रदान करे;
- ख. प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का अभिलेख का अनुरक्षण करे तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की प्रगति के संबंध में प्रशिक्षण अधिकारी को साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

171. प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के कर्तव्य —

- (1) प्रशिक्षक, अपने अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति कार्य को सीखें, कार्य में निहित खतरों को समझें तथा ऐसे व्यवहार और आदतें विकसित करें जो खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- (3) प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति खान के भीतर उसके साथ ही संचरण करें।
- (4) प्रत्येक प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति उन अनुभागों से निकलने के मार्ग से अवगत हों जहाँ वे कार्य करने की संभावना रखते हैं, तथा प्रशिक्षकों पर लागू अन्य आपातकालीन उपायों की जानकारी भी उन्हें हो।
- (5) प्रत्येक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा व्यक्ति, प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उस प्रशिक्षक के निदेशों का पालन करेगा जिसके अधीन उसे रखा गया है।

172. प्रशिक्षण भत्ता.— (1) प्रत्येक प्रशिक्षक को, उनके साधारण मजदूरी के अतिरिक्त, खान के नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा, उस प्रत्येक दिन के लिए जब कोई प्रशिक्षु उनके पर्यवेक्षण में कार्य करता है, प्रशिक्षण भत्ता देय होगा, जैसा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तथा उसकी सिफारिश पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक अनुदेशक, जो प्रशिक्षण केंद्रीय में नियमित नियुक्ति पर नियुक्त अनुदेशक के अतिरिक्त हो, को उनके साधारण मजदूरी के

अतिरिक्त, नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा, उस प्रत्येक दिन के लिए जब उसने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रीय में प्रशिक्षण प्रदान किया है, प्रशिक्षण भत्ता देय होगा, जैसा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की अनुशंसा पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

173. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.— (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इन नियमों में निर्दिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करता है, प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मूल्यांकन के अधीन होगा तथा प्रशिक्षु के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, उसे प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, ऐसे प्रपत्र में जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) जहाँ प्रशिक्षण अधिकारी किसी प्रशिक्षु की प्रगति या प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होता है, वहाँ वह इस संबंध में खदान प्रबंधक को सूचित करेगा, जो ऐसे व्यक्ति को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था कर सकता है।

(3) प्रत्येक खदान का प्रबंधक, प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूर्णता से संतुष्ट होने पर, प्रमाणपत्र पर प्रति-हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर तिथि अंकित करेगा।

174. प्रबंधन को प्रमाणपत्र सुपुर्द किया जाना. — (1) खदान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति:—

क. यदि उसने ऐसे नियोजन से पूर्व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त किए हों; तथा

ख. नियोजन के दौरान प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र, खदान प्रबंधक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर;

ग. इन नियमों के अधीन उन्हें जारी किया गया प्रमाण-पत्र परिदत्त करना ;

(2) खदान के प्रबंधक को सुपुर्द करेगा, जो उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा उसके लिए रसीद जारी करेगा।

(3) सेवा की समाप्ति पर, उप-नियम (1) के अंतर्गत जमा किए गए प्रमाणपत्र कर्मचारी को वापस कर दिए जाएंगे।

175. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण — मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक, किसी भी प्रशिक्षण केंद्र या उसके किसी भाग में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण एवं परीक्षण कर सकता है तथा ऐसे परीक्षण या जांच कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों तथा इनके अधीन किए गए किसी भी आदेश के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

176. बोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र के बंद होने या कार्य-निलंबन की सूचना.— जब इन नियमों के अंतर्गत स्थापित किसी प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने का आशय हो अथवा उसके कार्य को साठ दिनों से अधिक अवधि के लिए स्थगित करना हो, तो यथास्थिति खदान का नियोक्ता अथवा सामान्य बोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र का नियोक्ता, उस प्रकार तथा प्रपत्र में, जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए, कारणों सहित ऐसी बंदी या कार्य-निलंबन की सूचना, ऐसी बंदी या निलंबन से कम से कम तीस दिन पूर्व देगा:

परंतु यह कि, यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण प्रशिक्षण केंद्र बंद कर दिया जाता है अथवा पहले से सूचना दिए बिना निलंबित कर दिया जाता है, या यदि बिना पूर्व इरादे के निलंबन साठ दिनों से अधिक हो जाता है, तो खदान का नियोक्ता ऐसी सूचना तत्काल देगा।

अध्याय-12

अपराध और शास्ति

177. जांच करने की रीति — (1) जब धारा 111 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष, किसी निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में शिकायत की जाती है, तो उक्त अधिकारी का उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि यह समाधान हो जाने पर कि कोई अपराध किया गया है, वह शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर अभियुक्त को समन जारी करेगा तथा उपस्थित होने की तारीख निर्धारित करेगा।

(2) किसी भी पक्ष की ओर से उपस्थित होने हेतु दिया गया प्राधिकार, उप-नियम (1) के अधीन सुनवाई के दौरान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

(3) यदि उप-नियम (1) के अधीन समन प्राप्त अभियुक्त उपस्थित होता है या प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिकारी उसे उस अपराध के सम्बन्ध में स्पष्ट करेगा जिसके संबंध में जांच प्रारंभ की गई है, और—

क. यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करता है, तो अधिकारी सहिता के उपबंधों के अनुसार उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा; और

ख. यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी जांच आगे बढ़ाएगा, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को समन जारी करेगा और अगली सुनवाई के लिए तारीख विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) निर्धारित तारीख पर, अधिकारी अभियुक्त तथा निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्य, दस्तावेजी हों या शपथ पर गवाहों द्वारा हों, अभिलेखित करेगा और प्रस्तुत गवाहों की प्रति-परीक्षा का अवसर प्रदान करेगा।

(5) अधिकारी पक्षों को सुनने तथा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, शिकायत का निर्णय सहिता के उपबंधों के अनुसार करेगा।

(6) अधिकारी आदेश पारित करते समय निम्नलिखित का अभिलेखन करेगा—

- (क) शिकायत की विशीसतिया विवरण;
- (ख) पक्षकारों का व्यौरे;
- (ग) अपराध की प्रकृति और सहिता के सुसंगत उपबंध;
- (घ) पक्षकारों के अभिवचन;
- (ङ) साक्ष्यों का संक्षेप, जिसमें प्रति-परीक्षा भी सम्मिलित हो;
- (च) निष्कर्ष और कारण; और
- (छ) अधिरोपित शास्ती, यदि कोई हो।

(7) अधिकारी अभियुक्त या उसका प्रतिनिधि के बिना किसी पर्याप्त कारण के लगातार दो तारीख पर अनुपस्थित होने की दशा में एकपक्षीय रूप से शिकायत की सुनवाई और अवधारण कर सकेगा।

परंतु निरीक्षक-सह-सुकारक या उसका प्रतिनिधि के बिना किसी पर्याप्त कारण के विनिर्दिष्ट तारीख पर अनुपस्थित होने की दशा में अधिकारी शिकायत को खारिज कर सकेगा।

(8) अधिकारी, निरीक्षक-सह-सुकारक या अभियुक्त से आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही स्थगित कर सकेगा ;

परंतु यह कि, अधिकतम तीन स्थगन ही अनुज्ञेय होंगे।

परंतु यह भी कि, अधिकारी अपने विवेकानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षों की सुनवाई की अनुमति दे सकेगा।

(9) अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर उसके प्रस्तुत किए जाने या प्राप्त किए जाने की तारीख पृष्ठांकित करेगा अथवा पृष्ठांकित कराएगा;

और यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हों, तो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

(10) पक्षकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उप-नियम (2) के अधीन किसी भी शिकायत या अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने के हकदार होंगे।

(11) अधिकारी शिकायत अस्वीकृत कर सकेगा, यदि यह समाधान हो जाता है और वह निरीक्षक-सह-सुकारक को ऐसे प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों के सुधार के लिए अनुरोध कर सकेगा

परंतु यह कि, यदि अधिकारी की राय में शिकायत में त्रुटियों का सुधार संभव नहीं है, तो वह शिकायत को त्रुटियों का उल्लेख करते हुए वापस कर सकेगा।

(12) जब शिकायत त्रुटियों के सुधार के पश्चात पुनः प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी पुनः प्रस्तुति की तारीख को धारा 111 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु प्रस्तुति की तारीख माना जाएगा।

(13) अधिकारी, निरीक्षक-सह-सुकारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, शिकायत को अस्वीकृत कर सकेगा, यदि वह लिखित कारणों से संतुष्ट हो कि—

- (क) शिकायतकर्ता ने अपराध घटित होने की तारीख से छह माह के पश्चात शिकायत प्रस्तुत की है;
- (ख) शिकायतकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।

(14) (i) अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से विहित प्ररूप, रीति और फीस के साथ, खंड 111 का उपखंड (3) के अधीन नियुक्त अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) खंड 111 का उपखंड (3) के अधीन नियुक्त अपीलीय प्राधिकरण, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, साठ दिन के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे, जिसमें अपीलित आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

178. आयु के संबंध में दायित्व.— खंड 117 का उपखंड (2) में संदर्भित चिकित्सा प्राधिकारी ऐसा चिकित्सा व्यवसायी होगा, जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता हो और जो संहिता की धारा 35, 36, 37 एवं 40 के खंड (ड) में परिभाषित भारतीय चिकित्सा रजिस्टर और खंड (I) में परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट हो।

179. जांच की प्रक्रिया और केंद्रीय सरकार संबंधित विषय.— (1) जहाँ किसी कार्यस्थल पर मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट का कारण बनने वाली दुर्घटना होती है, या कोई परिसंकटमय घटना घटित होती है, या संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी व्यावसायिक रोग के मामले की सूचना दी जाती है या उसके होने का संदेह होता है, वहाँ यथास्थिति एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास विधिक एवं विशेष ज्ञान हो, जांच हेतु आकलनकर्ता या सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त करेगी, ताकि वे उस दुर्घटना या व्यावसायिक रोग के कारणों की जांच कर सकें।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सक्षम व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारणों की जांच करेगा और ऐसे परिसंकटमय परिस्थितियों की पहचान करेगा, जिनके संबंध में उसके पास युक्तिसंगत साक्ष्य हो और जिसे वह जांच रिपोर्ट में लिखित रूप में अभिलिखित करे, कि उन्हीं परिस्थितियों के कारण दुर्घटना या खतरनाक घटना हुई है; और वह ऐसे व्यक्तियों की भी पहचान करेगा जिन्हें वह अपने निष्कर्षों के आधार पर उस दुर्घटना या घटना के लिए उत्तरदायी मानता है।

(3) जांच रिपोर्ट में जांच के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अंतर्बर्णित किए जाएंगे और ऐसी दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं या व्यावसायिक रोगों

की पुनरावृत्ति हेतु सिफारिशें और उनके क्रियान्वयन के सुझाव सम्मिलित होंगे।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति डॉक कार्य के मामले में, संहिता की धारा 121 के अधीन किसी दुर्घटना, खतरनाक घटना या व्यावसायिक रोग की जांच हेतु निम्नलिखित रीति से जांच करेगा, अर्थात्,—

(i) जांच की तारीख, समय एवं स्थान निर्धारित किया जाएगा तथा उसमें परिवर्तन भी किया जा सकेगा। इस संबंध में कम से कम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना प्रत्येक उस व्यक्ति को दी जाएगी जो जांच में उपस्थित होने का अधिकारी है और जिसका नाम और पता सक्षम व्यक्ति को ज्ञात है:

परंतु यह कि—

(क) ऐसे व्यक्तियों की सहमति से, सक्षम व्यक्ति कम अवधि की सूचना भी दे सकेगा जैसा कि उन व्यक्तियों द्वारा सहमति से तय किया जाए; और

(ख) यदि जांच के समय या स्थान में परिवर्तन आवश्यक या उपयुक्त हो, तो सक्षम व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार युक्तिसंगत सूचना देकर ऐसा परिवर्तन कर सकेगा।

(ii) इस उप-नियम के खंड (i) के अधीन दिए गए नोटिस में सक्षम व्यक्ति का नाम और, यदि कोई हो, जांच में सहायता हेतु नियुक्त आकलनकर्ताओं के नाम भी उल्लिखित होंगे।

(iii) उपरोक्त उपबंधों के बिना पूर्वाग्रह के, सक्षम व्यक्ति जांच के विषय से संबंधित किसी भी व्यक्ति को सूचित करने हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकेगा —

(क) जांच की सूचना एक या अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना, जिसमें आवश्यक होने पर उस क्षेत्र या स्थान के समाचार पत्र भी शामिल होंगे जहाँ से जांच का विषय उत्पन्न हुआ है; तथा

(ख) अन्य ऐसी सूचना देना जो सक्षम व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त समझे; और इस खंड (क) में अंतर्भूत सूचना अवधि की अपेक्षाओं ऐसी सूचनाओं पर लागू नहीं होगी।

180. जांच में उपस्थित होने वाले व्यक्ति.— (1) जांच में उपस्थित होने के अधिकारी व्यक्ति निम्नलिखित होंगे—

(क) संबंधित प्रवर्तन प्राधिकारी ;

(ख) नियोक्ता संघ या कर्मचारी ट्रेड यूनियन;

(ग) वह व्यक्ति जो दुर्घटना, घटना, स्थिति, रोग या अन्य विषय, जो जांच का विषय है, के परिणामस्वरूप घायल हुआ हो या जिसे क्षति हुई हो, या उसका प्रतिनिधि;

(घ) उस परिसर का नियोक्ता जिसमें वह दुर्घटना, घटना या स्थिति उत्पन्न हुई हो;

(ङ) वह व्यक्ति जो उस कार्य को संचालित कर रहा हो जिससे वह दुर्घटना, घटना, स्थिति या अन्य विषय उत्पन्न हुआ हो; तथा

(च) सक्षम व्यक्ति के विवेकानुसार कोई अन्य व्यक्ति।

(2) जांच में निम्नलिखित व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर सकते हैं—

(क) कोई निगमित निकाय अपने सचिव या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, या अधिवक्ता या वकील द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा ;

(ख) कोई सरकारी विभाग, नियोक्ता संघ या ट्रेड यूनियन अधिवक्ता या वकील द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा ;

(ग) जहाँ जांच के विषय में समान हित रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति हों, वहाँ सक्षम व्यक्ति एक या अधिक व्यक्तियों को उन सभी या कुछ हितधारकों की ओर से उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा ।

(3) धारा 121 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति, स्वयं की पहल पर या उपस्थित होने के अधिकारी/अनुमति प्राप्त

किसी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम प्रतीत हो, नोटिस जारी कर सकेगा, जिसमें उसे जांच में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर उपस्थित होकर साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने का अपेक्षा होगा।

(4) जिस व्यक्ति पर उप-नियम (3) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वह जांच से पूर्व या जांच के दौरान सक्षम व्यक्ति से उस अपेक्षा को संशोधित या निरस्त करने का आवेदन कर सकेगा, तथा ऐसा आवेदन सक्षम व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित प्रावधानित न हो, जांच की प्रक्रिया और उससे संबंधित कार्यवाही सक्षम व्यक्ति के विवेक पर होगी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होगी। सक्षम व्यक्ति सुनवाई के प्रारंभ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की घोषणा करेगा और उपस्थित व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात उन्हें संभावित स्थल निरीक्षण की जानकारी भी देगा।

(6) खदानों के मामले में, धारा 121 के अधीन नियुक्त व्यक्ति जांच सार्वजनिक रूप से करेगा, ऐसे रीति और शर्तों के अधीन जैसा वह दुर्घटना या घटना के कारणों एवं परिस्थितियों के अन्वेषण तथा रिपोर्ट तैयार करने हेतु उपयुक्त समझे।

(7) यदि जांच में यह पाया जाता है कि दुर्घटना प्रबंधन की लापरवाही या उपेक्षा के कारण हुई है, तो सक्षम व्यक्ति अपनी और जांच से संबंधित व्यय, जिन्हें पूर्व स्वीकृति से किया गया हो, तथा अन्य संबंधित व्यय की वसूली खान के नियोक्ता से विनिर्दिष्ट समय एवं तरीके से करने का निर्देश दे सकेगा।

(8) उप-नियम (7) के अधीन वसूली योग्य राशि, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक के आवेदन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियोक्ता से वसूल की जा सकेगी।

(9) केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित एक निरीक्षक-सह-सुकारक, सक्षम व्यक्ति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(10) जांच या सर्वेक्षण, यथास्थिति, गठन की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा कर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

181. सर्वेक्षण की प्रक्रिया और संबंधित विषय.— (1) केंद्रीय सरकार, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय या खान सुरक्षा महानिदेशालय अथवा केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्थान को यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी कार्यस्थल या कार्यस्थलों के वर्ग अथवा कार्यस्थल के भीतर और उसके आस-पास कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर कार्य गतिविधियों के प्रभाव के संबंध में सर्वेक्षण करने हेतु एक समिति नियुक्त करे।

(2) उक्त समिति का यह दायित्व होगा कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति तथा उसका श्रमिकों पर प्रभाव ज्ञात करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करे।

(3) समिति द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट निरीक्षण रिपोर्ट के समान होगी और उसमें सर्वेक्षण के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से सम्मिलित होंगे, साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु सिफारिशें भी दी जाएंगी, ताकि दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं या व्यावसायिक रोगों की रोकथाम की जा सके, और उनके कार्यान्वयन के लिए सुझाव भी सम्मिलित होंगे, जिनके अनुपालन को निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

182. अधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधों के शमन की प्रक्रिया.— (1) धारा 114 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर जो किसी शमनीय अपराध का शमन करना चाहता है, चाहे जांच के पूर्व या पश्चात अथवा यथास्थिति अभियोजन प्रारंभ होने के पश्चात, ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप-XXVI में एक शमन सूचना प्ररूप-XXVII में जारी करेगा, जो संहिता की धारा 114(1) के अधीन शमनीय अपराध से संबंधित होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जिस व्यक्ति को सूचना दी गई है, वह प्ररूप-XXVII के भाग-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकेगा और सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संपूर्ण शमन राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या अन्य माध्यम से जमा करेगा।

(3) उप-नियम (1) में संदर्भित अधिकारी, शमन राशि प्राप्त होने के दस दिन के भीतर प्ररूप-XXVII के भाग-4 में शमन प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे उक्त राशि प्राप्त हुई है और जिसने शमन सूचना का अनुपालन किया है।

(4) यदि संबंधित व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक माह पश्चात उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिन अपराधों के संबंध में शमन सूचना जारी की गई थी, न्यायालय में अभियोजन प्रारंभ किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अपराध के संबंध में अभियोजन पहले ही न्यायालय में संस्थित हो चुका है, वहाँ उप-नियम (1) में संदर्भित अधिकारी अपने आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को आगे की कार्रवाई हेतु सूचना के लिए भेजेगा।

अध्याय 13 सामाजिक सुरक्षा कोष

183. सामाजिक सुरक्षा कोष.— सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 141 के अधीन स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष को संहिता की धारा 115 के अधीन स्थापित माना जाएगा, जिसमें कोष के अन्य स्रोत और असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु उस कोष के प्रशासन एवं व्यय की रीति भी सम्मिलित होगी।

अध्याय 14 विविध

184. संविदा श्रमिकों हेतु शिकायत निवारण तंत्र.— (1) संविदा श्रमिक स्वास्थ्य, कार्य-स्थितियों तथा मजदूरी से संबंधित अपनी शिकायतें प्रधान नियोक्ता के स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो मामले की जांच करेगा और शिकायत का निवारण करेगा।

(2) उस स्थापना में, जहाँ संविदा श्रमिक नियोजित हैं, प्रधान नियोक्ता द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में एक अध्यक्ष होगा, जो प्रधान नियोक्ता का प्राधिकृत प्रतिनिधि होगा, और इसमें प्रधान नियोक्ता एवं ठेकेदार दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

(3) यह समिति संविदा श्रमिकों की शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण तीस दिन की अवधि के भीतर करेगी।

(4) यदि शिकायत का निवारण तीस दिन के भीतर नहीं होता है, तो प्रधान नियोक्ता संबंधित निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित करेगा।

(5) निरीक्षक-सह-सुकारक, उप-नियम (4) के अधीन प्राप्त शिकायत पर जांच करेगा तथा उसके निस्तारण हेतु उपयुक्त कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत प्राप्ति की तारीख से अधिकतम साठ दिन की अवधि के भीतर उसका समाधान कर दिया जाएगा।

185. ठेकेदार के नियमित श्रमिक की वार्षिक वेतन वृद्धि.— जो श्रमिक किसी ठेकेदार द्वारा किसी गतिविधि के लिए नियमित रूप से नियोजित है और जिसका रोजगार पारस्परिक रूप से स्वीकार्य रोजगार शर्तों द्वारा शासित है, ऐसे श्रमिक को उसके वेतन पर प्रत्येक वर्ष कम से कम दो प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।

186. आय के स्रोत तथा खतरनाक पदार्थ की मात्रा – धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (भ) के स्पष्टीकरण के अधीन आने वाले आय के स्रोत तथा उक्त उपधारा के खंड (यख) के अधीन आने वाले पदार्थ या उसकी मात्रा का निर्धारण समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से किया जाएगा।

उपाबंध-1

नियम 54(ii) के अधीन यथा उपबंधित प्राथमिक चिकित्सा पेटी की सामग्री सूची: —

1. उपयुक्त संख्या में छोटे, मध्यम और बड़े आकार के विसंक्रमित (स्टरलाइज़्ड) ड्रेसिंग पैड
2. उपयुक्त संख्या में बड़े आकार के विसंक्रमित जलन (बर्न) ड्रेसिंग पैड
3. स्टेरिलिज्ड रुई के पैकेटों की पर्याप्त संख्या
4. पर्याप्त मात्रा में सेत्रिमाइड घोल (1%–3%) या उपयुक्त एंटीसेप्टिक घोल (10% पोविडोन आयोडीन)
5. कैंची, चिमटी, टूर्निकेट तथा डिस्पोजेबल दस्ताने का एक जोड़ा
6. विभिन्न आकारों की पर्याप्त चिपकने वाली टेप और बैंडेज टेप
7. विभिन्न आकारों की पर्याप्त इलास्टिक क्रेप बैंडेज
8. स्टेरिलिज्ड नेत्र पैड
9. दर्द निवारक (पैरासिटामोल-650 मि.ग्रा.) एवं एंटासिड युक्त स्ट्रिप्स तथा ओआरएस सैशे की पर्याप्त संख्या
10. दर्द निवारक / एनाल्जेसिक स्प्रे
11. पॉलीथीन बॉथ बोटलें (सामान्य सेलाइन या डिस्टिल्ड वाटर)
12. विभिन्न आकारों की पर्याप्त रोलर बैंडेज
13. पर्याप्त एवं उपयुक्त स्प्लिंट्स (हड्डी स्थिरीकरण पट्टियाँ)
14. पुनर्जीवन उपकरण जैसे एम्बू बैग
15. एस्पिरिन, आइसोसॉर्बाइड डाइ-नाइट्रेट जैसी गोलियाँ
16. एंटी-एलर्जिक दवाएँ तथा आई ड्रॉप्स
17. प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका की एक प्रति, जिसमें निकटवर्ती अस्पतालों के आपातकालीन संपर्क नंबर सम्मिलित होंगे।

उपाबंध-2

नियम 55(ii) के अधीन यथा उपबंधित एम्बुलेंस कक्ष के लिए उपस्करों की सूची —

1. गरम और ठंडे जल आपूर्ति सहित ग्लेज़्ड सिंक
2. मेज, कुर्सियाँ तथा रेफ्रिजरेटर
3. चिकित्सा उपकरणों के स्टरलाइजेशन हेतु उपयुक्त घोल या उपस्कर
4. रोगी परीक्षण हेतु टेबल/काउच, तकिया, धोने योग्य रबर शीट, कंबल और तौलिए
5. मध्यम आकार के स्पंज फोर्सेप्स की उपयुक्त संख्या
6. किडनी ट्रे
7. एंटीसेप्टिक साबुन
8. क्लिनिकल थर्मामीटर
9. हैंड टॉर्च
10. टेनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन की पर्याप्त संख्या
11. गोलियाँ — एंटीहिस्टामिनिक, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीपायरेटिक (पैरासिटामोल), एंटासिड, एंटीएमेटिक
12. गोलियाँ — आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट (5 मि.ग्रा.), एस्पिरिन (75 मि.ग्रा.) + एटोरवास्टेटिन (20 मि.ग्रा.) + क्लोपिडोग्रेल (75 मि.ग्रा.)
13. ओआरएस सैशे
14. इंजेक्शन — एट्रोपिन, एड्रेनालिन, हाइड्रोकार्टिसोन, फ्यूरोसेमाइड, लोकल एनेस्थेटिक्स
15. विभिन्न आकारों की सुइयों सहित डिस्पोजेबल सिरिंज तथा नीडल होल्डर
16. स्यूचरिंग (टांके लगाने) की सुइयाँ एवं सामग्री

17. डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का एक जोड़ा
18. ड्रेसिंग फोर्सेप्स का एक जोड़ा
19. आर्टरी फोर्सेप्स का एक जोड़ा
20. सर्जिकल कैची
21. स्केल्पेल
22. स्टेथोस्कोप
23. रबर बैंडेज (प्रेशर बैंडेज)
24. ऑक्सीजन सिलेंडर / ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं आवश्यक सहायक उपकरण
25. रक्तचाप मापने का एक यंत्र
26. सामान्य सेलाइन बोतलें, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, 5% डेक्सट्रोस सॉल्यूशन, 25% डेक्सट्रोस सॉल्यूशन की उपयुक्त संख्या
27. ग्रीन (18ग्राम), पिंक (20ग्राम) एवं ब्लू (22ग्राम) इंटरवेनस (IV) कैनुला तथा उपयुक्त फिक्सेटर
28. डिस्पोजेबल IV इन्फ्यूजन सेट
29. इंटरवेनस इन्फ्यूजन स्टैंड
30. ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग किट
31. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बिन्स
32. उपयुक्त आकार के लकड़ी के स्प्लिंट्स की पर्याप्त संख्या या अन्य उपयुक्त स्प्लिंट्स
33. व्हीलचेयर
34. स्कूप स्ट्रेचर
35. छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के निष्फल ड्रेसिंग की पर्याप्त संख्या
36. निष्फल बर्न ड्रेसिंग की पर्याप्त संख्या
37. स्टेरिलिज्ड रूई के पैकेटों की पर्याप्त संख्या
38. एंटीसेप्टिक घोल जैसे सेत्रिमाइड (1%–3%) या पोविडोन आयोडीन (10%) घोल
39. विभिन्न आकारों की चिपकने वाली बैंडेज एवं टेप का रोल
40. विभिन्न आकारों की इलास्टिक क्रेप बैंडेज
41. निष्फल आई पैड के पर्याप्त टुकड़े
42. विभिन्न आकारों की रोलर बैंडेज की पर्याप्त संख्या
43. टूर्निकेट
44. डिस्पोजेबल दस्ताने
45. चिमटी
46. पल्स ऑक्सीमीटर
47. उपयुक्त सक्शन यूनिट एवं उपकरण
48. पुनर्जीवन उपकरण जैसे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और एम्बू बैग
49. किसी भी अन्य उपस्कर जो अर्हक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विशेष आवश्यकता के अनुसार सिफारिश किए जाएँ

उपाबंध-3

नियम 54(iii) के अधीन यथा उपबंधित खदानों हेतु प्राथमिक चिकित्सा पेटी की सामग्री सूची —

(i) घाव देखभाल:

- (क) विभिन्न आकारों में विसंक्रमित चिपकने वाली बैंडेज (छोटी, मध्यम, बड़ी)
- (ख) उन्नत घाव-उपचार गुणों वाले विसंक्रमित गॉज़ पैड एवं ड्रेसिंग
- (ग) घाव को ढकने एवं सुरक्षा हेतु पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग
- (घ) घाव की सफाई हेतु एंटीसेप्टिक वाइप्स या घोल
- (ङ) छोटे कट एवं घावों हेतु स्किन क्लोजर स्ट्रिप्स
- (च) डिस्पोजेबल दस्ताने (लेटेक्स-फ्री या नाइट्राइल)
- (छ) गोल-नोक वाली कैंची

(ii) कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एवं पुनर्जीवन:

- (क) सुरक्षित सीपीआर देने हेतु पॉकेट मास्क या फेस शील्ड (वन-वे वाल्व सहित)
- (ख) डिस्पोजेबल बैग-वाल्व-मास्क पुनर्जीवन उपकरण, पॉजिटिव एंड-एक्सपिरेटरी प्रेशर वाल्व सहित

(iii) औषधियाँ और मलहम :

- (क) व्यापक-स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल गुणों वाला एंटीसेप्टिक
- (ख) मरहम कीट काटने एवं त्वचा जलन हेतु हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम
- (ग) दर्द निवारक (जैसे पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन) उपयुक्त मात्रा सहित
- (घ) एलर्जी प्रतिक्रिया हेतु एंटीहिस्टामिन, विभिन्न रूपों में (टैबलेट, तरल आदि)
- (ङ) संभावित हृदयाघात हेतु एस्पिरिन
- (च) शुगर सैशे

(iv) बैंडेज एवं ड्रेसिंग :

- (क) मोच एवं खिंचाव हेतु स्व-चिपकने वाले इलास्टिक बैंडेज तथा आइस पैक बॉक्स/आइस बैग
- (ख) नॉन-स्टिक घाव ड्रेसिंग या उच्च अवशोषण क्षमता वाले पैड
- (ग) जलन देखभाल
- (घ) तत्काल शीतलन एवं दर्द राहत हेतु हाइड्रोजेल बर्न ड्रेसिंग
- (ङ) हाइड्रोजेल कोटेड निष्फल बर्न शीट्स
- (च) सुखदायक प्रभाव वाला बर्न जेल या स्प्रे

(v) उपस्कर और औज़ार:

- (क) सटीक तापमान मापन हेतु डिजिटल थर्मामीटर
- (ख) सक्शन उपकरण, कठोर गर्दन कॉलर, एयरवे, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग, फिंगर प्रोब पल्स ऑक्सीमीटर

(vi) समायोज्य ब्राइटनेस वाली उच्च गुणवत्ता की टॉर्च

उपाबंध-4

नियम 55(iii) के अधीन यथा उपबंधित खदानों हेतु एम्बुलेंस कक्ष के उपकरणों की सूची —

(i) उन्नत चिकित्सा उपस्कर:

- (क) रेगुलेटर सहित पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर तथा विभिन्न ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण (नेज़ल कैनुला, मास्क)
- (ख) श्वसन औषधियों के प्रभावी प्रशासन हेतु नेबुलाइज़र
- (ग) वायुमार्ग प्रबंधन एवं स्राव हटाने हेतु सक्शन उपकरण
- (घ) नवीनतम तकनीक एवं सुविधाओं सहित ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर
- (ङ) सटीक रक्तचाप मापन हेतु रक्तचाप मॉनिटर
- (च) रक्त शर्करा स्तर आकलन हेतु टेस्ट स्ट्रिप्स सहित ग्लूकोमीटर

(ii) स्वच्छता और हाइजीन :

- (क) कम से कम 60% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र
- (ख) जैव-खतरनाक अपशिष्ट हेतु नो-टच वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर
- (ग) सतहों एवं उपकरणों की सफाई हेतु डिस्पोजेबल वाइप्स

(iii) रोगी परिवहन :

- (क) रोगी की सुविधा एवं परीक्षण हेतु पैडिंग एवं सुरक्षा सुविधाओं सहित इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक समायोज्य परीक्षण टेबल
- (ख) सुविधा के भीतर सुरक्षित एवं कुशल रोगी परिवहन हेतु लॉकिंग व्हील्स सहित पोर्टेबल स्ट्रेचर या ट्रांसफर चेयर
- (ग) कटे हुए अंगों के लिए आइस पैक सहित प्लास्टिक कवर

(iv) हाइजीन और घाव देखभाल :

- (क) हैंड्स-फ्री संचालन हेतु इन्फ्रारेड सेंसर युक्त ग्लेज़्ड सिंक, एकीकृत साबुन एवं पेपर टॉवल डिस्पेंसर सहित
- (ख) प्रभावी हाथ धोने हेतु मॉइस्चराइजिंग गुणों वाला एंटीमाइक्रोबियल साबुन
- (ग) पर्यावरण-अनुकूल त्रिसल्स वाले डिस्पोजेबल नेल ब्रश

(v) घाव ड्रेसिंग और सामग्री :

- (क) घाव भरने एवं संक्रमण रोकथाम हेतु हाइड्रोजेल या सिल्वर-आधारित उन्नत ड्रेसिंग
- (ख) त्वचा को नुकसान पहुँचाए बिना हटाई जाने वाली स्टरल सिलिकॉन ड्रेसिंग
- (ग) दर्द कम करने हेतु नॉन-एडहेसिव घाव संपर्क परतें
- (घ) घावों को ढकने एवं निगरानी हेतु उच्च श्वसन क्षमता वाली पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग
- (ङ) अधिक स्राव वाले घावों हेतु उच्च अवशोषण क्षमता वाली स्टरल फोम ड्रेसिंग
- (च) नाक सक्शन बल्ब

(vi) एंटीसेप्टिक घोल :

- (क) कोमल घाव सिंचाई हेतु स्टरल सेलाइन सॉल्यूशन या वाउंड वॉश
- (ख) त्वचा के अनुकूल एंटीसेप्टिक गुणों वाली स्टरल वाउंड क्लीनिंग वाइप्स

(vii) रोगी आराम एवं ऊष्मा :

- (क) नमी-शोषक एवं ताप-नियंत्रक गुणों वाले मुलायम फ्लीस कंबल
- (ख) आवश्यकता अनुसार ऊष्मा प्रदान करने हेतु पुनः प्रयोज्य इंस्टेंट हीट पैक्स

(viii) स्प्लिंट एवं सहायक उपस्कर :

- (क) बेहतर स्थिरीकरण हेतु मोल्डेबल, वैक्यूम-फॉर्मड या इन्फ्लेटेबल स्प्लिंट्स

- (ख) सुरक्षित एवं आरामदायक सहारे हेतु स्व-चिपकने वाले इलास्टिक कोहेसिव बैंडेज
(ग) त्रिकोणीय बैंडेज
- (ix) आपातकालीन उपस्कर: गंभीर रक्तस्राव नियंत्रण हेतु प्रेशर बैंडेज
- (x) तापमान आकलन : त्वरित एवं स्वच्छ तापमान मापन हेतु नॉन-कॉन्टैक्ट इन्फ्रारेड थर्मामीटर
- (xi) औषधियाँ एवं प्रशासन उपस्कर: योग्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आपातकालीन औषधियाँ एवं उपकरण
- (xii) आपातकालीन औषधियाँ : टेनस एंटी-सीरम तथा अन्य आपातकालीन औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति, जैसा कि योग्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए
- (xiii) चिकित्सा उपस्कर:
- (क) एक स्टेथोस्कोप तथा डिजिटल डिस्प्ले एवं समायोज्य कप्स सहित एक स्वचालित रक्तचाप मॉनिटर
(ख) एक इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ मशीन
(ग) एक सक्शन उपकरण, स्टिफ नेक कॉलर, एयरवे, आर्टिफिशियल मैनुअल व्रीदिंग यूनिट बैग, फिंगर प्रोब पल्स ऑक्सीमीटर

उपाबंध-5

नियम 54(ix)(ख) के अधीन यथा उपबंधित खान हेतु प्राथमिक चिकित्सा स्टेशन के उपस्करों की सूची —

- (i) दो कंबलों सहित एक स्ट्रेचर
(ii) इन्फ्लेटेबल स्प्लिंट्स
(iii) रोगी परीक्षण हेतु टेबल
(iv) प्राथमिक चिकित्सा पेटी, जिसमें उपाबंध-1 में विहित सामग्री अंतर्बलित होगी

उपाबंध-6

नियम 63(ii) के अधीन यथा उपबंधित चिकित्सा सुविधा कक्ष/औषधालय हेतु उपस्करों की सूची —

- गरम एवं ठंडे जल आपूर्ति सहित ग्लेज़्ड सिंक
- मेज, कुर्सियाँ और रेफ्रिजरेटर
- चिकित्सा उपस्करों के स्टरलाइजेशन हेतु उपयुक्त घोल या उपस्कर
- रोगी परीक्षण हेतु टेबल/काउच, तकिया, धोने योग्य रबर शीट, कंबल और तौलिए
- मध्यम आकार के स्पंज फोर्सेप्स की उपयुक्त संख्या
- किडनी ट्रे
- एंटीसेप्टिक साबुन
- क्लिनिकल थर्मामीटर
- हैंड टॉर्च
- टेनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन की पर्याप्त संख्या
- गोलियाँ — एंटीहिस्टामिनिक, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीपायरेटिक (पैरासिटामोल), एंटासिड, एंटीएमेटिक
- गोलियाँ — आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट (5 मि.ग्रा.), एस्पिरिन (75 मि.ग्रा.) + एटोरवास्टेटिन (20 मि.ग्रा.) + क्लोपिडोग्रेल (75 मि.ग्रा.)
- ओआरएस (जीवनरक्षक घोल) सैशे
- इंजेक्शन — एट्रोपिन, एड्रेनालिन, हाइड्रोकार्टिसोन, फ्यूरोसेमाइड, लोकल एनेस्थेटिक्स
- विभिन्न आकारों की सुइयों सहित डिस्पोजेबल सिरिंज एवं नीडल होल्डर
- स्यूचरिंग सुइयाँ एवं सामग्री
- डिसेक्विंग फोर्सेप्स का एक जोड़ा
- ड्रेसिंग फोर्सेप्स का एक जोड़ा

19. आर्टरी फोर्सेप्स का एक जोड़ा
20. सर्जिकल कैंची
21. स्केल्पेल
22. स्टेथोस्कोप
23. रबर बैंडेज (प्रेशर बैंडेज)
24. ऑक्सीजन सिलेंडर / ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं आवश्यक सहायक उपकरण
25. रक्तचाप मापने का एक यंत्र
26. सामान्य सेलाइन बोतलें, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, 25% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन की उपयुक्त संख्या
27. ग्रीन (18ग्रा), पिंक (20ग्रा) एवं ब्लू (22ग्रा) इंटरवेनस (IV) कैनुला तथा उपयुक्त फिक्सेटर
28. डिस्पोजेबल इंटरवेनस इन्फ्यूजन सेट
29. इंटरवेनस इन्फ्यूजन स्टैंड
30. ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग किट
31. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बिन्स
32. उपयुक्त आकार के लकड़ी के स्प्लिंट्स या अन्य उपयुक्त स्प्लिंट्स की पर्याप्त संख्या
33. व्हीलचेयर
34. स्कूप स्ट्रेचर
35. छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के निष्फल ड्रेसिंग की पर्याप्त संख्या
36. स्टेरेलाइज्ड बर्न ड्रेसिंग की पर्याप्त संख्या
37. स्टेरेलाइज्ड रूई के पैकेटों की पर्याप्त संख्या
38. एंटीसेप्टिक घोल जैसे सेत्रिमाइड (1%–3%) या पोविडोन आयोडीन (10%) घोल
39. विभिन्न आकारों की चिपकने वाली बैंडेज और टेप का रोल
40. विभिन्न आकारों की इलास्टिक क्रेप बैंडेज और
41. निष्फल आई पैड के पर्याप्त टुकड़े
42. विभिन्न आकारों की रोलर बैंडेज की पर्याप्त संख्या
43. टूर्निकेट
44. डिस्पोजेबल दस्ताने
45. चिमटी
46. पल्स ऑक्सीमीटर
47. उपयुक्त सक्शन यूनिट एवं उपकरण
48. पुनर्जीवन उपकरण जैसे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एवं एम्बू बैग
49. किसी भी अन्य उपकरण जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेष आवश्यकता के अनुसार अनुशंसित किए जाएँ

उपाबंध-7

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (केंद्रीय) नियम, 2026 के अधीन विहित प्ररूपों की सूची-

क्र.सं.	प्ररूप संख्या	विषय
1	प्ररूप-I	विद्यमान स्थापना/नए स्थापना/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में संशोधन के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन
2	प्ररूप-II	स्थापना के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र को रद्द करने के लिए आवेदन
3	प्ररूप-III	स्थापना के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र
4	प्ररूप-IV	स्थापना रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रमाण-पत्र
5	प्ररूप-V	स्थापना रजिस्टर

6	प्ररूप-VI	संचालन के प्रारंभ और समाप्ति की सूचना
7	प्ररूप-VII	खान के लिए प्रारंभ/पुनः खोलने/समाप्ति/बंद करने/त्यागने की सूचना
8	प्ररूप-VIII	स्वास्थ्य जांच (खान कर्मचारियों के सिवाय)
9	प्ररूप-IX	चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट (केवल खान कर्मचारियों के लिए)
10	प्ररूप-X	अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा पुनर्परीक्षा की रिपोर्ट
11	प्ररूप-XI	दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना
12	प्ररूप-XII	कार्य अवधि की सूचना
13	प्ररूप-XIII	कर्मचारी रजिस्टर
14	प्ररूप-XIV	उपस्थिति रजिस्टर-सह-हाजिरी सूची
15	प्ररूप-XV	वेतन, ओवरटाइम और कटौतियों के लिए रजिस्ट्रेशन
16	प्ररूप-XVI	वेतन पर्ची
17	प्ररूप-XVII	वार्षिक प्रतिफल
18	प्ररूप-XVIII	ठेकेदार द्वारा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को अर्धवार्षिक रिटर्न (जनवरी से जून / जुलाई से दिसंबर) प्रस्तुत किया जाना
19	प्ररूप-XIX	दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर
20	प्ररूप-XX	वेतन सहित अवकाश के लिए रजिस्ट्रेशन
21	प्ररूप-XXI	लाइसेंस के लिए आवेदन/लाइसेंस का नवीनीकरण/लाइसेंस में संशोधन (सामान्य/एकल लाइसेंस सहित)
22	प्ररूप-XXII	लाइसेंस का प्रोफार्मा
23	प्ररूप-XXIII	संविदा श्रमिक का अनुभव प्रमाण पत्र
24	प्ररूप-XXIV	निर्माता और ऑडियो-विजुअल कार्यकर्ता के बीच समझौता
25	प्ररूप-XXV	सुधार सूचना
26	प्ररूप-XXVI	अपराध के समझौते के लिए आवेदन
27	प्ररूप-XXVII	संहिता की धाराओं के अधीन पहली बार किए गए अपराध के लिए नियोक्ता को नोटिस, धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के समझौते हेतु।

प्ररूप-I

(नियम 3(1) देखें)

विद्यमान स्थापन/नए स्थापन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में संशोधन के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन

क. स्थापन के ब्यौरे:

1. एल आई एन द्वारा स्थापन के ब्यौरे प्राप्त करें:
2. स्थापन का नाम:
3. स्थापन का स्थान और पता:
3क. पीएनएन :
4. स्थापन से संबंधित अन्य ब्यौरे:

क. स्थापन में सीधे नियोजित कुल कर्मचारियों की संख्या:

ख. नियोजित संविदा कर्मचारियों की कुल संख्या:

ग. नियोजित अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या:

5 (क) कारखानों के लिए:

विनिर्माण प्रक्रिया के ब्यौरे	डाक का पूरा पता और कारखाने की स्थिति	अधिष्ठाता और प्रबंधक का नाम एवं पता	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

5 (ख) खान के लिए:

खनिज का नाम	खान का पट्टा क्षेत्रफल (एकड़ में)	नियोक्ता का नाम एवं पता	औसत मासिक उत्पादन (लक्षित) (टन में)	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4	5

5 (ग) डॉक कार्य के लिए:

डॉक कार्य/मुख्य पत्तन का नाम	डॉक कार्यों के प्रकार	संभाले और भंडारित किए जाने वाले माल (कार्गो) का नाम और मात्रा सहित	संभालने और भंडारित किए जाने वाले रसायनों का नाम और मात्रा सहित	संभाले एवं भंडारित किए जाने वाले परिसंकटमय रसायनों का नाम और मात्रा सहित
1	2	3	4	5

5 (घ) भवन और अन्य निर्माण कार्य हेतु:

निर्माण कार्य का प्रकार	कार्य प्रारंभ होने की संभावित अवधि	कार्य पूर्ण होने की प्रत्याशंकित अवधि	स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन का ब्यौरे
1	2	3	4

5 (ङ) कोई अन्य स्थापन:

6 स्वामित्व का प्रकार / क्षेत्र:

7 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार क्रियाकलाप:

8 चयनित एन आई सी कोड के ब्यौरे:

9 स्थापन की पहचान — नियोक्ता/प्रतिनिधि के ई-हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर:

ख. नियोक्ता के ब्यौरे:-

1. नियोक्ता/अधिभोगी/नियोक्ता/अभिकर्ता/मुख्य कार्यकारी/पत्तन प्राधिकरण आदि का नाम और पता:
2. पदनाम:
3. नियोक्ता के पिता/पति का नाम:
4. ईमेल पता, टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर:

ग. प्रबंधक / उभिकर्ता के ब्यौरे: -

- 1) स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक/अभिकर्ता या व्यक्ति का पूरा नाम और पता:
- 2) प्रबंधक/अभिकर्ता का पता:
- 3) ईमेल पता, टेलीफोन और मोबाइल नंबर:

घ. ठेकेदार के ब्यौरे: -

ठेकेदार का नाम और पता	ईमेल पता और मोबाइल नंबर ठेकेदार की संख्या	काम का नाम	नियोजित संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या	कार्य प्रारंभ की तारीख/ कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5

ङ. अन्य ब्यौरे:-

नियोक्ता के हस्ताक्षर/ई हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप-II

[नियम 3(10) देखें]

स्थापना के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए आवेदन

1. रजिस्ट्रेशन संख्या:
2. स्थापन का नाम और पता:-
3. नियोक्ता का नाम और पदनाम :-
4. स्थापन से संबंधित पत्र जहां प्रेषित किया जाना है उसका पूरा पता :-
5. स्थापन के कार्य की प्रकृति :-

मैं/हम इस माध्यम से सूचित करते हैं कि स्थापन, जिसका पंजीकरण संख्या दिनांक है, को दिनांक से बंद कर दिया गया है।

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या _____ दिनांक _____ वाले स्थापन में कार्यरत कर्मकारों के सभी संदेयों का भुगतान कर दिया गया है।

मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि पंजीकरण संख्या _____ दिनांक _____ वाला प्रतिष्ठान खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है। [जो लागू न हो उसे हटा दें]

स्थान:

दिनांक:

नियोक्ता के हस्ताक्षर / ई-हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर

सेवा में,

पंजीकरण अधिकारी
निरीक्षक-सह-सुकारक

प्रपत्र-III

(नियम 3(2) देखें)

स्थापन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रेशन संख्या :

तारीख :

यह प्रमाण-पत्र उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 3(2) के अधीन
..... (स्थापन का नाम) को निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ प्रदान किया जाता है।

1. स्थापन में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति (कृपया सही विकल्प पर टिक करें):

(क) कारखाना

(ख) खनन

(ग) डॉक कार्य

(घ) संविदा कार्य

(ङ) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य

(च) कोई अन्य कार्य उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।

2. स्थापन का ब्यौरे:

क. स्थापन में सीधे नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या:

ख. ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या:

ग. ठेकेदारों की कुल संख्या और उनका ब्यौरे:

घ. नियोजित अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की संख्या:

3 (क) कारखानों के लिए

निर्माण प्रक्रिया का ब्यौरे	पूर्ण डाक पता और कारखाने की स्थिति	अधिष्ठाता और प्रबंधक का नाम और पता	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

3 (ख) खान के लिए

खनिज का नाम	खान का पट्टा क्षेत्रफल (एकड़ में)	नियोक्ता का नाम और पता	औसत मासिक उत्पादन, लक्षित (टन में)	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4	5

3 (ग) डॉक कार्य के लिए

डॉक कार्य/प्रमुख पत्तन का नाम	डॉक कार्यों के प्रकार	संभाले एवं भंडारित किए जाने वाले माल (कार्गो) का नाम और मात्रा सहित	संभाले एवं भंडारित किए जाने वाले रसायनों का नाम और मात्रा सहित	संभाले एवं भंडारित किए जाने वाले परिसंकटमय रसायनों का नाम और मात्रा सहित
1	2	3	4	5

3 (घ) भवन और अन्य निर्माण कार्य हेतु:

निर्माण कार्य का प्रकार	कार्य प्रारंभ होने की संभावित अवधि	कार्य पूर्ण होने की प्रत्याशंकित अवधि	स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन का ब्यौरे
1	2	3	4

4. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की टिप्पणियाँ:

स्थान:

तारीख :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर / ई-हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी), पदनाम सहित

रजिस्ट्रेशन की शर्तें

(1) नियम 3 के अधीन जारी प्रत्येक रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा, अर्थात्—

(क) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र अनंतरणीय होगा;

(ख) किसी स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की संख्या, प्रत्यक्ष रूप से हों या संविदा के माध्यम से, किसी दिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अनधिक होगी; तथा

(ग) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी।

(2) नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या या कार्य-स्थितियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 30 दिन के भीतर देगा।

(3) नियोक्ता, किसी भी कार्य के प्रारंभ या पूर्ण होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुकारक को, जहाँ प्रस्तावित स्थापना स्थित है या कार्य निष्पादित किया जा रहा है, ऐसे कार्य के वास्तविक प्रारंभ या पूर्ण होने की तारीख की सूचना, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-4 में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा।

(4) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की एक प्रति उस स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी, जहाँ कार्य किया जा रहा है।

प्ररूप-IV

(नियम 3(11) देखें)

स्थापना के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण का प्रमाण-पत्र

संख्या:

तारीख :

रजिस्ट्रेशन संख्या _____ तारीख _____ के (स्थापन का नाम), जो कि कारखाना/खान/डॉक कार्य/संविदा कार्य/भवन या अन्य निर्माण कार्य/अन्य कोई कार्य (स्थापन में संचालित कार्य) है, का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (5) के अधीन तारीख _____ से निरस्त किया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर / ई-हस्ताक्षर/
डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी), पदनाम सहित

स्थान:

तारीख :

प्ररूप-V
(नियम 3(9) देखें)
स्थापना रजिस्टर

क्रम संख्या	कार्य की प्रकृति	रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा तारीख	रजिस्ट्रीकरण स्थापन का नाम, पता और स्थान	नियोक्ता का नाम, पता और संपर्क व्यौरे	कुल श्रमिकों की संख्या तथा कुल हॉर्सपावर (यदि कोई हो)	कुल संविदा श्रमिकों की संख्या	टिप्पणियाँ
1	2	2	3	4	5	6	
	(क) कारखाने (ख) खान (ग) डॉक कार्य (घ) भवन और अन्य निर्माण कार्य (ङ) संविदा कार्य (च) अंतर-राज्य प्रवासी कार्य (छ) कोई अन्य कार्य (उपरोक्त में सम्मिलित नहीं)						

प्ररूप-VI

[नियम 4(1) देखें]

कार्य प्रारंभ / समाप्ति की सूचना

1. रजिस्ट्रेशन संख्या:
2. स्थापन का नाम और पता:
3. नियोक्ता का नाम एवं पद:
4. वह पूर्ण पता जहाँ स्थापन से संबंधित पत्राचार भेजा जाए:
5. स्थापन के कार्य का प्रकार:

क. कार्य प्रारंभ / समाप्ति की सूचना

मैं/हम इसके द्वारा सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या _____ दिनांक _____ वाले स्थापन का संचालन दिनांक _____ से प्रारंभ हो गया है और संचालन की अनुमानित अवधि _____ वर्ष _____ माह है।

अथवा

मैं/हम इसके द्वारा सूचित करते हैं कि पंजीकरण संख्या _____ दिनांक _____ वाले स्थापन का संचालन दिनांक _____ से बंद कर दिया गया है। [जो लागू न हो उसे काट दें]

ख. संचालन बंद होने की स्थिति में नियोक्ता का प्रमाण पत्र

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या _____ दिनांक _____ वाले स्थापन में कार्यरत कर्मकारों के सभी संदेयों का भुगतान कर दिया गया है।

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या _____ दिनांक _____ वाला स्थापन खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है। [जो लागू न हो उसे हटा दें]

नियोक्ता के हस्ताक्षर

सेवा में ,

रजिस्ट्रेशन अधिकारी

निरीक्षक-सह-सुकारक

प्ररूप-VII (खान हेतु)

(नियम 4(2) देखें)

(प्रारंभ/पुनः खोलने/समाप्ति/बंद करने/परित्याग की सूचना)

I. प्रारंभ की सूचना की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

नियोक्ता/अभिकर्ता/प्रबंधक का विशिष्टियां:

1. श्रम पहचान संख्या (एलआईएन), यदि कोई हो
2. खान कोड, यदि कोई हो

3. नियोक्ता, अभिकर्ता, प्रबंधक का ब्यौरे					
क्र. सं.	विशिष्टियां	नियोक्ता	नामनिर्दिष्ट नियोक्ता	अभिकर्ता	प्रबंधक
i.	नाम				
ii.	पिता का नाम				
iii.	पता गांव/क्षेत्र/सड़क- डाकघर- पुलिस स्टेशन- उप-मंडल (तालुक)/तहसील- रेलवे स्टेशन (निकटतम)- राज्य- पिन-				
iv.	मोबाइल नंबर				
v.	दूरभाष संख्या (एसटीडी कोड के साथ लैंडलाइन)				
vi.	फैक्स संख्या				
vii.	ईमेल आईडी				

4. जिस तारीख को खान खोलने का आशय है (दिन/माह/वर्ष)
5. संलग्न विनियमों के अधीन अपेक्षा अनुसार संलग्न की जाने वाली योजनाएं: हां? नहीं;
5.1 यदि हाँ, तो तारीख के साथ योजना संख्या निर्दिष्ट करें:
6. सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) संलग्न-हां/नहीं;
6.1 यदि हाँ, तो तारीख के साथ संदर्भ संख्या निर्दिष्ट करें:
7. खुलने की वास्तविक तारीख (दिन/माह/वर्ष)

II. खान को पुनः खोलने की स्थिति में: निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

1. खान को पुनः खोलने की प्रस्तावित तारीख (दिन/माह/वर्ष)
2. विनियमों के अधीन योजना है: हाँ/नहीं;
2.1 यदि हाँ, तो योजना संख्या और तारीख निर्दिष्ट करें:
3. सुरक्षा प्रबंधन योजना संलग्न है: हाँ/नहीं
3.1 यदि हाँ, तो संदर्भ संख्या और तारीख निर्दिष्ट करें:

4. पुनः खुलने की वास्तविक तारीख (दिन/माह/वर्ष)

III. कार्य समाप्ति/परित्याग की स्थिति में: निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

1. खान को बंद करने/परित्याग करने की प्रस्तावित तारीख (दिन/माह/वर्ष)
2. बंद होने/परित्याग की वास्तविक तारीख (दिन/माह/वर्ष)
3. प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या
4. बंद करने/परित्याग करने के कारण *

IV. कार्य बंद होने की स्थिति में: निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

1. खान के कार्य को बंद करने की प्रस्तावित तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई)
2. कार्य बंद होने की वास्तविक तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई)
3. प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या
4. कार्य बंद होने के कारण
5. विनियम के अधीन अपेक्षित अद्यतन योजनाएं संलग्न हैं: - हाँ/नहीं
5.1 यदि हाँ, तो योजना संदर्भ संख्या (संख्याएं) निर्दिष्ट करें:

V. खान को बंद करने की स्थिति में: निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

1. खान बंद करने की योजना:
2. संविधि के अनुसार किए जाने वाले सुरक्षात्मक कार्यों के ब्यौरे

[जो लागू न हो उसे हटा दें]

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

खानों के बंद/परित्याग/संचालन समाप्ति की स्थिति में:

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि स्थापन में कार्यरत कर्मकारों के सभी संदेशों का भुगतान कर दिया गया है तथा परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

भवदीय,

हस्ताक्षर:

पदनाम: नियोक्ता/अभिकर्ता/प्रबंधक

दिनांक:

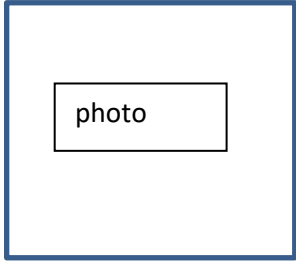
सेवा में,
रजिस्ट्रेशन अधिकारी
निरीक्षक-सह-सुविधादाता

निर्देश

*जो लागू न हो उसे हटा दें।

प्ररूप-VIII

(नियम-5(2) देखें)
स्वास्थ्य परीक्षण
(खान कर्मचारियों के सिवाय)



photo

भाग-क (क्रम संख्या 1-11): कर्मचारी द्वारा भरा जाना है:

1. कर्मचारी का नाम..... 2. लिंग 3. आयु (जन्म तारीख के साथ).....
4. कंपनी 5. पदनाम 5क. यूएएन :..... 5(ख) आधार संख्या (सहमति प्राप्त करने के पश्चात्)
6. प्रभारी नियोक्ता/कार्यकारी संपर्क.....
7. पूरा व्यक्तिगत/संयंत्र का पता
8. मोबाइल/फोन 9. ईमेल.....
10. बीमारी (वर्तमान) उपचार और दवा, यदि कोई हो.....

11. रोजगार की प्रकृति (अधिक ब्यौरे प्रस्तुत करें, यदि परिसंकटमय और कार्य से संबंधित हैं जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक, श्रम-दक्षता आदि)

तारीख: कर्मचारी के हस्ताक्षर -----

भाग-ख:

12. चिकित्सा परीक्षण और रिपोर्ट उपाबंध के रूप में संलग्न की जाएगी। नीचे दिए गए परीक्षणों की चिकित्सा अधिकारी की व्याख्या/राय (संलग्न परीक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में केवल असामान्य होने पर इंगित करने के लिए:-

- क. ऊंचाई (सेमी. में)
- ख. वजन (किलोग्राम में)
- ग. सीने की माप:
- (i) सांस अंदर लेते समय सेमी

(ii) सांस बाहर छोड़ते समय सेमी

(घ) कमर की गोलाई

(ङ) बाँड़ी मास इंडेक्स:

(च) दृष्टि (आँखों के डॉक्टर द्वारा जांच):

i. दृष्टि की तीक्ष्णता - दाईं और बाईं दोनों आँखें

ii. रंगों की पहचान

(छ) रक्तचाप

(ज) संपूर्ण रक्त गणना (सीबीसी): (एचबी, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट्स)

(झ) खाली पेट रक्त शर्करा

(ञ) भोजन के पश्चात् रक्त शर्करा

(ट) एसपीओ₂

(ठ) रक्त यूरिया

(ड) एस. क्रिएटिन

(ढ) एस. बिलिरुबिन (कुल + प्रत्यक्ष)

(ण) एसजीओटी

(त) एसजीपीटी

(थ) लिपिड प्रोफाइल (एस. कोलेस्ट्रॉल / ट्राइग्लिसराइड / एस.एचडीएल)

(द) एस. टीएसएच

(ध) छाती का एक्स-रे (पीए दृश्य)

(न) ईसीजी

(प) अन्य, यदि कोई हो

13. अंतिम निदान / राय / उपचार यदि कोई हो, अर्हक चिकित्सक द्वारा सलाह

14. क्या व्यक्ति को दौरे से संबंधित विकार हैं या ऊंचाई पर काम करने में कठिनाइयां हैं? यदि हाँ, तो वर्जित कार्यों को विनिर्दिष्ट करें: हाँ/नहीं/एनए (लागू नहीं होता)

अर्हक चिकित्सक के हस्ताक्षर मोहर

तारीख

प्ररूप -IX**(केवल खान कर्मचारियों के लिए)****[नियम 109, नियम 113(1), नियम 119(1) और नियम 142 देखें]****चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट****(तीन प्रतियों में जारी की जानी है)**

प्रमाण पत्र संख्या.....

प्रमाणित किया जाता है कि खान में के रूप में कार्यरत श्री/श्रीमती/सुश्री..... की, प्ररूप _____ रजिस्टर की क्रम संख्या..... (पीएमई के मामले में) के लिए किसी प्रारंभिक/आवधिक चिकित्सा परीक्षा के लिए परीक्षा की गई है। कर्मचारी उम्र वर्ष प्रतीत होती है। परीक्षा प्राधिकारी के निष्कर्ष संलग्न पत्र में दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

(क) खानों में किसी रोजगार के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य है।

(ख) से पीड़ित है और

(i) खान में किसी रोजगार के लिए; या

(ii) भूमिगत किसी रोजगार के लिए; या

(iii) किसी रोजगार या कार्य के लिए..... चिकित्सकीय रूप से अयोग्य है।

(ग) कर्मचारी से पीड़ित है और इस बीमारी/ दिव्यांगता को ठीक/नियंत्रित करवाया जाना चाहिए और महीनों की अवधि के भीतर पुनः परीक्षण कराया जाना चाहिए। कर्मचारी के परीक्षण के परिणाम और विशेषज्ञ की राय के साथ पुनः परीक्षा में उपस्थित होगा/होगी। इस अवधि के दौरान कर्मचारी को अपने दायित्वों को निभाने की अनुमति दी जा सकती है/ नहीं दी जा सकती है।

अभ्यर्थी का पासपोर्ट**आकार का फोटो****चिपकाने के लिए स्थान।**

स्थान :

परीक्षा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

परीक्षा करने वाली प्राधिकारी की रिपोर्ट

(प्रत्येक चिकित्सा परीक्षण के लिए भरना आवश्यक है, चाहे वह प्रारंभिक हो, आवधिक हो या पुनः परीक्षण हो या दिव्यांगता के ठीक/नियंत्रण होने के पश्चात् हो)

तारीख..... के चिकित्सकीय परीक्षण के परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र संख्या का उपाबंध,

पहचान चिन्ह

अभ्यर्थी की बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर

1. सामान्य विकास- अच्छा/ठीक/खराब
2. ऊँचाई से.मी.
3. वजन कि.ग्रा
4. आँखें:
- (i) दृश्य तीक्ष्णता- दूर की दृष्टि (चश्मे के साथ या बिना): दायीं आँख.....बाईं आँख.....
- (ii) आँखों की कोई भी जैविक बीमारी
- (iii) रतौंधी
- (iv) वर्णांधता (आईएमई में परीक्षण किया जाएगा)
- (v) भेंगापन
5. कान :

श्रवण: दायीं कान बायाँ कान

कोई भी जैविक बीमारी।

श्रवण परीक्षण निष्कर्ष:

कण्डक्शन प्रकार	बायाँ कान	दायाँ कान
कान का कण्डक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य
हड्डी का कण्डक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य

संलग्न श्रवण परीक्षण रिपोर्ट

6. श्वसन तंत्र

परिश्रवण संबंधी निष्कर्ष:

छाती का माप:

- (i) पूर्ण श्वास लेने के पश्चात से.मी.
- (ii) पूर्ण श्वास छोड़ने के पश्चात से.मी.

फेफड़ों के कार्य परीक्षण (स्पाइरोमेट्री) का परिणाम

पैरामीटर/मानक	अनुमानित मान	प्राप्त मान	अनुमानित का प्रतिशत
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी (एफई वी)			
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी 1 एफईवी 1			
एफईवी 1/एफवीसी			
पीक एक्सपायरेटरी फ्लो			

स्पाइरोमेट्री रिपोर्ट संलग्न करें

7. परिसंचरण तंत्र :

रक्तचाप

नाड़ी

हृदय संबंधी मूल्यांकन

परिश्रवण	एस1	
	एस2	
	अतिरिक्त ध्वनि	
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ (12 लीड) के निष्कर्ष:		सामान्य / असामान्य
इकोकार्डियोग्राफी के निष्कर्ष (आईएमई में परीक्षण हेतु)		सामान्य / असामान्य

ईसीजी संलग्न करें

इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट संलग्न करें

8. पेट :

टेनडरनेस (कोमलता)

यकृत

प्लीहा

ठ्यूमर

संपूर्ण पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी (आईएमई में परीक्षण हेतु)

(अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट संलग्न करें)

9. तंत्रिका तंत्र :

दौरे या मिर्गी का इतिहास

लकवा

मानसिक स्वास्थ्य

तंत्रिका संबंधी विकार का निर्धारण असेसमेंट

निष्कर्ष	सामान्य / असामान्य
सतही रेफ्लेएक्सेस	
गहरा रेफ्लेएक्सेस	
परीधीय सर्कुलेशन	
बाइब्रेशनल सिंड्रोम्स	

मैंगनीज एक्सपोजर के लिए विशेष परीक्षण

व्यवहार संबंधी विकार		उपस्थित / अनुपस्थित
	स्पीच डेफेक्ट	उपस्थित / अनुपस्थित
तंत्रिका संबंधी गडबड़	ट्रेमर	उपस्थित / अनुपस्थित
	एडियाडोकोकिनीसिया	उपस्थित / अनुपस्थित
	इमोशनल चेंजेस	उपस्थित / अनुपस्थित

10. लोकोमोटर्स (चलन तंत्र)

11. त्वचा

12. हाइड्रोसील

13. हर्निया

14. दांत

15. स्पीच

16. पैथोलॉजिकल विकृतिजन्य अन्वेषण

क्र.सं.	परीक्षण	निष्कर्ष
1	रक्त – टीसी, डीसी, एचबी, ईएसआर, प्लेटलेट्स	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
2	रक्त शर्करा – उपवास और भोजन के बाद	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
3	एचबीए1सी (आईएमई में टेस्ट और पीएमई में मधुमेह व्यक्ति के लिए)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
4	लिपिड प्रोफाइल	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
5	ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
6	यूरिन (रिएक्शन, एल्बुमिन, शुगर)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
7	बलगम रूटीन	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
8	स्पटम टेस्ट फॉर एएफबी (भोजन हैंडल करने वाले कर्मचारी के लिए)	
9.	हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस सिकल सेल डिजीज/ट्रेट के लिए, (आईएमई में परीक्षण हेतु)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
10.	बिलिरुबिन	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
11.	एसजीओटी	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
12.	एसजीपीटी	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
13.	डेल्टा एमीनोलेबुलिनिक एसिड यूरिन में (लेड इक्स्पोज़्ड व्यक्ति के लिए)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य

सभी जांच रिपोर्ट संलग्न करें

17. स्कायाग्राम ऑफ चेस्ट

आईएलओ क्लासीफिकेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ:

प्रोफ्यूजन ऑफ न्यूमोकोनिओटिक ओपैसिटीज़	ग्रेड्स/श्रेणी	प्रकार
उपस्थित/अनुपस्थित		

चेस्ट रेडियोग्राफ संलग्न करें

18. कोई अन्य असामान्यता।

19. परीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कोई अन्य परीक्षण।

20. विशेषज्ञ की कोई आवश्यक समझी गयी राय।

स्थान:

तथा मुहर

परीक्षा करने वाले प्राधिकारी का तारीख सहित हस्ताक्षर और नाम

खानों में नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय स्वस्थता का मानक (प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा)

1. व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिनकी खानों में दक्षतापूर्ण नियोजन में बाधा पहुंचाने की संभावना हो।
2. बोलने में कोई गंभीर बाधा नहीं होनी चाहिए।
3. दाँत अच्छी स्थिति में होने चाहिए और जहाँ आवश्यक हो प्रभावी चबर्ण के लिए कृत्रिम दंतावली प्रदान की जानी चाहिए (अच्छी तरह से भरे हुए दाँत को स्वस्थ माना जाएगा)। मसूड़े स्वस्थ स्थिति में होने चाहिए।
4. त्वचा: - गहन और दीर्घकालिक त्वचा रोग या अल्सर का भी कोई साक्ष्य नहीं होना चाहिए। किसी अप्रभावी प्रकार की त्वचा रोग होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को उपचार के पश्चात स्वस्थ माना जा सकता है।
5. प्रत्येक कान में सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और कान में किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई संकेत नहीं होना चाहिए। श्रवण परीक्षण सामान्य होना चाहिए और प्रत्येक कान में बहरापन नहीं होना चाहिए।
6. चश्मे के साथ या बिना चश्मे की, दूर की दृष्टि निम्नलिखित मानक से कम नहीं होनी चाहिए:

क) भूमिगत कर्मचारों के लिए

बेहतर दृष्टि 6/6

खराब दृष्टि 6/9

ख) सतही/ओपनकास्ट कर्मचारों के लिए

बेहतर दृष्टि 6/9

खराब दृष्टि 6/12

ग) आँख के भीतर लेंस प्रत्यारोपण: यदि किसी व्यक्ति ने आँख के भीतर लेंस प्रत्यारोपण किया है और आँख के भीतर लेंस के साथ दृष्टि की गतिविधियाँ निर्धारित मानकों के अनुसार हैं, तो संबंधित व्यक्ति को योग्य माना जा सकेगा।

घ) फंडस परीक्षा: मायोपिया -2 डायोप्टर या उससे अधिक में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम अभिलिखित किए जाने चाहिए। यदि किसी विकृतिजन्य स्थिति का पता चलता है, जिसकी आगे बढ़ने की और अभ्यर्थी की कार्यक्षमता प्रभावित होने की संभावना है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

ङ) वर्ण दृश्यता : - वर्ण दृश्यता का परीक्षण अनिवार्य है और परिणाम सामान्य होने चाहिए। वर्ण दृश्यता के परीक्षण के लिए इशियारा प्लेटों का उपयोग किया जाएगा।

च) भूमिगत कार्य में नियोजित लोगों और उन लोगों के लिए जो खुले खान में सुबह की शिफ्ट के अलावा अन्य शिफ्टों में काम करते हैं, रतोंधी नहीं होना चाहिए।

छ) किसी जैविक रोग या आगे बढ़ने वाले अपवर्तक दोष जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि तीव्रता कम होने की संभावना हो, उसे निरर्हता माना जाना चाहिए।

ज) स्क्रिन्ट (भेंगापन):- दोनों आँखों से देखने की क्षमता होना आवश्यक है, दृष्टि क्षमता निर्धारित मानक के अनुसार हो भी तो भी /स्क्रिन्ट को भेंगापन निरर्हता माना जाना चाहिए।

झ) एक आंख वाला व्यक्ति – द्विवेती दृष्टि का होना आवश्यक है, केवल एक कार्यशील आंख को निरर्हता माना जाना चाहिए।

ञ) निस्टैग्मस नहीं होना चाहिए।

7. श्वसन तंत्र: छाती का आकार अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए श्वसन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी दीर्घकालिक स्वरयंत्र, ब्रोंकियल या फेफड़े की बीमारी से मुक्त होना चाहिए। यदि फेफड़ों में क्षयरोग सक्रिय नहीं है, तो यह निरर्हता नहीं होनी चाहिए।

क) एक पूर्ण आकार की पोस्टेरो-एंटेरियर छाती की रेडियोग्राफ़ (11 इंच X 14 इंच से कम नहीं) जिसमें थोरासिक इनलेट और दोनों कॉस्टोफ्रेनिक कोण सम्मिलित हों, कम से कम 300 मिली-एम्पियर शक्ति वाली एक्स-रे मशीन (एनालॉग/डिजिटल) द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए ऐसे जिसे प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी इसे ऐसे मेडिकल ऑफिसर द्वारा आईएलओ अंतरराष्ट्रीय रेडियोग्राफ़ क्लासीफिकेशन ऑफ न्यूमोकोनियोसिस के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, जो इस आईएलओ वर्गीकरण में प्रशिक्षित हों। एक्स-रे को एलईएडी व्यू बॉक्स में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें कम से कम चार छाती के रेडियोग्राफ़ (14 इंच X 17 इंच आकार के) रखे जा सकते हों।

ख) फोर्स वाइटल कैपेसिटी (एफवीसी) और फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकंड (एफईवी1) फेफड़ों के कार्य परीक्षण (स्पाइरो मेट्रो) अभिलेखित करने के लिए किया जाएगा। स्पाइरोमेट्री के निष्कर्ष सामान्य सीमा में होने चाहिए।

8. परिसंचरण तंत्र: - ऐसा कोई साक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हृदय या रक्त वाहिकाओं की कोई ऐसी बीमारी है, जो उसकी खान में दक्षतापूर्ण नियोजन में बाधा डाल सकती है। रक्तचाप 130/80 एमएम Hg से अधिक नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों का विस्तृत हृदय और रक्तवाहिका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें 12-लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी और पूर्ण लिपिड प्रोफाइल शामिल होना चाहिए।

9. लोकोमोटर (चलन तंत्र) : हाथ-पैर, अंगुलियां और पैर की उंगलियां अच्छी तरह से विकसित और सही आकार की होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की विकृति के बिना होने चाहिए। कोई ऐसा विकार और सभी अंगों का कार्य सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए।

10. किसी भी पेट के अंगों की बीमारी के कोई साक्ष्य नहीं होने चाहिए, जो खान में अपने कर्तव्य के दक्षतापूर्ण उनमोचन की क्षमता को प्रभावित कर सकती हों। अल्ट्रासोनोग्राफी (पूरा पेट) की रिपोर्ट सामान्य होनी चाहिए।

11. यदि उम्मीदवार को हर्निया है, तो उसे सफलतापूर्वक ऑपरेशन कराने के बाद योग्य घोषित किया जा सकेगा।

12. हाइड्रोसील होने पर यह इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों में बाधा डाले। यदि यह काफी बड़ा है तो सफलतापूर्वक ऑपरेशन कराने के बाद उसे योग्य घोषित किया जा सकेगा।

13. तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। मिर्गी या किसी अन्य प्रकार की जैविक या दौरे की पुरानी बीमारी की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को खान में रोजगार के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख सतही और गहरे रिफ्लेक्सेस के परीक्षण सहित विस्तृत न्यूरोलॉजिकल परीक्षाएं की जानी चाहिए।

14. उपवास, भोजन के बाद रक्त शर्करा और ग्लाइसिलेटेड एचबी स्तर (एचबीए1सी) की जाँच की जाएगी। मधुमेह मेलिटस के कारण लक्षित अंगों को नुकसान पहुँचाने की संभावना होती है, इसलिए इसे किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण आवश्यक है। ग्लाइसिलेटेड एचबी स्तर (एचबीए1सी) 6.0 से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल ऐसे मामलों में ही अच्छी तरह से नियंत्रित मधुमेह मेलिटस वाले और जिनमें कोई जुड़ी हुई जटिलताएँ न हों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।

15. सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन सामान्य सीमा के भीतर होंगे।

16. बिलिरुबिन, एसजीओटी और एसजीपीटी सामान्य सीमा के भीतर होंगे।

17. रूटीन स्टूल सामान्य सीमा के भीतर होगा।

18. चिकित्सकीय जांच में यूरिन की जांच शामिल होनी चाहिए। यूरिन में केवल एल्बुमिन और शर्करा की उपस्थिति, बिना किसी स्पष्ट जैविक रोग के जिसके लक्षण और संकेत उत्पन्न हों, दिव्यंगता नहीं होनी चाहिए।

19. मरीज में सिकल सेल रोग/लक्षण नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस परीक्षण किया जाना चाहिए।

नियोजित कर्मचारियों के लिए स्वस्थता के चिकित्सीय मानक (आवधिक चिकित्सा परीक्षा)

1. व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसे किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो खान में उसके दक्षतापूर्ण नियोजन में बाधा डाल सकता हो।
2. बोलने में कोई गंभीर बाधा नहीं होनी चाहिए।
3. दांत अच्छी स्थिति में होने चाहिए और जहां आवश्यक हो तो प्रभावी चूर्ण के लिए उन्हें कृत्रिम दांतवली प्रदान की जाए (भरे हुए दांतों को सही माना जाएगा)। मसूड़े स्वस्थ स्थिति में होने चाहिए।
4. लोकोमोटर (चलन तंत्र): अंगों का अच्छी तरह से विकसित और क्रमशः निर्मित होना चाहिए, और सभी अंगों का कार्य सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की विकृति को अभिलेखित किया जाना चाहिए। कोई ऐसी भी विकृति या लकवा नहीं होना चाहिए जो खान में उसके दक्षतापूर्ण नियोजन में बाधा डाल सके।
5. त्वचा: - किसी गहन और दीर्घकालिक त्वचा रोग या अल्सरेशन के साक्ष्य नहीं होने चाहिए। किसी अप्रभावी प्रकार के त्वचा रोग की स्थिति में, अभ्यर्थी को उपचार के बाद योग्य माना जा सकेगा। सभी उपजीविकाजन्य त्वचा रोगों को नोट किया जाना चाहिए।

दृष्टि :

6 (क) चश्मे के साथ या बिना दृष्टि निम्नलिखित मानक से कम नहीं होनी चाहिए:

i. बेहतर दृष्टि	6/9
ii. खराब दृष्टि	6/12

(ख) भूमिगत कार्य में लगे लोगों और उन लोगों के लिए जो खुले खान में सुबह की शिफ्ट के अलावा अन्य शिफ्टों में काम करते हैं, रात्रि अंधापन नहीं होना चाहिए।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिसकी केवल एक आंख सामान्य रूप से काम करती हो, उसे भूमिगत काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सतह पर रोजगार के लिए ऐसे व्यक्ति की दूसरी आंख की दृष्टि चश्मा पहनने के साथ या बिना 6/9 होनी चाहिए।

7. सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, किसी भी प्रगतिशील बीमारी जो सुनने को प्रभावित करती हो या कोई उपजीविकाजन्य बहरापन हो, उसे अभिलेखित किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में श्रवण परीक्षा की जानी चाहिए।

8. श्वसन तंत्र: श्वसन तंत्र सामान्य और किसी भी जीवित लैरिजियल, ब्रॉन्कियल या फेफड़े की पुरानी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। अगर फेफड़ों का क्षय रोग सक्रिय नहीं है तो यह निरर्हता का कारण नहीं होना चाहिए।

क) पूरा आकार वाला पोस्टेरो-एंटरियर छाती का रेडियोग्राफ (14 इंच x 11 इंच से कम नहीं) जो थोरासिक इनलेट और दोनों कॉस्टोफ्रेनिक कोणों को शामिल करने के लिए पर्याप्त हो, कम से कम 300 mA मिली-एम्पीयर शक्ति वाले एक्स-रे मशीन (एनालॉग/डिजिटल) द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसे ऐसे रेडियोलॉजिस्ट / चिकित्सा अधिकारी द्वारा आईएलओ अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार न्यूमोकोनियोसिस के रेडियोग्राफ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसे इस आईएलओ वर्गीकरण में प्रशिक्षित किया गया हो।

ख) फोर्ड वाइटल कैपेसिटी (एफवीसी) और एक सेकंड में फोर्ड एक्सपाइरेटरी वॉल्यूम (एफईवी1) अभिलेखित करने के लिए फेफड़ों की कार्य क्षमता की जाँच (स्पिरोमेट्री) की जाएगी। स्पिरोमेट्री के परिणाम सामान्य सीमा के भीतर होने चाहिए।

9. परिसंचरण तंत्र – किसी भी हृदय या रक्त वाहिका रोग के कोई साक्ष्य नहीं होने चाहिए जो उसके खान में दक्षता पूर्ण नियोजन में बाधा डाल सकते हैं। कर्मचारियों का विस्तृत हृदय संबंधी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें 12 लीड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और पूर्ण लिपिड प्रोफाइल शामिल होनी चाहिए। रक्तचाप 140/90 एएमएम Hg से अधिक नहीं होना चाहिए।
10. ऐसे किसी भी रोग के लक्षण नहीं होने चाहिए जो पेट के अंगों से संबंधित हों और जो खान में उसके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन को प्रभावित कर सकें।
11. तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। मिर्गी का इतिहास रखने वाले या किसी अन्य प्रकार की जैविक या ऐतिहासिक चक्करों वाले व्यक्तियों को योग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख सतही और गहरे रिफ्लेक्स का परीक्षण सहित विस्तृत तंत्रिकातंत्र संबंधी परीक्षाएं की जानी चाहिए।
12. मैंगनीज के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में, बुनियादी तंत्रिकातंत्र संबंधी परीक्षा के अलावा, व्यवहार और तंत्रिकातंत्र संबंधी विकारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बोलने में बाधा, कंपन, संतुलन में कमी, अदियाडोकोकिनेसिया और भावनात्मक परिवर्तन।
13. लीड के संपर्क में आने वाले व्यक्ति; पीएमई में मूत्र में डेल्टा अमिनोलेवुलिनिक एसिड शामिल होना चाहिए।
14. भोजन हैंडलिंग और तैयारी करने तथा स्टेमिंग सामग्री को संभालने वाली गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को एसिड फास्ट बैसिलि (एएफबी) के लिए नियमित थूक परीक्षण कराना चाहिए।
15. उपवास और भोजन के बाद रक्त शर्करा का परीक्षण किया जाएगा। मधुमेह को नियंत्रित किया जाएगा। लक्षित अंग मधुमेह से प्रभावित नहीं होने चाहिए।
16. सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन सामान्य सीमा के भीतर होने चाहिए।
17. बिलिरुबिन, एसजीओटी और एसपीजीटी सामान्य सीमा के भीतर होने चाहिए।
18. रूटीन स्टूल सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए।
19. यदि उम्मीदवार को हर्निया है तो उसे उसी के सफल ऑपरेशन के बाद योग्य घोषित किया जा सकेगा।
20. यदि हाइड्रोसील मौजूद हो, तो यह इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अभ्यर्थी की सामान्य गतिविधियों में बाधा पैदा करे। ऐसे मामलों में, सफल ऑपरेशन के बाद उसे योग्य घोषित किया जा सकेगा।

चिकित्सीय परीक्षा में और अन्य तंत्रों की बीमारी के साक्ष्य के लिए परीक्षा सम्मिलित होनी चाहिए। केवल यूरिन में एल्बुमिन और शर्करा की उपस्थिति, लक्षण और संकेत उत्पन्न करने वाले किसी गंभीर जैविक रोग के बिना, दिव्यांगता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

प्ररूप-X

[नियम 119(2) देखें]

अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा पुनः परीक्षा की रिपोर्ट

(तीन प्रतियों में जारी किया जाना है)

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी (नियोजन की प्रकृति.....,.....खान के प्ररूप ... रजिस्टर के क्रम संख्या (पीएमई के मामले में) खान की परीक्षा की है, जिसे:

1. खदान में किसी भी रोजगार के लिए।
2. भूमिगत किसी भी रोजगार के लिए।
3. कार्य में किसी भी रोजगार के लिए.....

(विस्तार से उल्लेख करें)

चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था:

नियम 98 के अधीन किए गए चिकित्सा परीक्षण के परिणामस्वरूप।

हमारा प्रमाण- पत्र अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

हमारा मानना है कि –

1. कर्मचारी खान में किसी रोजगार के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य है।
2. कर्मचारी से पीड़ित है और
 - (क) खान में कोई भी नियोजन।
 - (ख) ज़मीन के नीचे (भूमिगत) किसी भी रोजगार के लिए।
 - (ग) किसी विशेष कार्य में रोजगार के लिए.....

(विस्तार से उल्लेख करें)

चिकित्सीय रूप से अयोग्य है:

3. कर्मचारी से पीड़ित है और उसे इस दिव्यंगता/बीमारी का इलाज करवाना चाहिए या इसे नियंत्रित करना चाहिए, और महीनों की अवधि के भीतर उसकी दोबारा परीक्षा की जानी चाहिए। वह महीनों की अवधि के भीतर दोबारा परीक्षा के लिए उपस्थित होगा/होगी। वह के परीक्षण के परिणामों और के विशेषज्ञ की राय के साथ दोबारा परीक्षा के लिए उपस्थित होगा/होगी। इस अवधि के दौरान उसे अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है/नहीं दी जा सकती है। अपीलीय मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के हस्ताक्षर और नाम, साथ में तारीख

1.....(संयोजक)

रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

2.....

जिसे प्रबंधक/एजेंट/मालिक द्वारा सत्यापित किया गया

3.....

अपीलीय चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट

प्रमाण पत्र संख्या का उपाबंध, जो को हुई चिकित्सा परीक्षा का परिणाम है।

पहचान चिह्न :

अभ्यर्थी के बाएँ अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर

1. सामान्य विकास- अच्छा/ठीक-ठाक/कमज़ोर
2. ऊँचाई.....सेमी.
3. वज़न.....किग्रा.
4. आँखें :
 - (i) दृष्टि तीक्ष्णता-दूर की दृष्टि (चश्मे के साथ या बिना चश्मे के): दाहिनी आँख..... बाईं आँख.....
 - (ii) आँखों का कोई शारीरिक रोग
 - (iii) रतौंधी (रात में कम दिखना)
 - (iv) वर्णांधता (रंगों में भेद न कर पाना)
 - (v) भेंगापन
5. कान :
 - (i) सुनने की क्षमता : दाहिना कान.....बायाँ कान
 - (ii) कोई शारीरिक रोग।

यदि आवश्यक हो, तो ऑडियोमेट्री के निष्कर्ष :

कंडक्शन का प्रकार	बायाँ कान	दाहिना कान
कान द्वारा कंडक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य
हड्डी द्वारा कंडक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य

ऑडियोमेट्री रिपोर्ट संलग्न है।

6. श्वसन तंत्र।

ऑस्किलेटरी निष्कर्ष:

छाती की माप :

- (i) पूरी सांस अंदर लेने के बाद सेमी.
- (ii) पूरी सांस बाहर निकालने के बाद.....सेमी.

फेफड़ों की कार्यक्षमता जांच (स्पाइरोमेट्री) का परिणाम (यदि आवश्यक हो)

पैरामीटर्स	अनुमानित मान	प्राप्त मान	अनुमानित का %
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी (एफईवी)			
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी 1 (एफईवी 1)			
एफईवी 1/ एफवीसी			
पीक एक्सपाइरेटरी फ्लो			

स्पाइरोमेट्री रिपोर्ट संलग्न है

7. परिसंचरण तंत्र:

रक्तचाप :-

नाड़ी (पल्स) :-

हृदय संबंधी मूल्यांकन

ऑस्कलेशन	S1	
	S2	
	अतिरिक्त ध्वनि	
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ (12 लीड्स) के निष्कर्ष :		सामान्य/असामान्य
इकोकार्डियोग्राफी के निष्कर्ष (यदि आवश्यक हो)		सामान्य/असामान्य

ईसीजी संलग्न है

इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट संलग्न है

8. पेट :

कोमलता

यकृत

प्लीहा

ठूमर.

9. तंत्रिका तंत्र :

दौरे या मिर्गी का इतिहास.

लकवा

मानसिक स्वास्थ्य.

तंत्रिका संबंधी विकार का निर्धारण

निष्कर्ष	सामान्य/असामान्य
सतही रिफ्लेक्स	
गहरे रिफ्लेक्स	
परिधीय रक्त-संचार	
वाइब्रेशनल सिंड्रोम	

10. लोकामोटर (चलन तंत्र)

11. त्वचा

12. हाइड्रोसील

13. हर्निया

14. कोई अन्य असामान्यता

15. यूरिन :

प्रतिक्रिया:

एल्ब्यूमिन:

शर्करा:

16. पैथोलॉजिकल विकृतिजन्य/अन्वेषण:

क्र. सं. जाँचें	निष्कर्ष	
1	रक्त-टीसी, डीसी, एचबी, ईएसआर, प्लेटलेट्स	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
2	रक्त शर्करा- खाली पेट और भोजन के बाद	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
3	एचबीए1सी (यदि आवश्यक हो)	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
4	लिपिड प्रोफाइल	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
5	रक्त यूरिया, क्रिएटिनिन	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
6	यूरिन की सामान्य जाँच	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
7.	हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस (यदि आवश्यक हो)	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य

सभी जाँच रिपोर्टें संलग्न हैं।

17. छाती का एक्स-रे।

18. छाती के रेडियोग्राफ का आईएलओ वर्गीकरण:

न्यूमोकोनियोटिक अपारदर्शिता की बहुलता	ग्रेड	प्रकार
उपस्थित/अनुपस्थित		

छाती का रेडियोग्राफ संलग्न है

19. कोई अन्य परीक्षण जिसे परीक्षा करने वाली प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा गया हो।

20. किसी विशेषज्ञ की कोई राय जिसे आवश्यक समझा गया हो।

अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों के हस्ताक्षर और नाम (तारीख सहित)

1.....(संयोजक)

2.....

3.....

प्ररूप -XI

(नियम-7(1) और नियम-7(2) देखें)
दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना

ई.एस.आई.सी. नियोक्ता की कोड संख्या:

ई.एस.आई.सी. बीमा

घायल व्यक्ति की संख्या:

1. नियोक्ता का नाम:
2. कार्यस्थल /परिसर का पता
जहां दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है:
3. उद्योग की प्रकृति और प्रतिष्ठान का एलआईएन:
4. शाखा या विभाग और
सटीक स्थान जहां दुर्घटना या
खतरनाक घटना घटी है :
5. घायल व्यक्ति का नाम और पता :
6. (क) लिंग :
(ख) आयु (पिछले जन्मदिन पर) :
(ग) घायल व्यक्ति का व्यवसाय :
7. स्थानीय ई.एस.आई.सी. कार्यालय जिससे घायल व्यक्ति संबद्ध है:
8. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तारीख, पाली, और घंटा:
9. (क) घायल व्यक्ति ने दुर्घटना
या खतरनाक घटना के दिन किस समय कार्य आरंभ किया था:
(ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के
दिन के लिए उसे पूर्ण या आंशिक मजदूरी संदेय हैं :
10. (क) दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या प्रकृति:
(ख) यदि मशीनरी के कारण यह घटना हुई तो-:
(i) मशीन का नाम और उसके
पुर्जे का नाम बताएं जिससे दुर्घटना
या खतरनाक घटना हुई है:
(ii) उल्लेख करें कि क्या दुर्घटना या खतरनाक
घटना के समय मशीन को यांत्रिक शक्ति द्वारा

चलाया गया था:

(ग) उल्लेख करें कि दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय

घायल व्यक्ति क्या कर रहा था:

(घ) आपकी राय में, क्या घायल

व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक

घटना के समय-

(i) उन पर लागू किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रहा था; या

(ii) अपने नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन कर रहा था; या

(iii) अपने नियोक्ता के निर्देशों के बिना कार्य कर रहा था?

(ङ) यदि (घ) (i), (ii) या (iii) का उत्तर सकारात्मक या हाँ में है,

तो उल्लेख करें कि क्या यह कार्य नियोक्ता के

व्यापार या कारबार के प्रयोजनार्थ और उसके संबंध में था।

11. यदि यह दुर्घटना या खतरनाक घटना

नियोक्ता के वाहन में यात्रा करने

के दौरान हुई थी, तो उल्लेख करें कि क्या-

(क) घायल व्यक्ति अपने कार्यस्थल से या कार्यस्थल के लिए
यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था:

(ख) घायल व्यक्ति अपने नियोक्ता
की व्यक्त या निहित अनुज्ञा से यात्रा कर रहा था:

(ग) नियोक्ता या उसकी ओर से किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य द्वारा वाहन का परिचालन किया जा रहा है
जो नियोक्ता के साथ की गई व्यवस्थाओं के अनुसरण में
वाहन उपलब्ध कराता है; और :

(घ) वाहन सार्वजनिक परिवहन सेवा की
सामान्य कार्य प्रणाली में परिचालन किया/ नहीं किया जा रहा है:

12. यदि आपातकालीन घटना के कारण दुर्घटना

या खतरनाक घटना घटित हुई, तो उल्लेख करें-

(क) इसकी प्रकृति; और

(ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के
समय घायल व्यक्ति जहाँ दुर्घटना या खतरनाक
घटना घटी है उस परिसर में या आस-पास अपने
नियोक्ता के व्यापार या कारबार के प्रयोजनार्थ नियोजित था। :

13. संक्षेप में वर्णन करें कि

दुर्घटना या खतरनाक घटना कैसे घटी:

14. साक्षियों का नाम और पता : (1)
(2)
15. (क) चोट की प्रकृति और उसकी गंभीरता
(जैसे घातक, उंगली खोना,
पैर का फ्रैक्चर, स्कॉल्ड, स्ट्रेच के बाद सेप्सिस आदि) :
- (ख) चोट की जगह (जैसे दायाँ पैर, बायाँ हाथ, बायीं आँख आदि)
16. (क) यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना
घातक नहीं थी तो उल्लेख करें कि क्या
घायल व्यक्ति 48 घंटों से अधिक समय तक काम करने लायक नहीं था:
- (ख) घायल व्यक्ति की कार्य को वापसी की तारीख और समय :
17. (क) चिकित्सक, औषधालय या अस्पताल जहाँ से
घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया या प्राप्त कर रहा है:
- (ख) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित औषधालय /पैनल चिकित्सक का नाम :
18. (क) क्या घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई? :
- (ख) यदि हाँ, मृत्यु की तारीख :
- मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हर दृष्टि से सही है।

नियोक्ता / नियोक्ता/ प्रबंधक/ अभिकर्ता का हस्ताक्षर और नाम तथा पदनाम

रिपोर्ट को प्रेषित करने की तिथि:

स्थान:

प्ररूप -XII
[नियम-71 देखें]
कार्य की अवधि की सूचना

स्थापन का नाम.....स्थान.....जिला.....

कार्य समूह की अवधि, रिले	पुरुष												महिला												समूह का विवरण, कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
	नियोजित पुरुषों की कुल संख्या												नियोजित महिलाओं की कुल संख्या													
	क			ख			ग			घ			ङ			च			छ			ज				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

कार्य दिवसों में

से..

तक ..

से ..

तक ..

से ..

तक ..

आंशिक कार्य दिवसों में

से ..

तक ..

से ..

तक ..

तारीख, जब यह सूचना पहली बार प्रदर्शित की गई है :

नियोक्ता का हस्ताक्षर:

तारीख :

प्ररूप-XIII

[नियम 72(1)(i) देखें]

कर्मचारी रजिस्टर

(रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अनुरक्षित किया जा सकेगा जिस में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

स्थापन का नाम:		
नियोक्ता/ नियोक्ता का नाम:		
नियोक्ता का पैन/टैन नंबर		
स्थापन का पंजीकरण संख्या [श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)] स्थापन का पंजीकरण संख्या होगा		
स्थापनों के सभी कर्मचारियों हेतु अनुरक्षित किया जाएगा।		
1.	कर्मचारी कोड	
2	नाम	
	मध्यनाम	
3	उपनाम	
4	लिंग	
5	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम	
6	जन्म की तारीख	
7	जन्म स्थान	
8.	राष्ट्रियता	
9	शैक्षणिक स्तर	
10.	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	
11.	पदनाम	
12.	श्रेणी (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल या अतिकुशल)	
13.	नियोजन का प्रकार (पी/टी/एफटी/टी/बी)	
14.	मोबाइल नंबर	
15.	सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन)	
16.	पैन (पीएएन)	
17.	नाम निर्देशिती (नाम निर्देशन प्ररूप के आधार पर भरा जाए)	
18.	ईपीएस/एनपीएस	
19.	परिवार का विवरण	
20.	तैनाती का विवरण	
21.	वेतनमान	
22.	पदोन्नति	
23.	ईएसआईसी बीमा संख्या	

24.	आधार संख्या	
25.	बैंक खाता संख्या	
26.	बैंक	
27.	शाखा (आईएफएससी)	
28.	वर्तमान पता	
29.	स्थायी पता	
30.	सेवा पुस्तिका संख्या	
31.	निकासी की तिथि	
32.	निकासी का कारण	
33.	पहचान-चिह्न	
34.	फोटो	
35.	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	
36.	टिप्पणियां	

कर्मचारी के हस्ताक्षर

** (स्थायी/अस्थायी/नियत कालिक/प्रशिक्षु/बदली)
नियोक्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप-XIV

[[नियम 72(1)(ii)]]

उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल

(उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल का अनुरक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

																	वर्ष 20.....के मास के लिए									
स्थापन का नाम:																										
नियोक्ता/नियोक्ता का नाम:																										
स्थापन का पंजीकरण संख्या श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) स्थापन का पंजीकरण संख्या होगा																										
1.	क्र. सं.																									
2.	कर्मचारी कोड																									
3.	नाम																									
4.	पदनाम																									
5.	पाली																									
6.	कार्य स्थल/ अनुभाग/ विभाग																									
7.	प्रवेश और निकास की तिथि और समय																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
8.	कार्य किए गए कुल दिनों की संख्या																									
9.	कार्य किए गए समयोपरि घंटों की संख्या																									
10.	कार्य-स्थल के बाहर यात्रा या कार्य, यदि कोई हो तो उसका संक्षेप में ब्यौरा																									
11.	रजिस्टर-प्रबंधक का हस्ताक्षर																									

*टिप्पण: अपेक्षित, यदि फाइल का अनुरक्षण भौतिक रूप से किया जाता है

प्ररूप –XV

[नियम 72(1)(iii) देखें]

वेतन, ओवरटाइम और कटौतियों के लिए रजिस्टर

(रजिस्टर का अनुरक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

स्थापन का नाम:		
नियोक्ता/नियोक्ता का नाम:		
नियोक्ता का पैन /टैन		
स्थापन की पंजीकरण संख्या (स्थापन की पंजीकरण संख्या ही श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) होगी)		
दिन/मास/वर्ष से दिन/मास/वर्ष तक (मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/दैनिक/कार्य की दर से मजदूरी) अवधि		
1.	क्रम संख्या	
2.	कर्मचारी कोड संख्या	
3.	कर्मचारी का नाम	
4.	पदनाम	
5.	विभाग	
6.	मजदूरी के संदाय की अवधि (मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/पीस-दर पर)	
7.	मजदूरी की अवधि (से - तक)	
8.	मजदूरी की अवधि के दौरान कुल कार्य दिवसों की संख्या	
9.	कुल ओवर टाइम घंटे (ओवरटाइम)। अतिरिक्त कार्य के घंटे अथवा कार्य-दर से कर्मचारों की स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन।	
वेतन की दर		
10.	क) मूल वेतन	
11.	ख) महंगाई भत्ता	
12.	ग) अन्य भत्ते	
अर्जित मजदूरी की रकम		
13.	मूल वेतन	
14.	महंगाई भत्ता	
15.	भत्ते	
16.	ओवर टाइम	
17.	कुल अर्जित मजदूरी	
कटौतियां		
18.	ईपीएफ	
19.	ईएसआईसी	
20.	सोसायटी	
21.	आयकर	
22.	बीमा	

23.	अग्रिम	
24.	जुर्माने की वसूली	
25.	क्षति/हानि की राशि की वसूली	
26.	कुल कटौतियां	
27.	अन्य	
28.	शुद्ध संदाय	
29.	भुगतान की तिथि	
30.	कर्मचारी द्वारा प्राप्ति/बैंक संव्यवहार आईडी	
31.	उन कृत्यों और लोप की प्रकृति जिनके लिए तारीख सहित जुर्माना अधिरोपित किया गया	
32.	अधिरोपित किए गए जुर्माने की रकम	
33.	कर्मचारी की उपेक्षा या चूक के कारण नियोक्ता को हुई क्षति या हानि	
34.	नियोक्ता/नियोक्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर*	

*टिप्पण: अपेक्षित, यदि रजिस्टर (पंजी) भौतिक रूप से अनुरक्षित किया जाता है।

प्ररूप-XVI
[(नियम 72(2) देखें)]
मजदूरी पर्ची

जारी करने की तारीख				
स्थापन का नाम				
पता:			अवधि:	
1.	कर्मचारी का नाम:			
2.	पिता/ माता/ पति/ पत्नी का नाम:			
3.	पदनाम:			
4.	यूएन:			
5.	बैंक खाता संख्या:			
6.	वेतन अवधि:			
7.	संदेय वेतन की दर	(क) मूल वेतन	(ख) महंगाई भत्ता	(ग) अन्य भत्ते
8.	कुल उपस्थिति/ किए गए कार्य की ईकाई			
9.	समयोपरि वेतन			
10.	संदेय सकल वेतन			
11.	कुल कटौती	(क) भविष्य निधि	(ख) ईएसआई	(ग) अन्य
12.	भुगतान किया गया निवल वेतन			
नियोक्ता/वेतन प्रभारी के हस्ताक्षर*				

*टिप्पण : अपेक्षित, यदि रजिस्टर (पंजी) का अनुरक्षण भौतिक रूप से किया जाता है।

प्ररूप -XVII

(नियम 74 के साथ पठित नियम 72(5) देखें)

वार्षिक विवरणी

31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

वार्षिक विवरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

1. इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 28 या 29 फरवरी को या उससे पहले भरा और प्रस्तुत किया जाएगा।
2. विवरणी के दो भाग हैं अर्थात् भाग-I जिसे सभी स्थापनों द्वारा भरा जाएगा।
3. भाग-I के अतिरिक्त, भाग-II, उन स्थापनों द्वारा भरा जाएगा, जो खान हैं।
4. 'स्थापन' और 'खान' पद का वही अर्थ होगा जो उपजिविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 में उनका है।
5. यह विवरणी, ठेकेदार या श्रम-बल आपूर्तिकर्ता के मामले में, जिसने 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित किया हो और खान के मामले में भले ही संबंधित अवधि में एक दो कर्मकार नियोजित हो, भरी जाएगी।

सभी स्थापनों के लिय लागू- भाग-I**क. सामान्य सूचना:**

क्र. सं.			स्तंभ को भरने के लिए अनुदेश
1.	श्रमिक पहचान संख्या		ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन)
2.	विवरणी की अवधि	से – तक-	अवधि कलेंडर वर्ष होना चाहिए
3.	स्थापन का नाम		
4.	ई-मेल आईडी (नियोक्ता)		
5.	दूरभाष संख्या (नियोक्ता)		
6.	मोबाईल नंबर (नियोक्ता)		
7.	परिसर का नाम		
8.	उप-मोहल्ला		
9.	जिला		
10.	राज्य		
11.	पिन-कोड		
12.	भू-निर्देशांक		
ख(क).	दिवस में कार्य घंटे		
ख(ख).	पालियों की संख्या किसी पाली में घंटों की संख्या		

ग. तैनात श्रमबल का ब्यौरा

ब्यौरा	सीधे नियोजित	ठेकेदार के माध्यम से नियोजित	कुल योग

कुशलता श्रेणी	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	
1. वर्ष के दौरान किसी भी दिन स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पुरुष/ महिला/ उभयलिंगी (पु/म/अ)	पु/म/ अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
2. वर्ष के दौरान स्थापन में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या	संख्या दर्शायी जानी है	पु/म/ अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
3. प्रवासी कर्मचारों की अधिकतम संख्या (उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020)	पु/म/अ	पु/म/ अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
4. कार्यरत निश्चित अवधि के कर्मचारी की संख्या	पु/म/उ	पु/म/ उ	पु/म/ उ	पु/म/ उ					

घ. प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों का विवरण

क्र. सं.	एलआईएन सहित ठेकेदार का नाम	नियोजित ठेका श्रमिक की संख्या

ङ. प्रदान की गई विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	सांविधिक (विधान निर्दिष्ट करें)	भरने हेतु अनुदेश
1.	क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 24(v) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां ठेका श्रमिक सहित सौ या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया गया था
2.	शिशु गृह (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 और उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 24 के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ पचास या अधिक कामगार कार्यरत हैं
2 क	यदि उपरोक्त 2 नहीं उपलब्ध कराया गया है तो क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता के नियम के तहत शिशुगृह भत्ता दिया जाता है।	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	सामाजिक सुरक्षा संबंधी संदर्भ नियम
3.	एम्बुलेंस कक्ष (उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 की धारा 24(2)(i) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	खान, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिनमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है, पर लागू।
4.	सुरक्षा समिति (उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 22 (1) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	500 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों और बीओसीडब्ल्यू जिसमें 250 या उससे अधिक कामगार कार्यरत

			हैं और 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली खदानों के लिए लागू।
5.	सुरक्षा अधिकारी (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं सहिता 2020 की धारा 22 (2) के अनुसार)	नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	खान के मामले में 100 या अधिक कामगारों, बीओसीडब्ल्यू के मामले में 250 या अधिक कामगारों और गोदी कार्य के मामले में 500 या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है।
6.	योग्यता प्राप्त चिकित्सक (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं सहिता 2020 की धारा 12 (2) के अनुसार)	नियुक्त अर्हता प्राप्त चिकित्सक व्यवसायी की संख्या	प्रतिष्ठान में नियोजित अर्हता प्राप्त चिकित्सक व्यवसायी की न्यूनतम संख्या के लिए कोई विनिर्देश नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा होने के लिए इस विवरण की आवश्यकता होती है।

च. औद्योगिक संबंध:					भरने हेतु अनुदेश
1.	क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है। (औद्योगिक सम्बन्ध सहिता, 2020 की धारा 3)			हां/ नहीं और लागू नहीं	औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार नियोजित हैं
(क)	उसके गठन की तारीख				
2.	क्या सुरक्षा निवारण समिति का गठन किया गया है (औद्योगिक सम्बन्ध सहिता, 2020 की धारा 4)			हां/ नहीं और लागू नहीं	20 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान
3.	प्रतिष्ठानों में पंजीकृत यूनियनों की संख्या				
4.	क्या कोई समझौता संघ मौजूद है (औद्योगिक सम्बन्ध सहिता, 2020 की धारा 14)			हां/ नहीं	
5.	क्या किसी भी समझौता परिषद का गठन किया गया है (औद्योगिक सम्बन्ध सहिता, 2020 की धारा 14)			हां/ नहीं	
6.	वर्ष के दौरान बर्खास्त किए गए, पदच्युत किए गए, छंटनी किए गए या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन कामगारों की संख्या:				
	बर्खास्त किए गए	पदच्युत किए गए	बर्खास्त किए गए / सेवा समाप्त किए गए या हटाए गए	कुल योग	
7.	निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान व्यर्थ गए श्रम दिवस				
क्र. सं.	कारण	अवधि/ तारीख	व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या		
(क)	हड़ताल				
(ख)	तालाबंदी				
8.	छंटनी/ कामबंदी का व्यौरा				
क्र. सं.	अवधि के दौरान छंटनी किए गए	छंटनी किए गए कर्मचारियों को किए गए	अवधि के दौरान कामबंदी से प्रभावित	कामबंदी के कारण व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या	300 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है

	व्यक्तियों की संख्या	भुगतान का ब्यौरा	होने वाले कामगारों की संख्या		
1.					
2.					

छ. प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित ब्यौरा:				
क्र. सं.	महिला कर्मचारियों की संख्या	मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले महिला कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा बोनस दिया गया	महिला कर्मचारियों की मजदूरी में कटौती, यदि कोई हो, की संख्या
1.				
2.				
ज. बोनस के भुगतान का विवरण:				
क्र. सं.	बोनस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक रूप से भुगतान किए गए बोनस की गई कुल राशि	बोनस भुगतान की तिथि	
झ. दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और सूचनीय बीमारियों का ब्यौरा:				
क्र. सं.	दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके कारण घायल व्यक्ति को उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है।	उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या और मृतकों के नाम।	उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओं की कुल संख्या।	प्रभावित व्यक्तियों के विवरण के साथ उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सूचनीय बीमारियों के मामलों की कुल संख्या
ञ- दुर्घटनाओं/ खतरनाक घटनाओं के कारण व्यर्थ गए श्रम दिवस और उत्पादन				
क्र.सं.	दुर्घटना/ खतरनाक घटना	व्यर्थ गए श्रम दिवस	खोया हुआ उत्पादन	

(नियम 74 के साथ पठित नियम 72 देखें)

भाग-2 (खदानों के लिए)

क. सामान्य सूचना		
1.	प्रतिष्ठान का नाम	
2.	कंपनी का नाम/ नियोक्ता का नाम	
3.	संगठन का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	पीएसयू केन्द्रीय/ पीएसयू राज्य/ निजी/
4.	स्वामित्व का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	फर्म/ संघ/ वैयक्तिक/ भागीदारी / कंपनी
5.	खनिज का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	कोयला/ धातु/ तेल
6.	खनिज का नाम	

7.	खान का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	भूमिगत/ ओपेनकास्ट/ जमीन के ऊपर/ मिश्रित/ अपतटीय/ तटीय
8.	खुलने की तारीख	प्रथम बार भरा जाना
9.	खान कोड	प्रथम बार भरा जाना
10.	समापन की तारीख (यदि कोई हो)	लागू नहीं/ कैलेंडर दिया जाना है
11.	फिर से खोलने की तारीख (यदि कोई हो)	लागू नहीं/ कैलेंडर दिया जाना है
12.	गहराई में , मीटर में	अधिकतम गहराई: न्यूनतम गहराई:

ख. खान में नियोजित सांविधिक कार्मिक (31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या
1.			

ग. सुरक्षा मानकों की तुलना में कार्य करने का तरीका

1.	पद्धति का नाम (नाम स्पष्ट करें) (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)		
2.	क्यू.मी./ टन में उत्पादित खनिज की मात्रा		
3.	क्यू.मी./ टन में हटाए गए अपशिष्ट/ उपरिभार की मात्रा		
4.	कार्य के स्तर (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)	विकास/ निष्कर्षण/ मिश्रित	
5.	सी यू. एम में अनुमेय रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु
6.	सी यू. एम में वास्तविक रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु
7.	ओवरहैंग का क्षेत्रफल		निष्कर्षण स्तर हेतु
8.	उत्पादित कोयले के प्रति टन सी यू. मीटर में जारी की गई अधिकतम ज्वलनशील गैस		विकास स्तर हेतु
9.	समस्त पिट ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
	प्रत्येक पिट के लिए अलग प्रवेश		
10.	समस्त डम्प ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
	प्रत्येक डम्प के लिए अलग प्रवेश		
11.	अग्नि का क्षेत्रफल वर्ग मी. में		
12.	जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए जाने वाले तटबंध की लंबाई		
13.	जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए गए तटबंध की लंबाई		
14.	संविधि के अनुसार अपेक्षित/ उपलब्ध कराई गई घेरेबंदी की लंबाई		
15.	परित्यक्त खानों के मामले में अपेक्षित सील किए जाने वाले अपेक्षित मुहानों की संख्या		
16.	परित्यक्त खानों के मामले में सील किए गए मुहानों की संख्या		

17.	आयोजित किए गए मॉक ड्रिल की संख्या और कर्मचारियों के कवरेज के साथ मॉक ड्रिल आयोजन की तारीख		
18.	तेल/ गैस कुओं की संख्या: ड्रिलिंग के अधीन/ उत्पादन के अधीन/ कार्याधीन (ड्रॉप डाउन मेनू के अनुसार)		तेल और गैस खानों के लिए
19.	कुओं की संख्या जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है		तेल और गैस खानों के लिए
20.	यदि उपरोक्त बिन्दु 19 के दृष्टिगत हैं, तो की गई कार्रवाई		
21.	जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है उन कुओं के संबंध में की गई कार्रवाई		तेल और गैस खानों के लिए
22.	किसी भी दिन में प्रयुक्त विस्फोटक की अधिकतम मात्रा (कि.ग्रा. में)		सभी प्रकार के खानों के लिए
23.	क्या भवन या संरचना जिसका कोई नियोक्ता नहीं है, खतरे के क्षेत्र में है?	हां/ नहीं/ लागू नहीं	कोयला और लौह अयस्क धातु के लिए
24.	वर्ष हेतु खान में स्थापित/ तैनात मशीनरी की कुल एचपी/किलोवाट		सभी प्रकारों के खानों के लिए

घ. चिकित्सा जांच- आरंभिक/ आवधिक (आईएमई/ पीएमई)

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की कुल संख्या:

विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
की गई आईएमई जांच	
की गई पीएमई जांच	
चिकित्सकीय रूप से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित	
चिकित्सा अयोग्यता के कारण वैकल्पिक रोजगार दिया गया	
चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने के कारण नियोजन समाप्त किया गया	

ङ. प्रदान किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की संख्या

विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
प्रदान किया गया बुनियादी व्यावसायिक प्रशिक्षण	
पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया	
विशेष प्रशिक्षण दिया गया	

च. दुर्घटना, जोखिमकारी घटना और उपजीविकाजन्य रोगों का ब्यौरा:

(1) दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का ब्यौरा:

क्र.सं.	दुर्घटनाओं/ जोखिमकारी घटनाओं की तारीख	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर शारीरिक चोट पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या (गंभीर शारीरिक चोट को छोड़कर) और जिस कारण 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका गया	घटना की प्रकृति	व्यर्थ गए श्रम दिवस

(2) उपजीविका जन्य बीमारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	अधिसूचित बीमारी	मामलों की संख्या
1.		

छ. सुरक्षा प्रबंधन योजना का ब्यौरा:

- (क) तैयार की गई सुरक्षा प्रबंधन योजना: (हां/ नहीं/ लागू नहीं)
 (ख) जमा करने की तारीख
 (ग) सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की अंतिम तारीख
 (घ) पहचान किए गए प्रमुख खतरे:

क्र.सं.	पहचान किए गए प्रमुख खतरों की सूची	प्रमुख जोखिम शमन तारीख	31 दिसंबर तक शमन न किए गए प्रमुख खतरे	इनका शमन न किए जाने के कारण
1.				

ज. खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)**(क) खानों के लिए: (खान नियोक्ता द्वारा भरा जाना)**

- (i) खानों की सेवा करने वाले बचाव केंद्र का भू-निर्देशांक के साथ पता;
 (ii) खान मुहाने से बचाव केंद्र की दूरी; -----(किमी में)
 (iii) क्या खान द्वारा खान बचाव केंद्र स्थापित किया गया है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)**(बचाव केंद्र के लिए)**

खान बचाव केंद्र के लिए (अधीक्षक, बचाव केंद्र द्वारा भरा जाना है)

- (i) खान के नियोक्ता का नाम जहां एमआरएस केंद्रित है:
 (ii) एमआरएस का पता:
 (iii) अधीक्षक का नाम:
 (iv) बचाव केंद्र द्वारा देखभाल किए जाने वाले खानों का ब्यौरा:

क्र.सं.	खानों के नाम	एमआरएस से खान की दूरी (कि.मी. में)

(v) बचाव केंद्र में तैनात कार्मिक का विवरण

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या

(vi) उपकरण/ उपस्कर का विवरण:

क्र.सं.	अपेक्षित उपकरण/ उपस्कर के प्रकार	उपलब्ध उपकरण/ उपस्कर की संख्या

(vii) आपातकालीन स्थिति में उपस्थित होने का विवरण:

क्र.सं.	खान का नाम	आपातकालीन स्थिति की प्रकृति	प्रतिक्रिया समय (आपातकालीन स्थिति में भाग लेने के लिए बचाव सेवाओं द्वारा लिया गया समय)	बचाव और बहाल करने में लिया गया समय	की गई कार्रवाई

(viii) अतिरिक्त सूचना:

- क. बचाव कक्षों की संख्या:
- ख. अपेक्षित बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:
- ग. उपलब्ध बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:
- घ. क्या कैटीन की सुविधा मौजूद है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि सारणियों को विधिवत भरा गया है और सभी सारणियों में दी गई सूचना और आँकड़े मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

नियोक्ता/ अधिभोगी/ नियोक्ता/ एजेंट/ प्रबंधक का हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

भाग 3

[नियम 98(9) देखें]

31 दिसम्बर को समाप्त अवधि की वार्षिक विवरणी
(प्रधान नियोजक द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाए)

1. प्रधान नियोजक का नाम:
2. प्रतिष्ठान का नाम:
3. प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या (एलआईएन):
4. ठेकेदारों, भुगतान की गई मजदूरी का ब्यौरा, आदि:

क्र. सं.	माह	ठेकेदारों का नाम और पता	ठेकेदार का एलआईएन	कार्य का नाम	नियोजित ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के अनुसार ठेकेदार को भुगतान की गई राशि (ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस आदि सहित)	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के भुगतान की तारीख	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी की राशि (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी के भुगतान की तारीख (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	टिप्पणियां

तारीख:

प्रधान नियोजक के हस्ताक्षर

[illegible]

02/20..												
03/20..												

- सभी सदस्यों के योगदान विवरण वाली वेतन-पत्रक का प्रपत्र –8 ख (मजदूरी, ओवरटाइम और कटौतियों का रजिस्टर) के अनुसार अपलोड करें।

उन कर्मचारियों का विवरण जो नामांकित नहीं हैं, किंतु सदस्य बनने के पात्र हैं:								
क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	लिंग	आधार संख्या	पिता का नाम	जन्म तारीख	कार्यकार करने की तारीख	निकासी की तारीख (यदि पहले ही निकासी कर ली गई)	संदाय मजदूरी

ठेकेदारों का विवरण:						
क्र. सं.	ठेकेदार का नाम और पता	ईपीएफ कोड संख्या	ईएसआई कोड संख्या	कार्य की प्रकृति	किसी भी दिन नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया कुल भुगतान

<* यदि सीएलसी अनुज्ञप्ति डेटा उपलब्ध है, तो ठेकेदार का विवरण उससे पहले से भरा जा सकता है, साथ ही, अन्य ठेकेदारों को जोड़ने का विकल्प भी उपलब्ध है।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iv) के तहत, नियोक्ता द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधि-वार्षिकी निधि में योगदान के रूप में दावा किए गए कर लाभ का विवरण:

वित्तीय वर्ष	योगदान	कर लाभ

दस्तावेज़ अपलोड करें:

क्र. सं.	दस्तावेज़ का नाम	<पोर्टल में अपलोड फ़ील्ड>
1.	बैलेंस शीट*	वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट के लिए अपलोड फ़ील्ड
2.	प्ररूप 26AS*	वित्तीय वर्ष के फ़ॉर्म 26कत के लिए अपलोड फ़ील्ड
3.	प्ररूप 26Q*	वित्तीय वर्ष के फ़ॉर्म 26थ के लिए अपलोड फ़ील्ड

*अनिवार्य क्षेत्र

(नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iv):

"किसी निर्धारिती द्वारा एक नियोक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अंशदान के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि; जो भविष्य निधि को मान्यता देने या अधिवर्षिता निधि को अनुमोदित करने के उद्देश्य से निर्धारित सीमाओं के अधीन होगी, जैसा भी मामला हो; और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो बोर्ड उन मामलों में निर्दिष्ट करना उचित समझे जहाँ अंशदान वार्षिक नियत राशि के रूप में नहीं हैं, या "वेतन" मद के अधीन प्रभार्य आय, या अंशदान, या निधि के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में किसी निश्चित आधार पर तय वार्षिक अंशदान के रूप में नहीं हैं।"

प्ररूप-XVIII

[नियम 72(5) और 98(7) देखें]

(अर्धवार्षिक विवरणी (जनवरी से जून / जुलाई से दिसंबर) जो ठेकेदार द्वारा संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को प्रस्तुत की जानी है)

1. ठेकेदार का नाम और पता:
2. प्रधान नियोक्ता का नाम और पता तथा एलआईएन:
3. ठेकेदार का एलआईएन:
4. ठेकेदार की अनुज्ञप्ति की संख्या (यदि लागू हो):
5. स्थान/स्टेशन के साथ ठेका कार्य का नाम:
6. ठेका कामगारों की संख्या, भुगतान की गई मजदूरी आदि का विवरण:

क्रम सं.	माह	नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या	एक माह में भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि	समयोपरि	बोनस	प्रधान नियोक्ता से ठेकेदारा द्वारा प्राप्त मजदूरी बिल की तारीख और राशि	ईएसआईसी की ईसीआर संख्या	ईपीएफ की ईसीआर संख्या	यथा स्वीकार्य रूप में माह की 7 तारीख या देय तिथि तक भुगतान की गई मजदूरी हां/नहीं	नोट
	जनवरी									
	फरवरी									
	मार्च									
	अप्रैल									
	मई									
	जून									

ठेकेदार का हस्ताक्षर

तारीख:

प्ररूप-XIX
(नियम 75 देखें)
दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर

घायल/मृत व्यक्ति का नाम (यदि कोई हो)	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की तारीख	निरीक्षक-सह-सुकारक को रिपोर्ट किए जाने की तारीख	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की प्रकृति	घायल व्यक्ति की कार्य वापसी की तारीख	घायल व्यक्ति के कार्य पर अनुपस्थित होने के दिनों की संख्या	नियोक्ता/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप-XX
(नियम-76 देखें)
मजदूरी के साथ छुट्टी के लिए रजिस्टर

भाग I -वयस्क

भाग-2 -किशोरियां

प्रतिष्ठान:

कामगार का नाम :

विभाग :

पिता का नाम :

क्र.स.	रजिस्टर में कामगारों की क्र.सं.	सेवा में प्रविष्टि की तारीख	व्यवधान					प्रभाव से अवकाश	क्या अगले 12 महीनों के दौरान वांछित छुट्टी नहीं दी गई है	वह तारीख जिससे कामगार को छुट्टी दी जाती है	दी गई छुट्टी की मजदूरी	डिस्चार्ज किए गए कर्मचारी		छुट्टी	नोट
			बीमारी और दुर्घटनाएं	प्राधिकृत छुट्टी	तालाबंदी या कानूनी हड़ताल	अनैच्छिक बेरोजगारी	अन्य					डिस्चार्ज की तिथि	देय छुट्टी के बदले भुगतान की तिथि और राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नोट:-प्रत्येक कामगार को अलग पेज आवंटित किया जाएगा

नियुक्ता/रजिस्टर-रक्षक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्ररूप-XXI

(नियम 87,88(1) और 96(1) देखें)

अनुज्ञप्ति का नवीकरण/ अनुज्ञप्ति में संशोधन (सामान्य/एकल अनुज्ञप्ति सहित)के लिए ऑनलाइन आवेदन						
भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय						
प्रतिष्ठान की रूपरेखा:						
श्रम पहचान संख्या.....					दिनांक	
पावती सं. आवेदन की तारीख :						
I. प्रतिष्ठान का विवरण जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है:						
1. प्रतिष्ठान का नाम:						
2. प्रतिष्ठान का पता						
(क) ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय का पता:						
(ख) ईमेल आईडी सहित निगमित कार्यालय का पता:						
3. दूरभाष संख्या:						
4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप: (दिए गए सभी लागू कार्यकलापों को चुनें)						
5. चयनित एनआईसी संहिता का ब्यौरा:						
6. मुख्य प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति:						
7. प्रतिष्ठान का पहचानकर्ता: (चुनें) : ई- हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर						
II. नियोक्ता का ब्यौरा:						
1. नियोक्ता का पूरा नाम: प्रतिष्ठान के साथ संबंध.						
2. नियोक्ता का पूरा पता:						
3. नियोक्ता की ईमेल आईडी:						
4. नियोक्ता का मोबाइल नंबर:						
III. नियोजित होने वाले/नियोजित ठेका श्रमिकों का विवरण (यदि अनुज्ञप्ति कार्यवार अपेक्षित है)						
कार्यक्षेत्रों का स्थान	कार्य का नाम	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ की तिथि	पूरा होने की तिथि	प्रतिष्ठान का नाम जिसमें ठेका श्रमिक नियोजित हैं/होने के लिए प्रस्तावित हैं	साइट प्रभारी का नाम, पता, ईमेल आईडी
1	2		3	4	5	6
5. किसी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कामगारों की अधिकतम संख्या:						
6. अनुज्ञप्ति फीस की राशि: आईएनआर (लेनदेन आईडी :)						
7. सुरक्षा जमा राशि: आईएनआर (लेन-देन आईडी :)						

IV प्रतिष्ठानों का ब्यौरा जिनके लिए सामान्य अनुज्ञप्ति अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ होने की तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	नियोजित/नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	
1	2	3	4	5	6	

V. प्रतिष्ठान का ब्यौरा जिसके लिए एकल अनुज्ञप्ति अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

राज्य का नाम जहां प्रतिष्ठान स्थित है	प्रत्येक कार्य का नाम	श्रमिकों की अधिकतम संख्या जिन्हें नियोजित किया जाएगा/नियोजित हैं	आरंभ की तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	पंजीकरण संख्या यदि प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका ब्यौरा
1	2	3	4	5	6

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(ई-हस्ताक्षर/डीएससी)

टिप्पण : यह श्रम सुविधा पोर्टल या नामोद्विष्ट पोर्टल पर किए गए आवेदन का ऑनलाइन आवेदन का सारांश है।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

1. लाइसेंस संख्या:	तारीख :
2. एलआईएन और पैन:	
3. प्रतिष्ठान का नाम और पता:	
4. पूर्व अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख :	
5. क्या नियोक्ता/ठेकेदार का लाइसेंस स्थगित की गयी थी:	
6. भुगतान की गयी फीस का ब्यौरा: (ई भुगतान की रसीद संलग्न करें): राशि.....भुगतान की तारीख :	
नियोक्ता/ठेकेदार का ई हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर	तारीख :

अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आवेदन:	
1. अनुज्ञप्ति संख्या	तारीख :
2. एलआईएन और पैर	
3. प्रतिष्ठान का नाम और पता:	
4. विवरण जिसके लिए संशोधन मांगा गया है:	
(क). वर्तमान में नियोजित ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या : (नियोजित होने वाले ठेका कामगारों की अधिक संख्या में बढ़ोतरी है तो विधि के अनुसार अतिरिक्त फीस /सुरक्षा जमा भरने की आवश्यकता होगी):	
(ख). ई भुगतान के माध्यम से किए गए फीस के भुगतान का तारीख सहित ब्यौरा :	
(ग). जारी की गई अनुज्ञप्ति में संशोधन की अपेक्षा करने का अन्य विवरण (अपेक्षित संशोधन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाएं)	

नियोक्ता ठेकेदार का ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर
आवेदन की तारीख

तारीख
स्थान

प्ररूप-XXII
(नियम 89(1) देखें और नियम 90(2) देखें)

अनुज्ञप्ति प्रपत्र

अनुज्ञप्ति संख्या. ----- पंजीकरण संख्या ----- पंजीकरण की तारीख. -----

-----को अनुज्ञप्ति दी जाती है

जिसे -----परिसर के रूप में जाना जाता है

जो -----में स्थित है।

कार्य की प्रकृति -----

उपजीविकाजन्य व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, इसके पश्चात बताई गई सीमाओं के भीतर एक प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग हेतु।

----- 20.. जारी करने वाला प्राधिकारी

क्रम संख्या	जारी करने की अवधि	के लिए वैध	फीस	भुगतान की तारीख	विलंब से भुगतान के लिए अतिरिक्ति फीस	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
		किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या					

संशोधन:

संशोधित किए जाने का वर्ष	किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या	संशोधन फीस के भुगतान की तारीख	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नामोद्दिष्ट प्राधिकारी के ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप -XXIII

(नियम-100 देखें)

ठेका कर्मचारी का अनुभव प्रमाणपत्र

जिससे भी संबंधित हो

1. ठेकेदार/नियोक्ता का नाम*:
2. ठेकेदार/नियोक्ता की एलआईएन/पेन की संख्या*:
3. ठेकेदार/नियोक्ता की ई-मेल आईडी *:
4. ठेका/नियोक्ता की मोबाइल संख्या *:
5. कार्य की प्रकृति और स्थान:
6. मुख्य नियोक्ता का नाम*:
7. मुख्य नियोक्ता की एलआईएन/पेन की संख्या:*
8. मुख्य नियोक्ता की ई-मेल आईडी: *
9. मुख्य नियोक्ता की मोबाइल संख्या:*
10. कामगार का नाम*:
11. यूएएन /आधार संख्या.:
12. मोबाइल संख्या. :
13. कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या :
14. बोर्ड की पंजीकरण संख्या, दिनांक और नाम यदि भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है:
15. रोजगार की अवधि:
16. पद:
17. निष्पादित कार्य
ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर
*जो भी लागू न हो वो काट दें।

प्ररूप -XXIV
(नियम-105 देखें)

निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार के मध्य समझौता

प्रथम पक्ष में मैसर्स के मध्य.....कार्यालय में इस दिन.....माह.....वर्ष(जिसे इसमें इसके पश्चात 'निर्माता' कहा गया है) समझौता किया जाता है और दूसरे पक्ष में ? श्री/श्रीमति/कुमारी.....के पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(जिसे इसमें इसके पश्चात 'श्रव्य-दृश्य कामगार' कहा गया है) निवास.....में रहते हैं। 'निर्माता' और 'श्रव्य-दृश्य कामगार' में उनके उत्तराधिकारी, वंशज, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

अतः अब यह समझौता इस प्रकार है:

1. यह दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते की अवधि श्रव्य-दृश्य कार्य के पूरा होने तक की तारीख से होगी और यह महीनों से अधिक नहीं होगी।
2. यह श्रव्य-दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल में, निर्माता द्वारा लिखित सूचना या लिखित रूप में उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जैसा मामला हो, उनकी पिछली कार्य की आवश्यकता के अधीन और उनकी सहमति पर, उनके संबंधित कार्य पर यथासमय जब उनकी आवश्यकता होगी उपस्थित होने के लिए सहमत होता है।
3. यह श्रव्य-दृश्य सेवाओं की विसंगति के रूप में, पूर्वोक्त रूप में, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर अग्रिम के रूप में देय.....रूपये (रुपये) की राशि का निर्माता भुगतान करने और श्रव्य-दृश्य कामगार प्राप्त करने और समान किशतों में देय रुपये का शेष प्राप्त करने के लिए सहमत है।
4. यह कि श्रव्य-दृश्य उत्पादन यदि निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है और निर्माता को श्रव्य-दृश्य उत्पादन को पूरा करने के लिए अभी भी श्रव्य-दृश्य कामगार की सेवाओं की जरूरत है, तो निर्माता भुगतान करने तथा श्रव्य-दृश्य कामगार आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो उत्पादन के पूरा होने तक, ऊपर दिए गए खंड 3 की तरह से देय होगा।
5. यदि किसी प्रकार उपर्युक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित अवधि की तुलना में श्रव्य-दृश्य कामगार का कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार का पूर्ण भुगतान करेगा तथा पुनः-रिकॉर्डिंग कार्य / सेंसर के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा।
6. यदि आवश्यक हो तो श्रव्य-दृश्य कामगार
 - (क) तैयारी के कार्य के लिए, शिफ्ट के निर्धारित समय से पूर्व, स्टूडियो, स्थान या कार्यस्थल पर, जैसा भी मामला हो, उपस्थित होना, और उस स्थिति में, निर्माता द्वारा दृश्य-श्रव्य कर्मी को ऐसी पूर्व उपस्थिति के लिए रुपये प्रति घंटा या उसके किसी भाग की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
 - (ख) कार्य दिवस की समाप्ति के पश्चात एक घंटे के विश्राम के साथ कार्य जारी रखना, और उस स्थिति में, दृश्य-श्रव्य कर्मी को विस्तारित घंटों के दौरान कार्य के लिए रुपये की दर से अतिरिक्त मजदूरी तथा जलपान और परिवहन सुविधाएं निर्माता द्वारा प्रदान की जाएंगी।

7. यह कि निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रथागत या निर्धारित किए अनुसार झूटी पर रहते समय वाहन और भोजन उपलब्ध कराएगा या झूटी पर रिपोर्ट करने के लिए आने-जाने के यात्रा भत्ते और भोजन भत्ते का भुगतान करेगा।

8. यह कि निर्माता सभी यात्रा और आवास खर्चों, किरायों, भोजन की लागत और ऐसे अन्य प्रथागत भत्तों का भी भुगतान करेगा जब श्रव्य-दृश्य कामगारों को बाहरी स्थल पर काम करना आवश्यक होता है।

9. यह कि निर्माता, दृश्य-श्रव्य कर्मी का उनके नियोजन के फलस्वरूप या उसके दौरान और/या इस अनुबंध के तहत उनके कार्य की अवधि के दौरान दुर्घटना से हुई किसी भी चोट या क्षति, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, के लिए बीमा कराएगा।

10. जहां आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उनके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से निर्माता को श्रव्य-दृश्य के उत्पादन का काम आगे बढ़ने से रोका जाता है: -तो

(क) वह उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान वह इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की तारीख की तारीख तक अपने सभी देयों का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड I में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य-दृश्य कामगार को देय सभी राशि का भुगतान करेगा।

11. यदि निर्माता इस समझौते के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उनकी अनिच्छा के संबंध में कदाचार के अलावा अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य-दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उनके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य-दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

12. यह कि निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के पालन या समझौते के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उनकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य-दृश्य कामगार के ऑडियो-विज़ुअल में कुल काम और इस समझौते के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना करके, सेवा-समाप्ति के समय देय राशि का श्रव्य-दृश्य कामगार को भुगतान करने पर श्रव्य-दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे। इस खंड के तहत समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच के समक्ष साबित नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन और श्रव्य-दृश्य कामगार संगठन जिनमें निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार क्रमशः शामिल हों, के प्रतिनिधि समान संख्या में हों। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। फोरम द्वारा इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय देने और श्रव्य-दृश्य कामगार को उनके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य-दृश्य कामगार को कार्यबद्ध कर सकता है।

13. इस समझौते की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के काम को श्रव्य-दृश्य में बनाए रखे या नहीं, तथा इसी के साथ ही श्रव्य-दृश्य कामगार को यह विकल्प होगा फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

14. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य-दृश्य कामगार के व्यक्तित्व, उनके कपड़े, मेकअप और हेयर-स्टाइल का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, और श्रव्य-दृश्य कामगार इस संबंध में निर्माता की दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से और स्वेच्छा से

पालन करेंगे, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की अपेक्षाओं से श्रव्य-दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उनके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

15. यह कि दृश्य-श्रव्य कर्मी इस बात पर सहमत है कि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपनी सेवाएँ उस रीति से प्रदान करेगा जैसा कि निर्माता या उनके कहने पर दृश्य-श्रव्य निर्देशक निर्देशित करेंगे और वह उन सभी उचित निर्देशों का पालन करेगा जो फिल्म के निर्माण हेतु दिए जा सकते हैं।

16. यह कि श्रव्य-दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल, जैसा भी मामला हो, के सभी नियमों का पालन करेगा।

17. यह कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के लिखित रूप में सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को इस समझौते के लाभ को असाइन या ट्रांसफर नहीं करेगा।

18. यह कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) का अध्याय-III के उपबंध इस समझौते पर लागू होंगे।

19. यह कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार की पूर्व अनुमति के बिना, इस समझौते के तहत श्रव्य-दृश्य के अलावा किसी भी फिल्म में श्रव्य-दृश्य कामगार के काम का उपयोग नहीं करेगा।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की उपस्थिति में और गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त तारीख, माह और वर्ष पर इस समझौते को स्वीकार किया है।

1. साक्षी	निर्माता	नाम और पता
2. साक्षी	श्रव्य-दृश्य कामगार	नाम और पता

प्ररूप-XXV
सुधार सूचना
(नियम 78 देखिए)

सेवा में,

प्रतिष्ठान का नाम

(नियोक्ता / मुख्य नियोक्ता / ठेकेदार)

पता

विषय: (प्रतिष्ठान का नाम) के संबंध में उपजीविका जन्य , सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, उपजीविका जन्य , सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2026, और उसके अधीन बनाए गए विनियमों, मानकों और आदेशों के अंतर्गत पाए गए उल्लंघनों के संबंध में नोटिस।

महोदय / महोदया,

(1) सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने (स्थान) पर स्थित (कार्य का नाम) के कार्य में लगे हुए (प्रतिष्ठान का नाम) का तारीख (तारीख) को निरीक्षण किया।

(2) निरीक्षण किए गए प्रतिष्ठान का विवरण और निरीक्षण के दौरान पाए गए उपजीविका जन्य , सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2026 विनियमों, मानकों, अधिसूचना और उसके अधीन दिए गए आदेशों के उपबंधों के उल्लंघन इसके साथ संलग्न हैं।

(3) आपको एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों / अनियमितताओं को सुधारें और इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट (स्पीड पोस्ट / इलेक्ट्रॉनिक माध्यम / निर्धारित पोर्टल के माध्यम से) प्रस्तुत करें, अन्यथा इस संबंध में आगे कोई पत्राचार किए बिना विधि के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

भवदीय,

निरीक्षक-सह-सुकारक

संलग्नक: यथोक्त

प्ररूप -XXVI

[नियम 182(1) देखें]

अपराध के शमन के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम:
2. पिता / पति/पत्नी का नाम:
3. आवेदक का पता:
4. स्थापन का नाम
5. अपराध का विवरण:
.....
.....
6. संहिता की वह धारा जिसके अंतर्गत अपराध किया गया है:
7. संहिता के अंतर्गत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माना:
.....
8. क्या आवेदक के विरुद्ध अभियोजन लंबित है या नहीं
.....
9. क्या यह अपराध पहला अपराध है, अथवा आवेदक ने इस अपराध से पूर्व कोई अन्य अपराध किया था? यदि हाँ, तो उस पूर्व अपराध का पूर्ण विवरण।
.....
.....
.....
10. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहता है
.....
.....
.....

आवेदन
(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

प्ररूप-XXVII

[नियम 182(1) देखें]

अपराधों के शमन के लिए संहिता के नियमों के अधीन पहली बार किए गए अपराध के लिए नियोक्ता को नोटिस नोटिस नंबर..... तारीख:

मेरे सामने पेश किए गए रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर, नीचे हस्ताक्षर करने वाले के पास यह मानने के कारण हैं कि आपने, प्रतिष्ठान (रजिस्ट्रेशन नंबर.....) के नियोक्ता होने के नाते, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संहिता या स्कीम या मानकों या नियमों या उसके अधीन बनाए गए नियमितो के नियमों का उल्लंघन करने का अपराध किया है:-

भाग - I

1.	व्यक्ति का नाम:	
2.	प्रतिष्ठान का नाम और पता:	
3.	प्रतिष्ठान का पंजीकरण संख्या:	
4.	अपराध का विवरण:	
5.	संहिता/योजना/नियमों/विनियमों के वे उपबंध जिनके अधीन अपराध किया गया है:	
6.	अपराध के शमन के लिए भुगतान की जाने वाली शमन राशि:	
7.	क्रम संख्या 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करने के लिए खाते का नाम और विवरण:	

भाग - 2

उपर्युक्त के आलोक में, आपके पास यह विकल्प है कि आप इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, भाग-I की क्रम संख्या 6 में उल्लिखित पूरी राशि का भुगतान कर दें और इस नोटिस के भाग-3 में दिए गए आवेदन को विधिवत भरकर वापस भेज दें।

यदि उक्त राशि निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो इस संबंध में कोई और अवसर दिए बिना, अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख :

स्थान:

प्रति:

..... (नियोक्ता/स्थापन)

..... (नाम और पंजीकरण संख्या)

..... (पता)

भाग - 3
[नियम 182(2) देखें]

अपराध के शमन के लिए धारा 114 के अधीन आवेदन

संदर्भ: सूचना संख्या.....

तारीख :

अधोहस्ताक्षरी ने भाग-I की क्रम संख्या 6 में निर्दिष्ट पूरी राशि जमा कर दी है और भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है; साथ ही, भाग-I में उल्लिखित अपराधों के शमन का अनुरोध किया जाता है।

8. जमा की गई शमन राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार की गई रसीद की प्रति संलग्न की जानी है):

9. यदि उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए कोई अभियोजन (मुकदमा) दायर किया गया है, तो उसका विवरण दिया जा सकता है:

10. क्या यह अपराध पहला अपराध है, या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था? यदि किया था, तो उस अपराध का पूरा विवरण दें:

11. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहता है:

(हस्ताक्षर)
(अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

तारीख :

स्थान:

प्रति:

.....(शमन अधिकारी)

.....(कार्यालय का नाम)

.....(पता)

भाग-4

[नियम 182(3) देखें]

शमन प्रमाण-पत्र

संदर्भ: सूचना संख्या.....

तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 114 के अधीन किया गया अपराध, जिसके संबंध में सूचना संख्या तारीख: _____ श्री.....
(आवेदक), जो (प्रतिष्ठान का नाम और पंजीकरण संख्या) के नियोक्ता हैं, को जारी की गई थी; उस अपराध का समझौता,
उक्त सूचना की संतुष्टि हेतु, अपराधों के समझौते की दिशा में (रुपये _____) की पूरी राशि की छूट के
कारण कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख :

स्थान:

प्रति:

.....(नियोक्ता/ प्रतिष्ठान)

.....(नाम और पंजीकरण संख्या)

.....(पता)

[फा. सं. एस-65025/01/2021-आईएसएच.II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 345(E).—Whereas the draft of the rules, as required under sections 133 and 134 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) was published in the Official Gazette *vide* G.S.R 934 (E), dated the 30th December 2025 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the Gazette notification were made available to the public on the 30th December, 2025;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, in exercise of the powers conferred by sections 133 and 134 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and in supersession of the-

1. Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Rules, 1990;
2. Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) (Central) Rules, 1998;
3. Mines Rules, 1955;
4. Mines Rescue Rules, 1985;
5. Mines Vocational Training Rules, 1966;
6. Pithead Bath Rules, 1959;
7. Mines Crèche Rules, 1966;
8. Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971;
9. Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1979.
10. Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Rules, 1957;
11. Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Rules, 1984;
12. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Rules, 1976;
13. Ease of Compliance to Maintain Register under various Labour Laws Rules, 2017 to the extent these rules are made in exercise of the powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996); section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970); section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979); section 58 read with section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952); section 12 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act,

1976 (11 of 1976); section 20 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) and applicable accordingly;

14. Working Journalist (Fixation of Rates of Wages) Rules, 1958; and

15. Working Journalists and Other Newspaper Employees Tribunal Rules, 1979,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Central Government hereby makes the following, rules, namely:-

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Code” means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020);

(b) “FORM” means FORMS annexed in Annexure VII to these rules;

(c) “Officer in charge of canteen” means the person (other than manager) appointed by the employer for securing compliance with the provision in respect of canteen under the code.

(d) “Annexure” means list annexed to these rules;

(2) The words and expressions used in these rules and are not defined therein, but are defined in the Code, shall have meanings respectively assigned to them in the Code.

CHAPTER II REGISTRATION

3. Application for registration.- (1) An employer seeking registration for an establishment shall apply electronically in **FORM-I** containing the particulars of the establishment, accompanied by documents relating to registration of the establishment, proof of identity and address on the Shram Suvidha Portal or Portal as may be designated by the Central Government by giving details about the establishment.

(2) Where an application under sub-rule (1) is complete in all respects, the certificate of registration shall be issued in **FORM-III** electronically forthwith, but in any case not later than seven days from the date of submission of complete application:

Provided that if the certificate of registration is not issued within the period specified, the establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto-generated in **FORM-III**.

(3) The late fee for registration after expiry of sixty days from the date of notification of these rules, shall be specified through general or special order by the Central Government issued from time to time.

(4) The certificate of registration shall be non-transferable and shall be displayed at conspicuous places within the premises of the establishment.

(5) Where an employer fails to comply with the requirements of sub-rule (1), the Registering Officer under the Code may, by order, direct such employer to comply with such requirements within the time specified in such order.

(6) An employer of an establishment already registered under any other Central labour laws for the time being in force shall within six months from the date on which rules come into force, update the registration particulars in **FORM-I**:

Provided that no such cancellation shall be made unless the establishment has been given an opportunity to show cause, within a period of thirty days, either electronically or by speed post, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(7) The employer shall quote the registration number on all documents prepared or completed by the employer in connection with the rules or the schemes, made thereunder and in all correspondence with the office concerned.

(8) Any change in the particulars furnished in **FORM-I** shall be updated on the portal by the employer within thirty days of such change and where the application for amendment is complete in all respects, the amended certificate of registration shall be issued electronically in **FORM-III** not later than seven days from the date of submission of complete application,

failing which amended certificate of registration shall be auto generated.

- (9) The registering officer shall maintain in **FORM-V** showing the particulars of establishment in relation to which certificates of registration have been issued.
- (10) The employer shall within thirty days of the closing of the establishment other than mines, intimate to the Registering Officer and also to Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area where the establishment is situated intimating the actual date of closing of establishment in **FORM-II** along with certificate of payment of all dues and statutory returns to the workers employed in such establishments and such information shall be auto-shared to Employees' Provident Fund Organisation and Employees' State Insurance Corporation.
- (11) On receipt of **FORM-II** complete in all respects, the registering officer shall cancel the certificate of registration and issue cancellation of certificate of registration in **FORM-IV** electronically within sixty days from the receipt of **FORM-II**. If registering officer fails to cancel the registration certificate of the establishment within sixty days then the cancellation of registration certificate shall be auto generated in **FORM-IV**.

4. Notice of commencement and cessation of operation.- (1) The employer of establishment relating to contract labour or building or other construction work shall within thirty days of the commencement or cessation of operation of the establishment, submit a notice in **FORM-VI** to the registering officer and also to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area where the establishment is situated.

(2) The notice of cessation of operation under sub-rule (1) shall be accompanied by a certificate stating that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Provided that in the case of mines, the employer of every mine shall give not less than thirty days' prior notice of the commencement, reopening, cessation, discontinuation or abandonment of operations or closing of mines in **FORM- VII**.

CHAPTER III

DUTIES OF EMPLOYER AND EMPLOYEE

5. Annual health examination of employees.- (1) Every employer of dock work, building or other construction work shall arrange to conduct free of cost, medical examination for employee, who has completed forty years of age.

(2) The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner and a certificate shall be provided **FORM-VIII** to both the employer and employee:

Provided that an employer may avail the facility for medical examination of the employees through the Employees' State Insurance Corporation:

Provided further that in case of mines, additional tests and conditions of annual medical examinations of employees shall be governed under Rule 109.

6. Letter of appointment to employee.- No employee shall be employed in any establishment unless an appointment letter has been issued to such employee in the format given below:

Format

- (i) Name of employee:
- (ii) Date of birth:
- (iii) Father's / Mother's name:
- (iv) Aadhaar number (after obtaining consent):
- (v) Labour Identification Number of the establishment:
- (vi) Universal Account Number and / or Insurance Number (if available):
- (vii) Designation:
- (viii) Type of Employment (Regular/Fixed-term employment/Contractual):
- (ix) Category of skill:
- (x) Date of joining:
- (xi) Wages/Basic/Pay and Dearness Allowance:
- (xii) Other allowance including accommodation whichever is/are applicable:
- (xiii) Applicability of social security [Employees' Provident Fund Organisation and Employees' State Insurance Corporation] benefits:
- (xiv) Broad Nature of duties to be performed:
- (xv) Benefits available under Chapter VI (Maternity Benefit) of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) (in case of women employee):
- (xvi) Any other information:

Signature / Digital Signature
of Employer

7. Notice of accidents and dangerous occurrences.- (1) Where at any place in an establishment, an accident occurs resulting to death, the employer of the establishment shall inform to the Inspector-cum-Facilitator forthwith in a notice in **FORM-XI** and inform electronically and by telephone to the Chief Inspector-cum-Facilitator(s), Inspector-cum Facilitator(s), District Magistrate or Sub-divisional Officer and the officer-in-charge of the jurisdictional police station and the family members or kin of the victim.

(2) Where at any place in an establishment, an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty eight hours or more immediately following the accident, the employer of the establishment shall inform in

FORM-XI within twelve hours after the completion of forty-eight hours, electronically to the Inspector-cum-Facilitator(s).

(3) Where in any establishment, dangerous occurrence as specified in sub-rule (4), whether causing any bodily injury or disability or not, the employer shall within twelve hours send an intimation to-

- (i) the Inspector-cum-Facilitator; and
- (ii) the District Magistrate or Sub-divisional Officer:

Provided that if in case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer of the establishment shall forthwith send a notice thereof by telephone and electronically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within twelve hours of the death:

Provided further that, if the period of disability from working for forty-eight hours or more referred to in sub-rule (2) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later on occurs in more than one spell, the report there of shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator and District Magistrate or Sub-divisional Officer; in the **FORM-XI** within twenty-four hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes forty-eight hours.

(4) The following classes of dangerous occurrences, whether or not they result in bodily injury or disablement:

- (i) bursting, of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure;
- (ii) collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane;
- (iii) explosion, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed;
- (iv) explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas;
- (v) collapse or failure of lifting appliances or hoists or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work;
- (vi) a spontaneous heating or outbreak of fire or appearance of smoke or other indication of heating or outbreak of fire in belowground mines;
- (vii) collapse or subsidence of floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or

- subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork; contact work, excavation and collapse of transmission;
- (viii) spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;
 - (ix) an eruption or inrush of water or other liquid matter in mines;
 - (x) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment;
 - (xi) fall from a height of any excavation, loading or transport machinery, falling of objects from a height;
 - (xii) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars in working below ground;
 - (xiii) a rock-burst in working below ground; a premature collapse of any part of the working;
 - (xiv) a breakage, fracture or failure of a part of any machinery or apparatus including any derrick, draw-works, casing line or failure of emergency brake, whereby the safety of persons may be endangered;
 - (xv) a slide causing injury to any person, damage to any machinery or interruption of normal mining operations;
 - (xvi) failure of dump or side in opencast working;
 - (xvii) a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may be endangered;
 - (xviii) an uncontrolled chemical spillage;
 - (xix) a blowout in case of oil mines;
 - (xx) spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person;
 - (xxi) an explosion or ignition in mines;
 - (xxii) an influx of inflammable or noxious gases in belowground or oil mines;
 - (xxiii) any accident due to explosives in mines;
 - (xxiv) a breakage or fracture of rope, chain, headgear, pulley or axle or bearing thereof or other gear by which persons or materials are lowered or raised in a below ground mine;
 - (xxv) an overwinding or hard landing of cages or other means of conveyance while persons or materials are being lowered or raised in a below ground mine;
 - (xxvi) a breakage or fracture of any part of the winding engine, crankshaft, coupling, bearing, gearing, clutch, drum or drum shaft or failure of emergency brake in a below ground mine;
or
 - (xxvii) any other occurrence as specified through general or special order by the Central Government issued from time to time.

8. Notice of disease.- (1) Where in any establishment, a worker contracts any disease specified in the Third Schedule to the Code, the employer of the establishment shall send a notice

forthwith either electronically or by speed post, to the Inspector-cum Facilitator or Chief Inspector-cum-Facilitator in the following format namely:-

NOTICE OF DISEASE

- (1) Name and address of the employer:
 - (2) Name and address of establishment:
 - (3) Nature of establishment:
 - (4) In case of mines, the name of the mineral:
 - (5) Details of Patient:
 - (a) Name of Patient:
 - (b) Worker number of Patient:
 - (c) Address of patient:
 - (d) Precise occupation of patient:
 - (6) Nature of disease from which patient is suffering:
 - (7) Date of detection of disease:
 - (8) Details of qualified medical practitioner:
 - (9) Has the case been reported to the Medical Officer:
- Date:

Signature of employer

(2) Where qualified medical practitioner attends to a person who is or has been employed in an establishment and who is or is believed by the qualified medical practitioner to be suffering from any disease specified in the Third Schedule to the Code, the medical practitioner shall forthwith send the report in writing to the Chief Inspector-cum-Facilitator stating-

- (a) the name and full postal address of the patient;
 - (b) the disease from which qualified medical practitioner believes the patient to be suffering;
- and
- (c) the name and address of the establishment in which the patient is or was last employed.

9. Duties of employee.- (1) Where any employee becomes aware of an unsafe or unhealthy condition in the establishment, such employee shall as soon as practicable report the matter to the employer or health and safety representative or safety officer or official for their workplace or agent or manager in case of mine.

(2) The representative, safety officer, official, agent or manager, as the case may be, shall thereupon report the matter to the employer immediately.

10. Rights of employee.- On receipt of information from any employee regarding the existence of an imminent danger to safety and health of employees in the establishment, the employer shall take immediate remedial action and whether employee is satisfied with the remedial measures or not, shall send a report of actions taken, to the Inspector-cum-Facilitator electronically or by speed post.

CHAPTER IV

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

11. Provisions relating to National Occupational Safety and Health Advisory Board.-

- (1) The Members of the National Board as specified in clauses (g), (j), (k), (l) and (m) of sub-section(2) of section 16 shall be appointed by the Central Government through notification.
- (2) The National Board may meet to discharge the functions as under sub-section (1) of section 16 as and when required.
- (3) A Member of the National Board, not being an ex officio member, may resign from their office by a letter in writing addressed to the Chairperson of the National Board.
- (4) The seat of such a Member shall fall vacant from the date on which their resignation is accepted by the Central Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by the Central Government whichever is earlier.
- (5) If any Member of the National Board, not being an ex officio member, fails to attend three consecutive meetings of the National Board, without obtaining the leave sanctioned by the Chairperson of National Board for such absence, they shall cease to be a member of National Board:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such Member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such Member shall continue to be a Member of National Board.

(6) A person shall be disqualified for being a Member of the National Board-

- (a) if person is of unsound mind and stands so declared by a competent authority;
- (b) if person is an undischarged insolvent; or
- (c) if person has been convicted for an offence, having a penalty of imprisonment of three months or more;

(7) The Central Government may remove any Member of the National Board, if in its opinion such Member has ceased to represent the interest which such member purports to represent on such National Board:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to such member of making representation against the proposed action under this rule.

- (8) The travelling allowance of an official Member of the National Board shall be governed by the rules applicable to such members for journey performed on official duties and shall be paid by the authority paying for the salary of the members.
- (9) The non-official Members of the National Board shall be paid travelling allowance for attending the meeting of the National Board at such places in accordance with the instructions issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.

12. Technical Committees or Advisory Committees.-

- (1) The Central Government may constitute one or more Technical Committees or Advisory Committees for the purpose of assisting the National Board in discharge of its functions specified in sub section (1) of section 16 of the Code, for such period as in the order constituting Technical Committees or Advisory Committees.
- (2) The Technical Committees or Advisory Committees may be multi-members Committee and consist of members from a government, public, autonomous, private institutions or industries, research, academic institutions or occupational health.
- (3) The members of the committee shall have Bachelor's degree in engineering with Diploma or post-graduate diploma in industrial safety or Master's Degree in Physics or Chemistry or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Associate Fellow of Industrial Health, with an experience of not less than twenty years in regulatory body or industry or research or academic institutions or occupational health may be nominated to the technical committee or advisory committee.
- (4) In case of mines, a member having Bachelor's degree in Mining engineering with First Class Manager's Certificate of Competency to manage a coal or metalliferous mine or Master of Engineering or Master of Technology or Doctor of Philosophy in mining or mechanical or electrical engineering or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, with experience of not less than twenty years in regulatory body or industry or research or academic institutions or occupational health may be nominated to the technical committee or advisory committee.
- (5) The Chairperson of the Technical Committees or Advisory Committees shall be nominated by the Central Government.
- (6) The Technical Committee or Advisory Committees may constitute sub-committees to meet the specific requirements.
- (7) The Technical Committee or Advisory Committees shall follow such rules and procedure including its transaction of business as may be specified through general or special order by

the Central Government or National Board, issued from time to time.

- (8) Travelling allowance for non-official members of the Technical Committee or Advisory Committees shall be as per the instructions by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, issued from time to time.
- (9) A member of the Technical Committees or Advisory Committees, not being an ex officio member, may resign from their office by a letter in writing addressed to the Central Government through the Chairperson of the Technical Committees or Advisory Committees.
- (10) A Chairperson of the Technical Committees or Advisory Committees may resign from their office by a letter in writing addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India.
- (11) The seat of such a member or Chairperson as the case may be, shall fall vacant from the date on which their resignation is accepted by the Central Government or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by Central Government whichever is earlier.
- (12) If any member of the Technical Committees or Advisory Committees, not being an ex officio member, fails to attend two consecutive meetings of such Committee, without obtaining the permission of the Chairperson of such Committee for such absence, such member shall cease to be a member of such Committee:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending two consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of such Committee.

- (13) (i) A person shall be disqualified for being a member of the Technical Committees or Advisory Committees —

- (a) if person is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (b) if person is an undischarged insolvent; or
- (c) if person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude.

- (ii) Where a question arises as to whether a disqualification has been incurred under clause (i), the Central Government shall decide such question and such decisions should be treated as final.

- (14) The Central Government may remove any member or Chairperson of the Technical Committees or Advisory Committees, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which such member purports to represent on such Committee:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to such member of making a representation against the proposed action under this rule.

13. Collection of statistics and portal for inter-State migrant workers.—The employer shall furnish to the Central Government, the detail statistics of inter-State migrant workers and of their occupational safety and health, electronically on web portal designated for the purpose by the Central Government as may be specified through general or special order by the Central Government issued from time to time.

14. Safety Committee.— (1) Every establishment employing five hundred or more workers shall constitute a Safety Committee consisting of representatives of employers and workers. (2) The Central Government may by general or special order specify varying threshold of workers for different classes of establishments issued from time to time.

(3) The tenure of the Safety Committee shall be for three years and it shall meet at least once in every quarter.

Provided that in the case of mines, the Safety Committee shall meet at least once in a month.

(4) The Safety Committee shall be adequately and suitably informed of—

- a. potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace; and
- b. data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees of such establishments.

(5) The employer shall, within fifteen days from the date of receipt of the recommendations of the Safety Committee take action to implement such recommendations.

15. Composition of Safety Committee.— (1) The representatives of the management on Safety Committee, except in mine, shall consist of—

- (i) a senior official, who by their position in the organisation can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Chairman;
- (ii) a Safety Officer and qualified medical practitioner wherever available and the Safety Officer shall act as Secretary of the Committee; and
- (iii) One representative from the production, maintenance and purchase departments.

(2) The Safety Committee shall consist of an equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed twenty;

(3) the representatives of the employer in the Safety Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as possible, be officials directly associated with the working of the establishment, preferably the heads of major departments of the establishment;

(4) the representative of the workers in the Safety Committee shall be chosen in the following manner, namely: -

- (a) where there is a sole negotiating union or a negotiating council or negotiating union, shall nominate the worker's representatives on the Safety Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Safety Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Unions;
- (b) where there is no sole negotiating union or negotiating union or negotiating council as referred in the clause (a), the workers of the establishment shall choose amongst themselves:

Provided that the employer may, deploy an electronic process for choosing representative of workers:

Provided further that there shall be adequate representation of women and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total number of workers employed:

Provided also that in case there is no recognized both negotiating union or negotiating council and where any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Safety Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Labour Commissioner (Central), who shall after hearing the parties decide the matter and the decision of Regional Labour Commissioner (Central) shall be final.

- (c) the tenure of the members of the Safety Committee shall be three years.

(5) The minutes of the meeting of the Safety Committee shall be recorded.

(6) The function and duties of the Safety Committee in an establishment shall include –

- (i) assisting and cooperating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the 'Safety and Health Policy of the establishment;
- (ii) dealing with all matters concerning health, safety and environment and to arrive at practicable solutions to problems encountered;
- (iii) creating safety awareness amongst all workers;
- (iv) undertaking educational, training and promotional activities;
- (v) discussing reports on safety, environmental and occupational health surveys, safety audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the

- recommendations made in the reports;
- (vi) looking into the matters likely to cause danger to the safety and health of the workers and suggesting corrective measures; and
- (vii) reviewing the implementation of the recommendations made by it.

16. Composition of Safety Committee in mines. – (1) The Safety Committee shall consist of an equal

number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed twenty.

(2) The representative of the employer on safety committee, in the mine shall be nominated by the employer and shall, as far as possible, be officials in direct touch with or associated with the workings of the mine, preferably the heads of major departments of the mine and will consists of;

- (a) the manager referred to in section 67 of the Code shall be the Chairman;
- (b) five officials or competent persons of the mine nominated by the Chairman;
- (c) the Safety Officer, or where there is no safety officer, the senior most official next to the manager, who shall act as Secretary to the Committee;

(3) The representative of the workers in the Safety Committee shall be chosen in the following manner, namely: -

- (a) where there is a sole negotiating union or a negotiating council or negotiating union, shall nominate the worker's representatives on the Safety Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Safety Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Unions.
- (b) where there is no sole negotiating union or negotiating union or negotiating council as referred to the clause (a), the workers of the establishment shall choose amongst themselves:

Provided that, the employer may, deploy an electronic process for choosing representative of workers:

Provided further that there shall be adequate representation of women workers on the Safety Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total number of workers employed.

Provided also that in case there is no recognised negotiating union or negotiating council and where any dispute arises regarding the choice of the representative to the Safety Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Labour Commissioner (Central), who shall after hearing

the parties decide the matter and the decision of Regional Labour Commissioner (Central) shall be final.

Provided also that the workers representatives at least one each from mining, electrical and mechanical discipline shall be nominated or elected as the case may be:

(c) the tenure of the members of the Safety Committee shall be three years.

17. Functions of Safety Committee in case of Mines.— The functions of the Committee shall be-

- (a) to discuss remedial measures against the unsafe conditions and practices in the mine as pointed out in the reports of representative brought to the notice of the Committee and make appropriate recommendations;
- (b) to consider, before commencement of operations in any, new area of the mine or installations of oil mine or commissioning of new electrical or mechanical installation or introduction of new mining technique, the proposed safety and health measures;
- (c) to discuss the report of inquiry into accident, dangerous occurrences etc., and make appropriate recommendations;
- (d) to formulate and implement appropriate Safety Campaigns based on analysis of accidents and dangerous occurrences;
- (e) to serve as a forum for communication on Safety and occupational health matters; and
- (f) to discuss the standard operating procedures (SOP) prepared for different plant, equipment, installations and methods at the mine and make appropriate recommendations.
- (g) to review the Safety Management Plan.

18. Safety officer for Dock Work and Building or Other Construction Work.- (1) In every establishment of dock work wherein five hundred or more workers and building or other construction work wherein two-hundred and fifty or more workers are ordinarily employed, the employer shall employ safety officer as per the scale mentioned below:-

(a) For dock work-

- (i) up to 1000 workers - one safety officer;
- (ii) up to 2000 workers – two safety officers;
- (iii) up to 5000 workers – three safety officers;
- (iv) up to 10,000 workers – four safety officers;
- (v) for every additional 5000 workers or part thereof- one safety officer.

(b) For building or other construction work-

- (i) up to 500 workers- one safety officer;

- (ii) up to 1000 workers – two safety officers;
 - (iii) up to 2000 workers – three safety officers;
 - (iv) up to 5,000 workers –four safety officers ;
 - (v) for every additional 2000 workers or part thereof- one safety officer.
- (2) A person shall not be eligible for appointment as a safety officer relating to dock work or building or other construction work unless possesses –
- (a) a recognised degree in any branch of engineering or technology and has had practical experience of working in a supervisory capacity for a period of not less than two years; or
 - (b) a recognised degree in physics or chemistry and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than five years; or
 - (c) a recognised diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than five years;
 - (d) possesses a degree or diploma in industrial safety recognised by the Central or State Government; or post-graduate diploma in industrial safety from Central Labour Institute or Regional Labour Institutes under Directorate General of Occupational Safety and Health.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), any person who –
- (a) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than five years in a department of the Central Government or the State Government which deals with the administration of legislations pertaining to the factories or building or other construction works or dock works;
 - (b) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than five years in training, education, consultancy, or research in the field of accident prevention in industry or in any institution; shall be eligible for appointment as a Safety Officer.

19. Duties of Safety Officers in case of dock work and building or other construction work.-The

duties of a Safety Officer shall be to advise and assist in the fulfilment of statutory obligations, concerning prevention of personal injuries and maintenance of a safe working environment and shall include the following, namely:-

- (a) advising the concerned departments in planning and organising measures necessary for the effective control of personal injuries;
- (b) advising on safety aspects in all job studies and to carry out detailed job safety studies of selected jobs;
- (c) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;
- (d) to provide advice on matters related to carrying out safety inspections;
- (e) to carry out plant safety inspections observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by workers and to render advice on measures to be

adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by workers;

- (f) to render advice on matters related to reporting and investigation of accidents, dangerous occurrences and diseases;
- (g) to investigate selected accidents and dangerous occurrences ;
- (h) to investigate the cases of notifiable diseases listed in the Third Schedule to the Code;
- (i) to organise in association with the concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures;
- (j) to design and conduct either independently or in collaboration with the training department, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries; and
- (k) the safety officer shall maintain in a bound paged book or in retrievable and non-editable electronic form a detailed record of the work performed by safety officer.

20. Safety officer in case of mines.- (1) At every mine, wherein one hundred or more workers are ordinarily employed, the employer shall appoint safety officer on a scale of one up to five hundred workers and an additional one for every additional five hundred workers or part thereof.

(2) The Safety Officers shall possess the qualifications, namely:-

(a) in case of coal mine-

- (i) for belowground mines, person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Coal), granted by Directorate General of Mines Safety;
- (ii) for opencast mines, person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) restricted to mines having opencast workings only, granted by Directorate General of Mines Safety;

(b) in case of metalliferous mines-

- (i) for belowground mines, person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Metal), granted by Directorate General of Mines Safety;
- (ii) for opencast mines, a person holding a Manager's Certificate of Competency (Metal) or a Manager's Certificate of Competency (Metal) restricted to mines having opencast workings only, granted by the Directorate General of Mines Safety;

(c) in coal and metalliferous mines wherein more than one safety officer is appointed under sub-rule (1), a safety officer with degree in mechanical engineering may also be appointed, who shall report to the safety officer from mining engineering.

(d) In case of oil mines, a safety officer shall have a degree in engineering or in industrial safety from an educational institution recognised by the Central or State Government or post-graduate diploma in industrial safety from the Central Labour Institute or the Regional Labour Institutes under Directorate General of Occupational Safety and Health and having experience in the management or supervision of operations in oil mines for a period of not less than five years.

21. Duties of Safety Officer in case of mines.- (1) It shall be the duty of the safety officer in a mine to assist the manager in matter relating to safety in the mine.

- (2) The Safety Officer shall ensure that an appropriate emergency plan is in place and the requirements of the same are implemented.
- (3) Except in an emergency, no duties other than those specified in sub-rule (1) and sub-rule (5) shall be assigned to the safety officer.
- (4) The safety officer shall maintain in a bound paged book or in retrievable and non-editable electronic mode a detailed record of the work performed by safety officer.
- (5) The duties of the safety officer shall be-
 - (a) to visit the surface, aboveground and underground parts of the mine, installations of the oil mine, with a view meeting the employees on the spot, to talk to them on matters of safety and invite suggestions thereon;
 - (b) to take charge of the newly recruited staff and show them around the mine pointing out the safe and unsafe acts during the course of their work in the mine;
 - (c) to investigate all types of accidents, dangerous occurrences and incidents in the mine including minor accidents and to analyze the same with a view to pinpointing the nature and common causes of accidents and dangerous occurrences in the mine;
 - (d) to maintain detailed statistics about mine accidents and to analyse the same with a view to pinpointing the nature and common causes of the accidents in the mine;
 - (e) to study and apprise the manager referred to in section 67 of the Code, of all possible sources of danger such as inundation, fire, coal dust, blowout in oil mines and others;
 - (f) to hold safety classes and give safety talks and lectures to the members of the supervisory staff;
 - (g) to organise safety weeks and other safety education programmes in mines;
 - (h) to see that all concerned mine employees are fully conversant with various standing orders, code of practice, support plan, and like other matters;
 - (i) assist in the formulating of programme for training at the mine level, including vocational training, training in gas testing, fire-fighting and first aid, and like other matters;
 - (j) to report to the manager referred to in section 67 of the Code as a result of visits to the various parts of mine, as to whether the provisions of the Code, and the rules and regulations made thereunder are being complied with in the mine; and
 - (k) to promote safe practices generally and to lend active support to all measures intended for furthering the cause of safety in the mine and follow up measures for compliance.

CHAPTER V
HEALTH, SAFETY AND WORKING CONDITIONS
A. FACTORIES

22. Cleanliness and hygiene.- Employer of every factory shall ensure that: -

- (i) all workplaces, workrooms, passageways, staircases, storerooms and service rooms are kept in sanitary and hygienic condition;
- (ii) surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and maintained in a hygienic condition;
- (iii) the floor of every workroom is maintained in a clean and so far as is reasonably practicable, dry and non-slippery condition;
- (iv) where wet work processes are carried out—
 - (a) effective drainage is maintained;
 - (b) false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - (c) anti-skid footwear and other suitable safety and protective gears for use while at work in such place are provided without expense to the employees;
- (v) workrooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (vi) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (a) during intervals between work; and
 - (b) in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (vii) where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances;
- (viii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of every type of waste are made under the effective supervision.

23. Ventilation, temperature and humidity.- Employer of every factory shall ensure that:-

- (i) suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature, and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours;

- (ii) steps are taken as are necessary to provide at all workplaces of the factory, adequate ventilation to clear away smoke and fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless;
- (iii) adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing protective clothes or other suitable provisions, as necessary free of charge;
- (iv) where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation or where it is difficult to get the desired amount of air to the workroom without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided;
- (v) where local heating apparatus, as may be necessary owing to the nature of work, are installed in workrooms, the layout of the apparatus in the room shall be such that combustion gases are prevented from entering the atmosphere of the room;
- (vi) temperature suitable for the type of work performed is maintained in workrooms and the degree of humidity be maintained for comfort of the workers;
- (vii) where owing to the nature of work, excessive high temperatures are generated, all employees shall be protected, either by heat insulation of the equipment or by other suitable means, against heat radiation and excessive temperature generated due to steam or hot-water pipes or other hot surfaces.

24. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities. - Employer of every factory shall ensure that:-

- (i) wherever exhaust systems for removal of flammable fumes, gases, mists, vapors or residues are required to be installed, they are not to be connected to any other ventilating system or discharged into a chimney or flue used for conveying gases of combustion;
- (ii) when fumes, gases, mists, vapors, dust and other refuse discharged from exhaust systems is likely to have adverse effect on the health or noxious for the employees or the neighborhood, the exhaustion shall be effected through a system that neutralizes toxic substances, sterilize infectious substances and deodorize fumes, gases, mists or vapors;
- (iii) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until practicable measures have been taken to bring the levels of noxious gas, fume, vapour or dust, which may be present, within the permissible limits.

25. Artificial humidification.— Employer of every factory in which humidity of the air is artificially increased shall ensure that:-

- (i) if employees are exposed in all or some of their tasks to extreme heat and high humidity, and the hazard cannot be eliminated, then the risks to safety and health shall be assessed and the controls necessary to reduce the hazard or risks shall be effected;

- (ii) the above risk assessment takes into account including the use of appropriate protective clothing against hazardous substances that can increase the risk of heat stress and also that respiratory protectors are uncomfortable and less likely to be used in extremely hot working environments;
- (iii) where part of the risk arises from the metabolic heat produced during work or from direct exposure to sunlight and high outdoor air temperatures and when other methods of eliminating the risk are impracticable, a work-rest cycle for exposed employees, preferably in a shaded, air-conditioned or cooler resting space shall be provided to allow the employee to recover;
- (iv) to maintain hydration, sufficient quantities of drinking water, with the proper electrolytes, where appropriate, are provided at easily accessible places;
- (v) where a residual risk of heat stress remains even after all the practical control measures have been taken, employees are to be adequately supervised so that they can be withdrawn from the hot and humid conditions if symptoms occur. Also, that first-aid facilities, and staff is trained in the use of such facilities, are available;
- (vi) employees exposed to extreme hot and humid conditions are instructed and trained:
 - (a) to recognise symptoms which may lead to heat stress, in themselves or others, and the steps to be taken to prevent onset and or emergencies; and
 - (b) in the action to be taken in the event of the increased risk of accidents because of high temperatures or humidity;
- (vii) tests for determining the relative humidity of the air are carried out and recorded and if humidity level of the air is found to be harmful to the health of employees, it is artificially regulated in such a manner that humidification and temperature do not cause discomfort to employees and the water used for the purpose is taken from public supply or other source of drinking water or is purified before it is so used;
- (viii) Instruments for measurement and recording of humidity and temperature at appropriate location are provided and maintained.

B. MINES

26. Cleanliness and hygiene.- The employer of every mine shall ensure that: -

- (i) all workplaces, workrooms, passageways, staircases, storerooms and service rooms are kept in sanitary and hygienic condition;
- (ii) surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and

- maintained in a hygienic condition;
- (iii) the floor of every workroom is maintained in a clean and so far as possible, dry and non-slippery condition;
- (iv) where wet work processes are carried out—
 - (a) effective drainage is maintained;
 - (b) false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - (c) anti-skid footwear and other suitable safety and protective gears for use while at work in such place are provided without expense to the employees;
- (v) workplaces are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (vi) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (a) during intervals between work; and
 - (b) in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (vii) where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances;
- (viii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of every type of waste are made under the effective supervision.

27. Ventilation, temperature and humidity.- The employer of every belowground mine shall ensure that: -

- (i) suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours;
- (ii) steps are taken as are necessary to provide at all workplaces of the belowground mine, adequate ventilation to clear away smoke, fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless;
- (iii) adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing protective clothes or other suitable provisions, as necessary;
- (iv) where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation or where it is difficult to get the desired amount of air to the workrooms without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided;

- (v) at every workplace at the surface of the mines, the temperature suitable for the type of work performed is maintained in workplaces and the degree of humidity varied in accordance with the kind of work and the outside temperature and humidity;
- (vi) measurements of air quantity, temperature and humidity are regularly taken and brought up- to-date the entries at each air measurement station.

28. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.- The employer of every belowground mine shall ensure that:-

- (i) such steps as may be necessary are taken for minimising emissions of any gas, fume, vapor or dust which may enter the air at any workplace and for ensuring that the exposure of employees to respirable dust, gas, fume or vapor is limited to an extent that is reasonably practicable but, in any case, not exceeding the limits that are harmful to the health of employees.
- (ii) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until all practicable measures have been taken to remove any noxious gas, fume, vapors or dust, which may be present so as to bring their levels within the permissible limits.

29. Artificial Humidification.- The employer of every belowground mine shall ensure that:-

- (i) in respect of any belowground mine or part thereof, tests for determining the relative humidity of the air is carried out and recorded and if humidity level of the air is found to be harmful to the health of employees, is artificially regulated in such a manner that humidification and temperature do not cause any discomfort to employees;
- (ii) the water used for the purpose is taken from public supply or other source of drinking water or is purified before it is so used;
- (iii) instruments for measurement and recording of humidity and temperature at appropriate locations are provided and maintained by the employer;
- (iv) employees are trained to recognize symptoms which may lead to heat stress.

C. BUILDING OR OTHER CONSTRUCTION WORK

30. Cleanliness and hygiene.- Every employer of a building or other construction work shall ensure that:-

- (i) every building or other construction work site including its premises and surroundings are kept clean and maintained in hygienic and sanitary condition;
- (ii) place is provided for proper storage of materials and equipment;
- (iii) scrap, waste and debris are removed at appropriate intervals;
- (iv) loose materials which are not required for use is not placed or allowed to accumulate on the site

- so as to obstruct means of access to and egress from workplaces and passageways;
- (v) workplaces and passageways that are slippery are cleaned up or strewn with sand, sawdust, ash or the like;
 - (vi) where a floor is liable to become wet in the course of building or other construction works, effective drainage is maintained, kept in dry and non-slippery state and suitable safety and protective gear free of charge be provided to employees;
 - (vii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of every type of waste are made under the effective supervision.

31. Ventilation, temperature and humidity.—Every employer of a building or other construction work shall ensure that:-

- (i) where an employee is likely to be exposed to any chemical, physical or biological hazard to such an extent as is liable to be dangerous to health, appropriate preventive measures are taken against such exposure;
- (ii) the preventive measures referred under sub-rule (i) above shall comprise of-
 - (a) the replacement of hazardous substances by harmless or less hazardous substances wherever possible; or
 - (b) technical measures applied to the plant, machinery, equipment or process:

Provide that where it is not possible to comply with sub-rule (ii), other effective measures, including the use of appropriate personal protective equipment and protective clothing are provided free of charge.
- (iii) where employees are required to enter any area in which a toxic or harmful substance may be present or in which there may be an oxygen deficiency or a flammable atmosphere, adequate measures are taken to guard against danger;
- (iv) whenever heat stress, cold or wet conditions are such that they can lead to impairment of health or extreme discomfort, preventive measures are taken, such as-
 - (a) proper design of the workload and workstation, with special regard to employees in cabins, and command or driving operations;
 - (b) training, to enable detection of early signs of disorders;
 - (c) supply of appropriate protective equipment and clothing;
 - (d) routine medical surveillance;
 - (e) drinking water and electrolyte.

- (v) necessary steps are taken to constantly provide at all work places of the building or other construction work site, adequate ventilation to clear away smoke and fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless, to provide air containing sufficient oxygen and to prevent such excessive rise of temperature or humidity which may be harmful to the health of the persons employed therein;
- (vi) where the nature of the work carried out in the building or other construction work site involves or is likely to involve production of excessively high temperatures, adequate measures as are practicable are taken to protect the employees therefrom, by separating the process which produces such temperatures from the workplace, by insulating the hot parts or by other effective means;
- (vii) where part of the risk arises from the metabolic heat produced during work or from direct exposure to sunlight and high outdoor air temperatures, and when other methods of eliminating the risk are impracticable, a work-rest cycle for exposed employees, preferably in a shaded, cooler resting space shall be provided to allow the employee to recover;
- (viii) measurement of air quantity, temperature and humidity are regularly taken and brought up to date the entries at each air measurement station;
- (ix) ventilation in tunneling shall provide for -
 - (a) removal of the pollutants (exhaust gases of the vehicles, blasting fume, dust) and establishment and maintenance of a climatic state (temperature, humidity) in accordance with the required physical activities of the work force in the underground building or other construction work sites;
 - (b) choice of the ventilation system for a specific site depending on the complexity of the project (tunnel length and diameter, single or double bore, cooling requirements, intermediate multifunction stations, etc.);
 - (c) natural or artificial ventilation be so designed as to introduce a sufficient quantity of fresh or purified air per person and per hour into an area, considering the nature and conditions of the work;
 - (d) appropriate measures are taken to ensure that in enclosed premises a suitable hygrometric level in the air is maintained;
 - (e) the following instruments on the tunneling site-
 - (i) Oxygen level measuring instrument;
 - (ii) presence of flammable gases measuring instrument;
 - (iii) temperature measuring instrument;
 - (iv) dust concentration measuring instruments; and
 - (v) toxic gas measuring instrument.
 - (f) the air supply intake points for all air compressors located at places where such intake air does

not get contaminated with dust, fumes, vapor and exhaust gases or other contaminants.

32. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.— Every employer of a building or other construction work shall ensure that:-

- (i) such steps as may be necessary for minimizing of emissions of any gas, fume, vapor or dust which may enter the air at any workplace and for ensuring that the exposure of employees to respirable dust, gas, fume or vapor is limited to an extent that is reasonably practicable but in any case, not exceeding the limits that are harmful to the health of employees;
- (ii) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until all practicable measures have been taken to bring the levels of noxious gas, fume, vapour or dust, which may be present, within the permissible limits.

D. BEEDI AND CIGAR WORK

33. Cleanliness and hygiene.— The employer of every industrial premise for manufacture of beedi and cigar shall ensure that:-

- (i) every industry including its premises and surroundings are kept in sanitary and hygienic condition;
- (ii) surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and maintained in a hygienic condition;
- (iii) the floor of every workroom is maintained in a clean and, so far as possible, dry and non-slippery condition;
- (iv) where wet work processes are carried out —
 - a. effective drainage is maintained;
 - b. false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - c. anti-skid footwear and other suitable safety and protective gears for use while at work in such place are provided without expense to the employees;
- (v) workrooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (vi) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - a. during intervals between work; and
 - b. in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (vii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of waste are made under the effective supervision.

34. Ventilation, temperature and humidity.- The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (i) suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours;
- (ii) adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing protective clothes or other suitable provisions, as necessary, free of charge;
- (iii) where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation, or where it is difficult to get the desired amount of air to the workroom without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided.

35. Precaution against dust.- The employer of every industrial premise shall ensure that no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until practicable measures have been taken to bring the levels of dust particles, which may be present, within the permissible limits.

E. MOTOR TRANSPORT WORK

36. Cleanliness and hygiene.- The employer of every motor transport undertaking shall ensure that: -

- (i) all workplaces, workrooms, passageways, staircases, storerooms and service rooms are kept in sanitary and hygienic condition;
- (ii) surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and maintained in a hygienic condition;
- (iii) the floor of every workroom is maintained in a clean and, so far as possible, dry and non-slippery condition;
- (iv) where wet work processes are carried out—
 - (a) effective drainage is maintained;
 - (b) false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - (c) anti-skid footwear and other suitable safety and protective gear for use while at work where ever required in such places without expense to employees;

- (v) workrooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (vi) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (a) during intervals between work; and
 - (b) in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (vii) where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances;
- (viii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of waste are made under the effective supervision.

37. Ventilation, temperature and humidity.— The employer of every motor transport undertaking shall ensure that: -

- (i) suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours;
- (ii) steps are taken as are necessary to provide at all workplaces of the motor transport undertaking, adequate ventilation to clear away smoke and fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless;
- (iii) adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing appropriate protective clothes or other suitable provisions, as necessary free of charge;
- (iv) where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation, or where it is difficult to get the desired amount of air to the workroom without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided.

38. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.— The employer of every motor transport undertaking shall ensure that: -

- (i) where exhaust systems for removal of flammable fumes, gases, mists, vapors or residues are not to be connected to any other ventilating system or discharged into a chimney or flue used for conveying gases of combustion;
- (ii) when fumes, gases, mists, vapours, dust and other refuse discharged from exhaust systems is likely to have adverse effect on the health or noxious for the employees or the neighborhood, the exhaustion shall be effected through a system that neutralizes toxic substances, sterilize infectious substances and deodorize fumes, gases, mists or vapours;

- (iii) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until practicable measures have been taken to bring the levels of noxious gas, fume, vapour or dust, which may be present, within the permissible limits.

F. DOCK WORK

39. Cleanliness and hygiene. - The employer of every dock work shall ensure that: -

- (i) all locations in the ship or dock where dock works are carried and where dock workers are employed are kept clean and maintained in a hygienic condition;
- (ii) all access routes and working areas are kept free from objects and materials that are liable to cause a person to trip or slip;
- (iii) loose gear, tools and similar equipment are kept safely or removed from working areas when not in use;
- (iv) spillages of oil or other materials likely to be a hazard are cleaned up by trained personnel as soon as possible under the effective supervision;
- (v) suitable safety and protective gears for use while at work wherever required are provided without expense to employees;
- (vi) where a floor is liable to become wet, effective drainage be maintained, kept in dry and non-slippery state and suitable anti-skid footwear, free of charge, be provided to employees;
- (vii) all plant and equipment are parked in appropriate designated areas when not in use;
- (viii) for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances;
- (ix) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of waste are made under the effective supervision.

40. Ventilation, temperature and humidity.- The employer of every dock work shall ensure that effective and suitable provisions are made in every dock for securing and maintaining in every building or an enclosure or a reefer hold or chamber or reefer container where dock workers are employed with adequate ventilation maintain such temperature and air movement so as to provide reasonable condition of comfort and to prevent any harm to the health of employees.

41. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.- The employer of every dock work shall ensure that: -

- (i) whenever a dock worker is required to enter into a hold or intermediate deck or other confined space or any other working place where neither natural ventilation nor mechanical ventilation

- system is adequate to keep the content of any gas, fume vapour or dust below the permissible limits, appropriate manhole of adequate size or other effective means of egress shall be provided to avoid exposure of docks workers to health hazards;
- (ii) no dock worker is allowed to enter any hold or tank of a vessel wherein there is given off any dust, fumes or other impurities of such a nature and to such an extent as is likely to be injurious or offensive to the dock workers or in which explosives, poisonous, noxious or gaseous cargoes have been carried or stored or in which dry ice has been used as a refrigerant or which has been fumigated, or in which there is possibility of oxygen deficiency, unless all practical steps have been taken to remove the dust, fumes or other impurities and dangers which may be present and to prevent any further ingress thereof and such holds or tanks are certified to be safe and fit for dock workers to enter the same by the competent person;
 - (iii) when dock workers are exposed to any dust in substantial quantities as in handling bulk cargoes such as grains, fertilizers, cements and other similar cargoes, they are protected by appropriate Personal Protective Equipment, provided free of charge.

G. PLANTATION

42. Cleanliness and hygiene.- The employer of every plantation shall ensure that:-

- (i) all workplaces, passageways, storerooms and service rooms are kept in a hygienic condition;
- (ii) the floor and walls of every service room is maintained in a clean and, so far as possible, dry and non-slippery condition;
- (iii) service rooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (iv) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (a) during intervals between work; and
 - (b) in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (v) where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination in air with pesticides, insecticides, chemicals and toxic substances;
- (vi) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of waste are made under the effective supervision.

43. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.- The employer of every plantation shall ensure that:-

- (i) such steps are taken as may be necessary for minimizing the dust which may exist at plantation that are harmful to the employees;
- (ii) every employee who is engaged in handling, mixing, blending, spraying or applying pesticides, insecticides, chemicals and toxic substances is provided with appropriate protective clothing and Personal Protective Equipment free of charge;
- (iii) the appropriate protective clothing is made of materials which prevent or resist the penetration of any form of pesticides, insecticides, chemicals and toxic formulation. The materials are washable so that the harmful elements are removed after each use. Appropriate Protective clothing consists of the following namely: —
 - (a) protective outer garment with hat;
 - (b) rubber gloves or such other protective gloves extending up to the forearm, made of materials impenetrable to liquids;
 - (c) dust proof goggles;
 - (d) rubber boots;
 - (e) reusable cloth masks;
- (iv) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until all practicable measures have been taken to remove noxious smell from pesticides, insecticides, chemicals and toxic substances, which may be present so as to bring their levels within the permissible limits.

H. COMMON RULES FOR HEALTH, SAFETY AND WORKING CONDITIONS

44. Potable water.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) adequate supply of clean, wholesome and safe drinking water is provided for and be readily accessible to, all employees in all workplaces;
- (ii) any supply of drinking water other than the piped supply is contained in suitable vessels clearly marked or displayed in Hindi or English and in local language, to indicate that the water is safe for drinking and such supply is replenished daily and all necessary precautions are taken to preserve the water and vessels from contamination;
- (iii) except where the water is delivered by a rising jet, the use of common drinking tumblers or cups

is prohibited.

- (iv) where water is unsafe for drinking purposes or is provided for use in other purposes, it is to be so indicated in Hindi or English and in local language:

Provided in case of building or other construction work every employer shall ensure that-

- (a) drinking water for common use is stored only in closed containers from which the water is dispensed through taps;
- (b) if drinking water has to be transported to the worksite, the transport tanks, storage tanks and dispensing container are cleaned and disinfected at regular intervals;
- (c) a supply of drinking water is never connected to a supply of water that is unfit to drink.

45. Overcrowding.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking and dock work shall ensure that:-

- (i) the floor space in any building or any dock area, wharf, jetty in case of dock work is not crowded with machinery in a manner dangerous to employees or be overcrowded with materials or products so as to constitute a menace to them;
- (ii) sufficient space is provided around the individual machines or process units to allow for normal operation, adjustments, ordinary repairs, for materials supplied, in process, or completed;
- (iii) adequate provisions are made to prevent overcrowding at any place where employees are required to work or assemble for any reason in the premises, including:-
 - (a) design and use of signs or symbols (in English or Hindi and in local language) that indicate and illustrate overcrowding related hazards in all working areas specifying the number of employees allowed to work at such places at any one time;
 - (b) vehicle and pedestrian pathways are kept separated using barriers indicated by distinctive colours; and
 - (c) deployment of vehicles are managed effectively and overcrowding is avoided:

Provided that the sub-rule (i) and (ii) shall not be applicable in case of building or other construction work, beedi and cigar work and sub-rule (ii) shall not be applicable to motor transport undertaking.

46. Lighting (Illumination).- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) all places in the establishment including all amenities for utility services where employees work

or pass, or may have to work or pass in emergencies, are provided during time of use with adequate natural or artificial lighting or both, suitable for the operations and the special type of work performed. Natural lighting is arranged wherever possible;

- (ii) artificial lighting is provided or arranged when daylight fails or for areas where the daylight illumination is insufficient wherever possible;
- (iii) at every work place where employees are exposed to risks in the event of failure of artificial lighting, are provided with automatic emergency lighting of sufficient intensity that has energy sources independent of the installations for the general lighting systems are in working condition:

Provided that in case of plantation workers, sub-rule (i) shall not be applicable:

Provided further that in case of Building or other construction work, sub-rule (iii) and the following rules shall apply:-

- (a) close to every workplace of building or other construction work site including all amenities for utility services, adequate and suitable lighting, including portable lighting where appropriate, is provided at every workplace and any other place on the construction site where an employee may have to pass.
- (b) where natural lighting is not adequate to ensure safe working conditions, adequate and suitable lighting, including portable lighting where appropriate, is provided at every workplace and any other place on the construction site where an employee may have to pass.
- (c) artificial lighting, as far as practicable does not produce glare or disturbing shadows.
- (d) where necessary to prevent danger, lamps are protected by suitable guards against accidental breakage.
- (e) the cables of portable electrical lighting equipment are of adequate size and characteristics for the power requirements and of adequate mechanical strength to withstand severe conditions in construction operations.

47.Latrine and urinal accommodation.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (1)(i) in every work place, sufficient latrine and urinal accommodation are provided at conveniently accessible places separately for the use of male, female, transgender and person with disabilities employees;

(ii) such accommodation is sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and sanitary condition at all times;

(2) (i) floor of the latrine, urinal and the sanitary blocks are maintained in non-slippery condition;

(ii) the internal walls of the latrines, urinals and the sanitary blocks are laid in glazed tiles. Alternatively, internal walls of the latrines and urinals are finished in such a manner to provide a smooth, polished and impervious surface to facilitate cleanliness and hygiene;

(iii) sanitary pans of latrines and urinals are kept washed and cleaned at all times;

(3) at least one separate latrine accommodation, for every 25 male and 15 female employees, and at least one separate latrine accommodation each for person with disabilities employees and for transgender employees is provided and at least one urinal for every 15 males employed at the same time. Sufficient water supply is provided in every latrine and urinal accommodation;

(4) while cleaning of latrine and urinal accommodation, adequate signage of cleaning in progress, in English or Hindi and in local language are kept outside such accommodation;

(5) washbasin facility with tap water is made available;

(6) sanitary napkins in sufficient quantity are provided free of charge and maintained in the women's toilets for their use and the same are to be replenished on a daily basis;

(7) disposable bins with lids are provided within the women's toilets for the collection of the used sanitary napkins. The used napkins are safely disposed of. Disposable bins with lids shall also be provided within the toilets for men, transgender and person with disabilities;

(8) every latrine is kept under cover and so partitioned off as to secure privacy, and to have a proper door, fastenings and exhaust;

(9) where male, female, transgender and person with disabilities are employed, outside each latrine block a notice "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For persons with disabilities only", as the case may be, in Hindi or English and in local language, are displayed;

(10) waste or sullage water from latrines and urinals is treated and safely disposed of;

(11) water taps in latrines-

(i) where piped water supply is available, water taps are to be provided in or near such latrine accommodation; and

(ii) if piped water supply is not available, water is provided by the means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrine and urinals:

Provided in case of building or other construction work, plantation and dock works facilities of mobile toilets are provided wherever required.

48. Treatment of waste and effluents. -Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) proper arrangements for discharging liquid effluents and gaseous emission and disposal of solid waste generated in the factory are made;
- (ii) effective arrangements are made for the treatment of wastes and effluents by ensuring compliance with the safety and health requirements;
- (iii) hazards and risks with the handling, storage and processing of wastes and effluents are identified and appropriate preventive and control measures are implemented;
- (iv) appropriate personal protective equipment based on risk assessment of handling the waste and effluents are provided, free of charge; and
- (v) employees handling the wastes and effluents are trained on the identified hazards and risks:

Provided that sub-rule (i) and (ii) shall not apply to beedi and cigar work:

Provided further that in case of plantations, sub-rules (i) and (ii) shall not apply, subject to the condition that—effective arrangements are made for disposal of used packages of pesticides, insecticides, chemicals and toxic substances to prevent their re-use and to prevent environmental, water or air pollution.

CHAPTER VI

WELFARE PROVISIONS

A. COMMON RULES

49. Washing facility.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) suitable and sufficient washing facilities at easily accessible places are provided with regular and adequate supply of water including soap, towels separately for male, female, transgender and person with disabilities employees, which are-
 - (a) separated from the workplaces (and within plantation premises in case of plantation workers);
 - (b) well ventilated;
 - (c) with proper drainage system;
 - (d) maintained in a sanitary and hygienic condition;

- (e) capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
- (f) appropriately demarcated with "For men only" or "For women only" or "for transgender persons only" or "For persons with disabilities only", as the case may be, in Hindi or English and in local language, are displayed outside;

(ii) The use of common towels is prohibited:

Provided in case of building or other construction work additional provisions as follows:-

- (a) where employees are exposed to skin contamination by poisonous, infectious, or irritating substances or oil, grease or dust, sufficient number of appropriate washing facilities or shower-baths supplied with hot and cold water;
- (b) washing facilities are not used for any other purpose.

50. Provisions of bathing places and locker rooms.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

(i) suitable, separate and sufficient bathing places and locker facility, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places with regular and adequate supply of water including soap and towels for male, female, transgender and persons with disabilities separately, are provided which are -

- (a) separated from the workplaces (and within plantation premises in case of plantation workers);
- (b) well ventilated;
- (c) with proper drainage system;
- (d) maintained in a sanitary and hygienic condition;
- (e) capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
- (f) properly demarcated with "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For person with disabilities only", as the case may be, in Hindi or English and in local language, are displayed outside;

(ii) suitable, separate locker facilities, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places for storing clothing that are worn during working hours and for special clothing which is worn by any employee at work but is not taken home, for male, female, transgender and persons with disabilities.

51. Keeping of cloth not worn during working hour.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) suitable, separate and sufficient installations, as may be necessary owing to the nature of work, for male female, transgender and person with disabilities employees for keeping clothes not worn during working hours and drying them are available;
- (ii) these installations are placed in rooms separate from the workrooms;
- (iii) a separate changing room is provided with suitable facilities for all male female, transgender and person with disabilities employees, as may be necessary owing to the nature of work, for drying wet clothes and for hanging clothing including, where necessary to avoid contamination with poisonous, infectious, irritating or radioactive substances and are also provided suitable lockers for separating working clothes from street clothes;
- (iv) when employees are engaged in processes of such a nature that their working clothes are liable to become wet or have to be washed between shifts, suitable arrangements are made to ensure that dry clothes are always available to each employee on their return to work;
- (v) these facilities are to be provided with—
 - (a) individual lockers of adequate size and with adequate ventilation;
 - (b) benches or other suitable seating arrangements.

52. Sitting arrangement.- Employer of every factory, mine and dock work shall ensure that reasonable arrangements for sitting without detriment to their work are provided to employees obliged to work in standing position. Adequate and comfortable seating facilities are provided for this purpose.

53. Provision of Canteen.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) at every establishment mentioned above where in One-hundred or more workers including contract labourers are ordinarily employed, a canteen in or adjacent to the precincts of the above establishments, is provided and maintained to provide nutritious, wholesome and healthy food for the employees;
- (ii) the employer of every establishment mentioned above can also provide facility of canteen through common canteen in or adjacent to the above establishment's premises;
- (iii) the canteen is situated at appropriate distance from any latrine, urinal and process area to avoid dust, smoke or obnoxious fumes;
- (iv) the canteen is constructed to accommodate at least a dining hall, kitchen, store room, pantry and washing places separately for employees and for utensils;
- (v) canteen has separate doors for entry and exit;

- (vi) the dining hall is separated from any place where a hazardous substance may contaminate food, dishes or utensils;
- (vii) the dining hall is furnished with a sitting arrangement to accommodate sufficient number of employees normally using at any one time;
- (viii) a portion of the dining hall and service counter is reserved for women employees and person with disabilities employees; and
- (ix) washing places for male, female, transgender and person with disabilities employees are separate and screened to secure privacy;
- (x) Equipment-
 - (a) All equipment and utensils that come into contact with food are cleaned and maintained in hygienic condition;
 - (b) Furniture and other equipment are maintained in a clean and hygienic condition;
- (xi) Storage, Preparation and Handling of food-
 - (a) Each food handler is trained and instructed in food handling practices that prevent the contamination of food; and
 - (b) No person who is suffering from a communicable disease is allowed to work as a food handler;
- (xii) food waste and garbage are removed from the food preparation area or dining hall, stored in covered containers and disposed of periodically;
- (xiii) food, drink and other items are sold on a no profit no loss basis wherein the rates are fixed by canteen management committee; and
- (xiv) the charges per portion of food items, beverages and any other items served in the canteen are displayed in the canteen;
- (xv) Canteen Management Committee-
 - (a) a Canteen Managing Committee is constituted to carry out the following functions namely
 - (i) the quality and the quantity of food stuffs to be served in the canteen;
 - (ii) the arrangements of the menu;
 - (iii) the timings of meals in the canteen; and
 - (iv) any other relevant matter:

Provided that where the canteen is managed by a co-operative society registered under the Multi State Co-operative Societies Act, 2002 it shall not be necessary to appoint a Canteen Managing Committee:

- (b) the Canteen Managing Committee shall consist of an equal number of representatives of worker and employer;
- (c) the representatives of employer are nominated by the employer;
- (d) the representatives of worker are nominated by negotiating union or negotiating council as the case may be and where there is no negotiating union or negotiating council the worker will choose amongst themselves the worker representatives of the canteen committee;
- (e) the tenure of the committee shall be determined mutually. One-third of the committee members of worker and employer shall be rotated every two years;
- (f) the canteen managing committee decides on the running of the canteen in consultation with the canteen manager.

54. First Aid and Medical Appliances. - Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) in every establishment mentioned above or part thereof where employees are at work, first aid boxes or cup-boards in adequate numbers with necessary items are provided and maintained so as to be readily accessible during working hours. A Notice containing details of first-aid facilities, along with the name, contact detail of the person in-charge and the nearest hospitals, shall be displayed at a conspicuous place in English or Hindi and in local language;
- (ii) in each shift, every first-aid box or cupboard is kept in the charge of a worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who is always be readily available during the working hours of the above establishments or part thereof. At least one fully equipped first-aid box or cupboard in every department or section is available and maintained properly all the time during working hours. The number of first aid boxes has to increase if the number of employees is more than 200 employees in department or section. The illustrative list of contents of every first-aid box or cupboard is at **Annexure- I** and employer may add more items as per requirement;
- (iii) in case of mines, the illustrative list of contents of every first-aid box or cupboard is at **Annexure- III** and employer may add more items as per requirement.
- (iv) at least thirty-three percent of the workers in every establishment mentioned above are trained in first-aid procedures and refreshers training to be imparted in every three years and wherever woman workers are employed, at least one-woman worker is trained. First Aid training is conducted by the trainer having medical qualification included in the Schedule- I or Schedule- II or Part- II of the Schedule- III of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). The person possessing qualifications included in Part II of Schedule- III of the Indian Medical Council Act,

1956 (102 of 1956), should also fulfil the condition specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 or as per the Chapter- VI of National Medical Commission Act 2019 or diploma or degree in Industrial Health or Public Health or Emergency Medicine, or Associate Fellow in Industrial Health (AFIH) or equivalent;

- (v) every case of injury or illness during the course of work is reported to the supervisor in the above establishments for injury and illness surveillance and adequate and suitable arrangements are made available for speedy evacuation or referral of persons employed in every establishment mentioned above who while on duty suffers from serious bodily injury or illness of a serious nature or as the nature of injury and illness as decided by the first aider, from every establishment mentioned above or part thereof to the nearest dispensary or hospital;
- (vi) every employee receiving an injury during the course of work shall report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who shall make arrangements for rendering first-aid to the injured as may be required. Where the employee receiving an injury is not in a position to report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment, it shall be the duty of the person who first comes to know of it to report the same to the worker or supervisor;
- (vii) if in the opinion of the supervisor or worker who holds a certificate in first-aid treatment, the injury is of such a nature so as to require immediate medical attention by the qualified medical practitioner, such person shall arrange for the qualified medical practitioner to be called or bring it to the notice of the occupier or their representative in every establishment mentioned above;
- (viii) it is the duty of the employer or their representative to ensure that adequate and suitable arrangements are made available for speedy transportation of that employee to nearest dispensary or hospitals preferably by means of a proper ambulance van;
- (ix) additionally, following provisions shall be followed in case of mines:
 - (A) adequate and suitable arrangements are made for the training of the workers and supervisors in first-aid procedures;

(B) at every mine there shall be provided and maintained first aid station equipped with first-aid equipment as prescribed in the **Annexure-V**, at conveniently accessible places where injured persons may receive first-aid treatment as follows-

- (a) above ground, a first- aid station –
 - (i) at the top of every shaft or incline where men or material are normally wound or hauled;
 - (ii) in every workshop;
 - (iii) at every screening plant and loading place; and
 - (iv) at every other place where more than 50 persons are employed at any one time.
- (b) in every opencast working, a first-aid station-
 - (i) at every shovel or dragline loading point;

- (ii) at rest shelter and portable rest shelter, if any;
- (iii) at pumping station;
- (iv) at re-fueling station;
- (v) at dump yard;
- (vi) at every other place where more than 50 persons are employed at any one time.
- (c) below ground, one first-aid station –
 - (i) at the bottom of every shaft where men or material are normally wound and at or near every plant;
 - (ii) near the drive end of every haulage;
 - (iii) in or at the entrance to every district or section of the mine:

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed to require the provision of a first-aid station within 300 metres of another first-aid station;

(iv) it shall be the duty of the persons appointed to be in charge of a first-aid station to see that the equipment provided at the first-aid station is kept in good order and that it is replenished whenever necessary;

(v) every first-aid station shall be kept under the charge of a worker or supervisor holding a first-aid certificate from institutes recognized by Central or State Government;

(vi) an up-to-date list of all first-aid stations provided in the mine shall be kept in the office of the mine;

(vii) every supervisor or official possesses a valid first-aid certificate shall carry, while on duty, a first-aid outfit consisting of one large sterilised dressing, one small sterilised dressing, adhesive bandage, skin closure strips, cotton balls, antiseptic solution, and scissor with rounded tips, such outfit shall be securely packed to protect it against dirt and water.

55. Ambulance Room.- Employer of every factory, mine and building or other construction work shall ensure that:-

- (i) at every establishment mentioned above ordinarily employing more than 500 workers, a suitable ambulance room or dispensary round the clock or during working hours as the case may be and is maintained in good order. The employer of every establishment mentioned above may also tie up with hospitals for emergency services;
- (ii) the ambulance room would mean a place conveniently located in or nearby premises and have adequate space and arrangements to cope up with medical emergency and contains at least the

equipment as mentioned in illustrative list given in **Annexure- II**. The employer may add more items as per requirement;

- (iii) in case of mines, the ambulance room contains at least the equipment as mentioned in illustrative list given in **Annexure- IV**. The employer may add more items as per requirement;
- (iv) ambulance room is under the charge of a full time qualified medical practitioner appointed directly by the employer and is assisted by adequate number of paramedical staffs (at least one nurse and one General Duty Assistant-Healthcare or Nursing Assistant);
- (v) the medical practitioner required to be appointed under sub-rule (iii) has a medical qualification included in the I or II schedule or part II of the Third schedule of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Persons possessing qualifications included in part II of Third schedule should also fulfil the condition specified in sub-section (3) of section 13 of the Act or as per the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) or Diploma or Degree in Industrial or Occupational Health, Associate Fellow in Industrial Health or equivalent. The Qualified Medical Practitioner shall acquire a Diploma or Degree in Industrial or Occupational Health or the Associate Fellow in Industrial Health, within one year from the date of appointment;
- (vi) qualified nurse required to be appointed under sub-rule (iv) shall have qualification registered under State Nursing Council and completed training in Basic Life Support (BLS) along with experience in emergency of not less than six months duration from a multispecialty hospital;
- (vii) ambulance Room is having adequate space for privacy and examination of the patient;
- (viii) ambulance Room is provided with Emergency Lighting Supply and a suitable communication medium preferably handheld device;
- (ix) ambulance Room is provided with drenching shower points, as may be necessary owing to the nature of work, with drainage sloping away from the showers. Water supply to drenching shower should be secured to ensure the continuous water supply.

56.Shelter and Rest Room.- Employer of every factory, mine and motor transport undertaking shall ensure that:-

- (i) in every factory and mine wherein more than fifty workers are ordinarily employed and in motor transport undertaking wherein employee is required to halt at night, sufficient and a suitable lunchroom, with provision for drinking water and washing facilities, where employees can eat their meals is provided;
- (ii) these facilities are provided separately and maintained for male, female, and transgender employees:

Provided that any canteen maintained in accordance with the provisions under rule 53 shall be regarded as compliance of this rule.

(iii) the shelters or rest rooms and lunch rooms conform to the following:

- (a) such rooms are sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and hygienic condition at all times;
- (b) all the walls and roof are of suitable heat resisting materials;
- (c) the roof of such room is at suitable height from the floor level and there is sufficient floor area for employee employed at any given time;
- (d) every room is sufficiently furnished with suitable seating and eating arrangement:

Provided that in case of motor transport undertaking the employer shall ensure that the motor transport workers employed in the undertaking are provided with uniforms, raincoats and other like amenities, free of charge.

57. Welfare Officer.— Employer of every factory, mine and plantation shall ensure that:-

(i) welfare officers are appointed as prescribed below-

(a) the employer of every establishment mentioned above ordinarily employing between two hundred and fifty and upto five hundred workers appoints at least one welfare officer, and where the number of workers exceeds five hundred, an additional welfare officer for every additional five hundred workers or fraction thereof over five hundred is appointed;

(b) in every establishment mentioned above where both male and female workers are employed, the number of women welfare officers to be appointed shall be in proportion to the women workers employed and where the number of women employed is more than one hundred and the total number of women workers does not exceed one thousand, an additional woman welfare officer is appointed;

(c) where there is more than one welfare officer appointed, one of them is designated as the Chief Welfare Officer and the others as welfare officers;

(ii) person appointed as Welfare Officer has obtained a post graduate degree or diploma in social work or human resources management or labour welfare from any institution recognised by the Central or State Government in this behalf; and has knowledge of the language spoken by the majority of the workers in every establishment mentioned above.

(iii) the appointment is intimated by the employer electronically or otherwise to Inspector-cum-Facilitator, giving the details of qualifications, etc. of the officer appointed and the conditions of their service.

(iv)(a) a Welfare Officer is given appropriate status corresponding to that of the other executives of every establishment mentioned above and appointed on an executive or officer pay scale;

(b) the conditions of service of a Welfare Officer are the same as that of other members of the executives or officer of corresponding status in every establishment mentioned above :

Provided that, in the case of discharge or dismissal, the Welfare Officer will have a right of appeal to the Chief Inspector-cum-Facilitator, whose decision thereon is final and binding upon the employer.

(v) Duties of a Welfare Officer:

(a) to establish contacts and hold consultations with a view to maintaining harmonious relations between the management and workers;

(b) to bring to the notice of the management the grievances of workers with a view to securing expeditious redressal and to act as a liaison officer between the management and workers;

(c) to study and understand the point of view of workers in order to help the management to shape and formulate labour policies and to interpret these policies to the workers in a language they can understand;

(d) to advise on compliances, obligations, statutory or otherwise, concerning regulation of working hours, maternity benefit, medical care, compensation for injuries and sickness and other welfare measures and social Security benefits;

(e) to advise on provision of welfare facilities, such as housing facilities, foodstuffs, social and recreational facilities, sanitation, individual personnel problems and education of children; and

(f) to advise the management on training of new recruits, apprentices, workers on transfer and promotion, instructors and supervisors, supervision and control of notice board and information bulletins to further education of workers and to encourage their attendance at technical institutes;

(vi) welfare officers shall not deal with disciplinary cases or appear on behalf of the management against workers or appear before a conciliation officer or tribunal on behalf of every establishment mentioned above management.

58. Crèche Facility.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that-

(i) wherein more than fifty workers are ordinarily employed, a crèche facility is provided and maintained for the use of children under the age of six years of employees;

- (ii) mobile crèche will be provided, wherever required;
- (iii) each Crèche facility is free and accessible to all employees;
- (iv) the Crèche is located within the workplace as much as possible, or in a nearby accessible location;
- (v) the Crèche is not situated in close proximity to any part of the building or construction worksite where obnoxious fumes, dust or odours are given off or in which excessively noisy processes are carried on;
- (vi) there is in or adjoining the crèche a suitable washroom for the washing of the children and their clothing;
- (vii) the Crèche is maintained in a clean, hygienic and sanitary condition;
- (viii) personal cleanliness of the child is maintained;
- (ix) the Crèche is under the charge preferably woman for the care of children and infants;
- (x) police verification of in charge of creche, support staff and guard are mandatory;
- (xi) the person in charge of the crèche should have and maintain information about the child's identity, residential address etc;
- (xii) details of the person who is picking up and dropping the child to the creche should be available with the caretaker and the child should be handed over to that person only. In case any other person picks up or drops the child, then such person's identity with the authorization from parents would be necessary;
- (xiii) attendance of all children is taken in the morning on the child's arrival as well as at the time when child is picked up;
- (xiv) sufficient supply of clean clothes, soaps and clean towels is available for each child while the child is in the Crèche;
- (xv) the Crèche is furnished with a suitable number of resting arrangements;
- (xvi) sufficient supply of nutritious, wholesome and healthy food to all children as per their dietary requirements is provided;
- (xvii) all sharp objects like scissors, knives, blades, pins etc. are always kept away from the children;
- (xviii) chemicals such as detergents, cleaning agents, phenyl etc. are kept out of the child's reach;
- (xix) the Crèche is provided with non-combustible covered receptacles for the disposal of waste food or other waste material;
- (xx) all electrical switches or plugs are out of children's reach;
- (xxi) planning of evacuation plan and display of the same at the crèche;
- (xxii) no child is left alone at any point in the crèche, even during breaks;
- (xxiii) any kind of verbal or physical abuse is strictly prohibited;
- (xxiv) any kind of sexual abuse and sexual exploitation to be strictly dealt under Protection of Children

- from Sexual Offences Act, 2012;
- (xxv) through the supervisor, that no persons, known or unknown be allowed inside the crèche at any point of time, during the functioning hours of the crèche. For example, civil work should preferably be done during weekend or holidays only;
 - (xxvi) the Crèche has Closed Circuit Television monitoring during the working hours;
 - (xxvii) important and emergency contact numbers (helplines like 112, 1098, fire services, child protection officer, nearest police station etc.) are displayed within the creche premises for easy access and reference;
 - (xxviii) required medical support system or staff is made available on call;
 - (xxix) feeding room to be provided in the Crèche:

Provided that an establishment can avail common crèche facility of the Central Government, State Government, municipality or private entity or provided by non-governmental organisation or by any other organisation or group of establishments may pool their resources for setting up of common crèche in the manner as they may agree for such purpose.

59. Mock Drills.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, and dock work shall ensure quarterly conduct of Mock drills to check emergency preparedness to deal with various emergencies.

Provided that the employer of every plantation shall ensure annually conduct of mock drills to check emergency preparedness to deal with various emergencies.

B. MINES

60. Medical Examination.- The employer of every mine shall ensure that: -

- (i) medical examination of every employee employed or to be employed in a mine including contract labour is done before commencement of their employment and subsequently every year;
- (ii) the contract labour is provided with the medical facilities at par with regular employees;
- (iii) in the event of any dispute under the provisions of sub-rule (i), the matter may be referred to the appellate medical board constituted under these rules.

61. Residential facilities for workers including contract labours.- Residential facility, if any, provided by mine employer, shall be at a safe distance from the active working area of opencast workings, pits, shafts, dump yards, stock piles, unstable workings, wells and other installations in oil mines for workers including contract labour.

C. BUILDING OR OTHER CONSTRUCTION WORK

62. Living accommodation.- Every employer of a building or other construction work shall ensure that suitable temporary living accommodation, free of charge are made available for the workers at construction sites remote from their homes, where adequate transportation between the site and their homes or other suitable living accommodation is not available. Further, the principal employer will pay the expenses incurred on providing accommodation to the contractor where the building or other construction work is done through the contractor.

D. MOTOR TRANSPORT UNDERTAKING

63. Medical facilities.- The employer of every motor transport undertaking shall ensure that: -

- (i) at every operating centre and halting station (which, in the case of city service, shall include only depots and other offices), a suitable medical facilities room or dispensary is available round the clock or during working hours as the case may be and is maintained in good order;
- (ii) the medical facilities room or dispensary is situated at a convenient place in the operating centre and halting station and have adequate space and arrangements to cope up with medical emergency and contains at least the equipment as mentioned in illustrative list given in **Annexure- VI**. The employer may add more items as per requirement;
- (iii) medical facilities room or dispensary is under the charge of a full time qualified medical practitioner appointed directly by the employer and is assisted by adequate number of paramedical staffs (at least one nurse and one General Duty Assistant-Healthcare or Nursing Assistant);
- (iv) the medical practitioner required to be appointed under sub-rule (iii) has a medical qualification included in the I or II schedule or part II of the Third schedule of the Indian Medical Council Act of 1956. Persons possessing qualifications included in part II of Third schedule should also fulfil the condition specified in section 13(3) of the Act or as per the National Medical Commission, Act 2019 or Diploma or Degree in Industrial or Occupational Health, or Associate Fellow in Industrial Health or equivalent. The Qualified Medical Practitioner shall acquire a Diploma or Degree in Industrial or Occupational Health or the Associate Fellow in Industrial Health within one year from the date of appointment;
- (v) qualified nurse required to be appointed under sub-rule (iii) shall have qualification registered under State Nursing Council and completed training in Basic Life Support along with experience

in emergency of not less than six months duration from a multispecialty hospital;

- (vi) medical facilities room or dispensary is having a minimum of two rooms. One of the rooms is used for sitting of staff and storage of medicines. The other room is used as emergency cum dressing room or observation room for sick;
- (vii) medical facilities room or dispensary is provided with Emergency Lighting Supply and a suitable communication medium preferably handheld device.

CHAPTER VII

HOURS OF WORK AND ANNUAL LEAVE WITH WAGES

64. Working Hours.— (1) No worker shall be required or allowed to work in an establishment for more than forty eight hours in a week.

(2) In case of transport vehicle, a maximum of fifteen minutes interruption shall be allowed any time during which the running of the transport vehicle is interrupted.

65. Working hours of working journalist.— (1) The provisions under this rule shall apply to working journalist but not apply to editors or to correspondents, reporters or news photographers.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the following provisions shall apply to every correspondent, reporter or news photographer stationed at the place at which the newspaper establishment in relation to which any such person is employed is situated, namely—

- (a) subject to such agreement as may be arrived at either collectively or individually between the parties concerned, every such correspondent, reporter or news photographer shall, once enters upon duty on any day, be deemed to be on duty throughout that day till finishes all the work assigned during that day:

Provided that if such correspondent, reporter or news photographer has had at their disposal for rest any interval or intervals for a total period of two hours or less between any two or more assignments of work, they shall not be deemed to be on duty during such period:

Provided further that where the total period of such interval or intervals exceeds two hours, they shall be deemed to be on duty during the period which is in excess of the said period of two hours;

- (b) period of working in excess of thirty-six hours during any week, which shall be considered as a unit of work for the purposes of this sub-rule, shall be compensated by rest during the succeeding week and shall be given in one or more spells of not less than three hours each:

Provided that where the aggregate of the excess hours worked falls short of three hours, the duration of rest shall be limited only to such excess.

- (3) The number of hours which shall constitute a normal working day for a working journalist exclusive of the time for meals shall not exceed six hours per day in the case of a day shift and five and a half hours per day in the case of a night shift and no working journalist shall ordinarily be required or allowed to work for longer than the number of hours constituting a normal working day.
- (4) Subject to such agreement as may be arrived at between a newspaper establishment and working journalists employed in that establishment, the periods of work for working journalist shall be so fixed that no working journalist shall work for more than four hours in the case of a day shift and three hours in the case of a night shift before they had an interval of rest, in the case of the day shift for one hour, and in the case of the night shift for half an hour.
- (5) When a working journalist work for more than six hours on any day in the case of a day shift and more than five and a half-hours in the case of a night shift, they shall, in respect of that overtime work, be compensated in the form of hours of rest equal in number to the hours for which they have worked overtime or compensated by wages, which shall be twice the rate of wages.
- (6) No working journalist shall be employed on a night shift continuously for more than one week at a time or for more than one week in any period of fourteen days.
- (7) In the case of change of shift from night to day shift or vice versa, there shall be an interval of not less than twenty-four consecutive hours between the two shifts and in the case of a change from one day shift to another day shift or from one night shift to another night shift there shall be interval of not less than twelve consecutive hours:

Provided that no such interval may be allowed if such interval either coincides with or falls within, the interval enjoyed by a working journalist under sub-section (2) of section 25.

66. Holidays and leaves for sales promotion employees and working journalist.-

- (1) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled to ten holidays in a calendar year.
- (2) Where a working journalist or sales promotion employee is required to attend on a holiday, a compensatory holiday shall be given to them , within thirty days immediately following the holiday, on a day mutually agreed upon by them and their employer.
- (3) The working journalist or sales promotion employee shall be entitled to wages on all holidays as if such employee was on duty.
- (4) The working journalist or sales promotion employee shall be entitled to wages for the weekly day of rest as if such employee was on duty.
- (5) The working journalist or sales promotion employee may designate one or more officers in that establishment as competent officers for the purposes of these rules.

- (6) The working journalist or sales promotion employee who desire to obtain leave shall apply in writing to the competent officer of the establishment.
- (7) On an application for leave under sub-rule (6), other than casual leave, leave on medical certificate and quarantine leave, shall be made not less than one month before the date of commencement of leave, except in urgent or unforeseen circumstances.
- (8) When leave is refused or postponed, the competent officer of the establishment shall record the reasons for such refusal or postponement, as the case may be and send a copy of the order to the working journalist or sales promotion employee as the case may be.
- (9) Holidays, other than weekly days of rest, shall not be prefixed or suffixed to any leave without the prior sanction of the competent officer of the establishment.
- (10) A holiday including a weekly rest day, intervening during any leave granted under this rule shall form part of the period of leave.
- (11) (i) An establishment may recall an working journalist or sales promotion employee on leave, if that establishment considers it necessary to do so and in the event of such recall, such working journalist or sales promotion employee shall be entitled to traveling allowance, if at the time of recall such working journalist or sales promotion employee is spending their leave at a place other than headquarters;
- (ii) The traveling allowance, which shall be paid under clause (i) shall be determined in accordance with the rules of the establishment governing traveling allowance for journeys.
- (12) A working journalist or sales promotion employee who has availed themselves of leave for reasons of health may, before they resume duty, be required by their employer to produce a medical certificate of fitness from the designated qualified medical practitioner who issued the medical certificate.
- (13) Every establishment employing working journalist or sales promotion employee may designate one or more qualified medical practitioners.
- (14) (i) An working journalist or sales promotion employee shall be entitled to earned leave on full wages for a period not less than one month for every eleven months spent on duty:
- Provided that such working journalist or sales promotion employee shall cease to earn further such leave when the earned leave due amounts to one hundred twenty days;
- (ii) The period spent on duty shall include the weekly holiday, holidays, casual leave and quarantine leave.
- (15) The working journalist or sales promotion employee on earned leave shall draw wages equal to their average monthly wages earned during the period of twelve complete months spent on duty or if the period is less than twelve complete months, during the entire such period, immediately preceding the month in which the leave commences.

(16) (i) When a working journalist or sales promotion employee voluntarily relinquishes their post or retires from service on reaching the age of superannuation, they shall be entitled to cash compensation for earned leave not availed of up to a maximum of one hundred and twenty days:

Provided that working journalist or sales promotion employee who has been refused earned leave due to such employee shall be entitled to get cash compensation for the earned leave so refused:

Provided further that working journalist or sales promotion employee who dies while in service and who has not availed earned leave due to them immediately preceding the date of their death, their heirs shall be entitled to cash compensation for the leave not so availed of.

(ii) Where the services of a working journalist or sales promotion employee is terminated for any reason whatsoever, other than as punishment inflicted by way of disciplinary action, shall be entitled to cash compensation for earned leave not availed of up to a maximum of one hundred and twenty days.

(iii) Such cash compensation shall not be less than the amount of wages due to an employee for the period of leave not availed of, the relevant wage being that which would have been payable to such employee had they actually proceeded on leave on the day immediately preceding the occurrence of any of the events specified in clause (i) or clause (ii), as the case may be.

(17)(i) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled to leave on medical certificate on one-half of the wages at the rate of not less than one month for every eighteen months of service:

Provided that such employee shall cease to earn such leave when the leave on medical certificate amounts to ninety days.

(ii) Such medical certificate shall be from a qualified medical practitioner:

Provided that when a working journalist has proceeded to a place other than their headquarters with the permission of employer and falls ill, they may produce a medical certificate from any qualified medical practitioner:

Provided further that the employer may, when the registered medical practitioner whose certificate is produced is not in the service of the Government, arrange at their own expense for the medical examination of the working journalist or sales promotion employee concerned by any Government Medical Officer not below the rank of a Civil Assistant Surgeon or by any other Medical Officer in charge of a hospital run by a leave authority or a public organisation at that place.

(iii) Leave on medical certificate may be taken in continuation with earned leave but the total duration of earned leave and leave on medical certificate taken together shall not exceed a hundred and twenty days at any one time:

Provided that Medical Board may recommend for leave beyond one hundred twenty days.

- (iv) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled at their option to convert leave on medical certificate on one-half of the wages to half the amount of leave of full wages.
 - (v) The ceiling laid down in the provision to clause (i) and (iii) on the accumulation and total duration of leave may be relaxed by the competent officer in the cases of working journalists or sales promotion employees suffering from lingering illness such as tuberculosis;
 - (vi) Leave on medical certificate or converted leave on medical certificate referred to in clause (i) and (iv) respectively may be granted to a working journalist or sales promotion employees at their request notwithstanding that earned leave is due to them.
- (18)(i) Quarantine leave on full wages shall be granted on medical certificate of the designated qualified medical practitioner as under sub-rule (13) or where there is no such designated qualified medical practitioner, by a district public health officer or other Municipal Health Officer of similar status, for a period not exceeding twenty-one days or, in exceptional circumstances, thirty days.
- (ii) Any leave necessary for quarantine purposes in excess of that period shall be adjusted against any other leave that may be due to the working journalist or sales promotion employee.
- (19) A working journalist or sales promotion employee who has no leave to their credit may be granted extraordinary leave without wages at the discretion of the establishment in which such working journalist or sales promotion employee is employed.
- (20) A working journalist or sales promotion employee who has no leave to their credit may be granted leave at the discretion of the establishment in which such working journalist or sales promotion employee is employed.
- (21) A working journalist or sales promotion employee may be granted study leave with or without wages at the discretion of the establishment in which such working journalist or sales promotion employee is employed.
- (22) (i) A working journalist or sales promotion employee shall be eligible for casual leave at the discretion of the establishment for fifteen days in a calendar year:
- Provided that not more than five days shall be taken at any one time and such leaves shall not be combined with any other leave.
- (ii) Casual leave not availed of during a calendar year will not be carried forward to the following year.

67. Weekly holiday .- (1) The employer shall post a notice at conspicuous places of workplace of every establishment, showing the weekly holiday including digital means like electronic notice boards.

(2) Where the weekly holiday is not the same day for all persons employed in the establishment, the notice shall show the holiday allowed to each relay or set of persons or individual in Hindi or English and in local language.

68. Compensatory holidays.- (1) Except in the case of worker engaged in any work which for technical reasons must be carried on continuously throughout the day, the compensatory holidays to be allowed and shall be so spaced that not more than two compensatory holidays are given in one week.

(2) The employer of the establishment shall display on or before the end of the month in which holidays are lost, a notice in respect of workers allowed compensatory holidays during the following month and of the dates thereof, at the place at which the notice of periods of works is displayed.

(3) Any subsequent change in the notice in respect of any compensatory holiday shall be made not less than three days in advance of the date of that holiday.

(4) Any compensatory holiday to which a worker is entitled shall be given to them before discharged or dismissed and shall not be reckoned as part of any period of notice required.

69. Wages for overtime.- (1) Where in an establishment-

(a) a worker works for more than eight hours in any day as daily wager or

(b) a worker, other than daily wager, for more than forty-eight hours in any week

Worker shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice the rate of their wages and shall be paid at the end of each wage period.

(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as thirty minutes and in case of more than thirty minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.

(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be 1/26th of their monthly wages and in the case of any other worker it shall be the daily wages or earnings as the case may be.

(4) The hours of work mentioned in Rule 64 may exceed under the followings works and circumstances in respect of dock, mine and building or other construction work, namely:-

(a) urgent repairs;

(b) work in the nature of preparatory or complimentary work;

- (c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest;
- (d) work which for technical reasons must be carried on continuously;
- (e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day;
- (f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons;
- (g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;
- (h) engaged in an engine-rooms or boiler-houses or in attending to power-plant or transmission machinery;
- (i) engaged in process on account of the break-down of machinery;
- (j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks or ships;
- (k) exceptional press of work; and
- (l) engaged in any work, which is notified by the Central Government in the Official Gazette as a work of national importance:

Provided that no worker shall be allowed to work overtime exceeding one hundred forty-four hours in any quarter of a year:

Provided further that for overtime, a worker shall be paid wages as per section 27 of the Code at the end of each wage period.

70. Restriction on double employment in mines.- Circumstances for exemption from restriction on double employment in mines shall be specified by general or special order issued by the Central Government issued from time to time

71. Notice of periods of work.- The notice referred to in sub-section (2) of section 31 of the Code shall be displayed at conspicuous places on a notice board or electronic board of the establishment and maintained in **FORM-XII** and a copy of such notice shall be sent to Inspector-cum-Facilitator electronically or by speed post.

CHAPTER VIII

MAINTENANCE OF REGISTER, RECORDS AND RETURNS

72. Maintenance and production of reports, registers and other records.-(1) Every employer of establishment shall maintain: -

- (i) **employee register in FORM XIII;**
- (ii) **attendance register-cum-muster roll in FORM XIV;**
- (iii) **register for wages, over time and deduction in FORM XV;**
- (iv) registers under this rule shall be maintained electronically or otherwise;
- (v) entries in the registers shall be made in English or Hindi and in local language;

- (vi) every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector-cum-Facilitator or any person authorised by the Central Government;
 - (vii) all the registers and other records shall be preserved in original for a period of five calendar years from the date of last entry made therein.
- (2) Every employer shall issue wage slips, electronically to the employees in **FORM XVI** on or before the day of payment of wages to the employee.
- (3) In respect of establishment which are required to maintain register under the rules framed under the Code on Wages 2019, the above registers and wage slips required to be maintained by the employer of the establishment under Code on Wages, 2019 and rules made thereunder shall be deemed to be maintained by the employer under these rules.
- (4) All registers and other records required to be maintained under the Code shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided for, shall be kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the work place or at a place within a radius of three kilometers.
- (5) The employer to which the provisions of this Code applies, on or before the 28th or 29th day of February following the end of each Calendar year, upload a return in **FORM-XVII** and **XVIII** on the designated portal and provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form.

Explanation – For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

- (6) Where the employer to which the provisions of this Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then such employer shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance as the case may be, upload online, on the designated portal, a further return in **FORM-XVII** and **XVIII** referred to in sub-rule (5) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.
- (7) In case of manual registers and other records,
- (i) be legibly entered in ink in English, or Hindi and in local language and signed by employer;
 - (ii) be preserved in original for a period of five years after the date of the last report or entry:
 Provided that when the original record is lost or destroyed before the expiry of five years period, true copies thereof, if available, shall be preserved for a specified period;
 - (iii) be produced, electronically or by speed post, on demand before the Chief Inspector-cum-Facilitator or an Inspector-cum-Facilitator or any person authorised in that behalf of the Central Government.

(8) Every establishment to which Chapter III (Employees' Provident Fund) and Chapter IV (Employees' State Insurance Corporation) of the Code on Social Security, 2020 applies shall submit a self-declaration in PART-IV of **FORM- XVII** electronically.

73. Display on notice board .- Every employer shall display or caused to be display at conspicuous places of the workplace of the establishment under their control, notices owing the name and address of the establishment, hours of work, wage period, date of payment of such wages, details of accident and dangerous occurrence in the establishment for the last five years, name and address of the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction to such establishment and date of payment of unpaid wages to such workers in English or Hindi and in the local language.

74. Annual Return.- Every employer of an establishment shall send an annual return relating to such establishment in **FORM-XVII** related to category of employees, health and welfare facilities, retrenchment or layoffs, bonus, maternity benefits etc. to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction so as to reach on or before the last day of February following the end of each Calendar year electronically.

75. Register of accident and dangerous occurrences.- The registers of accident and dangerous occurrences required by sub-clause (v) of clause (a) of section 33 of the Code shall be maintained in **FORM-XIX**.

76. Register of leave with wages.- (1) The employer of every establishment shall maintain in respect of every employee thereof a record of leave with wages electronically or otherwise in **FORM-XX** and shall share the leave records of the respective employee, once in a Calendar year, on demand.

(2) The register mentioned in sub-rule (1) shall be preserved for a period of five years after the last entry in them has been made and shall not be destroyed even after the expiry of that period unless it has been properly transferred to the new register.

CHAPTER-IX

INSPECTOR-CUM-FACILITATOR AND OTHER AUTHORITY

77. Power to take samples of any articles or substances.- (1) An Inspector-cum-Facilitator shall take samples or substances in an establishment as per the inspection scheme under the Code after informing the employer of the establishment, taken in the manner herein after provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment, such use being—

- (a) in the belief of the Inspector-cum-Facilitator in contravention of any of the provisions of the code or the rules made there under; or

- (b) in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator likely to cause bodily injury to, or injury to the health of employee in the establishment.

(2) Where the Inspector-cum-Facilitator takes a sample under sub-rule (1), the Inspector-cum-Facilitator shall, in the presence of the person informed under that sub-rule (1) unless such person willfully absents themselves, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them and shall permit such person to add their own seal and mark thereto.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-Facilitator requires, provide the appliance for dividing, sealing and marking the sample taken under this rule.

(4) The Inspector-cum-Facilitator shall-

- (a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);
- (b) forthwith send the second portion of the sample to a Government Analyst or to a Laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories for analysis and report thereon;
- (c) retain the third portion of the sample for production to the Court before which proceedings are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst or to a Laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories upon any substance submitted for analysis and report under this rule, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

78. Powers and duties of Inspector-cum-Facilitator.- (1) Inspector-cum-Facilitator shall, after every inspection, as may be deemed necessary, issue improvement notice in the FORM- XXV pointing out the non-compliance of provisions of safety, health and working conditions under the Code or rules or regulations or standards made there under, to the employer or occupier or manager or owner or master or officer-in-charge of the ship or their agent.

(2) An Inspector-cum-Facilitator shall at each inspection, ascertain to what extent any shortcomings notified at a previous inspection have been rectified and the notices previously issued have been complied with and their findings and any shortcomings which may come to light during the inspection, together with any order passed by them under the Code or rule or the regulations or standards made thereunder shall be recorded and maintained.

79. Powers and Duties of District Magistrate.- Powers and duties of District Magistrate in respect of mines, will be specified by general or special order by the Central Government issued from time to time.

80. Qualifications and experiences, duties and responsibilities of experts.-The scheme will be notified for empaneling experts for third party audit and certification. The qualifications and experiences, duties and responsibilities of experts to be empaneled will be notified through general or special order by the Central Government issued from time to time.

81. Appointment of Medical officer.- (1) The Medical Officer shall be a medical practitioner who possesses any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), enrolled on a State medical register defined in National Medical Commission Act, 2019.

(2) The Medical Officer shall be trained in Occupational Health course including International Labour Organisation classification of chest radiograph duly recognised by the Central Government.

82. Duties of medical officer.- (1) On receipt of a reference under clause (c) sub section (2) of section 42 of the Code, the medical officer shall, after giving prior notice regarding date, time and place for medical examination and upon examining the worker sent for such examination, prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the establishment and the worker concerned after retaining a copy thereof.

(2) The medical officer may seek opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopedic surgeon as the case may be, for the purpose of determination of age.

(3) Medical Officer shall carry out such examination and furnish such report as Central Government may direct-

- (a) for examination and certification of workers in an establishment in such hazardous processes as specified in the First Schedule to the Code;
- (b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to hazardous nature of any process carried on or hazardous condition of work;
- (c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operations involve any risk of injury to the health of any person or class of persons employed therein;
- (d) to undertake occupational health survey for any or class of an establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of diseases as specified in the Third Schedule to the Code;
- (e) to assess the age and issue fitness of adolescent for employment in an establishment or class of establishment.

CHAPTER X

SPECIAL PROVISION RELATING TO EMPLOYMENT OF WOMEN

83. Employment of Women in establishment.—The following conditions shall be met for employment of women during night or before 6.00 a.m. and beyond 7.00 p.m in any day, namely:—

- (a) the consent of woman employee shall be taken in writing;
- (b) no women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (c) adequate transportation facilities shall be provided to women employee to pick-up and drop such employee at her residence;
- (d) the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning toilet, washrooms, drinking water, entry and exit of women employee should be well-lit; the toilet, washroom and drinking facilities should be near the workplace where such women employee are employed and suitable provisions of closed-circuit television surveillance on the way to these facilities shall be provided;
- (e) provide safe, secure and healthy working condition is provided so that no women employee is disadvantaged in connection with her employment;
- (f) dedicated telephone numbers of the establishment shall be displayed at conspicuous places both at the establishment as well as inside the vehicles, so that any women employee can utilise them, in case of any exigency or emergency;
- (g) in case of below ground mine not less than three women employees shall be on duty at any place; and
- (h) the provisions of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishments, shall be complied with.

84. Adequate safety of employment of women in dangerous operations.— The Central Government may declare from time to time by notification, the class of establishments and the standard for safeguarding of women employed in hazardous processes as specified in the First Schedule to the Code.

CHAPTER XI
PART I
CONTRACT LABOUR

85. Qualification and criteria of the contractor.- For the purposes of obtaining license, the contractor as an entity or as an individual shall not be an un-discharged insolvent or be convicted at any time during the last two years, of an offence which is liable for punishment for more than three months of imprisonment.

86. Conditions of License.- (1) The contractor shall ensure that:-

- (i) the hours of work shall conform to rules relating to section 25 of the Code;
- (ii) the wages shall be paid in accordance with the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);
- (iii) if the contract labour of the contractor is working at the premises of the principal employer, then it shall be the responsibility of the principal employer to provide the facilities or amenities such as toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room, first aid box, canteen and crèche; and
- (iv) all other facilities and entitlements shall be provided by the contractor.

(2) In case the contractor fails to make payment of minimum wages to the contract labour, then, the Chief Labour Commissioner (Central) or their representative, shall cause such payment to be made to the contract labours who have not been paid, out of the security deposit referred to in rule 90 including by invoking the bank guarantee.

(3) The contractor shall intimate within fifteen days of the receipt of a contract work order about the details of the contract work order in the manner as specified in rule 94.

87. Form and manner of application for contractor license.- Every application by a contractor within a state for the grant of a license shall be made on-line electronically through Shram Suvidha Portal in **FORM-XXI**.

88. Single Licence for Contractor in more than one States or for whole of India.- (1) If a contractor desirous of obtaining licence for-

- (i) supplying or engaging contract labour;
 - (ii) undertaking or executing the contract works under sub-section (1) or sub-section (2) of section 47 then, contractor shall apply electronically on Shram Suvidha Portal or Portal designated by the Central Government in **FORM-XXI** to the licensing authority for more than one States or for the whole of India.
- (2) Application for single licence under this rule shall be submitted electronically to the authority.
- (3) The concerned State Government shall be consulted by the authority electronically and if no

response is received within thirty days from the date of issue of such communication the consultation process is deemed to have been complied with.

(4) All applications under this rule shall be either approved or disapproved within a period of forty-five days, from the date of application by the contractor, beyond which it shall be deemed that there are no objections and the license shall be auto-generated on the Portal referred to in sub-rule (1).

(5) Copy of the licence so issued shall be sent to the State Government in whose jurisdiction, the contract work or works for which licence is issued.

(6) Licence issued under this rule shall be valid for five years.

89. Forms, terms and conditions of licence.—(1) Every licence granted shall be in **FORM-XXII**.

(2) Every licence granted or renewed is subject to the following conditions, namely:—

- (i) the licence shall be non-transferable;
- (ii) the number of contract labour employed by the contractor shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the licence;
- (iii) the fees paid for the grant or renewal of the licence shall be non-refundable;
- (iv) the rates of wages payable to the contract labours by the contractor shall not be less than the rates fixed under the Code on Wages, 2019 and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, shall not be less than the rates so fixed.

90. Procedure for issue of licence.— (1) Before a licence is issued, bank guarantee for an amount of security calculated at the rate of Rs. 1000/- for each of the contract labours to be employed, in respect of which the application for licence has been made, shall be deposited by the contractor with the authority for performance of the conditions of the license and compliance with the provisions of the Code.

(2) If contractor proposes to engage one lakh or more but less than one lakh fifty thousand contract labours an amount of security shall be Rs. 10 Crore and engages one lakh fifty thousand but less than two lakhs contract labour an amount of security shall be Rs. 15 Crores and engages two lakh or more contract labour an amount of security shall be Rs. 20 Crores.

(3) Wherein the issued contract license had expired, based on the request of the applicant in **FORM-XXII**, the authority may adjust the security deposit under sub-rule (1) in respect of their application for new license.

(4) The fees to be paid for the grant of a license shall be as specified in the Table:

(a)	No license is required up to 49 contract labour	Nil.
(b)	50 and above but not exceeding 100 contract labour	Rs. 1000
(c)	101 and above but not exceeding 300 contract labour	Rs. 2000
(d)	301 and above but not exceeding 500 contract labour	Rs. 3000
(e)	501 and above but not exceeding 1000 contract labour	Rs. 5000
(f)	1001 and above but not exceeding 5000 contract labour	Rs. 10000
(g)	5001 and above but not exceeding 10000 contract labour	Rs. 20000
(h)	10001 and above but not exceeding 20000 contract labour	Rs. 30000
(i)	exceeding 20001 contract labour	Rs. 40000

91. Renewal of licence of Contractor.- (1) Every contractor shall apply electronically on Shram Suvidha Portal to the licensing authority for renewal of the licence.

(2) Every such application shall be submitted on the Portal referred to in sub-rule (1) at least thirty days prior to expiry of licence period but not before ninety days of such expiry of licence.

(3) The fee chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant of licence under rule 90:

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule (2), an additional fee of twenty five per cent shall be payable for such renewal.

(4) It shall be the responsibility of the authority concerned to renew licence within seven days electronically failing which the licence shall be deemed to be issued and auto generated.

92. Refund of security deposit.-(1) On expiry of the period of licence the contractor may, if not intends to have their licence renewed further, make an application electronically to the licensing authority for the refund of the security deposited by them along with copy of licence so expired and notice of completion of work and bank details in which amount is required to be refunded.

(2) Where the authority is satisfied that there is no breach of the conditions of licence or there is no order for the forfeiture of security deposit or any portion thereof, authority shall direct the return of the security deposit to the contractor.

(3) If there is any order directing the forfeiture of any portion of security deposit, the amount to be forfeited shall be deducted from the security deposited and balance, if any, shall be refunded to the contractor within thirty days from the making of application.

(4) Any application for refund shall, be disposed of within thirty days of the making of such application.

93. Responsibility of contractor.-(1) The rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates fixed under the Code on Wages, 2019 and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed.

(2) In case where the contract labour employed by the contractor performs the same or similar kind of work as the worker directly employed by the principal employer of the establishment, the holidays, hours of work and other conditions of service of the contract labour of the contractor shall be the same as applicable to the workers directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work.

(3) In case of any dispute whether the work is of similar kind, the matter be referred to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) whose decision shall be final.

(4) All contract labour shall be made member of Employees' Provident Fund Organisation and Employees' State Insurance Corporation subject to applicability as under respective provisions of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

(5) The contractor shall notify any change in the number of contract labours or conditions of work on the Shram Suvidha Portal.

94. Intimation of work order and time limit for intimation.-(1) Every contractor shall within fifteen days of the receipt of a contract work order shall intimate about the contract work order containing the details such as the name of the principal employer, address of the premises where work is being undertaken, date of commencement of the contract work, the number of contract labour employed under that work order, duration of work orders through Shram Suvidha Portal.

(2) The details of work order shall be sent under sub-rule (1) by the contractor or their authorised representative.

(3) The intimation under sub-rule (1) shall be sent electronically on Shram Suvidha portal.

95. Revocation and suspension of license.-(1) If the authority is satisfied that the licence has been obtained by mis-representation or suppression of any material fact or if the contractor has failed to comply with the conditions subject to which licence was granted or the contractor has contravened any provision of Part-I of Chapter-XI of the Code or rules made there under, the Authority shall issue a show cause notice of fifteen days to the contractor electronically.

(2) Upon receipt of the reply from the contractor within 15 days of the receipt of the notice, the Licensing Authority shall examine the same and in case the licensing authority is of the opinion that the continuation of contract business by the contractor is going to lead to grave harm to the contract labours, the authority may pass a speaking order recording the reasons for revocation or suspension or otherwise and communicate the order to the contractor electronically or by speed post.

(3) A copy of the order shall also be endorsed to the Chief Labour Commissioner (Central), concerned

Labour Enforcement Officer (Central) and concerned State Authorities.

(4) If the contractor has complied with the concerned provisions of the Code and rules made there under within the stipulated time period, the Licensing Authority shall revoke the suspension giving a speaking order or else the suspension may be continued.

(5) If the contractor fails to comply with the order in sub-rule (1), the authority may forthwith pass an order of revocation of license, recording the reasons thereof and communicate to the contractor electronically or by speed post and the copy of the order shall be endorsed electronically to Chief Labour Commissioner (Central), concerned Labour Enforcement Officer (Central) and the concerned State Authority.

96. Amendemnt of Licence.- (1) The contractor seeking amendment in licence shall apply electronically in **FORM-XXI** on Shram Suvidha Portal by giving details about the amendment and uploading documents related to license issued, proof of Identity and address of the employer as specified in the said Form.

(2) The Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal.

(3) The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

(4) The fees to be paid for the amendment of Licence as specified in sub rule (4) of Rule 90.

(5) The amended licence shall be issued electronically immediately, if the application is complete in all respect but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such licence shall be deemed to have been amended and the amended licence shall be auto generated.

(6) After issuance of amended licence, proportionate security deposit will be returned if number of contract labour decreases and an additional amount of security deposit, shall be deposited, if number of contract labour increases.

97. Appeal. – (1) The appellate authority under sub-section (1) of section 52 of the Code shall be notified by the Central Government, issued from time to time.

(2) The form and the fees for this purpose will be specified by general or special order by Central Government issued from time to time.

98. Responsibility of payment of wages.- (1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.

(2) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid before the expiry of seventh day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(3) The principal employer shall settle the bills of contractor related to dues of contract worker within timeline as per the terms and conditions agreed between principal employer and contractor.

(4) The wages shall be disbursed through bank transfer or electronically.

Provided that where it is not practicable to disburse wages through bank transfer or electronically, the wages shall be disbursed in current coins or currency.

(5) The wages of contract labours shall be paid without any deductions of any kind, except those specified by the Central Government.

(6) A notice showing wage period and date and time of disbursement of wages of contract labour shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the principal employer electronically.

(7) Every contractor shall send half-yearly return in **FORM-XVIII** electronically to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) concerned not later than thirty days from the close of the half year, that is to say January to June, July to December.

(8) In case contractor fails to make payment of wages to the contract labour within seven days of completion of wage period, then the principal employer shall take necessary action and make payment of wages in full or the unpaid balance dues, as the case may be, to the concerned contract labour employed by the contractor within fifteen days and recover the amount so paid from the contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as debt payable by the contractor or from the security deposit lying with the principal employer.

(9) Every principal employer of an establishment shall submit annual return in **FORM-XVII (Part-III)** electronically to the authority and concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) so as to reach on or before last day of February following the end of each Calendar year electronically, except in cases of contract which undertakes to produce given result.

99. Making payment of wages from the security deposit amount.- (1) If the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by them, the concerned Chief Labour Commissioner (Central) shall conduct or cause to conduct, an inquiry and after giving an opportunity to be heard to the contractor shall pass an order to make payment if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit.

(2) The contractor shall re-furnish the security deposit within a period of fifteen days or else license will be liable to be suspended.

100. Experience Certificate.- Every concerned contractor shall issue on demand, experience certificate in **FORM-XXIII** to the contract labour giving details of the period, work performed, experience gained in various fields performed by such contract labour.

101. Prohibition of employment of contract labour.- If a question arises as to whether any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application to the Central Government, which may refer such application to the designated authority, notified by the

Central Government. The form of application, manner and time period shall be as per general or special order by the Central Government issued from time to time:

Provided that no adverse action will be taken during the pendency of proceedings so that the operation of the activity is not affected.

PART II

INTER-STATE MIGRANT WORKER

102. Journey allowance to inter-State migrant worker.- (1) The employer shall pay a lump sum amount on account of fare for to and fro journey to inter-state migrant worker by train not less than II Class sleeper or by bus or any other mode of passenger transport from the place of employment to the place of residence in the home-state in the event, if such worker has worked for a period of not less than one hundred and eighty days in the concerned establishments in preceding twelve months:

Provided that the journey allowance shall be given to an inter-state migrant worker once in twelve months.

(2) In the event of change of employer by the inter-State migrant worker during the middle of the employment period and such worker has not availed the journey allowance from their previous employer, then on the basis of a certificate to be given by inter-State migrant worker, the employer where the inter-State migrant worker is presently working and such worker has completed one hundred and eighty days in preceding twelve months including the period spent with the previous employer, then the present employer shall pay journey allowance.

103. Setting up of a Toll Free helpline number to the inter-state migrant worker.- A Toll-Free help-line number shall be provided through general or special order by Director General Labour Welfare Organisation of the Ministry of Labour and Employment, to address queries and safety of the inter-State migrant workers.

104. Study of inter-State migrant workers.- The Central Government may identify the studies to be carried out to promote safety, health and welfare of inter-State migrant workers as specified by general or special order by the Central Government issued from time to time. Wherever required the Central Government may also consult the State Government or expert organizations involved in the safety, health and welfare of inter-State migrant workers.

PART III

AUDIO- VISUAL WORKER

105. Agreement for audio-visual worker.- The agreement for the audio-visual worker with the producer shall be registered in **FORM-XXIV**.

106. Procedure for reference of disputes to a Conciliation Officer or a Tribunal.- The procedure for reference of dispute to a conciliation officer or a tribunal shall be as per the procedure prescribed in the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) and rules made thereunder.

PART IV

MINES

107. Qualification and appointment of manager in mines.- No mine shall be opened, re-opened or worked unless it has a duly appointed manager, who has the following qualifications specified in the Table below, namely:-

Type of mine	Average material handled or average output of the mine	Essential Qualification for the manager
(1)	(2)	(3)
Belowground coal mines	(a) Average output in excess of 2,500 tonnes	A First Class Manager's Certificate of Competency (Coal).
	(b) average output not exceeding 2,500 tonnes	A First Class Manager's Certificate (Coal) or Second Class Manager's Certificate of Competency (Coal).
Open cast Coal Mines:	(a) average material handled in excess of 20,000 cubic metre	A First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or a First Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having open cast workings only (Coal) .

	(b) average material handled not exceeding 20,000 cubic metre	A First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or a First Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having open cast workings only (Coal) or Second Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or Second Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having opencast in coal.
Below ground metalliferous mines	(a) average output in excess of 1,250 tonnes	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal).
	(b) average output not exceeding 1,250 tonnes	A First Class Manager's Certificate of Competency (Metal) or Second Class Manager's Certificate of Competency (Metal).
Opencast metalliferous mines	(a) average material handled in excess of 20,000 cubic meter	A First Class Manager's Certificate of Competency (Metal) or a First Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having open cast workings only (Metal).
	(b) average material handled not exceeding 20,000 cubic meter	A First Class Manager's Certificate of Competency (Metal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having open cast workings only (Metal) or Second Class Manager's Certificate of Competency (Metal) or Second Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having open cast workings only (Metal).
Mine having both open cast and underground workings	all coal and metal mines	First Class Manager's Certificate of Competency (Coal or Metal as the case may be)

Oil mines	all oil mines	A degree or diploma in engineering or post-graduation in physics or geophysics or geology or chemistry of an educational institution recognised by the Central or State Government and has experience in the management and supervision of operations in oil mines for a period of not less than fifteen years in case of diploma in engineering and ten years in other cases.

Explanation: “Average output” of any mine, means the average output per month during the preceding calendar year of the total output from all workings within the specified mine boundaries;

“Average material handled” of any mine, means the average material (mineral and overburden material) handled per month during the preceding calendar year of the total material handled from all workings within the specified mine boundaries.

108. Code not to apply in certain mines.- (1).— The provision of the Code, except those contained in sections 35,38, 40,41 and 44 shall not apply to –

- (i) any mine or part thereof in which excavation is being made for prospecting purposes only and not for the purpose of obtaining minerals for use and sale:

Provided that –

- (a) not more than twenty persons are employed on any one day in connection with any such excavation;
 - (b) the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point nowhere exceeds six meters or, in the cases of an excavation in coal, fifteen meters; and
 - (c) no part of such excavation extends below superjacent ground;
- (ii) any mine engaged in the extraction of kankar, murram, laterite, boulder, gravel, shingle, ordinary sand (excluding moulding sand, glasss and other mineral sands), ordinary clay (excluding kaolin, china clay, white clay or fire clay), building stone, slate, road metal, earth, fullers earth, marl, chalk and limestone:

Provided that-

- (a) the working do not extend below superjacent ground; or
- (b) where it is an opencast workings-

- i. the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point not anywhere exceeds six meters;
- ii. the number of persons employed on any one day does not exceed fifty; and
- iii. explosives are not used in connection with the excavation.

(2) As soon as an establishment becomes a mine, the employer of the mine shall give notice electronically, to the Inspector-cum-Facilitator within seven days from the date it becomes a mine.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Central Government may declare by an order in writing require that all provisions of the Code shall be applicable, in such mine or part thereof subject to such conditions as may specify therein.

109. Initial and periodical medical examinations in mines.- (1) The employer of every mine shall make arrangements for –

- (i) initial medical examination of every person seeking employment in a mine;
- (ii) periodical medical examination of person employed in a mine annually;
- (iii) the medical examination shall be conducted as per **FORM-IX**.

(2) The periodical medical examination or the X- Ray examination or both, shall be conducted at frequent intervals, if the medical examining authority deems it necessary to confirm a suspected case of a dust related disease.

110. Examining authorities.- (1) The medical examination referred to in rule 109 shall be carried out by a qualified medical practitioner in the employment of the employer of the mine or duly assigned for this purpose by the employer of group of mines or by any Government Medical Officer.

(2) The examining authority shall be trained in occupational health course including the International Labour Organisation, Classification of Chest Radiograph duly recognised by the Central Government.

111. Notice of medical examination.- (1) In respect of initial medical examination, employer shall give at least seven days prior notice in writing to the person to be examined, in Form to be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator and a copy of every such notice issued shall be sent by employer to the examining authority.

(2) In respect of periodical medical examination the manager shall give at least twenty days prior notice in writing to the person to be examined, in Form to be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(3) A copy of every such notice issued shall be sent by the employer to the examining authority along with previous medical certificates issued, pertaining to the persons concerned.

(4) A person, who for any reasonable cause, fails to appear for the medical examination in accordance with the notice issued to such person, shall be given a second notice of a minimum period of ten days in Form to be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator, by the manager and a copy

of every such notice shall be sent by the manager to the examining authority.

(5) The examining authority shall inform the manager whether the person concerned has appeared for medical examination or not within one week from the date fixed for medical examination in the second notice.

112. Failure to undergo medical examination.- (1) A person who without reasonable cause, fails to appear for medical bel

Provided that a person who renders themselves so liable to be discharged for failure to appear for medical examination shall be required to show cause why such person could not comply with the notice within the time specified therein.

(2) If explanation is found satisfactory by the management, such person shall be given another chance to appear for medical examination.

(3) Where the explanation is not found satisfactory their service shall be terminated by the management.

113. Standard and report of medical examination.- (1) The examining authority holding initial and periodical medical examination shall examine a person according to the standards laid down in **FORM –IX**.

(2) After examinations, copy of the medical certificate in **FORM –IX**, shall be issued by the examining authority to the person concerned electronically or by speed post and copy be sent to the employer of the mine concerned electronically.

(3) The examining authority shall retain the third copy of the medical certificate.

(4) In the case of periodical medical examination, the examining authority shall send the copy of previous medical certificates of the person concerned, back to the manager of the mine concerned.

114. Retention and transfer of medical certificates.- (1) All medical examination records with medical history and job details to depict the occupational dust exposure profile of persons employed or to be employed in a mine shall be retained in the possession of the manager of the mine so long as the person is employed in the mine and for a period of five years thereafter:

Provided that the manager of a mine where such person is or was employed shall, if so requested by the manager of any other mine where the person is to be employed, send all medical certificates with respect to such person.

(2) If the examining authority who conducts medical examination of persons employed or to be employed in any mine is relieved of their duties regarding medical examination, such examining authority shall transfer all records of medical examination in their possession to the manager of the mine concerned.

115. Identity of candidates.- The examining authority, shall record the Aadhaar number, after obtaining consent and signature of every candidate appearing before it for medical examination on the copies of the medical certificate.

116. Medical Examination of women.- (1) A woman employee shall be examined by female qualified medical practitioner.

(2) In case a female medical practitioner is not available, the woman employee shall be medically examined by a male qualified medical practitioner in the presence of another woman.

117. Appeal for re-examination.- (1) Where as a result of an initial medical examination or of periodical medical examination, a person has been declared unfit for employment in mines or in particular category of mines or in any specified operations in mine , such person may, within thirty days of the receipt of a copy of the certificate, file an appeal with the employer , against the declaration aforesaid and request for a medical re-examination by an appellate medical board.

(2)(i) the employer in case of initial medical examination and manager of the mine in case of periodical medical examination shall forward the appeal to the convener of the appellate medical board within fifteen days of the receipt of the appeal;

(ii) the convener of the appellate medical board shall give at least fifteen days prior notice to the owner, agent or manager and also the appellant, for re-examination;

(iii) a person, who for any reasonable cause, fails to appear for a medical re-examination shall be given another notice at least seven days in advance;

(3) In respect of every medical re-examination by the appellate medical board, the appellant shall pay such fees and the medical examination shall be conducted in such manner as may be determined by the appellate medical board.

(4) In case the appellate medical board finds such person fit for employment in mines, the fees shall be reimbursed in full to the appellant by the employer of the mine where such person is employed.

118. Constitution of appellate medical board.- For the purpose of medical re-examination on appeal, the appellate medical board shall be constituted by the Central Government in the following manner, namely;

- (i) an Inspector-cum-Facilitator who shall act as the convener of the board for coordination purpose;
- (ii) two qualified medical practitioners in allopathic system of medicine and in the employment of the State or Central Government as nominated by the Chief Inspector-cum-Facilitator:

Provided that, the convener can co-opt any specialist medical practitioner if the appellate medical board is of the opinion that such specialist is required to be consulted for specific issues.

119. Standard and report of medical re-examination by the appellate medical board.- (1) The appellate medical board shall medically examine the appellant in accordance with the standard laid down in the **FORM –IX** for initial and periodical medical examination.

(2) The certificate of medical re-examination in the **FORM –X**, shall be issued to the manager of the mine and to the appellant.

(3) A copy of the medical certificate shall be retained with the convenor.

120. Unfit persons not to be employed.- Where, as a result of an initial medical examination or periodical medical examination or after medical re-examination, a person has been declared unfit for employment in mines or in a particular category of mines or in any specified operations in mine, the person, shall not be employed or continue to be employed in mine or in the category of mines or on the operations specified, after the expiry of thirty days from the date of medical examination unless such person has filed an appeal against the declaration:

Provided that, if the qualified medical practitioner carrying out the initial medical examination, or the periodical medical examination or the appellate medical board carrying out the medical re-examination of persons already in employment is of the opinion that the disability of the person examined is of such a nature and degree that it will not seriously affect or interfere with the normal discharge of their duties, it may recommend their continuation in employment in the mine for a period not exceeding six months, during which such person may get their disability cured or controlled and appear for another medical examination after six months and be declared fit.

121. Cost of medical examination.-The cost of medical examination under these rules, shall be borne by the employer of the mine except in case the person is declared unfit for employment in mines after re-examination by appellate medical board.

122. Exemptions from hours and limitation of employment.- The following persons shall be exempted from the provisions of sub-section (1) of section 25, sub-section (1) of section 26, section 30 and sub-section (1) of section 31 in respect of the following, namely:-

- (i) person holding position of supervision or management or like other position, employed in a confidential capacity;
- (ii) manager, deputy manager, installation manager, fire officer, assistant manager, ventilation officer, safety officer, information technology, instrumentation and communication officials;
- (iii) mining, electrical and mechanical engineer;
- (iv) mining supervisor, assistant mining supervisor and supervisor in oil mines;

- (v) mechanical and electrical foreman and electrical and mechanical supervisor;
- (vi) surveyor and assistant surveyor;
- (vii) qualified medical practitioner, dresser, compounder, chemist, assayer, metallurgist and welfare or personnel officer; and
- (viii) any other person specified by Central Government through general or special order issued from time to time.

123. Establishment and location of rescue station.- (1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may permit or require the employer of a below ground mine or a group of below ground mines to establish and maintain rescue stations with such designs and specifications and at such places as may be considered necessary in consultation with the employer:

Provided that where there are below ground mines belonging to more than one employer, the Chief Inspector-cum-Facilitator may permit or require two or more employers to jointly establish common rescue stations:

Provided further that all the existing rescue stations as on the date of coming into force of these rule, shall continue to function for a period of three years from that date.

- (2) At every rescue station, there shall be a superintendent and at least two instructors and there shall be maintained a rescue brigade of not less than eighteen rescue trained persons.
- (3) Where in absence of the superintendent at a rescue station exceeds sixty days, the employer shall appoint another superintendent.
- (4) The employer shall, on the same day of assumption or relinquishment of charge by the superintendent, inform the Chief Inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum-Facilitator of the region where the mine is situated.

124. Functions of rescue station.- The functions of rescue station shall include-

- (i) imparting initial training in rescue and recovery work;
- (ii) imparting refresher training to rescue trained persons;
- (iii) providing support by its own rescue teams and equipment in case of major accidents or long lasting rescue and recovery operations; and
- (iv) carrying out the functions of rescue room in respect of those below ground mines where there is no rescue room.

125. Establishment and location of rescue room.- (1) At every below ground mine where, more than 100 persons are ordinarily employed below ground and there is no rescue station within a radius of 35 kms, the employer, shall establish a rescue room on surface close to mine entrance:

Provided that it may be sufficient to provide one rescue room for a number of mines belonging to the same employer where-

(a) the total number of persons ordinarily employed in below ground workings of all such mines does not exceed 5000; and

(b) the mines are situated within radius of 35 kms from and connected by road with the rescue room :

Provided further that the Chief Inspector-cum-Facilitator may permit the employer of a group of mines having the total number of persons ordinarily employed below ground in excess of 5000 to use the rescue room as a rescue station excepting the functions of imparting initial training in rescue work, if such rescue room is .-

- (i) equipped with requisite additional rescue apparatus including at least 15 extra sets of two hour self- contained breathing apparatus; and
 - (ii) placed under the charge of a person holding the qualifications, experience and like other requirements of instructors and minimum of five rescue trained persons of whom at least one shall hold the qualifications, experience and like other requirements of rescue room in-charge are posted thereat.
- (2) At each rescue room, there shall be appointed such number of rescue trained persons as may be necessary and one of them possessing the qualifications, experience etc. of rescue room in-charge who shall be made in-charge of the rescue room.
- (3) At least one rescue trained person shall always be in attendance at the rescue room.

126. Functions of rescue room.- A rescue room shall provide facilities for the storage, assembly and testing of breathing apparatus and other rescue equipment and apparatus and for their speedy transport to mines.

127. Qualifications, experience etc. of superintendent.- No person shall be appointed as superintendent unless such person-

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has 5 years practical experience of below ground work in mines; and
- (iii) holds a First Class Manager's Certificate of a type not restricted to open cast workings.

128. Qualifications, experience etc. of instructor.- No person shall be appointed as instructor unless such person-

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has 3 years practical experience of below ground work in mines; and
- (iii) holds a Manager's certificate of a type not restricted to open cast workings.

129. Selection of rescue trained persons for posting at rescue station.- (1) The rescue trained persons for posting at a rescue station shall be selected, amongst the rescue trained persons employed in mines served by such rescue station, by the superintendent in consultation with the managers of such mine.

(2) A person selected under sub-rule(1) shall be posted for not less than one year and not more than five years at a rescue station at any one time.

130. Qualifications, experience etc. of rescue room in-charge.- No person shall be appointed as rescue room in-charge unless such person-

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has three years practical experience of below ground work in mines ; and
- (iii) holds a Manager's or Mining Supervisor's Certificate of a type not restricted to open cast workings.

131. Equipment.-(1) At every rescue station and rescue room, there shall be provided and maintained for immediate use, apparatus and equipment as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order.

(2) A below ground mine, where no rescue room is located, there shall be apparatus and equipment as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time and shall be maintained at the entrance of such mine.

(3) Self- contained breathing apparatus shall be provided at a rescue station and that at rescue rooms under it shall be of the same type and make.

(4) The following apparatus and equipments provided under of sub-rules (1),(2) and (3), shall be of a type or standard approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator, namely:-

- (a) breathing apparatus;
- (b) smoke helmets, tube apparatus and apparatus serving the same purpose;
- (c) reviving apparatus;
- (d) electric safety lamps and flame safety lamps;
- (e) gas detector; and
- (f) self-rescuers.

(5) All breathing apparatus and every flow meter shall be adjusted and tested and the purity of oxygen for use in breathing apparatus shall be tested in such manners as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(6) In event of an accident in a below ground mine arising out of the use of any rescue apparatus, a written report thereof shall be sent, within 24 hours of such accident, by the manager of the mine to the Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator in the form, as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(7) In case of an accident in a rescue station or rescue room arising out of the use of any rescue apparatus

a written report thereof shall be sent electronically, within 24 hours of such accident, by the Superintendent to the Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator in the form, as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(8) No absorbent charges, chemicals, self-rescuer and gas detector tubes shall be kept at any rescue station, rescue room or below ground mine for use beyond the expiry date, which shall be legibly marked on the boxes thereof.

132. Duties and responsibilities of Superintendent.- (1) The Superintendent shall be overall in charge for control of the rescue station and the rescue rooms served by such rescue station.

(2) The Superintendent shall ensure that all the rescue equipment and apparatus kept at the rescue station, rescue rooms and at the entrance of the below ground mine under their control are-

- (i) maintained in proper working order;
- (ii) inspected by instructors at specified intervals; and
- (iii) tested and adjustments are made accordingly.

(3) The superintendent shall ensure that adequate stock of spare parts and supplies are kept for maintaining rescue equipment and apparatus in proper working order.

(4) The superintendent shall countersign the records maintained.

(5) The superintendent shall ensure that persons selected for initial training and those undergoing refresher training receive the course of instructions and practices as may be approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator and are issued the certificates for the same.

(6) The superintendent shall make periodical inspection of rescue rooms and the apparatus and equipment under their control.

(7) When an emergency at a below ground mine, superintendent shall perform such rescue and recovery work as may be assigned by the manager or in absence of manager, by the principal official present at the surface.

(8) The superintendent shall send a daily report and a complete report within twenty-four hours after completion of the rescue or recovery work to the Inspector-cum-Facilitator or the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(9) The superintendent shall maintain in a bound paged book or in retrievable and non-editable electronic form and shall record therein the results of each of their inspections and the action taken by them to rectify the defects observed during inspection.

133. Duties of instructor.- (1) Under the direction of the superintendent, the instructor shall-

- (i) impart course of instructions and practices to persons selected for training in rescue and recovery work as well as to rescue trained persons and maintain a record thereof; and

- (ii) make inspection, test and adjustment of rescue equipment and apparatus and maintain a record thereof.
- (2) When an emergency at a below ground mine, instructor shall perform such rescue and recovery work as may be assigned by the manager or in absence of the manager, by the principal official present at the surface.
- (3) The instructor shall not leave the rescue station without prior permission of the superintendent.
- (4) In the absence of the superintendent, the instructor shall be in-charge of the rescue station.

134. Duties and responsibilities of rescue room in-charge.- Every rescue room in-charge shall-

- (i) display prominently a list of mines served by their rescue room;
- (ii) maintain the equipment and apparatus kept at the rescue room in proper working order;
- (iii) maintain a proper record of all rescue equipment and apparatus kept at the rescue room and inspection thereof; and
- (iv) not allow any unauthorised person to enter into or permit any unauthorised person to take out any apparatus or equipment from the rescue room.

135. Duties of rescue trained persons posted at rescue station.- The rescue trained person shall-

- (i) obey order of the superintendent and instructor and assist them in discharge of their functions;
- (ii) attend to messages, telephone calls and wireless and maintain record thereof;
- (iii) maintain the rescue station in neat and tidy condition;
- (iv) maintain the equipment and apparatus kept at the rescue station in proper working order;
- (v) perform rescue and recovery work in mine; and
- (vi) not leave rescue station without obtaining permission from the superintendent.

136. Duties of rescue room attendant .- Every rescue room attendant shall-

- (i) not leave the rescue room until relieved by a substitute;
- (ii) not allow any unauthorised person to enter in or to take out any apparatus or equipment from the rescue room;
- (iii) attend to telephone calls and maintain a record thereof;
- (iv) maintain the rescue room in neat and tidy condition; and
- (v) obey orders of the rescue room in charge and assist in discharging the functions of rescue room in-charge.

137. Telephone communication.- Every mine shall be connected preferably through wireless communication or telephonically with the rescue room and rescue station serving such mine:

Provided that where there is no communication system, the Chief Inspector-cum-Facilitator may by an order in writing and subject to such conditions as may specify therein, approve other means of communication.

138. Rescue tracings.- (1) There shall be kept at a below ground mine, more than three legible tracings of the working of the mine upto a date not before three preceding months.

(2) The tracing shall show the system of ventilation in the mine and in particular, the general direction of air-current, every point where the quantity of air is measured, every air-crossing, ventilation-door, stopping, booster fan and any other principal device for regulation and distribution of air, fire-dams, preparatory stoppings, every fire-fighting equipment, every water-dam with dimensions and other particulars of construction, every pumping, telephone and ambulance station, every room used for storing inflammable material, reserve stations and every haulage and travelling roadway.

139. Appointment of rescue trained persons in mines, their disposition and accommodation.

- (1) The manager of a below ground mine, where more than 100 persons are ordinarily employed, shall ensure that at least 5 rescue trained persons are readily available at surface at any time.
- (2) The manager of a below ground mine, where more than 500 persons are ordinarily employed, shall ensure that persons on a scale of one man for every 100 persons or part thereof are rescue trained persons.
- (3) It shall be the responsibility of the employer to provide suitable accommodation-
- (i) close to the rescue station to the superintendent, instructors and members of rescue brigade;
 - (ii) close to rescue room to rescue room in-charge rescue trained persons and attendants attached to it; and
 - (iii) close to below ground mine entrance to rescue trained persons other than those specified in clauses (i) and (ii).
- (4) There shall be provided at a below ground mine effective bell or other arrangements, as may be approved by the Inspector-cum-Facilitator for immediate summoning of rescue trained persons.

140. Selection of persons for training in rescue work.- No person shall be selected for training in rescue work, unless such person-

- (i) is between 21 and 40 years of age and holds a valid First-aid certificate from the institutes recognised by the Central or State Government ;
- (ii) is certified by the manager that such person has sufficient underground experience for the purpose of rescue work;

- (iii) is certified by a qualified medical practitioner, as may be designated by the manager after examination in accordance with the standard as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order, to be free from any organic disease or weakness and to be fit for undertaking rescue work; and
- (iv) is considered by the Superintendent of rescue station, after such examination and interview as Superintendent considers necessary, to be suitable for rescue work with breathing apparatus.

141. Instructions and practices etc.- (1) Every person selected for training in rescue work shall undergo the course of instructions and practices as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time, until such person has passed and has been certified as efficient by the Superintendent .

(2) Rescue trained person shall undergo practices and receive instructions as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(3) A record shall be kept at every rescue station of all persons undergoing practices and receiving instructions and such record shall contain-

- (i) the date and the character of each practice;
- (ii) the medical condition of each person after the practice and if anything abnormal was observed in their condition, whether it was due to a defect of the apparatus or due to that person ; and
- (iii) any other relevant information.

142. Medical examination etc. of rescue trained person.- Every rescue trained person shall be re-examined once at least in every twelve months by a qualified medical practitioner as may be designated by the manager in accordance with the standard as specified in **FORM IX** and in case such person is declared medically unfit, such person shall cease to be a rescue trained person with effect from the date such person has been so declared.

143. Suspension of rescue trained persons.-If in the opinion of the employer or an Inspector-cum-Facilitator, a rescue trained person is guilty of negligence or misconduct in the performance of their duties, may after giving such person an opportunity to provide a written explanation, suspend or debar such person from undertaking any rescue and recovery work.

144. Duties of manager etc. in emergency.- (1) On receiving information of any emergency likely to require the services of a rescue team, the manager or in absence of manager, the principal official present at the surface, shall immediately-

- (i) inform the rescue room or the rescue stations serving the mine for necessary assistance;
- (ii) summon rescue trained person employed in the mine;
- (iii) inform the owner, agent or manager of nearby mines to make available the services of rescue

- trained persons employed therein if so required;
- (iv) inform the rescue station about the nature of the occurrence; stating whether assistance would be needed from the rescue station;
- (v) summon medical assistance; and
- (vi) send information of the occurrence to the Inspector-cum-Facilitator.
- (2) All rescue and recovery work at a below ground mine shall be conducted under the control, direction and supervision of the manager of the mine or in absence of the manager, the principal official present at the surface:

Provided that in the event of a major emergency, such as ignition, explosion, underground fire or an accident involving a number of persons, the manager or the principal official shall, in taking decisions regarding rescue and recovery operations, take guidance from a group consisting of a senior official of the management, a representative each from the Director General of Mines Safety, concerned rescue station and the recognised Union of the Workers, so however manager or the principal official must take necessary decisions and direct the operations as the situation warrants, without waiting for the constitution or deliberations of the said group.

145. Accommodation at the below ground mine for persons engaged in rescue work.- (1)

Whenever rescue trained persons are engaged in rescue or recovery work at a below ground mine, there shall be provided at such mine suitable accommodation for storage and charging of apparatus required for that work.

(2) Such accommodation shall be situated at a convenient place near the entrance in use and shall be properly ventilated and lighted.

(3) Adequate quantity of cool and wholesome drinking water and food shall be provided for the rescue workers.

146. Entry into below ground mines for rescue or recovery work.- (1) No person shall be allowed to enter a below ground mine or part thereof which is unsafe for the purpose of engaging in rescue or recovery work, unless authorised by the manager or by the principal official of the mine present at the surface.

(2) Only rescue trained persons shall be permitted to enter the mine for the purpose of using self-contained breathing apparatus.

(3) During the course of rescue or recovery work, person shall be stationed at the entrance to the below ground mine and shall keep a written record of all persons entering and leaving such mine and the time thereof.

147. Fresh air bases.- (1) The base shall be established in fresh air, as near to the irrespirable zone or zones based on safety consideration, every such base shall, if possible be connected by telephone,-

- (i) if the base is below ground to the surface ; or
- (ii) if the base is on the surface, to the shaft bottom.

(2) Except in cases where the delay involved may result in danger to life, rescue trained persons shall not proceed beyond any place where a base is to be established until there have been provided at such base,-

- (i) two persons, of whom one shall be a qualified medical practitioner if practicable and other shall be a rescue trained person;
- (ii) a spare team with rescue apparatus, ready for immediate service;
- (iii) one or more reviving apparatus, oxygen revivers and like other apparatus,
- (iv) first aid box and stretcher;
- (v) apparatus for testing of carbon monoxide;
- (vi) a hygrometer; and
- (vii) two flame safety lamps.

(3) Whenever persons already at work beyond the fresh air base, there shall be provided at the base as soon as possible the persons, apparatus and equipment as specified in sub-rule (2).

148. Leader.- Every rescue team engaged in work with breathing apparatus in a mine shall be under a leader who shall be appointed by the superintendent.

149. Instructions to leader.- Prior to sending a rescue team underground, the superintendent or a person authorised shall give clear instructions to the leader of the team as to where it shall go and what it shall attempt.

150. Test of apparatus.- (1) Before proceeding below ground the leader shall test or witness the testing of self-contained breathing apparatus of the team for leakage.

(2) No such apparatus shall be used unless it is found safe.

(3) The leader shall check the equipment of team and immediately before entering irrespirable atmosphere shall make sure that all breathing apparatus are working properly.

151. Duties of leader below ground.- (1) The leader

- (i) shall not be engage in manual work.
- (ii) shall give attention solely to directing the team and to maintaining its safety.
- (iii) shall examine the roof and supports during the journey and if there is any likelihood of fall at any place along the roadway, then, the leader shall not proceed further until the team has made the place secure.

- (2) The leader shall keep the team together and shall not allow any member of the team to stray.
- (3) If the atmosphere is clear, the leader shall, when passing the junction of two or more roadways, clearly indicate the route by means of arrow marks in chalk.
- (4) If the atmosphere is obscure, the leader shall see that a lifeline is laid in from the fresh air base and shall not allow any member of the team to move out of reach of that lifeline or if that course is impracticable, the leader shall not proceed until every roadway branching off from the route is fenced across the whole opening.
- (5) When using rescue apparatus, the leader shall carry a watch, shall record the pressure of the compressed oxygen at every intervals of twenty minutes and shall commence the return journey in ample time.
- (6) During travelling the leader shall adopt the pace of slowest member and if any member of the team is in distress, shall immediately return to the fresh air base with the whole team.
- (7) The leader shall not permit any member of the team using breathing apparatus in a mine to remain at work at any one time for a period longer than one and half hours or such other period as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator in respect of the breathing apparatus being used.

152. Rescue team members and their duties.-(1) The number of persons in any rescue team using breathing apparatus in a mine shall not be less than five and not more than six, including the leader.

- (2) In event there is no provision in any of the breathing apparatus carried by the rescue team for extension for supply of oxygen to another person in an emergency the team shall carry a self-rescuer.
- (3) Members of rescue team shall in general, use the signals as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time, in communicating to one another.
- (4) In travelling with rescue apparatus on, every member of the team shall keep the place given to them when numbering off and the pace is too quick or if distress is felt, the member shall at once call attention to the fact.
- (5) Every member of a rescue team engaged in work with breathing apparatus in mine shall obey the order of the leader of the team.

153. Restriction of second spell of works.- No person shall commence a second or subsequent spell of work in irrespirable atmosphere without being examined and found fit by a qualified medical practitioner.

154. Obligation of employer in certain situations.- Whenever emergency arises at a below ground mine, whether served by a rescue room or rescue station or not, the employer may seek assistance from the nearest rescue room or rescue station and in such an event-

- (i) all possible assistance shall be promptly rendered by the rescue room or rescue station; and
- (ii) the employer of the mine shall pay to the owner of the rescue station or rescue room, rendering such assistance, the full cost of rescue services and facilities borrowed.

155. General management.- The employer shall establish, maintain and ensure proper functioning of rescue room or rescue station as required under these rules, to appoint such persons, and to provide necessary rescue equipment and apparatus.

156. Power to relax.- The Chief Inspector-cum-Facilitator based on the recommendation of the committee constituted by Chief Inspector-cum-Facilitator may relax the conditions pertaining to a mine or rescue station or rescue room in these rules, the Chief Inspector-cum-Facilitator may by an order in writing and subject to such conditions as may be specified therein to grant relaxation from the said provisions.

157. Training Scheme.- (1) The employer of every mine shall ensure that a training scheme, based on the guidelines on the scheme of training, wherever no authority, specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator for persons employed or to be employed in the mine:

Provided that the agent of the mine may submit the training scheme approved by the employer in writing.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator may by an order in writing, require such modification in the training scheme as may be specified therein.

(3) The scheme referred to in sub-rule (1) shall include, but not limited to, the following provisions, namely:-

- (i) initial training for the persons to be employed in the mines;
- (ii) refresher training for the persons already employed;
- (iii) training in case of introduction of new technology, equipment or change in work procedure;
- (iv) assessing current competencies of a person employed in the mine and prior learning, in establishing the training needs;
- (v) assessing the training needs of persons working in mines for the safe performance of the mining operations;
- (vi) appointing persons who are competent to give training and assess workers' competencies;
- (vii) keeping and auditing records of assessment undertaken and training imparted;
- (viii) the relevant standards, modules or any other guidelines issued in this behalf by the Chief Inspector-cum-Facilitator; and

- (ix) course material on various topics for different categories of persons for delivering lectures in vocational training centre.

158. Scope and standard for vocational training.—The owner or agent of every mine shall ensure that every person to be employed in a mine shall, before such person is employed, be imparted training as per the training scheme under these rule for such employment:

Provided that in case of a person who is already in employment in other mine, the owner shall ensure that such person is imparted training covering such additional course of training as specified under these rules.

159. Scope and standard for Refresher Training.— Every person in employment in a mine shall undergo the refresher training at least once in four years, as per training scheme:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may by order in writing and subject to such conditions as may be specified therein increase or decrease the interval of Refresher training at a mine.

160. Arrangement for refresher training.—The refresher training shall be so arranged that the persons shall undergo training during normal working hours on full day release system:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may by general or special order in writing subject to conditions as may be specified may exempt any mine from the provisions the of this rule.

- 161. Special training.**— (1) In case new technology, equipment and system of work is introduced in the mine, the employer shall prepare and submit the training module, at least sixty days before such introduction, to the Chief Inspector-cum-Facilitator , who may at any time, by an order in writing, require such modification in the training module as may be specified therein.
- (2) Persons to be employed in aforesaid technology, equipment and system of work shall undergo training as per the training scheme specified under these rules, based on the training module.

162. Training of persons after long absence or after an accident or change of job.— Wherever a person returns to employment in a mine, after an absence from work for a period exceeding one year or returns to work after being involved in a serious accident or in a dangerous occurrence which could have resulted in threat to life and safety or is re-employed on a job which is different from what such person had been performing earlier shall undergo training before employment as per the training scheme specified under these rules.

163. Training Centre.—(1) The employer of every mine shall provide and maintain a training centre which shall be adequate for the purpose of imparting the training required to be undergone by the persons who are employed or to be employed in the mine:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may, by an order and for the reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as may be specified therein, authorise that a common training centre may be provided and maintained in respect of two or more mines belonging to the same employer.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may permit in writing, subject to such conditions as may specify therein, a common training centre owned and maintained by a group of employers for imparting training in more than one mine:

Provided that where a common training centre is established and maintained by a group of employers of those mines shall nominate one among them to assume the responsibility of employers of the common training centre for management, supervision, direction and control there at and the nominated owner shall submit notice in writing to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum-Facilitator.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and sub-rule (2), the Chief Inspector-cum-Facilitator may approve in writing, subject to such conditions as may be specified therein, a training centre established under any other law for the time being in force subject to having such infrastructure and facilities as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time, for imparting training under these rules.

(4) Every application for approval under sub rule (3) shall be made in a proforma and accompanied by a fee prescribed by the Chief Inspector-cum-Facilitator, based on recommendation of the committee constituted by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

164. Arrangements for the training centre.—Every training centre shall have such staff, equipment and other facilities as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

165. Training Officer.— (1) Every training centre shall be placed under the charge of a training officer, possessing qualification and experience, as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(2) It shall be the responsibility of the owner or agent of the mine or the owner of common vocational training centre, as the case may be, to appoint the training officer specified under sub-rule(1):

Provided that in case of a training Centre, the person responsible for the management, control, supervision or direction of the training centre (hereinafter referred to as owner of approved training

centre), shall appoint the training officer.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the training officer is unable to perform duties by reason of temporary absence, illness or other cause, the owner, agent or manager, as the case may be, shall authorise in writing any other person having similar qualifications to act in their place:

Provided that no such authorisation shall have effect for a period exceeding thirty days, except with the previous consent in writing of the Chief Inspector-cum-Facilitator and subject to such conditions as may be specified therein.

(4) Every appointment, discharge, dismissal, resignation or termination of service of a Training officer and of the date thereof shall be sent by the owner or agent to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum-Facilitator within seven days from the date of such appointment, authorisation, discharge, dismissal, resignation or termination of service as the case may be.

166. Duties of Training Officer.—(1) It shall be the duty of the training officer-

- (i) to organise and supervise the training of every person undergoing training in pursuance of these rules;
- (ii) to recognise current competency and prior learning in establishing for the training needs;
- (iii) to ensure training as per the modules or curriculum prepared under the concerned training scheme framed under these rules for different categories of persons and ensure that the instructors deliver lectures on standard course material;
- (iv) to maintain records of the training given to every person and to furnish monthly reports to the mine manager on the progress of the persons undergoing training;
- (v) to maintain records of the supervision in respect of the practical training on actual operations; and
- (vi) to discharge such other duties as may be necessary for the proper compliance of these rules.

(2) Every training officer shall keep a record of work and shall, at the end of every year, forward to the Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction over the training centre, through the employer or the owner of a common training centre as the case may be, a summary of the report of work during the year.

167. Instructors. — The employer of mine or owner of the approved training centre shall appoint sufficient number of instructors having qualification and experience to impart training in vocational training centre:

Provided that, in special circumstances, officials may be called for from the mines, to deliver lectures and for demonstrations at the training centre.

168. Trainers.—For the purpose of the practical training referred to in these rules, every person to be employed in a mine shall be placed under the direct supervision of an experienced person of an appropriate category, employed on operations and authorised by manager hereinafter referred to as trainer.

169. Qualification of instructors and trainers.— No person shall function as an instructor or trainer unless such person possesses qualification, training and experience as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator, based on recommendation of the committee constituted by the Chief Inspector-cum-Facilitator, through general or special order issued from time to time

170. Duties of Instructor.— The instructor shall:-

- (a) assess employees competency and deliver lectures on standard course material; and
- (b) maintain records of training given to every person and to furnish weekly report to the training officer on the progress of the persons undergoing training.

171. Duties of trainer and persons undergoing training.— (1) The trainers shall be responsible for the safety of the persons undergoing training .

- (2) The trainer shall monitor that the persons under their charge for training, pick up work, understand the dangers inherent in the job and develop habits, which would ensure safety in mines.
- (3) The trainer shall monitor that the persons undergoing training move within the mine along with them.
- (4) Every trainer shall monitor that the persons undergoing training under them, is aware of escape route from the sections where they are likely to work and other emergency response applicable to the trainee.
- (5) Every person undergoing training shall, whilst under training, comply with the directions of the trainer under whom they are put in charge.

172. Training allowance.— (1) Every trainer shall, in addition to their normal wages, be paid by the owner, agent or manager of a mine, a training allowance for everyday a trainee has worked under their supervision as prescribed by the Chief Inspector-cum-Facilitator on recommendation of the committee constituted by the Chief Inspector-cum-Facilitator, through general or special order, issued from time to time .

(2) Every Instructor, other than the instructor under regular appointment at the training centre shall, in addition to their normal wages, be paid by the owner, agent or manager a training allowance for every day such trainer has imparted training in Vocational Training Centre, as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator on recommendation of the committee constituted by the Chief Inspector-cum-Facilitator, through general or special order, issued from time to time.

173. Certificate of training.-(1) Every person who undergoes a course of training specified in these rules shall, on completion of the training be assessed and subject to acceptable performance of the trainee, shall be granted a certificate duly signed by the training officer, in a Form to be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time .

(2) Where the training officer is not satisfied with the progress or performance of any trainee, such person shall report the same to the manager of the mine, who may arrange to give them, further training.

(3) The manager of every mine shall counter sign and specify date on the certificate after being satisfied of the successful completion of training.

174. Certificate to be delivered to the management.-(1) Every person employed in a mine shall:-

(a) if has obtained training certificates prior to such employment; and

(b) obtained certificates during the course of employment, within such time as may be specified by the manager of the mine;

(c) deliver the certificate issued to them under these rules;

(2) the manager of the mine who shall keep the certificate in safe custody and issue a receipt for the same.

(3) On the termination of employment, certificate deposited under sub-rule (1) shall be returned to the employee.

175. Inspection of vocational training centre.-The Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator may enter, inspect and examine any training centre or any part thereof and make such examination or inquiry as thinks fit in order to ascertain whether the provisions of these rules and of any orders made thereunder are being complied with.

176. Notice of closure or discontinuance of vocational training centre.- When it is intended to close a training centre established under these rules or to discontinue the working thereof for a period exceeding sixty days, the employer of a mine or the owner of a common vocational training centre as the case may be, shall give a notice in the manner and form as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time stating the reasons for such closure or discontinuance, not less than thirty days prior to such closure or discontinuance:

Provided that the employer of the mines shall give notice forthwith when on account of unforeseen circumstances a training centre is closed or discontinued before the said notice has been given or without previous intention the discontinuance extends a period of sixty days.

CHAPTER XII

OFFENCES AND PENALTY

177. Manner of holding enquiry.- (1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 111 in respect of the offences referred to in said sub-section, by an Inspector-cum-Facilitator, the officer after considering such evidences as produced by the Inspector-cum-Facilitator, is satisfied that an offence has been committed, shall issue summons to the accused on the address specified in the complaint and fix a date for appearance.

(2) The authorisation to appear on behalf of either of the parties, shall be presented to the officer under sub-rule (1) during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(3) If the accused to whom the summons has been issued under sub-rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the accused regarding the offence against which the enquiry has been initiated, and

(a) If the accused pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and

(b) If the accused does not plead guilty, the officer shall proceed with the enquiry, issue summons to any person acquainted with facts and circumstances of the case, and appoint a specified date for next hearing.

(4) On such appointed date, the officer shall record all evidences produced by the accused and the Inspector-cum-Facilitator, whether documentary or by the witnesses on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced.

(5) The officer shall after hearing the parties and considering the evidence so produced whether oral and documentary, shall decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

(6) The officer shall, while passing an order, record -

(a) the particulars of the complaint;

(b) the details of the parties;

(c) the nature of the offence with reference to relevant provisions of the Code;

(d) the pleadings of the parties;

(e) summary of evidence including cross-examination;

(f) findings and reasons; and

(g) penalty imposed, if any.

(7) In case, the accused or his representative fails to appear without any sufficient cause on two consecutive dates, the officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte:

Provided, in case where Inspector-cum-Facilitator fails to appear or through his representative without any sufficient cause, on the specified date, the officer may dismiss the complaint.

(8) Officer may allow for adjournment of the proceedings on receipt of application either from the Inspector-cum-Facilitator or the accused:

Provided that not more than three adjournments shall be allowed:

Provided further that the officer may at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(9) The officer shall endorse or cause to be endorsed on each document, the date of its presentation or receipt, as the case may be, and if the documents are submitted electronically, endorsement shall be made electronically.

(10) The parties to the issue or their authorised representative under sub-rule (2) shall be entitled to inspect any complaint or any other document filed with the officer.

(11) The officer may refuse to entertain a complaint, if he is satisfied that the complaint is incomplete and may request the Inspector-cum-Facilitator to rectify such defects within the time specified by him for such purpose:

Provided that if the officer is of the opinion that it is not possible to rectify such defects in the complaint, he may return such complaint indicating the defects.

(12) Where the complaint is presented after rectification of the defects, the date of such re-presentation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 111 of the code.

(13) The officer may, after giving the Inspector-cum-Facilitator an opportunity of being heard, refuse to entertain a complaint, if he is satisfied for reasons to be recorded in writing, that-

(a) the complainant has filed the complaint beyond six months from the date on which the offence complained is committed;

(b) the complainant fails to comply with the directions given by the officer.

(14) (i) Any person aggrieved by an order made by the officer may prefer an appeal, in manner, form and with applicable fee as prescribed by Central Government through general or special order, to the appellate authority to be appointed under sub-section (3) of section 111, within sixty days from the date on which the copy of the order referred under sub-rule (6) made by the officer is received by the aggrieved person.

(ii) The appellate authority appointed under sub-section (3) of section 111, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against, within a period of sixty days from the date of receipt of appeal.

178. Onus as to age.- The medical authority referred to in sub-section (2) of section 117 shall be a medical practitioner as referred, who possesses any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) and enrolled on a State Medical Register as defined in the National Medical Commission Act, 2019.

179. Procedure of inquiry and other related matters.- (1) Wherein any workplace an accident causing death or serious bodily injury takes place or there is an occurrence of any dangerous occurrence or cases of any occupational disease as specified in the Third Schedule to the Code has been reported or is suspected to have been contracted, the Central Government, as the case may be, appoint one or more persons possessing legal and special knowledge to act as assessors or competent persons in such inquiry in order to inquire into the causes of the accident or occupational disease.

(2) The competent person appointed under sub-rule (1) shall carry out the inquiry into the causes of the accident or dangerous occurrence along with identification of the hazardous condition for which competent person has reasonable evidence to conclude and to be recorded in writing in the inquiry report, has caused the accident or the dangerous occurrence and also identify the persons which the competent person believes, based on findings, to be responsible for such accident or occurrence, as the case may be.

(3) The inquiry report shall contain conclusive findings of the inquiry along with the recommendations for prevention of such accidents or dangerous occurrences of occupational diseases containing suggestions for implementation to prevent re-occurrence.

(4) In event of dock work, any competent person appointed by the Central Government for the purposes of inquiring into the causes of any accident, dangerous occurrence or occupational diseases connected with the dock work under the provision of section 121 of the Code shall make the inquiry in the following manner, namely-

- (i) date, time and place of holding the inquiry shall be fixed and may be varied, notice of which shall be given not less than thirty days in writing of such date, time and place to every person entitled to appear at the inquiry whose name and address are known to the competent person:

Provided that,—

- (a) with the consent of such persons, the competent person may give such lesser period of notice as shall be agreed to with those persons; and
- (b) where it becomes necessary or advisable to vary the time or place fixed for the inquiry, the competent person shall give such notice of the variation as may appear to it to be reasonable in the circumstances;
- (ii) the notice given under clause (i) shall state the name of the competent person and the names of assessors, if any, appointed to assist the competent person in the inquiry;
- (iii) without prejudice to the foregoing provisions of this sub-rule, the competent person shall also for the purpose of notifying to the persons who may in any way be concerned with the subject-matter of the inquiry, take one or more of the following steps, namely:-
 - (a) publish notice of the inquiry in one or more newspapers, including where appropriate, newspapers circulating in the locality or area in which the subject-matter of the inquiry arose; and
 - (b) give such other notice of the inquiry as appears to the competent person to be appropriate; and the requirements as to the period of notice contained in clause (a) of this rule shall not apply to any such notices.

180. Persons to appear at inquiry.- (1) The person entitled to appear at the inquiry shall be—

- (a) any enforcement authority concerned;
 - (b) any employers association or Trade Union of employees;
 - (c) any person who was injured or suffered damage as a result of the accident, occurrence, situation, disease or other matter which is the subject of the inquiry, or their representative;
 - (d) the employer of any premises in which the accident, occurrence, situation or other matter occurred or arose;
 - (e) any person carrying on work giving rise to the accident, occurrence, situation or other matter which is the subject of the inquiry; and
 - (f) any other person at the discretion of the appointed competent person making inquiry.
- (2) The following shall represent at the inquiry, namely:—
- (a) a corporate body may be represented by its secretary or by any other officer appointed for the purpose, or by counsel or solicitor;

- (b) a Government department, an employers association or a Trade Union may be represented by a counsel or a solicitor;
 - (c) where there are two or more persons having a similar interest in the matter under inquiry, the competent person may allow one or more persons to appear for the benefit of some or all persons so interested.
- (3) The competent person appointed by the Central Government under section 121 of the Code, may, either on their own motion or on the application of any person entitled or permitted to appear, cause to be served on any person appearing before competent person likely to be able to give material evidence or to produce any document likely to be material evidence, a notice requiring that person to attend at the inquiry at the time and place specified in the notice to give evidence or produce the document.
- (4) A person on whom a notice is served under sub-rule (3) may apply to the competent person either on or before the inquiry to vary or set aside the requirement and where that person does so before the inquiry, such person shall give application to the competent person.
- (5) Except as otherwise provided in these rules, the procedure at and in connection with an inquiry shall be at the discretion of the competent person and contrary to the principles of natural justice who shall state at the commencement of the hearing the procedure, which subject to consideration of any submission by the persons appearing at the inquiry, proposing to adopt and inform those persons what is proposed with regards to any site inspection arising out of the hearing.
- (6) In case of mines, the persons appointed to hold inquiry under section 121 shall hold the inquiry in public in such manner and under such conditions as the competent person thinks most effectual for ascertaining the causes and circumstances of the accident or other occurrences and for enabling the competent person to make the report.
- (7) Where on inquiry finds that the accident was due to any carelessness or negligence on the part of the management, the competent person may direct the recovery of the expenses of such competent person including any expenses incurred with the previous sanction of the competent person and any other expenses connected with the enquiry which the court may direct as recoverable from the owner of the mine concerned, in such manner and within such time as the competent person may specify.
- (8) The amount directed to be recovered under sub rule (7) may, on application by the Chief Inspector-cum-Facilitator or an Inspector-cum-Facilitator to the concerned authority, be recovered from the employer.
- (9) An Inspector-cum-Facilitator nominated in this behalf by the Central Government, shall act as the Secretary to the competent person.
- (10) The inquiry or the survey, as the case may be, shall be completed and submitted to the Central Government, within a period of three months from the date of the order through which it is constituted.

181. Procedure of survey and other related matters.- (1) The Central Government may direct Directorate General Occupational Safety and Health or Directorate General Mines Safety or any other institution under the control of the Central Government, to appoint a committee to undertake a survey on the situation relating to safety and health at work at any workplace or class of workplaces or into the effect of work activity on the health of the employees within and in the vicinity of the workplace.

(2) The committee shall carry out the survey with a view to finding out the status of safety and health at work the workplace and its effect on the workers.

(3) The report of the committee to be submitted to the Central government shall be of status of an inspection report and contain conclusive findings of the survey along with the recommendations for improving the status of occupational safety and health for prevention of accidents or dangerous occurrences or occupational diseases as the case may be and containing suggestions for implementation thereof for compliance which shall be ensured by the Inspector-cum-Facilitator.

182. Manner of compounding of offences by the authorised officer.- (1) The officer notified by the Central Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 114 shall on an application in **FORM- XXVI** by an accused person desirous of making composition of a compoundable offence, before or after holding the enquiry or as the case may be, of institution of prosecution, issue electronically a compounding notice in **Form-XXVII** to such person for the offence for which is compoundable under sub-section (1) of section 114 of the Code.

(2) The person so noticed under sub-rule (1) may apply to the officer in **Part-III of Form-XXVII**, electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The officer referred to in sub-rule (1) shall issue a composition certificate in **Part IV of FORM- XXVII** within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the time specified, the prosecution shall be instituted after one month from the last date of specified time before the court against such person for the offences in respect of which the compounding notice was issued.

(5) For compounding of an offence, where the prosecution has already been instituted in a court, the officer referred to in sub-rule (1) shall send a copy of such order for intimation to the concerned court for further action.

CHAPTER-XIII

SOCIAL SECURITY FUND

183. Social Security Fund. - Social Security Fund set up under section 141 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) shall be deemed to have been set up under section 115 of the Code, including other sources of fund and the manner of administering and expending the fund for welfare of the unorganised workers.

CHAPTER XIV

MISCELLANEOUS

184. Grievance redressal mechanism for contract labour.-

- (1) The contract labour may submit grievance relating to health, working conditions and wages, at the level of principal employer, who shall look into the matter and redress grievance.
- (2) A committee shall be constituted by the principal employer in whose establishment contract labour is employed and the committee shall comprise of a chairman, who shall be the authorised representative of the principal employer and shall have representative of principal employer and contractor.
- (3) The committee shall hear and dispose of the grievance of the contract labour within a period of thirty days.
- (4) In event the grievance is not redressed within thirty days, the principal employer shall forward the grievance to the concerned Inspector-cum-Facilitator electronically.
- (5) The Inspector-cum-Facilitator, upon receipt of the grievance forwarded under sub-rule (4), shall inquire into the matter and take appropriate action for its disposal, and shall ensure that the grievance is resolved within a period not exceeding sixty days from the date of its receipt.

185. Annual increment of regular worker of a contractor.- A worker who is regularly employed by the contractor for any activity and employment of such worker is governed by mutually accepted standards of the condition of employment shall be such that such worker gets an annual increment of not less than two percent of their wages.

186. Income from sources and quantity of hazardous substance.- Income from sources under *Explanation* to clause (x) of sub-section (1) of section 2 and substance or quantity of substance under clause (zb) of said sub-section shall be specified through general or special order by Central Government issued from time to time.

ANNEXURE- I

List of contents of First Aid Box as provided under rule 54(ii): -

1. Appropriate number of small, medium and large sized sterilized dressings pads
2. Appropriate number of large size sterilized burn dressings pads
3. Appropriate number of packets of sterilized cotton
4. Sufficient quantity of Cetrimide solution (1%-3%) or a suitable antiseptic solution (10% Povidone Iodine)
5. Pair of scissors, Tweezers, Tourniquet and disposable gloves
6. Adequate adhesive Tapes and adhesive Bandage Tape of different sizes.
7. Adequate Elastic crepe bandages of different sizes.
8. Sterilized eye pads.
9. Strips containing analgesic (Paracetamol-650 mg) and Antacid and adequate number of ORS Sachets.
10. Pain relief / analgesic spray
11. Polythene wash bottles (Normal Saline or Distilled Water)
12. Adequate Roller bandages of different sizes.
13. Adequate and suitable splints.
14. Resuscitation equipment such as ambu bag.
15. Tablets such as Asprin, Isosorbide Di-nitrate.
16. Anti-allergic medicine, eye drops
17. One copy of First-aid leaflet which includes emergency contact numbers of nearby hospitals.

ANNEXURE- II

List of equipment for ambulance room as provided under rule 55(ii):-

1. Glazed sink with hot and cold-water supply
2. Table with Chairs, Refrigerator
3. Suitable solution or Equipment for medical instruments sterilization
4. Patient Examination table or couch with pillow, Washable Rubber Sheets, Blankets, Towels
5. Appropriate number of Medium size sponge forceps
6. Kidney tray
7. Antiseptic soaps
8. Clinical thermometers
9. Hand torch

10. Adequate number of tetanus toxoid injection
11. Tablets – Antihistaminic, Antispasmodic, Antipyretic (Paracetamol), Antacid, Antiemetics
12. Tablets-Isosorbide Dinitrate (5 mg), Aspirin (75mg) + Atorvastatin (20mg) + Clopidogrel (75mg)
13. ORS Sachets
14. Injection: Atropine, Adrenalin, Hydrocortisone, Furosemide, local anaesthetics
15. Disposable Syringes with needles of different sizes and needle holder
16. Suturing needles and materials
17. Pair of dissecting forceps
18. Pair of dressing forceps
19. Pair of artery forceps
20. Surgical scissors
21. Scalpel
22. Stethoscope
23. Rubber bandage – pressure bandage
24. Oxygen cylinder/Oxygen Concentrator with necessary attachments
25. One Blood Pressure apparatus
26. Appropriate number of Normal Saline Bottle, Ringer Lactate Solution, 5% Dextrose Solution, 25% Dextrose Solution.
27. Green (18G), Pink (20G) and Blue (22G) Intravenous (IV) Cannula and suitable fixator
28. Disposable Intra venous Infusion Set
29. Intravenous Infusion Stand
30. Blood Glucose Monitoring Kit
31. Biomedical Waste Management Bins as per statutory requirement
32. Adequate number of Plain wooden splints of appropriate sizes or any other suitable splints
33. Wheelchair
34. Scoop stretcher
35. Adequate small, medium and large sterilized dressings
36. Adequate sterilized burn dressings
37. Adequate packets of sterilized cotton
38. Antiseptic solution like Cetrimide (1%-3%) or Povidone Iodine (10%) solution
39. Roll of adhesive bandages and adhesive Tapes of different sizes.
40. Elastic crepe bandages of different sizes.
41. Adequate Pieces of sterilized eye pad.
42. Adequate roller bandages of different sizes.
43. Tourniquet
44. Disposable gloves
45. Tweezers
46. Pulse Oximeter.

47. Suitable Suction unit with equipment
48. Resuscitation equipment such as Automated External Defibrillator and ambu bag.
49. Any other equipment recommended by the qualified medical practitioner according to the specific need.

ANNEXURE- III

List of contents of first aid box in case of mines as provided under rule 54(iii) :-

(i) Wound Care:

- (a) Sterile adhesive bandages in various sizes (e.g., small, medium, large)
- (b) Sterile gauze pads and dressings with advanced wound-healing properties
- (c) Transparent film dressings for covering and protecting wounds
- (d) Antiseptic wipes or solution for wound cleaning
- (e) Skin closure strips for small cuts and lacerations
- (f) Disposable gloves (latex-free or nitrile)
- (g) Scissors with rounded tips

(ii) Cardiopulmonary Resuscitation and Resuscitation:

- (a) Pocket mask or face shield with one-way valve for administering **Cardiopulmonary Resuscitation** safely
- (b) Disposable resuscitation bag-valve-mask device with **Positive End-Expiratory Pressure** valve (positive end-expiratory pressure)

(iii) Medications and Ointments:

- (a) Antiseptic ointment with broad-spectrum antimicrobial properties
- (b) Hydrocortisone cream for insect bites and skin irritations
- (c) Pain relievers (e.g., acetaminophen, ibuprofen) with appropriate dosages
- (d) Antihistamines for allergic reactions, available in various formulations (tablets, liquid, etc.)
- (e) Aspirin for suspected cardiac events
- (f) Sugar sachets

(iv) Bandages and Dressings:

- (a) Elastic bandages with self-adhesive properties and Ice pack box with ice bags for sprains and strains
- (b) Non-stick wound dressings or pads with enhanced absorbency
- (c) Burn Care:
- (d) Hydrogel burn dressings for immediate cooling and pain relief
- (e) Sterile burn sheets with hydrogel coating

- (f) Burn gel or spray with a soothing effect
- (v) **Equipment and Tools:**
 - (a) Digital thermometer for accurate temperature readings
 - (b) Suction apparatus, Stiff neck collar, Airway, Artificial manual breathing unit bag, Finger probe pulse oximeter
- (vi) **High-quality flashlight with adjustable brightness.**

ANNEXURE- IV

List of equipments for Ambulance Room in case of mines as provided under rule 55(iii) :-

(i) Advanced Medical Equipment:

- (a) Portable oxygen cylinder with a regulator and various oxygen delivery devices (nasal cannula, mask)
- (b) Nebulizer for administering respiratory medication efficiently
- (c) Suction device for airway management and clearing secretions
- (d) Automated External Defibrillator (AED) with the latest technology and features
- (e) Blood pressure monitor for accurate blood pressure readings
- (f) Glucometer with test strips for blood glucose level assessment

(ii) Sanitation and Hygiene:

- (a) Hand sanitizers with at least 60% alcohol content
- (b) No-touch waste disposal containers for biohazardous waste
- (c) Disposable wipes for cleaning surfaces and equipment

(iii) Patient Transport:

- (a) Electric or hydraulic adjustable examination table with padding and safety features for patient comfort and ease of assessment.
- (b) Portable patient transfer chair or stretcher with locking wheels for safe and efficient patient transport within the facility.
- (c) Plastic covers for any amputated parts with ice packs.

(iv) Hygiene and Wound Care:

- (a) Glazed sink with infrared sensor for hands-free operation, equipped with an integrated soap dispenser and paper towel dispenser.

- (b) Antimicrobial soap with moisturizing properties for effective handwashing
- (c) Disposable nail brushes with biodegradable bristles for personnel hand hygiene.

(v) Wound Dressings and Supplies:

- (a) Advanced wound dressings with hydrogel or silver-based technology for better wound healing and infection prevention.
- (b) Sterile silicone dressings with adhesive properties that do not damage the skin during removal.
- (c) Non-adhesive wound contact layers to minimize pain during dressing changes.
- (d) Transparent film dressings with enhanced breathability for covering and monitoring wounds.
- (e) Sterile foam dressings for exuding wounds with high absorption capacity.
- (f) Nasal suction bulb

(vi) Antiseptic Solutions:

- (a) Sterile saline solution or wound wash for gentle wound irrigation.
- (b) Sterile wound cleansing wipes with skin-friendly antiseptic properties.

(vii) Patient Comfort and Warmth:

- (a) Soft fleece blankets with moisture-wicking and thermal-regulating properties for patient comfort and warmth.
- (b) Reusable instant heat packs with advanced heat-retaining materials for on-demand warmth.

(viii) Splints and Support:

- (a) Malleable, vacuum-formed, or inflatable splints with adjustable properties for better immobilization and support.
- (b) Elastic cohesive bandages with self-adhesive properties for secure and comfortable support.
- (c) Triangular bandages

(ix) Emergency Equipment: Pressure bandage for controlling severe bleeding effectively.

(x) Temperature Assessment: Non-contact infrared thermometers for quick and hygienic temperature assessment.

(xi) Medications and Administration Equipment: Emergency medications and equipment as prescribed by a qualified medical practitioner,

(xii) Emergency Medications: Adequate supply of anti-tetanus serum and other emergency medications as prescribed by a qualified medical practitioner.

(xiii) Medical Appliances:

- (a) One Stethoscope and one Automated blood pressure monitor with digital display and adjustable cuffs for accurate readings.
- (b) One Electro Cardio Graph machine
- (c) One each of Suction apparatus, Stiff neck collar, Airway, Artificial manual breathing unit bag, Finger probe pulse oximeter.

ANNEXURE-V

List of equipment for first aid station in case of mines as provided under rule 54(ix)(B)

- (i) One stretcher with two blankets
- (ii) Inflatable splints
- (iii) Patient Examination table
- (iv) First aid box contains materials as prescribed in Annexure-I

ANNEXURE- VI

LIST OF EQUIPMENTS FOR MEDICAL FACILITIES ROOM OR DISPENSARY as provided under rule 63(ii) :-

1. Glazed sink with hot and cold-water supply
2. Table with Chairs, Refrigerator
3. Suitable solution or Equipment for medical instruments sterilization
4. Patient Examination table or couch with pillow, Washable Rubber Sheets, Blankets, Towels
5. Appropriate number of medium size sponge forceps
6. Kidney tray
7. Antiseptic soaps
8. Clinical thermometers
9. Hand torch
10. Adequate number of tetanus toxoid injection
11. Tablets – Antihistaminic, Antispasmodic, Antipyretic (Paracetamol), Antacid, Antiemetics
12. Tablets-Isosorbide Dinitrate (5 mg), Aspirin (75mg) + Atorvastatin (20mg) + Clopidogrel (75mg)
13. ORS Sachets
14. Injection: Atropine, Adrenalin, Hydrocortisone, Furosemide, local anaesthetics
15. Disposable Syringes with needles of different sizes and needle holder

16. Suturing needles and materials
17. Pair of dissecting forceps
18. Pair of dressing forceps
19. Pair of artery forceps
20. Surgical scissors
21. Scalpel
22. Stethoscope
23. Rubber bandage – pressure bandage
24. Oxygen cylinder/Oxygen Concentrator with necessary attachments
25. One Blood Pressure apparatus
26. Appropriate number of Normal Saline Bottle, Ringer Lactate Solution, 5% Dextrose Solution, 25% Dextrose Solution.
27. Green (18G), Pink (20G) and Blue (22G) Intravenous (IV) Cannula and suitable fixator
28. Disposable Intra venous Infusion Set
29. Intravenous Infusion Stand
30. Blood Glucose Monitoring Kit
31. Biomedical Waste Management Bins as per statutory requirement
32. Adequate number of Plain wooden splints of appropriate sizes or any other suitable splints
33. Wheelchair
34. Scoop stretcher
35. Adequate small, medium and large sterilized dressings
36. Adequate sterilized burn dressings
37. Adequate packets of sterilized cotton
38. Antiseptic solution like Cetrimide (1%-3%) or Povidone Iodine (10%) solution
39. Roll of adhesive bandages and adhesive Tapes of different sizes.
40. Elastic crepe bandages of different sizes.
41. Adequate Pieces of sterilized eye pad.
42. Adequate roller bandages of different sizes.
43. Tourniquet
44. Disposable gloves
45. Tweezers
46. Pulse Oximeter.
47. Suitable Suction unit with equipment
48. Resuscitation equipment such as Automated External Defibrillator and ambu bag.
49. Any other equipment recommended by the Medical Officer according to the specific need.

ANNEXURE- VII**List of Forms prescribed under Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026**

S.No.	Form Number	Subject
1	FORM-I	Application for registration of establishment/Amendment to certificate of registration/ Updation of registration particulars of establishments already registered under any other Central Labour Laws
2	FORM-II	Application for cancellation of Registration Certificate of establishment
3	FORM-III	Certificate of Registration of Establishment
4	FORM-IV	Certificate of cancellation of Registration Certificate of Establishment
5	FORM-V	Register of Establishment
6	FORM-VI	Notice of Commencement / cessation of operations
7	FORM-VII	Notice of Commencement/Re-opening/Cessation/ Discontinuance/ Abandonment of operations/Closing of mines
8	FORM-VIII	Health Examination (Except mine employees)
9	FORM- IX	Report of medical examination (For mine employees only)
10	FORM- X	Certificate of medical re-examination by Appellate Medical Board
11	FORM-XI	Notice of accident or dangerous occurrence
12	FORM-XII	Notice of periods of work
13	FORM-XIII	Employee register
14	FORM-XIV	Attendance register-cum-muster roll
15	FORM – XV	Register for wages, overtime and deductions
16	FORM – XVI	Wage slip
17	FORM-XVII	Annual return

18	FORM XVIII	Half Yearly Return (January to June / July to December) to be submitted by Contractor to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central)
19	FORM-XIX	Register of accidents and dangerous occurrences
20	FORM-XX	Register for leave with wages
21	FORM-XXI	Application for Licence/Renewal of Licence/ Amendment of Licence (including Common/single licence)
22	FORM-XXII	Proforma of license
23	FORM-XXIII	Experience certificate of contract labour
24	FORM-XXIV	Agreement between Producer and Audio-visual worker
25	FORM-XXV	Improvement notice
26	FORM- XXVI	Application for composition of offence
27	FORM-XXVII	Notice to the employer for an offence committed under the provisions of the Code for the first time for composition of offences under sub-section (1) of section 114

FORM-I

(See rule 3(1))

Application for registration of establishment/Amendment to certificate of registration/ Updation of registration particulars of establishments already registered under any other Central Labour Laws**A. Establishment Details.**

1. Retrieve details of Establishment through LIN:
2. Name of Establishment:
3. Location and Address of the Establishment:
- 3 a. PAN:
4. Others details of Establishment:
 - a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:
 - b. Total Number of the contract employees engaged:
 - c. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:

5 (a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
1	2	3	4

5 (b) For mines:

Name of Mineral(s)	Lease extent of the mine (in Acres)	Name and address of the owner	Average Monthly output, targeted (Tonne)	Maximum number of persons to be employed on any day
1	2	3	4	5

5 (c) For Dock work:

Name of dock Work/Major Port	Types of Dock Works	Name of the Cargo handled and stored along with quantity	Name of the chemicals handled and stored along with quantity	Name of the hazardous Chemicals handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

5 (d) For building or other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

5 (e) Any Other establishment:

6. Ownership Type/Sector:

7. Activity as per National Industrial Classification:

8. Details of Selected NIC Code:

9. Identification of the establishment e-sign/ digital sign of employer/ representative:

B. Details of Employer:-

1. Name & Address of Employer / Occupier / Owner/Agent/ Chief Executive/ port authority etc. :
2. Designation :
3. Father's/ Husband's Name of the Employer :
4. Email Address, Telephone& Mobile No. :

C. Manager/ Agent Details:-

1. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the Establishment
2. Address of Manager/ Agent:
3. Email Address, Telephone& Mobile No. :

D. Contractor Details:-

Name and Address of Contractor	Email address & Mobile No. of Contractor	Name of Work	Maximum No. of Contract labour engaged	Date of Commencement /Probable date of Completion of work
1	2	3	4	5

E. Others Details:-

Dated:-

Place:-

Signature/ E-sign/digital sign of employer

FORM-II

[(See rule 3(10)]

Application for cancellation of Registration Certificate of establishment

1. Registration No:
2. Name and Address of Establishment:-
3. Name and Designation of employer :-
4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-
5. Nature of work of the establishment :-

I/We here by intimate that the establishment having registration No. dated.....
is closed with effect from..... (Date).

Certificate from Employer

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment having registration no. ____ dated ____ has been made.

I/we hereby certify that the establishment having registration no. ____ dated ____ kept free from storage of hazardous chemicals and substances.
[Strikeout whichever if not applicable]

Signature of the Employer

To,

The Registering Officer

The Inspector-cum-Facilitator

Place:

Signature/ E-sign/digital sign of employer

Date:

FORM-III**[See rule 3(2)]****Certificate of Registration of Establishment**

Registration No.

Date

A Certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under sub section (2) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020(37.of 2020) to.....(Name of the establishment)

1. Nature of work carried on in the establishment (Please tick mark)

(a) Factory

(b) Mining

(c) Dock work

(d) Contract Work

(e) Building or Other Construction Works

(f) any other work (not covered above)

2. Details of the establishment:

a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:

b. Total Number of the employees engaged through contractor:

c. Total Number of Contractors and their details:

d. Number of inter-state migrant workers engaged:

3 (a) For factories

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
1	2	3	4

3 (b) For mines

Name of Mineral(s)	Lease extent of the mine (in Acres)	Name and address of the owner	Average Monthly output, targeted (Tonne)	Maximum number of persons to be employed on any day
1	2	3	4	5

3 (c) For Dock work

Name of Dock Work / Major Port	Types of Dock Works	Name of the Cargo handled and stored along with quantity	Name of the chemicals handled and stored along with quantity	Name of the hazardous Chemicals handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

3 (d) For building or other construction work

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

3 (e) Any Other establishment:

4. Remarks of registering officers:

Place:

Date:

/Signature E -Sign/DSC of registering officer
along with designation

Conditions of Registration

- (1) Every certificate of registration issued under rule 3 shall be subject to the following conditions, namely:
- (a) the certificate of registration shall be non-transferable;
 - (b) The number employees engaged in an establishment, whether directly or on contract, shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration; and
 - (c) Save as otherwise provided in these rules, the fees paid for the grant of certificate of registration shall be non-refundable.
- (2) The employer shall intimate the change, if any, in the number of employees or the conditions of work to the registering officer within 30 days.
- (3) The employer shall, within thirty days of the commencement or cessation of operation, intimate to the Registering Officer and Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment is situated or the work is executed, the actual date of such commencement or, as the case may be, closing of establishment electronically.
- (4) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places at the premises where the work is being carried on.

FORM-IV**[(See rule 3(11))]****Certificate of cancellation of Registration Certificate of Establishment**

No.

Date:

The Registration No.....dated..... of (Name of the establishment), of Factory/ Mine/Dock Work/ Contract Work/ Building or Other Construction Work/ Any other work (work carried on in the establishment) is hereby cancelled with effect from under sub-section (5) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

Place:

Date:

Signature/ E-Sign/DSC of Registering Officer
along with designation

FORM-V
[See rule 3(9)]
Register of Establishment

SI.No.	Nature of work	Registration No. and Date	Name, address, and location of the establishment registered	Name, Address and Contact Details of Employer	Total number of Workers and Total Horsepower(if any)	Total number of Contract Workers	Remarks
1	2	2	3	4	5	6	
	(a) Factories (b) Mines (c) Dock Work (d) Building or other Construction work (e) Contract work (f) Inter-State Migrant Work (g) Any other work(not covered above)						

FORM-VI
[See rule 4(1)]

Notice of Commencement / cessation of operations

1. Registration No:
2. Name and Address of establishment:-
3. Name and Designation of employer :-
4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-
5. Nature of work of the establishment :-

A. Notice of Commencement / cessation of operations

I/We hereby intimate that the operation of establishment having registration No. dated has commenced with effect from (Date) and approximate duration of operation is _____ year _____ month.

OR

I/We hereby intimate that the operations of the establishment having registration No. dated has ceased with effect from (Date).

[Strikeout whichever is not applicable]

B. Certificate from employer in case of cessation of operation

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment having registration no. ____ dated ____ has been made.

I/we hereby certify that the establishment having registration no. ____ dated ____ kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

[Strikeout whichever is not applicable]

Signature of the Employer

To,

The Registering Officer
The Inspector-cum-Facilitator

FORM-VII**(For Mines)****(See rule 4(2))****Notice of Commencement/Re-opening/Cessation/Discontinuance/ Abandonment of operations/Closing of mines****I. In case of Notice of commencement the following additional details to be given****Particulars of the Owner/Agent/Manager:**

1. Labour Identification Number (LIN), if any

2. Mine Code, if any

3. Details of Owner, Agent, Manager					
Sl. No.	Particulars	Owner	Nominate d Owner	Agent	Manager
i.	Name				
ii.	Father's name				
iii.	Address Village/area/road– Post Office- Police Station- Sub-Division (Taluq)/Tehsil- Railway station(nearest)- District- State- PIN-				
iv.	Mobile Number				
v.	Telephone number (Landline with STD Code)				
vi.	Fax number				
vii.	Email ID				

4. Date on which it is intended to open the mine (DD/MM/YYYY)

5. Plan(s) to be enclosed as required under Regulations enclosed: Yes/No;
5.1 If yes, specify plans Nos. with date.....
6. Safety Management Plan (SMP) enclosed- Yes/No;
6.1 If yes, specify reference number with date.....
7. Actual date of opening (DD/MM/YYYY)

II. In case of reopening: following additional details to be given

1. Date on which it is intended to reopen the mine (DD/MM/YYYY)
2. Plan(s) under Regulations enclosed: Yes/No;
2. 1 If yes, specify plan No. with date.....
3. Safety Management Plan (SMP) enclosed- Yes/ No
3.1 If yes, specify reference No. with date.....
4. Actual date of reopening (DD/MM/YYYY)

III. In case of cessation/abandonment: following additional details to be given

1. Date on which it is intended to close/abandon* the mine (DD/MM/YYYY)
2. Actual date of closure /abandonment* (DD/MM/YYYY)
3. Number of persons likely to be affected
4. Reasons for closure / abandonment *

IV. In case of discontinuance: following additional details to be given

1. Date on which it is intended to discontinue the mine (DD/MM/YYYY)
2. Actual date of discontinuance (DD/MM/YYYY)
3. Number of persons likely to be affected
4. Reasons for discontinuance
5. Updated plans enclosed as required under Regulation - Yes/No
 - 5.1 If Yes, Specify the Plan(s) reference number(s)

V. In case of closing of mines: following additional details to be given:

1. Mine closure plan:
2. Details of protective works to be carried out as per statute:

[Strikeout whichever is not applicable]

Certificate from the Employer

In case of discontinuation/abandonment/cessation/closing of Mines:

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment has been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Yours faithfully

Signature:

Designation: Owner / Agent / Manager

Date:

To
Registering Officer
Inspector-cum-Facilitator

INSTRUCTIONS

* Strikeout whichever is not applicable

FORM-VIII
(See rule 5(2))
HEALTH EXAMINATION
 (Except mine employees)

photo

PART –A (Sl.No.1-11) : To be filled by the Employee:

1. Name of employee.....2. Gender.... 3. Age (with DOB).....

4. Company..... 5.Designation.....5(a). UAN:..... 5(b) Aadhaar Number (after obtaining consent)

6. In-charge Employer / Executive Contacts.....

7. Complete personal /plant Address

8. Mobile /Phone 9.Email.....

10. Medical illness (Current) and under treatment & medication, If any.....

11. Nature of Job (furnish more details, if hazardous and work-related viz. Physical, Chemical, Biological, Ergonomic etc)

.....

Date:

Signature of Employee

PART-B:

12.Medical Test Carried out & Reports to be Attached as Annexure . Medical Officer's interpretation/ Opinion of the Tests below (To be indicated only if abnormal , with reference to the attached Test reports) :

- a. Ht. (in cm)
- b. Wt. (in Kg)
- c. Chest measurement:

- (i) On inspiration cm
- (ii) On expiration cm
- (d) Waist Circumference
- (e) Body Mass Index:
- (f) Vision (Ophthalmologist tests):
 - i. Visual Acuity both Right & left eyes
 - ii. Colour Vision.....
- (g) Blood Pressure (mm Hg).....
- (h) Complete Blood Count: (Hb, TLC, DLC, Platelets).....
- (i) Fasting Blood Sugar
- (j) Post Prandial Blood Sugar.....
- (k) SpO₂.....
- (l) Blood Urea
- (m) S. Creatinine
- (n) S. Bilirubin (Total + direct)
- (o) SGOT
- (p) SGPT.....
- (q) Lipid profile (S. Cholesterol / Triglyceride / S.HDL)
- (r) S. TSH
- (s) X-ray Chest (PA view)
- (t) ECG.....
- (u) Others if any.....

13.Final Diagnosis/ Opinion / Treatment if any, advise by qualified medical practitioner

14. Does the person have seizure (s) related disorders or difficulty in working at height ? If yes, specify the works to be avoided: Yes/No/ NA
(Not applicable)

Date:

Signature of the qualified medical practitioner

SEAL

FORM- IX**(For mine employees only)**

[See rule 109, rule 113(1) , rule 119(1) and rule 142]

Report of medical examination**(To be issued in triplicate)**

Certificate No.....

Certified that Shri/ Smt. /Miss..... employed as in mine, Employee number..... . has been examined for an Initial/Periodical Medical Examination. Employee appears to be..... years of age. The findings of the examining authority are given in the attached sheet. It is considered that Shri/Smt. /Miss.....

- (a) is medically fit for any employment in mines.
- (b) is suffering from..... and is medically unfit for
 - (i) any employment in mine; or
 - (ii) any employment below ground; or
 - (iii) any employment or work.....

(c) Employee is suffering from..... and should get the disease/disability cured/controlled and be re-examined within a period of months. Employee shall appear for re-examination with the result of the test of..... and the opinion of the Specialist from..... Employee may be permitted/not permitted to carry on their duties during this period.

Space for affixing Passport**Size Photograph of the****Candidate.**

Place :

Signature & name of the examining authority

With date and seal

Report of the examining authority

(to be filled in for every medical examination whether initial or periodical or re-examination or after cure/control of disability).

Annexure to Certificate No.....as result of medical examination on

Identification Mark.....

Left thumb impression and Signature of The candidate

1. General development- Good/Fair/Poor

2. Height.....Cms.

3. Weight.....kg.

4. Eyes :

(i) Visual acuity-Distant vision (with or without glasses): Right eye.....Left eye.....

(ii) any organic disease of eyes

(iii) night blindness

(iv) Color blindness (to be tested in IME)

(v) Squint

5. Ears :

(i) Hearing: right ear.....Left ear

(ii) Any organic diseases.

(iii) Audiometry Findings :

Conduction Type	Left Ear	Right Ear
Ear Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal
Bone Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal

Enclosed Audiometry Report.

6. Respiratory system.

Auscultatory Finding:

Chest measurement :

- (i) after full inspiration cms.
 (ii) after full expiration.....cms.

Result of Lung Function Test (Spirometry)

Parameters	Predicted Value	Performed Value	% of Predicted
Forced Vital Capacity (FVC)			
Forced Vital Capacity 1 FEV1			
FEV1/FVC			
Peak Expiratory Flow			

Enclose Spirometry Report

7. Circulatory system:

Blood Pressure
Pulse

Cardiological Assessment

Auscultation	S1	
	S2	
	Additional Sound	
Electrocardiograph (12 leads) findings :		Normal/Abnormal
Echocardiography finding (to be tested in IME)		Normal/Abnormal

Enclose ECG

Enclose Echocardiography report

8. Abdomen :

Tenderness.
Liver.
Spleen.
Tumour.
Ultrasonography of Whole Abdomen (to be tested in IME)

(Enclose Ultrasonography report)

9. Nervous system:

History of fits or epilepsy

Paralysis.

Mental health.

Neurological Assessment

Findings	Normal/Abnormal
Superficial Reflexes	
Deep Reflexes	
Peripheral Circulation	
Vibrational Syndromes	

Special Tests for Manganese exposure

Behavioral Disturbances		Present/Not Present
	Speech Defect	Present/Not Present
Neurological Disturbances	Tremor	Present/Not Present
	Adiadocokinesia	Present/Not Present
	Emotional Changes	Present/Not Present

10. Locomotory system

11. Skin.

12. Hydrocele.

13. Hernia.

14. Teeth

15. Speech

16. Pathological Investigations:

S.No.	Tests	Findings
1	Blood-Tc,Dc,Hb,ESR, Platelets	WNL/Abnormal
2	Blood Sugar- Fasting & PP	WNL/Abnormal

3	HbA1c(to be tested in IME and for diabetic person during PME)	WNL/Abnormal
4	Lipid profile	WNL/Abnormal
5	Blood Urea, Creatinine	WNL/Abnormal
6	Urine (Reaction, Albumin, Sugar)	WNL/Abnormal
7	Stool Routine	WNL/Abnormal
8	Sputum test for AFB(For Food handling employee)	
9.	Hemoglobin Electrophoresis for sickle cell disease /trait (to be tested in IME)	WNL/Abnormal
10.	Bilirubin	WNL/Abnormal
11.	SGOT	WNL/Abnormal
12.	SGPT	WNL/Abnormal
13.	delta aminolevulinic acid in urine (for person exposed to Lead)	WNL/Abnormal

Enclose all Investigation Reports.

17. Skiagram of chest.

ILO Classification of Chest Radiograph :

Profusion of Pneumoconiotic opacities	Grades	Types
Present/Absent		

Enclose Chest Radiograph

18. Any other abnormality.

19. Any other test considered necessary by the examining authority.

20. Any opinion of specialist considered necessary.

Place:

Signature & name of the examining authority
With date and seal

Medical Standard of Fitness for Persons to be employed in Mines (Initial Medical Examination).

1. The person shall be in good physical and mental health and free from any physical defect, likely to interfere with efficient employment in mines.
2. Speech must be without serious impediment.
3. Teeth shall be in good condition and where necessary, the employee shall be provided with dentures for effective mastication (well filled teeth shall be considered as sound). The gums shall be in healthy condition.
4. Skin: - There shall be no evidence of extensive and chronic skin disease or ulceration. In the case of an infective type of skin disease, the candidate may be declared fit after undergoing a treatment.
5. Hearing in each ear shall be good and there shall be no sign of disease of the ear. Audiometric examination shall be normal and the person shall be free from deafness in each ear.
6. Distant vision of eye with or without glass should not be less than following standard :
 - a) For underground workers

Better eye	6/6
Worse eye	6/9
 - b) For surface/opencast workers

Better eye	6/9
Worse eye	6/12
 - c) Intra-ocular lens implant: In the case of a person who has undergone intraocular lens implant, if the visual activity with intra-ocular lens is according to the standards laid down, the person concerned may be considered fit
 - d) Fundus examination: In myopia -2Diopter or more, Fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present, which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he shall be declared unfit.
 - e) Color vision: - The testing of color vision is compulsory and the results should be normal. The Ishihara's Plates shall be used for testing color vision.
 - f) There should be no night blindness for persons employed below ground and for persons employed in open cast working in shifts other than in morning's shifts.

- g) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.
 - h) Squint:-Presence of binocular vision is essential, squint even if the visual acuity is of prescribed standard, should be considered a disqualification.
 - i) One eyed person - Presence of binocular vision is essential, one functional eye should be considered a disqualification.
 - j) There shall be no Nystagmus.
7. Respiratory system: Chest must be well formed Respiratory system should be sound and free from any chronic laryngeal, bronchial pulmonary disease. Tuberculosis of lungs if not active should not be a disqualification.
- a) A full sized postero-anterior chest radiograph (not less than 11 inch. X 14 inch.) enough to include thoracic inlet and both costophrenic angles obtained by an X-ray machine (analog /digital) of atleast 300 Milli-Ampere strength shall be classified as per ILO international Classification of Radiographs of Pneumoconiosis by Medical Officer trained in such ILO classification. X-ray shall be classified using LED view box accommodating at least four chest radiographs of 14 inch. X 17inch size.
 - b) Lung function tests (spirometry) to record forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in one second (FEVI) shall be made. Findings of spirometry shall be within normal limit.
8. Circulatory system: - There should be no evidence of cardiac or vascular disease which may interfere with their efficient employment in a mine. The Blood pressure shall not be more than 130/80 mm Hg. Detailed cardiovascular assessment of employees should be done. This should include 12 leads electrocardiogram, echocardiography and complete lipid profile.
9. Locomotor System: The limbs, hands, fingers, feet and toes should be well formed and developed & without any deformity any deformity and function of all limbs should be within normal limits.
10. There should not be any evidence of disease of abdominal organs which is likely to affect their efficient discharge of duty in a mine. Ultrasonography (whole abdomen) report shall be normal.
11. In case the candidate has hernia, he may be declared fit after he has been successfully operated for the same.

12. Hydrocele if present should not be large enough to impede the normal activities of the person. If it is large enough he may be declared fit after being successfully operated.
13. The nervous system should be sound. Persons with history of epilepsy or any other type of organic or historical fits should not be declared fit for employment in a mine. Detailed neurological examinations including testing of all major superficial and deep reflexes shall be done.
14. Fasting, Post- prandial Blood sugar and Glycoslated Hb level (HbA1c) shall be tested .GlycoslatedHb level (HbA1c) by a medical specialist as Diabetes Mellitus is known to damage of target organs. GlycoslatedHb level (HbA1c) shall not be more than 6.0. Only such cases of well controlled Diabetes Mellitus with no associated complications may be considered for appointment.
15. Serum Urea and Creatinine shall be within normal limit.
16. Bilirubin, SGOT and SGPT shall be within normal limit.
17. Routine Stool shall be within normal limit.
18. The medical examination should include examination of urine. Mere presence of albumin and sugar in the urine without any gross organic disease producing signs and symptoms should not be a disability.
19. There should not be sickle cell disease /trait. Hemoglobin Electrophoresis test shall be done.

Medical Standard of Fitness for Persons Employed (Periodical Medical Examination)

1. The person should be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with their efficient employment in a mine.
2. Speech must be without serious impediment.

3. Teeth shall be in good condition and where necessary, the employee shall be provided with dentures, where necessary, for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound). The Gums should be in healthy condition.
4. Locomotor System: The limbs should be well formed and developed, and the function of all the limbs should be within normal limits. Any deformity should be recorded. There should be no deformity or paralysis which may interfere with their efficient employment in a mine.
5. Skin: - There shall be no evidence of extensive and chronic skin disease or ulceration. In case of infective skin disease, the candidate may be declared fit after he has undergone a treatment. All occupational skin diseases should be noted.
6. Eye :
 - (a) Vision with or without glass should not be less than the following standard:

i. Better eye	6/9
ii. Worse eye	6/12
 - (b) There should be no night blindness for persons employed below ground and for persons employed in open cast working in shifts other than in morning's shifts.
 - (c) A person having only one eye which functions normally should not be employed below ground, For employment on surface the vision of such a person in the other eye should be 6/9 with or without glasses.
7. Hearing should be good, any progressive disease affecting hearing/or occupational deafness should be recorded. Audiometric examination shall be conducted in every case.
8. Respiratory System: Respiratory system should be sound and free from any chronic laryngeal, bronchial pulmonary disease. Tuberculosis of lungs if not active should not be a disqualification.
 - a) A full sized postero-anterior chest radiograph (not less than 14 inch. X11 inch.) enough to include thoracic inlet and both costophrenic angles obtained by an X-ray machine (analog /digital) of at least 300 mA Milli-Ampere strength shall be classified as per ILO international Classification of Radiographs of Pneumoconiosis by Radiologist / Medical Officer trained in such ILO classification.
 - b) Lung function tests (spirometry) to record forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in one second (FEV1) shall be made. Findings of spirometry shall be within normal limit.

9. Circulatory system – There should be no evidence of any heart or vascular disease which may interfere with their efficient employment in a mine. Detailed cardiovascular assessment of employees should be done. This should include 12 leads electrocardiogram and complete lipid profile. The Blood pressure shall not be more than 140/90 mm Hg.
10. There should not be any evidence of disease of abdominal organs which is likely to affect their efficient discharge of duty in a mine.
11. The nervous system should be sound. Persons with history of epilepsy or any other type of organic or historical fits should not be declared fit detailed neurological examinations including testing of all major superficial and deep reflexes shall be done.
12. Persons exposed to manganese, In addition to the basic neurological examination, special emphasis should be given to behavioral and neurological disturbances such as speech defect, tremor, impairment of equilibrium, adiadochokinesia and emotional changes.
13. Persons exposed to lead; PME should include delta aminolevulinic acid in urine.
14. Persons engaged in food handling and preparation and handling of stemming material activities should undergo routine sputum for Acid Fast Bacilli (AFB).
15. Fasting & Post- prandial Blood sugar shall be tested. Diabetes shall be under controlled. Target organ shall not be affected by diabetes.
16. Serum Urea and Creatinine shall be within normal limit.
17. Bilirubin, SGOT and SGPT shall be within normal limit.
18. Routine Stool shall be within normal limit.
19. In case the candidate has hernia he may be declared fit after he has been successfully operated for the same.
20. Hydrocele if present should not be large enough to impede the normal activities off the candidate. In such cases he may be declared fit after being successfully operated.

The medical examination should include examination of urine and of other system for evidence of disease. Mere presence of albumin and sugar in the urine without any gross organic disease producing signs and symptoms should not be considered as a disability.

FORM- X

[See rule 119 (2)]

Certificate medical re-examination by Appellate Medical Board

(To be issued in triplicate)

We do hereby certify that we have examined Shri/ Smt. /Miss..... employed as in, Employee number....., who was declared medically unfit for.

1. any employment in mine.
2. any employment belowground.
3. any employment in work.....
(Specify in details)

After re-examination, we consider that –

1. Employee is medically fit for any employment in mine.
2. Employee is suffering from..... and is medically unfit for
 - (a) any employment in mine.
 - (b) any employment belowground.
 - (c) any employment in work.....
(Specify in details)
3. Employee is suffering from.....and should get this disability/cured/controlled and be re-examined within a period of months. Employee shall appear for re-examination within a period of.....months. Employee shall appear for re-examination with the result of the test

of and opinion of the specialist from..... . Employee may be permitted/may not be permitted to carry on their duties during this period.

Signature & Name of members of Appellate Medical Board with date

Paste colour passport size photograph

Attested by manager/agent/owner

1.....(Convenor)

2.....

3.....

Report of the Appellate Medical Board

Annexure to certificate No.....as result of Medical examination on.....

Identification mark :

Left thumb impression & Signature of the candidate

1. General development- Good/Fair/Poor

2. Height.....Cms.

3. Weight.....kg.

4. Eyes :

(i) Visual acuity-Distant vision (with or without glasses): Right eye..... Left eye.....

(ii) any organic disease of eyes

(iii) night blindness

(iv) Colour blindness

(v) Squint

5. Ears :

(i) Hearing : right ear.....Left ear

(ii) Any organic diseases.

Audiometry Findings if required :

Conduction Type	Left Ear	Right Ear
Ear Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal
Bone Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal

Enclosed Audiometry Report.

6. Respiratory system.

Auscultatory Finding:

Chest measurement :

(i) after full inspiration cms.

(ii) After full expiration.....cms.

Result of Lung Function Test (Spirometry) if required

Parameters	Predicted Value	Performed Value	% of Predicted
Forced Vital Capacity (FVC)			
Forced Vital Capacity 1 FEV1			
FEV1/FVC			
Peak Expiratory Flow			

Spirometry Report enclosed

7. Circulatory system:

Blood Pressure :-

Pulse :-

Cardiological Assessment

Auscultation	S1	
	S2	
	Additional Sound	
Electrocardiograph (12 leads) findings :		Normal/Abnormal
Echocardiography finding if required		Normal/Abnormal

Enclosed ECG

Enclosed Echocardiography report

8. Abdomen :

Tenderness.

Liver.

Spleen.

Tumour.

9. Nervous system:

History of fits or epilepsy

Paralysis.

Mental health.

Neurological Assessment

Findings	Normal/Abnormal
Superficial Reflexes	
Deep Reflexes	
Peripheral Circulation	
Vibrational Syndromes	

10. Locomotory system

11. Skin.

12. Hydrocele.

13. Hernia.

14. Any other abnormality

15. Urine :

Reaction:

Albumin:

Sugar:

16. Pathological Investigations:

S.No.	Tests	Findings
1	Blood-Tc,Dc,Hb,ESR, Platelets	WNL/Abnormal
2	Blood Sugar- Fasting & PP	WNL/Abnormal
3	HbA1c if required	WNL/Abnormal
4	Lipid profile	WNL/Abnormal
5	Blood Urea, Creatinine	WNL/Abnormal
6	Urine Routine	WNL/Abnormal
7.	Hemoglobin Electrophoresis (if required)	WNL/Abnormal

Enclosed all Investigation Reports.

17. Skiagram of chest.

18. ILO Classification of Chest Radiograph :

Profusion of Pneumoconiotic opacities	Grades	Types
Present/Absent		

Enclosed Chest Radiograph

19. Any other test considered necessary by the examining authority.

20. Any opinion of specialist considered necessary.

Signature & Name of members of Appellate Medical Board with date

1.....(Convenor)

2.....

3.....

FORM-XI
(See rule 7(1) and rule 7(2))
NOTICE OF ACCIDENT OR DANGEROUS OCCURRENCE

E.S.I.C. Employer's Code number:

E.S.I.C. Insurance

Number of the injured person :

1. Name of employer :

2. Address of

works / premises

where the accident

or dangerous

Occurrence took place :

3. Nature of

industry and

LIN of the

establishmen

t:

4. Branch or department and

Exact place where the accident

or dangerous occurrence took

place :

5. Name and address of the injured person :

6. (a) Gender :

(b) Age (at the last birthday) :

(c) Occupation of the injured person :

7. Local E.S.I.C. Office to which the injured person is attached :

8. Date, shift and hour of accident or dangerous occurrence :

9. (a) Hour at which the injured person started work on the day of accident or dangerous occurrence :

(b) Whether wages in full or part are payable to them for the day of the accident or dangerous occurrence
:

10. (a) Cause or nature of accident or dangerous occurrence :

(b) If caused by machinery-

(i) Give the name of machine and the part causing the accident or dangerous occurrence :

(ii) State whether it was moved

by mechanical
power at the
time of
accident or
dangerous
occurrence :

(c) State exactly what the
injured person was doing at
the time of accident or
dangerous occurrence :

(d) In your opinion,
was the injured person at
the time of accident or
dangerous occurrence -

- (i) acting in
contravention of
provisions of any law
applicable to them; or
- (ii) acting in
contravention of any
orders given by or on
behalf of their
employer; or

(iii) acting without
instructions from their
employer?

(e) In case reply to (d)
(i), (ii) or (iii) is in the

affirmative, state
whether the act was
done for the purpose of
and in connection with
the employer's trade or
business.

:

11. In case the accident
or dangerous
occurrence took place
while travelling in the
employer's transport,
state whether-

(a) the

injured
person
was
travelling
as a
passenger
to or
from
their
place of
works;

:

(b) the injured person
was travelling with
the express or

implied permission
of their employer; :

(c) the transport is being operated
by or on behalf of the
employer or some
other person by whom
it is provided in
pursuance of
arrangements made
with
the employer; and :

(d) the vehicle is
being/not being
operated in the
ordinary course
of public transport service :

12. In case the accident
or dangerous occurrence
took place while
meeting emergency,
state-

(a) its nature; and

(b) whether the injured
person at the time of
accident or dangerous
occurrence was employed
for the purpose of their
employer's trade or
business in or about the

premises at which the
accident or dangerous
occurrence took place.

:

13. Describe briefly how the accident or
dangerous occurrence took place

:

14. Names and addresses of

witnesses : (1)

(2)

15. (a) Nature and
extent of injury(e.g.
fatal, loss of finger,
fracture of leg,
scald, scratch
followed by sepsis, etc.)

:

(b) Location of injury
(e.g. right leg, left hand,
left eye, etc.)

16. (a) If the accident or dangerous
occurrence was
not fatal, state
whether the
injured person

was disabled for
more than 48
hours :

(b) date and time when the injured person returned to work: :

17. (a) Physician, dispensary or
hospital from whom or which
the injured person
received or is receiving treatment :

(b) Name of dispensary/panel doctor
elected by the injured person :

18. (a) Has the injured person died ? :

(b) If so, date of death :

I certify that to the best of my knowledge and belief the above particulars are correct in every respect.

Signature and Name and Designation of owner/ employer /manager/agent

Date of
dispatch of
report :
Place:

FORM-XII
(See rule 71)
NOTICE OF PERIODS OF WORK

Name of the Establishment.....Place.....District.....

Periods of work Groups, Relays	Men												Women												Description of Groups, Nature of work	Remarks
	Total no. of men employed												Total no. of women employed													
	A			B			C			D			E			F			G			H				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

On working days

From ..

To ..

From ..

To ..

From ..

To ..

On partial

Working days

From ..

To ..

From ..

To ..

Date on which this notice is first exhibited :

Signature of employer :

Date :

FORM-XIII
(See rule 72(1)(i))
EMPLOYEE REGISTER

(The register may also be maintained ~~in~~ electronically capturing, inter-alia the following details)

Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
PAN/TAN of the Employer		
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment		
To be maintained for all employees of the establishments		
1.	Employee Code	
2.	Name	
	Middle Name	
3.	Surname	
4.	Gender	
5.	Father's/Mother's/ Spouse's Name	
6.	Date of Birth	
7.	Place of Birth	
8.	Nationality	
9.	Education level	
10.	Date of Joining	
11.	Designation	
12.	Category (unskilled, semi-skilled, skilled or highly skilled)	
13.	Type of employment (P/T/FT/T/B)**	
14.	Mobile Number	

15.	Universal Account Number (UAN)	
16.	PAN	
17.	Nominee (To be filled on the basis of Nomination form)	
18.	EPS/NPS	
19.	Details of Family	
20.	Details of Posting	
21.	Pay	
22.	Promotion	
23.	ESIC ~~IP~~ Insurance No.	
24.	Aadhaar number	
25.	Bank A/c No.	
26.	Bank	
27.	Branch(IFSC)	
28.	Present address	
29.	Permanent address	
30.	Service Book No.	
31.	Date of Exit	
32.	Reason for Exit	
33.	Mark of Identification	
34.	Photo	
35.	Specimen Signature/Thumb Impression	
36.	Remarks	

Signature of Employee

** (Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli)

Signature of Employer

FORM-XIV

(See rule 72(1)(ii))

ATTENDANCE REGISTER-CUM-MUSTER ROLL

(The attendance register-cum-muster roll may also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

															For the Month of, year 20.....											
Name of Establishment:																										
Name of the Employer/owner:																										
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)																										
1.	Serial Number																									
2.	Employee Code																									
3.	Name																									
4.	Designation																									
5.	Shift																									
6.	Place of work/department/section																									
7.	Date and timings of In and Out																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
8.	Total number of days worked																									
9.	Total number of overtime hours worked																									
10.	Brief details of tour or assignment outside the work place, if any.																									
11.	Signature of Register keeper*																									

*Note: Required in case register is maintained physically.

FORM – XV

(See Rule 72(1)(iii))

REGISTER FOR WAGES, OVERTIME AND DEDUCTIONS

(The register may also be maintained electronically capturing, inter-alia the following details)

Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
PAN/TAN of the Employer		
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)		
Wage Period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece Rated)		
1.	Serial Number	
2.	Employee Code Number	
3.	Name of the employee	
4.	Designation	
5	Department	
6	Duration of Payment of wages (Monthly/Fortnightly/Weekly/Piece rated)	
7	Wage Period from- to	
8	Total number of days worked during the wage period	
9	Total overtime hours worked or overtime production in case of piece workers	
	Rate of Wage	
10	a)Basic	
11	b)DA	
12	c)Other allowance	
	Amount of wages earned	

13	Basic	
14	DA	
15	Allowances	
16	Overtime	
17	Total wages earned	
	Deductions	
18	EPF	
19	ESIC	
20	Society	
21	Income Tax	
22	Insurance	
23	Advances	
24	Recovery of Fine	
25	Recovery on amount of damages/losses	
26	Total deductions	
27	Others	
28	Net Payment	
29	Date of Payment	
30	Receipt by employee/Bank Transaction ID	
31	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	
32	Amount of fine imposed	
33	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	
34	Signature of Employer/Employer Representative*	

*Note: Required in case register is maintained physically

FORM – XVI

(See rule 72(2))

Wage slip

Date of issue:				
Name of the Establishment				
Address:.....			Period:.....	
1.	Name of the Employee:			
2.	Father's/Mother's/Spouse's Name:			
3.	Designation:			
4.	UAN:			
5.	Bank Account Number:			
6.	Wage period:			
7.	Rate of wages payable	a) Basic	b) D.A.	c) other allowances
8.	Total attendance/unit of work done:			
9.	Overtime wages			
10.	Gross wages payable			
11.	Total deductions	a) PF	b) ESI	c) Others
12.	Net wages paid			
Employer/Pay-in-charge signature*				

***Note: Required in case register is maintained physically.**

FORM-XVII

[See rule 72(5) r/w rule 74]

ANNUAL RETURN**FOR THE YEAR ENDING 31st December.****Instructions for filling up the Annual Return**

- (1) This return shall be filled-up and furnished on or before the 28th or 29th day of February every year.
- (2) This return consists of two parts i.e. Part-I , which shall be filled up by all establishments.
- (3) Part-II shall be filled-up only by the establishments that are Mines in addition to Part-I.
- (4)The terms “establishment” and “mines” shall have the same meanings as assigned to them in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.
- (5)This return shall be filled-up in the case of contractor or manpower supplier who has engaged more than 50 workers and in the case of mines, even where one worker was employed during the relevant period.

Applicable to All Establishments - Part-I**A. General Information:**

Sl. No.			Instructions for filling the column
1.	Labour Identification Number		EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN)
2.	Period of the Return	From - To-	Period should be calendar year
3.	Name of the Establishment		
4.	Email ID (employer)		
5.	Telephone No. (employer)		
6.	Mobile number (employer)		
7.	Premise name		
8.	Sub-locality		
9.	District		
10.	State		

11.	Pin Code									
12.	Geo Co-ordinates									
B(a).	Hours of Work in a day									
B(b).	Number of Shifts Number of hours in a shift									
C. Details of Manpower Deployed										
Details		Directly employed				Employed through Contractor				Grand Total
Skill Category		Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	
(i) Maximum No. of employees employed in the establishment in any day during the year		M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(ii) Average No. of employees employed in the establishment during the year		No. to be indicated	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iii) Maximum number of Migrant Worker during the year (Section 59 of OSH&WC Code)		M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iv) Number of fixed term employee engaged		M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T					
D. Details of contractors engaged in the Establishment:										
Sl. No.	Name with LIN of the Contractor				No. of Contract Labour Engaged					
E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.										
Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided			Statutory (specify the statute)		Instructions for filling				

1.	Whether facility of Canteen provided (as per section 24(v) of OSH&WC Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments wherein hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed
2.	Crèches (as per section 67 of Code on Social Security Code, 2020 and section 24 of the OSH&WC Code 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed
2a	If 2 above is not given then whether Crèches allowance under Rule.. of Social Security Code given.	Tick yes or no in the box and not applicable	Reference rule.. on Social Security
3.	Ambulance Room (as per section 24(2)(i) of OSH&WC Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to mine, building or other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed
4.	Safety Committee (as per section 22(1) of OSH&WC Code, 2020.	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to establishments and factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BOCW employing 250 workers or more, and mines employing 100 or more workers.
5.	Safety Officer (as per section 22(2) of OSH&WC Code, 2020)	No. of safety officers appointed	In case of mine 100 or more workers, in case of BOCW 250 or more workers and in case of dock work 500 or more workers are ordinarily employed.
6.	Qualified Medical Practitioner (as per section 12(2) of OSH&WC Code 2020.	No. of Qualified Medical Practitioner appointed.	There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health.

F. The Industrial Relations:			Instructions for filling
1.	Is the Works Committee has been functioning. (Section 3 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment in which 100 or more workers are employed
(a)	Date of its constitution.		
2.	Whether the Safety Redressal Committee constituted (Section 4 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment employing 20 or more workers

3.	Number of registered Unions in the establishments.				
4.	Whether any negotiation union exist(Section14 of IR Code,2020)				Yes/No
5.	Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020)				Yes/No
6.	Number of workers discharged/dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:				
		Dismissed	Retrenched	Discharged /Terminated or Removed	Grand Total
7.	Man-days lost during the year on account of				
Sl. No.	Reasons		Period /Date	No. of man-days lost	
(a)	Strike				
(b)	Lockout				
8.	Details of retrenchment / lay off				
Sl. No.	No. of persons retrenched during the period	Details of payment paid to retrenched employees	No. of workers laid off during the period	No. of man-days lost due to lay-off	Applies on industrial establishment employing 300 or more workers

G. Details pertaining to maternity benefit:				
No. of female employees	No. of female employees availed maternity leave	No. of female employees paid medical bonus	No. of deduction of wages, if any made from female employees	

H. Details of payment of bonus:			
Sl. No.	No. of employees covered under the Bonus provision	Total amount of bonus actually paid	Date on which the Bonus paid

I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:				
Sl. No.	Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per section 10 of the OSH&WC Code, 2020.	Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH&WC Code, 2020.	Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH&WC Code, 2020	Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH&WC Code, 2020 along with the details of affected persons

J. Man days and production lost due to accidents / dangerous occurrences			
Sl. No.	Accident/Dangerous Occurrence	Man days lost	Production Lost

[See rule 72 r/w rule 74]

Part II (For Mines)

A. General information		
1.	Establishment Name	
2.	Name of Company/ Name of Owner	
3.	Type of organization (drop down)	PSU Central/ PSU State/ Private/
4.	Type of ownership (drop down)	Firm/Association/Individual/Partnership/Company
5.	Type of Mineral (drop down)	Coal/Metal/Oil
6.	Name of Mineral	
7.	Type of Mine (drop down)	Belowground/ Opencast/ Aboveground/Mixed/OffShore/OnShore
8.	Date of opening	To be filled for first time
9.	Mine Code	To be filled for first time
10.	Date of closing (if any)	NA/ Calendar to be given
11.	Date of reopening (if any)	NA/ Calendar to be given
12.	Depth of working in mts.	Maximum Depth: Minimum Depth:

B. Statutory personnel employed in the mine (as on 31st December)

Sl. No.	Designation as per Code	Number of Statutory Persons required	Number of Statutory Persons employed
1.			

C. Method of Working vis-a-vis Safety Parameters

1	Name of Method (Specify the name) (as per drop down menu)		
2	Quantity of mineral Produced in Cu.m./Tonne		
3	Quantity of Waste/overburden removed in Cu.m./Tonne		
4	Stage of Working (as per drop down menu)	Development/Extraction/Mixed	
5	Permissible Void in Cu.m.		For extraction stage
6	Actual Void in Cu.m.		For extraction stage
7	Area of overhang		For extraction stage
8	Maximum Inflammable gas released in Cu. Meter per ton of coal produced		For Development stage
9	Overall Pit slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Pit		
10	Overall dump slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Dump		
11	Area of fire in Sq. m.		
12	Length of embankment required to be provided against the water body		
13	Length of embankment provided against the water body		
14	Length of fencing required/provided as per statute		
15	No. of opening required to be sealed in case of abandoned mines:		
16	No. of Openings sealed in case of abandoned mines:		
17	Number of Mock drills conducted and date of same with coverage of employees		
18	No. of Oil/Gas wells: under drilling/ under production/ under work over (as per drop down menu)		For Oil and gas mines
19	No. of wells where production discontinued		For Oil and gas mines
20	If Yes to pt. 19 above, Action taken		
21	Action Taken in respect of Wells where production has been discontinued		For Oil and gas mines

22	Maximum Quantity of explosive used in any day (in Kgs.)		For all types of mine
23	Whether Building or Structures not belonging to owner lies within danger zone?	Yes/No/NA	For Coal & Metalliferous Mines
24	Aggregate HP/KW of machineries installed/deployed in the mine for the year		For all types of mine

D. Medical examinations - Initial/Periodical (IME/PME):

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Undergone IME	
Undergone PME	
Declared medically Temporary unfit	
Given alternate Employment due to Medical unfitness	
Terminated on account of being medically unfit	

E. Details of Vocational training imparted:

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Imparted Basic Vocational Training	
Imparted Refresher Training	
Imparted special Training	

F. Details of Accident, Dangerous Occurrence and Occupational Diseases :**(1) Details of Accidents and Dangerous Occurrences:**

Sl. No.	Date of Accidents/Dangerous Occurrences	No. of persons killed	No. of persons received Serious Bodily Injury	Number of persons injured (Excluding Serious Bodily Injury) and thereby prevented from working for a period of 48 hours or more	Nature of Occurrence	Mandays lost
1.						

(2) Details of Occupational diseases:

Sl. No	Notified Disease	No. of cases
1		

G. Details of Safety Management Plan:

- (a) Safety Management Plan Prepared: (Yes/No/NA)
 (b) Date of Submission : Date
 (c) Last date of review of Safety Management Plan: Date
 (d) Principal Hazards Identified:

Sl. no.	List of Principal hazards identified	Principal hazard Mitigation date	Principal hazard not mitigated till 31 st December	Reasons for failure to mitigate the same
1.				

H. Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)**A. For Mine: (To be filled by mine owner)**

- (i) Address of the Rescue Station with Geo-coordinates serving the mines;
 (ii) Distance of the Rescue Station from mine opening; -----(in KM)
 (iii) Whether a mine Rescue Station has been established by the mine ? (Yes/No)

Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)
(For Rescue Station)

For Mine Rescue Station (To be filled by the Superintendent of the Rescue Station)

- (i) Name of the owner of the mine at which the Mine Rescue Station is located:
- (ii) Address of MRS:
- (iii) Name of the Superintendent :
- (iv) Details of the mine served by the Rescue Station:

Sl. No.	Name of the Mines	Distance of the Mine from MRS (in Kms)

- (v) Details of Personnel Deployed at Rescue Station;

Sl. No.	Designation as per Code	Number of statutory persons required	Number of statutory persons employed

- (vi) Details of Equipment/Apparatus :

Sl. No.	Type of Equipment/Apparatus required	Numbers of Equipment/Apparatus available

(vii) Particulars of Emergency Attended:

Sl.No.	Name of the Mine	Nature of Emergency	Response Time (time taken by rescue services to attend the emergency)	Time taken for Rescue & Recovery	Action Taken

(viii) Additional Information :

- (a) Number of Rescue Rooms :
- (b) Number of Rescue Trained Persons Required :
- (c) Number of Rescue Trained Person available :
- (d) Whether Canteen facility exist or not? (Yes/No):

Certified that the tables are duly filled in and the information and figures furnished therein are correct to the best of my knowledge.

Signature of Employer/Occupier/Owner/Agent/Manager

Place:

Dated:

PART III**[See rule 98(9)]****ANNUAL RETURN** period ending 31st December

(to be submitted by the principal employer on Shram Suvidha Portal)

1. Name of the principal employer:
2. Name of the establishment:
3. Registration number (LIN) of the establishment:
4. Details of the Contractors, wages paid, etc.:

Sl.	Month	Name and address of the contractors	LIN of the contractor	Name of the work	Maximum number of contract labour employed	Amount paid against wage bill (if applicable) to the contractor (including EPF, ESIC, Bonus etc.)	Date of payment of wage bill (if applicable)	Amount of the wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay)	Date of payment of wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay)	Remarks

Signature of the principal employer**Date:**

PART IV
(see rule 72(8))

Shram Shuvidha Portal Ministry of Labour and Employment Self-Declaration form for EPFO/ESIC Contribution		Year: ____
PAN No: _____		LIN: <i>(Auto-Populated)</i>
EPF Code No. (Auto-Populated)(Editable): _____ Branch Code Nos. (Auto-Populated)(Editable): _____	ESI Code No.(Auto-Populated)(Editable): _____ Sub Code Nos. (Auto-Populated) (Editable): _____	

Statement of salary/wages and contribution in r/o of EPFO

[illegible]

[illegible]

- [illegible]

Contractors details:						
S.No.	Name & Address of the contractor	EPF code No.	ESI code No.	Nature of work	Maximum Number of employees employed during any day	Total payment made during the FY

< *contractor details may be pre-filled from CLC Licence data if available with option to add other contractors >

Details of tax benefit claimed by employer by way of contribution towards a recognized provident fund or an approved superannuation fund u/s 36(1)(iv) of Income Tax Act:

Financial Year	Contribution	Tax benefit

UPLOAD DCOUMENTS:

S. No.	DOCUMENT Name	<upload field in portal>
1.	Balance Sheet*	• <upload field for Balance Sheet of the financial year>
2.	Form 26AS*	• <upload field for Form 26AS of the financial year>
3.	Form 26Q*	• <upload field for Form 26Q of the financial year>

**mandatory field*

(Signature of the Employer/authorized representative)

***Section 36(1)(iv) of Income Tax Act:**

any sum paid by the assessee as an employer by way of contribution towards a recognised provident fund or an approved superannuation fund, subject to such limits as may be prescribed for the purpose of recognising the provident fund or approving the superannuation fund, as the case may be; and subject to such conditions as the Board may think fit to specify in cases where the contributions are not in the nature of annual contributions of fixed amounts or annual contributions fixed on some definite basis by reference to the income chargeable under the head "Salaries" or to the contributions or to the number of members of the fund;

FORM XVIII**[See rule 72(5) and 98(7)]**

Half Yearly Return (January to June / July to December) to be submitted electronically by the contractor to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central)

1. Name and address of the contractor:
2. Name and address of the principal employer and LIN:
3. LIN of the contractor:
4. Licence number of the contractor (if applicable):
5. Name of the contract work with location/station:
6. Details of the number of Contract Labour, Wages Paid etc.:

Sl. No.	Months	Number of Contract Labour employed	Total amount of wages paid in a month	Overtime	Bonus	Date and amount of Wage bill received by contractor from Principal Employer	ECR number of ESIC	ECR number of EPF	Wages paid by 7 th of the month or due date as applicable Yes/No	Remarks
	January									
	February									
	March									
	April									
	May									
	June									

Signature of the contractor:

Date:

FORM-XIX
(See rule 75)
REGISTER OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES

Name of injured/deceased person (if any)	Date of accident or dangerous occurrence	Date of report to Inspector-cum-Facilitator	Nature of accident or dangerous occurrence	Date of return of injured person to work	Number of days the injured person was absent from work	Signature of employer/representative
1	2	3	4	5	6	7

FORM-XX
(See rule 76)
REGISTER FOR LEAVE WITH WAGES

Part I - Adults

Part II - Adolescents

Establishment:

Name of worker :

Department :

Father's Name:

Sl. No	Sl.no. in the register of workers	Date of entry into service	Interruptions					Leave due with effect from	Whether leave not desired during the next 12 months	Date from which the worker is allowed leave	Wages for Leave Paid in	Discharged worker		Leave	Remarks
			Sickness and accidents	Authorised Leave	Lock Out or Legal Strike	Involuntary unemployment	Others					Date of Discharge	Date and amount of payment made in lieu of leave due	Accumulated carry forward leave	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Note: - Separate page shall be allotted to each worker

Signature of Employer/Register Keeper/Representative

FORM-XXI**[See rule 87, rule 88(1) and rule 96(1)]**

Application for Grant of Licence/ Renewal of Licence/Amendment of Licence (including common/single licence)	
Government of India, Ministry of Labour and Employment	
ESTABLISHMENT PROFILE:	
Labour Identification Number	Date
Acknowledgement Number: Date of Application:	
I. Particulars of Establishment for which licence required:	
1. Name of Establishment:	
2. Address of establishment	
(a) Head Office address along with email Id :	
(b) Corporate office address along with email Id:	
3. Telephone Number :	
4. Activity as per National Industrial Classification : (Select all applicable activities given)	
5. Details of selected NIC Code:	
6. Nature of work carried on in main establishment :	
7. Identifier of the Establishment : (Select) : e-sign/digital sign	
II. Details of Employer:	
1. Full Name of Employer: relationship with establishment.	
2. Full Address of Employer:	
3. Email Id of employer:	
4. Mobile No. of employer:	
III. Particulars of the Contract Labour to be employed / is employed (If licence is required work wise)	

Locations of worksites	Name of works	Activity as per national industrial classification	Date of commencement	Date of completion	Name of Establishments in which contract labour is/proposed to be employed	Name Address, email id of the Site Incharge
1	2		3	4	5	6

5. Maximum number of workmen proposed to be employed on the establishment on any date:

6. Amount of Licence Fee: **INR** (Transaction Id :)

7. Amount of Security Deposit: **INR** (Transaction Id :)

IV. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH COMMON LICENCE REQUIRED , (IF APPLYING FOR)

Type of Establishments	Name & Address of establishment	(i)Nature of work carried out in the establishment (ii) Activity as per National Ind'l classification	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of contract labour employed/ proposed to be employed	
1	2	3	4	5	6	

V. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH SINGLE LICENCE IS REQUIRED (IF APPLYING FOR)

Name of States in which the establishments are situated	Name of each work	Maximum number of labour will be/is employed	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Registration number, if obtained, then details thereof
1	2	3	4	5	6

Signature of Contractor	
(e-Sign/DSC)	
Note: This is an online application summary applied on Shram Suvidha Portal or designated Portal.	
<u>APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE</u>	
1. Licence No.	Date :
2. LIN & PAN	
3. Name and address of the establishment:	
4. Date of expiry of previous licence :	
5. Whether the licence of the employer/contractor was suspended or revoked:	
6. Details of fees paid : (Enclose e-payment receipt):	
Amount	Date of payment :
E-sign /digital sign of the employer/contractor date:	
<u>APPLICATION FOR AMENDMENT OF LICENCE :</u>	
1. Licence No	Date:
2. LIN & PAN	
3. Name and address of the establishment:	
4.Details for which amendment is sought :	
(a). Maximum number of contract labour presently employed : When there is an increase in the maximum number of contract labour to be employed, the additional fee/security deposit required under law shall be deposited:	
(b). Details of fees paid through e-payment date on which made :	
(c). Other details requiring amendment in the licence issued (Necessary documents may be uploaded in support of change required)	

E-sign /digital sign of the employer/contractor

Date of application.

Date:-

Place:-

FORM-XXII
(See rule 89(1) and rule 90(2))
PROFORMA OF LICENCE

Licence No. ----- Reg. No. ----- Date of Reg. -----

Licence is hereby granted to -----

for the premises known as -----

situated at -----

nature of work -----

for use as a establishment within the limits stated herein after, subject to provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and the rules made there under.

The ----- 20.. Issuing Authority

Sl.No.	Period of issue	Valid For	Fee	Date of Payment	Excess fee for late payment	Date of payment	Signature of the Issuing Authority
		Maximum number of Contract labour on any one day					

AMENDMENTS:

Year when Amended	Maximum number of Contract labour on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment	Signature of the Issuing Authority

E-sign /digital sign of the designated authority

FORM-XXIII
(See rule 100)
EXPERIENCE CERTIFICATE OF CONTRACT LABOUR

To whomsoever it may concern

1. Name of contractor/employer*:
2. LIN/PAN No. of the contractor/employer *:
3. Email Id of the contractor /employer *:
4. Mobile No. of the contractor/employer *:
5. Nature and location of work:
6. Name of principal employer*:
7. LIN/PAN No. of the principal employer :*
8. Email Id of the principal employer : *
9. Mobile No. of the principal employer :*
10. Name of the labourer*:
11. UAN / Aadhaar No.:
12. Mobile No. :
13. Serial Number in the employee register :
14. Registration number, date and name of the Board where the building or other construction work is registered as a beneficiary:
15. Period of employment:
16. Designation:
17. Work performed:
Seal and Signature of Contractor
*Strike off whichever is not applicable.

FORM-XXIV**(See rule 105)****Agreement between Producer and Audio-visual worker**

This agreement is made on this day month year..... between M/s having office at(hereinafter referred to as the “Producer”) on the first part and Shri/Smt/Kumari son/daughter/wife of Shri residing at (herein after referred to as the “audio-visual worker”) on the second part. The terms ‘Producer’ and ‘audio-visual worker’ shall include their heirs, successors, administrators and legal representatives:

Now, therefore this agreement is made as follows:

1. That both the parties agree that the duration of this agreement shall be from the date hereof till the completion of the audio-visual production and this period shall not exceed ____ consecutive months.
2. That the audio-visual worker agrees to attend studio, location or work place, as the case may be, subject to the requirement of his previous engagement and on their confirmation, to perform their respective job punctually as and when he shall be required by a written intimation by the Producer or the person duly authorised by them in writing.
3. That inconsideration of the audio-visual worker’s services, as aforesaid, the producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive a sum of Rs.(Rupees) payable as advance on signing of this agreement and the balance of Rs. payable in equal installments.
4. That in the event of the audio-visual production being not complete within the stipulated period and the Producer still needing the services of the audio-visual worker to complete the audio-visual production, the producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive additional remuneration on pro-rata basis, payable in the same manner as stated in Clause 3 above, till the completion of the production.
5. That in case the assignment of the audio-visual worker is completed earlier than the period stipulated in Clauses 1 and 4 above, the producer shall settle the account of the audio-visual worker and pay the remaining balance of the agreement amount in full before the commencement of re-recording work/censor of the production, whichever is earlier.
6. That the audio-visual worker shall, if so required,

(a) attend the studios, location or work-place, as the case may be, earlier than the scheduled time of the shift, for preparatory work, and in that case, audio-visual worker shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs. per hour or part thereof for such early attendance.

(b) continue to work beyond the working day, with one hour break and in that case, audio-visual worker shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs..... for the work during the extended hours and refreshments, and transport facilities.

7. That the Producer shall provide transport and food or pay traveling allowances to and fro to report to duty and food allowance while on duty as are customary or fixed by bilateral arrangements between the Producer's and audio-visual worker's representative organizations.

8. That the Producer shall also pay for all travelling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

9. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to such person including death caused by accident arising out of or in the course of their employment and/or during the period of their assignment under this agreement.

10. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond their control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all their dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension there from ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as from the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

11. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker's duties or of their unwillingness to perform the services required under this agreement, the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall be entitled to employ another audio-visual worker in their place.

12. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of their duties or their unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker's total work in the audio-visual and the work has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are proved before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audio-visual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favour of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

13. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be the option of the audio-visual worker whether or not to allow their name to go on the credit titles of the film.

14. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, their clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by them.

15. That the audio-visual worker agrees to render their services to the best of their ability in such manner as the Producer or, at their instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

16. That the audio-visual worker shall comply with all the regulations of the studio, location or work place as the case may be.

17. That the Producer shall not without the consent in writing of the audio-visual worker, assign or transfer the benefit of this agreement to any other person.

18. That the provisions of Chapter-III of Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) shall be applicable to this agreement.

19. That the Producer shall not utilise the work of the audio-visual worker in any film, other than the audio-visual under this agreement, without prior permission of the audio-visual worker.

The parties have put their hands to this agreement on the date, month and year said above in the presence of each other and in the presence of the witnesses.

1. Witness	Producer	Name Address
2. Witness	audio-visual worker	Name Address

FORM-XXV
[See Rule 78]
IMPROVEMENT NOTICE

To,

Name of the Establishment
(Employer / Principal Employer / Contractor)
Address

Sub-Notice regarding contraventions observed under the OSH & WC Code, 2020, OSH & WC (Central) Rules, 2026, Regulations, Standards and Orders made thereunder, in respect of (Name of the establishment)

Sir / Madam,

- (1) It is to inform that the undersigned conducted inspection of (name of the establishment), engaged in the work of (name of work) located at on (date).
- (2) The particulars of the establishment inspected and the contravention (s) of the provisions of the OSH&WC Code 2020, OSH & WC (Central) Rules, 2026, Regulations, Standards, Notifications and Orders made thereunder observed during inspections are annexed herewith.
- (3) You are hereby directed to rectify the contraventions / irregularities observed during inspections and submit compliance report (through speed post / electronic mode / designated portal) within 30 days from the date of issue of this notice, failing which necessary action will be initiated as per the relevant provisions of the statute without making any further correspondence in this regard.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Inspector-cum-Facilitator.

FORM- XXVI
[See rule 182(1)]
APPLICATION FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :
2. Father's / Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Name of establishment:
5. Particulars of the offence:.....
.....
.....
6. Section of the Code under which the offence is committed :.....
7. Maximum fine provided for the offence under the Code :.....
8. Whether prosecution against the applicant is pending or not
9. Whether the offence is a first offence or whether the applicant has committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of such prior offence
.....
.....
10. Any other information which the applicant desires to provide
.....
.....

Dated:

Applicant
(Name and signature)

FORM-XXVII

[See rule 182(1)]

Notice to the employer for an offence committed under the provisions of the Code for the first time for composition of offences**Notice No.....****Date:**

On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment.....
(Registration No.....), have committed an offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations or the Standards framed thereunder as per the details given below:-

PART – I

1.	Name of the person:	
2.	Name and Address of the establishment :	
3.	Registration No. of the establishment:	
4.	Particulars of the offence:	
5.	Provisions of the Code/Scheme/Rules/Regulations under which the offence is committed:	
6.	Amount required to be paid for compounding of the offence:	
7.	Name and details of account for depositing the amount specified in serial no. 6:	

PART –II

In view of the above, you have an option to pay the entire amount mentioned at serial no. 6 in Part-I within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part – III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for institution of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

(Signature)
(Name and designation of Officer)

Date:
Place:
To:
.....(Employer/Establishment)
.....(Name and registration number)
.....(Address)

PART – III
[See rule 182(2)]**Application under section 114 for composition of offence**

Ref: Notice No.....

Date:

The undersigned has deposited the entire amount as specified at serial 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

8. Details of the compounding amount deposited (Copy of the electronically generated receipt to be attached):

9. Details of the prosecution, if any filed in respect of the violation of the above-mentioned offences:

10. Whether the present offence is a first offence or whether the applicant has committed any other offence prior to this offence, if so, then, full details of such offence:

11. Any other information which the applicant desires to provide:

Signature of the applicant
(Name and Designation)

Date:
Place:
To:
.....(Compounding Officer)
.....(Name of the Office)
.....(Address)

PART – IV
[See rule 182(3)]

Composition Certificate

Ref: Notice No.....

Date:

This is to certify that the offence under sub-section of section 114 in respect of which Notice No. Dated: _____ was issued to Sh/Smt. (Applicant), the employer of (name and registration number of the establishment) has been compounded on upon receipt of the full amount of dRs (Rupees _____) towards compounding of the offence, to the satisfaction of the requirements of the said notice.

(Signature)
Name and Designation of the Officer

Date:

Place:

To:

.....(Employer/Establishment)

.....(Name and registration number)

.....(Address)

[F. No. S-65025/01/2021-ISH.II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor